इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)

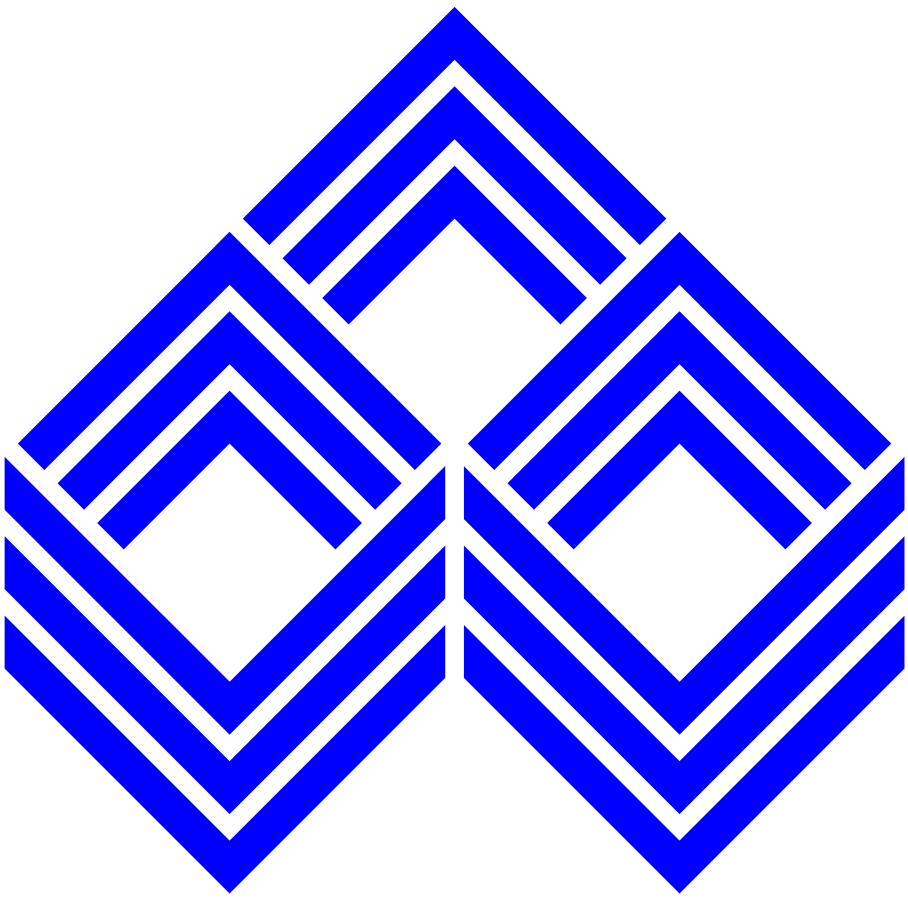
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

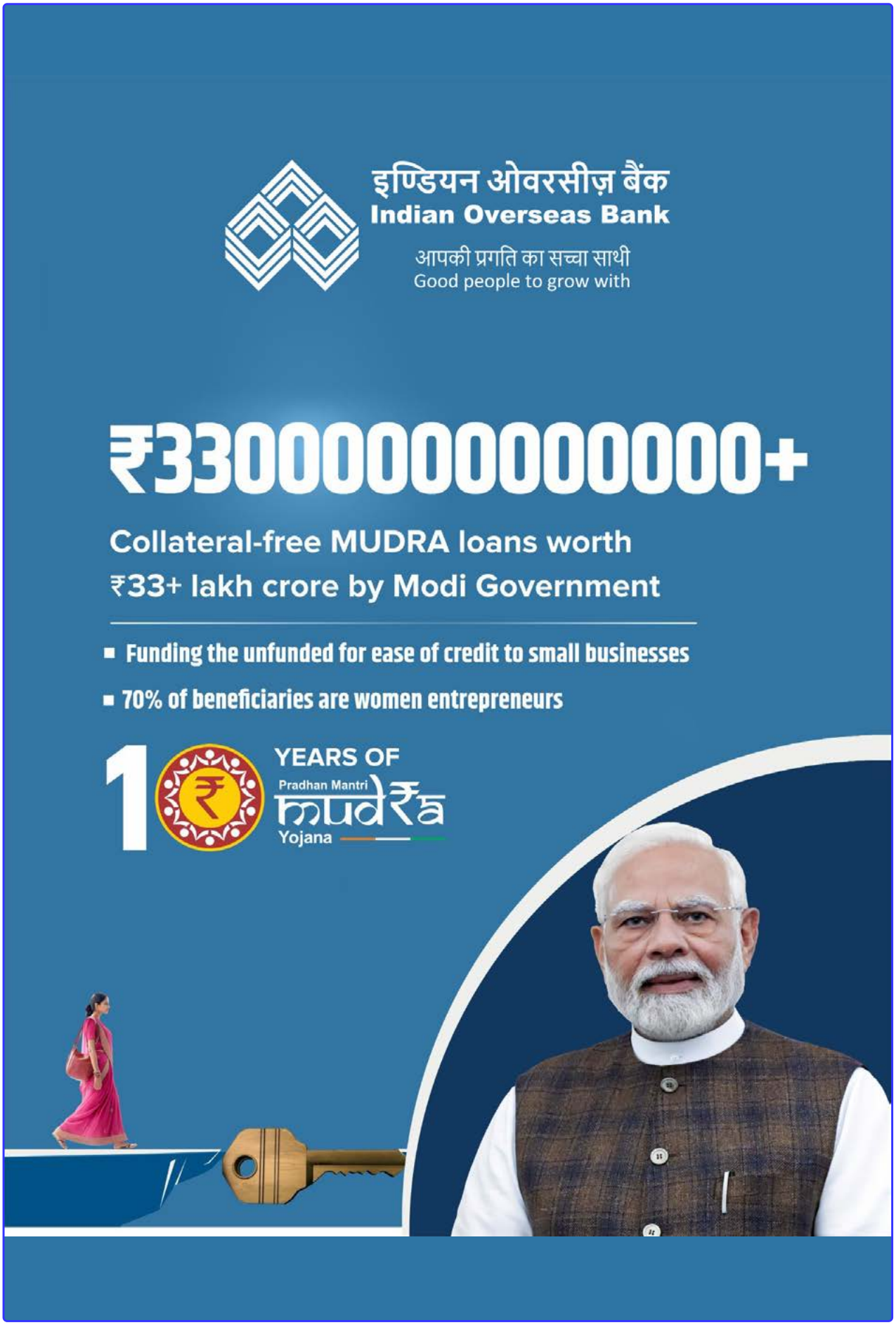


Strong Roots. Rising Future.

Banking That Goes the Distance

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-2025

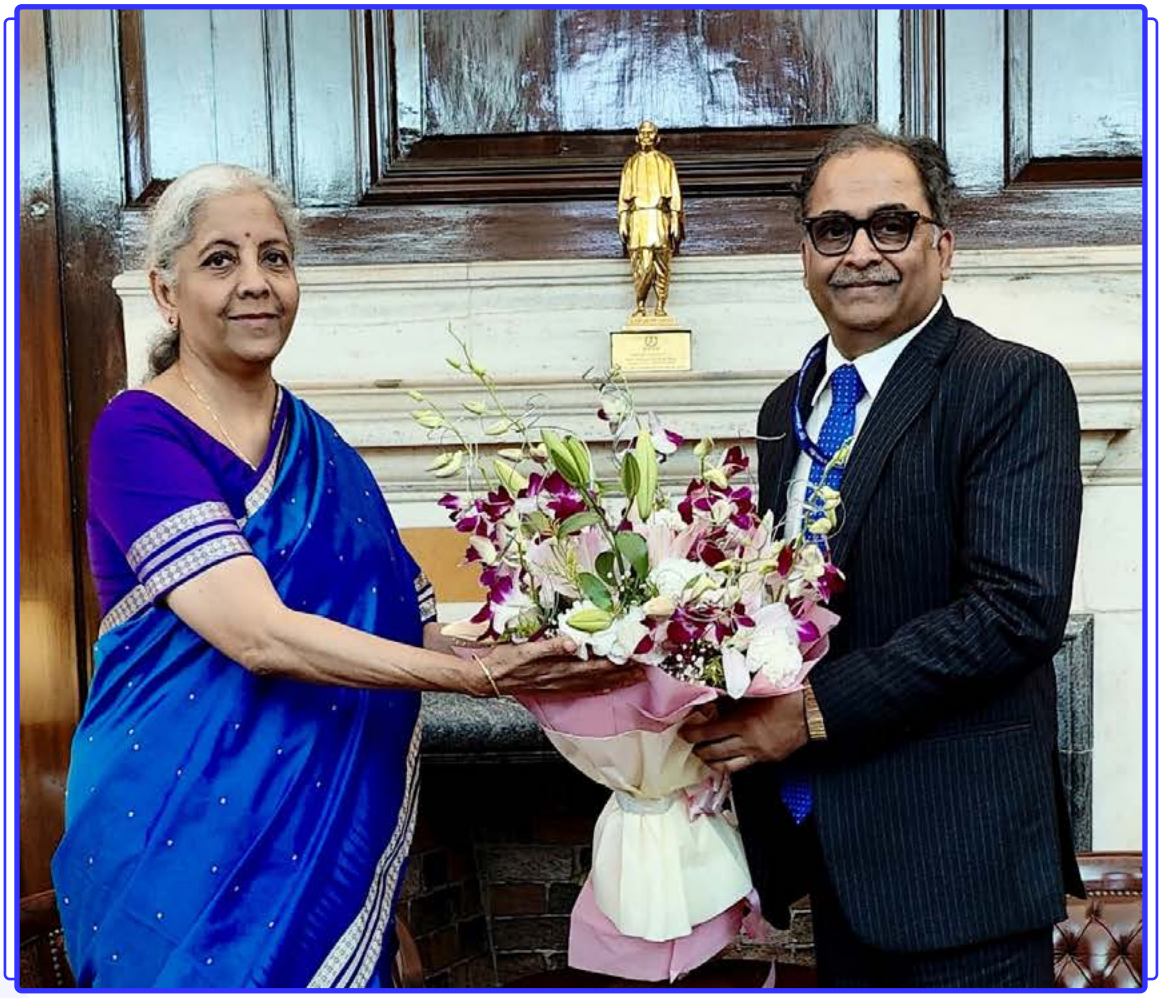



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
₹33000000000000+
Collateral-free MUDRA loans worth
₹33+ lakh crore by Modi Government
Funding the unfunded for ease of credit to small businesses
70% of beneficiaries are women entrepreneurs
10
YEARS OF
Pradhan Mantri
mudra
Yojana



वर्ष 2023-24 हेतु माननीय श्री अमित शाह, गृह व सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से बैंक को प्रदत्त प्रतिष्ठित "राजभाषा कीर्ति - प्रथम पुरस्कार" प्राप्त करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

OUR MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER, SHRI AJAY KUMAR SRIVASTAVA RECEIVING THE PRESTIGIOUS "RAJBHASHA KIRTI - FIRST PRIZE" CONFERRED ON THE BANK FOR THE YEAR 2023-24 FROM HON'BLE SHRI AMIT SHAH, HOME & COOPERATION MINISTER, GOVERNMENT OF INDIA



3 मार्च 2025 को नई दिल्ली में माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने सौजन्य भेंट की।

OUR MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, SHRI. AJAY KUMAR SRIVASTAVA MET HON'BLE FINANCE MINISTER SMT. NIRMALA SITHARAMAN AT NEW DELHI ON 3RD MARCH, 2025.

पुरस्कार | AWARDS



हमारे बैंक को आइबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कारों में 5 प्रतिष्ठित प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए

OUR BANK RECEIVED 5 PRESTIGIOUS CITATIONS AT THE IBA BANKING TECHNOLOGY AWARDS



हमारे बैंक को अनुपालन के क्षेत्र में अपनी पहल के लिए स्कॉच पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ

OUR BANK RECEIVED SKOCH AWARD 2024 FOR ITS INITIATIVES IN THE AREA OF COMPLIANCE



हमारे बैंक को आइबीए और ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में पीएसयू उच्चतम डीक्यूआई (डेटा गुणवत्ता सूचकांक) सुधार वित्त वर्ष 25 के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ- वाणिज्यिक खंड में विजेता और उपभोक्ता खंड श्रेणियों में प्रथम उपविजेता

OUR BANK RECEIVED AWARDS FOR PSU HIGHEST DQI (DATA QUALITY INDEX) IMPROVEMENT FY'25 AT ANNUAL CONFERENCE HOSTED BY IBA & TRANSUNION CIBIL- WINNER IN COMMERCIAL SEGMENT AND FIRST RUNNER UP IN CONSUMER SEGMENT CATEGORIES

खेल | SPORTS



कर्नाटक में अखिल भारतीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में - विजेता

WINNERS - ALL INDIA LEVEL VOLLEYBALL TOURNAMENT AT KARNATAKA



बरगुर में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में - विजेता

WINNERS - STATE LEVEL VOLLEYBALL TOURNAMENT AT BARGUR



कोल्लम में दक्षिण क्षेत्र स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में - विजेता

WINNERS - SOUTH ZONE LEVEL VOLLEYBALL TOURNAMENT AT KOLLAM



मदुरै में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में - विजेता

WINNERS - STATE LEVEL HOCKEY TOURNAMENT AT MADURAI



कोयंबत्तूर में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता - टेक्समो कप में - विजेता

WINNERS - STATE LEVEL VOLLEYBALL TOURNAMENT AT COIMBATORE - TEXMO CUP

सी.एस.आर | CSR



सीएसआर के तहत स्थायी रूप से दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए 10 व्हीलचेयर, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए 10 वॉकिंग स्टिक और चलने के सहायतार्थ लाभार्थियों को 10 ट्राइपॉड वॉकिंग स्टिक सेट का दान दिया गया।

BANK HAS DONATED 10 WHEELCHAIRS TO PERMANENTLY DIFFERENTLY - ABLED INDIVIDUALS, 10 WHITE CANES TO VISUALLY IMPAIRED PERSONS AND 10 TRIPOD WALKING STICKS TO BENEFICIARIES REQUIRING ENHANCED MOBILITY SUPPORT.



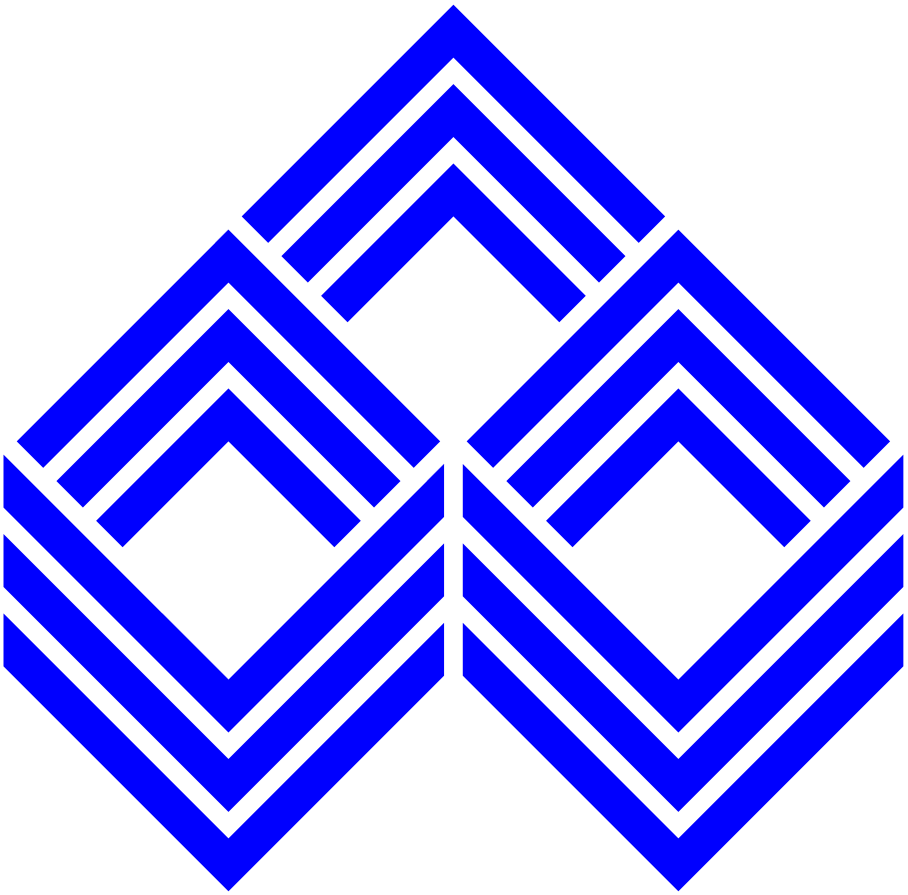
सीएसआर प्रयासों के तहत भारत को भूख मुक्त बनाने की दिशा में अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके स्कूली बच्चों को सुबह का नाश्ता प्रदान किया गया ।

MORNING BREAKFAST WERE SERVED TO CHILDREN IN NEED BY PARTNERING WITH AKSHAYA PATRA TO SUPPORT A HUNGER-FREE INDIA.



सीएसआर प्रयासों के तहत हमारे बैंक ने स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2024 के तहत अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रेटर चेन्नै कॉरपोरेशन को सीएसआर के तहत दो दीवार पेंटिंग और दो वाहन स्पॉन्सर किए हैं ।

DONATED TWO BATTERY OPERATED VEHICLES TO THE GREATER CHENNAI CORPORATION UNDER CSR INITIATIVE TO SUPPORT THE ROLLOUT UNDER SWACHHATA HI SEVA 2024 CAMPAIGN.



निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri Srinivasan Sridhar
Non-Executive Chairman &
Part-Time Non-Official Director



श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO



श्री जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक
Shri Joydeep Dutta Roy
Executive Director



श्री धनराज टी
कार्यपालक निदेशक
Shri Dhanaraj T
Executive Director



सुश्री नीलम अग्रवाल
सरकारी नामिती निदेशक
Ms Neelam Agrawal
Government Nominee Director



सुश्री सोनाली सेन गुप्ता
आरबीआई नामिती निदेशक
Ms Sonali Sen Gupta
RBI Nominee Director



श्री संजया रस्तोगी
शेयरधारक निदेशक
Shri Sanjaya Rastogi
Shareholder Director



श्री सुरेश कुमार रुंगटा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri Suresh Kumar Rungta
Part-Time Non-Official Director



श्री बी. चंद्रा रेड्डी
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri B. Chandra Reddy
Part-Time Non-Official Director



श्री दीपक शर्मा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri Deepak Sharma
Part-Time Non-Official Director

निदेशक मंडल

श्री श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष व
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

श्री धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

सुश्री नीलम अग्रवाल
सरकारी नामिती निदेशक

सुश्री सोनाली सेन गुप्ता
आरबीआई नामिती निदेशक

श्री संजया रस्तोगी
शेयरधारक निदेशक

श्री सुरेश कुमार रुंगटा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री बी. चंद्रा रेड्डी
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री दीपक शर्मा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

BOARD OF DIRECTORS

Shri Srinivasan Sridhar
Non-Executive Chairman &
Part-Time Non-Official Director

Shri Ajay Kumar Srivastava
Managing Director &
Chief Executive Officer

Shri Joydeep Dutta Roy
Executive Director

Shri Dhanaraj T
Executive Director

Ms Neelam Agrawal
Government Nominee Director

Ms Sonali Sen Gupta
RBI Nominee Director

Shri Sanjaya Rastogi
Shareholder Director

Shri Suresh Kumar Rungta
Part-Time Non-Official Director

Shri B. Chandra Reddy
Part-Time Non-Official Director

Shri Deepak Sharma
Part-Time Non-Official Director

श्री माधव चन्द्र झा
उप महा प्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

Shri Madhaw Chandra Jha
Deputy General Manager &
Chief Financial Officer

लेखाकार

मेसर्स आर देवेंद्र कुमार व एसोसिएट्स
मुंबई

मेसर्स तेज राज व पाल
भुवनेश्वर

मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति एवं एसोसिएट्स
मुंबई

मेसर्स संजीव ओमप्रकाश गर्ग एवं कंपनी
भोपाल

AUDITORS

M/s R Devendra Kumar & Associates
Mumbai

M/s Tej Raj & Pal
Bhubaneswar

M/s Laxmi Tripti & Associates
Mumbai

M/s Sanjeev Omprakash Garg & Co
Bhopal

पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट

कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेस लि.
(यूनिट- आइओबी)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, V तल,
नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन : 044-4002 0700
ऑनलाइन निवेशक पोर्टल:
https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

Cameo Corporate Services Ltd
(Unit-IOB)
Subramanian Building
V Floor, No.1, Club House Road,Chennai-600002
Tel: 044-4002 0700
Online Investor Portal:
https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

अनुक्रमणिका | INDEX

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं
1	वित्तीय प्रदर्शन पर एक नज़र	**16**
2	अध्यक्ष का संदेश	**24**
3	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	**30**
4	रिपोर्ट के बारे में	**38**
5	कॉरपोरेट अवलोकन	**40**
6	मूल्य सृजन मॉडल	**44**
7	वित्तीय पूँजी	**46**
8	विनिर्मित पूँजी	**48**
9	बौद्धिक पूँजी	**51**
10	मानव संसाधन पूँजी	**54**
11	सामाजिक व संबंध पूँजी	**57**
12	प्राकृतिक पूँजी	**58**
13	शेयरधारकों को सूचना	**62**
14	निदेशकों की रिपोर्ट	**86**

S. No	Contents	Page No.
1	Financial Performance at a Glance	**16**
2	Chairman's Message	**24**
3	Managing Director & Chief Executive Officer's Message	**30**
4	About the Report	**354**
5	Corporate Overview	**356**
6	Value Creation Model	**360**
7	Financial Capital	**362**
8	Manufactured Capital	**364**
9	Intellectual Capital	**366**
10	Human Capital	**369**
11	Social & Relationship Capital	**372**
12	Natural Capital	**374**
13	Notice to Shareholders	**378**
14	Directors' Report	**396**

अनुक्रमणिका | INDEX

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं
15	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	**92**
16	कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	**136**
17	सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट	**168**
18	निदेशकों की गैर-अयोग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र	**172**
19	वार्षिक लेखा – स्टैण्डअलोन	**174**
20	अनुसूचियाँ – स्टैण्डअलोन	**178**
21	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट – स्टैण्डअलोन	**262**
22	वार्षिक लेखा – समेकित	**274**
23	अनुसूचियाँ – समेकित	**278**
24	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट – समेकित	**314**
25	बेसल III प्रकटीकरण	**324**
26	व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट	**353**
27	लाभांश वितरण नीति	**353**

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रूपांतरण में कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा)

S. No	Contents	Page No.
15	Management Discussion & Analysis	**402**
16	Corporate Governance Report	**440**
17	Secretarial Audit Report	**470**
18	Certificate on Non-Disqualification of Directors	**473**
19	Annual Accounts-Standalone	**476**
20	Schedules- Standalone	**480**
21	Independent Auditor's Report- Standalone	**560**
22	Annual Accounts-Consolidated	**570**
23	Schedules- Consolidated	**574**
24	Independent Auditor's Report- Consolidated	**606**
25	Basel III Disclosures	**616**
26	Business Responsibility and Sustainability Report	**643**
27	Dividend Distribution Policy	**643**

(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi version, the English version will prevail.)

PM Vishwakarma

Crafting the Soul of India

3 LOAN UPTO LAKH





Rate of Interest- 5%

No Collateral Security

No Guarantee

Apply Now



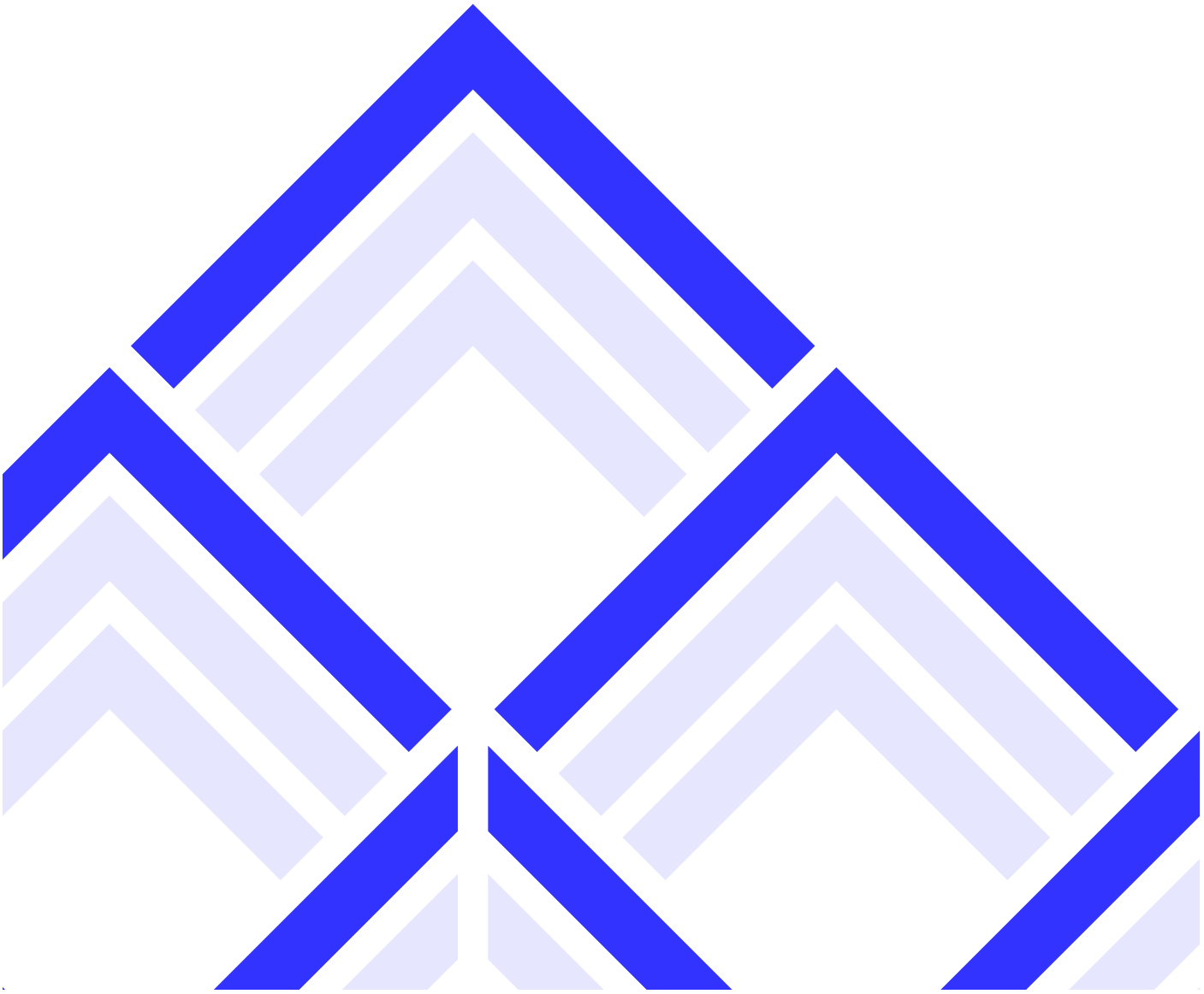
T&C Apply

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

वित्तीय प्रदर्शन पर एक नज़र

FINANCIAL PERFORMANCE AT A GLANCE



एक नज़र में
AT A GLANCE

(रु. करोड़ में)/ (₹ in Crore)

	मार्च -25 Mar-25	मार्च -24 Mar-24	मार्च -23 Mar-23	मार्च -22 Mar-22	मार्च -21 Mar-21
कुल कारोबार / Total Business	5,61,958	5,04,923	4,49,892	4,17,960	3,79,885
वैश्विक जमाएँ / Global Deposits	3,11,939	2,85,905	2,60,883	2,62,159	2,40,288
घरेलू जमाएँ / Domestic Deposits	3,03,415	2,78,968	2,54,324	2,56,890	2,35,545
घरेलू सकल अग्रिम / Domestic Gross Advances	2,33,501	2,00,697	1,73,669	1,43,202	1,30,267
वैश्विक निवल अग्रिम / Global Net advances	2,45,555	2,13,319	1,78,053	1,44,244	1,27,721
प्राथमिक क्षेत्र उधार / Priority Sector Advances	94,139	89,008	91,803	79,570	74,579
कृषि ऋण / Agricultural Credit	48,932	39,858	44,487	40,358	33,124
निवल निवेश (वैश्विक) / Net Investments(Global)	1,11,046	99,632	94,170	98,179	95,494
ब्याज आय / Interest Income	28,131	24,050	19,401	16,730	16,966
गैर –ब्याज आय / Non-Interest income	5,545	5,656	4,108	4,903	5,559
परिचालनगत व्यय / Operating Expenses	7,747	8,722	6,422	5,451	5,562
सकल लाभ / Gross Profit	8,688	6,764	5,942	5,763	5,896
निवल लाभ / निवल हानि / Net Profit/Net Loss	3,335	2,656	2,099	1,709	831
इक्विटी शेयर पूँजी / Equity Share Capital	19,256	18,902	18,902	18,902	16,437
सकल एनपीए (%) / Gross NPA(%)	2.14	3.10	7.44	9.82	11.69
निवल एनपीए (%) / Net NPA(%)	0.37	0.57	1.83	2.65	3.58
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) / Capital Adequacy Ratio(%)	19.74	17.28	16.10	13.83	15.32

जहाँ कहीं भी अपेक्षित है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है ।
Previous year's figures are regrouped wherever necessary

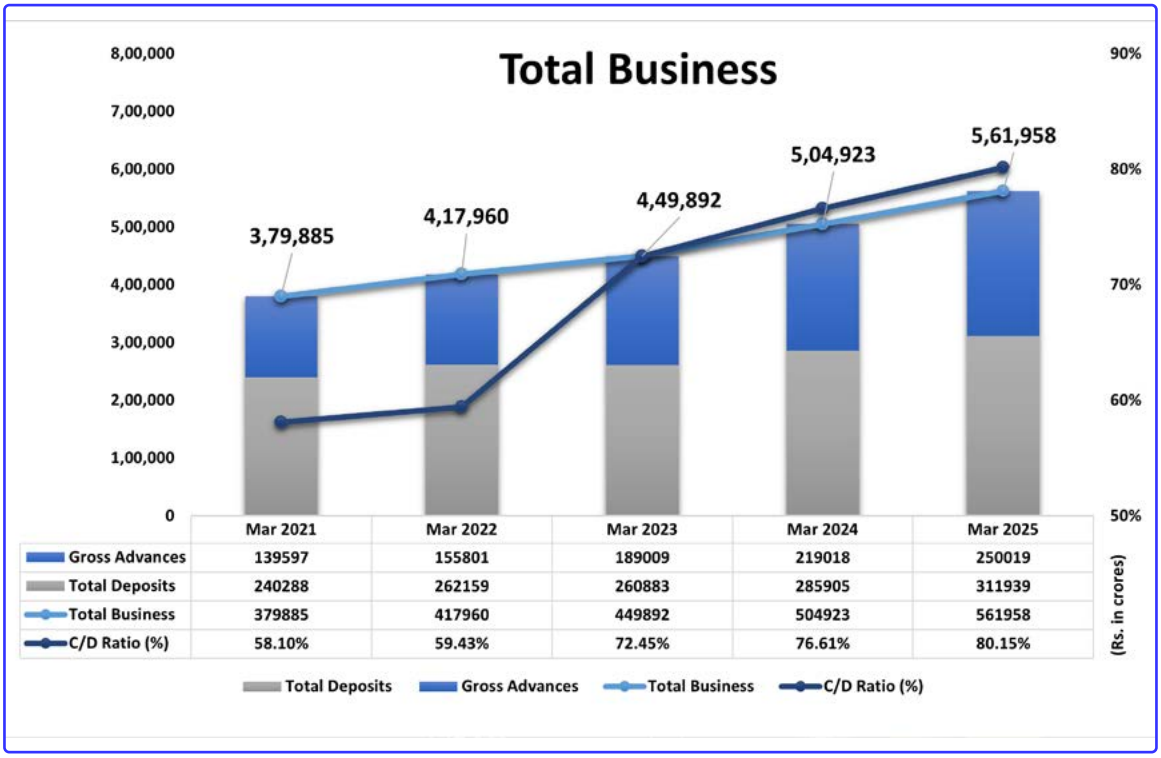
होरिजेंटल व वर्टिकल विश्लेषण
HORIZONTAL & VERTICAL ANALYSIS

(रु. करोड़ में)/ (₹ in Crore)

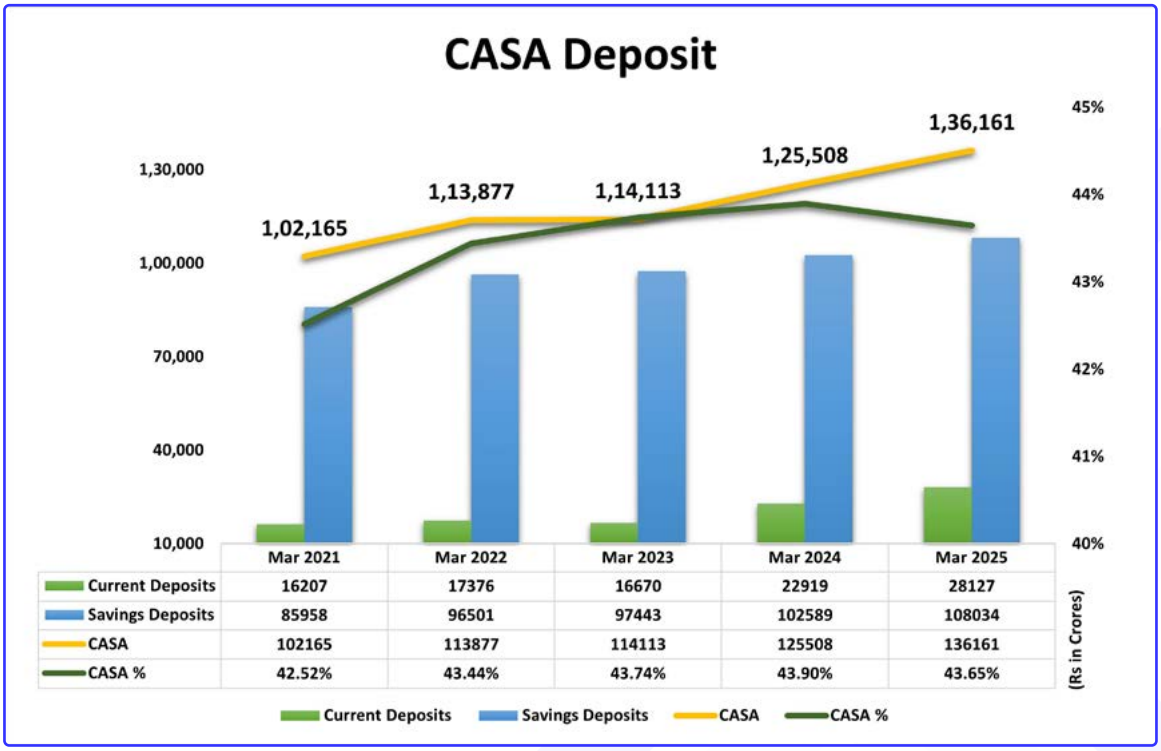
	मार्च -25 Mar-25	मार्च -24 Mar-24	मार्च -23 Mar-23	मार्च -22 Mar-22	मार्च -21 Mar-21
देयताएँ/ Liabilities					
पूंजी /Capital	19,257	18,902	18,902	18,902	16,437
आरक्षितियाँ और अधिशेष /Reserves and Surplus	13,284	9,040	6,361	4,098	508
जमाएँ /Deposits	3,11,939	2,85,906	2,60,883	2,62,159	2,40,288
उधार /Borrowings	42,228	30,387	20,804	3,071	3,671
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान /Other Liabilities & Provisions	8,307	7,799	6,795	11,147	13,106
कुल /Total	**3,95,015**	**3,52,034**	**3,13,745**	**2,99,377**	**2,74,010**
आस्तियाँ /Assets					
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष / Cash & Balances with Reserve Bank of India	18,116	16,905	17,148	16,706	12,188
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन / Balances with Banks & Money at call and Short Notice	2,955	1,650	3,459	20,067	18,588
निवेश / Investments	1,11,045	99,632	94,170	98,179	95,494
अग्रिम / Advances	2,45,555	2,13,319	1,78,053	1,44,244	1,27,721
अचल आस्तियां / Fixed Assets	4,655	3,740	3,710	3,365	2,919
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	12,689	16,788	17,205	16,816	17,100
कुल /Total	**3,95,015**	**3,52,034**	**3,13,745**	**2,99,377**	**2,74,010**
निवल ब्याज आय / Net Interest Income	10,890	9,829	8,255	6,311	5,899
परिचालनात्मक लाभ / Operating Profit	8,688	6,764	5,942	5,763	5,896
निवल लाभ / Net Profit	3,335	2,656	2,099	1,710	831

	मार्च -25 Mar-25	मार्च -24 Mar-24	मार्च -23 Mar-23	मार्च -22 Mar-22	मार्च -21 Mar-21
आस्तियों पर प्रतिलाभ / Return on Assets	0.92	0.81	0.68	0.59	0.31
इक्विटी पर प्रतिलाभ / Return on Equity	16.28	16.24	15.55	17.89	13.21
प्रति शेयर बही मूल्य / Book Value Per Share	12.11	9.56	7.75	6.54	4.11
प्रति शेयर आय / Earning Per Share	1.76	1.40	1.15	0.92	0.51
प्रतिकर्मचारी निवल लाभ / Net Profit Per Employee	0.16	0.12	0.10	0.08	0.04
प्रावधान कवरेज अनुपात / Provision Coverage Ratio	97.30	96.85	92.63	91.66	90.34
अग्रिमों पर लाभ / Yield on Advances	8.82	8.80	7.81	7.38	8.00
निवेशों पर लाभ / Yield on Investments	6.83	6.39	5.83	5.85	6.50
निवल ब्याज मार्जिन /Net Interest Margin	3.25	3.28	2.93	2.41	2.39
पूंजी पर्याप्तता अनुपात /Capital Adequacy Ratio					
टीयर I पूंजी /Tier I Capital	28,972	20,840	16,736	12,428	14,462
टीयर I पूंजी /Tier I Capital (%)	17.13	14.47	12.88	10.71	12.91
टीयर II पूंजी /Tier II Capital	4,412	4,035	4189	3622	2695
टीयर II पूंजी /Tier II Capital (%)	2.61	2.80	3.22	3.12	2.41
कुल पूंजी निधि /Total Capital Fund	33,384	24,875	20925	16050	17158
सीआरएआर /CRAR (%)	19.74	17.28	16.10	13.83	15.32
ग्राहक संपर्क बिन्दु /Customer Touch Point					
बैंक की शाखाएँ /Number of Bank Branches	3,335	3,236	3,220	3,214	3,217
एटीएम/ सीआर /ATM/CR	3,497	3,506	3,477	3,355	3,145
कारोबार प्रतिनिधि /Business Correspondents	10,135	6,379	3,190	2,659	2,739

मुख्य प्रदर्शन रिपोर्ट
KEY PERFORMANCE REPORT

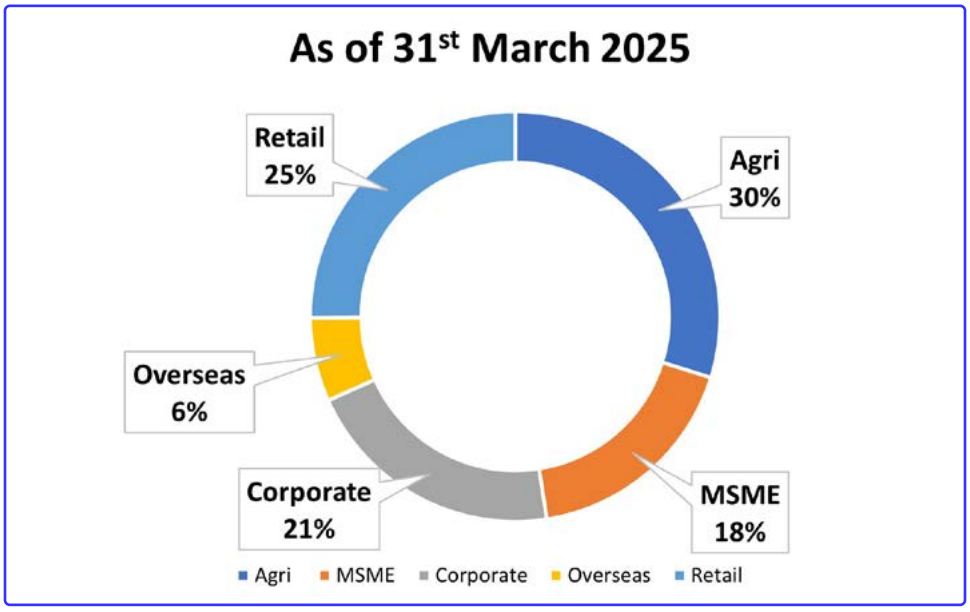


	Mar 2021	Mar 2022	Mar 2023	Mar 2024	Mar 2025
Gross Advances	139597	155801	189009	219018	250019
Total Deposits	240288	262159	260883	285905	311939
Total Business	379885	417960	449892	504923	561958
C/D Ratio (%)	58.10%	59.43%	72.45%	76.61%	80.15%

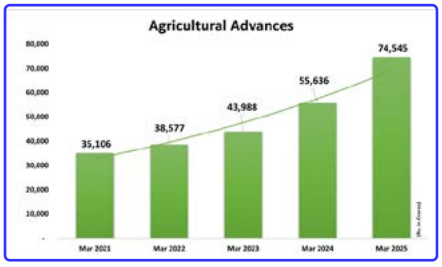


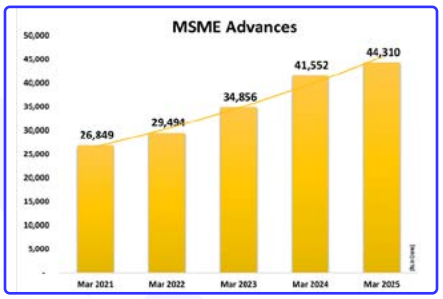
	Mar 2021	Mar 2022	Mar 2023	Mar 2024	Mar 2025
Current Deposits	16207	17376	16670	22919	28127
Savings Deposits	85958	96501	97443	102589	108034
CASA	102165	113877	114113	125508	136161
CASA %	42.52%	43.44%	43.74%	43.90%	43.65%

अग्रिम पोर्टफोलियो
ADVANCE PORTFOLIO

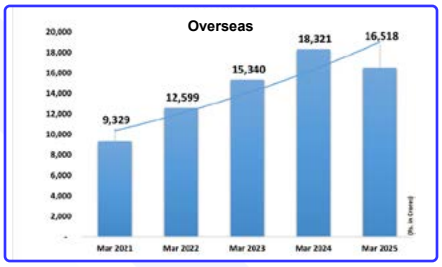




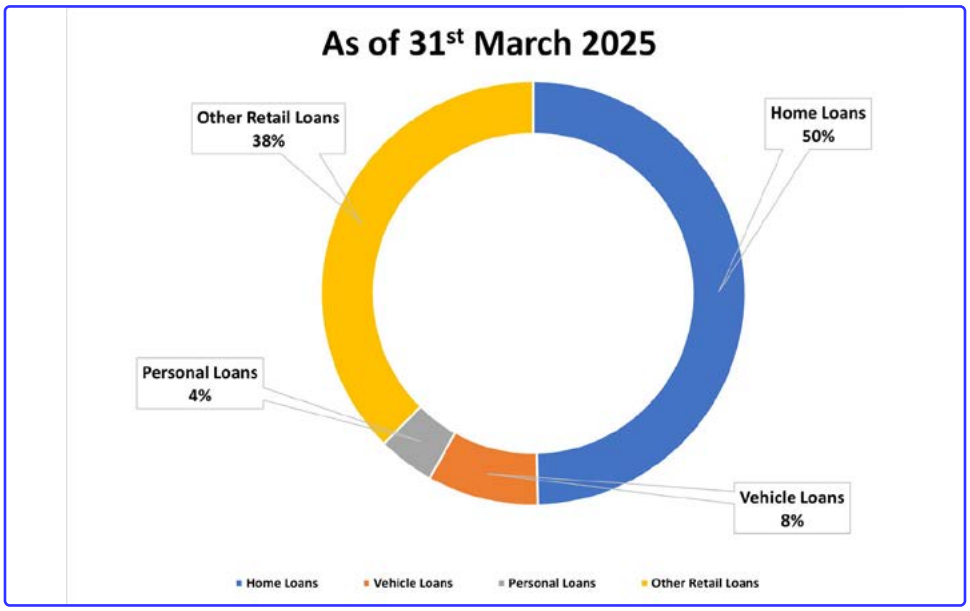






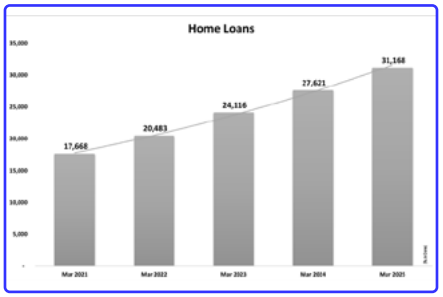


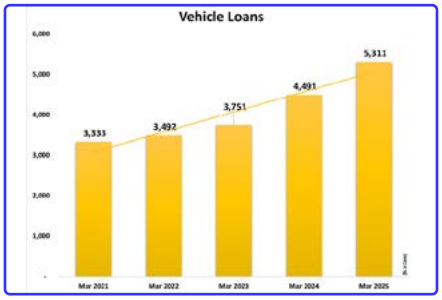
खुदरा ऋण पोर्टफोलियो
RETAIL LOANS PORTFOLIO





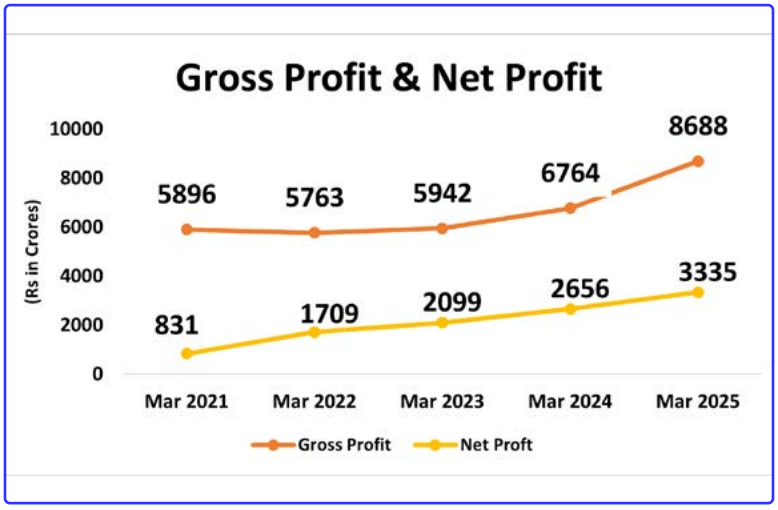


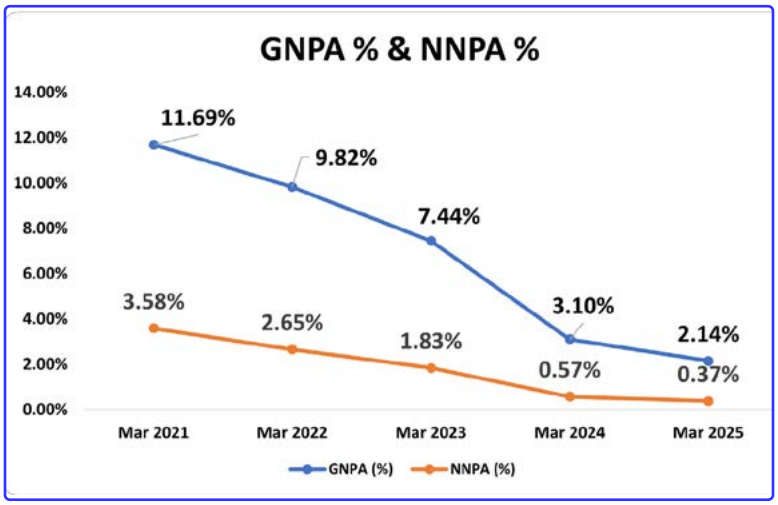


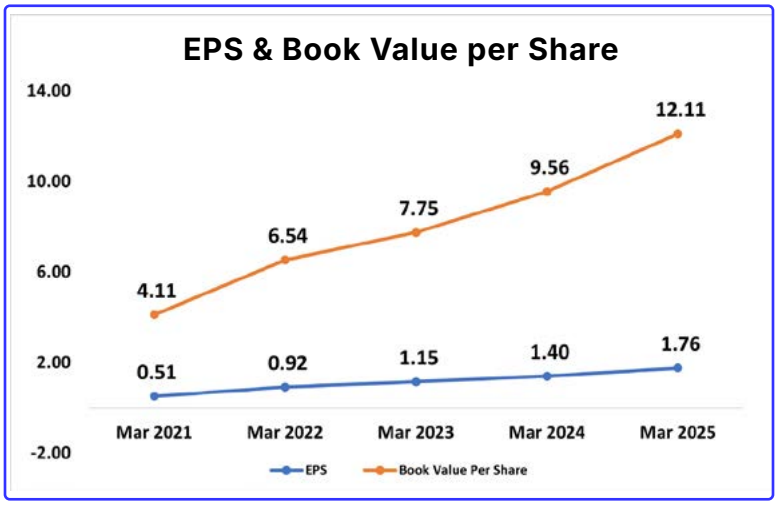




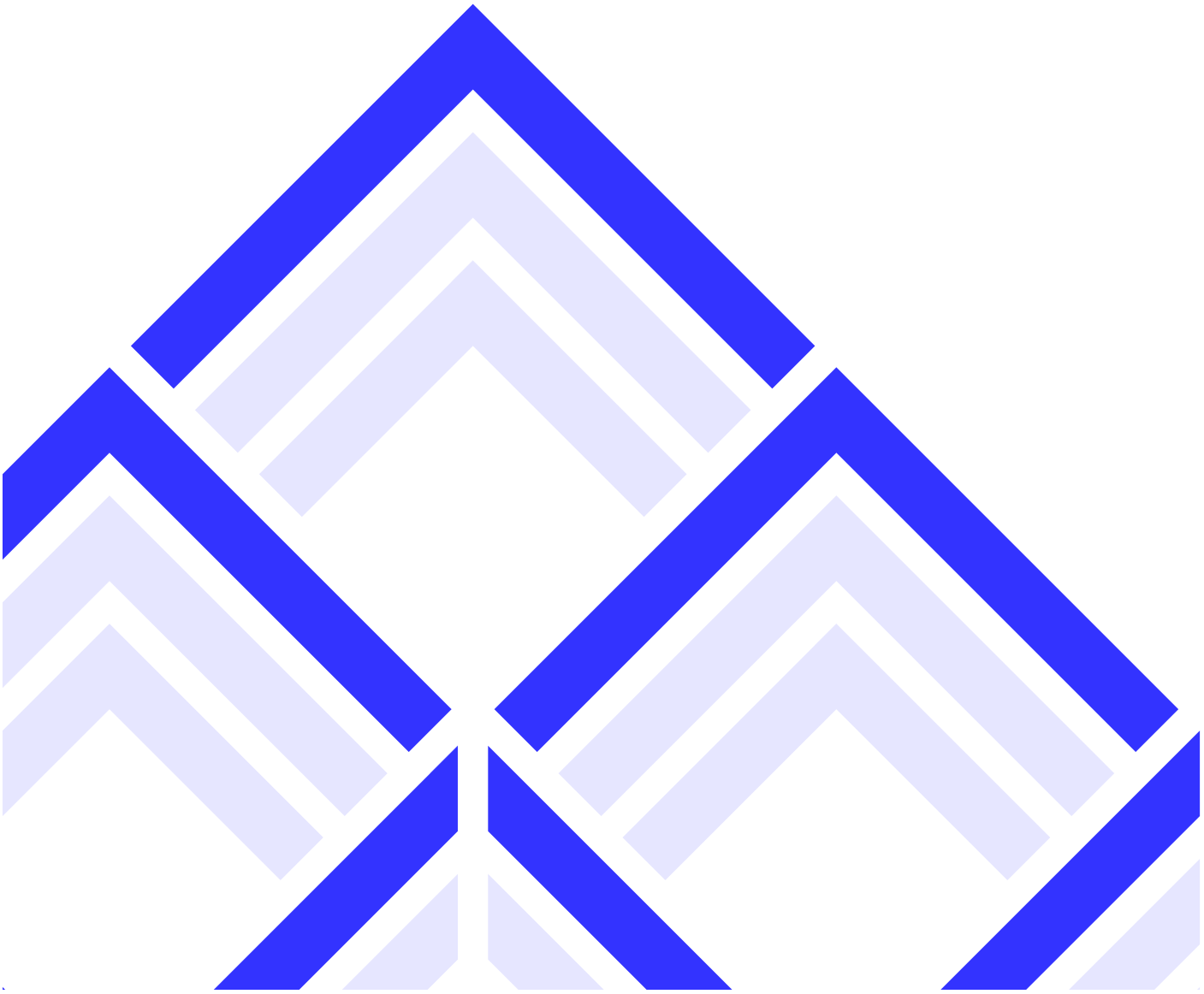
परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता
ASSET QUALITY & PROFITABILITY







अध्यक्ष का संदेश
CHAIRMAN'S MESSAGE



अध्यक्ष का संदेश
CHAIRMAN'S MESSAGE



प्रिय सम्मानित शेयरधारको, मूल्यवान ग्राहको और समर्पित कर्मचारियो,

मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 की इस वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से आपसे जुड़कर बहुत खुशी हो रही है । इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में, आपके बैंक के परिचालन विषयक व्यापक माहौल के बारे में जानकारी साझा करना और पिछले एक साल में हमारी सामूहिक यात्रा पर विचार करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है - एक ऐसा साल जो मजबूत प्रदर्शन और रणनीतिक आघात-सहनीयता से चिह्नित है ।

वैश्विक आर्थिक संदर्भ: बदलते परिदृश्य में मार्गदर्शन

वित्तीय वर्ष 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने धीरे-धीरे सुधार की राह जारी रखी, हालांकि इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं और निरंतर अनिश्चितताएं शामिल थीं । वर्ष 2025 और 2026 में वैश्विक विकास के लिए अनुमान मध्यम बने हुए हैं, जो 2.8% से 3.0% के आसपास रहने की संभवना है । कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं यानी मुद्रास्फीति में सुस्ती, भू-राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव और व्यापार विखंडन के बारे में चिंताओं जैसी चुनौतियों के लिए दुनिया भर के व्यवसायों द्वारा सावधानीपूर्वक नेविगेशन की आवश्यकता थी । हालाँकि, वैश्विक दृष्टिकोण ने तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से डिजिटल क्षेत्र में, और सतत विकास पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से उत्पन्न अवसर भी प्रस्तुत किए।

भारतीय अर्थव्यवस्था: विकास और अवसर का एक प्रकाश स्तंभ

मामूली वैश्विक परिदृश्य के विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय मजबूती का प्रदर्शन किया और वैश्विक विकास के स्तंभ के रूप में उभरी । वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 6.5% के अनुमानित जीडीपी बढ़ोत्तरी के

Dear Esteemed Shareholders, Valued Customers, and Dedicated Employees,

It is with great pleasure that I connect with you through this Annual Report for the Financial Year 2024-25. As Non-Executive Chairman of Indian Overseas Bank (IOB), it is my privilege to share insights into the broader environment in which your Bank operates and to reflect on our collective journey over the past year – a year marked by robust performance and strategic resilience.

The Global Economic Context: Navigating a Shifting Landscape

The fiscal year 2024-25 witnessed the global economy continue its path of gradual recovery, though this was characterized by regional divergences and persistent uncertainties. Global growth projections for 2025 and 2026 remain moderate, hovering around 2.8% to 3.0%. Challenges such as lingering inflation in some key economies, evolving geopolitical dynamics, and concerns around trade fragmentation required careful navigation by businesses worldwide. However, the global outlook also presented opportunities stemming from technological advancements, particularly in the digital sphere, and a renewed focus on sustainable development.

The Indian Economy: A Beacon of Growth and Opportunity

In contrast to the modest global outlook, the Indian economy demonstrated remarkable strength and emerged as a pillar of global growth. With an estimated GDP expansion of around

साथ, भारत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी मजबूत पूर्वानुमानों के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी गति को जारी रखने के लिए तैयार है । यह प्रभावशाली प्रदर्शन मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पर निरंतर सरकारी फोकस और हमारे लोगों की अंतर्निहित गतिशीलता से प्रेरित है । विवेकसम्मत नीति उपायों ने मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने में मदद की है, जबकि संरचनात्मक सुधार राष्ट्र की दीर्घकालिक विकास क्षमता को बढ़ाते हैं, जो 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है ।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र: स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा

हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, ने इस आघात-सहनीयता और मजबूती को प्रतिबिंबित किया है । वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया, जिसमें बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, मजबूत पूंजी पर्याप्तता और निरंतर ऋण की बढ़ती मांग शामिल है । भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रभावशाली मार्गदर्शन और नियामक निरीक्षण ने विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देते हुए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । डिजिटलीकरण, नवाचार, वित्तीय समावेशन और मजबूत गवर्नेंश फ्रेमवर्क पर दिए जा रहे विशेष बल, नियमित रूप से इस क्षेत्र को बदल रहा है और साथ ही इसे भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक: प्रगति और रणनीतिक दिशा

मुझे यह रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने इस साल की चुनौतियों को सराहनीय सफलता के साथ पार किया है, तथा मजबूत वित्तीय और परिचालन परिणाम दिए हैं । बैंक ने निरंतर लाभप्रदता दर्ज की, परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हासिल किया, स्वस्थ व्यापार विस्तार दर्ज किया, तथा अपने पूंजी आधार को भी मजबूत किया । यह प्रदर्शन हमारी प्रबंधन टीम के केंद्रित प्रयासों और हमारे कर्मचारियों के अटूट समर्पण का प्रमाण है । परिचालन संबंधी मुख्य-बिंदु और वित्तीय आंकड़े एमडी व सीईओ के संदेश में और इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में विस्तृत रूप से मौजूद हैं ।

बोर्ड के रूप में, हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंश के उच्चतम मानकों का पालन करे, एक विवेकसम्मत जोखिम प्रबंधन ढांचा बनाए रखे, और अपने रणनीतिक उद्देश्यों को दीर्घकालिक हितधारक के हितों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करे । हमने बैंक को उसके मिशन में मार्गदर्शित किया है:

- **डिजिटल नवाचार को अपनाना:**

ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए डिजिटल नवाचार को अपनाना ।

- **ग्राहक का विश्वास बनाए रखना:**

ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सेवाओं और उत्पाद पेशकशों को निरंतर परिष्कृत करते रहना ।

- **विवेकसम्मत विकास सुनिश्चित करना:**

मजबूत जोखिम प्रबंधन के साथ व्यवसाय विस्तार को संतुलित करना तथा स्थायी परिसंपत्ति गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना ।

6.5% in FY 2024-25, India is set to continue its trajectory as the fastest-growing major economy, with strong forecasts for FY 2025-26 as well. This impressive performance has been driven by robust domestic demand, sustained government focus on infrastructure and manufacturing, and the inherent dynamism of our populace. Prudent policy measures have helped manage inflation, while structural reforms continue to enhance the long-term growth potential of the nation, aligning with the vision of a 'Viksit Bharat'.

India's Banking Sector: Fostering Stability and Inclusive Growth

The Indian banking sector, the lifeline of our economy, mirrored this resilience and strength. FY 2024-25 saw the sector further consolidate its health, marked by improved asset quality, robust capital adequacy, and sustained credit offtake. The Reserve Bank of India's astute guidance and regulatory oversight have been instrumental in maintaining financial stability while fostering an environment conducive to growth. The ongoing emphasis on digitalization, innovation, financial inclusion, and robust governance frameworks continues to transform the sector, preparing it for future opportunities and challenges.

Indian Overseas Bank: Progress and Strategic Direction

I am delighted to report that Indian Overseas Bank has navigated the complexities of the year with commendable success, delivering strong financial and operational results. The Bank registered sustained profitability, achieved a significant improvement in asset quality, recorded healthy business expansion, and further strengthened its capital base. This performance is a testament to the focused efforts of our management team and the unwavering dedication of our employees. The detailed operational highlights and financial figures are elaborated in the MD & CEO's message and the financial statements within this report.

As a Board, our focus has been on ensuring that the Bank adheres to the highest standards of corporate governance, maintains a prudent risk management framework, and aligns its strategic objectives with long-term stakeholder interests and national priorities. We have guided the Bank in its mission to:

- **Embrace Digital Innovation:**

To enhance customer experience, improve operational efficiency, and expand our reach.

- **Uphold Customer Trust:**

By continually refining our services and product offerings to meet evolving customer needs.

- **Ensure Prudent Growth:**

Balancing business expansion with robust risk management and a focus on sustainable asset quality.

• वित्तीय समावेशन में योगदान:

समाज के सभी वर्गों तक औपचारिक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाना ।

• मानव संसाधन को बढ़ावा देना:

अपनी स्टाफ की प्रतिभा को पोषित करना तथा निरंतर सीखने और विकास का वातावरण बनाना ।

बोर्ड को बैंक के नेतृत्वकर्ता पर पूरा भरोसा है, जिसका नेतृत्व हमारे एमडी व सीईओ कर रहे हैं, ताकि वे निर्धारित रणनीतियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकें और परिश्रम तथा दूरदर्शिता के साथ आगे का रास्ता तय कर सकें ।

दृष्टिकोण

भविष्य में निरंतर योगदान देने के लिए तैयार, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पथ द्वारा प्रस्तुत आशाजनक अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है । हमारा रणनीतिक जोर टिकाऊ मूल्य सृजन पर रहेगा, जो मजबूत बैंकिंग सिद्धांतों, तकनीकी उन्नति और हमारे ग्राहकों और हमारे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित होगा । हम भारत की आर्थिक प्रगति का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे ।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): समाज के प्रति प्रतिबद्धता

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है । हम उन समुदायों की भलाई में योगदान देने में विश्वास करते हैं, जिस पर पहले से कार्य किया जा रहा है, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक कार्य, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण आदि जैसे क्षेत्रों में कई पहल की हैं । हमारी सीएसआर गतिविधियों से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के तत्संबंधी अनुभाग में उपलब्ध है ।

आभार:

निदेशक मंडल और स्वयं की ओर से, मैं आप सभी और हमारे सम्मानित शेयरधारकों के प्रति आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ । हमारे लाखों मूल्यवान ग्राहकों को उनके विश्वास और साझेदारी के लिए हार्दिक धन्यवाद !

मैं आइओबियंस की हमारी पूरी टीम की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए अपनी प्रशंसा प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके प्रयास हमारी सफलता का आधार हैं ।

हम भारत सरकार, खास तौर पर वित्त मंत्रालय के प्रति उनके अमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी हैं । हम भारतीय रिज़र्व बैंक को

• Contribute to Financial Inclusion:

Playing our part in bringing formal financial services to all sections of society.

• Foster Human Capital:

Nurturing our talent pool and creating an environment of continuous learning and development.

The Board has full confidence in the Bank's leadership, spearheaded by our MD & CEO, to execute the defined strategies effectively and to navigate the path ahead with diligence and foresight.

Outlook

Poised for Continued Contribution Looking forward, Indian Overseas Bank is well-positioned to leverage the promising opportunities presented by the Indian economy's growth trajectory. Our strategic emphasis will remain on sustainable value creation, driven by sound banking principles, technological advancement, and a deep commitment to our customers and the communities we serve. We will continue to play a vital role in supporting India's economic progress.

Corporate Social Responsibility (CSR): Commitment to Society

Indian Overseas Bank remains steadfast in its commitment to corporate social responsibility. We believe in contributing to the well-being of the communities we operate in and have undertaken several initiatives in areas such as Education, Healthcare and Sanitation, Environmental Protection and Social cause, Empowerment of women & Senior Citizen etc. Further details of our CSR activities are available in the relevant section of this report.

Acknowledgements:

On behalf of the Board of Directors and myself, I extend our deepest gratitude to you, our esteemed shareholders, for your continued confidence and support. Our sincere thanks go to our millions of valued customers for their trust and partnership.

I wish to place on record our appreciation for the hard work, dedication, and commitment of our entire team of IOBians, whose efforts are the bedrock of our success.

We are grateful to the Government of India, especially the Ministry of Finance, for their invaluable guidance and support. Our thanks are also due to the Reserve Bank of India for

भी उनके विवेकसम्मत विनियमन और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं । हम सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के साथ रचनात्मक जुड़ाव के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं ।

मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को उनकी बुद्धिमत्ता, सामूहिक दृष्टि और बैंक का मार्गदर्शन करने में उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ । हम 89 वर्षों से अधिक की अपनी समृद्ध विरासत से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं, हैं और आगे आने वाले अवसरों के लिए उत्साहित हैं । इण्डियन ओवरसीज़ बैंक भारत की विकास और समृद्धि की यात्रा में वित्तीय ताकत का एक स्तंभ और एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है ।

श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

their prudent regulation and unwavering support. We also acknowledge the constructive engagement with SEBI, stock exchanges, and other regulatory authorities.

I thank my esteemed colleagues on the Board for their wisdom, collective vision, and unwavering support in guiding the Bank. As we move forward, we are inspired by our rich legacy of over 89 years and are energized by the opportunities that lie ahead. Indian Overseas Bank remains committed to being a pillar of financial strength and a trusted partner in India's journey of growth and prosperity.

Srinivasan Sridhar
Non-Executive Chairman

Skip the Branch Visit, get insured in minutes !

PMJJBY and PMSBY available online now !

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

Life Insurance
worth ₹ **2 Lakh** at
just ₹ **436** per annum

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

Accidental Insurance
worth ₹ **2 Lakh** at
just ₹ **20** per annum



T&C Apply

Scan here to Apply Online

Any Day | Any Time | Anywhere

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER'S MESSAGE

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER'S MESSAGE



प्रिय हितधारको,

मुझे वर्ष 2024-25 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, मैं इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के साथ आपकी बहुमूल्य साझेदारी के लिए आप सभी का आभारी हूँ, जिसने आपके प्रतिष्ठित संस्थान को 89 वर्षों की समृद्ध विरासत के साथ स्वस्थ वित्तीय और बुनियादी बातों के साथ मजबूती से खड़ा होने में मदद की है। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी आघात-सहनीयता प्रदर्शित की और सभी चार तिमाहियों में लगातार लाभ अर्जित करना जारी रखा, जिसके चलते बैंक को रुपये 3,335 करोड़ का सर्वकालिक उच्च निवल लाभ दर्ज़ करने में मदद मिली। बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त अंतिम तिमाही के दौरान पहली बार एक तिमाही में रुपये 1,000 करोड़ के निवल लाभ का मील का पत्थर पार किया।

अस्थिर बना हुआ वैश्विक वित्तीय बाजार मौद्रिक नीति का प्रक्षेप पथ और व्यापार संबंधी अनिश्चितता पर उतार-चढ़ाव वाली धारणाओं पर जोखिम-रहित मत प्रदर्शित करता है । वैश्विक अर्थव्यवस्था अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे बढ़ रही है, खासकर हाल ही में पारस्परिक टैरिफ अधिरोपण के मद्देनजर निकट-अवधि के दृष्टिकोण में कई जोखिम हैं। बेहतर उपभोग मांग और मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों द्वारा समर्थित भारतीय आर्थिक दृष्टिकोण आघात-सह बना हुआ है। अनुकूल खाद्य मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के कारण मुद्रास्फीति के लक्ष्य के अनुरूप होने की उम्मीद है।

अब, मैं आपके साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य बातें साझा करना चाहूंगा।

Dear Stakeholders,

I have the utmost pleasure in presenting your Bank's Annual Report and Financial Statements for the year 2024-25. At the outset, I am grateful to each one of you for your valuable partnership with Indian Overseas Bank which has helped your esteemed institution with a rich legacy of 89 years to stand strong with healthy financials and fundamentals. During the year, the Bank showed its resilience and continued to post profits consistently in all the four quarters which helped to register an all-time high net profit of Rs 3,335 Crore. The Bank crossed the milestone of Rs 1,000 crore Net profit in a quarter for the first time during the last quarter ended March 31, 2025.

Global financial markets remain volatile exhibiting risk-off sentiment over fluctuating perceptions on the monetary policy trajectory and trade related uncertainty. The global economy is growing below its long-term average, with near-term outlook shrouded with several risks, especially in the wake of recent reciprocal tariff impositions. The Indian economic outlook remains resilient supported by improved consumption demand and strong macroeconomic fundamentals. Inflation is expected to align with the target on account of favourable food inflation outlook.

Now, I would like to share with you the performance highlights of your Bank during the financial year 2024-25.

वित्त वर्ष 2024-25 में आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

मजबूत व्यापार वृद्धि

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक ने 2024-25 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवसाय के साथ-साथ लाभप्रदता में भी अपनी वृद्धि जारी रखी है। बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कुल कारोबार में रुपये 5.62 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे साल दर साल 11.30% की वृद्धि दर्ज की गई।

31 मार्च 2025 को वार्षिक आधार पर सकल अग्रिम में रुपये 31,001 करोड़ (14.15%) की वृद्धि हुई और यह रुपये 2,50,019 करोड़ हो गया, जबकि 31 मार्च 2024 को यह रुपये 2,19,018 करोड़ था । 2024-25 को समाप्त वर्ष में आर-ए.एम. (खुदरा-कृषि-एमएसएमई) अग्रिम बढ़कर 1,81,619 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें वार्षिक आधार पर 24.65% की वृद्धि दर्ज की गई।

उद्योग में कम लागत वाली कासा जमाराशियों को जुटाने में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, बैंक 31.03.2025 तक 39 लाख से अधिक कासा ग्राहकों को जोड़कर कासा जमाराशि को 8.5% बढ़ाकर 1,36,161 करोड़ रुपये करने में सक्षम रहा, जबकि 2023-24 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में यह 1,25,508 करोड़ रुपये थी। 31.03.2025 तक बैंक का कासा अनुपात 43.65% था।

31 मार्च 2025 तक कुल जमा में ₹ 26,034 करोड़ की वृद्धि हुई है और यह ₹ 3,11,939 करोड़ हो गई है, जबकि 31 मार्च, 2024 के अंत तक यह ₹ 2,85,905 करोड़ थी, जो कि सालाना आधार पर 9.11% की वृद्धि दर्शाता है। बैंक के निष्पादन का एक और मुख्य आकर्षण यह था कि इसने अपनी वृद्धि के वित्तपोषण के लिए उच्च लागत वाली थोक जमाराशि पर निर्भरता रखने के बजाय कम लागत वाली खुदरा जमाराशि पर ध्यान केंद्रित किया। इससे बैंक को न केवल अपने मार्जिन की रक्षा करने में मदद मिली है, बल्कि ऐसे माहौल में भी इसमें सुधार हुआ है, जहां उद्योग में मार्जिन पर दबाव रहा है।

लाभप्रदता को मजबूत करना

- **निवल ब्याज आय (एनआईआई)** वर्ष दर वर्ष आधार पर 10.79% बढ़कर 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹10,890 करोड़ हो गई, जबकि 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह ₹ 9,829 करोड़ थी।
- **परिचालन लाभ** में 28.44% की वृद्धि हुई है और यह 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 8,688 करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये 6,764 करोड़ था।
- **निवल लाभ** 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए 25.56% बढ़कर ₹ 3,335 करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह ₹ 2,656 करोड़ था।
- बैंक का **नेट इंटरेस्ट मार्जिन (एनआइएम)** 31.03.2025 तक **3.25% रहा**।

Performance Highlights of Your Bank in FY 2024-25

Robust Business Growth

I am happy to share with you that your Bank has continued with its upward trajectory in Business as well as in profitability during the financial year ended 2024-25. The Bank crossed the Rs.5.62 lakh crore mark in total business during the year ended on March 31, 2025, registering Year on Year growth of 11.30 %.

Gross Advances increased by Rs.31,001 crores (14.15%) on YoY basis and stood at Rs. 2,50,019 crores as on March 31, 2025, as against Rs. 2,19,018 crores as on March 31, 2024. The R-A-M (Retail-Agri-MSME) advances increased to Rs.1,81,619 Crore in the year ended 2024-25, registering a YoY growth of 24.65%.

Despite various challenges in mobilisation of low-cost CASA deposits in the industry, the Bank was able to increase CASA Deposit by 8.5% to Rs.1,36,161 Crore as on 31.03.2025 as against Rs. 1,25,508 Crore in the previous financial year ended 2023-24 by onboarding more than 39 lakh CASA customers. The CASA Ratio of the Bank stood at 43.65% as on 31.03.2025.

Total Deposits have increased by ₹ 26,034 crores and stood at ₹ 3,11,939 crores as on March 31, 2025, as compared to ₹ 2,85,905 crores as at the end of March 31, 2024, registering growth of 9.11 % on YoY basis. Another key highlight of the Bank's performance was that it did not place reliance on high-cost bulk deposit for funding its growth but rather focused on low-cost retail deposits. This has helped the Bank to not only protect its margins but also improve upon the same in an environment where margins have been under pressure in the industry.

Strengthening Profitability

- **Net Interest Income (NII)** increased by 10.79 % on Y-o-Y basis to ₹ 10,890 crore for the year ended 31.03.2025 as against ₹ 9,829 crore for the year ended 31.03.2024.
- **Operating Profit** has shown a growth of 28.44 % to ₹8,688 crore for the year ended 31.03.2025 as against ₹ 6,764 crore for the year ended 31.03.2024.
- **Net Profit** increased by 25.56 % to ₹3,335 Crore for the year ended 31.03.2025 as against ₹2,656 crore for the year ended 31.03.2024.
- **Net Interest Marin (NIM)** of the Bank stood at 3.25% as on 31.03.2025.

- **लागत आय अनुपात** 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए 47.14% तक सुधर गया, जबकि 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह 56.32% था।
- **परिसंपत्तियों** पर रिटर्न (आरओए) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए 0.81% की तुलना में 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए 0.92% तक सुधर गया।
- **इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए 16.28% रहा।

परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार

परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले में बैंक ने सकल एनपीए और निवल एनपीए दोनों में उल्लेखनीय कमी दर्ज़ की है। बैंक का सकल एनपीए 31.03.2025 को 21.29% घटकर रुपये 5,348 करोड़ हो गया, जो 31.03.2024 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में रुपये 6,794 करोड़ था। इसी प्रकार बैंक का निवल एनपीए भी उपरोक्त अवधि के लिए रुपये 1,217 करोड़ से 25.06% घटकर रुपये 912 करोड़ हो गया।

31.03.2025 को बैंक का सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (जीएनपीए) अनुपात 96 आधार अंकों की कमी के साथ 2.14% रहा, जो 31.03.2024 को 3.10% था। 31.03.2025 को निवल एनपीए अनुपात 20 बीपीएस की कामी के साथ 0.37% रहा, जबकि 31.03.2024 को 0.57% था।

परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार के कारण एनपीए के लिए प्रावधान आवश्यकता 31.03.2025 तक 69.18% घटकर 834 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 2,706 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, पूरे वर्ष के आधार पर बैंक की ऋण लागत 31.03.2025 तक घटकर 0.36% रह गई, जबकि पिछले वर्ष यह 1.34% थी।

प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2024 में 96.85% की तुलना में 31.03.2025 को 97.30% तक सुधार हुआ।

बेहतर पूंजी पर्याप्तता

बेसल III पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31.03.2024 के 17.28% की तुलना में 31.03.2025 को 19.74% तक सुधर गया, जो नियामक आवश्यकता से काफी अधिक है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई प्रमुख पहल

आइओबी ग्राहकों के अनुभव और सुविधा को बढ़ाने के लिए अग्रणी और अद्वितीय डिजिटल समाधानों को लागू करने में सबसे आगे रहा है। मैं आपके साथ बैंक द्वारा की गई कुछ डिजिटल और अन्य पहलों को साझा कर रहा हूँ।

- **Cost to Income Ratio** improved to 47.14 % for the year ended 31.03.2025 as against 56.32 % for the year ended 31.03.2024.
- **Return on Assets (ROA)** improved to 0.92 % for the year ended 31.03.2025 against 0.81 % for the year ended 31.03.2024.
- **Return on Equity (ROE)** stood at 16.28 % for the year ended 31.03.2025.

Improvement in Asset Quality

On the asset quality side, the Bank has seen a marked reduction in both Gross NPA & Net NPA. The Gross NPA of the Bank reduced by 21.29% to Rs.5,348 Crore as on 31.03.2025 from Rs. 6,794 Crore reported in the previous financial year ended 31.03.2024. Similarly, the Net NPA of the bank reduced by 25.06% to Rs 912 Crore from Rs1,217 Crore for the above said period.

Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio stood at 2.14 % as on 31.03.2025 against 3.10 % as on 31.03.2024 reduced by 96 bps. Net NPA ratio stood at 0.37 % as on 31.03.2025 against 0.57 % as on 31.03.2024 reduced by 20 bps.

The provision requirement for NPA decreased by 69.18 % to Rs.834 Crore as on 31.03.2025 as against Rs.2,706 Crore reported in the previous year due to improvement in the asset quality. Thereby, the credit cost of the bank on a full year basis stands reduced to 0.36 % as on 31.03.2025 as against 1.34 % reported in the last year.

Provision Coverage ratio improved to 97.30 % as on 31.03.2025 as against 96.85 % as on 31.03.2024.

Healthy Capital Adequacy

The BASEL III Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank improved further to 19.74% as on 31.03.2025 as against 17.28% as on 31.03.2024 which is well above the regulatory requirement.

Key Initiatives taken by the Bank during the year

IOB has been at the forefront of implementing pioneering and unique Digital solutions to enhance customer experience and convenience. I am sharing you Some of the digital and other initiatives taken by the bank.

ग्राहक-केंद्रित नवाचार

1. **तत्काल ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलना** : ग्राहक त्वरित ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोल सकते हैं, जिससे ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सरल हो जाती है।
2. **स्व-सेवा रीकेवाइसी :** एसएमएस, ईमेल और एक ऑनलाइन पोर्टल सहित रीकेवाइसी के लिए कई चैनलों की पेशकश के साथ-साथ वी-सीआइपी आधारित रीकेवाइसी प्रक्रिया बैंक केवाइसी अद्यतन को और अधिक सुलभ बना रहा है।
3. **उन्नत टैब बैंकिंग सुविधाएं :** बैंक टैब बैंकिंग के माध्यम से 25 आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जिनमें एसबी खाता खोलना, पुनः केवाइसी, नामांकन पंजीकरण, खाता सक्रियण, सावधि जमा खोलना, ग्रीन पिन सृजन, यूपीआई क्यूआर से जुड़ी तत्काल अंतरण शामिल है, जिससे ग्राहक अपने खातों में तुरंत धनराशि जमा कर सकते हैं।

परिचालन दक्षता

1. **टैब बैंकिंग :** 4080 से अधिक टैब बैंकिंग उपकरणों की तैनाती के साथ, बचत खाता खोलने, पुनः केवाईसी, त्वरित जनसुविधा पॉलिसी जारी करने आदि जैसी पुनःसंयोजित डिजिटल केन्द्रित व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ, बैंक सेवा वितरण दक्षता को बढ़ा रहा है और ग्राहक सुविधा सुनिश्चित कर रहा है।
2. **सेवा अनुरोधों के लिए सीआरएम टूल :** बैंक ने एक सीआरएम टूल शुरू किया है जो अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले सेवा अनुरोधों को सरल बनाता है, जिससे शाखा कर्मचारियों को ग्राहकों को अधिक कुशलता से सेवा देने में मदद मिलती है। साथ ही, ग्राहक शिकायतों को व्यवस्थित और समय पर निपटाने के लिए सीआरएम टूल के माध्यम से रूट किया जाता है।
3. **लोक अदालत और डीआरटी के लिए डिजिटल वर्कफ़्लो :** बैंक ने लोक अदालत और डीआरटी प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल वर्कफ़्लो की सुविधाओं के साथ वसूली प्रबंधन समाधान शुरू किया है, जिससे बातचीत और दस्तावेज़ जांच को सुव्यवस्थित किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर परिचालन दक्षता प्राप्त हुई है।
4. **बचत खाता खोलने के लिए विशेष पोर्टल :** बैंक ने एक नया पोर्टल प्रारम्भ किया है जो एनएसडीएल और यूआइडीएआई से एकीकृत डेटा प्राप्त करने की क्षमताओं के साथ सहज बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे डेटा की गुणवत्ता और डिजिटल प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है।

Customer-Centric Innovations

1. **Instant Online SB Account Opening**: Customers can open savings bank accounts instantly online, streamlining the onboarding process.
2. **Self-Service ReKYC**: Offering multiple channels for ReKYC, including SMS, email, and an online portal, along with V-CIP based ReKYC journeys, the bank has been making KYC updates more accessible.
3. **Enhanced Tab Banking Features**: The bank has been offering 25 promising features via Tab banking, including SB Account opening, Re-KYC, Nomination registration, Account activation, Fixed deposit opening, Green PIN generation, UPI QR linked instant funding thereby motivating customers to fund their accounts immediately.

Operational Efficiency

1. **Tab Banking**: With over 4080 tab banking devices deployed, with reengineered digital centric business processes like savings account opening, Re-KYC, Instant Jansurakhsa policy issuance etc., the bank has been enhancing service delivery efficiency and ensuring customer convenience.
2. **CRM Tool for Service Requests**: The bank has implemented a CRM tool which simplifies handling of frequently used service requests, empowering branch staff to serve customers more efficiently. Also, customer complaints are routed via CRM tool for systematic and timely handling of customer complaints.
3. **Digital Workflows for Lok Adalat and DRT**: The bank has rolled out a recovery management solution with features of digital workflows for Lok Adalat and DRT processes, streamlining interactions and document vetting resulting in better operational efficiency.
4. **Specialized Portal for Savings Account Opening**: The bank has setup a new portal which facilitates effortless savings account opening with integrated data fetch capabilities from NSDL and UIDAI, ensuring data quality and digital authentication.

5. **आरएएम खंड के अंतर्गत ऋण सृजन प्रक्रिया :** बैंक ने एक अत्याधुनिक ऋण सृजन प्रणाली की शुरुआत करके, दक्षता और ग्राहक अनुभव में सुधार करते हुए, खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) खंडों के अंतर्गत अपनी ऋण सृजन प्रक्रिया को अनुकूलित किया है।
6. **कलेक्शन मोबाइल ऐप :** बैंक ने एक नया कलेक्शन मोबाइल ऐप पेश किया है जो निगरानी को बेहतर बनाता है और कलेक्शन दक्षता बढ़ाता है, जिससे बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

खुदरा ऋण प्रसंस्करण केन्द्रों (आरएलपीसी) की स्थापना

ऋण प्रसंस्करण के डिजिटलीकरण का अधिक लाभ लेने और अनुपालन में सुधार करने तथा टीएटी को कम करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने पूरे भारत में 7 आरएलपीसी स्थापित किए हैं (अर्थात मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु, लखनऊ, कोयंबत्तूर और चेन्नै में) और इस वर्ष इन 7 आरएलपीसी के खुलने के साथ, आरएलपीसी की कुल संख्या 8 हो गई है, जो पिछले साल खोले गए हैदराबाद सहित देश भर में सभी शाखाओं को कवर करते हैं।

शाखा विस्तार

पूरे भारत में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, आइओबी ने इस वर्ष के दौरान देश भर में 101 नई शाखाएं और तिरुपति में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है।

प्रोजेक्ट लक्ष्य - मानव संसाधन ट्रांसफोरमेशन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने उद्योग के रुझानों के साथ तालमेल बिठाने और कर्मचारियों के निष्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी डिजिटल एचआर ट्रांसफोरमेशन परियोजना "लक्ष्य" शुरू की है। आइओबी में मानव संसाधन (एचआर) कार्यों का डिजिटल ट्रांसफोरमेशन दक्षता, पारदर्शिता और कर्मचारी संतुष्टि बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरित पहल

- आइओबी ने अपने हितधारकों के बीच पर्यावरण स्थिरता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए "मिस्टर हरित" नामक एक ईएसजी शुभंकर पेश किया। यह पहल बैंक की अपने परिचालन में ईएसजी सिद्धांतों को एकीकृत करने और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

5. **Loan Origination Journeys under RAM Segment**: The bank has optimized its Loan Origination journeys under the Retail, Agriculture, and MSME (RAM) segments, by implementing a state-of-the-art Loan Origination System improving efficiency and customer experience.
6. **Collection Mobile App**: The bank has introduced a new collection mobile app which enhances monitoring and increases collection efficiency, ensuring better financial management.

Establishment of Retail Loan Processing Centres (RLPC)

To take more benefits of digitalization of loan processing and to improve compliance and reduce TAT, during the Financial Year 2024-25 the bank has established 7 RLPCs across India (i.e in Mumbai, Delhi, Kolkata, Bangalore, Lucknow, Coimbatore and Chennai) and with the opening of 7 RLPCs this year, the total number of RLPCs are 8 covering all Branches across the country including Hyderabad which was opened last year.

Branch Expansion

In order to enhance financial service penetration in across India, IOB has opened 101 new Branches across the country and One new Regional Office at Tirupati, during the course of this year.

Project Lakshya – HR Transformation

Indian Overseas Bank has started an ambitious digital HR transformation project "LAKSHYA" with the objective to align with industry trends and enhance performance of employees. The digital transformation of Human Resource (HR) functions in IOB marks a critical step toward enhancing efficiency, transparency, and employee satisfaction.

Green Initiatives

- IOB introduced an ESG mascot named "Mr. Harit" to raise awareness about environmental sustainability among its stakeholders. This initiative reflects the bank's commitment to integrating ESG principles into its operations and engaging the community in environmental conservation efforts.

- आइओबी ने भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आइजीबीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंसिंग के क्षेत्र में आइओबी के स्थिरता एजेंडे को आगे बढ़ाना है ।
- आइओबी ने कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसियल्स (पीसीएएफ़) के लिए भागीदारी में भाग लिया। पीसीएएफ़ वित्तीय संस्थानों की एक वैश्विक भागीदारी है जो ऋण और निवेश से जुड़े ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का आकलन और प्रकटीकरण करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को सहयोगात्मक रूप से विकसित और कार्यान्वित करती है। यह समझौता ज्ञापन आइओबी को अपनी वित्तपोषित गतिविधियों से जुड़े ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को मापने और प्रकट करने में सक्षम करेगा, जिससे इसके पर्यावरणीय प्रभाव की व्यापक समझ और जीएचजी लेखांकन के लिए वैश्विक रूप से सामंजस्यपूर्ण तरीके अपनाने में मदद मिलेगी, जिससे वित्तीय उद्योग में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित होगा।

पुरस्कार और सम्मान

बैंक द्वारा की गई विभिन्न ऐतिहासिक पहलों और विभिन्न क्षेत्रों में बैंक की उपलब्धियों के सम्मान में, मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आइओबी को कई पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने लगातार दूसरे वर्ष आइबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2025 में 5 प्रतिष्ठित प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए हैं। पुरस्कार की श्रेणियाँ:
  - **विजेता:** सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा और संगठन
  - उपविजेता: सर्वश्रेष्ठ (डिजिटल) वित्तीय समावेशन

  विशेष उल्लेख:
  - सर्वश्रेष्ठ आइटी जोखिम प्रबंधन
  - सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक
  - सर्वश्रेष्ठ एआई और एमएल अपनाना
- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के स्टाफ कॉलेज, अण्णा नगर, चेन्नै को प्रतिष्ठित आइएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्रदान किया गया है।
- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को अनुपालन के क्षेत्र में अपनी पहल के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित होने पर गर्व है।

- IOB signs MoU with Indian Green Building Council (IGBC). The primary objective of this partnership is to further IOB's sustainability agenda, particularly in the area of green building financing.
- IOB joins Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). PCAF is a global partnership of financial institutions that collaboratively develop and implement a harmonized approach to assess and disclose greenhouse gas (GHG) emissions associated with loans and investments. The MOU will enable IOB to measure and disclose the greenhouse gas (GHG) emissions associated with its financed activities, enabling a comprehensive understanding of its environmental impact and adopting globally harmonized methodologies for GHG accounting, ensuring alignment with best practices in the financial industry.

Awards and Accolades

In recognition of the various landmark initiatives taken by the Bank and also the Bank's achievements in different areas, I am pleased to inform you that IOB was bestowed with multiple Awards & accolades, some of which are mentioned below.

- Indian Overseas Bank has secured 5 prestigious Citations at the IBA Banking Technology Awards 2025 for the 2nd consecutive year. Categories Won:
  - **Winner:** Best Tech Talent & Organization
  - Runner-up: Best (Digital) Financial Inclusion

  Special Mentions:
  - Best IT Risk Management
  - Best Technology Bank
  - Best AI & ML Adoption
- Indian Overseas Bank's Staff College, Anna Nagar, Chennai, has been awarded the prestigious ISO 9001:2015 certification.
- Indian Overseas Bank is proud to be honored with the prestigious SKOCH Award 2024 for its initiatives in the area of compliance.

- टीएन बीट एक्सपो 2025 में आदि द्रविड़ कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक बैंक का पुरस्कार प्राप्त करने पर गर्व है।

आगे की राह

आगे चलकर, आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती और कम लागत वाले कासा जमा में धीमी वृद्धि के कारण बैंकिंग क्षेत्र को एनआइएम पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उद्योग की कासा जमा वृद्धि धीमी रही और ऋण की त्वरित वृद्धि को पूरा करने के लिए, भारत में बैंकों ने उच्च लागत वाली थोक जमा और अल्पकालिक उधार के माध्यम से धन जुटाया है। कम लागत वाली कासा जमा जुटाने की चुनौती चालू वित्त वर्ष में भी जारी रह सकती है और बैंकों को अपनी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक ऋण के साधनों पर निर्भर रहना होगा।

हालांकि, आइओबी ने एक विविध जमा रणनीति बनाई है, जिससे उसे समग्र रूप से इस चुनौती का सामना करने में मदद मिलेगी और साथ ही विकास की गति भी बनी रहेगी। बैंक ने अपने कासा अनुपात को बनाए रखने और वित्त वर्ष 25 में उच्च लागत वाली जमाराशियों पर निर्भरता न रखने की अपनी क्षमता के माध्यम से इसे बहुत ही कुशलता से निष्पादन किया, जब अधिकांश बैंकों ने अपने कासा अनुपात में गिरावट और अपने थोक जमा में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज़ की है।

निष्कर्ष के तौर पर

आइओबी मजबूत बुनियादी बातों, एक अच्छे परिसंपत्ति गुणवत्ता आधार, एक स्वस्थ पूंजी स्थिति, सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि गति और एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ वित्त वर्ष 2025-26 में बहुत मजबूत स्थिति में प्रवेश कर रहा है। यह हमारे लाखों देशवासियों और हमारे ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के अलावा देश की विकास आकांक्षाओं का समर्थन करने में एक बहुत ही रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे निष्ठावान ग्राहकों और हमारे युवा, मजबूत और ऊर्जावान कार्यबल के विशाल आधार के समर्थन के साथ, ब्रांड आइओबी निश्चित रूप से उद्योग में सर्वश्रेष्ठ सेवा मानकों के साथ भारतीय बैंकिंग उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आभार

मैं इस अवसर पर वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, उन देशों के नियामक प्राधिकरणों, जहां बैंक का विदेशी परिचालन है तथा भारत और विदेश में अन्य सरकारी और नियामक एजेंसियों को समय-समय पर बैंक को दिए गए उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

- Indian Overseas Bank is proud to receive the Best Supporting Bank Award for Adi Dravidar Welfare, at TN Beat Expo 2025.

Going forward

Going forward, the banking sector may continue to face pressure on NIM due to RBI's rate cut and slow growth in low-cost CASA deposit. CASA deposit growth of the industry was muted during the last financial year 2024-25 and to meet the accelerated growth of credit, Banks in India have raised funds through high-cost bulk deposits and short-term borrowing. The challenge of low-cost CASA deposit mobilisation may continue in the current financial year also and banks will have to depend on term deposits and other short-term borrowing avenues to meet its liquidity requirements.

However, IOB has put in place a diversified deposits strategy which should help it meet this challenge in a holistic manner while also keeping the growth levers going. The same was very ably demonstrated by the Bank through its ability to maintain its CASA ratio and not placing reliance on high-cost deposits in FY25, when most banks saw a decline in their CASA ratio and a significant spurt in their bulk deposits.

In Conclusion

IOB is entering FY 2025-26 on a very strong footing with strong fundamentals, a good Asset Quality base, a healthy Capital position, good growth momentum in all Business areas and a strong Balance Sheet. It is well positioned to play a very constructive role in supporting the growth aspirations of the country besides fulfilling the Banking needs of millions of our countrymen and our customers. With the support of the huge base of our loyal customers and our young, strong, and energetic work force, Brand IOB is sure to play an important role in the Indian Banking Industry with service standards that match the best in the industry.

Acknowledgement

I take this opportunity to thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance, The Reserve Bank of India, the Regulatory Authorities of countries where the Bank has overseas operations, other Government and Regulatory Agencies in India and abroad, for their continuous support and guidance provided to the Bank from time to time.

मैं बैंक का मार्गदर्शन करने तथा बैंक को आगे ले जाने में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का साझा करने के लिए हमारे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी आइओबियन को उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बैंक को सुदृढ़ता से आगे बढ़ाया है और एक सर्वांगीण निष्पादन दर्ज करने में मदद की है।

अंत में, मैं भारत और विदेश में अपने सभी ग्राहकों और शेयरधारकों को उनके संरक्षण और ब्रांड आइओबी में निरंतर विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम निरंतर आधार पर बैंक की स्थिति और प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास करते हैं और अपने हितधारको के लिए मूल्य बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

I would also like to thank the Chairman and other members of our Board for guiding the Bank and bringing in the value of their expertise and experience in taking the Bank forward. I also thank all IOBians for their hard work, dedication and commitment which has propelled the Bank strongly forward and helped in registering an all-round performance.

Lastly, my sincere thanks to all our customers in India and abroad and our shareholders for their patronage and continued faith in Brand IOB as we strive to improve the Bank's position and performance on an ongoing basis and remain strongly committed to creating value for our stakeholders.

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & Chief Executive Officer

रिपोर्ट के बारे में

आठ दशकों से अधिक की प्रतिबद्ध सेवा के साथ, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) भारत के वित्तीय परिदृश्य में विश्वास के स्तंभ के रूप में खड़ा है। सत्यनिष्ठा, समावेशिता और सामुदायिक सेवा के साथ बैंक नवाचार और आघात सहनीयता द्वारा समर्थित भविष्य को अपनाते हुए निरंतर विकासोन्मुख है और अपनी विरासत से जुड़ा हुआ है जो वास्तव में मजबूत नींव और बढ़ते भविष्य के अपने लोकाचार को दर्शाता है।

यह रिपोर्ट एकीकृत रिपोर्टिंग (<आइआर>) ढांचे को अपनाने की दिशा में आइओबी का पहला कदम है, जो वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रकटीकरणों को हमारे स्थायी मूल्यों और दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है, जो 'मजबूत नींव, उन्नत भविष्य' से सुसंगत है।

यह स्थिरता-आधारित नवाचार और समावेशी विकास रणनीतियों में निवेश करते हुए आधारभूत सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

विस्तारित होता शाखा नेटवर्क, मजबूत पूंजी स्थिति और डिजिटल परिवर्तन के बल पर, आइओबी अपनी विरासत पर आधारित एक गतिशील और आघातसह भविष्य पर केंद्रित रहते हुए दीर्घकालिक प्रासंगिकता और जिम्मेदार विकासोन्मुख पथ का निर्माण कर रहा है।

रिपोर्टिंग रूपरेखा और दिशानिर्देश

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विनियम, परिपत्र और दिशानिर्देश।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए लेखांकन मानक
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015
- कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (लेखा) नियम 2014, और कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021
- आरबीआई का कॉरपोरेट गवर्नेंस ढांचा और संबंधित निर्देश।
- भारतीय बैंक संघ बैंकिंग आचरण संहिता
- सेबी द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस संहिता
- एकीकृत रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (<आइआर>)
- एकीकृत रिपोर्टिंग पर सेबी के दिशानिर्देश

रिपोर्टिंग अवधि:

यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और परिचालन निष्पादन को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में 31 मार्च, 2025 के बाद होने वाले चुनिंदा रणनीतिक विकासों को भी यथा आवश्यकता शामिल किया गया है।

रिपोर्टिंग सीमा

यह रिपोर्ट एकीकृत रिपोर्टिंग (<आइआर>) ढांचे के मार्गदर्शक सिद्धांतों और आइआर के विकास पथ का अनुसरण करती है तथा बैंक के वित्तीय परिणामों और गैर-वित्तीय विकास का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

आश्वासन:

बैंक के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों का स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षण किया गया है:

मेसर्स आर देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स	एफआरएन 114207डब्ल्यू
मेसर्स तेज राज एवं पाल	एफआरएन 304124ई
मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स	एफ़आरएन 009189सी
मेसर्स संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी	एफ़आरएन 008773सी

एफएपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने कतिपय गैर-वित्तीय प्रकटीकरण सहित बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (बीआरएसआर) का बाह्य रूप से सत्यापन किया है।

दूरदर्शी वक्तव्य:

इस रिपोर्ट में भावी दृष्टिकोण शमिल है जिनमें ज्ञात और अज्ञात जोखिम, अनिश्चितताएं और अन्य कारक शामिल हैं। ये कथन वर्तमान अपेक्षाओं और धारणाओं पर आधारित हैं और भविष्य के निष्पादन की गारंटी नहीं देते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे विवेक का प्रयोग करें और अद्यतित जानकारी के लिए आधिकारिक फाइलिंग का संदर्भ लें ।

प्रतिपुष्टी

हम इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। कृपया हमें इस पते पर लिखें: investor@iobnet.co.in

रिपोर्ट देखें

हमारे हितधारक

ग्राहक

कर्मचारी

नियामक

निवेशक/
शेयरधारक

समुदाय

पूंजी

वित्तीय पूंजी

विनिर्मित पूंजी

बौद्धिक पूंजी

मानव संसाधन
पूंजी

सामाजिक एवं
संबंध पूंजी

प्राकृतिक
पूंजी

महत्वपूर्ण विषय

- **डाटा प्राइवेसी**
- **व्यवसाय सततता**
- **नैतिक आचरण**
- **व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन**
- **वित्तीय समावेशन**
- **ग्राहक निष्पक्षता और सही बिक्री**
- **कर्मचारी लाभ और विकास**
- **विनियामक और कानूनी अनुपालन**
- **जीएचजी उत्सर्जन प्रबंधन**
- **ईएसजी पर्यवेक्षण**

एसडीजी



कॉरपोरेट अवलोकन

हमारी विरासत, विकास और सुदृढ़ नींव

श्री एम.सी.टी.एम. चिदंबरम चेट्टियार द्वारा 1937 में स्थापित, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) की स्थापना वंचितों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने और भारत की वैश्विक व्यापार आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। दशकों से, बैंक राष्ट्र निर्माण, वित्तीय समावेशन और नैतिक बैंकिंग के लिए प्रतिबद्ध रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में हमने 88 साल की सेवा पूरी कर ली है एवं हम भारत के भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जो अपनी व्यापक पहुँच, ग्राहक-केंद्रित लोकाचार और विवेकपूर्ण संचालन के लिए जाना जाता है।

सिंगापुर, कोलंबो और हांगकांग जैसे वित्तीय केंद्रों में शाखाओं के साथ, आइओबी वैश्विक उपस्थिति बनाए हुए है जो इसकी घरेलू सामर्थ्य का पूरक है। जिम्मेदार ऋण संवितरण, समावेशी पहुंच और मुख्य क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करते हुए बैंक के लंबे समय से चले आ रहे फोकस को प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रणालियों में शुरुआती निवेशों द्वारा पूरक बनाया गया है, जिसने बैंक को अपने आधारभूत मूल्यों को संरक्षित करते हुए आधुनिकीकरण को अपनाने में सक्षम बनाया गया है। अपने आधारभूत मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहते हुए अनुकूलन करने की बैंक की क्षमता इसकी मजबूत संस्थागत नींव को दर्शाती है। आइओबी डिजिटल बैंकिंग और कम्प्यूटरीकरण शुरू करने वाले भारत के पहले बैंकों में से एक है।

आइओबी की यात्रा आघातसहनीयता और पुनर्आविष्कार से परिपूर्ण है। इसने देश भर में व्यक्तियों, उद्यमों और समुदायों की सेवा जारी रखते हुए आर्थिक बदलावों, प्रौद्योगिकी परिवर्तनों और विनियामक सुधारों को अपनाया है।

एक विविध और विकासशील व्यवसाय मॉडल

आइओबी खुदरा, कृषि, एमएसएमई और कॉरपोरेट बैंकिंग में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का एक व्यापक समूह प्रदान करता है। हम एक सार्वभौमिक बैंकिंग मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें आवास ऋण, आभूषण ऋण, व्यवसाय वित्त, कृषि -ऋण और ईएसजी-सम्बद्ध उत्पादों के बढ़ते संयोजन सहित एक व्यापक पोर्टफोलियो के माध्यम से ऋण और जमा आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

हमारा विविधपूर्ण इनकम मिक्स हमारे मुख्य परिचालनों की ताकत और हमारे उत्पाद डिजाइन की कुशलता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, बैंक ने वैश्विक अग्रिमों में 14.15% की वृद्धि और कुल कारोबार में 11.30% की वृद्धि दर्ज की , जिसमें आरएएम (खुदरा, कृषि, एमएसएमई) क्षेत्रों का प्रमुख योगदान था, जो अब कुल घरेलू ऋण का 77.78% है।

स्थिरता के साथ-साथ डिजिटल परिवर्तन पर बढ़ते जोर के साथ, आइओबी उभरती हुई ग्राहक आकांक्षाओं, देश की प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना हुआ है।

व्यापक भौगोलिक और डिजिटल पहुंच

31 मार्च 2025 तक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की मजबूत उपस्थिति निम्नलिखित रूप में रेखांकित की जा सकती है :

3,335
पूरे भारत में शाखाएँ, जिनमें 929 ग्रामीण शाखाएँ शामिल हैं

3,497
एटीएम/सीआरएम

10,135
कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से अंतिम छोर तक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करना

4
सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और कोलंबो में विदेशी शाखाएँ

भौतिक पहुंच के अलावा, हमने अपनी डिजिटल अवसंरचना का भी तेजी से विस्तार किया है:

1.02+ करोड़
मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता

1.20+ करोड़
यूपीआई-पंजीकृत उपयोगकर्ता

digital.iob.in
एक पूर्णतः एकीकृत डिजिटल बैंकिंग हब

टैब-आधारित डोरस्टेप बैंकिंग, आधार-आधारित मुखाकृति प्रमाणीकरण एवं ऑनलाइन स्व-सेवा

हाई-टच एवं हाई-टेक बैंकिंग का यह हाइब्रिड मॉडल हमें शहरी वेतनभोगी पेशेवर, ग्रामीण किसान, एमएसएमई उद्यमी और वैश्विक भारतीय प्रवासियों सहित व्यापक जनसंख्या की सेवा करने में सक्षम बनाता है ।

राष्ट्रीय प्रभाव के साथ उद्देश्य-आधारित विकास

आइओबी स्थायी सामाजिक और आर्थिक मूल्यों के सृजन के साथ उद्देश्य-प्रेरित बैंक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। हम पीएमजेडीवाई, पीएम-कुसुम, पीएमएसबीवाई और एपीवाई जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदार हैं, जिसमें 87 लाख से अधिक जन धन खाते सहित ग्रामीण और कृषि -ऋण को विशेष रूप से लक्षित किया गया है । हमारा ग्रीन फाइनेंस पोर्टफोलियो- जिसमें सौर ऊर्जा, ईवी ऋण और टिकाऊ बुनियादी ढाँचा शामिल है- तेजी से बढ़ रहा है ।

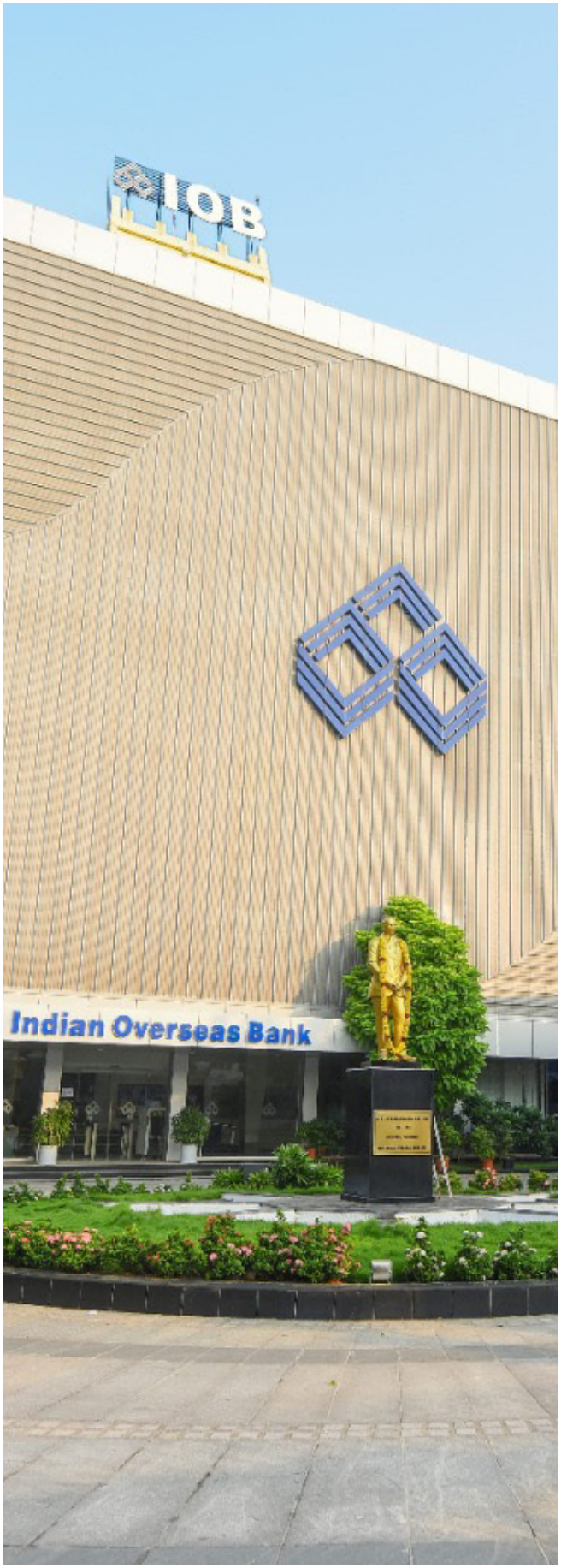
सार्वजनिक क्षेत्र की मजबूती, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सक्षमता में आइओबी के योगदान को वित्त वर्ष 25 में पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों के माध्यम से मान्यता दी गई, जिसमें ईएएसई 5.0 में शीर्ष रैंकिंग, आइबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कारों में पांच पुरस्कार और हमारे स्टाफ कॉलेज का आईएसओ द्वारा प्रमाणन शामिल है, जो हमारी परिचालन क्षमताओं और हितधारकों के विश्वास को दर्शाता है।

हमारा उन्नत भविष्य

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक वित्तीय स्थिरता, ग्राहक-केंद्रित परिवर्तन और परिचालन दक्षता पर आधारित रणनीतिक विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। बैंक प्रौद्योगिकी-आधारित वितरण मॉडल की ओर केंद्रित बदलाव द्वारा समर्थित खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है।

मोबाइल, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्मों पर डिजिटलीकरण में वृद्धि से ग्राहक जुड़ाव में नया बदलाव आ रहा है, जबकि फिनटेक के साथ साझेदारी और आंतरिक प्रणालियों के उन्नयन से ऋण संवितरण और सेवा प्रदान करने को सुगम बना रहे हैं।

सततता को मुख्य प्राथमिकता के रूप में अपनाते हुए बैंक अपने ऋण और संचालन ढांचे में ईएसजी विचारों को सक्रिय रूप से एकीकृत कर रहा है। समावेशी पहुंच का विस्तार करने, परिचालन को आधुनिक बनाने और आंतरिक क्षमताओं के निर्माण पर निरंतर जोर देने से आइओबी तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में उद्देश्य और आघातसहनीयता के साथ आगे बढ़ रहा है।



हमारी यात्रा



श्री एम. सीटी. एम. चिदंबरम चेट्टियार

संस्थापक अध्यक्ष

हमारा विज़न

"उच्च नैतिक मानकों और शासन-विधि के साथ पीढ़ियों को जोड़ने वाले पसंदीदा बैंक के रूप में उभरना।"

मुख्य सिद्धान्त

- **सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता**
- **नवाचार और सहयोग**
- **स्थिरता**

हमारा मिशन

"कुशल जनशक्ति के साथ ग्राहकों की संतुष्टि के लिए डिजिटल और भौतिक अनुभव के माध्यम से सर्वोत्तम बैंकिंग समाधान प्रदान करना।"

कार्यनीतिक उद्देश्य

- समग्र परिचालन प्रदर्शन में सुधार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना
- पोर्टफोलियो गुणवत्ता और पूंजी अनुकूलन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना
- डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना
- लाभप्रदता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना
- हमारे बैंक के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए नए बैंकिंग आउटलेट खोलना

1937
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) की स्थापना 10 फरवरी 1937 को श्री एम. सीटी. एम. चिदंबरम चेट्टियार

1957
बैंक ने अपना स्वयं का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया।

1964
माउंट रोड में आइओबी के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन।

1969
बैंक का राष्ट्रीयकरण।

1984
1000वीं शाखा खोली गई (गोविंदपुरी शाखा) ।

1996
बैंक का लाभ पहली बार रुपये 100 करोड़ तक पहुंचा।

2000
2003 में प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश और अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश ।

2009
100% सीबीएस बनाया गया

2010
बैंक ने अपनी 2000वीं शाखा (यमुना विहार शाखा) खोली।

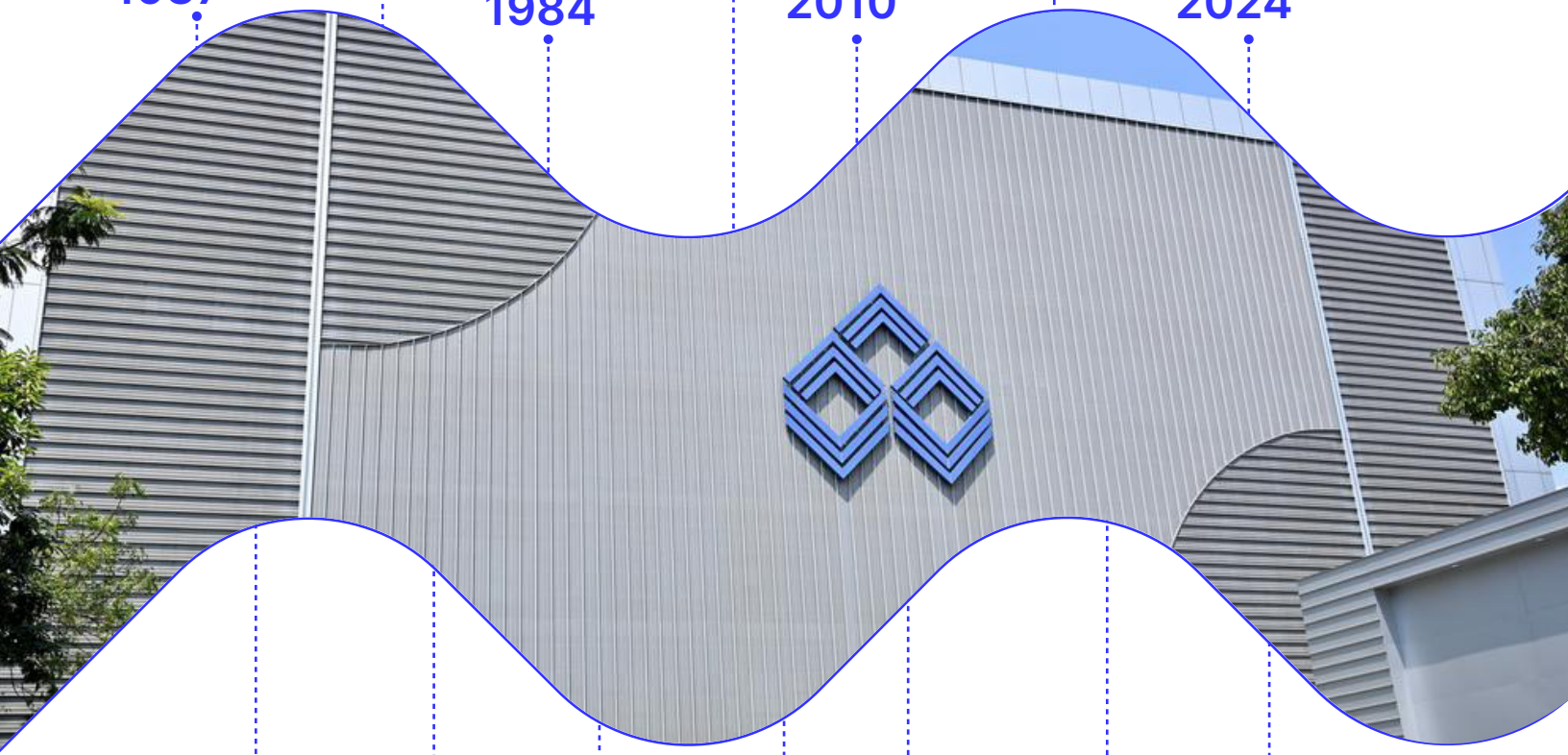
2013
बैंक ने वनियागुडी शाखा खोलकर 3000 शाखाओं का मील का पत्थर पार कर लिया।

2016
सभी शाखाएँ इन-हाउस सीबीएस प्लेटफ़ॉर्म "क्राउन" से फ़िनेकल में माइग्रेट हो गईं।

2021
आरबीआई ने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफ़ाइल में सुधार के लिए आइओबी को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला।

2024
बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पहली बार कुल कारोबार में 5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया ।

2024
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक(आइओबी) ने बाजार पूंजीकरण में ₹1 लाख करोड़ तक पहुँचने वाला पाँचवाँ सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता बनकर एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया।



“आपकी प्रगति का सच्चा साथी”

मूल्य सृजन मॉडल

इनपुट (पूंजी अभिनियोजन)

पूंजी	मुख्य इनपुट	
वित्तीय पूंजी	पूंजी:	₹ 19,256.59 करोड़
	जमा:	₹ 3.12 Lakh करोड़
	अग्रिम:	₹ 2.50 Lakh करोड़
विनिर्मित पूंजी	शाखाएँ	3,236
	एटीएम/सीआरएम	3,506
	बीसी	6,379
बौद्धिक पूंजी	• डिजिटल प्लेटफॉर्म **(digital.iob.in)** • मोबाइल बैंकिंग ऐप • टैब-आधारित बैंकिंग • एलओएस और सीआरएम	
मानव संसाधन पूंजी	कुल कर्मचारी	21,475
	लैंगिक विविधता	36.26%
	वित्त वर्ष 2025 में कर्मचारियों पर लागत	₹ 4,666 करोड़
	वित्त वर्ष 25 में शिक्षा एवं विकास पर प्रति कर्मचारी प्रति घंटा	27.4 घंटे
सामाजिक एवं संबंध पूंजी	वित्त वर्ष 25 का सीएसआर व्यय	₹ 3.76 करोड़
	कुल सक्रिय ग्राहक	41+ मिलियन
	ग्रामीण शाखा नेटवर्क	आइआरईडीए, आइजीबीसी, पीसीएएफ के साथ समझौता ज्ञापन
प्राकृतिक पूंजी	कुल बिजली खपत	3,01,283.56 यूनिट
	कुल जल खपत	2.50 लाख किलोलीटर
	ईएसजी-संरेखित ऋण रणनीति स्थिरता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एसजी शुभंकर की शुरुआत ।	श्री हरित

आउटपुट

वैयक्तिक बैंकिंग | कॉरपोरेट बैंकिंग | कृषि एवं ग्रामीण बैंकिंग



परिणाम

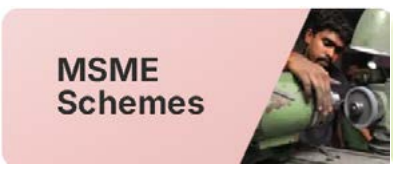
एमएसएमई | विदेशी मुद्रा | सरकारी व्यवसाय

राशि
ाना

ऋण संवितरण

डिजिटल परिवर्तन

म और
प्रबंधन





पूंजी	मुख्य इनपुट	
वित्तीय पूंजी	निवल लाभ	₹3,334.70 Cr. (+25.25%)
	एनआइएम	3.42% (घरेलू)
	ईपीएस	1.76
विनिर्मित पूंजी	कुल शाखाएँ	3,335
	एटीएम/सीआरएम	3,497
	बीसी	10,135
बौद्धिक पूंजी	• आधार-आधारित मुखाकृति प्रमाणीकरण ऑनबोर्डिंग • स्वयं सेवा डिजिटल हब • प्रायोगिक आइसीसीडब्ल्यू/आइसीडी	
मानव संसाधन पूंजी	कुल कर्मचारी	20,966
	लैंगिक विविधता अनुपात	36.43%
	लागत से आय अनुपात	47.14%
	अवधारण दर	99%+
सामाजिक एवं संबंध पूंजी	सीएसआर लाभार्थी	₹ 22.9 Lakh
	पीएमजेडीवाई खाते	₹ 87 Lakh+
	अल्प सेवा उपलब्धि वाले जिला (नई शाखाएँ)	19
	कुल ग्रामीण शाखाएँ	929
प्राकृतिक पूंजी	ईएसजी-लिंक्ड ऋणों	₹ 876 Cr.
	पार्यावरण अनुकूल उत्पादों का शुभारंभ जैसे	IOB Tejas & IOB Surya
	पर्यावरण अनुकूल भवनों पर समझौता ज्ञापन	

वित्तीय पूंजी

वित्त वर्ष 2024-25 इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुआ, जिसने लाभकारी वृद्धि, परिचालनिक विवेक और पूंजीगत लचीलापन पर केंद्रित रणनीति ने मजबूती प्रदान की। मुख्य आय को सुदृढ़ करते हुए परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार और बैलेंस शीट के विस्तार की हमारी क्षमता यह दर्शाती है कि बैंक की वित्तीय नींव मजबूत है और दीर्घकालिक रणनीति प्रभावी रही है।

प्रमुख उपलब्धियां:

- **16.28%**
  आरओई
- **19.74%**
  सीआरएआर
- **0.92**
  आरओए
- **₹ 8,688 करोड़**
  परिचालन लाभ (वर्ष दर वर्ष 28.44% की वृद्धि)
- **14.15%**
  अग्रिम वृद्धि

प्रभावित हितधारक

ग्राहक **निवेशक / शेयरधारक**

प्रभावित सतत विकास लक्ष्य



सम्बद्ध महत्वपूर्ण मुद्दे

- वित्तीय समावेशन
- ग्राहक निष्पक्षता और सही बिक्री
- विधिक विनियामक अनुपालन
- व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन



वित्तीय निष्पादन और दक्षता

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में मजबूत वित्तीय निष्पादन किया, जो सभी लाभप्रदता प्राचलों में लगातार सुधार को दर्शाता है। उच्च ब्याज आय और सख्त लागत नियंत्रण समर्थित बैंक का निवल लाभ बढ़कर ₹3,335 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25.25% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। निवल ब्याज आय (एनआइआई) साल-दर-साल 10.80% बढ़कर ₹10,890 करोड़ हो गई, जबकि परिचालन लाभ 28.44% बढ़कर ₹8,688 करोड़ हो गया। यह सुदृढ़ निष्पादन प्रमुख रिटर्न अनुपातों की वृद्धि में परिलक्षित होता है, जिसमें रिटर्न ऑन एसेट्स (आरओए) 0.81% से बढ़कर 0.92% और रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) 16.24% से बढ़कर 16.28% हो गया।

ये लाभ केवल संख्यात्मक नहीं हैं; ये बैंक द्वारा स्थायी आय आधार का निर्माण, आय स्त्रोतों में विविधता लाने और पोर्टफोलियो गुणवत्ता में सुधार करके लाभप्रदता के दृष्टिकोण में गुणात्मक बदलाव को दर्शाते हैं। निवेश-संबंधी लाभों में उतार-चढ़ाव के बावजूद गैर-ब्याज आय ₹5,545 करोड़ पर स्थिर रही। इसकी तुलना में, शुल्क-आधारित आय ने 25.75% के साथ ₹2,418 करोड़ की उन्नत वृद्धि दर्ज की, जो बेहतर ग्राहक जुड़ाव और डिजिटल चैनलों के व्यापक उपयोग को दर्शाती है।

बैलेंस शीट को मजबूत बनाना

वर्ष के दौरान, बैंक का कुल कारोबार 11.30% बढ़कर ₹5,61,958 करोड़ हो गया, जबकि अग्रिम 14.15% बढ़कर ₹2,50,019 करोड़ हो गया। यह वृद्धि व्यापक आधार पर हुई, जो खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों (आरएएम) में मजबूत समर्थन द्वारा परिचालित थी, जो घरेलू अग्रिमों का लगभग 78% है। आरएएम के भीतर, कृषि अग्रिमों में लगभग 34% की उच्चतम वृद्धि देखी गई, जो बैंक के ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्र उन्मुखीकरण को रेखांकित करती है। देनदारियों के पक्ष में, कुल जमा 9.11% बढ़कर ₹3,11,939 करोड़ हो गई, जिसमें कासा जमा में ₹10,653 करोड़ की वृद्धि हुई। बैंक ने वर्ष के दौरान 39 लाख कासा खाते जोड़े, जिससे इसके कम लागत वाले जमा आधार को और मजबूती मिली।

बैंक ने ये आंकड़े वैश्विक स्तर पर 80.15% और घरेलू स्तर पर 76.96% का बेहतर क्रेडिट-टू-डिपॉजिट (सीडी) अनुपात बनाए रखते हुए हासिल किए हैं। यह इष्टतम फंड परिनियोजन को दर्शाता है, जो वैश्विक स्तर पर 3.25% और घरेलू स्तर पर 3.42% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन (एनआईएम) में योगदान देता है - जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के औसत से काफी ऊपर है।

पूंजी पर्याप्तता और परिसंपत्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करना

31 मार्च, 2025 तक हमारी पूंजी पर्याप्तता 19.74% के सीआरएआर के साथ मजबूत बनी रही, जो विगत वर्ष 17.28% थी। बैंक का सीईटी-1 अनुपात भी सुधरकर 17.13% हो गया, जिससे भविष्य में ऋण विस्तार और विनियामक अनुपालन के लिए पर्याप्त गुंजाइश मिली है । महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मजबूत पूंजी बफर परिसंपत्ति गुणवत्ता से समझौता किए बिना हासिल किए गए थे। बैंक ने अपनी दबावग्रस्त आस्तियों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सकल एनपीए घटकर ₹5,348 करोड़ (सकल अग्रिमों का 2.14%) रह गया, जो पिछले वर्ष के 3.10% से कम है। निवल एनपीए घटकर ₹912 करोड़ अर्थात निवल अग्रिमों का 0.37% रह गया। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मजबूत होकर 97.30% हो गया, जिससे आइओबी अपने समकक्ष समूह में सर्वश्रेष्ठ में से एक बन गया। ये उपलब्धियाँ केंद्रित रिकवरी, विवेकपूर्ण अंडरराइटिंग और केंद्रीय स्तर पर ईएसजी और जलवायु जोखिम विचारों को शामिल करने वाली एक कैलिब्रेटेड क्रेडिट रणनीति का परिणाम हैं।

भविष्य की दिशा एवं विकास

वित्त वर्ष 25 में बैंक की वित्तीय प्रगति अल्पकालिक उछाल नहीं है, बल्कि यह दीर्घकालिक सक्षमताओं- डिजिटल परिवर्तन, मानव संसाधन क्षमता वृद्धि और बेहतर उत्पाद डिजाइन का परिणाम है। परिचालन दक्षता में पर्याप्त वृद्धि देखी गई, लागत-से-आय अनुपात वित्त वर्ष 24 में 56.32% से बढ़कर 47.14% हो गया। डिजिटल प्रणाली, बैक-एंड ऑटोमेशन और ग्राहक-केंद्रित डिलीवरी मॉडल में हमारे निवेश ने इसे काफी हद तक आगे बढ़ाया।

भविष्य की ओर देखने पर, बैंक पूंजी को विवेकपूर्ण तरीके से लगाने, ईएसजी-संरेखित ऋण देने को बढ़ाने और ग्राहक वर्गों में अपने फ्रैंचाइज़ को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 25 में हमारे वित्तीय प्रदर्शन ने भविष्य की महत्वाकांक्षाओं-लचीले, समावेशी और सतत विकास का समर्थन करने के लिए एक मजबूत नींव रखी है।

विनिर्मित पूंजी

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में, विनिर्मित पूंजी भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है जो निर्बाध और समावेशी बैंकिंग अनुभवों की डिलीवरी को रेखांकित करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में, हमने अपने सेवा क्षेत्र का विस्तार करने, अपने डिलीवरी प्लेटफॉर्म को आधुनिक बनाने और शहरी और ग्रामीण भारत में विकसित और विविध ग्राहक आधार को पूरा करने के लिए डिजिटल रूप से सशक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रमुख उपलब्धियां :

- **28%**
  कुल घरेलू शाखाओं (ग्रामीण शाखा)
- **101**
  नई शाखाएँ
- **95.98%**
  अपटाइम एटीएम/सीडीएम/पीपीके
- **₹ 6,812+ करोड़**
  से अधिक ऋण स्वीकृत (मुद्रा ऋण)

प्रभावित हितधारक

ग्राहक | कर्मचारी | नियामक

प्रभावित सतत विकास लक्ष्य



सम्बद्ध महत्वपूर्ण मुद्दे

- व्यवसाय निरंतरता
- नैतिक आचरण
- व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन
- ग्राहक निष्पक्षता और सही बिक्री
- विनियामक और कानूनी अनुपालन



हमारे राष्ट्रीय और वैश्विक पदचिह्न का विस्तार

आइओबी का व्यापक नेटवर्क इसके समावेशी बैंकिंग एजेंडे का एक प्रमुख प्रवर्तक बना हुआ है। वित्त वर्ष 25 के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित के माध्यम से परिचालन किया:

- पूरे भारत में 3,335 शाखाएँ, जिनमें 929 ग्रामीण शाखाएँ शामिल हैं, जो कुल घरेलू शाखाओं का 28% है ।
- वित्त वर्ष 25 के दौरान 3,497 एटीएम, कोई निवल वृद्धि नहीं ।
- वित्त वर्ष 2025 के दौरान 2 नकद जमा मशीनें (सीडीएम) जोड़ी गईं ।
- 10,135 कारोबार प्रतिनिधि (बीसी), जो पिछले वर्ष के 6,379 से काफी अधिक है - 58% से अधिक की वृद्धि ।

वित्त वर्ष 25 के लिए एटीएम, सीडीएम और पीबीके अपटाइम 95.98% पर बनाए रखा गया, जिसे सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी टूल्स और निरंतर अनुवर्ती तंत्रों द्वारा समर्थित किया गया। एटीएम, कैश रिसाइकलर (सीआर) और पासबुक कियोस्क (पीबीके) सहित स्व-सेवा मशीनों को विशेष निगरानी उपकरणों के माध्यम से सक्रिय रूप से ट्रैक किया जाता है जो उपयोग पैटर्न और सिस्टम परफ़ोर्मेंस का आंकलन करते हैं। आइओबी वित्तीय रूप से वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्रों में मोबाइल वैन को भी बेहतर तरीके से तैनात करता है, जिससे ग्रामीण समावेशन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता मजबूत होती है।

हमारी पहुंच घरेलू सीमाओं तक सीमित नहीं है। आइओबी सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और कोलंबो में शाखाओं और मलेशिया में एक संयुक्त उद्यम बैंक (स्वैच्छिक समापन के तहत) के साथ अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति बनाए हुए है । इन विदेशी परिचालनों ने निम्नलिखित योगदान दिया है:

- कारोबार ₹25,063 करोड़, जो कुल वैश्विक कारोबार का 4.46% है ।
- परिचालन लाभ ₹290 करोड़ और निवल लाभ ₹97 करोड़ ।

बैंकिंग बुनियादी ढांचे का डिजिटलीकरण

हमारे डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण के अनुरूप, आइओबी ने गति, पहुंच और ग्राहक संतुष्टि में सुधार के लिए वर्ष के दौरान अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि की।

वित्त वर्ष 2025 में प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत किया गया:

- "digital.iob.in" – ग्राहकों के लिए डिजिटल सेवाओं के समूह तक पहुंच के लिए एक स्वयं-सेवा केंद्र
- **टैब बैंकिंग** - वास्तविक समय में खाता खोलने, केवाइसी अद्यतित करने और ग्राहक के द्वार पर सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाना।
- **भीम आइओबी यूपीआई ऐप** - बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए नया रूप दिया गया, अब एंड्रॉइड और आइओएस दोनों पर उपलब्ध है ।
- **ऑनलाइन खाता पोर्टेबिलिटी, ऑनलाइन लॉकर आवंटन और आधार** - आधारित मुखाकृति प्रमाणीकरण जैसी डिजिटल सुविधाएँ हमारे नेतृत्व को मजबूत करती हैं।

मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.02 करोड़ को पार कर गई, और इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 34.18 लाख हो गई। हमारे यूपीआई पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.20 करोड़ को पार कर गई, जो डिजिटल लेनदेन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

वित्तीय समावेशन के लिए बुनियादी ढांचा

बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में भौतिक उपस्थिति के महत्व को समझते हुए, आइओबी ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार जारी रख रहा है:

- वित्त वर्ष 2025 में 19 नई ग्रामीण शाखाएं खोली गईं
- 87 लाख से अधिक पीएमजेडीवाई खातों को सेवाएं दी गईं, जिनमें कुल जमा राशि 3,835 करोड़ रुपये रही
- डिजिटल बैंकिंग कियोस्क और इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल (आइसीसीडबल्यू) तंत्र की शुरुआत, जिसमें आरबीआइएच के साथ प्रयोगिक यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) में भागीदारी शामिल है
- आइओबी ने एक समर्पित व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) भी लागू की है और उच्च उपलब्धता और निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए आपदा रिकवरी (डीआर) स्थलों पर द्वितीयक लाइनों का रखरखाव करता है।

ये प्रयास महानगरों, शहरों और भारत के दूरदराज और आकांक्षी जिलों में बैंकिंग पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

परिचालन परिवर्तन और प्रक्रिया दक्षता

आइओबी की निर्मित पूंजी दक्षता बढ़ाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और बैकएंड प्रणालियों के परिवर्तन में भी परिलक्षित होती है:

- कागज़-आधारित प्रसंस्करण को समाप्त करने के लिए डिजिटल ऑफिस नोट प्रणाली शुरू की गई
- वास्तविक समय में ऋण मूल्यांकन और तेजी से सुधार के लिए लोन ओरिजनेटिंग सिस्टम (एलओएस)
- ग्राहक सहभागिता को बढ़ाने और लक्षित क्रॉस-सेलिंग को सक्षम करने के लिए सीआरएम टूल तैनात कि गए

इन संवर्द्धनों के परिणामस्वरूप सेवा वितरण में तेजी आई है, परिचालन लागत में कमी आयी है तथा ग्राहक संतुष्टि में सुधार हुआ है।

हाइब्रिड सेवा मॉडल का समर्थन करना

मानव और डिजिटल इंटरफेस दोनों पर बढ़ते जोर के साथ,

आइओबी के बुनियादी ढांचे के निवेश से एक हाइब्रिड बैंकिंग मॉडल का निर्माण कर रहा है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक समान दक्षता और जवाबदेही का अनुभव करें, चाहे वे ग्रामीण शाखा, शहरी एटीएम, डिजिटल पोर्टल या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट में हमारे साथ व्यवहार कर रहे हों।

भविष्य में हम अपनी निर्मित पूंजी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

- वंचित क्षेत्रों में शाखा विस्तार जारी रहेगा
- उत्पादों का और अधिक डिजिटलीकरण
- अधिक नवीन वितरण मॉडल के लिए फिनटेक के साथ सह-निर्माण
- ऊर्जा-कुशल अवसंरचना को हरित बैंकिंग लक्ष्यों के साथ जोड़ाना

बौद्धिक पूंजी

बौद्धिक पूंजी तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार करने, अंतर करने और मूल्य प्रदान करने की इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की क्षमता का आधार बनती है। इसमें हमारी प्रौद्योगिकी अवसंरचना, ज्ञान प्रणाली, डेटा समग्रता प्रोटोकॉल और रणनीतिक साझेदारियां शामिल हैं जो ग्राहक अनुभव, परिचालन कुशलता और सतत विकास को बढ़ाती हैं।

प्रमुख उपलब्धियां:

- **1.02+ Cr.**
  कुल मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता
- **1.20+ Cr.**
  यूपीआई पंजीकृत उपयोगकर्ता
- **94.71%**
  कुल लेनदेन (डिजिटल ग्राहक लेनदेन)
- **फिनटेक साझेदारियां**
- **ई-पाठशाला**
  नया ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म



प्रभावित हितधारक

ग्राहक कर्मचारी

प्रभावित सतत विकास लक्ष्य



सम्बद्ध महत्वपूर्ण मुद्दे

- डाटा प्राइवेसी

प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के रूप में डिजिटल नवाचार

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) ने परिचालन को आधुनिक बनाने और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों में निवेश जारी रखा। एक प्रमुख परामर्श फर्म के साथ मिलकर बनाए गए डिजिटल परिवर्तन रोडमैप द्वारा निर्देशित, रणनीति पाँच स्तंभों पर केंद्रित थी: प्रौद्योगिकी आघात सहनीयता, ग्राहक केंद्रितता, डिजिटल नवाचार, परिचालन दक्षता और मूल्य वितरण।

इन प्राथमिकताओं को वित्त वर्ष 25 के दौरान कई फ्रंट-एंड नवाचारों में परिवर्तित किया गया:

- खाता खोलने, नामांकन और पुनः के.वाई.सी. के लिए आधार-आधारित मुखाकृति प्रमाणीकरण शुरू किया गया, जिससे समावेशी और शाखा रहित सेवा विकल्प उपलब्ध हुए।
- एटीएम चैनल या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्रीन पिन का सृजन और कार्ड सक्रियण किया जा सकता है।
- डेबिट कार्ड के लिए आवेदन/ब्लॉकिंग/प्रतिस्थापन आईबी/एमबी चैनलों का उपयोग करके किया जा सकता है।
- ग्राहक अब इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन खाता संख्या पोर्टेबिलिटी, सुरक्षित जमा लॉकर आवंटन, तथा डेबिट कार्ड जारी करने, बदलने या ब्लॉक करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
- वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ, ग्राहक आइपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं, जमा पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं/देख सकते हैं।
- बैंक ने कर्मचारियों द्वारा वास्तविक समय पर ऑनबोर्डिंग और केवाइसी अद्यतन की सुविधा के लिए टैब-आधारित बैंकिंग शुरू की।
- इसके अतिरिक्त, बैंक ने भीम आइओबी यूपीआई ऐप को नया रूप दिया और एक स्व-सेवा डिजिटल हब - digital.iob.in - लॉन्च किया, जो हमारी डिजिटल पेशकशों तक पहुंचने के लिए एक सहज इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
- बैंक ने यूपीआई पर रूपे क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता और अधिग्रहणकर्ता के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। इसने आइसीडी (जारीकर्ता और अधिग्रहणकर्ता), यूपीआई प्रतिनिधि भुगतान (जीएफ़एफ़) और सेंट्रल मैपर (यूपीआई नंबर) क्षमताओं को प्रयोगिक रूप से लॉन्च किया है।
- वीज़ा प्लैटिनम और सिग्नेचर वेरिएंट, वीज़ा बिजनेस डेबिट कार्ड और मास्टरकार्ड वेरिएंट डेबिट कार्ड लॉन्च किए गए, साथ ही छात्रों के लिए तमिलनाडु सरकार की योजना कार्ड - तमिल पुदलवन और पुदुमै पेन्न भी लॉन्च किए गए।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निष्पादन और निगरानी

आइओबी ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित प्रदर्शन निगरानी ढांचा लागू किया है। वित्त वर्ष 25 के दौरान, एटीएम/सीडीएम अपटाइम 95.98% पर बनाए रखा गया था, जिसे सिस्टम-जनरेटेड लॉग, विक्रेता निरीक्षण और परिभाषित सेवा-स्तरीय समझौतों द्वारा समर्थित किया गया था।

स्व-सेवा मशीनों - जिसमें एटीएम, सीआर और पीबीके शामिल हैं - को समर्पित उपकरणों का उपयोग करके अपटाइम और प्रदर्शन के लिए मॉनिटर किया जाता है, और उपयोग डेटा संसाधन आवंटन रणनीतियों संबंधी सूचना प्रदान करता है। अर्ध-शहरी और दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात मोबाइल वैन की भी इसी तरह निगरानी की जाती है ताकि अल्प सेवा वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में उनकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।

पर्यावरण स्थिरता में सुधार के लिए, बैंक ने एटीएम से सफल निकासी के लिए रसीद छपाई बंद कर दी। वॉल्ट एक्सेस प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया गया और गतिशील वन-टाइम कॉम्बिनेशन (ओटीसी) पासवर्ड ने स्थिर मैनुअल तरीकों की जगह ले ली।

साइबर सुरक्षा और डेटा सत्यनिष्ठा

जैसे-जैसे डिजिटल अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ग्राहक डेटा की सुरक्षा और समग्रता सुनिश्चित करना सर्वोपरि बना हुआ है। बैंक ने आरबीआई के साइबर सुरक्षा निर्देशों के अनुपालन में एक मजबूत, बहुस्तरीय साइबर सुरक्षा ढांचा स्थापित किया है। 24/7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) एसआईईएम उपकरणों का उपयोग करके वास्तविक समय के खतरों की निगरानी करता है। एक्सेस कंट्रोल को मजबूत करने के लिए मल्टीफ़ैक्टर प्रमाणीकरण के साथ-साथ संवेदनशील प्रणालियों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस प्रबंधन (पीएएम) लागू किया गया है।

आरएसए 2048 और एएसई 256 जैसे एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल और टीएलएस 1.2 जैसे सुरक्षित संचार मानक, ट्रांज़िट और रेस्ट में डेटा की सुरक्षा करते हैं। डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग (डीएएम) के ज़रिए महत्वपूर्ण डेटाबेस की निगरानी की जाती है और नियमित भेद्यता परीक्षण, एप्लिकेशन ऑडिट और डिजिटल सिग्नेचर प्रोटोकॉल उच्च डेटा आश्वासन सुनिश्चित करते हैं। ये प्रयास सामूहिक रूप से हमारी डिजिटल रीढ़ को मज़बूत करते हैं और ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने में मदद करते हैं।

सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र और विचार नेतृत्व

हमारी बौद्धिक पूंजी आंतरिक रूप से निर्मित है और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से बढ़ाई गई है। वित्त वर्ष 25 के दौरान, आइओबी ने ग्रीन-प्रमाणित रियल एस्टेट के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आइजीबीसी) के साथ भागीदारी की और कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स (पीसीएएफ़) के लिए भागीदारी में शामिल हो गया, जिससे वित्तपोषित गतिविधियों से मानकीकृत जीएचजी उत्सर्जन माप के लिए प्रतिबद्ध होने वाले शुरुआती भारतीय बैंकों में से एक बन गया।

हमने फिनटेक और सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर ऐसे अनूठे समाधान तैयार किए हैं, जिनसे पहुंच बढ़ी है, गति में सुधार हुआ है और अनुपालन मजबूत हुआ है। इन साझेदारियों ने आइओबी को गतिशील बाजार में चुस्त बने रहने और क्षेत्रीय नवाचार और सतत वित्त में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाया है।

ज्ञान प्रणालियाँ और क्षमता निर्माण

बैंक का मजबूत शिक्षण और विकास बुनियादी ढांचा बौद्धिक पूंजी के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चेन्नै के अण्णा नगर में आइएसओ 9001:2015-प्रमाणित स्टाफ कॉलेज ने सभी कार्यों में कर्मचारियों को कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करके साइबर सुरक्षा, ईएसजी-लिंक्ड ऋण, डिजिटल ग्राहक यात्रा और विकसित हो रहे नियामक ढांचे को शामिल किया गया।

इसके अतिरिक्त, हमने डिजिटल सहयोग उपकरणों और ज्ञान-साझाकरण प्लेटफार्मों के माध्यम से निरंतर सीखने को प्रोत्साहित किया, जिससे जिज्ञासा, आघात सहनीयता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि हमारा कार्यबल परिचालन उत्कृष्टता को आगे बढ़ाते हुए ग्राहकों और हितधारकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सुसज्जित है।

भविष्य की विकास रणनीति

अब लगभग 95% ग्राहक लेन-देन डिजिटल चैनलों के माध्यम से हो रहे हैं, इसलिए आइओबी डिजिटल बैंकिंग को एक सहायक कार्य और वितरण और विकास के लिए एक प्राथमिक चैनल के रूप में स्थापित कर रहा है। रोडमैप में ग्राहक यात्राओं का व्यापक डिजिटलीकरण में ऑनबोर्डिंग, ऋण अनुरोध और दस्तावेज़ प्रबंधन शामिल है ताकि टर्नअराउंड समय और सेवा स्थिरता में सुधार हो सके।

ग्राहकों की प्रतिक्रिया सुधारों को आकार देने में महत्वपूर्ण है, खासकर मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म में। ये प्रयास बैंकिंग को अधिक सुलभ, उत्तरदायी और उभरती अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जैसे उद्योग प्लेटफ़ॉर्म पर मान्यता डिजिटल स्पेस में आगे रहने के लिए आइओबी की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।



BSCIC Certifications BSCIC Private Limited

BSCIC

Certificate

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

This is to certify that:

INDIAN OVERSEAS BANK, STAFF COLLEGE

NO. 230, 7/A, JAWAHARLAL NEHRU ROAD,
OLD THIRUMANGALAM, ANNA NAGAR,
CHENNAI – 600040, TAMILNADU, INDIA

Hereby granted the Certificate Number: BN23404/22192 Rev. 00

Subsequent to the Assessment of the organization, it has been found to be operating a Quality Management System which complies with the requirements of

ISO 9001:2015

For the following scope:

Imparting Internal Trainings for IOB Staff as per the Bank Directions, and Coordinating Design and Development of the Training Courses
IAF Scope: 37

For BSCIC CERTIFICATIONS PVT.LTD.

Originally Registered: 27-Sep-2024 1st Surveillance Due on: 26-Sep-2025
Issue Date: 27-Sep-2024 2nd Surveillance Due on: 26-Sep-2026
Expiry Date: 26-Sep-2027

Sanjay Seth
Managing Director

(In case if Surveillance Audit is not allowed to be conducted; this Certificate shall be Suspended/Withdrawn).

Please Re-validate this certificate's status at www.bsc-icc.com at REGISTRATION STATUS.
This Certificate of Registration is granted subject to relevant provisions of the BSCIC Certifications PVT. LTD. Contract Terms & Scheme for Registration Form BO18 (Latest Version). Please see BO18 at our website www.bsc-icc.com.
The certificate of Registration remains the property of BSCIC Certifications Pvt. Ltd. and shall be returned immediately upon request.
BSCIC Headquarters: iWork, 1st Floor, 58/15A, Crown Plaza Mall, Faridabad - 121 007, Haryana, India.

Page 1 of 1

Registered

BSCIC NABCB QM 030 IAF

मानव संसाधन पूंजी

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में, हम मानते हैं कि हमारी मानव संसाधन पूंजी की ताकत हमारे मूल्य निर्माण की यात्रा के हर पहलू को रेखांकित करती है। एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में नेविगेट करते हुए, विकसित होने की हमारी क्षमता हमारे कर्मचारियों की क्षमताओं, प्रेरणा और अनुकूलनशीलता पर निर्भर करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में, हमने कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाने, भविष्य के लिए कौशल सेट को मजबूत करने और कल्याण, समावेश और नैतिक आचरण को बढ़ावा देते हुए प्रदर्शन-संचालित संस्कृति को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। हमारे रणनीतिक मानव संसाधन हस्तक्षेप परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और बैंक की दीर्घकालिक विकास महत्वाकांक्षाओं और ईएसजी प्रतिबद्धताओं के साथ हमारे लोगों के व्यवहार को संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।

प्रमुख उपलब्धियां:

- **14,906**
  प्रशिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या
- **484**
  विशेष रूप से सक्षम कर्मचारी
- **3.7/5**
  औसत संतुष्टि स्कोर
- **4.15%**
  आंतरिक पदोन्नति दर

प्रभावित हितधारक

कर्मचारी

प्रभावित सतत विकास लक्ष्य

सम्बद्ध महत्वपूर्ण मुद्दे

- **कर्मचारी लाभ एवं विकास**
- **नैतिक आचरण**



कुशल एवं भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में लोग परिवर्तन के उत्प्रेरक हैं। चूंकि बैंक तकनीकी, विनियामक और ग्राहक बदलावों के अनुक्रम में विकसित हो रहा है, इसलिए एक चुस्त, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, 14,096 कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, जबकि 1,806 अधिकारियों और अधिकारियों ने प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित बाहरी कार्यक्रमों में भाग लिया। रिपोर्टिंग वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण घंटे 27.41 घंटे थे, जो निरंतर सीखने और क्षमता विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डिजिटल लर्निंग बैंक की शिक्षण रणनीति का एक मुख्य स्तंभ बनकर उभरा है। कुल 5,998 कर्मचारियों ने विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र पूरे किए। इसके अतिरिक्त, बैंक के स्वामित्व वाले ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई- पाठशाला ने क्रेडिट, ट्रेजरी और एनपीए प्रबंधन जैसे प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में 82 मॉड्यूल तक पहुंच प्रदान की। उल्लेखनीय रूप से, वित्त वर्ष 2024-25 में 8,571 कर्मचारियों ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छह अनिवार्य मॉड्यूल पूरे किए।

चेन्न के अण्णा नगर में बैंक का आइएसओ 9001:2015-प्रमाणित स्टाफ कॉलेज, ईएसजी वित्त, साइबर सुरक्षा, डिजिटल संचालन और क्रेडिट मूल्यांकन जैसे उभरते क्षेत्रों में उच्च-प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने में केंद्रीय था। सभी प्रशिक्षण सामग्री को समय-समय पर विनियामक परिवर्तनों और विकसित कौशल आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया गया था, जिससे व्यावहारिक प्रासंगिकता और तत्परता सुनिश्चित हुई।

नेतृत्व विकास को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में जारी रखा गया। प्रतिष्ठित संस्थानों में समर्पित नेतृत्व विकास कार्यक्रमों (एलडीपी) के लिए स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों को चिन्हित एवं नामित किया गया। चार वरिष्ठ अधिकारियों को एक वर्षीय आवासीय एलडीपी के लिए नामित किया गया। एचआर परिवर्तन पहल-प्रोजेक्ट लक्ष्य के हिस्से के रूप में बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में एक लंबी अवधि के एलडीपी के तहत 250 भावी लीडर्स को प्रशिक्षित करने की भी योजना बनाई है।

कक्षा, ऑनलाइन और संस्थागत प्रशिक्षण का यह मिश्रित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि आइओबी का कार्यबल तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमता, नैतिक आधार और ग्राहक-केंद्रित सोच से लैस है, जो एक गतिशील बैंकिंग वातावरण में काम करने के लिए आवश्यक है।

कार्यबल की स्थिरता और स्थिरता

वित्त वर्ष 2024-25 तक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने कुल 20,966 कर्मियों को रोजगार दिया, जो प्रमुख कार्यबल श्रेणियों में निम्नानुसार वितरित हैं:

- **अधिकारी** : 12,494
- **लिपिक/सीएसए स्टाफ** : 6,992
- **अधीनस्थ स्टाफ** : 1,480

यह वितरण बैंक के अखिल भारतीय और अंतरराष्ट्रीय परिचालन को समर्थन देने वाली एक सुसंतुलित संरचना को दर्शाता है।

आइओबी में कर्मचारियों का प्रतिधारण उद्योग के भीतर अनुकरणीय बना हुआ है। बैंक की एट्रिशन दर लगभग 1% रही, जो उद्योग के औसत 25% से काफी कम है और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की 3% की एट्रिशन दर से काफी बेहतर है। यह कम टर्नओवर मजबूत कर्मचारी जुड़ाव, संस्थागत वफादारी और एक स्थिर कार्य वातावरण को दर्शाता है।

एक आघातसह कार्यबल संरचना और बेहतर प्रतिधारण प्रदर्शन निरंतरता सुनिश्चित करता है, पुनः नियुक्ति और प्रशिक्षण लागत को कम करता है तथा दीर्घकालिक परिचालन दक्षता को बढ़ाता है।

सम्मान, साझेदारियाँ और रणनीतिक फोकस

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के आधुनिक और चुस्त कार्यबल के निर्माण के प्रयासों को राष्ट्रीय मान्यता और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से और अधिक पहचान मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक को आइबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा और संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इसके प्रतिभा प्रबंधन और डिजिटल तत्परता की ताकत को दर्शाता है।

अपने अकादमिक-उद्योग जुड़ाव को मजबूत करते हुए, आइओबी ने साइबर सुरक्षा हैकथॉन शुरू करने के लिए बीएस अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए , जिसे ज्ञान भागीदार के रूप में ईवाई द्वारा समर्थित किया गया। ये पहल चल रहे लागत अनुकूलन उपायों की पूरक है - कर्मचारियों पर खर्च वित्त वर्ष 2023-24 में ₹6,140 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹4,666 करोड़ हो गया, जो प्रक्रिया स्वचालन और डिजिटल समाधानों की तैनाती से प्रेरित 24% की कमी को दर्शाता है। अपने समावेशन लक्ष्यों के समर्थन में, बैंक ने लिंग-अनुकूल कार्यस्थल को बढ़ावा देकर , स्नेहा केंद्रों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता पहुंच को मजबूत करके और अपने परिचालन में शिकायत निवारण प्रणालियों को सुदृढ़ करके अपने कर्मचारी-केंद्रित ईएसजी एजेंडे को बढ़ाया है।

परिवर्तन के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना

वर्ष के दौरान एक प्रमुख प्राथमिकता प्रक्रियाओं, भूमिकाओं और सेवा वितरण मॉडल को फिर से परिभाषित करके कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करना था। बैंक ने आंतरिक अनुमोदन और निर्णय लेने को सरल बनाने के लिए वर्कफ़्लो डिजिटलीकरण और पेपरलेस ऑफ़िस समाधान पेश किए। परिणामस्वरूप टर्नअराउंड समय और पारदर्शिता में सुधार बेहतर ग्राहक परिणाम और उच्च परिचालन दक्षता में परिवर्तित हो गया साथ ही, बैकएंड फ़ंक्शंस के स्वचालन और सीआरएम टूल की शुरूआत ने दोहराव वाले कार्यों को कम करने में मदद की, जिससे कर्मचारियों को संबंध-निर्माण, सलाहकार सेवाओं और रणनीतिक विकास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली।

हमारा लागत-से-आय अनुपात वित्त वर्ष 24 में 56.32% से सुधरकर वित्त वर्ष 25 में 47.14% हो गया, जो डिजिटल संवर्द्धन के साथ-साथ मानव पूंजी अनुकूलन के योगदान का प्रमाण है।

समावेशिता, नैतिकता और कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में मानव संसाधन पूंजी को न केवल कौशल और प्रदर्शन से परिभाषित किया जाता है, बल्कि इसके द्वारा पोषित मूल्यों, विविधता और कल्याण से भी परिभाषित किया जाता है। बैंक एक सुरक्षित, समावेशी और सशक्त कार्यस्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान करता है और सामूहिक विकास को बढ़ावा देता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, लैंगिक विविधता अनुपात 1.74 रहा, जो लैंगिक समानता और समावेशी नियुक्ति की दिशा में निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। कार्यबल की भावना को बेहतर ढंग से समझने के लिए, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग से एक कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 8,700 कर्मचारियों ने भाग लिया, जिससे 5 में से 3.7 का औसत संतुष्टि स्कोर प्राप्त हुआ। सर्वेक्षण से मिली जानकारी ने लोगों की प्रक्रियाओं और जुड़ाव पहलों में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है।

आइओबी बुनियादी ढांचे के उन्नयन, लचीली कार्य व्यवस्थाओं और लक्षित मानसिक स्वास्थ्य और वित्तीय साक्षरता जागरूकता सत्रों के माध्यम से कर्मचारियों के हित में निवेश करना जारी रखता है। वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई विशिष्ट स्वास्थ्य और कल्याण पहलों में शामिल हैं:

- **जिम और योग प्रतिपूर्ति :**
  जिम और योग कार्यक्रमों में नामांकन करने वाले सभी कर्मचारियों को स्टाफ़ कल्याण-निधि से प्रति वर्ष ₹1,000 की प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाती है। यह पहल पूरे कार्यबल में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत का समर्थन करती है।
- **तनाव प्रबंधन वार्ता :**
  मेसर्स अपोलो हॉस्पिटल्स के एक मनोवैज्ञानिक ने 5 फरवरी, 2025 को तनाव प्रबंधन सत्र आयोजित किया। इस सत्र में कर्मचारियों को व्यावसायिक तनाव का प्रबंधन करने और उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने की तकनीकों से लैस किया गया।

बैंक ने कार्यस्थल पर नैतिक संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए अपनी शिकायत निवारण प्रणाली और व्हिसल-ब्लोअर नीति को सक्रिय रूप से मजबूत किया। अनिवार्य अनुपालन प्रशिक्षण और नियमित आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से उत्पीड़न और भेदभाव के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को लागू किया गया।

ये प्रयास सामूहिक रूप से आइओबी के कार्यबल कल्याण, नैतिक आचरण और सांस्कृतिक समावेशिता के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो दीर्घकालिक संस्थागत मजबूती के लिए आधार हैं ।

लोगों की रणनीति को उद्देश्य और प्रदर्शन के साथ संरेखित करना

जैसे-जैसे हम संधारणीय विकास पर अपने रणनीतिक फोकस को तेज करते हैं, हमारे लोगों के व्यवहार व्यापक व्यापार और ईएसजी प्राथमिकताओं के साथ संरेखित होते हैं। प्रमुख एचआर मेट्रिक्स - जिसमें प्रति कर्मचारी सीखने के घंटे, आंतरिक पदोन्नति अनुपात और कर्मचारी संतुष्टि स्कोर शामिल हैं - निर्णय लेने में सहायता के लिए अधिक बारीकी से ट्रैक किए जाते हैं। हर साल, बैंक अपने कर्मचारियों को सभी कैडर में पदोन्नत करता है। वित्त वर्ष 24-25 में, 4.15% कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया। साथ ही, भविष्य के लीडर्स को विकसित करने के लिए, बैंक के पास उत्तराधिकार नियोजन और नेतृत्व विकास पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है और महत्वपूर्ण पदों के लिए या एचआर परिवर्तन परियोजना के तहत उत्तराधिकारियों की एक अनुमोदित सूची है।

महत्वपूर्ण पदों के लिए सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारियों का सुझाव देने के लिए एक उपकरण विकसित किया गया था। इसके अलावा, हम ग्राहक सेवा, डिजिटल अपनाने और सामुदायिक जुड़ाव में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन संरचनाएं और मान्यता रूपरेखाएँ विकसित कर रहे हैं।

आइओबी का लक्ष्य खुले प्रतिक्रिया चैनलों, डिजिटल एचआर टूल्स और कौशल-आधारित आंतरिक गतिशीलता के माध्यम से कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाना करना है। अपने लोगों को उद्देश्य की स्पष्टता, विकास के अवसर और सार्थक कार्य के साथ सशक्त बनाकर, हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी मानव पूंजी दीर्घकालिक मूल्य सृजन का सच्चा प्रवर्तक बन जाए।

सामाजिक और संबंध पूंजी

एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में, हम गहन ग्राहक जुड़ाव, मजबूत साझेदारियों और भारत भर में वित्तीय समावेशन के माध्यम से दीर्घकालिक साझा मूल्य सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, हमने पीएमजेडीवाई और पीएम-कुसुम जैसी प्रमुख पहलों को आगे बढ़ाया, जिससे हमारी एक उत्तरदायी और लोगों को प्राथमिकता देने वाली संस्था बनने की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।

प्रमुख उपलब्धियां :

- **2+ मिलियन**
  कुल सीएसआर लाभार्थी
- **8.7 मिलियन खाते**
  पीएमजेडीवाई लाभार्थी
- **50,103 स्ट्रीट वेंडर्स**
  पीएम स्वानिधि ऋण
- **"स्नेहा"**
  वित्तीय साक्षरता केंद्र

प्रभावित हितधारक

ग्राहक

समुदाय

प्रभावित सतत विकास लक्ष्य



सम्बद्ध महत्वपूर्ण मुद्दे

- नैतिक आचरण
- वित्तीय समावेशन
- ग्राहक निष्पक्षता और सही बिक्री



ग्राहक विश्वास और पहुंच को मजबूत करना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में, मजबूत हितधारक संबंध एक विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान के रूप में हमारी पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। 3,335 से अधिक घरेलू शाखाओं, 3,497 एटीएम/सीआरएम और एक कारोबार प्रतिनिधियों नेटवर्क के साथ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 10,135 तक विस्तारित हुआ, हम शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण भारत में अपने भौतिक और डिजिटल जुड़ाव को बढ़ा रहे हैं। इस व्यापक पहुंच ने हमें वित्तीय समावेशन के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए पहले से कम बैंकिंग वाले क्षेत्रों में ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम बनाया। वर्ष के दौरान, हमने 39 लाख कासा ग्राहक जोड़े, जिससे हमारा कासा आधार ₹1.36 लाख करोड़ से अधिक हो गया और कासा अनुपात 43.65% हो गया।

हमने digital.iob.in जैसी पहलों के माध्यम से पहुंच को बढ़ाया है। इन पहलों का उद्देश्य सुरक्षित, निर्बाध और समावेशी सेवाएं प्रदान करना है । ये प्रयास एक हाइब्रिड बैंक में हमारे परिवर्तन को दर्शाते हैं जो ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भौतिक उपस्थिति को डिजिटल सुविधा के साथ जोड़ता है।

वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना

आइओबी के संचालन का सामाजिक अनुज्ञप्ति दशकों के भरोसे पर आधारित है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, हमने ग्रामीण जिलों में 19 नई शाखाएँ खोलकर अपने ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार किया, जिससे कुल ग्रामीण शाखाओं की संख्या 929 हो गई - जो **हमारे घरेलू शाखा नेटवर्क का 28% है** । हमने प्रमुख राष्ट्रीय पहलों को भी आगे बढ़ाना जारी रखा जैसे:

- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)**: 87 लाख से अधिक खातों में सेवाएं दी गईं, जिनमें कुल 3,835 करोड़ रुपये जमा हुए
- **जन सुरक्षा योजनाएं**: पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई और अटल पेंशन योजना सहित - लाखों लाभार्थियों तक पहुंच रही हैं
- **पीएम-कुसुम योजना:** आइओबी सूर्या और सूर्या बी योजनाओं के तहत सौर ऊर्जा चालित कृषि ऋण की सुविधा
- **पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि): 50,103 स्ट्रीट वेंडर्स को ₹108.21 करोड़** के ऋण स्वीकृत कर सहायता प्रदान की गई ; इनमें से **47,400 खातों में कुल ₹102.54 करोड़ संवितरित किए गए** , जिससे सूक्ष्म उद्यमियों को व्यवसाय निरंतरता बनाए रखने और क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में मदद मिली।

लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर और ऋण, बीमा और पेंशन योजनाओं तक पहुंच को सक्षम करके, हम जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण और ग्रामीण लचीलेपन -निवेशक प्रतिनिधि के वाहक के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करते हैं।

सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक विश्वास

फिनटेक के साथ मजबूत साझेदारी बनाना जारी रखते हैं । वर्ष के दौरान प्रमुख गठबंधनों में शामिल हैं:

- **इरेडा :** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का सह-वित्तपोषण करेगी
- **आइजीबीसी :** हरित-प्रमाणित भवन वित्त को बढ़ावा देना
- **पीसीएएफ :** वित्तपोषित गतिविधियों से जीएचजी उत्सर्जन के मानकीकृत माप के लिए

ये सहयोग वाणिज्यिक लाभ से आगे बढ़कर, सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करने, वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और बैंक को राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने तक सीमित नहीं हैं।

हमने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन मंचों, ग्राहक प्रतिक्रिया सत्रों और डिजिटल जागरूकता अभियानों के माध्यम से नियामकों और नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव किया।

जिम्मेदार बैंकिंग और सामुदायिक सहभागिता

ग्राहक अधिकार नीति, प्रभावी शिकायत समाधान प्रणाली और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के नियमित संवेदीकरण जैसी पहलों के माध्यम से निष्पक्षता, पारदर्शिता और शिकायत निवारण को प्राथमिकता देते हैं ।

हमारे **वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी)** - स्नेहा के नाम से - के माध्यम से हमने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, किसानों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और पहली बार ऋण लेने वालों के बीच सूचित वित्तीय निर्णयों को बढ़ावा दिया। हमने लक्षित ऋण योजनाओं और कार्यस्थल समानता पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का भी समर्थन किया और वृद्ध लोगों और दिव्यांगों के लिए सुलभ बैंकिंग में निवेश करना जारी रखा।

ये सतत प्रयास हमारे इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि दीर्घकालिक वित्तीय प्रदर्शन के साथ सामाजिक विश्वास, सामुदायिक विकास और समावेशी प्रगति भी होनी चाहिए।

प्राकृतिक पूंजी

एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक भारत के कम कार्बन, संधारणीय भविष्य की ओर बढ़ने को सुविधाजनक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु जोखिम एकीकरण और हरित वित्तपोषण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता प्राकृतिक पूंजी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को निर्देशित करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में, हमने राष्ट्रीय संधारणीयता लक्ष्यों और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ अपनी ऋण प्रथाओं, साझेदारियों और जोखिम रूपरेखाओं को संरेखित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए। हमारा मानना है कि बैंकिंग में विकास को वित्तपोषित करने और इस बात को प्रभावित करने की शक्ति है कि विकास किस तरह से ग्रह का सम्मान और सुरक्षा करता है।

प्रमुख उपलब्धियां :

- **₹159.45 करोड़**
  नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना ऋण
- **₹717.29 करोड़**
  सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना ऋण

प्रभावित हितधारक

निवेशक

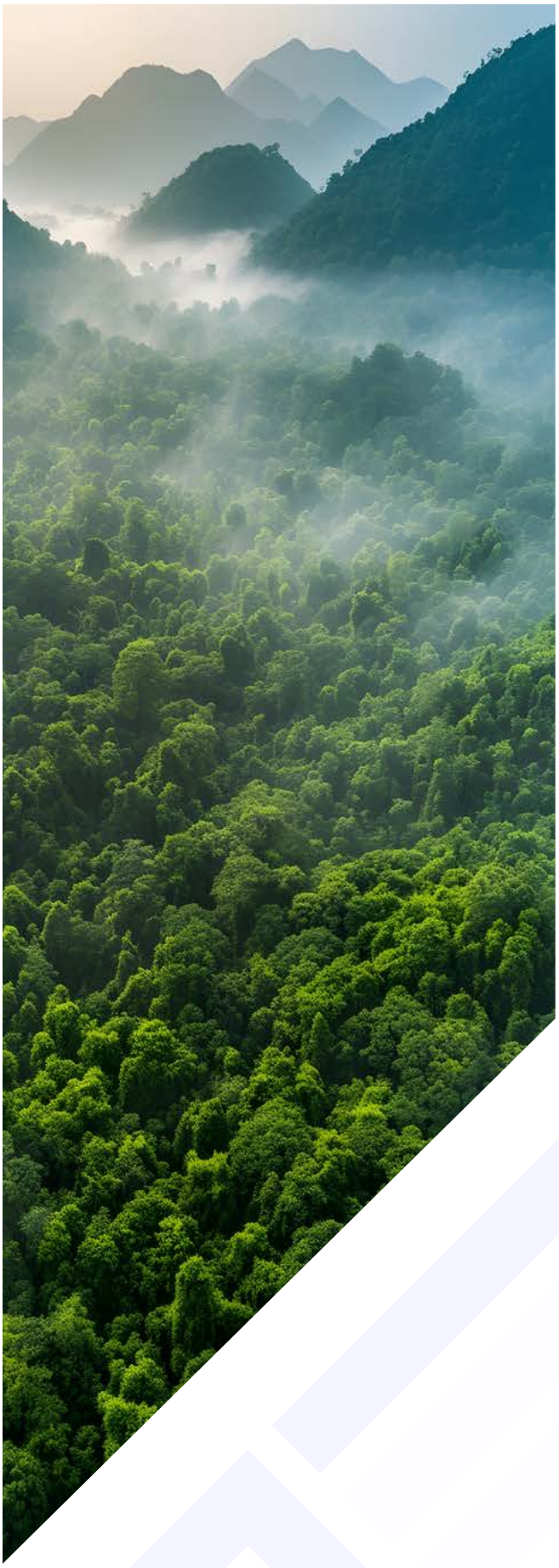
समुदाय

प्रभावित सतत विकास लक्ष्य



सम्बद्ध महत्वपूर्ण मुद्दे

- जीएचजी उत्सर्जन
- ईएसजी निरीक्षण



टिकाऊ भविष्य के लिए हरित वित्तपोषण

आइओबी ने अपने ग्रीन लेंडिंग पोर्टफोलियो को काफी हद तक बढ़ाया है, विशेष योजनाएं पेश की हैं जो सीधे स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी प्रक्रियाओं को अपनाने में योगदान देती हैं। प्रमुख ग्रीन उत्पादों में शामिल हैं:

- **आइओबी तेजस** - एमएसएमई के लिए सौर ऊर्जा उपकरणों का वित्तपोषण
- **आइओबी सूर्या और सूर्या बी** - व्यक्तियों और संस्थानों के लिए छत पर सौर ऊर्जा स्थापना का समर्थन करना
- **आइओबी एचएल सूर्या** - आवास ऋण ग्राहकों को आकर्षक शर्तों के साथ सौर प्रणालियों के वित्तपोषण में सक्षम बनाना

31 मार्च 2025 तक, बैंक की ईएसजी-संरेखित ऋण बही में शामिल हैं:

- सतत जल और कचरा प्रबंधन में ₹717.29 करोड़
- गैर-योजनाबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में ₹350.39 करोड़
- सामाजिक अवसंरचना ऋण में ₹415.46 करोड़
- नवीकरणीय ऊर्जा में ₹159.45 करोड़
- इलेक्ट्रिक वाहन ऋण में ₹121.20 करोड़
- सूर्या लोन में ₹32.33 करोड़ और तेजस लोन में ₹46.84 करोड़

ये प्रयास स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का समर्थन करते हैं तथा उधारकर्ताओं को परिचालन उत्सर्जन कम करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने तथा ऊर्जा तक पहुंच में सुधार करने में सहायता करते हैं।

ऋण निर्णयों में जलवायु जोखिम को शामिल करना

यह समझते हुए कि पर्यावरण क्षरण बैंकिंग परिचालन के लिए भौतिक जोखिम पैदा करता है, आइओबी ने अपने ऋण मूल्यांकन ढांचे में जलवायु संबंधी विचारों को एकीकृत करना शुरू कर दिया है। वित्तवर्ष 25 के दौरान, बैंक ने ₹100 करोड़ से अधिक जोखिम वाले उधारकर्ताओं के लिए जलवायु जोखिम प्रश्नावली शुरू की, जिससे क्रेडिट टीमों को भौतिक और संक्रमण जोखिमों के जोखिम का आकलन करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडबल्यू) के सहयोग से एक जिला-स्तरीय भौतिक जोखिम हीट मैप विकसित किया गया, जिससे जलवायु-संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों के बारीक जोखिम विश्लेषण को सक्षम किया जा सके। इन उपकरणों को वर्तमान में केंद्रीय कार्यालय स्तर पर लागू किया जा रहा है और व्यापक ऋण निर्णय लेने में उत्तरोत्तर संस्थागत किया जा रहा है।

बैंक ने इन सिद्धांतों को अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और उत्पाद डिजाइन में और अधिक शामिल करने के लिए एक व्यापक ईएसजी और जलवायु जोखिम समाधान के लिए एक आरएफपी भी जारी किया।

रणनीतिक साझेदारियां और रूपरेखा अपनाना

अपने पर्यावरणीय परिवर्तन को गति देने के लिए, आइओबी ने स्थिरता पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख संस्थानों के साथ रणनीतिक सहयोग किया। बैंक ने प्रमाणित हरित इमारतों के लिए वित्त को बढ़ावा देने के लिए भारतीय हरित भवन परिषद (आइजीबीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स (पीसीएएफ़) के लिए भागीदारी पर भी हस्ताक्षरकर्ता बन गया - एक वैश्विक गठबंधन जो बैंकों को उनके ऋण और निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े जीएचजी उत्सर्जन को मापने और प्रकट करने में सहायता करता है।

ये साझेदारियां स्थिरता-संरेखित परियोजनाओं और डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करती हैं और बैंक को जलवायु प्रकटीकरण और प्रभाव प्रबंधन के लिए वैश्विक रूप से सामंजस्यपूर्ण ढांचे को अपनाने में मदद करती हैं।

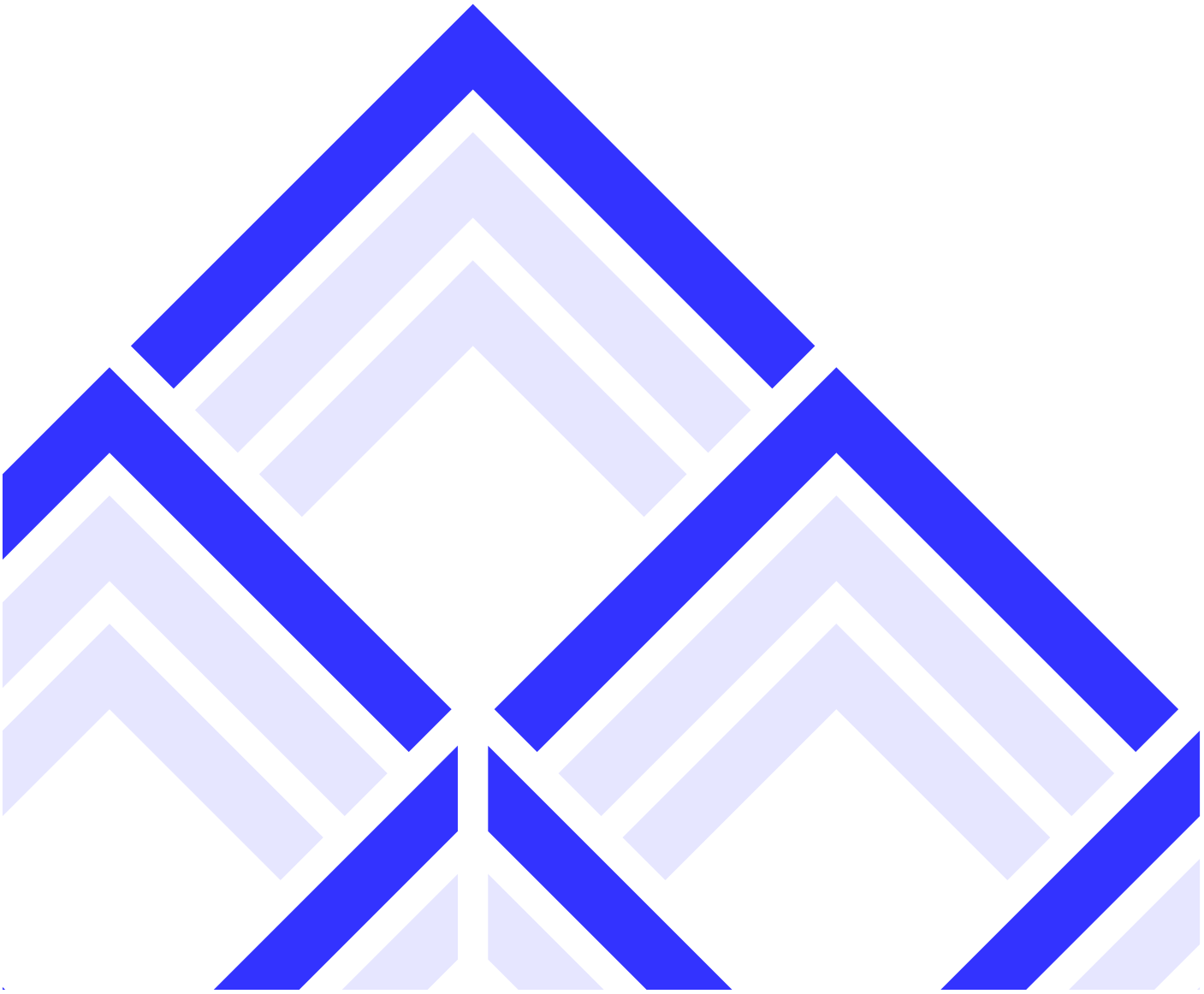
पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देना

आइओबी अपने परिचालन लोकाचार और हितधारक संचार में पर्यावरण चेतना को सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है। बैंक ने शाखाओं और ग्राहक संपर्क बिंदुओं में स्थिरता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अपने ईएसजी शुभंकर "श्री हरित" को लॉन्च किया। आंतरिक रूप से, हम ई-नोट्स, स्वचालित एमआईएस और इलेक्ट्रॉनिक सेवा वर्कफ़्लो जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से कागज रहित प्रसंस्करण की दिशा में काम कर रहे हैं। आइओबी पीएम-कुसुम जैसे सरकारी कार्यक्रमों का भी समर्थन करता है, जो सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि समाधानों को वित्तपोषित करता है जो डीजल और ग्रिड पावर पर निर्भरता को कम करते हैं।

जबकि औपचारिक जीएचजी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य पर काम चल रहा है, बैंक ने बाहरी परामर्शदाताओं की मदद लेकर तथा आंतरिक प्रभाव का आकलन करके अपनी कार्बन तटस्थता की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए कदम उठाए हैं।



पचीसवीं सामान्य वार्षिक बैठक की सूचना



शेयरधारकों को सूचना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 57 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित कार्य करने के लिए **बुधवार दिनांक 02 जुलाई 2025 को सुबह 11:00 (आइएसटी) बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम)** के माध्यम से अपने शेयरधारकों की **पचीसवीं सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम)** का आयोजन करेगा।

सामान्य कार्य

कार्यसूची मद संख्या 1:

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडआलोन एवं समेकित लाभ और हानि खाता एवं वार्षिक नकदी प्रवाह विवरण, बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तुलन पत्र और खातों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए उस तिथि को बैंक के लेखा-परीक्षित स्टैंडआलोन एवं समेकित तुलन पत्र एवं खातों पर चर्चा के अनुमोदन और उसे अंगीकरण करने के लिए ।

विशेष कार्य

कार्यसूची मद संख्या 2:

बैंक की गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकारी नामिती निदेशक) के रूप में सुश्री नीलम अग्रवाल की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 05 अगस्त 2024 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं 6/2(ii)/2022-बीओ.आई के तहत **सुश्री नीलम अग्रवाल** की नियुक्ति को बैंक के **गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकारी नामिती निदेशक)** के रूप में तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के अगले आदेश तक, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 3:

श्री दीपक शर्मा की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकित) करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) एवं उपधारा (3ए) के खंड (एच) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित, भारत सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना ईएफ़. सं. 6/ 1(V)/ 2024- बीओ. आई के तहत **श्री दीपक शर्मा को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकन)** को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, अथवा भारत सरकार द्वारा जारी आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 4:

श्री बी चंद्रा रेड्डी की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकित) करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) एवं उपधारा (3ए) के खंड (एच) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित, भारत सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना

ईएफ़. सं. 6/ 1(VI)/ 2024- बीओ. आई के तहत **श्री बी चंद्रा रेड्डी को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकन)** को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, अथवा भारत सरकार द्वारा जारी आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 5:

श्री सुरेश कुमार रूंगटा की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकित) करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) एवं उपधारा (3ए) के खंड (एच) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित, भारत सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना ईएफ़. सं. 6/ 1(VII)/ 2024- बीओ. आई के तहत **श्री सुरेश कुमार रूंगटा को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकन)** को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, अथवा भारत सरकार द्वारा जारी आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 6:

मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करना ।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24(ए) एवं अन्य लागू कानूनों, यदि कोई हों, के अनुसरण में सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों (जिनमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुपालन में मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव (पंजीकरण संख्या: एस2017टीएन472300) को बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक पांच वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के लिए ₹1,40,000/- प्रति वर्ष (लागू कर सहित) के शुल्क पर बैंक के शेयरधारकों से एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

"**संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड की किसी समिति और/या निदेशक(ओं) और/या बैंक के अधिकारी(यों)/ कर्मचारी(यों) को उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी दस्तावेजों, अनुबंधों, समझौतों, कार्यों और लेखों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्य, कार्य, मामले और चर्चाएँ करने के लिए, जिन्हें पूर्वोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक समझा जाता है, प्रदत्त अपनी सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को बैंक के शेयरधारकों से एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 7

अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / राइट इश्यू / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करने / म्यूचुअल फंड / क्यूआइबी या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से, एक या अधिक किश्तों में रुपये 4000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाना ।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक

मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2018 (आइसीडीआर विनियम) जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (बीआर अधिनियम), सेबी (सूचीगत बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (एलओडीआर) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त के आधार पर और विनियमन 4(ए) के प्रावधानों के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति से बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और आज की तारीख में किसी भी हालत में कुल इशू साइज़ रु. 4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) से अधिक नहीं होगा व यह बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में अधिनियम की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की निर्धारित सीलिंग की हद तक जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआइ"), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआइबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआइआइ"), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, वह भी इस तरह कि केन्द्र सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन को एक या अधिक किश्तों में या सार्वजनिक प्रस्ताव के अनुवर्तन / अधिकार मामले / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करने / म्यूचुअल फंड / क्यूआइबी या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से या अति आबंटन के विकल्प सहित या विकल्प के बिना किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन बंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 ("आइसीडीआर विनियमन") और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा उस समय प्रभावी किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा ।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहॉ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (सूचीगत बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015, ("एलओडीआर"), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के प्रावधान जो 2008 तक संशोधित हैं, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (गैर डेट लिखत) नियम 2019, एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्तन

विभाग और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति/ या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्र सरकार का धारण बैंक की प्रदत्त पूंजी में 52% से कम न हो और यह प्लेसमेंट या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय 2 (एसएस) नियम के अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक प्लेसमेंट (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन और/ या प्लेसमेंट दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर, जो कि आइसीडीआर विनियमनों के भाग 6 के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीबद्धता करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमनों के नियम व शर्तों के अनुसार बोर्ड को एतद्द्वारा वैसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, को जारी किए गए एक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** क्वालिफाएड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआइपी) के मामले में आइसीडीआर विनिमयनों के अध्याय VI के अनुसरण में:

क) आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अर्थ के भीतर केवल योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए प्रतिभूतियों का आवंटन होगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से भुगतान की जाएंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख) आइसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक फ्लोर प्राइस पर पांच प्रतिशत की अधिकतम छूट तक शेयरों को ऑफर करने के लिए अधिकृत है जैसा कि विनियमनों के अनुसरण में निर्धारित किया गया है।

ग) प्रतिभूतियों के फ्लोर प्राइस के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि आइसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड के पास प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति होगी जैसा कि भारत सरकार / आरबीआइ / सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उनकी मंजूरी, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/ देते समय इश्यू, आबंटन या उसे सूचीबद्ध करने के लिए अपेक्षित या आरोपित किया जा सकता है और जैसा कि बोर्ड द्वारा माना गया है और इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से किसी और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** अनिवासी भारतीय/ एफआइआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** नए इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों का निर्गम और आबंटन, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 जैसा समय-समय पर संशोधित विनियमों के अधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रूप से रैंक करेगा, जिसमें घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो वैधानिक दिशानिर्देश जो इस तरह की घोषणा के समय लागू होते हैं, के अनुसार होगा ।

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के किसी भी मुद्दे या आवंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड को सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं। प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और समझौतों को निष्पादित करें, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से, आवश्यक, उचित या वांछनीय समझते हैं, और पब्लिक ऑफर, इश्यू, आवंटन और इश्यू से प्राप्ति के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाइयों या संदेह को निपटाने या निर्देश देने के लिए निर्देश या निर्देश दे सकते हैं। नियमों और शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, परिवर्तनों, विलोपन, परिवर्धन को स्वीकार करने और प्रभावी करने के लिए, जैसा कि यह, अपने पूर्ण विवेक में, बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, बिना शेयरधारकों के किसी और अनुमोदन की आवश्यकता के इस संकल्प

द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति का बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि किसी बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर(रों), अंडरराइटर(रों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), ऑडिटर(रों) और ऐसी सभी एजेंसियो के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं में शामिल होने और निष्पादित करने के लिए, जो इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हैं और ऐसी सभी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी तरह की पारिश्रमिक देने के लिए और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रवेश करना और उन्हें निष्पादित करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** उपरोक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझने पर शेयर/प्रतिभूतियां आवंटित किए जाने वाले निवेशकों के वर्ग सहित लीड मैनेजर्स, अंडरराइटर्स, सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/ रूपांतरण/ वारंटों के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के रूपांतरण या मोचन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण पर प्रीमियम, ब्याज दर, रूपांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बुक क्लोजर का निर्धारण और संबंधित या आकस्मिक मामले निर्गम(ओं) के स्वरूप और शर्तों का निर्धारण, भारत में और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से अनभिदत्त शेयर/प्रतिभूतियां, को बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले तथा कानून द्वारा अनुमेय तरीके से निपटाया जा सकता है तथा बोर्ड उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक/निदेशकों अथवा इसके पश्चात गठित निदेशक समिति को इसमें प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित करते हेतु उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड एतद्द्वारा ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है जो वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए , कठिनाई या संदेह जो शेयरों / प्रतिभूतियों के मुद्दे के संबंध में उत्पन्न हो सकता है और आगे ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप देने के लिए और निष्पादित करने के लिए जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो सकता है जिसके लिए शेयरधारकों की किसी और सहमति या अनुमोदन या अंत और मंशा के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी चूंकि शेयरधारकों द्वारा पूर्ण विवेक के साथा संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया माना जाएगा।"

कार्यसूची मद संख्या 8:

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूंजी जुटाने की योजना के अनुसार, ₹4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की समग्र सीमा के भीतर ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के चुकता इक्विटी शेयरों की एक या एक से अधिक किस्तों में, ऐसे स्थायी कर्मचारियों को, चाहे वे भारत में या भारत के बाहर कार्यरत हों, कर्मचारी शेयर खरीद योजना के तहत सृजित करना, प्रदान करना, प्रस्तावित करना, जारी करना और आवंटित करना, जिसे आगे आइओबी-ईएसपीएस 2025-26 के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**यह भी संकल्प लिया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीगत बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015, ("एलओडीआर"), इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ एलओडीआर (अधिनियमित किसी भी संशोधन या पुन: सहित) के अनुसार किए गए समान लिस्टिंग समझौतों के प्रावधानों और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियमन 4ए और (किसी भी वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संशोधन(नों), संशोधन(नों) या समय-समय पर पुनः अधिनियमित) ("सेबी विनियम"), और जहां भी लागू हो आरबीआई, भारत सरकार, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज (ओं) के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन और किसी भी स्तर पर किसी भी प्राधिकरण के किसी भी लागू अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी के अधीन और किसी भी शर्त और संशोधन के अधीन, जैसा कि ऐसे अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी देते समय ऐसे अधिकारियों द्वारा निर्धारित या प्रभारित किया जाए

और जिस पर बोर्ड सहमत हो और उसे स्वीकार करे, बोर्ड को इस बात की सहमति दी जाती है कि वह बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ₹4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की समग्र सीमा के भीतर ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के इतनी संख्या में चुकता इक्विटी शेयर एक या एक से अधिक किस्तों में, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जाता है, ऐसे स्थायी कर्मचारियों को, चाहे वे भारत में कार्यरत हों या भारत के बाहर, इस अभिव्यक्ति में बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक(ओं) ("कर्मचारी") शामिल होंगे, सभी उद्देश्यों के लिए और सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ इस तरह से समतुल्य रैंकिंग कि भारत की केंद्रीय सरकार हर समय बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 52% से कम नहीं होगी, जिसमें लाभांश का भुगतान भी शामिल है तथा जैसा कि बोर्ड द्वारा कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के तहत तय किया जाता है, ऐसी कीमत या कीमतों पर, और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से तय कर सकता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम 2021 के विनियम 15 या उसके किसी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप करेगा।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड को "इण्डियन ओवरसीज़ बैंक – कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना, 2025-26 (आइओबी-ईएसपीएस 2025-26)" के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए समान लिस्टिंग समझौतों और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के नियमों और शर्तों के अनुसार आवंटित इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है और समय-समय पर "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" के नियमों और शर्तों में कोई भी संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, परिवर्तन या संशोधन करने के लिए अधिकृत किया जाता है कि बोर्ड "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" को ऐसे नियमों और शर्तों पर लागू करने, तैयार करने, विकसित करने, निर्णय लेने और प्रभाव में लाने के लिए अधिकृत है, जैसा कि बोर्ड अपने विवेक से निर्धारित करना जिसमें मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंड के संबंध में संशोधन या "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" को निलंबित करना, वापस लेना, समाप्त करना या संशोधित करना शामिल है और साथ ही "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" के कार्यान्वयन और प्रस्तावित "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" के अनुसार जारी किए जाने वाले शेयरों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं का निपटारा करने के लिए अधिकृत किया जाता है, शेयरधारकों की किसी और सहमति या अनुमोदन या अन्यथा इस उद्देश्य और इरादे के लिए कि शेयरधारकों को इस संकल्प के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी गई मानी जाएगी।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को निदेशकों की समिति, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे कि वह सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 और अन्य लागू कानूनों के अनुपालन में उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त समझे, इसमें उसे प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को सौंपने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मण्डल की ओर से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

-हस्ता/-

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 06, जून 2025

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व सीईओ

नोट्स

क) व्याख्यात्मक कथन(नों) :

बैठक के कार्रवाई के संबंध में भौतिक तथ्यों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण एतदर्थ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

ख) कोविड -19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर, एमसीए (कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, संख्या 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, संख्या 33/2020 दिनांकित सितंबर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 एवं परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित दिसंबर 28, 2022, **परिपत्र सं 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर 2024** एवं सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2021/

11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 47 दिनांकित अप्रैल 8, 2022 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022 एवं **सेबी/एचओ/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/ सीआइआर/2024/133 दिनांकित 03 अक्तूबर 2024** के माध्यम से कंपनियों को 30 सितंबर 2025 की अवधि तक शेयरधारकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है । सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है। अत: शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं।

बैंक ने **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को एजीएम हेतु वीसी/ ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और एजीएम के आयोजन करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है ।

सेबी एवं एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में **वार्षिक रिपोर्ट 2024-25** सहित एजीएम नोटिस की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । शेयरधारक यह नोट करें कि यह नोटिस बैंक की वेबसाइट **www.iob.in** पर अपलोड किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 सहित नोटिस को स्टॉक एक्सचेजों यानि नेशनल स्टॉक़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.nseindia.com** एवं **www.bseindia.com** से प्राप्त किया जा सकता है एवं एजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।

ग) **भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक एजीएम नोटिस** प्राप्त करने हेतु **https://wisdom.cameoindia.com** लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं। बैठक का आयोजन 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में किया जाएगा।

घ) **मताधिकार :**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 2 के उपखंड 2ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा बैंक का **कोई भी शेयरधारक** अपनी कितनी भी शेयरधारिता के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों** के प्रयोग के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे ।

निर्धारित की गई अंतिम तिथि **बुधवार, दिनांक 25 जून 2025, जो अंतिम तिथि होगी** तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एजीएम में प्रतिभागिता के लिए पात्र होंगे । भौतिक अथवा अमूर्त रूप में शेयरों को धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2003 के विनियम 10 के अनुसार मतदान के संबंध में किसी भी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम पंजी में पहले दर्ज़ होगा उसे ही मूल धारक समझा जाएगा । अत: शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर होने की स्थिति में केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और केवल वह ही दूरस्थ माध्यम से कार्यसूची पर या तो ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

ङ) **दूरस्थ ई- वोटिंग**

सेबी विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 (एलओडीआर) एवं एमसीए (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय) परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, परिपत्र सं 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित सितम्बर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित जनवरी 13, 2021, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित दिसंबर 28, 2022, परिपत्र सं 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर 2024 तथा सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 47 दिनांकित अप्रैल 08, 2022 एवं सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022 तथा सेबी/एचओ/ सीएफडी/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआइआर/ 2024/133 दिनांकित 10 अक्तूबर 2024 का संदर्भ लेते हैं । बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकीकृत सूचीबद्ध समझौते के अनुसार बैंक ने नोटिस में वर्णित मद पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए ने **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है । **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है ।** शेयरधारकों / लाभार्थियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में ही उनके मताधिकारों को गणना के लिए

बुधवार दिनांक 25 जून 2025 को अंतिम के रूप में लिया जाएगा । बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रुप में हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रुप में डाल सकते हैं । बैंक ने मेसर्स आर. श्रीधरन एवं एसोसिएटस के श्री आर. श्रीधरन, कंपनी सचिव (एफसीएस सं. 4775) (सीपी. सं. 3239) को रिमोर्ट वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम के दिन ई-वोटिंग प्रक्रिया सही एवं निष्पक्ष रूप में आयोजित करने के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:

माध्यम 1 : डीमैट मोड में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पहुंच।

माध्यम 2 : भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

i. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2025 को सुबह 09.00 (आइएसटी) बजे से शुरू होगी और मंगलवार दिनांक 01 जुलाई 2025 को सायं 05.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान निर्धारित की गई अंतिम तिथि 25 जून 2025 तक भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

ii. ऐसे शेयरधारक जो बैठक तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे इस बैठक में मतदान के हकदार नहीं होंगे।

iii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत सेबी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है ।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं । इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आइडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है ।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

iv) सेबी के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020**,** सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है । ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आइडी अपडेट करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, **डीमैट मोड सीडीएसएल/ एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल इज़ी /इजिएस्ट फैसिलिटी का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आइडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं । वहाँ बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे **www.cdslindia.com** पर जाएं और लॉग-इन आइकन और माईइजी न्यू (टोकन) टैब पर क्लिक करें। 2. सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता जहां ई-वोटिंग चल रही है ऐसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे । ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीएसडीएल की वेबसाइट **www.cdslindia.com** पर उपलब्ध है और लॉग-इन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना 8 अंकों का डीपी आइडी, 8 अंकों का क्लाइंट आइडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी सृजित करना होगा। पंजीकृत ईमेल आइडी/ मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

	1. यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आइडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जाएं । पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित यूआरएल **https://eservices.nsdl.com** टाइप करें । एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आइडीईएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। । एक नई स्क्रीन खुलेगी । आपको अपना यूज़र आइडी और पासवर्ड डालना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे । ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदता वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा।
एनएसडीएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	2. यदि उपयोगकर्ता आइडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प **https://eservices.nsdl.com** पर उपलब्ध है । "आइडीईएएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या **https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp** पर क्लिक करें । 3. पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित URL टाइप करके **https://www.evoting.nsdl.com/** एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी । जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको अपना यूजर आइडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज़ करना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)** के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं ।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं । सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे । एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा ।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आइडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आइडी और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें।

लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क डिपाजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या आने पर helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या आने पर **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री नंबर 022 4886 7000 और 022 2499 7000 पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं

भौतिक शेयरधारकों और डीमैट रूप में वैयक्तिक होल्डिंग के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति ।

1. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए ।
2. "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
3. अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें
   - सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों की लाभार्थी आइडी,
   - बी. एनएसडीएल के लिए: 8 अक्षरों की डीपी आइडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आइडी,
   - सी. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर प्रविष्ट करना चाहिए।
4. इसके बाद प्रदर्शित इमेज़ वेरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
5. यदि आपके पास डीमैट रुप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग इन कर किसी कंपनी के पूर्व ई-वोटिंग में वोट किया है, तब आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जाना है ।
6. यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, तो निम्नलिखित का पालन करें:

डीमैट में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के अलावा और भौतिक रुप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए।

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10-अंकीय अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन शेयरधारकों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में प्रविष्ट लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/ वाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास प्रविष्ट नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आइडी / फोलियो नंबर प्रविष्ट करें।

7. इन विवरणों को उचित रूप से भरने करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
8. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे । हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मेनू पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें नए पासवर्ड फ़ील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के संकल्पों के लिए वोटिंग के लिए भी किया जाना है, जिस पर वे वोट करने के पात्र हैं, बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ई - वोटिंग का विकल्प चुनते हो। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
9. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

10. एजीएम 2025 के एजेंडे की ई-वोटिंग के लिए **ईवीएसएन 250602003** पर क्लिक करें।
11. वोटिंग पेज पर आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हाँ/नहीं" विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प चुनें। "हाँ" विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
12. यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "रिज़ॉल्यूशन फ़ाइल लिंक" पर क्लिक करें।
13. संकल्प पर चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर, "सबमिट" पर क्लिक करना है । एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत को पुष्ट करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "कैंसल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें ।
14. एक बार संकल्प पर अपना वोट "पुष्टि" करने के बाद, आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15. आप मतदान पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
16. यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो उपयोगकर्ता आइडी और इमेज़ वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करें और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण प्रविष्ट करें।
17. यदि कोई बीआर/पीओए अपलोड किया गया है तो अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है, जिसे जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

ऐसे शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया :

1. **भौतिक शेयरधारकों के लिए** - कृपया ऑनलाइन निवेशक पोर्टल https://wisdom.cameoindia.com/ पर लॉग इन करके आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें ।
2. **डीमैट शेयरधारकों के लिए** -कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) सहित अपना ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।
3. **वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपना ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें, जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम/ ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नवत हैं::

1. एजीएम/ईजीएम के दिन बैठक में भाग लेने एवं ई-वोटिंग में उपस्थिति रहने का वही अनुदेश है, जो ई-वोटिंग के लिए उल्लेखित है ।
2. ई -वोटिंग के लिए उक्त उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के पश्चात, जहां बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा वही बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा ।
3. शेयरधारको को सुझाव दिया जाता है कि कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से जुड़े ।
4. आगे शेयरधारकों को बैठक के दौरान कैमरा की अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी व्यवधान से बचने के लिए अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें ।
5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण दृश्य/श्रव्य बाधा का अनुभव हो सकता है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि किसी भी तरह की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें ।
6. शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं । वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1,000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य कार्मिक प्रबंधक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें बिना किसी प्रतिबंध के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
7. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो

संख्या, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर investor@iobnet.co.in पर सूचित कर अपना अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। वक्ता शेयरधारक के पंजीकरण के लिए विंडो **20 जून, 2025 से 26 जून, 2025** तक खुली रखी जाएगी। जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रश्न हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर investor@iobnet.co.in पर बताते हुए **26 जून, 2025** से पहले अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का बैंक द्वारा ईमेल द्वारा उचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।

8. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करावाया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक शेयरधारकों को (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के नियम 58 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने शेयरधारको की गिनती गणपूर्ति के उद्देश्य से की जाएगी ।
10. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
11. एक बार जब कोई सदस्य किसी संकल्प पर वोट डाल देने के पश्चात, उसे सदस्य न परिवर्तन कर सकते हैं या न ही पुनः वोट डाल सकते हैं ।
12. यदि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई वोट डाला जाता है और यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।
13. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

अवैयक्तिक शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए नोट - केवल रिमोट वोटिंग के लिए

- अवैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात, वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और स्वयं को "कॉर्पोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करें ।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की गई प्रति, जिस पर संस्था की मुहर और हस्ताक्षर अंकित हो, उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें ।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालित उपयोगकर्ता सृजन करें। अनुपालित उपयोगकर्ता उस खाते को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें और खातों के अनुमोदन के बाद वे अपना वोट डाल सकेंगे।
- बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है , यदि कोई हो, तो उसे पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड किया जाना चाहिए ताकि जांचकर्ता उसे सत्यापित कर सकें।
- वैकल्पिक रूप से, अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें सम्बंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर उनके नमूना हस्ताक्षर को सत्यापन के बाद संवीक्षक को अनिवार्य रुप से भेजें यदि वह वैयक्तिक टैब पर दिए गए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया है तो बैंक को मेल यानी investor@iobnet.co.in पर भेजें साथ ही कॉपी rsaevoting@gmail.com को मार्क करें ।

यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com **पर ईमेल भेज सकते हैं** या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स , मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400 013 को कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल कर सकते हैं।

एफ) प्रॉक्सी की नियुक्ति:

एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, शेयरधारकों की ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। तदनुसार, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति स्लिप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

जी) अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कॉर्पोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और उसमें भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के पात्र हैं। संस्थागत/ कॉर्पोरेट शेयरधारकों (अर्थात, वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को अपने बोर्ड संकल्प या शासी निकाय संकल्प/ प्राधिकरण आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीईजी प्रारूप) भेजनी होगी, जो उनके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करेगी। उक्त संकल्प/प्राधिकरण को वार्षिक आम बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले यानी शुक्रवार, 27 जून, 2025 को शाम 4:00 बजे (आईएसटी) से पहले जांचकर्ता को उनके पंजीकृत ईमेल पते rsaevoting@gmail.com पर ईमेल द्वारा जिसकी प्रति investor@iobnet.co.in पर भेजना आवश्यक है ।

एच) पता परिवर्तन:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे औपचारिक अनुरोध, यदि कोई हो, बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेजें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
(इकाई-इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पंचम तल ,
1 क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन: 044 - 4002 0700
ऑनलाइन इंवेस्टर पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे किसी भी परिवर्तन की सूचना, यदि कोई हो, केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को ही दें।

i) पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड:

सेबी मास्टर परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/ सीआईआर/2024/37 दिनांकित 7 मई 2024 के अनुसार भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य है और यह प्रावधान करता है कि प्रतिभूति धारकों (भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले) को कोई लाभांश/ ब्याज, जिनके फोलियो में पैन या नामांकन का विकल्प या संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर या बैंक खाता विवरण या नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, वे अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश/ब्याज के किसी भी भुगतान के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे उपरोक्त सभी विवरण संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करें।

सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपने संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदनुसार, यह एक बार पुन: दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को उपर्युक्त सभी विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित फॉर्म में वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत नीचे उल्लिखित पते पर आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्रमांक	रूप	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर -1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए
2	फॉर्म आईएसआर -2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3	फॉर्म आईएसआर -3	नामांकन 4 से बाहर निकलने के लिए घोषणा प्रपत्र
4	फॉर्म आईएसआर -13	नामांकन फार्म
5	फॉर्म आईएसआर -14	नामांकन रद्द करना या उसमें परिवर्तन (यदि कोई हो)

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड.
(इकाई-इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमण्यम बिल्डिंग, पंचम तल,
1 क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन: 044 - 4002 0700
ऑनलाइन इंवेस्टर पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

जे) भौतिक होल्डिंग्स का अमूर्तीकरण :

सेबी ने 01 अप्रैल 2019 से सूचीबद्ध कंपनियों को भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोध को स्वीकार करने से रोकने के लि ए सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएंऔर प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया है। इसके अलावा, संशोधन 2022 के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि भौतिक या डीमैट रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा । जो शेयरधारक इस तिथि के बाद भी भौतिक रूप में शेयर रखना जारी रखते हैं, वे आगे के हस्तांतरण के लिए बैंक/उसके आरटीए के पास शेयर जमा नहीं कर पाएंगे। अगर वे कोई हस्तांतरण करना चाहते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से उन्हें डीमैट रूप में परिवर्तित करना होगा। आरटीए द्वारा केवल भौतिक रुप में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और हस्तांतरण के अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे ।

उपर्युक्त संशोधन के मद्देनजर, बैंक के शेयरधारकों, जो इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के भौतिक शेयर रखते हैं, को एक बार फिर सूचना दी जाती है कि वे अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज़ करवा लें। शेयरधारक किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से दो डिपॉजिटरी, यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में से किसी में भी डीमैट खाता खोल सकते हैं।

के) शेयरों के अमूर्तीकरण के लाभ:

शेयर प्रमाणपत्र के खोने और टूट-फूट का कोई खतरा नहीं, प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका, प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई और कम लेन-देन लागत आदि।

एल) रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम:

संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के समापन के पश्चात, प्रथमत: एजीएम के दौरान डाले गए वोटों की गणना करेंगे, उसके बाद एजीएम समापन के 48 घंटे के भीतर, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देना बंद करवाएंगे । पक्ष में या विपक्ष में पड़े कुल वोट की एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति या अध्यक्ष, जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। वेबसाइट अपनी वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों के साथ एजीएम के दौरान ई वोटिंग के परिणाम घोषित करेगा और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित करेगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

- ह/-

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व सीईओ

स्थान: चेन्नै
दिनांक : 06, जून 2025

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद सं. 2

सुश्री नीलम अग्रवाल की बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्ति।

बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना ईएफ संख्या 6/2 (ii) / 2022-बीओ.आई दिनांकित 05 अगस्त , 2024 के माध्यम से सुश्री नीलम अग्रवाल (निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। वे श्री कार्तिकेय मिश्रा के स्थान पर काम करेंगी।

सुश्री नीलम अग्रवाल भारतीय राजस्व सेवा की 2008 बैच की अधिकारी हैं। उन्हें 05.08.2024 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सुश्री नीलम अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें आयकर विभाग में विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यभार संभालने का एक दशक से भी अधिक का व्यापक अनुभव है।

सुश्री नीलम अग्रवाल ने रांची विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है। भारतीय राजस्व सेवा में शामिल होने से पहले, उन्हें झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए चुना गया था और उन्होंने कुछ वर्षों तक झारखंड राज्य में सेवा की।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।
परस्पर निदेशकत्व : शून्य
अन्य निदेशकत्व: शून्य

सुश्री नीलम अग्रवाल या उनके रिश्तेदार के अतिरिक्त बैंक के कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों की बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम की संलग्न सूचना में निर्धारित सामान्य संकल्प की मद संख्या 2 से सम्बंधित अथवा हितबद्ध नहीं है ।

कार्यसूची मद सं. 3

श्री दीपक शर्मा की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनः नामांकन)।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) और उपधारा (3ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना ईएफ.सं.6/1(वी)/2024-बीओ.आई दिनांकित 11 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री दीपक शर्मा को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि अर्थात 11 अप्रैल, 2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर -सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

श्री दीपक शर्मा को 11 अप्रैल, 2025 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में पुन: नामित किया गया है। उनके पास रियल एस्टेट उद्योग में व्यापक अनुभव है। साथ ही उनके पास वित्त, कानूनी और अनुपालन, नेतृत्व कौशल, परियोजना प्रबंधन और संचालन के अनूठे संयोजन में प्रासंगिक अनुभव है। साथ ही उन्होंने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न पदों पर भी काम किया है।

श्री दीपक शर्मा के पास बी.कॉम, ईपीजीडीआईबी (आईआईएफटी), एलएलबी, एलएलएम (रियल एस्टेट) की योग्यता है।

बैंक के निदेशक के रूप में पिछला कार्यकाल: 21.12.2021 से 20.12.2024 तक।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।
परस्पर निदेशकत्व : शून्य
अन्य निदेशकत्व: शून्य

श्री दीपक शर्मा या उनके रिश्तेदार के अतिरिक्त बैंक के कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों की बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम की संलग्न सूचना में निर्धारित विशेष संकल्प की मद 3 संख्या से सम्बंधित अथवा हितबद्ध नहीं है ।

कार्यसूची मद सं . 4

श्री बी. चंद्रा रेड्डी की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनः नामांकन)।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) और उपधारा (3ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना ईएफ.सं.6/1(vi)/2024-बीओ.I दिनांकित 11 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री बी. चंद्रा रेड्डी को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि अर्थात 11 अप्रैल, 2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

श्री बी. चंद्रा रेड्डी को 11 अप्रैल, 2025 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में पुन: नामित किया गया है। उन्हें ऑडिटिंग का व्यापक अनुभव है। इससे पहले वे 2020-2021 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वैधानिक बैंक ऑडिटर थे। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न पदों पर भी काम किया है।

वह भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के फेलो सदस्य हैं और वाणिज्य में मास्टर डिग्री रखते हैं ।

बैंक के निदेशक के रूप में पिछला कार्यकाल: 21.12.2021 से 20.12.2024 तक।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व: शून्य

श्री बी. चन्द्र रेड्डी या उनके रिश्तेदार के अतिरिक्त बैंक के कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों की बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम की संलग्न सूचना में निर्धारित विशेष संकल्प की मद संख्या 4 से सम्बंधित अथवा हितबद्ध नहीं है ।

कार्यसूची मद सं . 5

श्री सुरेश कुमार रूंगटा की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनः नामांकन)।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड (3) के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) और उपधारा (3ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना ईएफ.सं.6/1(vii)/2024-बीओ.I दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री सुरेश कुमार रूंगटा को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि अर्थात 11 अप्रैल, 2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

श्री सुरेश कुमार रूंगटा को 11 अप्रैल, 2025 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में पुनः मनोनीत किया गया है। उन्होंने कोषाध्यक्ष के रूप में बिहार राज्य में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्होंने बिहार वैट (2005 से) की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसके अलावा उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं।

उन्होंने बिहार के आर्थिक, ग्रामीण विकास और कृषि संबंधी मुद्दों पर नियमित रूप से आज, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर आदि जैसे प्रमुख हिंदी दैनिकों में योगदान दिया है।

उन्होंने वाणिज्य (वित्त) में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

बैंक के निदेशक के रूप में पिछला कार्यकाल: 21.12.2021 से 20.12.2024 तक।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व: शून्य

श्री सुरेश कुमार रूंगटा या उनके रिश्तेदार के अतिरिक्त बैंक के कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों की बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम की संलग्न सूचना में निर्धारित विशेष संकल्प की मद संख्या 5 से सम्बंधित अथवा हितबद्ध नहीं है ।

कार्यसूची मद सं . 6

मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज को वित्त वर्ष 2025-2026 से वित्त वर्ष 2029-2030 तक 5 वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) ('एलओडीआर') विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार, सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन से बोर्ड की अनुशंसा पर की जाएगी।

तदनुसार, बोर्ड ने शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु 1,40,000/- रुपये प्रति वर्ष (व लागू कर) के शुल्क पर वित्त वर्ष 2025-2026 से वित्त वर्ष 2029-2030 तक 5 वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में समकक्ष समीक्षा प्राप्त फर्म मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स (एसएसए), कंपनी सेक्रेटरीज एक एकीकृत सीएस फर्म है जिसे वर्ष 2017 में शुरू किया गया था और यह कॉर्पोरेट कानूनों और अनुपालनों पर केंद्रित है। फर्म को सचिवीय ऑडिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, ईएसओपी ऑडिट, लेबर ऑडिट आदि को संभालने का व्यापक अनुभव है। फर्म के पास 27.11.2024 को जारी किया गया पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 6279/2024 है और यह 30.11.2029 तक वैध है ।

एमएस श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स ने पुष्टि की है कि फर्म पर कोई अयोग्यता नहीं है और वह सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1ए) के अनुसार बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है।

सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1बी) के दायरे में आती हैं, जिसे सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/सीआईआर/पी/2024/185 दिनांक 31 दिसंबर, 2024 के साथ पढ़ा जाए ।

बैंक के किसी भी निदेशक और/या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदारों का, वित्तीय या अन्यथा, वार्षिक आम बैठक की सूचना के उल्लिखित साधारण संकल्प की मद संख्या 06 से सम्बंधित अथवा हितबद्ध नहीं है ।

कार्यसूची मद सं. 7

अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/ अधिकार निर्गम /योग्य संस्थागत प्लेसमेंट/सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों को तरजीही आधार पर शेयर जारी करने / म्यूचुअल फंड/ क्यूआईबी या किसी अन्य तरीके या इनके संयोजन के माध्यम से एक या एक से अधिक किस्तों में 4000 करोड़ रुपये (शेयर प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु ।

1. आरबीआई के बेसल III दिशानिर्देशों का पालन करने और एक मजबूत पूंजी आधार रखने के लिए जिससे व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक पूंजी सहायता प्रदान की जा सके, बैंक को पूंजी की निरंतर आवश्यकता होती है।

2. भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 520 (ई) दिनांकित 30 जुलाई 2021, आगे प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम (एससीआरआर), 1957 के तहत संशोधित प्रावधान और एससीआरआर में उक्त संशोधन के संदर्भ में, केंद्र सरकार जनहित में किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को एससीआरआर के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है।

3. इसके बाद, केंद्र सरकार ने अपने पत्र संदर्भ सं. एफ.सं. 1/14/2018-पीएम (भाग) दिनांकित 19 जुलाई 2024 के जरिए सेबी को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने जनहित में निर्णय लिया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जैसा कि एससीआरआर, 1957 में परिभाषित है, जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता पच्चीस प्रतिशत से कम है और जो एससीआरआर, 1957 के नियम 19क में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक नहीं बढ़ा सके, उन्हें अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 01.08.2026 तक छूट मिलेगी।

4. बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 2 मई 2025 को अपनी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन और अन्य आवश्यक सांविधिक / नियामक अनुमोदनों के अधीन विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु. 4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) की प्रदत्त इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है ।

5. तदनुसार, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / अधिकार इश्यू / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करने / म्यूचुअल फंड / क्यूआइबी या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने का

प्रस्ताव रखता है। मौजूदा बाज़ार स्थितियों के आधार पर बैंक द्वारा इन विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा ।

6. पूर्वोक्त इक्विटी पूंजी भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेबी आइसीडीआर विनियम और सेबी के अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों / विनियमों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के अनुपाालन और निर्धारित अन्य प्राधिकरणों से उचित अनुमोदन के साथ जुटाई जाएगी ।

7. बैंक, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ख) (ग) के अनुसाार, प्रदत्त पूँजी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। हालांकि, केंद्र सरकार, हमेशा, बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के बावन प्रतिशत से कम नहीं रखेगी।

8. एलओडीआर विनियम, 2015 के नियम 41 में प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा कोई और निर्गम या प्रस्ताव दिया जाता है, तो मौजूदा शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर उसकी पेशकश करनी है, जब तक कि साधारण बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो बैंक ओर से बोर्ड को निर्गम करने की अनुमति देने और मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करने का अधिकार होगा ।

9. यह संकल्प बैंक को फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू के माध्यम से और/या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / आरबीआइ द्वारा अनुमोदित किसी अन्य मोड पर इक्विटी शेयर/अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों को बनाने, पेश करने, जारी करने और आवंटित करने में सक्षम बनाता है। इश्यू से प्राप्त राशि बैंक को समय-समय पर आरबीआइ द्वारा निर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाएगी।

10. यह संकल्प आईसीडीआर विनियमों द्वारा परिभाषित क्वालिफाइड संस्थागत ख़रीदारों के साथ क्वालिफाइड संस्थागत प्लेसमेंट करने के लिए निदेशक मंडल को सशक्त बनाने का प्रयास करता है । शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन मांगे बिना, निदेशक मंडल अपने विवेक से बैंक के लिए धन जुटाने के लिए आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के तहत निधारित तंत्र को अपना सकता है ।

11. सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के संदर्भ में एक क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी के आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन साप्ताहिक उच्च के औसत से कम नहीं और "प्रासांगिक तिथि" से पहले दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्स्चेंज पर उद्धृत शेयर को समापन मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जा सकता है । "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ उस बैठक की तिथि से है जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी निर्गम को खोलने का निर्णय लेती है ।

12. बाजार की मौजूदा स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और अंडरराइटर्स तथा ऐसे अन्य प्राधिकरण या प्राधिकरणों के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।

13. जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत बताना संभव नहीं है, जैसा कि मूल्य निर्धारण के ऑफर को बाद के चरण के अतिरिक्त तय नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह समय-समय पर संशोधित यदि लागू हों सेबी आइसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 के प्रावधानों या कोई अन्य दिशानिर्देश/विनियम/सहमति जो लागू या आवश्यक हो के अनुसार होगा

14. पूर्वोक्त कारणों से, इस मुद्दे की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त अधिकार और विवेक देने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है ।

15. आबंटित इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ हर तरह से समान रैंक के होंगे।

16. इस उद्देश्य के लिए, बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध किया जाता है।

17. बैंक या उसका कोई भी निदेशक या प्रमोटर, इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है।

18. कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार विशेष संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं, जैसा कि नोटिस के एजेंडा आइटम नंबर 7 में निर्धारित किया गया है।

कार्यसूची मद सं. 8

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूंजी जुटाने की योजना के अनुसार, ₹4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) कुल इश्यू साइज़ के भीतर ₹10 के अंकित मूल्य के ऐसे भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों की एक या एक से अधिक किस्तों में, बनाना, देना, जारी करना और आवंटित करना ऐसे स्थायी कर्मचारियों को, चाहे वे भारत में या भारत के बाहर कार्यरत हों, जिसे आगे आइओबी-ईएसपीएस 2025-26 के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक के कार्यपालक निदेशकों ("पात्र कर्मचारी") सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारियों को "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" के तहत बताए गए नियमों और शर्तों पर या बोर्ड या इक्विटी शेयर जारी करने के लिए निदेशकों की समिति (समिति) द्वारा तय किए गए कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ इक्विटी शेयर देने का प्रस्ताव करता है:

(i) पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करना, ताकि बैंक के विकास और लाभप्रदता में योगदान देने के लिए बेहतर प्रदर्शन की दिशा में उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ii) बैंक के विकास में निरंतर सहयोग और योगदान के लिए पात्र कर्मचारियों को पुरस्कृत करना।

(iii) पात्र कर्मचारियों को बैंक में मालिकाना हक प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराकर इक्विटी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना।

यदि आवश्यकता हो तो उक्त प्रस्ताव भारत सरकार/आरबीआई/ सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य नियामक निकायों से अनुमोदन के अधीन है ।

उपरोक्तानुसार जारी इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ हर तरह से समान रैंक के होंगे।

एलओडीआर विनियम के नियम 41 में प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा कोई और निर्गम या प्रस्ताव दिया जाता है, तो मौजूदा शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर उसी की पेशकश करनी है, जब तक कि साधारण बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो बैंक ओर से बोर्ड को निर्गम करने की अनुमति देने और मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करने का अधिकार होगा ।

इसके अतिरिक्त, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ व जन्य इक्विटि) विनियम, 2021 (सेबी विनियम) के विनियम 6 व 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों की लाभ योजना सेबी विनियमों व इस संबंध में सेबी द्वारा तैयार किए गए अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी ।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमों की अनुसूची के भाग सी में उल्लिखित वर्णितानुसार, निम्नलिखित "आइओबी – ईएसपीएस 2025-26" के व्यापक निबंधन व शर्तों के साथ होगा ।

ए. योजना का संक्षिप्त विवरण

बैंक, अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों ("पात्र कर्मचारी") सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारियों को "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" के तहत बताए गए नियमों और शर्तों पर या बोर्ड या इक्विटी शेयर जारी करने के लिए निदेशक समिति (समिति) द्वारा तय किए गए क़ानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन इक्विटी शेयर देने के मंशा रखता है , अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्ताव के समय बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ₹4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की समग्र सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

बी. प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या

इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयरों की संख्या बोर्ड या इक्विटी शेयर जारी करने के लिए निदेशकों की समिति (समिति) द्वारा तय की जाएगी और यह बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ₹4,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की समग्र सीमा के भीतर होगी, ऐसे स्थायी कर्मचारियों के लिए जो भारत में कार्यरत हों या बाहर, "आइओबी-ईएसपीएस 2025-26" के तहत एक या अधिक किस्तों में होंगे।

सी. आइओबी ईएसपीएस – 2025 – 26 में भाग लेने व लाभार्थी बनने के हक़दार कर्मचारियों के वर्ग की पहचान

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक गण समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी।

डी. वेस्टिंग की आवश्यकता व वेस्टिंग की अवधि

इक्विटी शेयरों को सीधे पेश और आवंटित करने का प्रस्ताव है, इसलिए इसमें वेस्टिंग की अवधि नहीं होगी।

ई. अधिकतम अवधि (विनियमों के विनियम 18 (1) व 24 (1), जैसा भी मामला हो, के अधीन) जिसके भीतर विकल्प / एसएआरएस/ लाभ प्रदान किया जाएगा ।

लागू नहीं ।

एफ. विकल्प प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला

इक्विटि शेयरों के निर्गमन हेतु क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला का निर्धारण ऑफर के समय सेबी (एसईबीई) विनियम के अनुसार बोर्ड या निदेशकों की समिति द्वारा तय किया जाएगा ।

जी. विकल्प प्रयोग अवधि तथा विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया

बोर्ड/समिति के निर्णय के अनुसार जिस अवधि के दौरान निर्गम खुला रहेगा, वह विकल्प प्रयोग अवधि होगा। इस विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र कर्मचारियों को ऑफर देना, आवेदन और अंशदान राशि की प्राप्ति तथा योजना के अनुसार शेयरों का आवंटन शामिल होंगे ।

एच. "आइओबी - ईएसपीएस 2025-26" के लिए कर्मचारियों की पात्रता का निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

शेयरों की ऑफरिंग / निर्गमन की तारीख तक बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालय अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी जो भारत में कार्यरत हों या बाहर, लागू विनियामक अपेक्षाओं व दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने के हक़दार होंगे ।

आइ. प्रति कर्मचारी व समग्रता में जारी विकल्प, एसएआर, शेयर, जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्या

योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या का निर्णय इस प्रयोजन के लिए गठित निदेशकों की समिति द्वारा तय किया जाएगा तथा प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले प्रस्तावित शेयर बैंक की जारी चुकता पूंजी के 1% से अधिक नहीं होने चाहिए ।

जे. योजना के तहत कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा

चूंकि नए शेयरों का "आइओबी ईएसपीएस 2025-26 के तहत निर्गमन प्रस्तावित है, पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा ।

के. क्या योजना(ओं) को सीधे कंपनी द्वारा कार्यान्वित तथा एड्मिनिस्टर किया जाना है या न्यास के जरिए

आइओबी ईएसपीएस 2025-26 सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित तथा एड्मिनिस्टर किया जाएगा ।

एल. क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल है

"आइओबी ईएसपीएस 2025-26" के तहत बैंक नए इक्विटि शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी करेगा ।

एम. कंपनी द्वारा न्यास को योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोग, चुकतान निबंधन आदि

चूंकि, बैंक द्वारा "आइओबी ईएसपीएस 2025-26" के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास के गठन या न्यास को ऋण प्रदान किए जाने प्रश्न नहीं उठता ।

एन. सेकंडरी अधिग्रहण की प्रतिशतता (सेबी विनियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना(ओं) के लिए न्यास द्वारा किया जा सकता है

लागू नहीं

ओ. कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी' इस अर्थ की विवरणी

बैंक, समय-समय पर लागू होने पर सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2021 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप करेगा ।

पी. प्रक्रिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी ।

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है और इस प्रकार, विकल्प या एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं होता ।

क्यू. निम्नलिखित विवरणी, यदि लागू हो

यदि कंपनी याथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को चुनती है तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी के लाभ व प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएस") पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा । बैंक उक्त अपेक्षाओं का आवश्यकता पड़ने पर पालन करेगा ।

आर. लॉक इन अवधि:

आइओबी ईएसपीएस 2025 – 26 के तहत जारी इक्विटि शेयरों को सेबी विनियमों के अनुसार आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा ।

एस. योजना के अंतर्गत कवर की गई निर्दिष्ट प्रतिभूतियों/ विकल्पों की पुनर्खरीद, यदि कोई हो, के लिए एस. नियम और शर्तें:

यदि बैंक किसी भी समय योजना के अंतर्गत जारी किए गए शेयरों की पुनर्खरीद करना चाहता है तो यथा समय लागू विधिक प्रावधानों और इसके लिए लागू नियम और शर्तें के अधीन बोर्ड प्रक्रिया निर्धारित करेगा ।"

इसलिए बैंक को विशेष संकल्प के जरिये शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करनी होगी । अतः उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध है ।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प के पारित होने को संस्तुति करता है । बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्प (पों) के प्रति हित या सरोकार नहीं है, बिना बैंक में शेयरधारिता की सीमा के, यदि कोई हो ।

निदेशक मंडल की ओर से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

- ह/ -

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: चेन्नै
दिनांक : 06, जून 2025

IOB Ultra HNI

Savings Scheme

SB PRIME | SB PRIORITY | SB PRIVILEGE

upto ₹1.10 Crore Personal Accident Insurance

Free NEFT, RTGS, IMPS, and SMS alerts

100% waiver on housing & vehicle loan processing fees

Zero issuance & maintenance charges on Credit Cards

Unlimited visits for Doorstep Banking

Premium Debit Cards with free international & domestic lounge access

Up to 75% concession on locker rent

Complimentary cheque books, demand drafts, and locker operations

T&C Apply



Enjoy luxury, convenience, and financial benefits like never before!

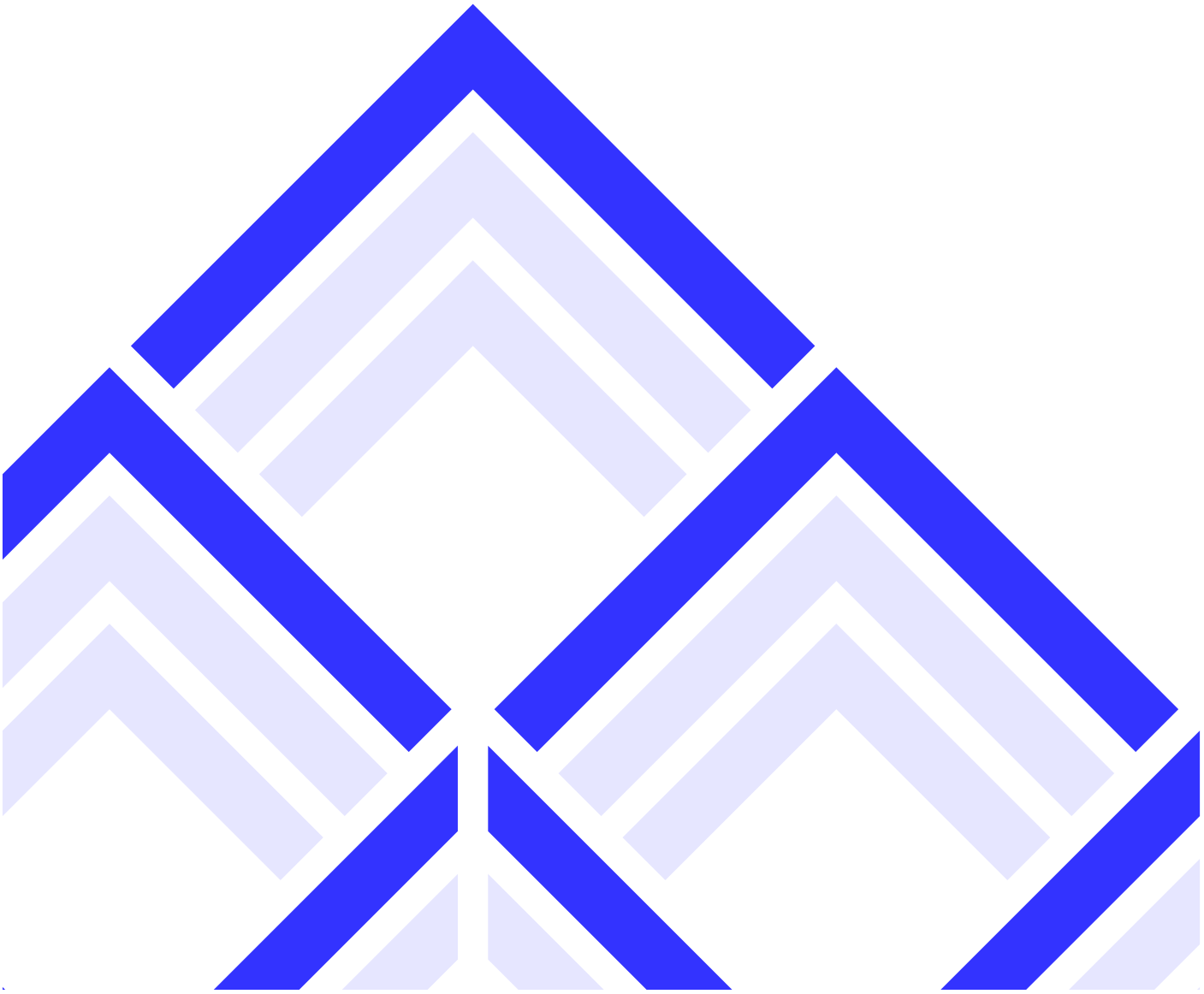
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

89 Years of Trust & Excellence

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

निदेशकों की रिपोर्ट 2024-25

वैश्विक और घरेलू आर्थिक वातावरण



निदेशकों की रिपोर्ट 2024-25
वैश्विक और घरेलू आर्थिक वातावरण

आघातों की एक लंबी और अभूतपूर्व श्रृंखला जारी रहने के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर होती दिखी, हालाँकि, परिदृश्य काफी बदल गया है क्योंकि दुनिया भर की सरकारें अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को फिर से व्यवस्थित कर रही हैं, जिससे अनिश्चितताएँ नए उच्च स्तर पर पहुँच गई हैं, जो अभूतपूर्व स्तरों पर प्रभावी टैरिफ दरों को दर्शाती हैं और इसे पूरी तरह से अप्रत्याशित वातावरण बनाती हैं।

व्यापार 2024 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 60% हिस्से के साथ वैश्विक विकास के लिए एक प्रमुख चालक बना हुआ है। वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति और व्यापार शुल्क संबंधी उपायों ने क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति के लिए नई बाधाएँ पैदा हुई हैं।

बढ़ते व्यापार तनाव और वित्तीय बाजार समायोजन के बीच बढ़ता नकारात्मक जोखिम दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहा है। इन मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आइएमएफ़ के अनुमान के अनुसार निकट भविष्य में वैश्विक विकास 2025 में 2.8% और 2026 में 3% तक गिरने का अनुमान है, जो 2000 से 2019 के ऐतिहासिक औसत 3.7% से काफी कम है।

वैश्विक अनिश्चितताओं और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास पूर्वानुमानों में कमी के बावजूद, भारत वैश्विक आर्थिक विकास में अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए तैयार है। सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और रणनीतिक सरकारी पहलों के समर्थन से, देश आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। बुनियादी ढांचे, नवाचार और वित्तीय समावेशन में सुधारों के साथ, भारत वैश्विक आर्थिक गतिविधि के प्रमुख संचालक के रूप में अपनी भूमिका को बढ़ाना जारी रख रहा है। आइएमएफ के अनुमान भारत की आघात-सहनीयता की पुष्टि करते हैं जोकि वैश्विक आर्थिक भविष्य को आकार देने में इसके महत्व को और सुदृढ़ करते हैं।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी के लिए अपने विकास अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा है। भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी-2025 में 3.61% से घटकर मार्च-2025 में 3.34% हो गई। यह अगस्त-2019 के बाद साल-दर-साल सबसे कम मुद्रास्फीति है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति का अनुमान 4.0% लगाया है। आरबीआई ने आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए मौद्रिक नीति के रुख को "तटस्थ" से "समायोज्य" में बदलाव का संकेत देते हुए रेपो दर को घटाकर 6% कर दिया है। आरबीआई द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के मद्देनजर चलनिधि को भी कम किया गया है। इससे पहले आरबीआई ने मुद्रास्फीति पर सकारात्मक दृष्टिकोण और विकास को बढ़ावा देने के मद्देनजर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को घटाकर 4.0% करने की भी घोषणा की थी ।

वित्तीय कार्य निष्पादन

बैंक ने 2024-25 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार के साथ-साथ लाभप्रदता के मोर्चे पर भी उल्लेखनीय कार्य निष्पादन जारी रखा है। 31 मार्च 2025 तक बैंक का कुल कारोबार ₹ 5,61,958 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल इसी अवधि में ₹ 5,04,923 करोड़ था । यह वर्ष दर वर्ष आधार पर ₹ 57,035 करोड़ (11.30%) की वृद्धि दर्शाता है । सकल अग्रिम में वर्ष दर वर्ष आधार पर 31,001 करोड़ (14.15%) की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2025 को ₹ 2,50,019 करोड़ रहा, जो कि 31 मार्च 2024 को ₹ 2,19,018 करोड़ था । 31 मार्च 2025 तक कुल जमाएँ ₹ 26,034 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 3,11,938 करोड़ हो गईं है, जबकि 31 मार्च, 2024 के अंत तक यह ₹ 2,85,905 करोड़ थीं ।

कम लागत वाली कासा जमा को जुटाने में उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, हमारा बैंक कासा जमा को 10,653 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में सक्षम रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 1,25,508 करोड़ रुपये की तुलना में 31.03.2025 तक 8.49% की वृद्धि दर्ज करता है (31.03.2025 तक 1,36,161 करोड़ रुपये)। इस वित्तीय वर्ष में बैंक ने सफलतापूर्वक 39 लाख से अधिक कासा ग्राहकों को जोड़ा है, जिससे बैंक को 31.03.2025 तक कासा अनुपात 43.65% पर बनाए रखने में मदद मिली है, जो कि साथ के पीएसबी बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है।

इस वित्तीय वर्ष में ब्याज आय में मजबूत वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार का समर्थन के साथ निवल लाभ लाभ 31.03.2024 तक ₹2,656 करोड़ के मुकाबले बढ़कर ₹3,335 करोड़ हो गया, जो कि 25.56% की वृद्धि दर्शाता है । निवल ब्याज आय (एनआइआई) साल-दर-साल आधार पर 10.79% बढ़कर ₹ 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए 10,890 करोड़ रुपये हो गई जो कि 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 9,829 करोड़ थी। 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.25% रहा।

परिसंपत्ति गुणवत्ता पक्ष पर, बैंक ने सकल एनपीए और निवल एनपीए दोनों को सफलतापूर्वक कम किया है। बैंक का सकल एनपीए 31.03.2024 के रुपये 6,794 करोड़ (3.10%) से घटकर 31.03.2025 को रुपये 5,348 करोड़ (2.14%) हो गया। इसी तरह, बैंक का निवल एनपीए 31.03.2024 को रुपये 1,217 करोड़ (0.57%) से घटकर 31.03.2025 को रुपये 912 करोड़ (0.37%) हो गया है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता में मजबूत सुधार ने बैंक को एनपीए प्रावधान आवश्यकता को 69.18% तक कम करने में मदद की (31.03.2024 को 2,706 करोड़ रुपये से चालू वित्त वर्ष के लिए रुपये 834 करोड़ तक)। बैंक की ऋण लागत पिछले वर्ष के 1.34% की तुलना में 31.03.2025 को 0.36% तक काफी हद तक सुधरी। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31.03.2024 को 96.85% से 45 आधार अंक बढ़कर 31.3.2025 को 97.30% हो गया।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2024 को 17.28% की तुलना में 246 आधार अंक बढ़कर 31.03.2025 को 19.74% हो गया है। यह इसे उद्योग में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनाता है और यह नियामक आवश्यकता से भी काफी ऊपर है।

आय एवं व्यय विश्लेषण

31 मार्च 2025 को समाप्त पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज वर्ष-दर-वर्ष 14.83% बढ़कर रुपये 20,182 करोड़ हो गया है, जबकि 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले वर्ष में रुपये 17,576 करोड़ था। निवेश पर ब्याज वित्त वर्ष 2023-24 में रुपये 5,946 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 18.36% बढ़कर रुपये 7,038 करोड़ हो गया है। कुल ब्याज आय वित्त वर्ष 2023-24 में रुपये 24,050 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 16.97% बढ़कर रुपये 28,131 करोड़ हो गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल आय 13.36% बढ़कर रूपये 33,676 करोड़ हो गई जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह रुपये 29,706 करोड़ थी।

वित्त वर्ष 2024-25 में जमाराशि पर ब्याज 15,008 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 12,609 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023-24 में 1,611 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में उधार पर ब्याज बढ़कर 2,232 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल ब्याज व्यय बढ़कर 17,241 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 14,220 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल व्यय 8.92% बढ़कर 24,988 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 22,942 करोड़ रुपये था।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए निवल ब्याज आय (एनआइआई) वर्ष दर वर्ष आधार पर 10.79% बढ़कर ₹ 10,890 करोड़ हो गई, जबकि 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह ₹ 9,829 करोड़ थी।

वित्त वर्ष 2024-25 में परिचालन आय 6.14% बढ़कर 16,435 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि 2023-24 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में यह 15,485 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2024-25 में परिचालन व्यय घटकर 7,747 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 8,722 करोड़ रुपये था।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2025 को 246 आधार-अंक बढ़कर 19.74% हो गया, जबकि 31.03.2024 को यह 17.28% था, जो नियामक आवश्यकता से काफी अधिक है।

शाखा नेटवर्क

31 मार्च 2025 तक बैंक की घरेलू शाखाएँ 3,335 हो गई हैं, जबकि 31 मार्च 2024 तक बैंक की घरेलू शाखाएँ 3,236 थीं। इनमें 929 ग्रामीण शाखाएँ (28%), 1011 अर्ध शहरी शाखाएँ (30%), 681 शहरी शाखाएँ (21%) और 714 महानगर शाखाएँ (21%) शामिल हैं। बैंक के 53 क्षेत्रीय कार्यालय, 2 एक्सटेंशन काउंटर, 1 सैटेलाइट कार्यालय, 2 सिटी बैक ऑफिस, 6 नोडल लेखा परीक्षा कार्यालय और 8 खुदरा ऋण प्रसंस्करण केंद्र हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने देश भर में 101 शाखाएँ और 7 खुदरा ऋण प्रसंस्करण केंद्र खोले हैं ।

पूंजी

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2018, यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआइपी) के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआइबी) को नकद के रूप में ₹10 अंकित मूल्य वाले 35,41,77,539 इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जो ₹ 30.57 प्रति शेयर के प्रीमियम पर कुल मिलाकर ₹ 1,436.89 करोड़ हो गए हैं। जिसके परिणामस्वरूप जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में ₹ 354.18 करोड़ और शेयर प्रीमियम खाते में ₹ 1,078.60 करोड़ (निवल शेयर निर्गम व्यय ₹4.11 करोड़) की वृद्धि हुई है।

- मार्च 2025 तक बैंक की चुकता पूंजी ₹ 19,256.59 करोड़ है। 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार की शेयरधारिता 94.61% है ।

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने कोई टियर II पूंजी नहीं जुटाई है।

लाभांश

31.03.2025 के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार, बैंक की बहियों में संचित घाटा है। जिसके मद्देनजर, बैंक 4 मई, 2005 के आरबीआई

परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र नहीं है, जिसके अनुसार बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की **धारा 15 का अनुपालन करना आवश्यक है** । इसलिए, बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

बैंक का बाजार पूंजीकरण

विवरण	31.12.2024 तक बाजार पूंजीकरण*	सूचीबद्ध संस्थाओं में रैंक
बीएसई लिमिटेड	₹ 1,09,375.96 करोड़	88 (शीर्ष 100 में)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	₹ 1,09,387.21 करोड़	88 (शीर्ष 100 में)

*बीएसई/एनएसई द्वारा प्रकाशित औसत बाजार पूंजीकरण के अनुसार।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

बैंक का बोर्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अक्षरशः पालन के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक के पास कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक समुचित रूप से प्रलेखित प्रणाली व्यवहार में है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक विस्तृत रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग खंड में दी गई है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ़)

- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की अदत्त लाभांश राशि आईईपीएफ को अंतरित कर दी है।
- बैंक समय-समय पर विनियामक प्राधिकरणों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों/विनियमों का अनुपालन कर रहा है। बैंक शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण बिना किसी देरी के करता है।

बैंक के बोर्ड में निदेशकों में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- श्री कार्तिकेय मिश्रा जिन्हें भारत सरकार द्वारा 25.10.2023 से बैंक के बोर्ड में भारत सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था दिनांक 04.08.2024 से बैंक के बोर्ड के निदेशक नहीं रहे ।
- सुश्री नीलम अग्रवाल को 05.08.2024 से बैंक के बोर्ड में भारत सरकार नामिती निदेशक नियुक्त के रूप में किया गया है।
- श्री बी. चंद्रा रेड्डी, श्री दीपक शर्मा और श्री सुरेश कुमार रूंगटा तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 20.12.2024 से बैंक के निदेशक नहीं रहे।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी के लिए पुष्टि करते हैं कि :

- लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा यदि कोई विचलन हुआ है तो उसके संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और उस अवधि के लिए आपके बैंक के लाभ और हानि का सटीक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- आपके बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने हेतु एवं पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।
- वार्षिक लेखे गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किये गये हैं।
- आपके बैंक द्वारा पालन किए जाने के लिए निर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" शब्द का अर्थ आपके बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियां और प्रक्रियाएं हैं, जिनमें आपके बैंक की नीतियों का पालन, बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी शामिल है।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां मौजूद थीं और ये प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।

निदेशक मंडल

बैंक का व्यवसाय निदेशक मंडल के अधीन है। एमडी व सीईओ तथा ईडी बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। 31.03.2025 तक निदेशकों की संख्या 07 थी, जिसमें एक गैर-

कार्यपालक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक निदेशक, एक भारत सरकार नामिती निदेशक, एक आरबीआई नामिती निदेशक और शेयरधारकों में से उनके हितों का विधिवत प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए एक निदेशक शामिल थे।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशकों के कार्यकाल की स्थिति

क्रम सं.	नाम	पदग्रहण करने की तिथि	पद त्याग की तिथि / अवधि समापान	पद का नाम
1	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	21/02/2024	20/02/2027	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01/01/2023	31/12/2025	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3	श्री जयदीप दत्ता रॉय	31/01/2024	19/10/2025	कार्यपालक निदेशक
4	श्री धनराज टी	10/03/2024	09/03/2027	कार्यपालक निदेशक
5	सुश्री नीलम अग्रवाल	05/08/2024	यूएफओ *	सरकारी नामिती निदेशक
6	सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	14/07/2023	यूएफओ *	आरबीआई नामिती निदेशक
7	श्री संजया रस्तोगी	03/12/2022	02/12/2025	शेयरधारक निदेशक

*अगले आदेश तक

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, निम्नलिखित निदेशकों का कार्यकाल निम्नानुसार समाप्त हुआ

क्रम सं.	नाम	पदग्रहण करने की तिथि	पद त्याग की तिथि / अवधि समापान	पद का नाम
1	श्री कार्तिकेय मिश्रा	25/10/2023	04/08/2024	सरकारी नामिती निदेशक
2	श्री बी चंद्रा रेड्डी	21/12/2021	20/12/2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
3	श्री दीपक शर्मा	21/12/2021	20/12/2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
4	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	21/12/2021	20/12/2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और सभी विदेशी विनियामकों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी है। निदेशक मंडल मूल्यवान ग्राहकों, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को उनके मूल्यवान समर्थन और बैंक के साथ निरंतर संरक्षण के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड सभी स्तरों पर बैंक के कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करना चाहता है तथा भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ उनकी निरंतर भागीदारी की आशा करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

स्थान: चेन्नै
दिनांक : 30 मई, 2025

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

IOB MSME LOANS

Where Big Business Dreams Begin

- Hassle Free Loan
- Competitive ROI (Linked to Repo Rate)
- Fast Processing





Say hello to hassle-free banking with IOB's All-New Digital Savings Suite

INSTANT DIGITAL SB A/C (VIA AADHAAR OTP BASED)

DIGITAL SB A/C (VIA VIDEO BASED KYC)

ONLINE LOCKER ALLOTMENT

SB PORTABILITY

DIGITAL SB A/C ACTIVATION

SB SCHEME UPGRADATION

MY ACCOUNT MY NAME FACILITY

DIGITAL RE-KYC

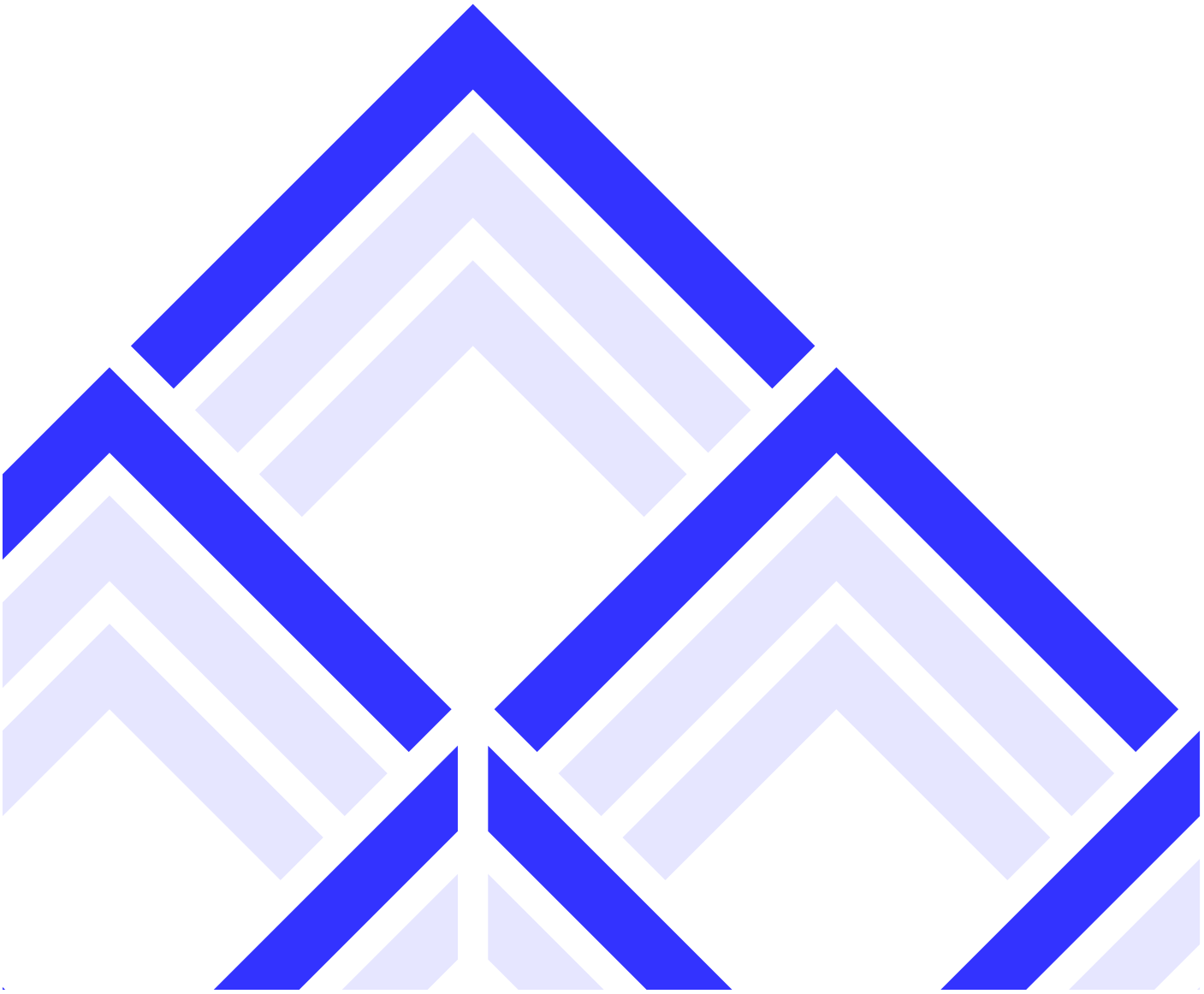
SCAN HERE

T&C Apply

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण



आर्थिक और बैंकिंग वातावरण

वैश्विक वित्तीय बाज़ार अस्थिर बने हुए हैं, जो मौद्रिक नीति प्रक्षेपवक्र और व्यापार संबंधी अनिश्चितता पर उतार-चढ़ाव वाली धारणाओं के कारण जोखिम-रहित भावना प्रदर्शित करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे बढ़ रही है, विशेष रूप से हाल ही में पारस्परिक टैरिफ अधिरोपण के मद्देनजर अप्रत्याशित वित्तीय वातावरण अनिश्चितताओं और उच्च जोखिमों से भरा हुआ है, ।

बढ़ते व्यापार तनाव और वित्तीय बाजार समायोजन के बीच, नकारात्मक जोखिम बढ़ने की संभावनाएँ परिदृश्य पर हावी हैं। इन मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आइएमएफ के अनुसार निकट भविष्य में वैश्विक विकास का अनुमान 2025 में 2.8% और 2026 में 3% तक गिर सकता है, जो 2000 से 2019 के ऐतिहासिक औसत 3.7% से काफी कम है।

बेहतर उपभोग मांग और मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी बातों के कारण भारतीय आर्थिक परिदृश्य आघात सहनीय बना हुआ है। मुद्रास्फीति के अपेक्षित स्तर से नीचे रहने की उम्मीद है । वैश्विक अनिश्चितताओं और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास पूर्वानुमानों में कमी के बावजूद, भारत वैश्विक आर्थिक विकास में अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए तैयार है। सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और रणनीतिक सरकारी पहलों के समर्थन से, देश आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। बुनियादी ढांचे, नवाचार और वित्तीय समावेशन में सुधारों के साथ, भारत वैश्विक आर्थिक गतिविधि के प्रमुख संचालक के रूप में अपनी भूमिका को बढ़ाना जारी रख रहा है। आइएमएफ के अनुमान भारत की आघात-सहनीयता की पुष्टि करते हैं जोकि वैश्विक आर्थिक भविष्य को आकार देने में इसके महत्व को और सुदृढ़ करते हैं।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र आघात-सह और स्थिर बना हुआ है और पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रावधान कवरेज और लाभप्रदता से संबंधित विभिन्न प्रमुख वित्तीय मापदंडों में सुधार देखा गया है। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों से ऋण की मांग देखी गई है । 21 मार्च, 2025 को समाप्त पखवाड़े के लिए बैंकिंग उद्योग (एससीबी) का ऋण उठाव साल दर साल 11.03% बढ़ा। इसी अवधि के दौरान जमा राशि में भी 10.26% की वृद्धि हुई। ऋण-जमा अनुपात 80% से ऊपर बना हुआ है, जो ऋण विस्तार और जमा जुटाने के बीच अंतर को दर्शाता है।

आगे चलकर, आरबीआई की दर में कटौती और कम लागत वाली कासा जमाओं में धीमी वृद्धि के कारण बैंकिंग क्षेत्र को एनआइएम पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कासा जमा वृद्धि धीमी रही और त्वरित ऋण वृद्धि से मेल खाने के लिए, भारत में बैंकों ने उच्च लागत वाली थोक जमा और अल्पकालिक उधार के माध्यम से धन जुटाया। कम लागत वाली कासा जमा जुटाने की चुनौती चालू वित्त वर्ष में भी जारी रहने की संभावना है और बैंकों को अपनी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक उधार पर निर्भर रहना होगा।

वर्तमान में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 50% से अधिक ऋण पोर्टफोलियो आरबीआई की रेपो दर से जुड़े हैं। विकास सुनिश्चित करने के साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य से, रिजर्व बैंक पहले ही फरवरी और अप्रैल 2025 में 25 आधार-अंकों की दर से दो किस्तों में 50 आधार अंकों की दर में कटौती कर चुका है। इसका असर बैंकों पर पड़ा है, उनके रेपो लिंक्ड लोन पोर्टफोलियो पर ब्याज आय में 0.50% की कमी आयी है।

मौजूदा और विकसित हो रही व्यापक आर्थिक स्थिति के आधार पर, यह उम्मीद की जा रही है कि आगे भी एक या दो बार रेपो में कटौती की संभावना है, जिससे बैंकों के मार्जिन पर और असर पड़ सकता है। मार्जिन को सुरक्षित रखने के लिए, बैंकों के पास अपनी जमाराशियों पर ब्याज दर कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एनआइएम मध्यम रहने की संभावना है। हालांकि, अधिक मात्रा में रेपो लिंक्ड लोन पोर्टफोलियो बैंक को मार्जिन पर अधिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

बैंक की पृष्ठभूमि:

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) की स्थापना 10 फरवरी 1937 को कई क्षेत्रों में अग्रणी श्री एम. सीटी. एम. चिदंबरम चेट्टियार द्वारा की गई थी। आइओबी उन 14 प्रमुख बैंकों में से एक था जिनका 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में राष्ट्रीयकरण की पूर्व संध्या तक, आइओबी की भारत में 195 शाखाएँ थीं, जिनमें कुल जमा राशि रुपये 67.70 करोड़ और अग्रिम राशि रुपये 44.90 करोड़ थी। वर्तमान में बैंक की उपस्थिति चार देशों सिंगापुर , हांगकांग, थाईलैंड और श्रीलंका में है।

ओडिशा में ओडिशा ग्राम्य बैंक का प्रयोजक बैंक है।

मुख्य बातें

- बैंक को 10.02.2025 तक बैंकिंग क्षेत्र में 88 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा का अनुभव प्राप्त है।
- बैंक 3335 शाखाओं और 3497 एटीएम/सीआर और 10135 व्यवसाय प्रतिनिधियों की सुदृढ़ घरेलू उपस्थिति ग्राहकों तक विस्तारित पहुंच प्रदान करता है ।
- 58.17% शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है।
- दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु राज्य में एक सुदृढ़ ब्रांड नाम।

- 4 शाखाओं के साथ विदेश में उपस्थिति
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान देश भर में 101 नई शाखाएँ खोली गईं
- घरेलू अग्रिमों में 77.78% के योगदान के साथ कम लागत वाली कासा जमा राशियों में निरंतर वृद्धि, खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में सशक्त निष्पादन ।

बैंक का परिचालन

- **घरेलू जमा**
  बैंक की कुल घरेलू जमाएँ 31 मार्च 2025 तक रुपये 3,03,415 करोड़ रहीं, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह रुपये 2,78,968 करोड़ थीं । घरेलू कासा 31 मार्च 2024 को रुपये 1,23,435 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 तक रुपये 1,33,644 करोड़ हो गया । यह भी उल्लेखनीय है कि घरेलू बचत बैंक जमाएँ 31 मार्च 2024 को रुपये 1,02,328 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 तक रुपये 1,07,661 करोड़ हो गईं । मार्च 2025 तक घरेलू कासा प्रतिशत 44.05% है।
- **घरेलू अग्रिम**

  जोखिम में विविधता लाने और मार्जिन में सुधार करने के उद्देश्य से, बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। सकल घरेलू अग्रिम 31 मार्च 2024 के रुपये 2,00,697 करोड़ से बढ़ कर 31 मार्च 2025 तक रुपये 2,33,501 करोड़ हो गया । उल्लेखनीय है कि घरेलू सकल अग्रिम में 16.34% की वृद्धि हुई है।

विदेशी परिचालन

मार्च 2025 तक बैंक की विदेश में 5 शाखाएँ हैं, जिनमें 4 विदेशी शाखाएँ और 1 संयुक्त उद्यम सहायक कंपनी शामिल है। बैंक की सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और कोलंबो में एक-एक शाखा है। हालाँकि, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद [आइआइबीएमबी] - बैंक ऑफ़ बड़ौदा, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक और यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया का एक संयुक्त उद्यम - स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया में है।

विदेशी कारोबार (जेवी-आइआइबीएमबी को छोड़कर) 31 मार्च 2025 तक रुपये 25,041 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह 25,259 करोड़ रुपये था। चल रही स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के कारण जेवी-आइआइबीएमबी का कारोबार 31 मार्च 2025 तक 'शून्य' है।

ट्रेजरी परिचालन एवं निवेश

ट्रेजरी परिचालन (देशीय)

2024-25 के दौरान निवेश की बिक्री पर रुपये 521.83 करोड़ (2023-24 के दौरान रुपये 272.44 करोड़) का लाभ हुआ था, जबकि इसी श्रेणी में हस्तांतरण हानि शून्य थी जो कि पिछले वर्ष यह 256.38 करोड़ रुपये थी। वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर निर्देश 2023 के आरबीआई के विद्यमान मास्टर निर्देश के अनुसार बैंक संक्रमण तिथि 01.04.2024 से आरबीआई के डीओएस की पूर्व स्वीकृति के बिना श्रेणियों के बीच निवेश को स्थानांतरित नहीं करेगा। विदेशी मुद्रा कारोबार से विनिमय पर लाभ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रुपये 2.17 करोड़ रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह रुपये 161.57 करोड़ था। यह कमी विदेशी मुद्रा उधार पर दिए गए प्रीमियम के कारण है, जिसे हमारे घरेलू परिचालन को वित्तपोषित करने के लिए रुपये में बदल दिया गया था।

निवेश (देशीय)

31 मार्च 2025 तक बैंक का शुद्ध निवेश रुपये 1,07,019.14* करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2024 को यह रुपये 95,476.65* करोड़ था । वर्ष 2024-25 के दौरान प्रतिभूतियों की बिक्री और एक्सचेंज पर लाभ सहित कुल लाभ रुपये 524.00 करोड़ रहा, जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान यह रुपये 434.01 करोड़ था। वर्ष के दौरान 10-वर्षीय बेंचमार्क यील्ड 7.05% से घटकर 6.58% हो गई है।

ट्रेजरी परिचालन एवं निवेश (केवल विदेश के लिए)

ट्रेजरी परिचालन (विदेश)

2024-25 के दौरान निवेश (विदेशी केंद्रों) की बिक्री पर लाभ रुपये 1.84 करोड़ रहा। 31.03.2025 तक विनिमय पर विदेशी मुद्रा व्यापार से लाभ रुपये 37.10 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह रुपये 27.64 करोड़ था।

निवेश (विदेश)

31 मार्च 2025 तक बैंक (विदेशी केंद्र) का शुद्ध निवेश रुपये 4025.70 करोड़ था। वर्ष 2024-25 के दौरान प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय पर लाभ सहित कुल लाभ रुपये 38.94 करोड़ था।

एमएसएमई

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम 2006) अधिनियमित किया है । यह अधिनियम 02.10.2006 से लागू है और नए मानदंडों को राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-26062020-220191 दिनांकित 26 जून, 2020 के माध्यम से अधिसूचित किया गया।

आरबीआई ने अपनी पत्र संख्या आरबीआई/2020-21/10 एफआईडीडी. एमएसएमई और एनएफएस. बीसी. संख्या 3/06.02.31/2020-21, दिनांकित 02.07.2020 के माध्यम से एमएसएमई के रूप में उद्यमों के वर्गीकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की सूचना दी थी, जो 01 जुलाई, 2020 से लागू है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा के संबंध में - खुदरा और थोक व्यापार को जोड़ने हेतु दिनांक 07.07.2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-2022/67 एफआईडीडी. एमएसएमई एवं एनएफएस. बीसी. सं. 13/ 06.02.31/ 2021-22 के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न श्रेणियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

वर्ग	संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण लागत में निवेश (डबल्यूडीवी)	टर्न-ओवर
सूक्ष्म	रुपये 1.00 करोड़ तक	रुपये 5.00 करोड़ तक
लघु	रुपये 1.00 करोड़ से अधिक एवं रुपये 10.00 करोड़ तक	रुपये 5.00 करोड़ से अधिक एवं रुपये 50.00 करोड़ तक
मध्यम	रुपये से 10.00 करोड़ अधिक और रुपये 50.00 करोड़ तक	रुपये 50.00 करोड़ से अधिक और रुपये 250.00 करोड़ तक

निवेश एवं कारोबार मानदंड विनिर्माण और सेवा उद्यमों दोनों के लिए एक समान हैं।

भारत सरकार ने दिनांक 21.03.2025 के राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-21032025-261838 के माध्यम से एमएसएमई के वर्गीकरण के मानदंडों को और संशोधित किया है जो 01.04.2025 से निम्नानुसार प्रभावी हो गए हैं:

वर्ग	संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण लागत में निवेश (डबल्यूडीवी)	टर्न-ओवर
सूक्ष्म	रुपये 2.50 करोड़ तक	रुपये 10.00 करोड़ तक
लघु	रुपये 2.50 करोड़ से अधिक रुपये एवं 25.00 करोड़ तक	रुपये 10.00 करोड़ से अधिक & रुपये 100.00 करोड़ तक
मध्यम	रुपये 25.00 करोड़ से अधिक एवं रुपये 125.00 करोड़ तक	रुपये 100.00 करोड़ से अधिक एवं रुपये 500.00 करोड़ तक

निवेश एवं कारोबार मानदंड विनिर्माण और सेवा उद्यमों दोनों के लिए एक समान है।

एमएसएमई निष्पादन

31 मार्च 2025 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण का हिस्सा रुपये 44309 करोड़ रहा, जो कि 6.63% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। बैंक ने बड़े जोखिम वाले खाते को जारी न रखने का फैसला किया क्योंकि रियायती ब्याज दर एनआईएम को प्रभावित कर रही थी। जारी न रखने के विशेष उदाहरण को छोड़कर, समग्र वृद्धि उद्योग के बराबर है और अगली तिमाहियों में परिलक्षित होगी।

मुख्य बिन्दु

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:**
  बैंक ने 31 मार्च 2025 तक रुपये 6300 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में रुपये 6778.22 करोड़ की राशि संवितरित करके पीएमएमवाई के तहत दिया गया लक्ष्य हासिल कर लिया है। बैंक ने वित्त वर्ष 24-25 में 6812.55 करोड़ रुपये की राशि के 283718 नए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ऋण मंजूर किए हैं।

- **स्टैंड अप इंडिया योजना:**
बैंक ने स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत 6614 स्वीकृतियों के लक्ष्य की तुलना में 7231 ऋण मंजूर करके निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है।

  वित्त वर्ष 24-25 में स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत 2767 खाते मंजूर किए गए, जिनकी मंजूर की गई राशि रुपये 567 करोड़ थी । 31.03.2025 तक बकाया राशि रुपये 628.16 करोड़ थी।

- **पीएमईजीपी:**
वित्त वर्ष 23-24 के लिए पीएमईजीपी के तहत मंजूरियों की संख्या में बैंक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। उसी से प्रेरणा लेते हुए, बैंक ने पीएमईजीपी के तहत सक्रिय रूप से आवेदनों को मंजूरी दी है और वित्त वर्ष 24-25 में नए उद्यमियों को सहायता प्रदान की । पीएमईजीपी के तहत 31.03.2025 तक बकाया राशि रुपये 652 करोड़ है, जिसमें 3829 मंजूरियाँ हैं, जिनकी परियोजना लागत रुपये 372 करोड़ है।

- **स्टार्ट अप इकाइयों के लिए आइओबी प्रगति योजना:**
स्टार्ट अप इकाइयों को वित्त प्रदान करने के लिए 16.07.2024 को आइओबी प्रगति योजना का शुभारंभ किया गया। एनसीजीटीसी द्वारा स्टार्ट अप के लिए 10 करोड़ रुपये की सीमा तक के ऋण क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किए गए हैं।

  बैंक ने 06.06.2024 को चेन्नै में स्टार्टअप्स के लिए एक विशेष शाखा खोली है, जिसका उद्देश्य नए उद्यमियों को वित्त प्रदान करना है।

- **लोन ओरिजनेशन प्रणाली:**
विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय करके लगभग सभी प्रमुख एमएसएमई योजनाओं को सफलतापूर्वक एलओएस में शामिल कर लिया है, जिससे प्रस्तावों का सुचारू प्रसंस्करण, ऋण आवेदकों के लिए निर्बाध आवागमन और कम टीएटी सुनिश्चित किया गया है।

- **सिबिल ट्रिगर्स:**
बैंक ने सिबिल ट्रिगर्स के लिए सिबिल ट्रांसयूनियन के साथ समझौता किया है जो ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड की एक पेशकश है, यह हमें उद्योग में हमारे बैंक के मौजूदा एमएसएमई ग्राहकों की ऋण गतिविधियों की निगरानी करने की अनुमति देता है। यह पहल हमारी शाखाओं को उन एमएसएमई ग्राहकों तक पहुँचने में मदद करती है जो अपनी वित्तीय ज़रूरतों के लिए दूसरी बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं और यह हमें समय रहते ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने और रिश्तों को मज़बूत करने में मदद करती है।

- **आइओबी ई-जीएसटी योजना का शुभारंभ:**
विभाग ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले आवेदकों को निर्बाध वित्त प्रदान करने के लिए ई-जीएसटी योजना शुरू की है। जीएसटी पोर्टल और बैंक खाता विवरण से प्राप्त जीएसटी टर्नओवर डेटा के आधार पर मात्रा का पता लगाया जाता है। इससे आवेदकों को कुछ ही क्लिक में उनकी प्रयोजन-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित ऋण तक पहुंच सकते हैं ।

- **टीआरईडीएस:**
हमारा बैंक टीआरईडीएस के अंतर्गत अग्रणी बैंकों में से एक है। बैंक के पास टीआरईडीएस के अंतर्गत चालान वित्तपोषण के लिए एक सुदृढ़ बुनियादी ढांचा है, जिसमें 4 प्लेटफ़ॉर्म जैसे एम1 एक्सचेंज, सी2टीआरईडीएस, इनवॉइस मार्ट और रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (आरएक्सआइएल) का एकीकरण है। छोटे आपूर्तिकर्ता जिनके लिए तत्काल कार्यशील पूंजी वित्त की उपलब्धता उनके व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें सर्वोत्तम दरों पर आसानी से उपलब्ध ऋण तक पहुँच मिलती है । 31.03.2025 तक टीआरईडीएस पोर्टफोलियो के अंतर्गत बकाया राशि रुपये 9242.50 करोड़ है।

- **एमएसएमई बूस्ट अभियान:**
विभाग ने नए एमएसएमई ग्राहकों को जोड़ने के लिए "एमएसएमई बूस्ट" नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिस पर शाखाओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। बैंक ने नए ग्राहकों से 1725 करोड़ रुपये का नया एमएसएमई कारोबार हासिल किया।

- **क्लस्टर आधारित वित्तपोषण:**
31.03.2025 तक बैंक द्वारा पहचाने गए क्लस्टरों की संख्या 23 है। बैंक ने वित्त वर्ष 24-25 में 11 क्लस्टर जोड़े हैं और बैंक उद्योगों की भौगोलिक स्थिति और व्यवहार्यता के आधार पर लगातार नए क्लस्टरों की पहचान कर रहा है। 31.03.2025 तक क्लस्टरों की सूची इस प्रकार है:

क्र. सं.	क्लस्टर योजना का नाम	क्षेत्र
1.	मोरवी, गुजरात में सिरेमिक और प्लास्टिक उद्योग क्लस्टर	अहमदाबाद
2.	कोयंबत्तूर में कपड़ा उद्योग क्लस्टर	कोयंबत्तूर
3.	कोयंबत्तूर में इंजीनियरिंग सामान क्लस्टर	कोयंबत्तूर
4.	एनसीआर दिल्ली में इंजीनियरिंग और पैकेजिंग क्लस्टर	एनसीआर दिल्ली
5.	एनसीआर दिल्ली में ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर	एनसीआर दिल्ली
6.	चेन्नै/ कांचीपुरम में ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर	चेन्नै I, चेन्नै II, कांचीपुरम
7.	लुधियाना में ऑटो/ साइकिल कंपोनेंट क्लस्टर	लुधियाना
8.	लुधियाना में होजरी/ टेक्सटाइल क्लस्टर	लुधियाना
9.	केरल के पेरुंबवूर में प्लाईवुड उद्योग क्लस्टर	एर्णाकुलम
10.	सूरत, गुजरात में कपड़ा क्लस्टर।	बड़ौदा
11.	तमिलनाडु के तिरुचेंगोडे में टेक्सटाइल क्लस्टर	सेलम
12.	तमिलनाडु के होसुर और कृष्णगिरी में ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर	सेलम
13.	एलेप्पी और कोल्लम सीओआइआर उत्पाद क्लस्टर	तिरुवनंतपुरम
14.	बड़ौदा – इंजीनियरिंग क्लस्टर	बड़ौदा
15.	बड़ौदा – रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद क्लस्टर	बड़ौदा
16.	मंडी गोबिंदगढ़, फतेहगढ़ साहिब – स्टील री रोलिंग क्लस्टर	चंडीगढ़
17.	इरोड और करूर वस्त्र और तत्सम्बंधी गतिविधि क्लस्टर	इरोड
18.	जीनोम वैली-मेडचल/मलकजगिरी फार्मास्युटिकल क्लस्टर	हैदराबाद
19.	तिरुच्चि- फैब्रिकेटर्स और इंजीनियरिंग वर्क्स क्लस्टर	तिरुच्चि
20.	रानीपेट चमड़ा उत्पाद क्लस्टर	वेल्लूर
21.	पानीपत एनसीआर दिल्ली-टेक्सटाइल क्लस्टर	एनसीआर दिल्ली
22.	रानीपेट - स्टील फैब्रिकेशन और मशीनरी शॉप उद्योग क्लस्टर	वेल्लूर
23.	ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग क्लस्टर पुणे	पुणे

हमारे ग्राहकों से प्राप्त समग्र प्रतिक्रिया सकारात्मक है, क्योंकि उन्हें विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कम ब्याज दर और शुल्क, कम टीएटी तथा एक ही क्लस्टर में उद्योग की प्रकृति के कारण प्रस्तावों का एक समान टेम्पलेट-आधारित प्रसंस्करण।

वित्त वर्ष 25-26 के लिए निर्देशन

- बैंक एमएसएमई उत्पादों के पूर्ण डिजिटलीकरण और कुछ उत्पादों के लिए एसटीपी के कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है ताकि हमारे ग्राहकों के लिए निर्बाध आवागमन और कम टीएटी सुनिश्चित किया जा सके।

- टीआरईडीएस के अंतर्गत बिलों के जमा करने की प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है और विभाग बिलों की प्राप्ति के स्वचालन की दिशा में काम कर रहा है, जिससे टीआरईडीएस के अंतर्गत बिलों के प्रसंस्करण में परिचालन दक्षता आएगी।

- संशोधित एमएसएमई परिभाषा वित्त वर्ष 24-25 में लागू हो जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में इकाइयां एमएसएमई वर्गीकरण के दायरे में आ जाएंगी । इससे एमएसएमई पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी, हमारे ग्राहकों को मिलने वाले लाभ और पीएसएल लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी।

- विभाग नए क्लस्टरों की पहचान करने के लिए स्थानीय पदाधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ निरंतर संपर्क में है। इस दृष्टिकोण से क्लस्टर आधारित वित्तपोषण के तहत समग्र कवरेज का विस्तार होगा और विभिन्न क्लस्टर आधारित लाभों की पेशकश करके हमारे पोर्टफोलियो में कई नई एमएसएमई इकाइयां जुड़ेंगी।

खुदरा बैंकिंग

खुदरा ऋण पोर्टफोलियो के तहत कुल बकाया मार्च 2024 तक रुपये 48514 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 तक रुपये 62765 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान खुदरा ऋण में सालाना आधार पर 29.37% की वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू अग्रिमों में खुदरा की कुल हिस्सेदारी 26.56% है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आवास ऋण पोर्टफोलियो में 12.61% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 20505 खातों में नए आवास ऋण मंजूर किए गए, जिनकी राशि 6550.87 रुपये करोड़ है। कुल संवितरण रुपये 6419.99 करोड़ था।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वाहन ऋण पोर्टफोलियो ने 18.29% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की । वित्त वर्ष 2024-25 में 21939 खातों में रुपये 2233.79 करोड़ के नए ऋण स्वीकृत किए गए और रुपये 2209.40 करोड़ की राशि संवितरित की गई।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बंधक ऋण पोर्टफोलियो में 50.08% की वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष देखी गई है। 6298 खातों में रुपये 2190.18 करोड़ की नई मंजूरियाँ दी गईं और रुपये 2191.63 करोड़ की राशि संवितरित की गई।

वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो में 29.92% की वृद्धि देखी गई है। रुपये 1407.49 करोड़ की राशि के 29346 खातों को नए सिरे से मंजूरी दी गई और रुपये 1404.59 करोड़ संवितरित किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आभूषण ऋण पोर्टफोलियो में 220.22% की वृद्धि देखी गई। रुपये 20004.46 करोड़ की राशि के 1340880 खातों को नए सिरे से मंजूरी दी गई और रुपये 19952.72 करोड़ संवितरित किए गए।

मौजूदा योजना में संशोधन :

बाजार की गतिशीलता और क्षेत्र के अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर तथा हमारे उत्पाद को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, मौजूदा खुदरा उत्पादों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, ताकि उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाया जा सके। खुदरा ऋण उत्पादों में किए गए संशोधनों का विवरण इस प्रकार है:

- **पेंशन ऋण**
  जीवन-यापन की लागत, चिकित्सा व्यय आदि में वृद्धि को देखते हुए नियमित पेंशनभोगियों के लिए पेंशन ऋण के तहत अधिकतम राशि रुपये 5.00 लाख से बढ़ाकर रुपये 10 लाख कर दी गई है तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए ऋण की राशि रुपये 3.00 लाख से बढ़ाकर रुपये 6.00 लाख कर दी गई है। पेंशन ऋण को आगे बढ़ाने की भी अनुमति दी गई है।

- **वैयक्तिक ऋण**
  आबद्ध शाखाओं (बैंकिंग संबंध रखने वाली संस्थाओं के परिसर में स्थित तथा जहां कर्मचारियों के वेतन खाते हमारे पास हैं) की संख्या 195 से बढ़ाकर 206 हो गई है तथा इन शाखाओं को ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों को अधिक मात्रा में वैयक्तिक ऋण स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है, ताकि हमारा वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो बढ़ सके।

- **आइओबी विद्या श्रेष्ठ योजना**
  इस योजना का उद्देश्य भारत में प्रमुख शिक्षा संस्थानों में अध्ययन के लिए संपार्श्विक रहित शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना है। शिक्षा की लागत में वृद्धि के आधार पर, राशि में संशोधन किया गया है और अब छात्र श्रेणी क के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में अध्ययन के लिए रुपये 40 लाख तक और श्रेणी ख के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में अध्ययन के लिए रुपये 30 लाख तक बिना किसी संपार्श्विक के ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा क्रमशः रुपये 15 लाख और रुपये 7.50 लाख थी। यद्यपि रुपये 150 लाख की सीमा से अधिक की राशि के लिए, उपयुक्त संपार्श्विक जमानत की पेशकश के साथ लाभ उठाया जाएगा।

  राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआइआरएफ़) के आधार पर प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया गया है । इसमें सभी नए आइआइटी, आइआइएम, एआइआइएमए, एनआइआइटी को शामिल किया गया है।

- **कौशल ऋण योजना :**
  भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कौशल ऋण योजना शुरू की गई थी। हाल ही में आइबीए ने संशोधित कौशल ऋण योजना

साझा की है। इस योजना में तकनीकी और गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों सहित कई तरह के कार्यक्रम शामिल हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले शीर्ष पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने में सक्षम करने के लिए ऋण की मात्रा 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये कर दी गई है। हमारे बैंक में संशोधित योजना वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लागू की गई है।

खुदरा ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत नए उत्पादों/ पहलों की शुरूआत :

1. सीआइसी आधारित ब्याज दर

बेहतर वित्तीय अनुप्रशासन सुनिश्चित करने, खुदरा ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सभी खुदरा ऋण उत्पादों पर सीआइसी आधारित मूल्य निर्धारण शुरू किया गया। हमारे बैंक ने सीआइसी स्कोर-आधारित ब्याज दरें शुरू की हैं, जो सीआइसी स्कोर के आधार पर ब्याज दरें प्रदान करती हैं।

2. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना:

"प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना" (पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना) शिक्षा मंत्रालय द्वारा उनकी एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर केंद्रीय क्षेत्र ब्याज अनुदान योजना के साथ पहचाने गए 860 चिन्हित शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन के लिए एक समपार्श्विक-रहित और गारंटीकर्ता-रहित शिक्षा ऋण योजना है । मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई यह योजना वित्तीय बाधाओं के कारण भारत के किसी भी युवा को इन 860 शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है । यह योजना हमारे बैंक में 2024-25 के दौरान शुरू की गई है।

3. नई आवास ऋण योजना - आइओबी घरौंदा 2.0, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत - शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) योजना 25 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में सभी पात्र शहरी परिवारों को ‹सभी के लिए आवास› के दृष्टिकोण के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी । अब, सरकार ने 1 करोड़ पात्र शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) शुरू की है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शहरी भारत के पात्र नागरिक अपना घर खरीद सकें और बेहतर जीवन यापन कर सकें। योजना के अनुसार पात्र ग्राहकों को मंजूर रुपये 35 लाख तक की संपत्ति के लिए रुपये 25 लाख तक का आवास ऋणों को 01.09.2024 से ब्याज सहायकी योजना (आइएसएस) के तहत कवर किया जाएगा। इसे हमारे बैंक में आइओबी घरौंदा 2.0 के रूप में पेश किया गया है ।

4. ईडब्ल्यूएस/ एलआइजी/ एमआइजी उधारकर्ताओं के लिए नई आवास ऋण योजना "आवास ऋण-ईएलएम(यू)"

वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफ़एस) और चुनिंदा सदस्य बैंकों ने आइबीए के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआइजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआइजी) श्रेणियों के वैयक्तिकों को आवास ऋण की सुविधा देने के लिए एक संयुक्त रूप से गृह ऋण योजना तैयार की है, जिनके पास न्यूनतम या शून्य दस्तावेजी आय या आय प्रमाण के बावजूद नियमित आय का स्रोत है जिसके बैंकिंग और अन्य आर्थिक गतिविधियों के डिजिटल पदचिह्न हैं। उपर्युक्त के आधार पर, आइबीए मॉडल योजना हमने हाउसिंग लोन-ईएलएम (यू) नाम से योजना शुरू की है।

डिजिटल पहल

बैंक ने बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए डिजिटलीकरण की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

क). खुदरा ऋण उत्पाद का एलओएस की ओर संचलन:

गुणवत्ता में सुधार और ऋणों के प्रसंस्करण की टीएटी में कमी लाने के लिए हम अपने खुदरा ऋण उत्पादों को एलओएस (एक डिजिटल ऋण प्रसंस्करण मंच) पर स्थानांतरित कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, हमने निम्नलिखित उत्पादों को एलओएस में स्थानांतरित कर दिया है:

1. शुभगृह आवास ऋण, जेन नेक्स्ट आवास ऋण, होम एडवांटेज, एनआरआई आवास ऋण, एनआरआई जेन नेक्स्ट आवास ऋण, गृह ऋण योजनाओं के तहत गृह सुधार और गृह सज्जा ऋण।
2. वैयक्तिक ग्राहकों के लिए संपत्ति पर ऋण
3. ग्राहकों के लिए ऑनलाइन माध्यम से वैयक्तिक ऋण टॉप अप
4. ग्राहकों के लिए ऑनलाइन माध्यम से वाहन ऋण

ख. खुदरा ऋण प्रसंस्करण केन्द्रों (आरएलपीसी) की स्थापना

ऋण प्रसंस्करण के डिजिटलीकरण का अधिक लाभ उठाने और अनुपालन में सुधार करने तथा टीएटी को कम करने के लिए, बैंक ने देश भर में कुल 8 आरएलपीसी स्थापित किए हैं, इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने 7 नए आरएलपीसी स्थापित किए हैं

- मुंबई,
- दिल्ली,
- कोलकाता,
- बेंगलुरु,
- लखनऊ
- कोयंबत्तूर और
- चेन्नै

कॉरपोरेट क्रेडिट

कॉरपोरेट क्रेडिट व्यवसायों को वित्तीय संसाधन प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे वे विकास, नवाचार और समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं । यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और अधिक जीवंत और आधात-सह अर्थव्यवस्था के निर्माण का समर्थन करता है। इन सेवाओं में आम तौर पर ऋण, हामीदारी अंकन, एड्वाइज़री और निगमों और बड़े व्यवसायों की जरूरतों के अनुरूप अन्य वित्तीय उत्पाद शामिल होते हैं। वर्तमान बाजार परिदृश्य और बैंक की आंतरिक जोखिम क्षमता के साथ, हम कम पूंजी परिसंपत्ति में अपने जोखिम का विस्तार करने पर जोर देना जारी रखते हैं, जिसमें बैंक मुख्य रूप से एएए/एए रेटेड खातों और विभिन्न मुख्य उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में फैले पीएसयू/ सरकारी गारंटीकृत जोखिम पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा, वित्तीय सेवा खंड पर चल रही मांग को भुनाने के लिए, बैंक हाउसिंग/ एमएसएमई/ कंज़्यूमर फ़ाइनेंस/ वाहन वित्त के आगे के ऋण खंड में अपने संरचनात्मक जोखिम का भी विस्तार कर रहा है। भारत में कॉरपोरेट क्रेडिट ने महत्वपूर्ण विकास का हो रहा है, जो पीएलआई और ग्रीन शूट उद्योग के संबंध में एक गतिशील और विकसित वित्तीय परिदृश्य को दर्शाता है और इस तरह, बैंक बुनियादी ढांचे/प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय गौरव परियोजनाओं में योगदान देना जारी रखता है। हमने पहले ही विशेषीकृत ऋण उत्पाद पेश किए हैं, जिनमें ब्याज दरों को बाजार दरों से जोड़ा गया है। इससे बेहतर रेटिंग वाले कॉरपोरेट को बाजार निर्धारित दर पर ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रुपये 1933.08 करोड़ रही और औसत बकाया रुपये 72494.03 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रुपये 99706.16 करोड़ रहा और **बैंक ने एएनबीसी के 40% के अनिवार्य मानदंडों को पार करते हुए** वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान **कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत प्रतिशत 55.01% लक्ष्य अर्जित कर लिया है ।**

कृषि

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रुपये 2131.36 करोड़ थी और औसत बकाया रुपये 32622.31 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रुपये 55240.83 करोड़ रहा और बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान **कृषि अग्रिमों के तहत 30.48% प्राप्त करके एएनबीसी के 18% के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।**

छोटे और सीमांत किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रुपये 1037.22 करोड़ थी और औसत बकाया रुपये 18123.51 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रुपये 37165.25 करोड़ रहा और बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान **लघु/सीमांत किसानों** को **20.51%** ऋण संवितरित **करके एएनबीसी के 10% के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।**

गैर-कॉरपोरेट किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रुपये 2610.41 करोड़ थी और औसत बकाया रुपये 24974.19 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रुपये 54750.67 करोड़ रहा और बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान **गैर-कॉरपोरेट किसानों** को ऋण के तहत **30.21% हासिल करके एएनबीसी के 13.78% के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।**

सूक्ष्म उद्यमों को ऋण

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रुपये 13592.63 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले औसत बकाया रुपये 16808.59 करोड़ रहा और बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान **सूक्ष्म उद्यमों** को ऋण के तहत **9.27% प्राप्त करके एएनबीसी के 7.5% के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है ।**

कमजोर वर्ग को ऋण

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रुपये 1229.56 करोड़ थी और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चार तिमाहियों का औसत बकाया रुपये 21748.21 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रुपये 41588.95 करोड़ रहा **और बैंक ने कमजोर वर्ग को ऋण के तहत 22.95% ऋण संवितरित करके एएनबीसी के 12.00% के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।**

सूक्ष्म-वित्त

वर्ष के दौरान, बैंक ने रुपये 3703.74 करोड़ के ऋण परिव्यय के साथ 78641 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को क्रेडिट-लिंक किया ।

विशिष्ट एसएचजी क्रेडिट केंद्र :

हमारे बैंक के 19 क्षेत्रों में 30 शाखाओं जिनमें से 5 शाखाओं को क्लस्टर में तथा को आस-पास की शाखाओं से एसएचजी ऋण के प्रसंस्करण के लिए विशेष एसएचजी क्रेडिट सेंटर के रूप में बनाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, विशेष एसएचजी क्रेडिट सेंटर द्वारा 14314 एसएचजी समूहों को 806.12 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

महिलाओं को ऋण प्रवाह

31 मार्च 2025 तक बैंक द्वारा महिलाओं को संवितरित ऋण रुपये

53107.36 करोड़ था, जो बैंक के समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 27.76% है।

अग्रणी बैंक पहल

बैंक के पास तमिलनाडु के 15 जिलों और केरल के 1 जिले में अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारियाँ हैं। बैंक तमिलनाडु की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक भी है। वर्ष के दौरान, एसएलबीसी, तमिलनाडु के संयोजक के रूप में, बैंक ने चार मुख्य बैठकें आयोजित की हैं।

इसके अतिरिक्त, एसएलबीसी, तमिलनाडु के संयोजक के रूप में बैंक ने वर्ष के दौरान 6 उप समिति और 4 संचालन समिति की बैठकें भी आयोजित की हैं।

वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी की पहल:

- तमिलनाडु राज्य में 31 मार्च 2025 तक 153.68 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं। पुरुष पीएमजेडीवाई खातों की संख्या 62.20 लाख और महिला पीएमजेडीवाई खातों की संख्या 91.40 लाख है।

- तमिलनाडु राज्य के लिए आधार सैचुरेशन102.12% है।

**तमिलनाडु की जनसंख्या 2011 की जनगणना पर आधारित है, जबकि आधार संतृप्ति वर्तमान संख्या पर आधारित है ।*

तमिलनाडु में ऋण प्रवाह पर एसएलबीसी की पहल:

मार्च 2025 तक तमिलनाडु में बैंकों ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की हैं:

- राज्य में बैंकों का सीडी अनुपात 100% से अधिक बना हुआ है और मार्च 2025 तक सीडी अनुपात 126.08% है।

- प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय मानदंड 40% के मुकाबले 45.99%।

- कृषि अग्रिम का 24.12% है, जबकि राष्ट्रीय मानदंड 18% है।

- राष्ट्रीय मानदंड 12% के मुकाबले कमजोर वर्गों को 19.45% ऋण दिया गया है।

- सरकार वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, आय सृजन, सतत आजीविका, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने को बढ़ावा दे रही है, जिससे राष्ट्र के विकास में योगदान मिल रहा है। राज्य में बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रुपये 35,000 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले रुपये 35,189.87 करोड़ के स्वयं सहायता समूहों को ऋण संवितरित किए हैं।

- अण्णाल अंबेडकर बिजनेस चैंपियंस स्कीम (एएबीसीएस) ऋण विशेष रूप से तमिलनाडु में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए है, जिसका उद्देश्य उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एएबीसीएस योजना के तहत रुपये 114.56 करोड़ की राशि के 1,000 आवेदनों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले, तमिलनाडु राज्य में बैंकों ने रुपये 119.18 करोड़ की राशि के 1,160 ऋण वितरित किए हैं जिसने एससी/एसटी समुदायों के उत्थान में योगदान दिया है।

वित्तीय समावेशन

हमारे बैंक ने मेसर्स इंटीग्रा माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को अपना तकनीकी सेवा प्रदाता (टीएसपी) और छह कॉरपोरेट व्यवसाय प्रतिनिधियों, यानी

1. मेसर्स इंटीग्रा माइक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड,
2. मेसर्स अत्याति टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड,
3. मेसर्स एफआइए टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड,
4. मेसर्स स्टारफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
5. मेसर्स जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड और
6. मेसर्स आरएनएफआई सर्विसेज लिमिटेड

को पूरे भारत में व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट्स (बीसीए) के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया है। हमारे बैंक ने 31.03.2025 तक 10135 बीसीए नियुक्त किए हैं। बीसीए खाते खोलने, छोटे मूल्य के जमाओं के संग्रह, एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई जैसी जन सुरक्षा योजनाओं अंतर्गत ग्राहकों का नामांकन, एनपीए खातों सहित ऋण खातों में वसूली, जमाएँ एकत्रित करना एवं आवर्ती जमाओं की किस्तें एकत्रित करते हैं ।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):

बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार पीएमजेडीवाई को लागू किया है। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने की थी। हमारे बैंक ने 31.03.2025 तक 8784415 पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं, जिनमें से 8365710 (95%) सक्रिय खाते हैं। हमने पीएमजेडीवाई खातों में शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2025 तक 7797164 रूपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं।

आधार विनियम, 2016 के अनुसार आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्र।

यूआइडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरे भारत में 379

शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र (एईसी) स्थापित किए गए हैं और मेसर्स असुजा ई-सर्व प्राइवेट लिमिटेड को नवंबर 2024 से हमारे बैंक के सभी आधार नामांकन केंद्रों में जनशक्ति की आउटसोर्सिंग के लिए वेंडर के रूप में नियुक्त किया गया है।

जन सुरक्षा योजनाएँ

जन सुरक्षा योजनाएँ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2015 को शुरू की गई थीं। बैंक जन सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत ग्राहकों का नामांकन कर रहा है। 31 मार्च 2025 तक जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन की संख्या इस प्रकार है:

योजनाओं	31 मार्च 2025 तक नामांकन की स्थिति (संचयी)	वित्त वर्ष 25-2024 के दौरान नामांकन की स्थिति
पीएमजेजेबीवाई	3782634	746823
पीएमएसबीवाई	8316697	1259596
कुल	12099331	2006419

अटल पेंशन योजना:

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 18-40 वर्ष की आयु के बचत खाताधारक जो आयकर दाता नहीं है, के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है । यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को दूर करने में मदद करती है और श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

पिछले कुछ वर्षों में एपीवाई के तहत निष्पादन इस प्रकार रहा है

वित्तीय वर्ष	नामांकन
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
2020-21	1,79,081
2021-22	2,32,860
2022-23	2,77,710
2023-24	2,61,318
2024-25	2,67,678
कुल एपीवाई नामांकन (संचयी)	**16,62,951**

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने तमिलनाडु राज्य में आइओबी को आवंटित सभी प्रमुख जिलों में कुल 14 आरएसईटीआई स्थापित किए हैं, ताकि किसानों, एसएचजी के सदस्यों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कारीगरों और कमजोर वर्गों से संबंधित लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

आरएसईटीआई का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरएसईटीआई ने 471 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनसे 14327 ग्रामीण प्रतिभागियों को लाभ मिला है। बैंक ने 78% का निपटान और 55% ऋण निपटान किया है, जो क्रमशः 70% और 50% के राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है।

वित्तीय साक्षरता

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 24 स्थानों (तमिलनाडु में 15 और केरल में 9) पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान की जा रही है। इन केंद्रों के परामर्शदाता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में शिक्षित कर रहे हैं, आमने-सामने वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं और ऋणी वैयक्तिकों को ऋण परामर्श देते हैं। वे विभिन्न स्थानों पर आवधिक शिविर भी लगाते रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक, स्थापना के बाद से एफएलसी द्वारा 81575 ऋण परामर्श शिविर लगाए किए गए हैं। बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर 17653 वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए गए और शुरुआत से 147341 बचत खाते खोले गए हैं । एफएलसी ने 118 आईटीआई, 7 व्यावसायिक प्रशिक्षण भागीदारों (वीटीपी) और 3 परिचालन केंद्रों (ओसी) में एफएल सत्र संचालित किए और 21069 छात्रों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल):

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफ़आई: 2019-

2024) के मील के पत्थरों में से एक देश के हर ब्लॉक में सीएफ़एल की पहुँच का विस्तार करना है। आरबीआई ने हमारे बैंक को सीएफ़एल के लिए कुल 74 केंद्र आवंटित किए हैं, जिनमें से 65 तमिलनाडु राज्य में और 9 केरल में मेसर्स धन फाउंडेशन (एनजीओ) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान कर रहे हैं। सीएफ़एल को वित्तीय जागरूकता बढ़ाने, बेहतर वित्तीय व्यवहारों को बढ़ावा देने और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका परिणाम अंततः वित्तीय विकल्प जागरूकता एवं अपने के वित्त पर अधिक नियंत्रण की भावना है । ये केंद्र औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने की प्रमुख सीख और लाभों को घर तक पहुँचाने के लिए शैक्षिक वीडियो, अनुभवात्मक शिक्षा और वित्तीय नियोजन उपकरणों के संयोजन का उपयोग करते हैं। हमारे बैंक के एफ़सीएल सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों की वित्तीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने और हर घर की वित्तीय सुभेद्यता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे बैंक के सीएफ़एल समुदाय में बेहतर वित्तीय व्यवहारों को बढ़ावा देना, एक सक्षम वातावरण बनाना और प्रशिक्षित वित्तीय समावेशन विशेषज्ञों का एक नेटवर्क विकसित करना सुनिश्चित करते हैं जो वित्तीय समावेशन को अंतिम पड़ाव तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पैरा-बैंकिंग उत्पादों पर कार्य निष्पादन

पैरा बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्गत, बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकाश्योरेंस और म्यूचुअल निधि के वितरण के माध्यम से 33.31 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। वर्ष के दौरान नीचे उल्लिखित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के साथ-साथ विभिन्न मुहिम और अभियान चलाए गए।

1) वृद्धाश्रमों में जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन (प्रतिष्ठा 4.0 अभियान)

2) जरूरतमंद लोगों के लिए रोशनी (दृष्टि) (सहारा अभियान))

3) अर्जित प्रत्येक ग्रीन पॉइंट के लिए पौधारोपण (उत्कर्ष अभियान)

4) जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क श्रवण यंत्र (शिखर अभियान)।

- रुपये 42.00 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले हमने रुपये 33.31 करोड़ की आय अर्जित की है । उपलब्धि प्रतिशत 79.31% है और सभी उत्पादों में वृद्धि दर्ज की गई है ।
- मार्च 2025 तक पिछले वर्ष की तुलना में कुल आय में वार्षिक वृद्धि 11.25 % है।
- मार्च 2025 तक एचडीएफसी एर्गो को छोड़कर व्यवसाय में कुल आय वृद्धि 17.33% है ।
- मार्च 2025 तक निवा बूपा के तहत पिछले वर्ष की तुलना में समग्र वृद्धि 46.96 % है
- मार्च 2025 तक एसबीआइजीआई के तहत पिछले वर्ष की तुलना में समग्र वृद्धि 32.17 % है
- मार्च 2025 तक एलआइसी के तहत पिछले वर्ष की तुलना में समग्र वृद्धि दर 14.71 % है ।
- हमने यू.एस.जी.आई.सी. के अंतर्गत 5.94 % तथा म्युचुअल फंड्स के अंतर्गत 9.48 % की वृद्धि की है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लॉन्च किए गए उत्पाद

हमने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित नए समूह उत्पाद पेश किए हैं।

- निवा बूपा स्वास्थ्य बीमा

- **एसएचजी के सदस्यों के लिए नया समूह बीमा उत्पाद - एसएचजी सुरक्षा** - एसएचजी के सदस्यों के लिए उत्पाद, जिसमें पॉलिसी अवधि में न्यूनतम 300 रुपये जीएसटी सहित के प्रीमियम पर 18 से 65 वर्ष की आयु के लिए अस्पताल दैनिक नकद लाभ और दुर्घटना मृत्यु कवर प्रदान किया जाता है।
- **सुपर टॉप अप - नए ग्राहकों के साथ-साथ मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए उत्पाद** , इसमें 18-60 वर्ष के वयस्क के लिए और 21- 91 दिन की आयु बच्चे के लिए कवर प्रदान किया जाता है। सुपर टॉप-अप स्वास्थ्य योजना सुपर टॉप-अप योजना में निर्दिष्ट सीमा तक कटौती योग्य राशि से ऊपर कुल अस्पताल बिलों को कवर करती है। एक बार कटौती योग्य राशि का भुगतान हो जाने के बाद, सुपर टॉप-अप पॉलिसी बाद के दावों के लिए सक्रिय हो जाती है।

- **राइज़** - बैंक के ग्राहकों के लिए नया रिटेल उत्पाद, जिसमें 18-65 वर्ष आयु वर्ग के वयस्क और 91 दिन से 30 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कवर प्रदान किया गया है। «राइज» को विशेष रूप से भारत के छोटे शहरों और देश भर में रहने वाली बड़ी आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया है। गतिशील जीवनशैली और विकसित होती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं वाले युग में, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच का महत्व को भली-भांति समझते हुए राइज व्यापक और दूरदर्शी कवरेज प्रदान करने की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है जो आम जनता की भलाई सुनिश्चित करता है।

- **न्यू जीसीसी** – न्यू ग्रुप क्रिटिकल केयर (एनजीसीसी), 18 से 55 वर्ष की आयु के उधारकर्ताओं के लिए 5 साल की पॉलिसी अवधि के साथ गंभीर बीमारी और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने वाला ऋण लिंक्ड उत्पाद है । इस उत्पाद को मौजूदा ग्रुप क्रिटिकल केयर की मुख्य विशेषताओं के साथ उन्नत सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। इस उत्पाद को बेहतर सुविधाओं के साथ

मौजूदा ग्रुप क्रिटिकल केयर की मुख्य विशेषताओं के साथ तैयार किया गया है। यह योजना 41 सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों के इलाज़ और आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के मामले में उधारकर्ताओं को कवर करती है। बीमित राशि स्वीकृत ऋण की राशि के बराबर होगी। उधारकर्ता को 41 सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों में से किसी एक का इलाज़ होने या दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, बकाया ऋण राशि बैंक को भुगतान की जाती है और शेष राशि परिवार को दी जाती है- इस प्रकार बैंक और ग्राहक के हितों की रक्षा होती है।

2. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस

- सुप्रीम हेल्थ केयर पॉलिसी- सुप्रीम हेल्थ केयर पॉलिसी किफायती कीमत पर एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा पॉलिसी है। यह बीमित सदस्य के चिकित्सा और शल्य चिकित्सा व्यय की लागत को कवर करती है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान एक या अधिक बीमित व्यक्ति को किसी बीमारी या चोट के इलाज के लिए अस्पताल/डे केयर सेंटर में भर्ती होना पड़ता है, तो विधिवत योग्य चिकित्सक की चिकित्सा सलाह के बाद, कंपनी कवरेज और बीमित राशि के लिए होने वाले खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगी।

- वाहन बीमा - क्यूआर आधारित आवेदन - पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन (ईएसजी) पहल के एक हिस्से के रूप में वाहन बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए एक नई निर्बाध सेवा शुरू की गई। क्यूआर कोड न केवल सेवाओं का विपणन करते हैं बल्कि ग्राहकों के लिए दावा प्रसंस्करण जैसे कार्यों को भी आसान बनाते हैं ।

3. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस

- आरोग्य प्रोटेक्ट - हमारे बैंक के ग्राहकों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा उत्पाद, जो किफायती मूल्य पर व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करता है, जो चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में चिकित्सा व्यय को कवर करता है और एक फ्लैट प्रीमियम पर प्रस्तावकों और उनके परिवार के लिए सुरक्षित कवरेज प्रदान करता है।

सामाजिक कारणों के लिए चलाए गए अभियान:

- **निवा बूपा प्रतिष्ठा अभियान 3.0 -** वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में जरूरतमंद भारतीयों को भोजन दान करना। हमारे बैंक ने 9.73 करोड़ रुपये के निवल प्रीमियम के साथ 29204 पॉलिसियां जारी की हैं, जिससे 48641 प्लेज़ पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार जरूरतमंद लोगों के लिए 48641 भोजन दान किए गए है।

- **निवा बूपा "सहारा" अभियान -** मोतियाबिंद सर्जरी के लिए दान करना और जरूरतमंद लोगों को रोशनी (दृष्टि) प्रदान करना । हमारे बैंक ने 10.47 करोड़ रुपये के निवल प्रीमियम के साथ 35720 पॉलिसियाँ जारी की हैं, जिससे 8380 प्लेज़ पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार जरूरतमंद लोगों के लिए 838 मोतियाबिंद सर्जरी दान की गई है।

- **जनरल इंश्योरेंस अभियान – उत्कर्ष'2025 –** यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – हर 500 ग्रीन पॉइंट के लिए यूएसजीआई बैंक के नाम पर 1 पौधा लगाएगा। तदनुसार, जुटाए गए 701.80 लाख रुपये के प्रीमियम के लिए, 7.02 लाख ग्रीन पॉइंट जुटाए गए हैं और यूएसजीआईसी द्वारा बैंक के नाम पर 702 पौधे लगाए जाएंगे।

- **सामान्य बीमा अभियान – शिखर 2025 –** एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – हमारे बैंक द्वारा प्राप्त प्रत्येक 10 लाख प्रीमियम के लिए, एसबीआईजीआई कंपनी लिमिटेड बैंक के नाम पर विकलांग और जरूरतमंद लोगों को एक श्रवण यंत्र प्रदान करेगी। तदनुसार 370.60 लाख रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ और एसबीआइजीआइसी जरूरतमंद लोगों को बैंक के नाम पर 37 श्रवण यंत्र दान करेगा।

धार्मिक संस्थाओं हेतु क्यूआर स्टैंड

- हम मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए क्यूआर कोड स्टैंड उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे भक्त ई-चढ़ावा चढ़ा सकें।

- पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न धार्मिक संस्थानों में 242 क्यूआर कोड स्टैंड स्थापित किए गए, जिन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया और समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार मिला है।

- 31.03.2025 तक विभिन्न धार्मिक संस्थानों में स्थापित क्यूआर कोड स्टैंड के माध्यम से 5.04 करोड़ रुपये का चढ़ावा प्राप्त हुआ। प्राप्त चढ़ावे को संबंधित खातों में जमा किया जाता है।

ग्राहक सेवा

बैंक अपने सभी ग्राहकों को निरंतर सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास करता है और ग्राहकों की शिकायतों का संतोषजनक समाधान करता है। बैंक ने अपने मूल्यवान ग्राहकों को बेहतर शिकायत निवारण प्रदान करने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ ग्राहक संबंध प्रबंधन टूल को नए रूप में पेश किया है। इसके अलावा, बैंक ग्राहकों को सही उत्पाद चुनने में मदद करता है और उन्हें सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेने के लिए परामर्श देता है। बैंक ग्राहकों की संतुष्टि के लिए शिकायतों का तुरंत और टीएटी के भीतर समाधान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

बैंक ने अपनी वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग ऐप, संपर्क केंद्र आदि के माध्यम से शिकायत निवारण पोर्टल की सुविधा प्रदान की है। ग्राहक इनमें से किसी भी पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं। ग्राहक अपनी शिकायतों की स्थिति देख सकते हैं और मांगे गए किसी भी अतिरिक्त रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। ग्राहक अगर संतुष्ट हैं तो वे अपनी शिकायत का निवारण होने का विकल्प चुन सकते हैं।

शिकायत निवारण तंत्र:

हमारी सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली अगले कार्य दिवस के भीतर समाधान प्रदान करने का प्रयास करती है, जिसके लिए बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों में एक हेल्पडेस्क तैयार की है, जिसमें एक द्वितीय पंक्ति शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ), तकनीकी सहायता के लिए एक आरसीसी अधिकारी और ग्राहक शिकायतों को तुरंत हल करने के लिए डेस्क अधिकारी शामिल है। शिकायत निवारण प्रणाली के लिए सभी विनियामक मापदंडों से युक्त ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) टूल उपलब्ध है। शिकायत विवरण वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध हैं और कार्यालयों के विभिन्न स्तरों द्वारा पहुँच प्रभावी निवारण प्रणाली को सक्षम बनाती है। शिकायतों का समाधान होने पर ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रावधान भी पोर्टल में अंतर्निहित है।

आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र और संपर्क केंद्र के अलावा, विभाग वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र अर्थात बैंकिंग लोकपाल (आरबीआई), सीपीजीआरएएमएस (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली), आइएनजीआरएएमएस (उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करते हैं।

बैंक ने ग्राहकों के अनुभव को आसान बनाने के लिए कई ग्राहक अनुकूल पहल शुरू की हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. **शिकायत निवारण दिवस:** पूरे भारत में शाखा स्तर पर **हर महीने की 15 तारीख को** शिकायत निवारण बैठक आयोजित की जाती है। विभाग ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक और सुझावों को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष रखता है।
2. **शिकायत निपटान दिवस :** शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए शिकायत निपटान दिवस की शुरुआत की गई, तथा शिकायतों के त्वरित प्रासंस्करण के लिए यह **प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को आयोजित किया जाता है।**
3. **ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम):** बैंक ने डिजिटल पहल के अंग के रूप में सीआरएम **और एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है** जो एक सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल है जिसका उपयोग ग्राहकों की शिकायतों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यह टूल व्यवसायों को ग्राहक शिकायतों को प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और उनका निवारण करने में मदद करता है, जिससे अंततः ग्राहक संतुष्टि और समझ में सुधार होता है।

ग्राहक संपर्क केंद्र:

1. हमारे पास इनबाउंड के लिए टोल फ्री सेवाओं के साथ संपर्क केंद्र है, जो समर्पित ग्राहक सेवा एजेंटों के साथ अनुरोध, प्रश्न और शिकायतों से संबंधित सभी कॉलों को 24X7 आधार पर सुनता है, ताकि कॉल करने पर ग्राहकों द्वारा उठाए गए मुद्दों/शिकायतों का समाधान/पंजीकरण किया जा सके और आइवीआर स्वयं सेवा समाधान के माध्यम से स्वयं सेवा प्रदान की जा सके। टोल फ्री नंबर 1800 890 444 और 1800 425 4445 हैं।

2. नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी और विभिन्न ओमनीचैनल के साथ ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए नए नेक्स्ट जेन संपर्क केंद्र का परिवर्तन/ एकीकरण प्रगति पर है ।

3. धोखाधड़ी से संबंधित कॉल को रोकने के लिए, **आरबीआई/ट्राई दिशानिर्देशों के अनुसार '140xx' और '1600xx' नंबर सीरीज:** भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संदर्भ संख्या आरबीआई/2024-25 सीईपीडी. सीओ. ओबीडी. सं. एस 1270/50-01-001/2024-25 दिनांक 17.01.2025 के माध्यम से सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा वॉयसकॉल और एसएमएस का उपयोग करके किए जाने वाले वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी आउटबाउंड प्रमोशनल वॉयस कॉल को - 140xx' नंबरिंग सीरीज से पहले जोड़ा जाना चाहिए और आउटबाउंड ट्रांजेक्शनल और सर्विस कॉल को -1600xx' नंबर सीरीज से पहले जोड़ा जाना चाहिए।

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार यह प्रक्रिया 31.03.2025 को या उससे पहले पूरी होनी थी । बैंक ने निम्नलिखित नंबर प्राप्त किए हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर उपरोक्त दिशा-निर्देशों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। प्राप्त किए गए नंबरों का विवरण इस प्रकार है: :

- लेन-देन और सेवा कॉल के लिए 1600 118 119 और 1600 318 418 (60 चैनल)
- प्रमोशनल कॉल के लिए 140 9686 440 से 140 9686 469 (30 चैनल)

4. **उपर्युक्त आउटबाउंड नंबरों से परिचित कराने के लिए , बैंक ने** सभी ग्राहकों को उपर्युक्त नंबरों के विवरण के साथ **एसएमएस (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में)** भेजे हैं और **हमारे बैंक की वेबसाइट** और **संबंधित आइओबी सोशल मीडिया में विवरण पोस्ट किया है।**

5. संपर्क केंद्र की जानकारी हमारी **आइओबी** वेबसाइट में ग्राहक सेवा मेनू के अंतर्गत डाल दी गई है।

पीएसबी एलायंस डोरस्टेप बैंकिंग:

आइबीए और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने पीएसबी गठबंधन डोरस्टेप बैंकिंग को सफलतापूर्वक लागू किया है।

- जून 2024 में पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए "डीएसबी अभियान" के दौरान समूह ग में बैंक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- खाता खोलते समय डीएसबी सेवाओं के पंजीकरण के लिए ग्राहक से सहमति प्राप्त करने के लिए बचत बैंक खाता खोलने के फॉर्म में एक कॉलम शामिल किया गया है।
- पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 01.11.2024 से 31.12.2024 तक अखिल भारतीय डीएसबी राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 1399 लेनदेन सफलतापूर्वक किए गए।

विभाग की उपलब्धियां:

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैंक द्वारा शिकायत निवारण अब तक का सर्वोच्च स्तर रहा। हम **बैंकिंग लोकपाल चेन्नै और आइएनजीआरएएमएस की शिकायतों को शून्य तक सीमित रख पाए।**
- सभी शिकायतों का निपटान टीएटी के भीतर कर दिया गया तथा कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक समय से लंबित नहीं है।
- आरबीआई- लोकपाल कार्यालय से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई **अधिनिर्णय** नहीं मिला है ।
- हमारे बैंक में लंबित शिकायतों की संख्या लगभग शून्य है।
- ग्राहकों के शाखा अनुभव को बेहतर बनाने और शाखाओं में निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए 50 (पचास) मेट्रो शाखाओं में कतार प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई।
- ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए **पुरस्कार और प्रेरणा कार्यक्रम** के तहत ग्राहक अनुभव पर नकद लेनदेन के लिए एसएमएस के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करने की व्यवस्था लागू की गई।
- **त्रैमासिक शैक्षिक श्रृंखला** जारी की जा रही है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। विभाग ने प्राप्त शिकायतों और मूल कारण विश्लेषण के आधार पर पहले ही 20 शैक्षिक श्रृंखला परिपत्र जारी किए हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई ग्राहक शिकायतों का विवरण 2024-2025 का लक्ष्य नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
वर्ष की शुरुआत में शिकायतों की संख्या	2017	1950
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	210075	257420
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	209482	257353
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2610	2017
प्रभावी समाधान दर	98.77%	99.22%

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए शिकायतों की श्रेणियां निम्नानुसार हैं :

शिकायतों की प्रकृति	सभी चैनलों में शिकायतों की कुल संख्या	कुल शिकायतों का %
	गैर-डिजिटल	
सामान्य बैंकिंग	5641	2.69
ग्राहक सेवा	2471	1.18
पीएमजेडीवाई	930	0.44
अग्रिम	888	0.42
जमा	878	0.42
सीआइसी	501	0.24
बीमा	496	0.24
पेंशन	185	0.09
एनआरआई सेवाएं	105	0.05
अन्य	342	0.16
कुल	**12437**	**5.92**
	डिजिटल	
गैर-एटीएम	156450	74.47
एटीएम	41188	19.61
उप योग	**197638**	**94.08**
कुल योग	**210075**	**100**

ग्राहक सेवा समिति

एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 4 बार बैठक हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		वित्त वर्ष 2024-25 में भाग ली गई/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	अभी तक	4/4
2	श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	अभी तक	4/4
3	श्री धनराज टी	10.03.2024	अभी तक	4/4
4	श्री बी चंद्रा रेड्डी	12.03.2024	20.12.2024	3/4
5	श्री दीपक शर्मा	21.12.2021	20.12.2024	3/4

तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

1. बैंक अपने एनपीए पोर्टफोलियो को कम करने और लाभ स्तर में सुधार करने के लिए लगातार विभिन्न तरीकों और रिकवरी टूल्स को अपना रहा है। हालांकि एनपीए वसूली में मुख्य उद्देश्य लाभ के मोर्चे पर किसी भी तरह की बाधा के बिना संपूर्ण संविदागत बकाया की वसूली करना है, लेकिन व्यवहार में विभिन्न कारकों के कारण बैंक को यथा आवश्यकता अन्य तरीकों से एनपीए वसूली के लिए रणनीति बदलनी पड़ रही है, जिसमें समझौता निपटान के अलावा अन्य कानूनी उपाय भी शामिल हैं। बैंक ने वसूली कार्य को सुदृढ़ करने और वसूली क्षेत्र में समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न पहल की।

2. बैंक ने सरफेसी में भी डिजिटलीकरण लागू किया है, सभी डिमांड नोटिस , कब्ज़ा नोटिस और बिक्री नोटिस भी तैयार और प्रेषित किए गए हैं। बैंक पूरी वसूली प्रक्रिया (यानी) वन टाइम सेटलमेंट, एनसीटीएल, डीआरटी, लोक अदालत, सिविल सूट आदि के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में भी है।

3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, रिकवरी टूल में से एक जिसने बहुत अच्छा काम किया है, वह है स्पेशल ओटीएस योजनाएँ। स्पेशल ओटीएस योजनाओं को इस तरह से संशोधित किया गया है कि गैर एनसीएलटी खातों के लिए, प्राधिकरणों के विभिन्न स्तरों को अधिकार दिए गए हैं ताकि बकाया एनपीए खातों को ओटीएस की मंजूरी के लिए कोई लंबी प्रक्रिया किए बिना निर्बाध रूप से निपटाया जा सके और इसे उधारकर्ताओं/गारंटियों को बताया जा सके। विशेष ओटीएस की इस योजना को गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण प्रकृति का बनाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत ओटीएस की कुल संख्या 1517.47 करोड़ रुपये की राशि के लिए 52928 खाते थे और इसमें से बैंक ने अब तक 818.05 करोड़ रुपये की राशि वसूल की है।

4. बैंक ने ई-बिक्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्च 2025 तक हर महीने सरफेसी अधिनियम के तहत संपत्तियों के लिए ई-नीलामी की। बैंक 4397 संपत्तियों की ई-नीलामी कर सका और इसमें से 516 संपत्तियां वित्त वर्ष 2024-25 में ई-नीलामी के तहत 463.77 करोड़ रुपये प्राप्त करके बेची गईं। सरफेसी के तहत ई-नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत ने कई एनपीए खातों में ओटीएस, अपग्रेडेशन और पूर्ण पुनर्भुगतान करने का रास्ता भी प्रशस्त किया है। अधिक खरीदारों को लाने, बैंक ने बोलीदाताओं को जुटाने के लिए ऋण वसूली एजेंटों को भी नियुक्त किया है। बैंक ने आइओबी ऑनलाइन में सभी पात्र संपत्तियों का विवरण उपलब्ध कराया है, जहाँ संभावित खरीदार संपत्ति के विवरण की खोज कर सकते हैं और नीलामी में भाग ले सकते हैं। बैंक ने हमारी वेबसाइट पर आने वाले संभावित खरीदारों से लीड सृजित करने के लिए एक ट्रिगर टूल विकसित किया है।

5. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक द्वारा की गई कुल एनपीए वसूली लगभग 4013.57 करोड़ रुपये थी, वसूली पर बैंक का ध्यान अपरिवर्तित और अडिग बना हुआ है। बैंक चालू वित्त वर्ष में भी वसूली की गति को सुदृढ़ बनाए रखेगा।

आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त याचिकाओं का निपटान

आरटीआई आवेदनों और अपीलों को बैंक में आरटीआई कक्ष नामक एक अलग और विशेष कक्ष द्वारा निपटाया जाता है। आरटीआई सेल विधि विभाग के सहायक महा प्रबंधक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम कर रहा है, जिन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) के रूप में नामित किया गया है। बैंक ने क्षेत्रीय प्रबंधकों को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआइओ) के रूप में भी नामित किया है ताकि निर्धारित समय सीमा (यानी, आरटीआई आवेदन प्राप्त होने से 30 दिन) के भीतर आरटीआई आवेदनों का निपटान करने में सीपीआइओ की सहायता की जा सके। हमारे बैंक में 50 सीएपीआइओ हैं।

बैंक ने विधि विभाग के महा प्रबंधक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है, जो सीपीआइओ और

सीएपीआइओ के उत्तर से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों का निपटान करेंगे।

वर्ष 2024-25 में सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दायर **1571 आवेदन** प्राप्त हुए हैं । सीपीआइओ और सीएपीआइओ द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार **1557 आरटीआई आवेदनों का विधिवत निपटान किया गया है।**

सीपीआइओ और सीएपीआइओ के उत्तर के विरुद्ध आगे की जानकारी मांगने वाली 263 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं और 262 को एफएए द्वारा योग्यता के आधार पर और आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित करके निपटाया गया है।

सीपीआइओ/सीएपीआइओ और एफएए के जवाब से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं ने माननीय केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी), नई दिल्ली के समक्ष दूसरी अपील दायर की। बैंक को सीआईइसी के समक्ष दायर दूसरी अपीलों में **69 नोटिस** प्राप्त हुए। सभी दूसरी अपीलों का प्रतिनिधित्व सीपीआइओ/सीएपीआइओ ने किया और सूचना आयुक्त द्वारा बैंक के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी किए बिना योग्यता के आधार पर उचित आदेश पारित करके उनका विधिवत निपटारा किया गया।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम उठाना बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। बैंक अपनी गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के जोखिम उठाते हैं जबकि अपनी जोखिम क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं। बैंक द्वारा उठाया जाने वाला प्रत्येक लेनदेन बैंक के जोखिम प्रोफाइल को बदलता है। व्यवसाय के सामान्य क्रम में, बैंक को क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम लेने की गतिविधि को प्रतिबंधित या रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जोखिम पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ सचेत रूप से लिया जाए ताकि इसे मापा और कम किया जा सके। ऐसे जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और अपने जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों और प्रक्रियाओं को लागू किया है जिसमें नीतियां, टूल्स, तकनीक, निगरानी तंत्र और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक का लक्ष्य निरंतर आधार पर जोखिम और रिटर्न के बीच उचित संतुलन प्राप्त करके शेयरधारक मूल्यों को बढ़ाना और अधिकतम करना है। बैंक के जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों में मोटे तौर पर बैंक के समग्र जोखिम दर्शन को स्पष्ट करने के उद्देश्य से जोखिमों की उचित पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण और शमन शामिल हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन रणनीति जोखिमों की समझ और बैंक की जोखिम क्षमता के स्तर पर आधारित है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के निर्धारण के माध्यम से बैंक की जोखिम क्षमता मोटे तौर पर प्रदर्शित होती है।

बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना स्थापित की है। बोर्ड की एक उप-समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बैंक ने आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों का भी गठन किया है, जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए निधि समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और उत्पाद/प्रक्रिया जोखिम न्यूनीकरण समिति (पीआरएमसी) तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए सूचना सुरक्षा समिति।

बैंक में सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में व्यवसाय विभागों से स्वतंत्र, एक पूर्ण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है। बैंक के महा प्रबंधक के पद पर मुख्य जोखिम अधिकारी विभाग के प्रभारी हैं, जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के संयोजक हैं। विशेष रूप से विभागों/जोखिम प्रबंधन में मध्य कार्यालय और सामान्य रूप से अन्य कार्यात्मक शाखाएं भी जोखिम प्रबंधन कार्य करती हैं और नीतियों, जोखिम सीमा ढांचे और आंतरिक अनुमोदन के पालन/अनुपालन की निगरानी करती हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के ऋण जोखिम की देखरेख के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों को नामित किया गया है। विभिन्न एमआइएस प्रस्तुत करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय के साथ समन्वय करने के अलावा क्षेत्रीय जोखिम प्रबन्धक क्षेत्रीय स्तर की ऋण अनुमोदन समितियों में भाग लेते हैं।

जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का मूल दृष्टिकोण इसके उद्भव स्थल पर जोखिम को नियंत्रित करना है। बेसल III दिशानिर्देश 01.04.2013 से लागू किए गए हैं, और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी बनाए रख रहे हैं। 9% की न्यूनतम पूंजी और 11.50% के समग्र सीआरएआर के साथ 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर आरबीआई द्वारा उनके बेसल III में निर्धारित किया गया है। बेसल- III ढांचा तीन परस्पर सुदृढ़ स्तंभों पर आधारित है। संशोधित ढांचे का पहला स्तंभ जहां ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को संबोधित करता है, वहीं पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का दूसरा स्तंभ यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास अपने व्यवसाय में सभी जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी है और यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के अनुरूप है।

आरबीआई परिपत्र के अनुसार, बैंक ने दूसरे स्तंभ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य पहले स्तंभ के जोखिमों के तहत विनियामक निर्देशों के अलावा बैंक के समक्ष आने वाले सभी भौतिक जोखिमों का आकलन करना और निरंतर आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी संरचना सुनिश्चित करना है।

2 दिसंबर 2013 को आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप असाधारण लेकिन संभावित घटनाओं के प्रति संगठन की संभावित भेद्यता का आकलन करने के लिए एक «तनाव परीक्षण ढांचा» तैयार किया है। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेष रूप से बैंक के भौतिक जोखिम के संबंध में आर्थिक मंदी के समय पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिमों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और तदनुसार उनसे निपटने के लिए उपयुक्त सक्रिय कदम उठाता है। नीतिगत निर्देशों और तनाव परीक्षण पर एसओपी दस्तावेज़ के अनुसार, बैंक समय-समय पर बैंक की बैलेंस शीट और विशिष्ट पोर्टफोलियो पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और रिपोर्ट एएलसीओ/ आरएमसीबी /बोर्ड को देता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा उद्धार योजना लागू है। शून्य डेटा हानि की सुविधा के लिए 3-वे डेटा केंद्र स्थापित किए गए हैं, सभी 3 डेटा केंद्रों और केंद्रीय स्तर पर कई एमपीएलएस-वीपीएन उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन, विभिन्न वैकल्पिक सेवा / वैकल्पिक प्रदाताओं से दोहरी कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया स्थापित की गई है। फ़ायरवॉल और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम लागू किए गए हैं। सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना सुरक्षा विभाग द्वारा एक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है, जबकि आइएस ऑडिट अनुभाग बैंक के विभाग और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा का ध्यान रखता है। बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणालियों को स्थापित किया है।

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने तथा बेसल III ढांचे के अंतर्गत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने की प्रक्रिया में संलग्न है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देश में विभिन्न आवृत्तियों पर अलग-अलग घरेलू परिचालन और विदेशी परिचालन सहित समेकित बैंक परिचालन की तैयारी और प्रस्तुति शामिल है। बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में प्रणाली और प्रक्रिया लागू की है।

आरबीआई ने संभावित नकदी व्यवधानों के प्रति बैंकों की अल्पकालिक आघात-सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरुआत की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) हो। बैंक के लिए 1 जनवरी 2019 से प्रभावी आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता 100% है। बैंक न्यूनतम निर्धारित स्तरों से काफी ऊपर एलसीआर बनाए रख रहा है। बैंक के पास आकस्मिक नकदी प्रवाह को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि है।

आरबीआई ने बैंकों की लंबी अवधि में आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की है, जिसके तहत बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों से वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है। 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है।

बैंक ने एनएसएफ़आर को न्यूनतम निर्धारित स्तरों से काफी ऊपर बनाए रखा है। बैंक का अधिकांश वित्तपोषण खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों आता है, जो वित्तपोषण की स्थिरता के संबंध में उच्च स्थिरता प्रदान करते है। बैंक के पास दीर्घकालिक परिदृश्य में निरंतर आधार पर अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए वित्तपोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

ब्याज दर जोखिम बैंकिंग बही (आइआरआरबीबी) मापन और प्रबंधन पर आरबीआई द्वारा 17.02.2023 को जारी परिपत्र के माध्यम से आइआरआरबीबी पर जारी अंतिम दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपनी जोखिम क्षमता के आधार पर पूंजी आवंटन के लिए अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली विकसित करनी चाहिए। पूंजी के उचित स्तर का निर्धारण करते समय, बैंकों को आवश्यक पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर विचार करना चाहिए।

बैंक ने ब्याज दर जोखिम बैंकिंग बही में गणना शुरू कर दी है और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में संभावित परिवर्तन और निवल ब्याज आय में परिवर्तन को मापा जा रहा है और इस संबंध में आरबीआई को भी रिपोर्ट किया जा रहा है। बैंकिंग बुक में बैंक का ब्याज दर जोखिम सहनीय सीमा के भीतर है और समय-समय पर इसकी निगरानी और प्रबंधन किया जा रहा है।

बेसल III ने एक सरल, पारदर्शी और गैर-जोखिम आधारित लीवरेज अनुपात पेश किया है, जिसे जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकता के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए कैलिब्रेट किया गया है। बैंक जून 2015 को समाप्त तिमाही से लीवरेज अनुपात पर नियामक आवश्यकता का अनुपालन कर रहा है और तिमाही आधार पर आरबीआई को रिपोर्ट कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बेसल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें 1 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, इसके तहत बैंकों को 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से बेसल III पूंजी अनुपात का प्रकटीकरण करना होगा। बैंक इसका अनुपालन कर रहे हैं।

बेसल-III ढांचे का तीसरा स्तंभ बाजार अनुप्रशासन से संबंधित है। बाजार अनुप्रशासन का उद्देश्य स्तंभ 1 के तहत विस्तृत न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं और स्तंभ 2 के तहत विस्तृत पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का पूरक बनना है। इस संदर्भ में और आरबीआई के मार्गदर्शन में बैंक में जोखिम प्रबंधन के संबंध में डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है, जो बाजार सहभागियों को (ए) आवेदन के दायरे (डीएफ-1), (बी) पूंजी

पर्याप्तता (डीएफ-2), (सी) ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (डी) ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-4), (ई) ऋण जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (एफ) प्रतिभूतिकरण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (जी) काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10), (के) पूंजी की संरचना (डीएफ (11), लेखांकन परिसंपत्तियां बनाम लीवरेज अनुपात जोखिम उपाय (डीएफ 17) और लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डीएफ-18) की सारांश तुलना है। यह बाजार सहभागियों को विभिन्न मापदंडों में बैंक के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

ऋण निगरानी

बैंक ने एसएमए खातों की अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली तथा ऋण की गहन निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियां क्रियान्वित की हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चूक को न्यूनतम संभव स्तर पर रखा जा सके।

खातों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लागू किए गए उपाय:

बैंक ने बढ़ती हुए स्लिपेज के संभावित जोखिम को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं,

- **प्रत्येक माह काफी पहले ही महीने के लिए एसएमए और संभावित स्लिपेज रिपोर्टें ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाती है** तथा शाखाओं/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ केंद्रीय कार्यालयों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दैनिक आधार पर अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाती है।
- एसएमए उधारकर्ताओं को नियमित अंतराल पर **एसएमएस अलर्ट** भेजे जाते हैं, जो उन्हें बकाया राशि के पुनर्भुगतान की याद दिलाते हैं।
- 15 दिनों के भीतर टेलीफोन पर अनुवर्ती कार्रवाई का जवाब नहीं देने वाले एसएमए उधारकर्ता के पास **वैयक्तिक दौरा किया जाता है ।**
- रुपये 50 लाख और उससे अधिक बकाया वाले **एसएमए खातों की** केन्द्रीय कार्यालय में जीएम समिति द्वारा **मासिक आधार पर समीक्षा की जा रही है ।**
- विदेशी **शाखाओं के एसएमए खातों की** भी मासिक आधार पर जीएम समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।
- **सिस्टम द्वारा पत्र भेजने की सुविधा** (अतिदेय राशि का उल्लेख तथा शीघ्र नियमितीकरण का अनुरोध करते हुए) को क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं के लिए सक्षम कर दिया गया है।
- खुदरा ऋण और एमएसएमई के एसएमए/ संभावित स्लिपेज खातों में अनुवर्तन और वसूली के लिए **आउटबाउंड कॉल सेंटर** की सेवाएं भी ली जाती हैं । कॉल के अलावा **वॉयस ब्लास्ट** सुविधा का उपयोग अतिदेय उधारकर्ताओं को पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश भेजने के लिए भी किया जाता है, जिससे उन्हें जल्द से जल्द अपना बकाया चुकाने की याद दिलाई जाती है।
- **वेब ऐप और मोबाइल ऐप** 01.07.2024 को लॉन्च किया गया है और इन ऐप के ज़रिए शाखाओं/ आरओ द्वारा एसएमए खातों का अनुवर्तन किया जा रहा है। शाखाओं/आरओ द्वारा अनुवर्तन के लिए एसएमए डेटा को दैनिक आधार पर अद्यतित किया जा रहा है।

बैंक उपर्युक्त उपायों को अपनाकर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्लिपेज को नियंत्रित करने में सक्षम रहा और एसएमए की वसूली और नियमितीकरण को बढ़ाया गया है।

ऋण समीक्षा तंत्र

- **स्टॉक लेखा - परीक्षा प्रक्रियाओं को** सुदृढ़ किया गया है। स्टॉक लेखा-परीक्षा समीक्षा नोट केंद्रीय कार्यालय में जीएम समिति के समक्ष रखे जा रहे हैं और समिति की टिप्पणियों को क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं को सूचित किया जा रहा है।
- **विशेष निगरानी (एएसएम) के लिए एजेंसी** बैंक द्वारा उन खातों के लिए आबंटित की जाती है जहां सीसीडी/एमएसएमई ने मंजूरी में एएसएम की नियुक्ति अनुबद्ध की गई है। रिपोर्टें केंद्रीय कार्यालय में महा प्रबंधक समिति के समक्ष रखी जा रही हैं तथा समिति की टिप्पणियों को उचित अनुपालन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखाओं को सूचित किया जा रहा है।
- घरेलू खातों के लिए रुपये 50.00 लाख और उससे अधिक के जोखिम वाले खातों और विदेशी खातों के लिए रुपये 1.00 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले खातों के लिए **क्रेडिट अनुपालन लेखा-परीक्षा की जा रही है। लेखा-परीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। अनुपालन के स्तर के अनुसार खाते को निम्न/मध्यम/उच्च के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।** अनुपालन को सुदृढ़ करने और कमियों को दूर करने के लिए खातावार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
- **प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस):** बैंक के पास एक सुदृढ़ ईडब्ल्यूएस समाधान है। यह समाधान रुपये 3.00 करोड़ या उससे अधिक (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) के जोखिम वाले गैर-खुदरा खातों और रुपये 50.00 लाख और उससे अधिक जोखिम वाले खुदरा खातों को कवर करता है, चाहे उधार व्यवस्था कुछ भी हो।

अनुपालन

अनुपालन: प्रशासन और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) कॉरपोरेट प्रप्रशासन और जोखिम प्रबंधन के एक बुनियादी स्तंभ के रूप में अनुपालन को बनाए रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक का सुदृढ़ अनुपालन ढांचा सख्त विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है और एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देता है। मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के नेतृत्व में अनुपालन विभाग सीधे प्रबंध निदेशक व सीईओ, बोर्ड और बोर्ड की लेखा - परीक्षा समिति (एसीबी) को रिपोर्ट करता है, जिससे सख्त निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

प्रमुख अनुपालन पहलें:

- **"अनुपालन" मोबाइल ऐप** - संरचित अनुपालन रिपोर्टिंग, जियो-टैग्ड शाखा दौरे और वास्तविक समय की निगरानी के लिए डिजिटल टूल।
- **अनुकूलित ई-लर्निंग और प्रमाणन** - नियामक जागरूकता बढ़ाने के लिए आइआइबीएफ़ के साथ साझेदारी में अनुपालन प्रशिक्षण।
- **विनियामक कौशल उन्नयन एवं कार्यशालाएं** – उभरते विनियमों के बारे में कर्मचारियों के ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए आवधिक सत्र ।
- **व्यापक अनुपालन निगरानी टूल** - विनियामक परिवर्तन प्रबंधन और अनुपालन परीक्षण के लिए डिजिटल ढांचा।
- **ज्ञान प्रबंधन टूल** - आरबीआई, सेबी और अन्य नियामक दिशानिर्देशों तक केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करने वाला इंट्रानेट पोर्टल।
- **नये उत्पाद की निगरानी** - नये लॉन्च किये गये उत्पादों के लिए छह महीने का गहन अनुपालन जोखिम मूल्यांकन।
- **"आइओबी अनुपालन" अनुपालन पत्रिका** - नियामक अद्यतन और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर समर्पित प्रकाशन।
- **अनुपालन जागरूकता सप्ताह** - प्रशिक्षण और मान्यता कार्यक्रमों के माध्यम से अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने वाली बैंक-व्यापी पहल।

प्रतिष्ठित सम्मान: अनुपालन उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए एसकेओसीएच पुरस्कार

अनुपालन नवाचार और प्रशासन उत्कृष्टता के प्रति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की **प्रतिबद्धता को प्रतिष्ठित एसकेओसीएच पुरस्कार** से सम्मानित किया गया । यह राष्ट्रीय सम्मान **अनुपालन प्रबंधन, जोखिम शमन और डिजिटल परिवर्तन में** आइओबी की अग्रणी पहलों को मान्यता देता है , जो विनियामक अनुपालन और अनुपालन सर्वोत्तम प्रक्रियाओं में इसके नेतृत्व को सुदृढ़ करता है।

निरीक्षण व लेखा - परीक्षा

बैंक का निरीक्षण और लेखापरीक्षा विभाग बैंक की निरंतर प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता का एक अभिन्न हिस्सा है, जो नियमों का पालन सुनिश्चित करने, जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन, और मजबूत आंतरिक नियंत्रणों के लिए सतत रूप से कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2024 -25 के लिए, विभाग ने तीन प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित किया : पहला, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और अन्य संबन्धित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी आदेशों और निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सत्यापित करना ; दूसरा, बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण तंत्र की मजबूती और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना ; और तीसरा, बैंक की समग्र परिचालन दक्षता और सफलता को बढ़ाने में सुधार के अवसरों को चिन्हित करना और लक्षित समाधानों की सिफ़ारिश करना है ।

वित्तीय वर्ष 2024 – 25 के दौरान प्रमुख गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

वर्ग	उद्देश्य	प्रमुख गतिविधियां एवं मुख्य बिन्दु	प्रभाव / महत्व
समग्र अधिदेश	विनियमक अनुपालन सुनिश्चित करना, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना, और आंतरिक नियंत्रण को बढ़ाना	निरीक्षण और लेखापरीक्षा विभाग ने निरंतर सुधार की आधारशिला के अनुरूप में कार्य किया, सक्रिय रूप से सुधार के क्षेत्रों की पहचान की और बैंक की परिचालनात्मक दृढ़ता को मजबूत किया है ।	विभाग ने एक मजबूत और अनुपालक बैंकिंग वातावरण बनाने में योगदान दिया, सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और हितधारकों के विश्वास को सुदृढ किया
जोखिम आधारित आंतरिक लेखा - परीक्षा (आरबीआइए)	विस्तृत जोखिम आधारित लेखा - परीक्षा	सभी नियोजित और अनुमोदित शाखाओं को निर्धारित समय - सीमा के भीतर शामिल करते हुए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआइए योजना का 100% क्रियान्वयन किया ।	शाखा नेंटवर्क के जरिए जोखिम प्रोफ़ाइल के आकलन अच्छी तरह से सुनिश्चित किया गया, जिससे संभावित भेद्यता की समय पर पहचान कर, उसे कम किया जा सका ।
ऑफसाइट निगरानी इकाई (ओएमयू)	प्रारम्भिक जोखिम पहचानने में वृद्धि और उसे कम करना ।	नियंत्रण – उन्मुख अपवाद रिपोर्टिंग केन्द्रित महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए ।	उभरते जोखिमों को सक्रिय रूप से पहचानने और उनका समाधान करने की इकाई की क्षमता में सुधार हुआ है। जोखिम प्रबंधन के प्रति अधिक गतिशील और अग्रगामी दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाना, जो विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप हो।
ऑफसाइट कंट्रोल एंड सर्विलेंस (ओसीएएस)	लेखापरीक्षा के निरीक्षण बिन्दुओं के अनुपालन में सुधार करना	मुख्य नियंत्रण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए लेखापरीक्षा पैकेज संशोधनों को लागू किया गया ।	लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन में वृद्धि से बैंक परिचालन में अधिक मजबूत नियंत्रण वातावरण को बढ़ावा मिला
प्रबंधन लेखापरीक्षा	प्रबंधन कार्यों की दक्षता एवं प्रभावशीलता का आकलन करना	प्रबंधन लेखापरीक्षा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में संचालित की गई, जिसमें 49 क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय के 43 विभागों, 7 नोडल लेखापरीक्षा कार्यालयों एवं 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है ।	प्रबंधन प्रथाओं की प्रभावशीलता पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की गई, जिससे समग्र संचालन दक्षता एवं रणनीतिक समन्वयन को बढ़ाने के लिए लक्षित सुधार संभव हो सके ।
समवर्ती लेखापरीक्षा	शाखाओं के भीतर लेन - देन और नियंत्रण की वास्तविक समय में निगरानी	50% जमा और 60% कुल अग्रिम के कवरेज सहित 676 शाखाओं की समवर्ती लेखा - परीक्षा किया गयी।	उच्च मूल्य वाले लेन-देन और प्रमुख नियंत्रण बिन्दुओ की निरंतर निगरानी प्रदान की गई, जिससे अनियमितताओं की त्वरित पहचान और समाधान संभव हो सका ।

वर्ग	उद्देश्य	प्रमुख गतिविधियां एवं मुख्य बिन्दु	प्रभाव / महत्व
आइएस लेखापरीक्षा	आइटी प्रणालियों की सुरक्षा, अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना	*योजना के अनुसार सभी आइएस लेखा - परीक्षा का समापन। *आइटी परीक्षण 2023-24 के आइएस लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का अनुपालन किया गया। *आउटसोर्सिंग व्यवस्था और आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका की निगरानी के लिए रूपरेखा लागू की गई	बैंक की आइटी सुरक्षा स्थिति को मजबूत किया गया, जिससे जोखिमों, खतरों और डेटा उल्लंघनों को कम किया जा सका
आइएफसीओएफआर	रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना	एससीए द्वारा वार्षिक प्रमाणीकरण सक्षम करने के लिए शाखाओं, क्षे. का., के.का. और सिस्टम पर आंतरिक आइएफसीओएफआर का नियंत्रण परीक्षण किया गया। जिसे 2024-25 में भी जारी रखा जाएगा ।	आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को सुदृढ़ किया गया, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई, तथा एक स्पष्ट और पारदर्शी लेखा - परीक्षा शृंखला सक्षम हुई ।

आंतरिक लेखा - परीक्षा कार्य की उपलब्धि :

- **विस्तृत लेखापरीक्षा कवरेज :** आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य ने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व विस्तृत लेखापरीक्षा कवरेज के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई, जिससे मजबूत जोखिम प्रबंधन और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित हुआ।
- **सक्रिय जोखिम प्रबंधन :** ओएमयू में किए गए महत्वपूर्ण सुधार और ओएमयू-प्रोब की शुरुआत, उभरते जोखिमों की पहचान और उसे कम करने के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं ।
- **सुदृढ़ नियंत्रण वातावरण :** लेखापरीक्षा पैकेज में किए गए संशोधन और प्रबंधन लेखा - परीक्षाओं का सफलतापूर्वक पूरा होना, बैंक के आंतरिक नियंत्रण ढांचे को मजबूत करने के प्रति समर्पण को रेखांकित करता है ।
- **प्रौद्योगिकी फोकस :** आइएस लेखापरीक्षा का सफलतापूर्वक पूरा होना और प्रबंधन आउटसोर्सिंग व्यवस्था के लिए ढांचे का कार्यान्वयन आईटी प्रणालियों और डेटा को सुरक्षित करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **निरंतर सुधार :** आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य आंतरिक नियंत्रणों को बेहतर बनाने के लिए लेखा - परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार और कार्यान्वयन कर रहा है ।

सतर्कता

वर्ष 2024-25 के दौरान कारोबार पहले, सतर्कता निवारक हमेशा की थीम के साथ , बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सतर्कता निवारक और सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठाना जारी रखा है ।

निवारक सतर्कता गतिविधियाँ :

वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित सतर्कता निवारक की पहल गई:

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, डीएफएस, सीवीसी, आरबीआई, सीबीआई और अन्य विभिन्न स्रोतों से कुल 170 शिकायतें प्राप्त हुईं। जहां कहीं भी सतर्कता में ओवरटोन देखी गई, ऐसी शिकायतों को सीवीसी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर तार्किक ढंग से समाप्त किया गया और इस समय कोई भी शिकायत 3 महीने से अधिक लंबित वाली नहीं है।
- विभाग ने 24 सीटीई प्रकार के निरीक्षणों की जांच की है और सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य प्रशासन विभाग और अनुषंगी आरआरबी ओडिशा ग्राम्य बैंक द्वारा रखे गए विभिन्न खरीद आदेशों / सेवा आदेशों की जांच की है ।

- विभिन्न मामलों पर विषयगत निरीक्षणों की एक श्रृंखला, अभियान अवधि के दौरान स्वीकृत आवास ऋणों का सत्यापन, उच्च अग्रिम विकास करने वाली शाखाएँ, अनुपालन स्तर आदि की जांच के लिए सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान औचक निरीक्षण आदि आयोजित किए गए ।

- जमीनी स्तर पर सतर्कता तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीवीओ / अधिकारी ने वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के 06 क्षेत्रों एवं ओडिशा ग्राम्य बैंक (ओजीबी) का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने सतर्कता निवारक के महत्व के बारे में वेबेक्स / वीडियो कॉन्फ्रेंस पर क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों, चुनिंदा शाखा प्रमुखों और कुछ शाखाओं को इसकी संवेदनशीलता से अवगत करवाया।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, वीएडब्ल्यू 2024 के आयोजन के क्रम में शाखाओं/ क्षे.का. के अधिकारियों के लिए पूरे भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिस्टम/ प्रक्रियाओं और अनुशासनात्मक कार्यवाही को समय पर पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त, बैंक के अधिकारियों के साथ-साथ कुछ आरवीओ का नामांकन सीवीसी/ विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न सतर्कता प्रशिक्षण कार्ययक्रमों के लिए भी किया गया, जिन्होंने वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। उक्त अवधि के दौरान कुल 5304 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया ।

पूर्वानुमानित सतर्कता:

वर्ष 2024-25 के लिए सभी उच्च और मध्यम जोखिम वाली शाखाओं की के . का. निरीक्षण रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की वास्तविक समय के आधार पर जांच की गई और सतर्कता दृष्टिकोण से घटनाओं का संज्ञान बैंक द्वारा उचित कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया एवं जांच की गई रिपोर्ट का विवरण निम्नवत है:

- वर्ष 2024-25 के दौरान 1942 समवर्ती लेखा - परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच की गई ।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 2520 केंद्रीय कार्यालय निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच की गई।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 869 सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच की गयी।
- वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 28284 कर्मचारियों को ऋण, पासपोर्ट, विदेश यात्रा, प्रथम पंक्ति की तैनाती आदि के लिए मंजूरी/ स्थिति उपलब्ध कारवाई गई।
- 154 एसएसी फाइलों की जांच की गयी।
- 37 धोखाधड़ी फाइलों की जांच की गयी।

दंडात्मक सतर्कता :

बैंक द्वारा अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सतर्कता मामलों और गैर-सतर्कता मामलों के निपटान में कमी आयी है। 31.03.2025 तक विभिन्न स्तरों पर केवल 76 सतर्कता मामले प्रक्रियाधीन हैं और उसमें से 41 मामले के लिए चार्जशीट जारी किए गए थे और शेष 35 मामले के लिए चार्जशीट जारी करने की प्रक्रिया सी-डैक द्वारा प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा 36 महीने से अधिक समय वाला कोई भी मामला लंबित नहीं है । दिनांक 31.03.2025 को कुल निलंबन प्रकरणों की संख्या 16 है। साथ ही, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 15 मामले एबीबीएफएफ को भेजे गए थे, जिनमें से 8 मामलों पर विचार-विमर्श किया गया और उसका निष्कर्ष निकाला गया।

सहभागी सतर्कता :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आयोग का संदेश **"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"** सभी शाखाओं, देश के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय द्वारा अच्छे से अपनाया गया। ईमानदार और पारदर्शी बने रहने के लिए तथा हमारे कर्मचारियों, ग्राहकों, हितधारकों और आम जनताा के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सतर्कता विभाग ने विभिन्न आंतरिक और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभियान अवधि के दौरान क्षमता निर्माण, प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन, परिपत्र / दिशानिर्देशों / मैनुअल का अद्यतन, 30.06.2024 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान गतिशील डिजिटल उपस्थिती पर विशेष ध्यान और व्यापक प्रचार किया गया । हमने आम तौर पर आम जनता को भ्रष्टाचार उन्मूलन और सत्यनिष्ठा को गले लगाने के लिए प्रेरित किया।

और सीवीओ ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों के साथ 15.09.2024 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निदेशों के तहत इंडियन बैंक द्वारा चेन्नै में आयोजित "पीएसबी और पीएसयू के सतर्कताा अधिकारियों के लिए सतर्कता निवारक" सेमिनार/ प्रशिक्षण में भाग लिया गया ।

साथ ही सीवीओ ने क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु के दो अधिकारियों के साथ 18 और 19 अक्टूबर 2024 को बेंगलूरु में केनरा बैंक द्वारा सतर्कता निवारक के प्रमुख पहलुओं पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

संगठन के भीतर आयोजित गतिविधियों/ कार्यक्रमों का सार :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडबल्यू) – 2024 को 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार मनाया गया । सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2024 के दौरान बैंक द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गई ।

आंतरिक सतर्कता जागरूकता गतिविधियां:

- **सामूहिक प्रतिज्ञा:** 28 अक्टूबर 2024 को सामूहिक प्रतिज्ञा केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में पूर्वाह्न 11:00 बजे लिया गया, जिसमें प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने कार्यपालक निदेशकों, मुख्य सतर्कताा अधिकारी, महा प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में अंग्रेजी में शपथ दिलाई। हिन्दी में शपथ मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री राजीव कुमार द्वारा दिलवायी गयी। इसी तरह, पूरे भारत में शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के सभी कर्मचारियों ने एक ही समय में शपथ ली ।

- **ई-सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा :** समय 16 अगस्त 2024 से 15 नवंबर 2024 तक, 24,68,999 से अधिक ग्राहकों ने हमारे साथ खाता खोलते वक्त पूरे भारत में हमारी शाखाओं के माध्यम से सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ली।

- **ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता :**

  - निम्नलिखित श्रेणियों में बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए **08 अक्टूबर, 2024 से 19 अक्टूबर 2024** तक एक अखिल भारतीय ऑनलाइन क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी :

    - **कार्यपालक संवर्ग क्विज़ श्रेणी :** शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय से जुड़े समग्र और उससे ऊपर के संवर्ग के बैंक के सभी कार्यपालकों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
    - **पर्यवेक्षी संवर्ग प्रश्नोत्तरी श्रेणी :** परिवीक्षाधीन कर्मचारियों सहित सभी पर्यवेक्षी कर्मचारियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।
    - **अधीनस्थ कर्मचारी क्विज श्रेणी:** बैंक के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

  - **सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म/रील/ वीडियो:** बैंक के कर्मचारियों को वीएडब्ल्यू 2024 थीम **"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि "** पर एक लघु वीडियो/ रील/ फिल्म तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सूचित किया गया कि ऑडियो विजुअल की सामग्री कॉपीराइट सामग्री के साथ ना बनाई गई हो और हिंदी/ अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। कुल 40 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई । सर्वश्रेष्ठ पाँच विडियो को पुरस्कृत किया गया और उनकी सामग्री का उपयोग बैंक द्वारा थीम के प्रचार के लिए जहाँ भी उचित लगा, वहाँ किया गया। सर्वश्रेष्ठ पांच वीडियो को पुरस्कृत किया गया तथा जहां भी वह उपयुक्त/उचित लगा, उनकी विषय-वस्तु का उपयोग बैंक द्वारा विषय के प्रचार के लिए किया गया ।

- **कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता :** 8 अक्टूबर, 2024 से 19 अक्टूबर, 2024 तक बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से **"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"** विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत निबंधों का मूल्यांकन किया गया और सभी प्रतिभागियों के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र जारी किए गए ।

इसी तरह, ओडिशा ग्राम्य बैंक ने भी प्रशासनिक कार्यालय और बैंक की सभी शाखाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। अध्यक्ष की प्रमुखता वाली समिति द्वारा प्रतिभागियों के प्रयास का मूल्यांकन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

- **बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना:** 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक, सभी शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय ने पूरे भारत में प्रमुख स्थानों पर वीएडब्ल्यू के बैनर प्रदर्शित किए। केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार, मेन बिल्डिंग के प्रवेश द्वार, एनेक्स बिल्डिंग जैसे तीन स्थानों पर वीएडब्ल्यू बैनर प्रदर्शित किए गए। वीएडब्ल्यू के दौरान प्रत्येक बिल्डिंग में एक स्टैंडी भी प्रदर्शित किया गया ।

- **धोखाधड़ी की रोकथाम पर सेमिनार :** 29 अक्टूबर 2024 को, पूरे भारत में श्री सोनल चन्द्र, डीआईजी पुलिस, सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा, चेन्नै को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करके एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। भारत के सभी क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी और क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं के अन्य स्टाफ सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।

  वीएडब्ल्यू 2024 के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सम्मेलन व कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीबीआई, पुलिस आदि की प्रतिष्ठित हस्तियों को आमंत्रित किया गया।

  ओडिशा ग्राम्य बैंक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ सम्मेलन व कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- **सतर्कता जागरूकता गतिविधियों संबंधी रंगोली प्रतियोगिता :** 29 अक्टूबर, 2024 को, हमारे बैंक के 54 कर्मचारियों ने 14 टीम के रूप में केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में आयोजित "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि " विषय पर रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया ।

- **आइओबी विजिल (त्रैमासिक पत्रिका) का सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 विशेष संस्करण का प्रकाशन :** अक्टूबर, 2024 में, सतर्कता विभाग ने सतर्कता निवारक

गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए त्रैमासिक गृह पत्रिका आइओबी विजिल का सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 विशेष संस्करण प्रकाशित किया, जो कार्य प्रोफ़ाइल के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए सहायक होगी।

आउटरीच गतिविधियाँ :

- **स्काई विज्ञापन :** 30 अक्टूबर, 2024 को एमडी, ईडी व सीवीओ द्वारा केंद्रीय कार्यालय तथा स्टाफ कॉलेज भवन के छत पर तमिल और अंग्रेजी में वीएडब्ल्यू थीम तथा आइओबी के लोगो के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 की थीम पर एक स्काई विज्ञापन बलून 40 फीट ऊंचा लगाया गया ।

- **एअर विज्ञापन :** सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत वीएडब्ल्यू 2024 थीम पर तैयारी की गई जिंगल्स को 7 दिन (28 अक्टूबर 2024 से 03 नवंबर 2024 तक) रेडियो चैनलों (बिग एफएम, रेडियो सिटी और रेडियो मिर्ची) पर अंग्रेजी व तमिल में प्रसाारित की गई ।

- **सीवीओ का रेडियो साक्षात्कार:** मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का पाँच मिनट (300 सेकंड) का साक्षात्कार 30 – 30 सेकंड के दस भागों में विभाजित कर 02.11.2024 को रेडियो में प्रसारित किया गया ।

- **स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम :** देश भर में वीएडब्ल्यू गतिविधियों में 234 स्कूलों में 17413 छात्र और 60 कॉलेजों में 4012 छात्रों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भााग लिया और सामूहिक शपथ ली। इन स्कूलों में आशुभाषण, वाद-विवाद, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गए ।

- **जागरूकता ग्राम-सभाएँ:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान देश भर में 9294 लोगों को शामिल करते हुए 483 ग्रामसभा आयोजित की गई और सामूहिक शपथ ली गई ।

- **संगोष्ठी / कार्यशालाएँ :** देश भर में वीएडब्ल्यू गतिविधियों पर कुल 70 संगोष्ठी / कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 3284 लोगों ने भाग लिया और सामूहिक प्रतिज्ञा ली ।

- **वॉकथॉन :** चेन्नै के मेट्रो और गैर-मेट्रो क्षेत्रीय कार्यालय ने केंद्रीय कार्यालय के सहयोग से 26.10.2024 को बेसेंट नगर बीच-चेन्नै में एक मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया। कार्यपालक निदेशक ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी, महा प्रबंधकों, उप महा प्रबंधकों, सहायक महा प्रबंधकों, सतर्कता विभाग के अधिकारियों और केंद्रीय कार्यालय के अन्य स्टाफ सदस्यों और चेन्नै । और चेन्नै ।। क्षेत्रीय कार्यालयों ने उत्साह पूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया । इस कार्यक्रम को प्रमुख प्रिंट मीडिया और जन संचार माध्यमों द्वारा अच्छी तरह से कवरेज दी गई ।

डिजिटल प्लैटफ़ार्म के माध्यम से की गई अन्य प्रमुख गतिविधियाँ:

- वीएडब्ल्यू 2024 के दौरान, 80 लाख आइओबी अपने ग्राहकों को "प्रिय ग्राहक, आइओबी 28.10.2024 से 03.11.2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। संबन्धित मेसेज "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" अपनाने हेतु हमारे साथ जुड़े और अपनी नजदीकी आइओबी शाखा या www.iob.in या https:pledge.cvc.nic.in पर जाकर सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लें" भेजा ।

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान – 15,80,246 चुनिंदा आइओबी ग्राहकों को सीवीओ संदेश और ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए हाइपरलिंक के साथ ईमेल भेजे गए।

- आइओबी के सभी एटीएम / सीडीएम मशीनों को पूरे भारत में इस प्रकार सक्षम किया गया कि वे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का संदेश "कृपया सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के समारोह में हमारे साथ जुड़े और www.iob.in या https://pledge.cvc.nic.in पर जाकर शपथ लें" प्रदर्शित और मुद्रित किया गया ।

- हमने **सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का संदेश बैंक की इंट्रानेट साइट**, इंटरनेट साइट www.iob.in, कर्मचारियों की वेतन पर्ची (सीएचआरआईएस प्लैटफ़ार्म के माध्यम से) तथा बैंक के सभी कम्प्यूटरों की स्क्रीन सेवर पर प्रदर्शित किया है ।

- **वीएडब्ल्यू संदेश को एक्स (ट्विटर), यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक** के बैंक आधिकारिक पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।

- अक्टूबर 2024 और नवंबर 2024 के महीने के लिए कर्मचारियों की वेतन पर्चियाँ वीएडब्ल्यू संदेश "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"। आइए www.iob.in पर जुड़े और प्रतिज्ञा प्रदर्शित किया गया ।

- हमारे वेबपेज (इंटरनेट साइट और इंट्रानेट साइट) में वीएडब्ल्यू के आयोजन का प्रदर्शन जिसमें सामान्य जन के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के लिए एक हाइपरलिंक प्रदान किया गया ।

आइओबी द्वारा प्रायोजित ओडीशा ग्राम्य बैंक के अंतर्गत आयोजित गतिविधियां :

- 1642 कर्मचारियों ने सामूहिक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ली ।
- 1650 ग्राहकों ने ई- सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ली ।
- निबंध, रंगोली, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई और 88 कर्मचारियों ने भाग लिया।

- 50 स्कूलों में आयोजित गतिविधियों में कुल 2096 छात्रों ने भाग लिया और सामूहिक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ली ।
- 72 गाँवों में जागरूकता ग्राम सभाएँ आयोजित की गईं और 1875 आम लोगों ने भाग लिया और सामूहिक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ली।

डिजिटल बैंकिंग :

डिजिटल भुगतान और निर्बाध, कुशल गतिशील ऑनलाइन समाधान वर्तमान बैंकिंग सेवाओं में ग्राहक अनुभव और ग्राहक संतुष्टि के मानदंड हैं। बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक के पास एक मजबूत वैकल्पिक डेलीवेरी चैनलों का नेटवर्क है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ईंट और गरे से बने शाखाओं के बंद रहने पर भी बैंकिंग सेवाएँ 24/7 उपलब्ध रहें । शाखाओं और ऑफसाइट्स पर एटीएम व कैश रिसाइक्लर्स की एक लंबी श्रृंखला, जो ई-पासबुक कियोस्क द्वारा पर्याप्त रूप से पूरक है, बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म का मूल है। अन्य महत्वपूर्ण और सबसे अधिक मांग वाले वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस और आइएमपीएस सेवाएं, बैंक का अपना भीम आइओबी यूपीआइ ऐप, पीओएस मशीनें, प्री-प्रिंटेड क्यूआर कोड, वॉयस आधारित क्यूआर कोड हैंडसेट, आइओबी पे और फास्टैग इत्यादि शामिल हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, बैंकिंग उद्योग में नए और नवाचारपूर्ण डिजिटल उत्पादों को पेश करने में अग्रणी रहा है । बैंक का उद्देश्य अपने व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाना है। जिसे वह ग्राहकों की निरंतर डिजिटल ऑन बोर्डिंग, ऋण प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, खातों की स्वयं खोलने की प्रक्रिया, क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति, तथा ऋण और अन्य पैरा बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराकर प्राप्त कर रहा है । बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी चल रही डिजिटल यात्रा को एक नए उच्च स्तर तक पहुंचाया है और आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में भी इसे और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

बैंक द्वारा प्रदान प्रदत्त विभिन्न डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का सारांश इस प्रकार है :

बैंक की एटीएम, कैश रिसाइक्लर और पासबुक कियॉस्क सेवाएं :

31.03.2025 तक बैंक के पास कुल 3479 कैश मैनेजमेंट मशीनों का नेटवर्क है, जिनमें 1144 एटीएम और 2353 कैश रिसाइक्लर शामिल हैं। इन मशीनों में से 2679 ऑनसाइट स्थित है, जबकि शेष 728 ऑफसाइट स्थित है । इन 3497 एटीएम और कैश रिसाइकलरों में से 2686 का संचालन बैंक की शाखाओं द्वारा किया जाता है । जबकि 811 का संचालन एटीएम प्रबंधन सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है । बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसके सभी एटीएम और कैश रिसाइकलरों में पर्याप्त नकदी उपलब्ध हो, ताकि ग्राहकों को 24x7 निरंतर एटीएम सेवाएँ मिलती रहें ।

2024-25 के लिए बैंक के एटीएम और सीआर पोर्टफोलियो का औसत अपटाइम 96.01% था ; बैंक ने अपने सभी एटीएम में 24*7 पर्याप्त नकदी की निरंतर उपलब्धता प्रदान की है ; और साथ ही, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, बैंक उद्योग में सबसे कम संख्या में कैश आउट एटीएम बनाए रखता है । वित्तीय वर्ष 2024 – 25 के दौरान बैंक ने बारह में से सात महीनों में जीरो कैश आउट एटीएम का दर्जा हासिल किया, और शेष चार महीनों में केवल एक एक एटीएम कैश आउट हुआ वह भी लंबे और लगातार छुट्टियों के कारण हुआ। बैंक ने अपनी शाखाओं में 2752 स्वयं सेवा ई-पासबुक कियोस्क स्थापित किए हैं, जो 31.03.2024 को उपलब्ध कुल ई-पासबुक कियोस्क की संख्या में लगभग 500 की वृद्धि है । बैंक ने देशभर में अपने मौजूदा 700 ई-पासबुक कियोस्क के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग सुविधा भी शुरू की है ।

◦ डेबिट कार्ड्स :

- एटीएम, पीओएस मशीनों और ऑनलाइन माध्यम से वित्तीय लेन-देन करने के लिए डेबिट कार्ड एक प्रमुख माध्यम है।
- ग्राहकों की अनिश्चितताओं को पूरा करने के लिए, बैंक रुपे, वीज़ा और मास्टरकार्ड ब्रांडों के तहत दस से अधिक विभिन्न प्रकार उपलब्ध है।
- कार्ड का प्रत्येक प्रकार को विशिष्ट ग्राहक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्ड के प्रकारों में क्लासिक, गोल्ड, प्लैटिनम, सिग्नेचर, सेलेक्ट आदि शामिल हैं। सभी प्रकार के कार्ड एनसीएमसी सक्षम एनएफसी कार्ड हैं।
- सरकारी योजना से संबंधित विशिष्ट कार्ड जैसे पीएमजेडीवाई कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आदि भी जनता के लिए उपलब्ध हैं।
- इंस्टा कार्ड (ग्राहक के नाम के बिना) और वैयक्तिकृत कार्ड (ग्राहक के नाम के साथ) दोनों ग्राहकों की पसंद के अनुसार उपलब्ध करवाए जाते हैं।
- उपयोग में आसानी के लिए ग्राहकों द्वारा डेबिट कार्ड का स्व-सक्रियण, विभिन्न चैनलों के माध्यम से ग्रीन पिन जेनरेशन (पीएमजेडीवाई, केसीसी, एनआरओ सहित सभी प्रकार के कार्डों के लिए) के माध्यम से पिन बदला जा सकता है।
- इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आइओबी वेबसाइट, संपर्क केंद्र और बैंक की शाखाओं के माध्यम से कार्ड धारकों के लिए विभिन्न स्वयं-सेवा सुविधाएं जैसे ई-कॉम को सक्षम/ अक्षम करना, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को सक्षम/ अक्षम करना, विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए अलग-अलग कार्ड सीमा निर्धारित करना, डेबिट कार्ड को ब्लॉक के सुविधा उपलब्ध है ।

- फ़ाइल पर कार्ड (टोकनीकरण) सक्षम है।
- संपर्क रहित लेन-देन के लिए रुपे की नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सुविधाा के साथ कार्ड जारी किए जाते हैं ।
- कार्ड धारकों को नेट बैंकिंग और आइओबी एटीएम के माध्यम से कार्ड सक्रिय करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- ग्रीन पिन पीएमजेडीवाई/ केसीसी/ एनआरओ/ एनआरई और इंस्टा कार्ड ग्राहकों सहित सभी प्रकार के खातों के लिए सक्षम है।
- वित्तीय वर्ष 2024 – 25 के दौरान बैंक ने व्यावसायिक और कॉरपोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से व्यावसायिक डेबिट कार्ड (आइओबी वीज़ा क्लासिक और आइओबी वीज़ा प्लेटिनम) पेश किए, जिनके साथ ग्राहकों के लिए 200 से अधिक व्यावसायिक ऑफरों की सुविधा उपलब्ध है।
- बैंक ने तमिलनाडु सरकार के विशेष कल्याणकारी योजना "तमिल पुतलवान" के तहत साझेदारी में लगभग 58000 को ब्रांडेड डेबिट कार्ड जारी किए ।

- **मोबाइल बैंकिंग :**

- आइओबी मोबाइल बैंकिंग ऐप उपयोगकर्ता के अनुकूल और व्यापक एमबी ऐप्स में से एक है ।
- यह एंड्रोयड और आइओएस दोनों उपकरणों में उपलब्ध है ।
- उत्पाद में सभी उन्नत विशेषताएं हैं, जैसे:
- शाखा में आए बिना स्व-पंजीकरण
- बढ़ी हुई सुरक्षा और पहुंच के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/फेस रिकग्निशन (आइओएस) का उपयोग करके लॉग इन करें।
- नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बीच आदाता को जोड़ कर रख सकते हैं
- डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, बदलना, और अपग्रेड करना
- डेबिट कार्ड के लिए नया पिन सेट करना /पिन रीसेट करना और पुराना पिन बदलना
    - एएसबीए - आइपीओ आवेदन - लागू आइपीओ देखें और आवेदित आइपीओ को वापस लेना।
    - ऋण का भुगतान
    - आदाता को जोड़ने के लिए अतिरिक्त समय अवधि शुरू की गई।
    - फॉर्म 15जी /एच जमा करना ।
    - पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई बीमा नामांकन ।
    - एमपासबुक सुविधा विवरण देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है ।
    - वॉयस सहायता सुविधा
    - 444 दिवस सहित जामा खाता खोलना, नवीनीकरण, प्री- क्लोजर और क्लोजर
    - भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) एकीकरण।
    - भुगतान बाद में अदा /स्थायी निर्देश सुविधा ।
    - 10 क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग ऐप्लीकेशन ।
    - मोबाइल बैंकिंग के साथ एकीकृत स्कैन और भुगतान ।
    - अपने पसंदीदा स्टोर पर खरीदारी करें और अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट के साथ कपड़े, सहायक उपकरण, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ खरीदें।

- **इंटरनेट बैंकिंग**

- वर्तमान में बैंक अपने गृह प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग प्रदान करता है।
- जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, बैलेंस पूछताछ, लेनदेन विवरण, एनईएफटी/ आरटीजीएस/ आइएमपीएस आदि का उपयोग करके फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन टैक्स और यूटिलिटी भुगतान, बिल भुगतान, प्रीपेड कार्ड का टॉप अप और क्रेडिट कार्ड भुगतान करना ।
- इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है ।
- जमा राशि पर डिमांड ऋण प्राप्त करने की सुविधा।
- इंटरनेट बैंकिंग में सिंगापुर के लिए विदेशी जावक प्रेषण सक्षम।
- शाखा में जाए बिना पीपीएफ खाता खोलें ।
- डेबिट कार्ड (खुदरा) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और स्व-सक्रियण।

- जमाओं को खोलना/ बंद करना/ उनका नवीनीकरण करना।
- अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक/अनब्लॉक/ अपग्रेड/ग्रीन पिन सेट करें/ अधिकतम सीमा बदलें ।
- एनपीएस, एसजीबी, पीपीएफ आदि सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करें/ स्थिति देखें।
- खुदरा और कॉरपोरेट दोनों के लिए आइपीओ (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) के लिए आवेदन करें ।
- ई-स्टेटमेंट, जमा/ ऋण ब्याज प्रमाणपत्र आदि डाउनलोड करें ।
- एइपीएस सक्षम/ अक्षम करें ।
- नेट बैंकिंग के माध्यम से वीएएन आइडी (मेरा नाम ही मेरी खाता संख्या) में निधि अंतरण ट्रांसफर करें।
- आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक डिजिटल एंगेंजमेंट हब के माध्यम से मेसर्स एजवेर्व द्वारा सक्षम एक नए इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो जाएगा जो ग्राहकों के ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव को बढ़ाएगा ।

◦ भीम आइओबी यूपीआई

- बैंक ने वर्ष 2016 में अपना भीम आइओबी यूपीआइ ऐप शुरू किया।
- बैंक ने भीम आइओबी यूपीआइ (2017 में यूपीआइ 1.0 और 2021 में यूपीआइ 2.0 के साथ) लॉन्च किया ।
- वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक ने भीम आइओबी यूपीआइ ऐप के अभिन्न अंग के रूप में यूपीआइ लाइट ऐप पेश किया; यूपीआइ लाइट ऐप का उपयोग करके ग्राहक तुरंत 500 रुपये तक का भुगतान बिना यूपीआइ पिन के कर सकते हैं।
- संशोधित भीम आइओबी यूपीआइ एप्लिकेशन को सरलीकृत यूजर इंटरफेस और बेहतर डिजिटल अनुभव के साथ अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया ।
- यूपीआइ आइडी, खाता संख्या और आइएफएससी का उपयोग करके और किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान करें ।
- यूपीआइ नंबर कार्य क्षमता वाले किसी भी मोबाइल नंबर से भुगतान करें।
- राशि प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट मनी सुविधा का उपयोग करें।
- आवर्ती भुगतान के लिए यूपीआइ स्थायी निर्देश देने की सुविधा।
- डेबिट कार्ड या आधार कार्ड का उपयोग करके यूपीआइ पिन सेट/ रीसेट करें।
- एकाधिक खातों के मामले में स्व-अंतरण सुविधा ।
- तेजी से भुगतान के लिए आदाता जोड़ें।
- व्यापारी की दैनिक गतिविधियों को सरल बनाने के लिए 2023 में बहुभाषी साउंड बॉक्स सुविधा और आइओबी यूपीआइ व्यापार एप्लिकेशन लॉन्च किया गया।
- हमने कम मूल्य के लेनदेन और सेंट्रल मैपर के लिए यूपीआइ लाइट की शुरुआत की है।

◦ आरटीजीएस / एनईएफ़टी

- ग्राहक और इंटर बैंक लेन-देन के लिए उपलब्ध है।
- ग्राहक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी चैनल और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी और आरटीजीएस का लाभ उठा सकते हैं।
- एनईएफटी और आरटीजीएस चैनल 24 X 7 कार्यरत है। बचत खाता ग्राहक के लिए ऑनलाइन मोड (अर्थात इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग) के माध्यम से शुरू किए गए एनईएफटी लेन-देन के लिए एनईएफटी को शुल्क रहित कर दिया गया है।

◦ आइओबी पे

- यह एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जो शुल्क भुगतान, व्यापारी भुगतान, धर्मार्थ संस्थानों के लिए दान आदि प्रदान करती है। यह हमारे बैंक के व्यापारी ग्राहकों के लिए भुगतान एकत्र करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है।
- सेवाएँ एकीकृत एग्रीगेटर्स के साथ घरेलू विकसित उत्पादों के माध्यम से/ सीधे पीजी एग्रीगेटर्स के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- बैंक ने हाल ही में हमारे बैंक के व्यापारी ग्राहकों को भुगतान गेटवे प्रदान करने के लिए ईओआइ प्रक्रिया के माध्यम से 10 (दस) पीजी एग्रीगेटर्स को सूचीबद्ध किया है। इससे बैंक को कॉरपोरेट व्यापारियों को वेबसाइट/ बिना वेबसाइट के अनुकूलित मोबाइल एप्लिकेशन/ ईआरपी आदि प्रदान करके उद्योग मानक भुगतान गेटवे समाधान प्रदान करने में मदद
मिलेगी।

- 31.03.2025 तक 1078 व्यापारियों ने आइओबी पे ऑन बोर्ड किया है और वित्त वर्ष 2024 – 25 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 25 प्रमुख सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक द्वारा आइओबी पे में शामिल किया गया ।

- बैंक कई अन्य डिजिटल बैंकिंग भुगतान समाधान भी प्रदान करता है, जैसे प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीन (पीओएस), नए ग्राहकों को रेडी टू यूज़ क्यूआर कोड के माध्यम से क्यूआर कोड सक्षम भुगतान, वॉयस मैसेज आधारित क्यूआर कोड हैंडसेट, राजमार्ग टोल के लिए प्रीपेड स्टिकर के लिए आइओबी फास्टैग के मध्यम से शुल्क भुगतान आदि।

टैब बैंकिंग

बैंक किसी भी समय, किसी भी स्थान पर समावेशी सेवा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। इसी दिशा में, बैंक ने अपनी प्रत्येक शाखा में आधार फेस प्रमाणीकरण और आधार फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ टैब बैंकिंग गैजेट की उपलब्धता पर उल्लेखनीय निवेश किए है और इस प्रमुख चैनल के माध्यम से सेवाओं की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाया गया है, जैसे खाता खोलना, पुनः केवाईसी, नामांकन पंजीकरण, जन सुरक्षा पॉलिसी जारी करना, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करना, सावधि जमा खाता खोलना, डिजिटल बैंकिंग चैनल नामांकन जैसी पच्चीस से अधिक मांग वाली बैंकिंग सेवाएं शाखाओं द्वारा ग्राहकों को तुरंत प्रदान किया जा सकता है । इस चैनल पर मुखाकृति से प्रमाणीकरण की उपलब्धता से हमारे सभी ग्राहकों को सुविधा होगी, जिनमें धुंधले फिंगरप्रिंट वाले ग्राहक, फिंगरप्रिंट के माध्यम से प्रमाणीकरण में कठिनाई वाले वरिष्ठ नागरिक, मुखाकृति का उपयोग करके सहज प्रमाणीकरण कर सकेंगे और संपर्क रहित तरीके से बिना किसी बाधा के हमारी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

31.03.2025 तक, बैंक के पास देश भर में संपूर्ण शाखा नेटवर्क को कवर करने वाली **4080 टैब डिवाइस हैं।**

वित्त वर्ष 2024-25 में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बैंक की प्रतिष्ठित उपलब्धियां

प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्षेत्रों में विकास की दिशा में बैंकों के तेजी से बढ़ते कदम को मान्यता देते हुए, हमारे बैंक ने एक बार फिर वर्ष 2024 के लिए आईबीए द्वारा दिए जा रहे सात श्रेणियों में से पांच श्रेणियों में प्रतिष्ठित **आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता** है।

i. तकनीकी प्रतिभा व संगठन में सर्वश्रेष्ठ बैंक (विजेता)
ii. वित्तीय समावेशन में सर्वश्रेष्ठ बैंक (उप विजेता)
iii. आइटी जोखिम प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ बैंक (स्पेशल मेनशन)
iv. सर्वश्रेष्ठ तकनीकी बैंक (स्पेशल मेनशन) और
v. एआई और एमएल अभिग्रहण में सर्वश्रेष्ठ बैंक (स्पेशल मेनशन)

ये पुरस्कार बैंक के एमडी और सीईओ को भारतीय रिज़र्व बैंक के माननीय डिप्टी गवर्नर श्री रबी शंकर द्वारा 24.01.2025 को मुंबई में आइबीए द्वारा आयोजित 20वें वार्षिक आइबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव में प्रदान किए गए।

यह उल्लेख करना उचित है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भी हमारे बैंक ने पाँच आइबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्राप्त किए थे।

आगे की राह :

नया वित्त वर्ष 2025-26 डिजिटल एंगेजमेंट हब प्लैटफ़ार्म से एक नए इंटरनेट बैंकिंग समाधान के शुभारंभ और मई 2025 में एक अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के लॉंच के साथ शुरू होगा।

बैंक एक मजबूत और उच्च स्तरीय क्षमताओं वाले नए यूपीआई स्विच की ओर बढ़ने की योजना बना रहा है, जिसे सेवा प्रदाता के ओपन मार्केट चयन के माध्यम से लागू किया जाएगा । पहली दो तिमाहियों में देशभर के सभी क्षेत्रों में 600 कैश रिसाइकलर और 400 कैश डिस्पेन्सर लगाए जाएँगे, जिससे एटीएम लेनदेन पर बैंक के जारीकर्ता खर्चों में कमी आएगी और अधिग्रहणकर्ता आय में वृद्धि होगी ।

वित्त वर्ष 2025 – 26 में मास्टर कार्ड ब्रांड के डेबिट कार्ड के दो नए वेरिएंट लॉंच किए जाएंगे, जिससे ग्राहकों को वीज़ा, रुपे और मास्टर कार्ड के विभिन्न वेरिएंट मे से 360 डिग्री विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी ।

हमारा बैंक हमेशा दिव्यांग ग्राहकों की परवाह करता है और एक प्रमुख पहल के रूप में वित्त वर्ष 2025 – 26 में "दृष्टिबधित ग्राहकों" के लिए डेबिट कार्ड शुरू करेगा । इसके अतिरिक्त, नए वित्त वर्ष में बैंक द्वारा पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड भी शुरू किए जाएंगे । बैंक शीघ्र ही एक ट्रैवल और लाइफस्टाइल एग्रीगेटर मर्चेन्ट को भी ओनबोर्ड कर रहा है ।

बैंक एक व्यापक प्रीपेड कार्ड समाधान शुरू करने की योजना भी बना रहा है, जिसके तहत एनएफ़सी सक्षम प्रीपेड कार्ड ट्रांज़िट उद्देश्यों के लिए जारी किए जा सकेंगे । ये कार्ड शून्य केवाईसी, न्यूनतम केवाईसी और पूर्ण केवाईसी वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे ।

बैंक ने अपनी आईटी पहलों के तहत स्टोरेज, नेटवर्किंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में अपनी क्षमता का विस्तार किया है । बैंक द्वारा विभिन्न मॉनिटरिंग और प्रदर्शन सुधार उपकरणों की खरीद की गई । वर्ष 2024-25 में बैंक ने अपने प्रतिष्ठित सीबीएस टेक-रिफ्रेश परियोजना की शुरुआत की है, जिसमें सीबीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर और सीबीएस सॉफ्टवेर में व्यापक सुधार शामिल है, साथ ही मेसर्स इंफ़ोसिस के फिनेकल के उच्च संस्करण (10.2.25) में अपग्रेड किया जाना भी शामिल है । यह प्रोजेक्ट वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा किया जाएगा । वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के कुल आईटी बजट में से

एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल भुगतान समाधान में सहज अनुभव प्रदान करने और विभिन्न शाखा उत्पादों के डिजिटलाइजेशन के लिए आबंटित किया गया है । डिजिटल क्षेत्र में बैंक द्वारा शुरू की गई एक अन्य प्रमुख परियोजना है – सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की शुरुआत, जिसे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा । ग्राहकों का डिजिटल लेनदेन करने के दौरान विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए डिजिटल अनुभव को सुरक्षित बनाने के लिए साथ ही डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा में निरंतर शोध एवं विकास (आर & डी) किया जाएगा और इस दिशा में आवश्यक पूंजी और राजस्व निवेश भी किए जाएंगे ।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

बैंक ने विभिन्न वैधानिक और तत्संबंधी रिपोर्टों को प्रस्तुत करने हेतु उपयोगकर्ता विभागों को डेटा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के अलावा बैंक की रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक मजबूत प्रबंधन सूचनाा प्रणाली (एमआइएस) और निर्णय समर्थन प्रणाली लागू की है ।

बैंक द्वारा ओरेकल एनालिटिक सर्वर (ओएएस), स्थापित किया गया है जो एक विश्लेषणात्मक उपकरण है और यह हमारे इंट्रानेट आइओबी ऑनलाइन के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन, को नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं की लगभग 300 रिपोर्ट, डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स प्रदान करता है। इस टूल का उपयोग एमआईएस की इन हाउस टीम द्वारा उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर डैशबोर्ड, रिपोर्ट और एनालिटिक्स के विकास और परिनियोजन के लिए किया गया है । उपकरण का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कार्य-निष्पादन निगरानी, नियामक रिपोर्टिंग, पुराने डेटा के विश्लेषण, अभियानों के अनुवर्ती कार्रवाई इत्यादि के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है।

एमआइएसडी गतिविधियां :

- कारोबार इंटेलिजेंस रिपोर्ट डेवलोपमेंट
- आरबीआई निरीक्षण के लिए डेटा प्रस्तुति
- वैधानिक लेखा - परीक्षा के लिए डेटा प्रस्तुति
- एसएलबीसी रिपोर्ट स्वचलन
- सीआईबीआईएल, एनईएसएल डेवलोपमेंट एवं संशोधन
- सीआरआईएलसी डेटा प्रस्तुति
- आइओबी डेटा डिजाइन पोर्टल – रख-रखाव
- आरबीआई एमडीए डेटा प्रस्तुति
- एएमएल रिपोर्ट्स
- ईज़ के लिए डेटा प्रस्तुति
- आरबीआई सीआईएमएस – ऑटोमेशन
- एनालिटिक्स के लिए डेटा प्रस्तुत
- ट्रांचे रिपोर्ट्स
- एचआरएमडी पोर्टल डेटा प्रस्तुति
- आरबीआई, डीएफ़एस को प्रस्तुत करने के लिए उपयोगकर्ता विभागों की डेटा प्रस्तुति

उद्यम डेटा प्रबंधन विभाग

बैंक ने एक नया ईडीएम विभाग गठित किया है, जो उपयुक्त और सर्वोत्तम डेटा प्रबंधन प्रक्रियाओं की पहचान करने तथा पहलों के क्रियान्वयन के लिए संबन्धित कार्यप्रणालियाँ उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी निभाएगा । यह विभाग पूरे बैंक में डेटा प्रबंधन मानकों को अपनाने और लागू करने की प्रक्रिया को संचालित करने एवं उसका मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी भी निभाएगा । ईडीएमडी की भूमिका यह सुनिश्चित करना होगा की स्रोत प्रणालियों में उपलब्ध डेटा सटीक हो और रिपोर्ट समान व सुसंगत हों ।

बैंक ने एक डेटा गवर्नेंस नीति तैयार की है । इस नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को एक रूपरेखा के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है ।

- नीति स्वामित्व
- डेटा गवर्नेंस के लिए संगठन संरचना, भूमिका, एवं जिम्मेदारियाँ
- डेटा की पहचान एवं स्वामित्व

डेटा गवर्नेंस नीति में डेटा वर्गीकरण, डेटा की पहचान एवं स्वामित्व, मास्टर डेटा प्रबंधन, डेटा जीवन-चक्र प्रबंधन, डेटा गुणवत्ता प्रबंधन, डेटा प्रोफाइलिंग और डेटा शुद्धिकरण तंत्र भी शामिल भी है ।

सूचना सुरक्षा विभाग

- बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण नीति, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना, व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा पुनर्प्राप्ति योजना लागू है।
- बैंक का सूचना सुरक्षा विभाग आईएसओ 27001:2022 से

प्रमाणित है जो सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए एक मान्य मानक है।

- बैंक ने पीसीआई-डीएसएस 4.0 प्रमाणन प्राप्त किया है। पीसीआई डीएसएस का अर्थ है भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक। यह सुरक्षा मानकों का एक सेट है जिसे कार्डधारकों के भुगतान कार्ड डेटा की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है और भुगतान कार्ड डेटा को संसाधित, संग्रहीत या संचारित करने वाले संगठनों द्वारा कार्डधारक की जानकारी के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है।

- अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों के साथ निवारक और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) 24*7*365 दिन संचालित रहता है।

- उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर तिमाही में नियमित डीआर अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं।

- बैंक ने ग्राहकों, कर्मचारियों और विक्रेताओं के लाभ के लिए बैंक की वेबसाइट, आंतरिक परिपत्रों, पोस्टरों, एसएमएस, एटीएम कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, ट्विटर आदि) के माध्यम से शैक्षणिक श्रृंखलाओं के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता का प्रसार किया है।

- बैंक ने ग्राहक, कर्मचारियों और विक्रेताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बैंक की वेबसाइट, सोशल मीडिया खातों जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि में साइबर सुरक्षा जागरूकता वीडियो भी अपलोड किए हैं।

- बैंक ने सभी स्टाफ सदस्यों और तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं को साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिया है।

- बैंक के पास सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत बीसीपी/डीआर के साथ एक आकस्मिक योजना है।

- बैंक ने बैंक के आईटी वातावरण को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर गहन सुरक्षा को लागू किया है।

सरकारी खाते

प्रत्यक्ष कर संग्रह:

बैंक आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों को एकत्र करने के लिए अधिकृत है। प्रत्यक्ष कर संग्रह इंटरनेट बैंकिंग और सभी शाखाओं में काउंटर पर सक्षम है। वर्ष के दौरान, बैंक ने 13585.08 करोड़ रुपये के लेन-देन किए हैं और 1.10 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया है।

अप्रत्यक्ष कर संग्रह:

बैंक को उत्पाद शुल्क और सेवा कर का ई-भुगतान, सीमा शुल्क का ई-भुगतान और ड्यूटी ड्रॉबैक का ई-रिफंड प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद, हमारी सभी शाखाओं को जीएसटी संग्रह के लिए सक्षम किया गया है । वर्ष के दौरान, बैंक ने 17142.87 करोड़ रुपये के लेन-देन किए हैं और 0.99 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया है।

पेंशन का भुगतान:

- बैंक केंद्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार, राज्य सिविल, टीएनईबी, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, तमिलनाडु के स्थानीय निधि लेखा - परीक्षा और मलेशियाई सरकार पेंशन से संबंधित पेंशनभोगियों को सेवा प्रदान कर रहा है।

- उपर्युक्त में से, हमारा केंद्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी), केंद्रीय सरकार के विभागों जैसे सिविल, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और डाक पेंशनभोगियों के लिए संवितरित करता है, जिसमें 31.03.2025 तक पेंशन खातों की कुल संख्या 32907 है। बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसी पेंशन के लगभग 1288.32 करोड़ रुपये वितरित किए हैं और वितरण की तारीख से 2-3 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति प्राप्त की है। इस संबंध में, वर्ष के दौरान बैंक ने 3.46 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया है।

संभाली गई अन्य ट्रेज़री /सेवाएँ:

बैंक तमिलनाडु सरकार के ट्रेज़री व्यवसाय और विभिन्न राज्य राजस्वों के संग्रह को भी संभालता है। बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान 5556.55 करोड़ रुपये का राज्य राजस्व एकत्र किया है। बैंक योजना आयोग और दूरसंचार विभाग के खाते हेतु सेवाएं देता है और कुल 331.70 करोड़ रुपये की प्राप्तियों और भुगतानों को संभाला है। डाकघर संग्रह (आहरण और जमा) खाता तमिलनाडु की 90 शाखाओं में 567.57 करोड़ रुपये की प्राप्तियों और भुगतानों को
संभाला है।

लघु बचत योजनाएँ:

बैंक भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और लगभग 1676.56 करोड़ रुपये की सदस्यता का योगदान दिया है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:

हमारी सभी बैंक शाखाओं को एनपीएस की सदस्यता के लिए सक्षम किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हमने तत्काल पीआरएएन जनरेशन मॉड्यूल लागू किया है। तत्काल पीआरएएन जनरेशन मॉड्यूल की शुरुआत के साथ, हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 12402 एनपीएस एनपीएस और एनपीएस वात्सल्य) नामांकित किए हैं और पीएफआरडीए द्वारा आबंटित 5000 एनपीएस लक्ष्य को पार कर लिया है। हमारे बैंक ने गेम चेंजर्स अभियान (18.11.2024 से 23.12.2024) और फाइनल फ्रंटियर अभियान (14.01.2025 से 31.03.2025) में पीएफआरडीए द्वारा आबंटित क्रमशः 100% और 131% लक्ष्य हासिल किया है। भारत सरकार ने 18 सितंबर 2024 को एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की है और हमारे बैंक ने वर्ष के दौरान 2845 एनपीएस वात्सल्य खोले हैं।

सरकारी व्यवसाय कक्ष

बैंक ने अधिक सरकारी व्यवसाय जुटाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सभी प्रमुख राज्य की राजधानियों में 22 सरकारी व्यवसाय कक्ष स्थापित किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जीबीसी टीमों ने 2772 करोड़ रुपये का सरकारी कारोबार जुटाया है।

मानव संसाधन विकास

1. भर्ती और कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2025 तक बैंक के कर्मचारियों की संख्या **20966** थी, जिसमें **12494 अधिकारी, 6992 ग्राहक सेवा सहयोगी और 1480 कार्यालय सहायक** शामिल थे।

वर्ष 2024 -2025 के दौरान, 287 प्रोबेशनरी ऑफिसर और जेएमजी स्केल । में 33 विशेषज्ञ अधिकारी आइबीपीएस कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (सीआरपी) XIII के माध्यम से हमारे बैंक की सेवाओं में शामिल हुए हैं। साथ ही, एमएमजी स्केल II में 05 विशेषज्ञ अधिकारी, एमएमजी स्केल III में 03 विशेषज्ञ अधिकारी हमारे बैंक की सेवाओं में शामिल हुए हैं।

कुल कर्मचारियों में से **4091** सदस्य एससी श्रेणी के, **1549** एसटी श्रेणी के और **7048** ओबीसी श्रेणी के थे। कर्मचारियों की संख्या में **7638** महिला कर्मचारी, **768** भूतपूर्व सैनिक और **484** दिव्यांग सदस्य शामिल हैं।

2. अभिप्रेरण

- **कर्मचारी दिवस:**

  कर्मचारी हमारे बैंक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति हैं और बैंक हमेशा कर्मचारियों का विश्वास जीतने के लिए निरंतर प्रेरणा में विश्वास रखता है।

  हमारे कर्मचारियों ने हमेशा हमारे प्रतिष्ठित संगठन के प्रति त्रुटिहीन प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रदर्शन किया है, और "कर्मचारी दिवस" का आयोजन हमारे सभी कर्मचारियों को सक्रिय रूप से शामिल करने, उनके मुद्दों और शिकायतों को जानने और हल करने, उन्हें उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए सराहना महसूस कराने और इस तरह, अपनेपन की भावना को फिर से जगाने और यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि वे प्रदर्शन के उच्च स्तर की ओर बढ़ें। पूरे देश में महीने के हर तीसरे शनिवार को कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- **हमसे पूछें:**

  हम हमेशा अपने कर्मचारियों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सक्रिय रहे हैं और «हमसे पूछें - ऑनलाइन हेल्प डेस्क» हमारे बैंक द्वारा शुरू की गई एक ऐसी ही पहल है।

  एक रियल टाइम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो हमारे कर्मचारियों के लिए बैंकिंग से संबंधित शंकाओं को दूर करने, अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में अधिक आत्मविश्वास पाने और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया ।

  हमारे बैंक का प्रयास और दृष्टिकोण हमेशा से हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार करना, ज्ञान की कमी को दूर करके बेहतर बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बैंक में क्षमता का निर्माण करना, तथा कर्मचारियों को पर्याप्त सीखने के अवसर प्रदान करना रहा है।

  सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालयों के विभागों ने अपने संबंधित कार्यस्थल से संसाधन व्यक्तियों की पहचान की है । ये संसाधन व्यक्ति वास्तविक समय के आधार पर स्टाफ सदस्यों की शंकाओं को दूर करने में मदद करेंगे।

- **प्रोजेक्ट लक्ष्य – एचआर ट्रांसफोर्मेशन**

  इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने उद्योग के रुझानों के साथ तालमेल बिठाने और कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी प्रमुख डिजिटल एचआर ट्रांसफोर्मेशन प्रोजेक्ट "लक्ष्य" शुरू किया है।

"लक्ष्य" को पारंपरिक एपीएआर प्रणाली के लिए एक आदर्श विकल्प के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सभी स्तरों पर मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर अधिकारियों के प्रदर्शन की गहन जानकारी और व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।

इस पहल के तहत पेश किए गए समाधानों से निम्नलिखित को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है:

- अधिक पारदर्शिता
- बढ़ी हुई दक्षता
- इष्टतम संसाधन उपयोग
- उत्पादकता में वृद्धि

आइओबी में मानव संसाधन (एचआर) कार्यों का डिजिटल परिवर्तन दक्षता, पारदर्शिता और कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए, मानव संसाधन विभाग प्रदर्शन को प्रबंधित करने, भूमिकाओं को परिभाषित करने और कर्मचारियों को प्रेरित करने के तरीके को नया रूप दे रहे हैं। इस ट्रांसफोर्मेशन में पंद्रह प्रमुख टूल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: वैज्ञानिक लक्ष्य निर्धारण, भूमिका स्पष्टता, मजबूत और कमजोर के क्षेत्रों को उजागर करने वाले मासिक स्कोरकार्ड, प्रदर्शन डैशबोर्ड, त्रैमासिक मूल्यांकन, कर्मचारी जुड़ाव पहल और पुरस्कार और सम्मान प्रणाली इस परियोजना के प्रमुख आकर्षण हैं।

त्रैमासिक मूल्यांकन प्रदर्शन प्रबंधन चक्र को और मजबूत करता है। वार्षिक से अधिक लगातार समीक्षाओं में स्थानांतरित होने से, प्रतिक्रिया अधिक प्रासंगिक और कार्रवाई योग्य हो जाती है। यह दृष्टिकोण तेजी से कोर्स सुधार और निरंतर विकास को भी सक्षम बनाता है। इसके अलावा, पल्स सर्वे और फील्ड कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग जैसे डिजिटल टूल द्वारा समर्थित कर्मचारी जुड़ाव पहल, दो-तरफ़ा संचार चैनल बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों को सुना, महत्व दिया जाता है और बैंक के मिशन से जुड़ा हुआ महसूस करता है।

परिणामस्वरुप, हमारे बैंक के मानव संसाधन प्रणालियों में इन डिजिटल टूल्स का एकीकरण न केवल कार्य निष्पादन प्रबंधन में सुधार करता है बल्कि अधिक वचनबद्ध, लाभकारी और संतुष्ट कार्यबल को भी बढ़ावा देता है। यह समग्र दृष्टिकोण हमारे बैंक को प्रतिस्पर्धी, दक्ष और भविष्य के लिए तैयार रहने में मदद करेगा।

3. क्षमता निर्माण

उत्तराधिकार की योजना बनाने और पहचाने गए महत्वपूर्ण पदों के लिए पहचाने गए अधिकारियों को सुसज्जित करने के लिए, बैंक ने कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप "क्षमता निर्माण" पर एक नीति तैयार की है।

कर्मचारियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों में प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

प्रेरणात्मक उपाय के रूप में, बैंक क्षमता निर्माण के अंतर्गत पहचाने गए प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति कर रहा है और पदोन्नति प्रक्रिया में इसके लिए उचित महत्व भी दे रहा है।

4. आचार नीति

सार्वजनिक आचरण, बैंक के साथ संचार, मीडिया सहित बाहरी संस्थाओं के साथ बातचीत और सहकर्मियों के साथ व्यवहार के संबंध में कर्मचारियों के बीच सहयोग की संस्कृति बनाने के लिए, बैंक के सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए आचार नीति लागू की गई है। नीति आचरण के मानकों को परिभाषित करती है जो सभी कर्मचारियों से अपेक्षित है ताकि बैंक में विभिन्न कार्यों में भूमिका और जिम्मेदारियों को निभाने में सही निर्णय लिए जा सकें।

उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए, एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई गई है, जिसमें आचार नीति में विस्तृत रूप से वर्णित आचार संहिता के पालन की पुष्टि करने वाले सभी कर्मचारियों से वार्षिक आधार पर ऑनलाइन पुष्टि प्राप्त की जाती है।

5. जॉब फैमिली

अधिकारियों के लिए जॉब फैमिली ढांचा लागू है जिसमें 14 फैमिली शामिल हैं। मानव संसाधन ट्रांसफोर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत समान प्रकृति के कार्यों/व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों तथा संबंधित विभागों/कक्ष /क्षेत्रों आदि को एक परिवार के अंतर्गत समूहीकृत करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है।

संबंधित विभागों/व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में अनुभव/कार्य करने वाले तथा जॉब फैमिली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता रखने वाले सभी अधिकारियों को समूहीकृत/वर्गीकृत किया गया है।

6. प्रशिक्षण

बैंक को ग्राहक केंद्रित बनाने के कॉर्पोरेट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक तथा बाह्य मोड के माध्यम से बैंकिंग के बुनियादी क्षेत्रों के अतिरिक्त बैंकिंग के समसामयिक मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, क्रेडिट मूल्यांकन/क्रेडिट निगरानी, लघु

एवं मध्यम उद्यम वित्तपोषण, सतर्कता के क्षेत्र में बैंकिंग विषयों पर अधिकारियों तथा लिपिकों को नियमित प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रथम पंक्ति तथा द्वितीय पंक्ति प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अधीनस्थ से लिपिक संवर्ग, क्लर्क से जेएमजीएस I, जेएमजीएस I से एमएमजीएस II और एमएमजीएस II से एमएमजीएस III में पदोन्नति के लिए पात्र एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच सदस्यों के लिए पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और क्लर्कों के लिए पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

- **आंतरिक प्रशिक्षण**
  हमारे बैंक की आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में एक स्टाफ कॉलेज और बारह स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिए गए आंतरिक प्रशिक्षण के आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

विवरण	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल	एससी (कुल में से)	एसटी (कुल में से)
व्यक्तिगत स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया (प्रशिक्षणों में भाग लेने की निरपेक्ष संख्या	8697	4852	547	14096	2798	1142
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दिया जाने वाला प्रशिक्षण (सदस्यों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षणों की कुल संख्या के आधार पर)	13256	6451	607	20314	4128	1728

- **बाह्य प्रशिक्षण**

  हमने आइडीआरबीटी-हैदराबाद, एनआइबीएम-पुणे, एएससीआई-हैदराबाद, सीएबी-पुणे, आरबीआई, राइट्स ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग एलएलपी, स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप (एसबीआइएल), एनएएमसीएबीएस, आइआइबीएम-गुवाहाटी, औद्योगिक प्रबंधन अकादमी, सीएएफआरएएल-मुंबई, फेडाई-मुंबई, आइबीए, आइआइबीएफ, एनआइबीएससीओएम, बर्ड-लखनऊ, आइएसटीएम दिल्ली, एजेएनआइएफएम जैसे प्रतिष्ठित बाह्य संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए **1806** अधिकारियों/अधिकारियों/लिपिकों को भी प्रतिनियुक्त किया था।

  सामान्य और विषय परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, बैंक ने शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए **88** शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, **एफएबी 50 और एफएबी 50 प्लस** और अभियान के **178** शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के लिए **सुपर 88** अभियान विजेता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। आइडीबीआरटी, कैफरल-मुंबई, आइएसबी हैदराबाद, आरबीआई आदि जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न **नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों** पर **50** अधिकारियों/ कार्यपालकों को प्रशिक्षित किया गया है।

- **ई-पाठशाला - ऑनलाइन ई-लर्निंग पोर्टल:**

  हमारे बैंक के ऑनलाइन मॉड्यूल में सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ई-पाठशाला उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान क्रेडिट, एनपीए, ट्रेजरी, विदेशी मुद्रा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर 82 मॉड्यूल शामिल थे। इन मॉड्यूल का लक्ष्य स्टाफ सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाना और अद्यतन करना था, जिससे हमारी ऑनलाइन शिक्षण पहल (ई-पाठशाला) का विस्तार हो सके। उक्त पोर्टल को हमारे स्टाफ कॉलेज के संकाय द्वारा नियमित आधार पर अपडेट और रखरखाव किया जाता था। कुल 8571 कर्मचारियों ने ई-पाठशाला के तहत सभी छह अनिवार्य मॉड्यूल (82 उपलब्ध मॉड्यूल में से) पूरे किए।

- **स्टैंडर्ड कर्मचारी शिकायत निवारण प्रणाली (एसईजीआरएस):**

  हमारे स्टाफ सदस्यों के लिए एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए, हमारे स्टाफ सदस्यों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक स्टैंडर्ड कर्मचारी शिकायत निवारण प्रणाली (एसईजीआरएस) ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। शिकायतों/व्यथा के मुख्य क्षेत्रों को सुविधाओं, व्यवहार, भत्ते आदि से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

  इन शिकायतों का निवारण दो स्तरों पर किया जाएगा - क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय। शिकायतों को समयबद्ध आधार पर अगले स्तर पर भेजा जाएगा और तदनुसार निवारण किया जाएगा।

औद्योगिक संबंध

पूरे वर्ष संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बैंक में औद्योगिक संबंध वातावरण सौहार्दपूर्ण और अनुकूल रहा।

बैंक के सभी कार्यालयों/शाखाओं में औद्योगिक संबंधों के अच्छे माहौल की निगरानी और उसे बनाए रखने के लिए समय-समय पर अनुशासन लागू करने और पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों/नीतियों आदि के बारे में परिपत्र/दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

बैंक में अनुशासन और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को लागू करने के लिए जिन कर्मचारियों के खिलाफ़ आईआर प्रकृति की शिकायतें/मामले सामने आते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई । अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु की गई ।

साथ ही, कर्मचारियों के मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों को हमारे कर्मचारियों के लाभ के लिए परिपत्र जारी करके शीघ्रता से लागू किया जाता है।
एचआरएमडी-आईआर अनुभाग, केंद्रीय कार्यालय ने स्टाफ लाभ/आईआर मुद्दों आदि के बारे में स्टाफ सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारी संघ/कर्मचारी संघ के साथ विचार-विमर्श किया।

वित्तीय वर्ष के दौरान, शाखा प्रबंधकों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर विचार करते हुए, नवंबर 2024 से उन्हें प्रति माह 3000 रुपये का अतिरिक्त मौद्रिक लाभ दिया गया है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बाढ़ से प्रभावित स्टाफ सदस्यों को राहत ऋण मंजूर किया गया। इसी तरह, तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान «फेंगल» और उसके परिणामस्वरूप आई बाढ़ से प्रभावित स्टाफ सदस्यों को राहत ऋण मंजूर किया गया।

स्टाफ सदस्यों द्वारा त्यौहार ऋण का लाभ उठाने हेतु, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग की शुरुआत के साथ में सुधार किया गया, जिससे सदस्यों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरा करने के अधीन अग्रिम राशि का तुरंत क्रेडिट करने की सुविधा मिली। इसी तरह, मासिक खर्चों जैसे, परिवहन और समाचार पत्र आदि की प्रतिपूर्ति स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के माध्यम से की गई।

हम हर साल मार्च के अंत में सभी स्टाफ सदस्यों से उनकी 'चल, अचल और मूल्यवान संपत्तियों' के बारे में विवरण प्राप्त करते हैं। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए, अधिकांश स्टाफ सदस्यों ने अपना रिटर्न जमा कर दिए हैं ।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय / क्षेत्रीय कार्यालयों) में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया था।

वर्ष 2024 - 2025 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष (01.04.2024) के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	वर्ष (31.03.2025) के अंत तक लंबित शिकायतें (31.03.2025)
5	2	6	1

वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा सहायक श्रम आयुक्त सहित विभिन्न न्यायालयों में कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए औद्योगिक विवादों/न्यायालयी मामलों की समीक्षा शीर्ष स्तर पर की जाती है और न्यायालयीन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के प्रयास किए जाते हैं।

आचरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई कक्ष

अनुशासनात्मक कार्यवाही

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, ग्रेड एमएमजी III तक के अधिकारियों से जुड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए केंद्रीय कार्यालय में एक डीजीएम की अध्यक्षता में एक समर्पित अनुशासन प्राधिकरण कक्ष (डीए कक्ष) का गठन किया गया है।

केंद्रीय कार्यालय के आईआर सेल और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, विशेष रूप से सीडैक के अनुशासनात्मक मामलों की जांच करने के लिए सात नोडल लेखा - परीक्षा कार्यालयों में, जांच कार्यवाही में तेजी लाने के लिए जांच कक्ष का गठन किया गया है, जिसमें एक एजीएम जांच प्राधिकारी के रूप में और एक मुख्य प्रबंधक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग ने 487 नए आरोप पत्र जारी किए थे, हालांकि 685 मामलों का निपटारा किया गया । (पिछले वित्त वर्ष 2024 में 357 मामलों का निपटारा किया गया)। **सतर्कता श्रेणी के तहत लंबित अनुशासनात्मक मामलों की संख्या मार्च 2024 तक लंबित 163 सतर्कता मामलों में से कम कर मार्च 2025 तक 76 तक दी गई है।** इसी तरह गैर-सतर्कता मामलों को 31.03.2024 तक 107 में से कम कर 90 तक किया गया।

विभाग ने निलंबित सदस्यों से संबंधित मामलों पर अधिक जोर देते हुए, सीवीसी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुशासनात्मक मामलों को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। विभाग की समीक्षा मासिक आधार पर जीएम समिति और तिमाही आधार पर शीर्ष प्रबंधन द्वारा की गई है, जिससे वे टीएटी के भीतर मामलों का निपटान करने में सक्षम हुए।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों की संरचना

पदों की श्रेणी	31.03.2025 तक कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी की संख्या	एससी का %	एसटी की संख्या	एसटी का प्रतिशत	ओबीसी की संख्या	ओबीसी का %	सामान्य वर्ग की संख्या	सामान्य वर्ग का प्रतिशत
अधिकारी	12494	2129	17.04	1152	9.22	4071	32.58	5142	41.16
ग्राहक सेवा सहयोगी	6992	1383	19.78	349	4.99	2488	35.58	2772	39.65
कार्यालय सहायक	1359	527	38.78	45	3.31	441	32.45	346	25.46
सफाई कर्मचारी	121	52	42.98	3	2.48	48	39.67	18	14.88
कुल	**20966**	**4091**	**19.51**	**1549**	**7.39**	**7048**	**33.62**	**8278**	**39.48**

रोस्टर

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय में भर्ती और पदोन्नति रोस्टर बनाए जाते हैं। रोस्टर का निरीक्षण नियमित आधार पर किया जाता है। कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए रोस्टर रजिस्टर को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली द्वारा सत्यापित किया गया है और हमारी आइओबी वेबसाइट (www.iob.in) पर ऑनलाइन अपलोड किया गया है।

प्रशिक्षण

पदोन्नति परीक्षा शुरू होने से पहले एससी/एसटी/ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

आरक्षण मानदंडों, रोस्टर और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएलओ और एससी/एसटी और ओबीसी कल्याण संघों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का कल्याण

भारत सरकार के तहत बैंकों के एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू आरक्षण नीति, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पर भी लागू है। डीएफएस दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरक्षण कक्ष मुख्य संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में काम कर रहा है जो आरक्षण के नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। यह कक्ष एससी/एसटी/ओबीसी/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों का ध्यान रखता है। हमारे एससी/एसटी कर्मचारियों की शिकायतों/सेवा मामले/कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बहुसंख्यक कल्याण संघ के साथ नियमित अंतराल पर तिमाही बैठक आयोजित की जाती है।

ओबीसी कर्मचारियों का कल्याण

भारत सरकार के अधीन बैंकों के लिए लागू ओबीसी के लिए आरक्षण नीति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पर भी लागू है।
बैंक के केंद्रीय कार्यालय में आरक्षण कक्ष है, जो मुख्य संपर्क अधिकारी की सीधी निगरानी में है। आरक्षण कक्ष के माध्यम से मुख्य संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक में सरकारी दिशा-निर्देशों को लागू किया जाए ।
हमारे ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों/सेवा मामलों/कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बहुसंख्यक कल्याण संघ के साथ अर्धवार्षिक बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है।

एससी/एसटी लाभार्थियों के लिए ऋण सुविधाएं

हमारे बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान के लिए सीईजीएसएससी और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएं हैं और हमारे बैंक की अन्य सभी ऋण सुविधाएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

सीईजीएसएससी (अनुसूचित जातियों के लिए क्रेडिट वृद्धि गारंटी योजना): अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं को पांच करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी कवर प्रदान करती है।

स्टैंड अप इंडिया: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी कवर प्रदान करता है।

सुरक्षा

सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है और विभाग हमेशा निवारक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार स्थानीय कानून व्यवस्था, अपराध दर, बैंकों के खिलाफ अपराधों की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए सभी शाखाओं, एटीएम और प्रशासनिक कार्यालयों की सलामती और एहतियाती उपाय, जहाँ भी आवश्यक हो, अनिवार्य और सुझाए गए उपायों की समीक्षा, और कार्यांवयन किया गया । बैंक ने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए निवारक उपायों और कर्मचारियों के बीच अग्नि रोकथाम और सुरक्षा चेतना को विकसित करने पर जोर देना जारी रखा। सभी प्रकार की आग से बचाव के लिए पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में प्रदान किए गए हैं। सभी शाखाओं के लिए सीसीटीवी सिस्टम प्रदान किए गए हैं। सभी कर्मचारियों को सुरक्षा जागरूकता के बारे में शिक्षित किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षा गैजेट जैसे सीसीटीवी और बर्गलर अलार्म सिस्टम स्थापित हैं और 24x7x365 दिन काम कर रहे हैं। मामले के आधार पर, संवेदनशील एटीएम और शाखाओं में एकीकृत अलार्म प्रणाली और आउटसोर्स किए गए चौकीदार/सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। अधिकांश करेंसी चेस्टों को नकदी के सुरक्षित परिवहन के लिए दो सशस्त्र गार्डों के साथ आउटसोर्स किए गए फोर्टिफाइड कैश वैन स्वीकृत किए गए हैं और कैश वैन के प्रदर्शन की समीक्षा केंद्रीय कार्यालय के सुरक्षा विभाग द्वारा की जाती है। 36 क्षेत्रों में आरएसओ (क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी) तैनात किए गए हैं और शेष क्षेत्र, जो आरएसओ के साथ तैनात नहीं हैं, उन्हें सुरक्षा पहलुओं की निगरानी के लिए निकटवर्ती क्षेत्र के आरएसओ को सौंपा गया है। मुख्य सुरक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्यालय में सुरक्षा विभाग सभी शाखाओं, एटीएम, करेंसी चेस्ट और प्रशासनिक कार्यालयों के सुरक्षा पहलुओं की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

राजभाषा

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। साथ ही, बैंक ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित वार्षिक कार्यक्रम के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्रशासनिक कार्यालयों और शाखाओं के सभी कंप्यूटरों में हिंदी यूनिकोड फ़ॉन्ट प्रतिष्ठापित किया है। हमारी गृह हिंदी पत्रिका "वाणी" प्रिंट के साथ-साथ डिजिटल रूप में चार संस्करण प्रकाशित हुए हैं। बैंक ने 28 और 29 मई 2024 को स्टाफ कॉलेज, चेन्नै में हमारे राजभाषा अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन किया । उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे एमडी व सीईओ ने की और मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार, गृह मंत्रालय की सचिव सुश्री अंशुली आर्या , भी शामिल हुई । राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा शील्ड योजना के तहत पुरस्कृत किया गया। साथ ही, जिन क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-पत्रिका का प्रकाशन उत्कृष्ट हुआ था उक्त सम्मेलन में पुरस्कृत किया गया।

बैंक ने 19 जून 2024 को पुरी (उड़ीसा) में **"कंठस्थ 2.0 (अनुवाद सारथी) उपयोग और भविष्य"** विषय पर एक दिवसीय हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । उक्त कार्यक्रम में नराकास पुरी के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारी और हमारे स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे एमडी व सीईओ ने की और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉ मीनाक्षी

जौली ने भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। साथ ही, वर्ष के दौरान आयोजित सामान्य हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 1227 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

हमारे बैंक को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा के क्रियान्वयन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ **'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'** प्राप्त हुआ है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार **माननीय श्री अमित शाह जी,** गृह मंत्रालय भारत सरकार के कर कमलों से हमारे **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** ने ग्रहण किया । हमारे एमडी व सीईओ ने गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित 15 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में **"तकनीक के दौर में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का योगदान"** विषय पर 10,000 प्रतिभागियों को संबोधित करने का अवसर मिला । साथ ही, हमारे केंद्रीय कार्यालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन के लिए, नराकास चेन्नै से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय गोवा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भारत सरकार से तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे 40 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ शाखाओं को संबंधित नराकास से पुरस्कार मिले हैं। नराकासों से हमारे बैंक के कार्यालयों/ शाखाओं को अब तक के सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त हुए । राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में हमारे 27 क्षेत्रीय कार्यालयों का द्वारा निरीक्षण किया गया। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने 23 अक्टूबर 2024 को क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद का निरीक्षण किया। उक्त समिति ने उक्त केंद्र में राजभाषा कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया।

बैंक ने हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। हमारे कर्मचारियों के लिए 18 सितंबर 2024 को अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई । सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए, बैंक ने दिसंबर 2024 को अंतर-बैंक अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । उक्त प्रतियोगिता के पुरस्कृत लेखों को संकलित कर पुस्तक रूप में "निबंध संचय भाग-3" के रूप में प्रकाशित किया गया है। हमने 'भाषा संगम' पुस्तक भी प्रकाशित की है, जिससे कर्मचारी 19 अनुसूचित भाषाओं के माध्यम से बुनियादी हिंदी सीख सकते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा उक्त पुस्तक का लोकार्पण 14 सितंबर 2024 को चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं हिंदी दिवस के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया था। साथ ही, हमारे राजभाषा विभाग ने अपने कर्मचारियों के ज्ञान को समृद्ध करने के लिए 'आइओबी कॉमिक सीरीज' और 'अपने ग्राहक को जानें और धन शोधन निवारक मानक' पुस्तक प्रकाशित की है, उक्त पुस्तकों का विमोचन हमारे एमडी व सीईओ द्वारा 25 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस समारोह के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर किया गया। 10 जनवरी 2025 को केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 10 फरवरी 2025 को बैंक के 89वें स्थापना दिवस समारोह पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। बैंक ने 21 फरवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया है, उस दिन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं और सेमिनार आयोजित किए गए।

हमारे बैंक ने जनवरी 2021 में राजभाषा का उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टाफ सदस्यों के लिए नकद प्रोत्साहन योजना शुरु की है । इस योजना के तहत, प्रत्येक छमाही के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यांवयन करने वाल्व स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहान स्वरुप रु. 1,000 की राशि दी जाएगी। इस योजना के अनुसार प्रत्येक छमाही के दौरान केंद्रीय कार्यालय से 12 स्टाफ सदस्यों और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय से 3 स्टाफ सदस्यों और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शाखाओं के 6 स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इस योजना के तहत कुल 701 स्टाफ सदस्यों को नकद प्रोत्साहन और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

हमारे बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की स्थिति

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की स्थिति बैंक इंड एएस (भारतीय लेखा मानक) को लागू करने की प्रक्रिया में है। आरबीआई ने 22 मार्च 2019 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। हालांकि, आरबीआई को सभी बैंकों से इंड एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण अर्ध वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है । आरबीआई के निर्देशानुसार, बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। परियोजना संचालन समिति के अनुमोदन के पश्चात बैंक नियमित रूप से अर्धवार्षिक आधार पर आरबीआई को इंड एएस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

पीएसबीएस - सुधार एजेंडा - ईज़ - एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस

ईज़ 7.0: सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मार्गदर्शन में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा शुरू किया गया **उन्नत पहुँच और सेवा उत्कृष्टता**

(ईज़) सुधार एजेंडा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के आधुनिकीकरण में एक परिवर्तनकारी शक्ति बना हुआ है। ईएएसई 7.0 फ्रेमवर्क को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए थीम के साथ पेश किया गया: आर्थिक विकास | ग्राहक प्रसन्नता | लचीली बैंकिंग

ईएएसई 7.0 अपने 21 कार्य बिंदुओं सहित पाँच प्रमुख विषयों पर केंद्रित है:

1. **बैंकिंग को 'विकसित भारत' की ओर ले जाना** - बैंकिंग को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना।

2. **ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता** - सेवा की गुणवत्ता और अनुभव को बढ़ाना।

3. **नए युग की तकनीक को अपनाना** - डिजिटल क्षमताओं, स्वचालन और विश्लेषण को आगे बढ़ाना।

4. **प्रभावी जोखिम और धोखाधड़ी प्रबंधन** - शासन, धोखाधड़ी का पता लगाने और वसूली रणनीतियों को मजबूत करना।

5. **उभरती बैंकिंग प्राथमिकताओं के लिए कर्मचारियों का विकास करना** - भविष्य के लिए तैयार बैंकिंग के लिए कार्यबल का कौशल उन्नयन करना।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने परिचालन उत्कृष्टता, डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए **ईज़ सुधार सूचकांक में नियमित रुप से प्रगति का प्रदर्शन** किया है। बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र की उभरती जरूरतों के साथ खुद को संरेखित करते हुए **ग्राहक अनुभव, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जोखिम प्रबंधन और सेवा वितरण में** सुधार लाने के लिए रणनीतिक पहलों को सक्रिय रूप से लागू किया है। इन ठोस प्रयासों के माध्यम से, आइओबी नवाचार, लचीलापन और बेहतर सेवा मानकों के लिए प्रतिबद्ध एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखता है।

योजना और आर्थिक डेस्क

योजना कार्य क्षेत्रवार मासिक लाभ और हानि गतिविधि की निगरानी, कॉर्पोरेट स्तर के बजट, शीर्ष प्रबंधन को अनंतिम दैनिक एमआईएस की रिपोर्टिंग और विभिन्न अध्ययन विश्लेषण की दिशा में उपयोगी परिणाम प्राप्त करना जारी रखता है। आर्थिक डेस्क नियमित अंतराल पर सरकार/आरबीआई की नीतियों का विश्लेषण करने के अलावा अर्थव्यवस्था में दिन-प्रतिदिन के विकास के साथ शीर्ष प्रबंधन का समर्थन करता है।

नए विकास

शाखाओं की मांग और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और बाजार में अन्य बैंकों की पेशकश के अनुरूप और अपने उत्पाद को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, हमने इनपुट एकत्र किए हैं और उपयुक्त संशोधन किए हैं और देयता योजनाओं को पेश और संशोधित किया है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी उत्पाद के रूप में बाजार में आगे बढ़ाया जा सके।

1. आइओबी स्टार्टअप चालू खाता

भारतीय स्टार्टअप मुख्य रूप से सेवा-उन्मुख होने से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में अपने तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते हुए उत्पाद नवाचार में अग्रणी बनने तक परिवर्तित हो गए हैं। चूंकि भारतीय स्टार्टअप से विकास के प्रमुख चालक बनने की उम्मीद है, इसलिए उन्हें अपने स्टार्टअप व्यवसाय के विकास के लिए नामित/विशेष रूप से स्टार्टअप शाखाओं और अनुकूलित उत्पादों की आवश्यकता है।

तदनुसार, स्टार्टअप की जरूरतों को पूरा करने और स्टार्टअप ग्राहकों का समर्थन करने के लिए, हमने आइओबी स्टार्टअप चालू खाता योजना शुरू की है।

2. आधार आधारित सावधि जमा

क) ग्राहकों को एक सहज अनुभव प्रदान करते हुए सावधि जमा खोलने की प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत करने के उद्देश्य से, हमने आधार आधारित सावधि जमा खोलने की शुरुआत की है।

ख) कर्मचारी टैब बैंकिंग सुविधा में लॉग इन करके सावधि जमा खोलने की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और एक कुशल और ग्राहक अनुकूल बैंकिंग अनुभव प्रदान कर सकते हैं।

3. आइओबी इंस्टा डिजिटल बचत खाता

हमारे चल रहे डिजिटल परिवर्तन प्रयासों के हिस्से के रूप में, हमने आइओबी इंस्टा डिजिटल बचत खाता शुरू किया है।

एनटीबी (बैंक के लिए नए) ग्राहक ई-केवाईसी (आधार आधारित ओटीपी) के माध्यम से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के द्वारा एनटीबी (बैंक के लिए नए) ग्राहकों आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग करके हमारे बैंक के वेब पोर्टल के माध्यम से आसानी से खाते खोल सकते हैं ।

4. गैर-प्रतिदेय टर्म डिपॉजिट

बैंक के लिए फंडिंग का एक विश्वसनीय स्रोत जुटाने और एक अच्छी आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखने के लिए, हमने

रिटेल टर्म डिपॉजिट सेगमेंट के तहत 91 दिनों से लेकर 2 साल से कम अवधि (444 दिनों की बकेट को छोड़कर) के लिए गैर-प्रतिदेय टर्म डिपॉजिट शुरू किया है।

पुनर्निवेश जमा योजना (आरडीपी) और लघु जमा रसीद (एसडीआर) में 1,00,01,000/- रुपये (केवल एक करोड़ और एक हजार रुपये) की न्यूनतम जमा राशि सहित इस योजना में जमा उपलब्ध है।

5. अल्ट्रा एचएनआई योजना

- एचएनआई ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने, ईएएसई मानदंडों का अनुपालन करने और बदलते उद्योग रुझानों के अनुरूप होने के लिए, हमने अल्ट्रा एचएनआई एसबी योजनाएं (3 वेरिएंट) शुरू की हैं।

- यह उत्पाद ग्राहकों को 110.00 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज, विभिन्न ऋण उत्पादों के लिए प्रसंस्करण शुल्क में छूट, निःशुल्क डेबिट कार्ड और कई आकर्षक सुविधाएँ प्रदान करता है।

जनसंपर्क विभाग

क) प्रेस विज्ञप्ति और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरेक्शन

- विभाग ने मेसर्स वेरिटास रेपुटेशन पीआर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समन्वय में 01 मार्च 2024 से **49 स्टैंडअलोन प्रेस विज्ञप्तियाँ** प्रसारित कीं और **12 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरेक्शन** आयोजित किए, जिससे **मीडिया में लगभग 1600+ कवरेज** प्राप्त हुए।

मीडिया कवरेज: -

ब्यौरा	
प्रिंट मीडिया	736
ऑनलाइन मीडिया	886
इलेक्ट्रानिक मीडिया	12
कुल	1634

ख) विज्ञापन, प्रचार और अन्य गतिविधियाँ

बैंक ने विज्ञापन और प्रचार के लिए विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया है, जिसमें प्रिंट, ऑनलाइन विज्ञापन, एफएम रेडियो, चेन्नै मेट्रो ट्रेन, चेन्नै एमटीसी बस ब्रांडिंग, कोलकाता बस ब्रांडिंग, होर्डिंग और सोशल मीडिया में सशुल्क अभियान शामिल हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने विज्ञापन (विनियामक) पर **1,46,80,308.26 रुपये** और **विज्ञापन (गैर-विनियामक) और प्रचार पर 5,23,60,014.29 रुपये खर्च किए हैं।**

डीएफएस के निर्देशानुसार, बैंक द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का केंद्रीय रूप से आयोजन किया गया:

- **19 अप्रैल 2024 -** 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक चल रहे 18वें लोकसभा चुनावों के लिए मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के समन्वय में मतदाता संपर्क और जागरूकता कार्यक्रम बैनर भेजकर, सेमिनार आयोजित करके, मंच आदि के माध्यम से आयोजित किए गए। विभाग ने तीन स्थानों 1) केंद्रीय कार्यालय, 2) स्टाफ कॉलेज और 3) पुरासावलकम शाखा में मतदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के के लि आकाश में विज्ञापन गुब्बारे भी प्रदर्शित किए ।

- **21 जून 2024 -** लोयोला कॉलेज, चेन्नै में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रदर्शन में , हमारे एमडी व सीईओ के साथ ईडी (जेडीआर) सर एवं ईडी (डीटी) और शीर्ष कार्यपालकगण योग प्रदर्शन के दौरान उपस्थित थे।

- **09 अगस्त 2024** – हर घर तिरंगा समारोह (09.08.2024 से 15.08.2024) – सभी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करना, जीएम, एचओडी और डीजीएम को छड़ी सहित झंडे प्रदान करना।

- **12 अगस्त 2024** – एमडी व सीईओ द्वारा "विकसित भारत का मंत्र, देश हो नशे से स्वतंत्र", शपथ दिलाई गई और इसमें शीर्ष कार्यपालकों ने भाग लिया।

- **14 अगस्त 2024** – विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस – टी नगर शाखा में विभाजन विभीषिका की तस्वीरों वाले स्टॉल को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया

- **15 अगस्त 2024** – हमारे केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कार्यालय में शीर्ष प्रबंधन, अधिकारी और कर्मचारी सदस्य केंद्रीय ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए।

- **29 अगस्त 2024** – राष्ट्रीय खेल सप्ताह (26.08.2024 से 31.08.2024) के उपलक्ष्य में फिट इंडिया प्रतिज्ञा एमडी व सीईओ द्वारा दिलाई गई और शीर्ष कार्यपालकों ने इसमें भाग लिया।

- **31 अगस्त 2024** – हमारे केंद्रीय कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय खेल सप्ताह के समापन समारोह में एचआरएमडी - खेल विंग द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

- **17 सितंबर 2024** – 17.09.2024 से 02.10.2024 तक "स्वच्छता ही सेवा अभियान" में "स्वभाव स्वच्छता- सुरक्षित स्वच्छता" थीम के साथ बेसेंट नगर इलियट्स बीच पर आयोजित स्वच्छता अभियान में, हमारे एमडी व सीईओ महोदय ने ईडी और अधिकारियों के साथ समुद्र तट की सफाई में भाग लिया है और चेन्नै कॉर्पोरेशन को कचरा ढोने के लिए 2 बैटरी चालित वाहन दान किए ।

- **01 अक्टूबर 2024** – एमडी व सीईओ द्वारा ईडी और महा प्रबंधकों/एचओडी के साथ "रक्तदान दिवस" की शपथ दिलाई गई और मेसर्स कावेरी हॉस्पिटल्स चेन्नै के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 72 यूनिट रक्तदान किया गया और क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने-अपने क्षेत्रों में रक्तदान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

- **26 अक्टूबर 2024** - **"सतर्कता जागरूकता सप्ताह"** सत्यनिष्ठता की शपथ एमडी व सीईओ द्वारा ईडी, सीवीओ और महा प्रबंधकों/एचओडी के साथ दिलाई गई और बेसेंट नगर इलियट्स में वॉकथॉन आयोजित किया गया जिसमें हमारे केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै -। और चेन्नै ।। क्षेत्रीय कार्यालय के शीर्ष कार्यपालकों और कर्मचारियों ने भाग लिया । भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए केंद्रीय कार्यालय और स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, तिरुमंगलम, चेन्नै में आकाश गुब्बारे लगाए गए और उन्होंने "भ्रष्टाचार को दूर भगाने" लिखे हुए गुब्बारे भी आसमान में उड़ाए ।

- **26 नवंबर 2024** - हमारी एकता और लोकतंत्र का प्रतीकत्व करने के लिए एमडी व सीईओ द्वारा संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई।

- **26 जनवरी 2025** - बैंक ने अपने केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। केंद्रीय कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह में शीर्ष प्रबंधन, कार्यपालक और स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।

- **10 फरवरी 2025** - "परीक्षा पे चर्चा 2025", पूरे भारत में स्कूली छात्रों को दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण को प्रदर्शित किया गया

- **08 मार्च 2025** - सभी शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

ग) बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित निम्नलिखित संसदीय (लोकसभा और राज्यसभा) समिति की बैठकों की मेजबानी की/उनमें भाग लिया

- 31 अगस्त 2024 – **चेन्नै में सरकारी आश्वासन समिति, राज्यसभा का अध्ययन दौरा**

- 25 अक्टूबर 2024 - **उद्योग पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति का गोवा अध्ययन दौरा**

- 12 नवंबर 2024 - **चेन्नै में वित्त पर स्थायी समिति (2024-25) का अध्ययन दौरा**

- 17 जनवरी 2025 - **ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का चेन्नै अध्ययन दौरा**

- 24 जनवरी 2025 - **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति का गोवा अध्ययन दौरा**

घ) सोशल मीडिया

- बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बैंक की ब्रांड छवि को बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। हमारी ब्रांड छवि को और बढ़ाने और बनाने के लिए एक समर्पित सोशल मीडिया टीम बनाई गई है।

- 31 मार्च, 2025 तक, **यूट्यूब पर हमारे ग्राहकों की संख्या - 8,42,294, फेसबुक - 3,52,958, इंस्टाग्राम - 2,73,139, X (पूर्व में ट्विटर) - 56,914 और लिंक्डइन - 41,039 और थ्रेड्स - 12,933 है, जो कुल मिलाकर 15,79,277 ग्राहक हैं।**

- इसके अतिरिक्त, हम अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में पोस्ट के साथ अपने सोशल मीडिया चैनलों को नियमित रूप से अपडेट करने, अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को शिक्षित करने और अपने बैंक की मार्केटिंग दृश्यता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- **वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान,** सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए **794 पोस्टर/फ्लायर्स/वीडियो और** सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त **348 ग्राहक शिकायतों** पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया गया और 48 घंटों के भीतर उनका समाधान किया गया।

ङ) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वित्त वर्ष **2024-25** के दौरान, बैंक ने कुल रु. **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)** पर **कुल रु. 3.76 करोड़** खर्च किए गए, जिससे लगभग **22,90,325 लाभार्थी** लाभान्वित हुए।

वित्त वर्ष 2024 - 25 के लिए बैंक द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर खर्च

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकृत राशि (लाखों में जीएसटी रहित)	लाभार्थी				
			एसटी	एससी	ओबीसी	सामान्य	कुल
1	शिक्षा	43.43	23752	50162	108273	81804	263991
2	महिला एवं वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण	11.84	520	1122	2398	1789	5827
3	पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कारण	68.68	70658	149201	321975	243366	785201
4	स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	109.24	30018	63384	136784	103389	333575
5	परंपरा एवं विरासत का संरक्षण	65.89	75199	158764	342604	259009	835576
6	ग्रामीण कल्याण पहल और आपदा प्रबंधन	33.91	1165	1731	3736	2803	9435
7	कौशल प्रशिक्षण / प्रशिक्षुता प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	5.00	4050	8550	18450	13950	45000
8	खेल	29.00	882	1868	4032	3039	9821
9	प्रौद्योगिकी और अनुसंधान	5.00	88	186	402	304	980
10	वार वेटरन और दान	4.42	82	176	388	273	919
	कुल योग	**376.41**	**206415**	**435144**	**939040**	**709726**	**2290325**

बैंकिंग क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण

आगे बढते हुए, आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती और कम लागत वाले कासा जमा में धीमी वृद्धि के कारण बैंकिंग क्षेत्र को एनआइएम के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कासा जमा वृद्धि धीमी रही और ऋण की त्वरित वृद्धि को पूरा करने के लिए, भारत में बैंकों ने उच्च लागत वाली थोक जमा और अल्पकालिक उधार के माध्यम से धन जुटाया है। कम लागत वाले कासा जमा जुटाने की चुनौती चालू वित्तीय वर्ष में भी जारी रह सकती है और बैंकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक उधार के साधनों पर निर्भर रहना होगा।

वर्तमान में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो का 50% से अधिक हिस्सा भारतीय रिज़र्व बैंक की रेपो दर से जुड़ा हुआ है। मूल्य स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ विकास सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ, रिज़र्व बैंक ने फरवरी और अप्रैल 2025 में दो किस्तों में (प्रत्येक 25 आधार अंकों की) कुल 50 आधार अंकों की रेपो दर में कटौती की है। भारत के सभी बैंकों ने रेपो दर से जुड़े अपने ग्राहकों को इस 50 आधार अंकों की कटौती का लाभ पहले ही प्रदान कर दिया है। इससे बैंकों पर प्रभाव पड़ा है और उनकी रेपो-लिंक्ड ऋण पोर्टफोलियो पर ब्याज आय में 0.50% की कमी आई है।

वर्तमान और विकसित होते मैक्रोइकोनॉमिक परिदृश्य को देखते हुए, यह अनुमान है कि आगे एक या दो और रेपो दर कटौतियाँ हो सकती हैं, जिससे बैंकों के मार्जिन पर और दबाव पड़ सकता है। मार्जिन की सुरक्षा के लिए, बैंकों के पास अपनी जमा दरों में कटौती के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एनआइएम मध्यम स्तर पर बने रहने की संभावना है। हालांकि, जिन बैंकों का रेपो-लिंक्ड ऋण पोर्टफोलियो अधिक केंद्रित है, वे मार्जिन पर अधिक दबाव का सामना कर सकते हैं।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

क्रम सं.	अनुपात	2024-25	2023-24
1	इक्विटी पर प्रतिलाभ	16.28	16.24
2	आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.92	0.81
3	लागत से आय अनुपात	47.14	56.32
4	पूंजी पर्याप्तता	19.74	17.28
5	ऋण इक्विटी अनुपात	1.66	1.46
6	परिचालनात्मक लाभ मार्जिन	25.80	22.77
7	निवल लाभ मार्जिन	9.90	8.94

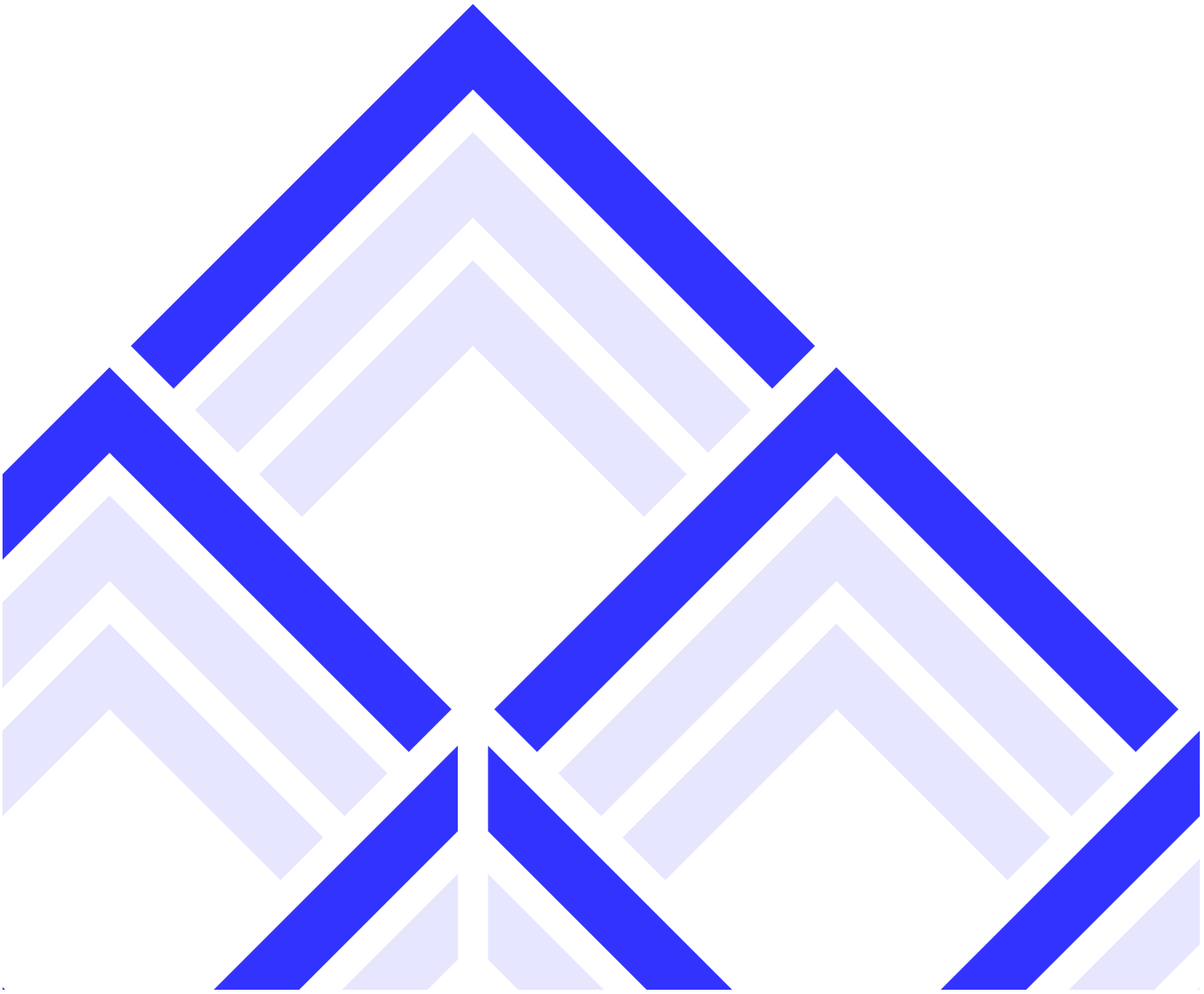
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

बैंक ने अपने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए एक प्रणाली निर्धारित की है। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता स्पष्ट नीतियों और प्रक्रियाओं, प्रक्रिया स्वचालन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास और जिम्मेदारियों को पृथक करने वाली एक संगठनात्मक संरचना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा इन नियंत्रणों की समीक्षा और परीक्षण किया जाता है। वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कृपया निदेशकों के उत्तरदायित्व के संदर्भ के लिए पृष्ठ संख्या 88 देखें।

कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2024-25



अनिवार्य आवश्यकताएं

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और महत्व को पहचानता है और न केवल वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, बल्कि स्वैच्छिक रूप से मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रक्रियाओं का एक सेट तैयार कर उसका पालन भी कर रहा है। बैंक ने हमेशा अपने सभी हितधारकों अर्थात शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समाज के हितों की सर्वोत्तम सेवा करने का प्रयास किया है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बैंक का विचार सभी स्तरों पर प्रदर्शन के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के उच्च मानक प्रदान करना और व्यावसायिकता, सामाजिक जवाबदेही, सुदृढ़ व्यवसाय प्रक्रियाओं और इष्टतम दक्षता के माध्यम से उत्कृष्टता सुनिश्चित करना और प्राप्त करना है। इसने बदले में बैंक को शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखने में सक्षम बनाया है।

बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। हालाँकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, बल्कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत एक निगमित निकाय है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आपेक्षाएँ) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट सीमा में उल्लिखित कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है यह बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, निर्देशों आदि का अनुपालन करता है ।

निदेशक मंडल

बैंक का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, (राष्ट्रीयकरण अधिनियम) के तहत किया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। निदेशक मंडल की संरचना राष्ट्रीयकरण अधिनियम, यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

बोर्ड की जिम्मेदारियों में बैंक के समग्र कामकाज की निगरानी करना शामिल है, जिसमें व्यवसाय संचालन के लिए नीतियों का अनुमोदन, व्यवसाय समीक्षा, लेखा परीक्षा और जोखिम कार्य की स्वतंत्रता का आकलन, तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत जांच, एनपीए प्रबंधन और प्रावधान की प्रमाणिकता, नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधनों का समग्र पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं। बोर्ड ने विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है और बोर्ड की समितियों को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए अपनी शक्तियाँ सौंपी हैं। बोर्ड और इसकी समितियाँ समय-समय पर बैठकें आयोजित करती हैं।

क) संघटन

बैंक का व्यवसाय निदेशक मंडल के अधीन है। प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। 31.03.2025 तक बोर्ड में सात निदेशक हैं, जिनमें तीन पूर्णकालिक निदेशक, 2 गैर-कार्यपालक निदेशक, 1 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष तथा शेयरधारकों में से उनके हितों का विधिवत प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया 1 निदेशक शामिल है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) और 9(3)(एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा कामगार कर्मचारी निदेशक और गैर-अधिकारी कर्मचारी निदेशक के पदों को नामित किया जाना आवश्यक है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के अनुसार, बोर्ड में एक निदेशक होगा जो कम से कम पंद्रह वर्षों तक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो, जिसे रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट निदेशक का पद 25.07.2019 से रिक्त है।

बैंक बोर्ड स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए मामला वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संज्ञान में लाया है तथा केंद्र सरकार अन्य निदेशकों को नामित करने की प्रक्रिया में है। भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति किए जाने पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पद धारण करने वाले निदेशकों का विवरण

निदेशक का नाम (श्री/सुश्री)	पदनाम	निदेशक पद की प्रकृति	नियुक्तियों की तिथि	वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/ पदच्युति
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर कार्यपालक	21.02.2024	--
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक / पूर्णकालिक	01.01.2023	--
श्री जयदीप दत्ता रॉय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	31.01.2024	--
श्री धनराज टी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	10.03.2024	--
श्री कार्तिकेय मिश्रा	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक – गैर-कार्यपालक	25.10.2023	04.08.2024
सुश्री नीलम अग्रवाल	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक – गैर-कार्यपालक	05.08.2024	--
सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	आरबीआई नामिती निदेशक	आधिकारिक – गैर-कार्यपालक	14.07.2023	--
श्री सुरेश कुमार रूंगटा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर कार्यपालक	21.12.2021	20.12.2024
श्री बी चंद्रा रेड्डी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर कार्यपालक	21.12.2021	20.12.2024
श्री दीपक शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर कार्यपालक	21.12.2021	20.12.2024
श्री संजया रस्तोगी	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	03.12.2022	--

31.03.2025 तक बैंक के निदेशकों का प्रोफाइल अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं है।

बोर्ड ने निदेशकों के लिए एक आचार संहिता अपनाई है, तथा एमडी व सीईओ से एक घोषणा प्राप्त की गई है, जिसमें आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है ऐसी घोषणा के विवरण के अनुसार निम्नानुसार है:

"यह पुष्टि की जाती है कि बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है और उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।"

सहायक महा प्रबंधक प्रदीप कुमार बोर्ड के सचिव थे ।

ग) निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/पात्रता का विवरण

बैंक के व्यवसाय और क्षेत्रों के संदर्भ में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पहचाने गए आवश्यक मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यताएं	बोर्ड के पास उपलब्ध मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यताएं
बैंकिंग	हाँ
वित्त	हाँ
अर्थशास्त्र	हाँ
मानव संसाधन प्रबंधन	हाँ
सूचना प्रौद्योगिकी	हाँ
ट्रेजरी प्रबंधन	हाँ
विपणन	हाँ
जोखिम प्रबंधन	हाँ

घ) बोर्ड की बैठकें

बैठक की तिथि और स्थान तथा एजेंडा पेपर सभी निदेशकों को पहले ही सूचित कर दिए जाते हैं। निदेशकों को एजेंडे पर सभी अतिरिक्त जानकारी तक पहुँच होती है। बैंक के अधिकारियों को भी आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड की बैठकें 14 बार आयोजित की गईं, जबकि एक तिमाही में कम से कम एक बार तथा वर्ष में कम से कम छह बार बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता थी।

बैंक ने 2012-13 से एक वेब आधारित ऑनलाइन कार्यक्षेत्र बोर्ड पोर्टल के उपयोग के माध्यम से बोर्ड के सदस्यों को सूचना तक समय पर और निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करके बोर्ड और समिति की बैठकों के ई-संचालन के लिए ई-गवर्नेंस पहल को बढ़ावा दिया है। इसके बाद, वेब-आधारित पोर्टल को वित्त वर्ष 2024-2025 से बैंक के ऑनलाइन कमेटी मॉड्यूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह पोर्टल निदेशकों को एजेंडा पत्रों तक रियल टाइम के आधार पर आइपैड पर गोपनीय ई-एक्सेस प्रदान करता है। इस पहल ने बैठकों के संचालन के तरीके को बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप लागत, समय और संसाधनों में पर्याप्त बचत हुई है।

- वित्तीय वर्ष 25-2024 के दौरान निम्नलिखित तिथियों और स्थानों पर 14 बार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं:

बैठक की तिथि	आयोजित स्थान
22.04.2024	चेन्नै
09.05.2024	चेन्नै
31.05.2024	भुवनेश्वर
01.06.2024	भुवनेश्वर
22.07.2024	चेन्नै
23.07.2024	चेन्नै
13.09.2024	चेन्नै
17.10.2024	चेन्नै
06.11.2024	चेन्नै
30.11.2024	लखनऊ
18.12.2024	चेन्नै
20.01.2025	चेन्नै
18.02.2025	चेन्नै
19.03.2025	चेन्नै

सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं। जहां भी निदेशकों द्वारा अनुपस्थिति हेतु छुट्टी मांगी जाती है, अनुपस्थिति हेतु छुट्टी चिह्नित की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सभी बैठकें आंशिक/पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड में हुई हैं।

- बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	14	14
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	14	14
श्री जयदीप दत्ता रॉय	14	14
श्री धनराज टी	14	14
सुश्री नीलम अग्रवाल	07	08
श्री कार्तिकेय मिश्रा	04	06
सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	14	14
श्री सुरेश कुमार रूंगटा	11	11
श्री बी चंद्रा रेड्डी	11	11
श्री दीपक शर्मा	11	11
श्री संजया रस्तोगी	14	14

31.03.2025 तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण:

निदेशक का नाम	शेयर की संख्या
श्री संजया रस्तोगी	100

किसी अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक के पास आइओबी का कोई शेयर नहीं है।

ई). अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या जिसमें निदेशक सदस्य/अध्यक्ष है

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड़कर) जिनमें वह बोर्ड का सदस्य/अध्यक्ष है (वैकल्पिक/नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या (आइओबी के अलावा) जिसमें एक सदस्य
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	1.ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, 2. निरलॉन लिमिटेड, 3. ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड 4. फ़िन्का, अज़रबैजान	**ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड में** 1. लेखा परीक्षा समिति - सदस्य के रूप में 2. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति - सदस्य के रूप में 3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य के रूप में 4. जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष और 5. ईएसओपी आवंटन समिति - अध्यक्ष के रूप में **निरलॉन लिमिटेड** 1. लेखा परीक्षा समिति-सदस्य के रूप में 2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति- सदस्य के रूप में 3. हितधारक संबंध समिति- सदस्य के रूप में 4. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति- अध्यक्ष के रूप में 5. स्वतंत्र निदेशक समिति- सदस्य के रूप में 6. जोखिम प्रबंधन समिति – सदस्य के रूप में **ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड.** 1. लेखा परीक्षा समिति - सदस्य के रूप में 2. जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष के रूप में **फ़िन्का, अज़रबैजान** 1. लेखा परीक्षा समिति – सदस्य के रूप में 2. मानव संसाधन समिति- सदस्य के रूप में
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी	--

च) समितियों में सदस्यता

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति , प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति तथा हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की जाती है। धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति का गठन किया गया है, जो बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति के स्थान पर है। आरबीआई/सेबी/डीएफएस के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर, समितियों का पुनर्गठन मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।

• बोर्ड की समितियाँ

निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और उन्हें विशिष्ट शक्तियाँ सौंपी हैं। प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को बाद में पुष्टि के लिए समिति की अगली बैठक में रखा जाता है। कार्यवृत्त को रिकॉर्डिंग के लिए बोर्ड मीटिंग में भी रखा जाता है।

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
4. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
5. अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांच की समीक्षा के लिए समिति (सीआरडीसी)
6. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)
7. मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय संचालन समिति (बीएलएससीएचआर)
8. एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीएमआरएनपीए)
9. अपील पर विचार के लिए बोर्ड की समिति (सीबीसीए)
10. बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
11. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
12. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)
13. विलफुल डिफॉल्टर्स और असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति (आरसीडबल्यूडीएनसीबी)
14. कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (बीसीपीई)
15. ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
16. समझौता निपटान के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीसीएस)

- **बोर्ड की प्रबंधन समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 21

बैठकों के आयोजन की तिथि: 16.04.2024, 08.05.2024, 28.05.2024, 14.06.2024, 26.06.2024, 10.07.2024, 30.07.2024, 16.08.2024, 30.08.2024, 18.09.2024, 07.10.2024, 29.10.2024, 12.11.2024, 25.11.2024, 16.12.2024, 27.12.2024, 21.01.2025, 06.02.2025, 17.02.2025, 19.03.2025 और 28.03.2025

एमसीबी का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है । एमसीबी के कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

क) बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार ऋण प्रस्तावों (वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित) को मंजूरी देना
ख) ऋण एवं ब्याज समझौता / बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव - बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार।
ग) पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव
घ) परिसर के अधिग्रहण और किराये से संबंधित प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण और किराये के मानदंडों से विचलन भी शामिल है।
ङ) मुकदमे/अपील दायर करना, उनका बचाव करना आदि।
च) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचर में निवेश, जिसमें हामीदारी अंकन भी शामिल है।
छ) दान
ज) बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित कोई अन्य मामला।

मद (क) से (छ) एमडी व सीईओ की विवेकाधीन शक्तियों/ क्रेडिट अनुमोदन समिति की शक्तियों से परे प्रस्तावों के संबंध में होंगे, जैसा भी लागू हो।

समिति के अध्यक्ष बैंक के एमडी व सीईओ हैं। समिति ने वर्ष के दौरान 21 बार बैठक की। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान पद धारण करने वाले सदस्य और प्रत्येक समिति सदस्य द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान भाग ली गई बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	**तक**		
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (अध्यक्ष)	01.01.2023		21	21
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024		21	21
श्री धनराज टी	10.03.2024		21	20
सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	14.07.2023		21	09
श्री सुरेश कुमार रूंगटा	11.10.2023	20.12.2024	15	15
श्री संजया रस्तोगी	24.12.2024		06	06

- **बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 05

बैठक की तिथियां: 08.05.2024, 09.05.2024, 22.07.2024, 17.10.2024, 05.11.2024.

भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी के निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) में केवल गैर-कार्यपालक निदेशक (एनईडी) शामिल हैं। बोर्ड का अध्यक्ष एसीबी का सदस्य नहीं है। एसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं कर रहा है। एसीबी का अध्यक्ष बोर्ड की किसी भी समिति का सदस्य नहीं है जिसे ऋण जोखिम को मंजूरी देने का अधिदेश प्राप्त है। सभी सदस्यों के पास सभी वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उनसे जुड़े नोट्स/रिपोर्ट को समझने की क्षमता है और कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता है [जैसे लेखांकन मानकों और प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग में अनुभव, इसके आसपास आंतरिक नियंत्रण सहित]। कार्यपालक निदेशकगण बैठक में आमंत्रित व्यक्ति के रूप में शामिल हो रहे हैं जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

एसीबी के प्रत्यायोजित कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- बैंक में संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य के संचालन की देखरेख के साथ-साथ दिशा-निर्देश प्रदान करना। संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य का तात्पर्य बैंक के भीतर आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण के संगठन, संचालन और गुणवत्ता नियंत्रण से है और बैंक के वैधानिक/बाहरी लेखापरीक्षा और आरबीआई के निरीक्षणों का अनुसरण करना है।
- बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य, प्रणाली, अनुवर्ती कार्रवाई के संदर्भ में इसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता तथा विशेषीकृत एवं अतिरिक्त बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- विदेशी शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में नियामकों की नियामक आवश्यकता के अनुपालन पर अनुपालन विभाग से त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उसकी समीक्षा करना।
- एसीबी/बोर्ड/आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों पर अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- वैधानिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और दीर्घ प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखापरीक्षकों के साथ बातचीत करना।
- आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट अर्थात आरएआर/आरएमपी आदि में उठाए गए सभी मुद्दों/चिंताओं की समीक्षा करना और उनका अनुसरण करना।
- संवेदनशील क्षेत्रों, अर्थात पूंजी बाजार एवं रियल एस्टेट में जोखिम की समीक्षा।
- केवाइसी/एएमएल दिशानिर्देशों की समीक्षा - (i) कार्यान्वयन की समीक्षा (ii) शाखाओं में केवाइसी/एएमएल दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा।
- विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघनों की सूचना की समीक्षा।
- इसे अपनी बैठक में बोर्ड के अनुमोदन हेतु बैंक के निरीक्षण और लेखा परीक्षा/लेखा/शासन आदि के संबंध में विभिन्न नीतियों की सिफारिश करनी चाहिए।
- एसीबी द्वारा अनुमोदित कैलेंडर नोट्स की समीक्षा करना।

यह समिति विशेष रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करती है:

- अंतर-शाखा समायोजन खाते
- उचंत, विविध, ट्रांजिट फंड, क्लियरिंग इंटर-बैंक खाते, नोस्ट्रो

खाते आदि में लंबे समय से लंबित असंगत प्रविष्टियां

- धोखाधड़ी और हाउस-कीपिंग के अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र,
- फ़िशिंग हमलों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी वाले लेनदेन पर विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें विशेष रूप से मौजूदा प्रणालियों की कमियों और ऐसे मामलों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उठाए गए कदमों को इंगित किया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के अनुरूप, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के दायरे को विस्तृत किया गया, जिसमें बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित विशिष्ट जोखिम स्तरों पर खातों की निम्नलिखित समीक्षाएं शामिल की गईं:

क). आवश्यकतानुसार संभावित एनपीए/ दबाव मामले।
ख). उच्च मूल्य के ऋण जो किसी ऐसी प्रतिभूति के विरुद्ध दिए गए हों जो ऋणभार से मुक्त न हो
ग). उच्च मूल्य के ऋणों से संबंधित एकमुश्त निपटान के मामले
घ). उच्च मूल्य खाते - ऋण के विरुद्ध प्रदान की गई सुरक्षा / संपार्श्विक (मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त दोनों) के मूल्य और गुणवत्ता का मूल्यांकन / पुनर्मूल्यांकन करने के लिए।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सेबी समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार एसीबी को निम्नलिखित अतिरिक्त भूमिका कार्य/शक्तियां सौंपी गई हैं:

- अपने संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जांच करना।
- किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगना।
- बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी वैयक्तिक की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में मौजूदा भूमिका के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शामिल होंगे:

- बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की देखरेख करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
- लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं , लेखांकन मानकों के अनुपालन और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं पर विशेष जोर देते हुए प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
- प्रबंधन, बाह्य एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- ऐसे मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता हो तथा मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
- लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे पर चर्चा करना, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करके चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाना।
- लेखापरीक्षा योजना और उसकी उपलब्धि की स्थिति की समीक्षा करना।
- बैंक की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आपेक्षाएँ) विनियम, 2015 भाग सी के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति की भूमिका परिभाषित की गई है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस नीति का हिस्सा है।

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 5 बार बैठक हुई

सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं। चूंकि 3 एन ई डी (गैर-कार्यपालक निदेशकों) का कार्यकाल 20.12.2024 को समाप्त हो गया था, इसलिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एसीबी का पुनर्गठन नहीं किया जा सका और वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में एसीबी की कोई बैठक नहीं हुई। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) संशोधन योजना, 1970 यथा संशोधित के पैराग्राफ 14ए में निहित विशेष प्रावधानों के तहत एसीबी के सभी एजेंडे सीधे बोर्ड के समक्ष रखे गए।

01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान पद धारण करने वाले सदस्य तथा वर्ष के दौरान उनके द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	**तक**		
श्री बी चंद्रा रेड्डी (अध्यक्ष)	05.01.2022	20.12.2024	05	05
सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	14.07.2023	--	05	04
श्री संजया रस्तोगी	11.10.2023	23.12.2024	05	05
श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	20.12.2024	05	05

- **बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 05
बैठक की तिथियां: 03.04.2024 , 18.05.2024, 21.06.2024, 12.09.2024 और 17.12.2024

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति का अध्यक्ष न हो। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो। आरएमसीबी की भूमिका और कार्य बैंक द्वारा उठाए गए समग्र जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करना है । समिति क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति की देखरेख करेगी। समिति 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान 5 बार मिली। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं। चूंकि 3 (गैर-कार्यपालक निदेशकों) एन ई डी का कार्यकाल 20.12.2024 को समाप्त हो गया राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) संशोधन योजना, 2021 के पैराग्राफ 14ए में निहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत आरएमसीबी के सभी एजेंडे सीधे बोर्ड के समक्ष रखे गए।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	20.12.2024	05	05
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	12.03.2024	--	05	05
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	--	05	05
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	05	05
श्री धनराज टी	10.03.2024	--	05	05
श्री बी चंद्रा रेड्डी	21.10.2022	20.12.2024	05	05
श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	20.12.2024	05	05

- **बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 02
बैठक की तिथियां: 18.05.2024 और 12.09.2024

समिति का प्रमुख कार्य सभी बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा करना है ताकि प्रणालीगत खामियों, यदि कोई हो, का पता लगाने और रिपोर्ट करने में देरी के कारणों, यदि कोई हो, की पहचान की जा सके, सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति, वसूली की स्थिति की निगरानी की जा सके, यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों की जवाबदेही का काम जल्दी पूरा हो, धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गए उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा की जा सके और उपयुक्त निवारक उपाय किए जा सकें। अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और समिति के वर्तमान अध्यक्ष गैर-कार्यपालक अध्यक्ष हैं। 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 2 बार बैठक हुई। समिति 06.11.2024 से भंग हो गई क्योंकि आरबीआई के दिशानिर्देशों में धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) के गठन का आदेश दिया गया था।

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	12.03.2024	06.11.2024	02	02
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	06.11.2024	02	02
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	06.11.2024	02	02
श्री धनराज टी	10.03.2024	06.11.2024	02	02
श्री बी चंद्रा रेड्डी	05.01.2022	06.11.2024	02	02
श्री दीपक शर्मा	11.10.2023	06.11.2024	02	02
श्री संजया रस्तोगी	12.03.2024	06.11.2024	02	02

धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 06.11.2024 से प्रभावी बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

आयोजित बैठकों की संख्या : 02
बैठक की तिथियां: 17.12.2024 और 28.03.2025

एससीबीएमएफ बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की देखरेख करेगा। एससीबीएमएफ मूल कारण विश्लेषण सहित धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा और निगरानी करेगा और आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए उपाय सुझाएगा। ऐसी समीक्षाओं की कवरेज और आवधिकता बैंक के बोर्ड द्वारा तय की जाएगी। अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री संजया रस्तोगी, शेयरधारक निदेशक हैं। समिति की 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान 2 बार बैठक हुई। समिति का गठन 06.11.2024 से किया गया था क्योंकि आरबीआई के दिशानिर्देशों ने बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति के स्थान पर धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) के गठन को अनिवार्य बना दिया था।

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री संजया रस्तोगी	19.03.2025	--	01	01
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	06.11.2024	--	02	02
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	06.11.2024	--	02	02
श्री जयदीप दत्ता रॉय	06.11.2024	--	02	02
श्री धनराज टी	06.11.2024	--	02	02
श्री बी चंद्रा रेड्डी	06.11.2024	20.12.2024	01	01
श्री सुरेश कुमार रूंगटा	06.11.2024	20.12.2024	01	01

- **ग्राहक सेवा समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 04
बैठक की तिथियां: 18.05.2024, 28.08.2024, 17.12.2024 और 28.03.2025

उदाहरणार्थ, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति निम्नलिखित पर विचार कर सकती है: -

- व्यापक जमा नीति का निर्माण
- जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके खाते के परिचालन के लिए किए जाने वाले निर्णय जैसे मुद्दे
- उपयुक्तता और औचित्य की दृष्टि से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया
- जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण
- ऐसी सेवाओं का त्रैवार्षिक लेखा-परीक्षण। इसके अलावा, समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर असर डालने वाले किसी अन्य मुद्दे की भी जांच कर सकती है।
- बैंक में ग्राहक सेवाओं के स्तर का मूल्यांकन और समीक्षा करना। ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए नए उपायों पर भी विचार किया जाएगा।

एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 4 बार बैठक हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	--	04	04
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	04	04
श्री धनराज टी	10.03.2024	--	04	04
श्री बी चंद्रा रेड्डी	12.03.2024	20.12.2024	03	03
श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	20.12.2024	03	03
श्री संजया रस्तोगी	19.03.2025	--	01	01

- **अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा और विभागीय जांच के लिए समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 04
बैठक की तिथियां: 21.06.2024, 28.08.2024, 18.12.2024 और 27.03.2025

यह तिमाही आधार पर सतर्कता/गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक और विभागीय जांच की समीक्षा करता है और 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के लिए तिमाही प्रगति की समीक्षा करता है। एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 4 बार बैठक हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	--	04	04
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	04	04
श्री धनराज टी	10.03.2024	--	04	04
श्री कार्तिकेय मिश्रा	25.10.2023	04.08.2024	01	00
सुश्री नीलम अग्रवाल	05.08.2024	--	03	02
सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	14.07.2023	--	04	04

- **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 01
बैठक की तिथि: 27.03.2025

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) आवश्यक समुचित सावधानी बरत रही है और आरबीआई मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एए.सं. 20-2019/29.67.001/9 दिनांक 02.08.2019 में निर्दिष्ट और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आपेक्षाएँ) विनियम, 2015, भाग डी के अनुसार निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर पहुंच रही है। यह मौजूदा पारिश्रमिक समिति का कार्य भी कर रही है। एनआरसी का गठन केवल गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) के साथ किया जाता है। एनआरसी की बैठक की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं। बोर्ड का अध्यक्ष एनआरसी की अध्यक्षता नहीं कर रहा है। एनआरसी की बैठक आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाती है।

समिति की बैठक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक बार होगी। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री संजया रस्तोगी	24.03.2025	--	01	01
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	24.03.2025	--	01	01
सुश्री नीलम अग्रवाल	24.03.2025	--	01	01

- **सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 07
बैठक की तिथियां: 03.04.2024, 21.06.2024, 12.09.2024, 17.12.2024, 21.01.2025, 17.02.2025 और 27.03.2025

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आइटीएससी) है व्यवसाय में सुधार के लिए आइटी में विकास का लाभ उठाने के लिए बैंक द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने की आइटी नीति पर विचार-विमर्श करना। यह बैंक की प्रमुख आइटी सक्षम व्यावसायिक पहलों और तकनीकी वास्तुकला की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करता है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस नीति में विस्तृत भूमिका और कार्य परिभाषित किए गए हैं । समिति की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में, श्री श्रीनिवासन श्रीधर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं । 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 7 बार बैठक हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	12.03.2024	07	07	07
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	07	07	--
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	07	07	--
श्री धनराज टी	10.03.2024	07	07	--
श्री कार्तिकेय मिश्रा	25.10.2023	04.08.2024	02	00
सुश्री नीलम अग्रवाल	05.08.2024	05	04	--
श्री बी चंद्रा रेड्डी	05.01.2022	20.12.2024	04	04

- **मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय संचालन समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 05
बैठक की तिथियां: 21.06.2024, 28.08.2024, 29.10.2024, 06.12.2024 और 21.01.2025

एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 5 बार बैठक हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	--	05	05
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	05	05
श्री धनराज टी	10.03.2024	--	05	05
सुश्री नीलम अग्रवाल	05.08.2024	--	04	04
श्री कार्तिकेय मिश्रा	25.10.2023	04.08.2024	01	00
श्री संजया रस्तोगी	29.12.2022	--	05	05
डॉ. टीटी राम मोहन **			05	04

** वे नियुक्त निदेशक नहीं हैं । उन्हें डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुरूप मानव संसाधन पेशेवर (पूर्व आइआइएम प्रोफेसर) के रूप में इस समिति के लिए नामित किया गया है।

- **इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 05
बैठक की तिथियां: 18.05.2024, 28.08.2024, 17.12.2024, 10.02.2025 और 18.03.2025

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 13.08.2024 से एमडी व सीईओ इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 5 बार बैठक हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	13.08.2024	--	04	04
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	12.03.2024	12.08.2024	01	01
	31.01.2025	--	02	02
सुश्री नीलम अग्रवाल	31.01.2025	--	02	01
श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	20.12.2024	03	03
श्री दीपक शर्मा	12.03.2024	20.12.2024	03	03
श्री संजया रस्तोगी	31.01.2025	--	02	02

- **हितधारक संबंध समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 04
बैठक की तिथियां: 18.05.2024, 28.08.2024, 06.11.2024 और 17.02.2025

हितधारक संबंध समिति की भूमिका इस प्रकार होगी: सेबी एलओडीआर 2015 की अनुसूची II के भाग डी में निर्दिष्ट, जो नीचे दिया गया है:

- सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना, आम बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
- शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए उठाए गए उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
- अदावी लाभांशों की मात्रा कम करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों तथा शुरू की गई पहलों की समीक्षा करना एवं कंपनी के शेयरधारकों द्वारा समयबद्ध रूप से लाभांश वारंट /वार्षिक रिपोर्टों /संविधिक सूचना की समय पर पावती सुनिश्चित करना ।

01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 4 बार बैठक हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री संजया रस्तोगी	29.12.2022	--	04	04
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	04	04
श्री धनराज टी	10.03.2024	--	04	04
श्री सुरेश कुमार रूंगटा	12.03.2024	20.12.2024	03	03
श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	20.12.2024	03	03

- **एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 06
बैठक की तिथियां: 22.04.2024, 21.06.2024, 28.08.2024, 18.12.2024, 12.02.2025 और 18.03.2025

एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीएमआरएनपीए) सभी एनपीए खातों में वसूली की समीक्षा और निगरानी कर रही है। यह एनपीए प्रबंधन की भी समीक्षा करती है और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों/निर्देशों पर प्रगति/कार्रवाई रिपोर्ट भी देती है। एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान समिति की 6 बार बैठक हुई। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

- **निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति**

पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करना और डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण (जैसे निरीक्षण और लेखा परीक्षा, अनुपालन और जोखिम) के प्रभारी महा प्रबंधक होंगे । वर्ष 25-2024 के दौरान समिति की 4 बार बैठक हुई।

- **अपील पर विचार के लिए बोर्ड की समिति**

अपील पर विचार के लिए बोर्ड की समिति के मामले में अपीलीय प्राधिकारी/समीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना। दंड/ अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि उन अधिकारियों को दी जाती है, जहां एमडी व सीईओ अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए) हैं या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं। जहां भी एमडी व सीईओ अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं, वे अपील और

समीक्षा समिति के सदस्य नहीं होंगे। वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की बैठक नहीं हुई।

- **बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 19

बैठक की तिथियां: 18.04.2024,16.05.2024, 27.05.2024, 13.06.2024, 05.07.2024, 31.07.2024, 17.08.2024, 06.09.2024, 24.09.2024, 14.10.2024, 02.11.2024, 18.11.2024, 06.12.2024, 19.12.2024, 10.01.2025, 22.01.2025, 04.02.2025, 18.03.2025 और 29.03.2025।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 में संशोधन के अनुसार दिनांक 5 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना संख्या एस.0.2736(ई) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा 25.02.2012 को ऋण स्वीकृति समिति का गठन किया गया था। समिति को ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देने तथा ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने के लिए विशिष्ट वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। तत्पश्चात सीएसी के संबंध में विभिन्न निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसके आधार पर, मंडल द्वारा समिति का अंतिम पुनर्गठन 25.06.2020 को किया गया था।
समिति के अध्यक्ष बैंक के एमडी व सीईओ हैं। 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान 19 बार सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

- **समझौता निपटान के लिए बोर्ड स्तरीय समिति**

आयोजित बैठकों की संख्या : 02

बैठक की तिथियां: 17.10.2024 और 18.12.2024

समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ के लिए आरबीआई फ्रेमवर्क दिनांक 08.06.2023 के आधार पर, समझौता निपटान के लिए बोर्ड स्तरीय समिति का गठन 23.07.2024 को किया गया। समिति के अध्यक्ष बैंक के एमडी व सीईओ हैं। समिति की बैठक 23.07.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान 02 बार सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

- **वरिष्ठ प्रबंधन**

वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तन शामिल हैं:

नाम	पद का नाम
श्री सुधीर प्रसाद ठाकुर	महा प्रबंधक
श्री नटराज कर्यमपुडी	महा प्रबंधक एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी
श्री लक्ष्मी वेंकटेश आर	महा प्रबंधक
श्री ए.एम. बनर्जी	महा प्रबंधक
श्री गोपाल एस	महा प्रबंधक
श्री मोहन एम	महा प्रबंधक
श्री सुरेश पी	महा प्रबंधक
सुश्री सेल्वारानी वी	महा प्रबंधक
श्री कौस्तुभ मजूमदार	महा प्रबंधक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
श्री दिलीप कुमार बारिक	महा प्रबंधक
श्री अनिल कुमार	महा प्रबंधक
श्री सिकरीलाल वी.एल.	महा प्रबंधक
सुश्री एन. विजया	महा प्रबंधक
श्री संजय किशोर	महा प्रबंधक
श्री माधव चंद्र झा	उप महा प्रबंधक एवं मुख्य वित्त अधिकारी
सुश्री दुर्गा देवी एम	उप महा प्रबंधक
श्री राजेश एम.एस.	उप महा प्रबंधक
श्री प्रेम कुमार एस	उप महा प्रबंधक
श्री पूर्ण चंद्र सतपथी	उप महा प्रबंधक
श्री अमित श्रीवास्तव	उप महा प्रबंधक
श्री अमित कुमार	उप महा प्रबंधक
श्री दीपक कुमार त्रिपाठी	उप महा प्रबंधक
श्री राहुल दुबे	उप महा प्रबंधक
श्री महेश कुमार एसपी	महा प्रबंधक (28.02.2025 को अधिवर्षिता पर कार्यालय से सेवानिवृत्त)
सुश्री राजलक्ष्मी भवानी शंकर	महा प्रबंधक (28.02.2025 को अधिवर्षिता पर कार्यालय से सेवानिवृत्त)
श्री रेयाजुल हक़	महा प्रबंधक (31.12.2024 को अधिवर्षिता पर कार्यालय से सेवानिवृत्त)
श्री श्याम सुन्दर नारंग	महा प्रबंधक (30.04.2024 को अधिवर्षिता पर कार्यालय से सेवानिवृत्त)

• निदेशकों को पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

पूर्णकालिक निदेशक का नाम	पारिश्रमिक * (2024-25)
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (एमडी व सीईओ)	64,40,736.00
श्री जयदीप दत्ता रॉय (ईडी)	41,25,174.07
श्री धनराज टी (ईडी)	39,21,601.34
सुश्री एस.श्रीमति (ईडी, 09.03.2024 को सेवानिवृत्त)	19,78,160.00
श्री संजय विनायक मुदालियर (ईडी, 30.01.2024 को बाहर निकले)	15,32,160.00

* पारिश्रमिक में वेतन एवं भत्ते, वेतन बकाया, कार्य निष्पादन प्रोत्साहन, अवकाश नकदीकरण बकाया और ग्रेच्युटी बकाया शामिल हैं।

• निदेशकों को बैठक शुल्क

बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है, जो कि प्रति बोर्ड बैठक 40,000 रुपये और प्रति समिति बैठक 20,000 रुपये है और बोर्ड बैठक की अध्यक्षता के लिए 10,000 रुपये और बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए 5,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भारत सरकार के परिपत्र संख्या एफ.सं.15/1/2011-बीओ.आई दिनांक 18.01.2019 के अनुसार है।

वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	वित्त वर्ष 2024-25
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	12,40,000
श्री सुरेश कुमार रूंगटा (20.12.2024 तक)	10,45,000
श्री बी चंद्रा रेड्डी (20.12.2024 तक)	8,65,000
श्री दीपक शर्मा (20.12.2024 तक)	9,80,000
श्री संजया रस्तोगी	12,90,000

• आम सभा की बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम सभा की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

बैठक की प्रकृति	बैठक की तिथि, दिन एवं समय	कार्यक्रम का स्थान	सम्पन्न कार्य
22वीं वार्षिक सामान्य बैठक	15.07.2022 शुक्रवार 11.00 पूर्वाह्न	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002 (बैठक का स्थान) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से।	क). 31 मार्च, 2022 तक बैंक की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते , साथ ही निदेशकों की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाना। (साधारण प्रस्ताव) ख). अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/ राइट्स निर्गम/ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट या किसी अन्य माध्यम से इक्विटी शेयरों को जारी करके पूंजी जुटाना। (विशेष संकल्प) ग). "इण्डियन ओवरसीज़ बैंक – कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना, 2022-23 (आइओबी-ईएसपीएस 2022-23)" के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने पर विचार करना (विशेष संकल्प)
23वीं वार्षिक सामान्य बैठक	07.07.2023 शुक्रवार 11.00 पूर्वाह्न	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002 (बैठक का माना गया स्थान) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से।	क) 31 मार्च 2023 तक बैंक की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते, साथ ही निदेशकों की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाना। (साधारण संकल्प) ख). श्री अजय कुमार श्रीवास्तव की प्रबंध निदेशक व सीईओ के रूप में नियुक्ति।(साधारण संकल्प) ग). श्री संजय विनायक मुदालियर की कार्यपालक निदेशक (साधारण संकल्प) के रूप में नियुक्ति घ). विभिन्न उपलब्ध विकल्पों (क्यूआइपी/एफपीओ/राइट इश्यू/ईएसपीएस आदि) विशेष संकल्प के माध्यम से रुपये 1000 करोड़ की चुकता इक्विटी पूंजी जुटाना।
24वीं एजीएम	02.07.2024 मंगलवार 11.00 पूर्वाह्न	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002 (बैठक का माना गया स्थान) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से।	क) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखा-परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, बहियों में कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट और खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (साधारण संकल्प) ख) श्री श्रीनिवासन श्रीधर की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति (साधारण संकल्प) ग) श्री जयदीप दत्ता रॉय की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति (साधारण संकल्प) घ) श्री धनराज टी की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति (साधारण संकल्प) ङ) श्री कार्तिकेय मिश्रा की बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्ति (विशेष संकल्प) सुश्री सोनाली सेन गुप्ता की बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआई नामित निदेशक) के रूप में नियुक्ति। (साधारण संकल्प) छ) अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/ राइट्स निर्गम /योग्य संस्थागत प्लेसमेंट/ सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के अंतर्गत कर्मचारियों को शेयर जारी करना/एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों/म्यूचुअल फंड/ क्यूआईबी को तरजीही आधार पर शेयर जारी करना या किसी अन्य तरीके या इनके संयोजन के माध्यम से एक या एक से अधिक किस्तों में रुपये 5000 करोड़ तक की चुकता इक्विटी पूंजी जुटाना। (विशेष संकल्प)

- एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए ईजीएम 15.12.2022 को आयोजित होने वाली थी और इस रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था।
- 22 वीं, 23 वीं और 24 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआइपी), राइट्स इश्यू, अधिमान्य आवंटन या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश या अधिमान्य शेयरों (संचयी/गैर-संचयी) के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी जुटाने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रस्ताव रखे गए ।
- तीन वर्षों के दौरान डाक मतपत्रों के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

दिनांक 02.07.2024 को आयोजित बैंक की पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे।

निदेशक का नाम	पद का नाम
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	अध्यक्ष
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री जयदीप दत्ता रॉय	कार्यपालक निदेशक
श्री धनराज टी	कार्यपालक निदेशक
सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	आरबीआई नामित निदेशक
श्री बी चंद्रा रेड्डी	स्वतंत्र निदेशक
श्री संजया रस्तोगी	शेयरधारक निदेशक

• संचार के साधन

बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से बैंक से संबंधित जानकारी प्रदान करता है जिसमें कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खाते, नकदी प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, विश्लेषकों को प्रस्तुतीकरण और www.iob.in पर वेबसाइट के माध्यम से इसके प्रदर्शन की जानकारी दी जाती है। बैंक अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ, संस्थागत निवेशकों, विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियाँ भी प्रदर्शित करता है।

तिमाही वित्तीय परिणाम सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 47 के अनुसार एक राष्ट्रीय दैनिक, हिंदी दैनिक और एक क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किए जाते हैं। विवरण और प्रकाशन की तिथियाँ इस प्रकार हैं:

तिमाही समाप्त	हिन्दी दैनिक	तमिल दैनिक	अंग्रेजी दैनिक	प्रकाशन तिथि
30.06.2024	जनसत्ता	दिनमणि	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	23.07.2024
30.09.2024	जनसत्ता	दिनमणि	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	18.10.2024
31.12.2024	जनसत्ता	दिनमणि	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	21.01.2025
31.03.2025	जनसत्ता	दिनमणि	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	03.05.2025

• सामान्य शेयरधारक जानकारी

क) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) : दिनांक, समय एवं स्थान: -

तारीख	02 जुलाई 2025 (बुधवार)
समय	सुबह 11.00 बजे
मोड	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)
कार्यक्रम का स्थान	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763, अण्णा सालै, चेन्नै

ख) वित्तीय वर्ष : 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक।

ग) लाभांश भुगतान तिथि : शून्य

घ) अदत्त लाभांश:

बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 ने बैंकों के अदत्त लाभांश पर बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में एक नई धारा 10(ख) को शामिल किया है तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अदत्त लाभांश राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आइईपीएफ) में स्थानांतरित करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए सूचित किया था।

तदनुसार, पिछले वर्षों के अदत्त लाभांश को आइओबी के अदत्त लाभांश खाते/खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है और इसलिए ऐसी धनराशि, जो सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या दावा न की गई हो, आइईपीएफ में स्थानांतरित कर दी जाएगी:

वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते में स्थानांतरण की तिथि	सरकार को हस्तांतरित करने की अंतिम तिथि (आइईपीएफ़)
शून्य		

ङ) बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड मंजिल 1, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1 ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051

वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क निर्धारित तिथियों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान कर दिया गया है।

च) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड (यूनिट-आइओबी)
सुब्रमण्यम बिल्डिंग,
पंचम तल, नं.1 क्लब हाउस रोड,
चेन्नै-600 002
टेलीफ़ोन: 044 - 4002 0700
ई-मेल: cameo@cameoindia.com
ऑनलाइन इन्वेस्टर पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com

छ) 31.03.2025 तक शेयरधारिता का वितरण

क्रम	वर्ग	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	प्रकाशन तिथि
प्रमोटर होल्डिंग				
1	भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	01	18,21,83,26,570	94.61
	उप-योग (1)	01	18,21,83,26,570	94.61
गैर-प्रमोटर होल्डिंग				
2	संस्थागत निवेशक (घरेलू)			
	म्यूचुअल फंड्स	14	1,29,48,941	0.07
	बैंक, वित्तीय संस्थान	13	8,02,30,024	0.42
	बीमा कंपनी	05	35,52,49,347	1.84
	अन्य वित्तीय संस्थाएँ	02	4,94,35,916	0.26
	वैकल्पिक निवेश			
	निधि	01	628	0.00
	उप-योग (2)	35	49,78,64,856	2.59
3	संस्थागत निवेशक (विदेशी)			
	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	24	4,25,85,060	0.22
	उप-योग (3)	24	4,25,85,060	0.22
4	गैर- संस्थागत निवेशक			
	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	01	10	0.00
	वैयक्तिक	9,59,921	36,99,08,415	1.92
	एनआरआई	4,747	89,33,984	0.05
	कॉरपोरेट निकाय	1,049	6,62,00,132	0.34
	विदेशी कॉरपोरेट निकाय	01	48,000	0.00
	ईएसओपी/ईएसओएस/ईएसपीएस	7806	3,88,02,240	0.20
	एचयूएफ	4,183	73,33,161	0.04
	न्यास	20	4,39,902	0.00
	निदेशक और उनके रिश्तेदार	02	1,530	0.00
	समाशोधन सदस्य	10	52,65,953	0.03
	एलएलपी	62	8,75,782	0.01
	अन्य	01	4,200	0.00
	उप-योग (4)	9,77,803	49,78,13,309	2.59
	कुल योग	9,77,863	19,25,65,89,795	100.00

ज) शेयरधारिता का वितरण:

i. 31.03.2025 तक वितरण अनुसूची (डीपी आइडी/क्लाइंट आइडी और फोलियो संख्या के आधार पर)

शेयरों की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों की संख्या का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
01-100	6,24,691	62.71	2,07,19,824	0.11
101-500	2,44,622	24.56	6,58,41,304	0.34
501-1000	64,216	6.45	5,23,31,589	0.27
1001-2000	30,716	3.08	4,61,76,554	0.24
2001-3000	9,909	0.99	2,52,94,073	0.13
3001-4000	4,647	0.47	1,67,27,166	0.09
4001-5000	4,125	0.41	1,95,36,116	0.10
5001-10000	8,572	0.86	6,49,47,529	0.34
10001 - और अधिक	4,672	0.47	18,94,50,15,640	98.38
कुल	9,96,170	100.00	19,25,65,89,795	100.00

ii. "सार्वजनिक" श्रेणी से संबंधित और कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक शेयर रखने वाले व्यक्तियों की शेयर-धारिता

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर-धारिता का %
भारतीय जीवन बीमा निगम	35,13,31,169	1.82

iii. "सार्वजनिक" श्रेणी से संबंधित और कुल शेयरों की संख्या के 5% से अधिक शेयर रखने वाले व्यक्तियों की शेयर-धारिता

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर-धारिता का %
शून्य		

iv. लॉक-इन शेयरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

शेयरधारक का नाम	लॉक-इन शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में लॉक-इन शेयर
शून्य		

v. 31.03.2025 तक विदेशी शेयरधारिता

वर्ग	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
	शेयरों की संख्या	कुल पूंजी में %	शेयरों की संख्या	कुल पूंजी में %
विदेशी संस्थागत निवेशक	शून्य	0.00	शून्य	0.00
विदेशी कॉरपोरेट निकाय	48,000	0.00	48,000	0.00
एनआरआई	89,33,984	0.00	87,20,697	0.00
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	4,25,85,060	0.02	91,61,501	0.00
कुल	5,15,67,044	0.03	1,79,30,198	0.01

जैसा कि उपरोक्त तालिका में विस्तृत रूप से बताया गया है, 31.03.2025 तक कुल विदेशी शेयरधारिता (एफआईआई, ओसीबी, एनआरआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) 0.03% थी, जो बैंक की कुल चुकता पूंजी के 20% के निर्धारित स्तर के भीतर है।

vi. 31.03.2025 तक बैंक के शीर्ष दस शेयरधारक

शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर-धारिता का %
भारत के राष्ट्रपति	18,21,83,26,570	94.61
भारतीय जीवन बीमा निगम	35,06,45,719	1.82
आइआइएफएल फाइनेंस लिमिटेड	4,92,97,510	0.26
एनपीएस ट्रस्ट- ए/सी एलआईसी पेंशन फंड योजना	1,60,21,691	0.08
बैंक ऑफ बड़ौदा	1,23,24,377	0.06
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,23,24,377	0.06
केनरा बैंक	1,23,24,377	0.06
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,23,24,377	0.06
एनपीएस ट्रस्ट- ए/सी एसबीआई पेंशन फंड स्कीम	1,23,24,377	0.06
यूको बैंक	1,23,24,377	0.06
कुल	18,70,82,37,752	97.15

झ) शेयरों का अभौतिकीकरण

बैंक के शेयरों का कारोबार अनिवार्य रूप से डीमैट फॉर्म में किया जा रहा है। बैंक ने शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए पहले ही दोनों डिपॉजिटरीज यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है।

31.03.2025 को शेयर धारकों (डीपी आइडी/ क्लाइंट आइडी एवं फोलियो संख्या के आधार पर) के द्वारा डीमेट एवं भौतिक रूप में धारित शेयरों का विवरण (डीपी आइडी/ग्राहक आइडी और फोलियो संख्या के आधार पर) निम्नानुसार है

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल भुगतान पर %
सीडीएसएल	7,30,695	18,45,07,88,547	95.82
एनएसडीएल	1,90,369	7,81,94,65,48	4.06
भौतिक	75,106	2,38,54,700	0.12
कुल	9,96,170	19,25,65,89,795	100.00

हम शेयरधारकों से पुनः अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को डीमैट में परिवर्तित कर लें। अभौतिकीकरण के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे डीमैट खाते रखते हैं।
अभौतिकीकरण के लाभ इस प्रकार हैं:

- निर्बाध अंतरण
- शेयर प्रमाणपत्र खोने का कोई खतरा नहीं
- लाभांश / कॉरपोरेट लाभ का प्रत्यक्ष और शीघ्र क्रेडिट
- नामांकन सुविधा
- एएसबीए/आइपीओ आदि के माध्यम से सीधा आवेदन।

भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और अभी तक अपनी ईमेल आइडी पंजीकृत नहीं कराने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे हरित पहल का समर्थन करने के लिए बैंक के आरटीए/अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आइडी पंजीकृत कराएं।

पैन, केवाइसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड

सेबी ने 3 नवंबर 2021 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16.03.2023 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाइसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दूसरे शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपने संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रपत्रों में वैध पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें:

रूप	उद्देश्य
फॉर्म आइएसआर-1	पैन, केवाइसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए
फॉर्म आइएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करना
फॉर्म आइएसआर-3	नामांकन 4 से बाहर निकलने के लिए घोषणा प्रपत्र
फॉर्म आइएसआर-13	नामांकन प्रपत्र
फॉर्म आइएसआर-14	नामांकन रद्द करना या उसमें परिवर्तन (यदि कोई हो)

डीमैट खाते में रखे गए दावा रहित शेयर

अदावाकृत सस्पेंस खाते में रखे गए शेयरों की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
01.04.2024 की शुरुआत में शेयरधारकों की कुल संख्या और दावा न किए गए उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर	219	54,700
वर्ष के दौरान दावा न किए गए सस्पेंस खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	1	300
शेयरधारकों की संख्या जिन्हें दावा रहित सस्पेंस खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए	1	300
31.03.2025 के अंत में शेयरधारकों की कुल संख्या और दावा न किए गए सस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	218	54,400

इन शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक कि इन शेयरों का वास्तविक स्वामी इन शेयरों पर दावा नहीं कर लेता।

ञ) शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का समाधान:

सेबी द्वारा निर्धारित अनुसार, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ कुल स्वीकृत पूंजी और बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी का मिलान करने के लिए लेखा-परीक्षा करता है। यह लेखा-परीक्षा हर तिमाही में किया जाता है और उस पर रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। लेखा-परीक्षा पुष्टि करता है कि कुल सूचीबद्ध पूंजी और चुकता पूंजी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म (एनएसडीएल और सीएसडीएल के साथ रखे गए) में कुल शेयरों की संख्या और भौतिक रूप में कुल शेयरों की संख्या के योग के अनुरूप है ।

ट) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई भी परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:
बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है।

ठ) बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर/प्रॉमिसरी नोट्स के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड जारी किए हैं । 31.03.2025 तक बकाया ऐसे बॉन्ड का विवरण इस प्रकार है:

शृंखला	आई एस आई एन	आबंटन की तिथि	आकार (करोड़ रुपए में)	तत्त्व (महीनों में)	कूपन %	शोधन तिथि
बेसल III टियर II बांड						
तृतीय	आइएनई565ए08035	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029
चतुर्थ	आइएनई565ए08043	31.03.2022	665.00	120	8.60	31.03.2032 #
पाँचवीं	आइएनई565ए08050	24.03.2023	1000.00	120	9.00	31.03.2033 #

कॉल ऑप्शन 5 वर्ष के अंत में और उसके बाद की कूपन भुगतान तिथि पर उपलब्ध होगा (आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के साथ)।

ड) निर्गम के डिबेंचर ट्रस्टी

बैंक ने मेसर्स आइडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को सीरीज III और सीरीज IV बॉन्ड इश्यू के लिए बॉन्ड ट्रस्टी नियुक्त किया है और बॉन्ड के निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मुंबई को सीरीज V बॉन्ड इश्यू के लिए बॉन्ड ट्रस्टी नियुक्त किया है। ट्रस्टियों का पता नीचे दिया गया है:

आइडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड
यूनिवर्सल इंश्योरेंस, बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर
श्री पीएम रोड फोर्ट मुंबई 400 001
संपर्क सूत्र : अनुपालन अधिकारी
फोन : 022-40807000/फैक्स : 022-66311776
ईमेल : itsl@idbitrustee.com
वैबसाइट: www.idbitrustee.com

एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल, 122 दिनशॉ वच्छा रोड,
चर्चगेट, मुंबई – 400 020
संपर्क विवरण: श्री अर्धेंदु मुखोपाध्याय
फोन :022 4302 5566
वैबसाइट: www.sbicaptrustee.com

ढ) साख श्रेणी निर्धारण

31.03.2025 तक बेसल III टियर II बांड

रेटिंग एजेंसी का नाम	बेसल III टियर II बांड		
	श्रृंखला III आइएनई565ए08035 500 करोड़ रुपये	श्रृंखला IV आइएनई565ए08043 665 करोड़ रुपये	श्रृंखला V आइएनई565ए08050 रु.1000 करोड़
क्रिसिल लिमिटेड	एए/स्थिर		
आईसीआरए लिमिटेड		एए/स्थिर	
भारत रेटिंग	एए/स्थिर	एए/स्थिर	
केयर रेटिंग्स		एए/स्थिर	एए/स्थिर

सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बेसल III टियर II बॉन्ड की सभी श्रृंखलाओं के लिए पिछली क्रेडिट रेटिंग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एए-/पॉजिटिव है।

जमा प्रमाणपत्र

रेटिंग एजेंसी का नाम	लिखत प्रकार	रकम	रेटिंग
केयर रेटिंग्स	जमा प्रमाणपत्र	रु.10000 करोड़	केयर ए1+ (ए वन प्लस)

ण) पत्राचार के लिए पता

शेयर हस्तांतरण, लाभांश भुगतान और अन्य सभी निवेशक संबंधी गतिविधियाँ कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती हैं और संसाधित की जाती हैं। शेयरधारक उनके पते पर दस्तावेज़, परिवाद और शिकायतें दर्ज करा सकते हैं:

कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड (यूनिट-आइओबी)
सुब्रमण्यम बिल्डिंग,
पंचम तल, नं.1 क्लब हाउस रोड,
चेन्नै-600 002
टेलीफ़ोन: 044 - 4002 0700
ई-मेल: cameo@cameoindia.com
ऑनलाइन इन्वेस्टर पोर्टल:
https://wisdom.cameoindia.com

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक निवेशक संबंध कक्ष है जो शेयरधारकों की शिकायतों और सेवा आवश्यकताओं को निम्नलिखित पते पर संभालता है:

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संबंध कक्ष
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै
चेन्नै-600 002
टेलीः 044-28889360, 71729791, 28415702,
ईमेल: investor@iobnet.co.in

10. अन्य प्रकटीकरण

- बैंकिंग कारोबार के सामान्य क्रम के अलावा, बैंक ने अपने प्रमोटर/निदेशकों, प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जिससे बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है ।
- बैंक ने अपने शेयरों की लिस्टिंग के बाद से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर होस्ट किए गए संबंधित वर्षों के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट में उल्लिखित को छोड़कर, पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है ।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक होने के नाते बैंक ने सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का लागू सीमा तक अनुपालन किया है।
- बैंक सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है और बैंक में कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार और अधिकार के दुरुपयोग को जड़ से समाप्त करने के लिए परिभाषित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आने वाले आम लोगों के बीच काम करने और व्यवहार की एक खुली और पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित करता है । बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग के दायरे में आता है। इस प्रकार, बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है। 'व्हिसल ब्लोअर नीति' नामक नीति का उद्देश्य विचलनों को शीघ्रता से पहचानना और यथासंभव कम समय में उनसे निपटना है। इसे बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच प्रसारित किया गया है ताकि उनके नामों के प्रकटीकरण के विरुद्ध उनकी पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके और व्हिसल ब्लोअर को किसी भी व्यक्तिगत प्रतिशोधात्मक कार्रवाई जैसे अपमान, उत्पीड़न या किसी अन्य प्रकार के अनुचित व्यवहार या उसके सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के कारण किसी भी प्रकार की हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जा सके।

नीति की विषय-वस्तु बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है https://iob.in/Whistle-blower-scheme

बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

- बैंक ने विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। आरबीआई/ सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण लेखा नोट्स में दिया गया है।(अनुसूची-18)
- कॉरपोरेट प्रशासन नीति और संबंधित पार्टी लेनदेन नीति संबंधित नीतियां बैंक की साइट पर अपलोड कर दी गई हैं और इन्हें निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://iob.in/Policies
- 31.03.2025 तक बैंक की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।
- बैंक ने 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट के लिए मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स , प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को नियुक्त किया है। वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होगी।
- मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स , प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज से एक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि

बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी ऐसे वैधानिक/ विनियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है, संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

- सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुलग्नक-V के उप-पैरा (2) से (10) की कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन न करना: शून्य
- कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियाँ - लागू नहीं।
- योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआइपी) के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई निधि का उपयोग:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018, यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआइपी) के माध्यम से योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआइबी) को नकद के रूप में ₹ 10 प्रत्येक अंकित मूल्य वाले 35,41,77,539 इक्विटी शेयर जारी किए, जिनका ₹ 30.57 प्रति शेयर के प्रीमियम पर कुल ₹ 1,436.89 करोड़ है। इसके परिणामस्वरूप जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में ₹ 354.18 करोड़ और शेयर प्रीमियम खाते में ₹ 1,078.60 करोड़ (शेयर निर्गम के निवल व्यय ₹ 4.11 करोड़) की वृद्धि हुई है।

मार्च 2025 तक बैंक की चुकता पूंजी ₹ 19,256.59 करोड़ है। 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार की शेयरधारिता 94.61% है ।

उक्त क्यूआइपी से प्राप्त राशि का उपयोग बैंक द्वारा विकास को समर्थन देने तथा बैंक की सामान्य कॉरपोरेट आवश्यकताओं के लिए आरबीआई के बेसल III मानदंडों के अंतर्गत टियर 1 पूंजी आवश्यकता को बढ़ाने के लिए किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, ऐसी कोई दृष्टांत नहीं था, जहां बोर्ड ने बोर्ड समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। अनिवार्य रूप से आवश्यक सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

- सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के साथ पठित विनियम 33(2) के अंतर्गत निर्धारित बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र प्रत्येक तिमाही के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है तथा इसे बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।
- बैंक का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्ध विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन का अंग नहीं हैं ।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षकों को भुगतान किया गया कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य व्यय ₹ 41,35,84,500.03 है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप, बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक नीति तैयार की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान

विवरण	संख्या
वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	02
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	02
वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	00

- सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।
- जैसा कि इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में संबन्धित मदों के समक्ष वर्णित है गैर -अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया गया है ।
- बैंक की लाभांश वितरण नीति वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। https://iob.in/upload/CEDocuments/IOB_Dividend_Distribution_Policy.pdf
- निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट https://iob.in/FPIID पर दिया गया है।

- **सेबी (एलओडीआर) अधिनियम 2015 के विनियम 27(1) की विवेकाधीन आवश्यकताओं की सीमा कार्यान्वयन की सीमा निम्नानुसार है**

विवेकाधीन आवश्यकताएँ	कार्यान्वयन की स्थिति
बोर्ड: एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखने का हकदार होगा और उसे अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जा सकती है।	हाँ
शेयरधारकों के अधिकार	वित्तीय परिणाम हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं।
लेखा-परीक्षा योग्यता	बैंक के पास अप्रतिबंधित वित्तीय विवरण हैं।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या सीईओ का अलग पद	भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष होगा जो बैंक को समग्र नीतिगत दिशा देगा, तथा दूसरा पूर्णकालिक कार्यपालक प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो बैंक के दैनिक कामकाज की देखरेख करेगा।
आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखा परीक्षक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

बैंक के वर्तमान निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल

- **श्री श्रीनिवासन श्रीधर, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (जन्मतिथि: 03.05.1960)**

श्री श्रीनिवासन श्रीधर 21.02.2024 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। श्री श्रीनिवासन श्रीधर 2018 से अपनी वर्तमान भूमिका संभालने तक बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में थे।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) स्नातक हैं और एक आहार्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर एक वित्तीय सेवा विशेषज्ञ हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारत में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे 28 वर्षों तक सिटीग्रुप के साथ रहे और उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 6 देशों में काम किया है। सिटीग्रुप के साथ उनके द्वारा संभाले गए कुछ नेतृत्व पदों में तीन देशों के लिए सीईओ, भारत के लिए कॉरपोरेट बैंक प्रमुख, अफ्रीका के लिए लेनदेन सेवा प्रमुख और मध्य, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए बैंक सेवा समूह प्रमुख शामिल हैं। वे कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग, उत्पाद प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, शासन और विनियामक अनुपालन जैसे क्षेत्रों में दुनिया भर से गहन बैंकिंग अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।

अन्य निदेशक पद: ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, निरलॉन लिमिटेड, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, फिनका, अज़रबैजान।

- **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जन्मतिथि: 15.10.1967)**

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने 09.10.2017 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के पश्चात 01.01.2023 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है।

उनके पास विज्ञान (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री है।

उन्होंने 1991 में इलाहाबाद बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपना बैंकिंग करियर शुरू किया, जहाँ उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न पदों पर काम किया। वे क्षेत्र स्तर के व्यापक अनुभव के साथ एक विद्वान और कार्यकुशल बैंकर हैं, उन्हें इलाहाबाद बैंक में वरिष्ठ स्तर पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त है।

इलाहाबाद बैंक में लगभग 27 वर्षों का सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और वे 09.10.2017 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शामिल हो गए।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में उनका सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। बैंक 2014 से घाटे में चल रहा था, 2015 से पीसीए में था और कई अन्य चुनौतियों के अलावा वित्तीय पैरामीटर खराब स्थिति में थे। उन्होंने प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के लिए रणनीति बनाई और बोर्ड के सहयोग से उन्हें जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने पांच साल से अधिक समय तक कार्यपालक निदेशक के रूप में बैंक की सेवा की और इस अवधि के दौरान सभी विभागों और पोर्टफोलियो को संभाला। कार्यपालक निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल का मुख्य आकर्षण यह है कि उन्होंने मार्च 2020 में बैंक को घाटे से उबारने और सितंबर 2021 में पीसीए से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इसके अलावा, वह 2021-2020 के दौरान लगभग 14 महीनों के लिए बैंक में अकेले कार्यपालक निदेशक थे।

वे दो साल तक भारत सरकार द्वारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) के बोर्ड में निदेशक भी रहे। उन्होंने अपने पिछले बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी काम किया है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।

अन्य निदेशक पद: यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

- **श्री जयदीप दत्ता रॉय, कार्यपालक निदेशक (जन्मतिथि: 01.07.1972)**

श्री जयदीप दत्ता रॉय ने 31.01.2024 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। लगभग 28 वर्षों तक बैंकर के रूप में कार्य करने के बाद, वे वर्ष 1996 में बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हुए।

बैंक ऑफ बड़ौदा में मानव संसाधन प्रमुख, बैंक के देहरादून और

बरेली क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रमुख, पूर्ववर्ती देना और पूर्ववर्ती विजया बैंकों के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के समय एकीकरण प्रमुख के रूप में बहुत सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद, उन्हें मुख्य महा प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया और बैंक के एमडी और सीईओ के कार्यालय में तैनात किया गया। मुख्य महा प्रबंधक के रूप में, वे बैंक में रणनीति निर्माण और कार्यान्वयन के प्रभारी थे और बैंक की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के प्रबंधन के अलावा बैंक स्तर और वर्टिकल स्तर की समीक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार थे, जिसके बाद, उन्हें 21.10.2021 से भारत सरकार द्वारा कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में, उन्होंने बैंक के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि खुदरा बैंकिंग व्यवसाय (संपत्ति और देयताएं), धन प्रबंधन और एनआरआई व्यवसाय, जोखिम, वित्त और योजना कार्य, मानव संसाधन प्रबंधन, आईटी और डिजिटल, निरीक्षण और लेखा परीक्षा, अनुपालन, ऋण निगरानी, संग्रह, सहायक और संयुक्त उद्यम, संचालन और सेवाएं, एंटरप्राइज़ डेटा प्रबंधन, आदि का प्रभार संभाला ।

उन्होंने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल), पीएसबी अलायंस लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द नैनीताल बैंक लिमिटेड, बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड, बीओबी कार्ड्स लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बोत्सवाना और बैंक ऑफ बड़ौदा तंजानिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी काम किया है, इसके अलावा वे बड़ौदा-बीएनपी पारिबा एसेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष भी रहे हैं।

श्री जयदीप दत्ता रॉय के पास दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री है, इसके अलावा वे लॉ ग्रेजुएट भी हैं तथा उन्होंने मुंबई के नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

- **श्री टी धनराज, कार्यपालक निदेशक (जन्मतिथि: 20.05.1970)**

श्री टी. धनराज ने 10.03.2024 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले, वे इंडियन बैंक में मुख्य महा प्रबंधक (सीडीओ/सीएलओ) थे। श्री टी. धनराज 1994 में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में इंडियन बैंक में शामिल हुए थे।

बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बैंकिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों , जैसे ग्रामीण और कॉरपोरेट शाखाओं के शाखा प्रमुख, कृषि ऋण, एमएसएमई और मानव संसाधन में विविध अनुभव प्राप्त किए । उन्होंने सभी मानव संसाधन संबंधी मामलों में भारतीय बैंक के साथ पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के विलय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । एकीकृत इकाई में मानव संसाधन प्रमुख के रूप में, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को लागू करके उनके द्वारा मानव संसाधन प्रक्रियाओं में बारीकी से परिवर्तन किया गया था।

ग्रामीण बैंकिंग विभाग के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि स्टार्ट-अप के वित्तपोषण के लिए कृषि इनक्यूबेशन हेतु आइआइटी, मद्रास के साथ सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कृषि सह-उधार मॉडल की शुरुआत की। आरआरबी के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने पल्लवन ग्राम बैंक और पांडियन ग्राम बैंक का सफलतापूर्वक विलय पूरा किया, जिसे अंततः तमिलनाडु ग्राम बैंक के रूप में जाना जाने लगा। वह नाबार्ड की सहायक कंपनी नबकिसान के बोर्ड में निदेशक और इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी सप्तगिरि ग्रामीण बैंक के बोर्ड में भी थे।

श्री टी धनराज के पास तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग की डिग्री है, इसके अलावा उनके पास अन्य व्यावसायिक योग्यताएं भी हैं, जैसे कि सीएआइआइबी, आइआइएम बैंगलोर द्वारा पीएसयू बैंकों के नेतृत्व के लिए आइआइएम द्वारा संचालित 'नेतृत्व विकास कार्यक्रम' प्रबंधन पाठ्यक्रम भी है । उन्होंने लखनऊ से ‹एचआर एनालिटिक्स में कार्यपालक कार्यक्रम› (ईपीएचआरए) में भी भाग लिया और उसे पूरा किया है। उन्होंने एगॉन ज़ेंडर और हार्वर्ड बिज़नेस पब्लिशिंग से डायरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2024 भी पूरा किया है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

- **सुश्री नीलम अग्रवाल, सरकार द्वारा नामित निदेशक (जन्मतिथि: 07.11.1979)**

सुश्री नीलम अग्रवाल भारतीय राजस्व सेवा की 2008 बैच की अधिकारी हैं। सुश्री नीलम अग्रवाल को 05.08.2024 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

सुश्री नीलम अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं । उन्हें आयकर विभाग में विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यभार संभालने का एक दशक से भी अधिक का व्यापक अनुभव है।

सुश्री नीलम अग्रवाल ने रांची विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) की

डिग्री प्राप्त की है। भारतीय राजस्व सेवा में शामिल होने से पहले, उन्हें झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए चुना गया था और उन्होंने कुछ वर्षों तक झारखंड राज्य में सेवा की ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

- **सुश्री सोनाली सेन गुप्ता, आरबीआई नामिती निदेशक (जन्म तिथि: 04.09.1968)**

सुश्री सोनाली सेन गुप्ता वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बेंगलुरु में कर्नाटक के लिए क्षेत्रीय निदेशक हैं। आरबीआई में अपने लगभग तीन दशकों के करियर में, उन्होंने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में वित्तीय समावेशन और विकास विभाग के प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक के रूप में और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (परिवर्तन), मुंबई के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है । उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण और मानव संसाधन विकास है। उन्होंने केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ चंडीगढ़, कोलकाता और रिजर्व बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों में भी काम किया है।

वह 14.07.2023 से आरबीआई नामित निदेशक के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शामिल हुईं।

उन्होंने ‹कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह› के सदस्य सचिव के रूप में कार्य किया और 2019 में स्थापित ‹एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति› को सचिवीय सहायता प्रदान करने वाली टीम का नेतृत्व किया। वह विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 के तहत स्थापित रिटर्न/विवरणों के युक्तिकरण पर विशेष समिति का भी हिस्सा थीं।

भारतीय जी20- प्रेसीडेंसी के दौरान, वह जी20- के वित्त ट्रैक के तहत एक कार्य समूह, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई) के लिए आरबीआई लीड रही हैं।

उनके पास कॉमर्स (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री है और बैंकिंग और वित्त में मास्टर डिग्री है । वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (सीएआइआइबी) की प्रमाणित एसोसिएट भी हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

श्री संजया रस्तोगी, शेयरधारक निदेशक (जन्मतिथि: 18.01.1963)

श्री संजया रस्तोगी 1987 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सीधी भर्ती के माध्यम से शामिल हुए। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की।

श्री संजया रस्तोगी को 03.12.2022 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नामित किया गया है ।

अपने लंबे शानदार करियर में, उन्होंने एलआइसी में मार्केटिंग मैनेजर, मुंबई डीओ। और III के सीनियर डिवीजनल मैनेजर के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। उन्होंने पेंशन और समूह योजना विभाग और एलआइसी एचएफएल में काम किया है। कार्यपालक निदेशक (एमबीएसी) के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने एलआईसी के उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली में क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन) के रूप में काम किया। वे 31.01.2023 को अधिवर्षिता पर एलआइसी आई के कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

बैंक में शेयरधारिता : उनके पास हमारे बैंक के 100 शेयर हैं।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

के सदस्यों के लिए

चेन्नै

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 यथा संशोधित ("सूचीगत विनियम")के विनियमन 17 से 27 और विनियमन 46 (2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्धारित है, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ("बैंक") द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है ।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन जैसा कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार की गई, को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और सूचीगत विनियमों की अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित के अधीन है:

क. स्वतंत्र महिला निदेशक की अनुपस्थिति के कारण बैंक पूरे वर्ष विनियमन 17(1)(ए) का अनुपालन नहीं कर सका ।

ख. 20 दिसंबर 2024 को तीन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति हो गई जिस कारण स्वतंत्र निदेशकों की संख्या आवश्यक एक तिहाई से कम हो गई, जिसके चलते बैंक में 21 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक विनियम 17(1) एवं विनियम 17(1)(बी) का अनुपालन लंबित था।

ग. परिणामी रिक्ति के कारण 21 दिसंबर 2024 से लेखापरीक्षा समिति का गठन विनियमन 18(1) के अनुपालन में नहीं थी।

घ. परिणामी रिक्ति के कारण 21 दिसंबर 2024 से 23 मार्च 2025 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति विनियमन 19(1) के अनुपालन में नहीं थी।

ङ. उपर्युक्त के अनुरूप सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के कारण 21 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक जोखिम प्रबंधन समिति विनियमन 21 (2) के अनुपालन में नहीं थी।

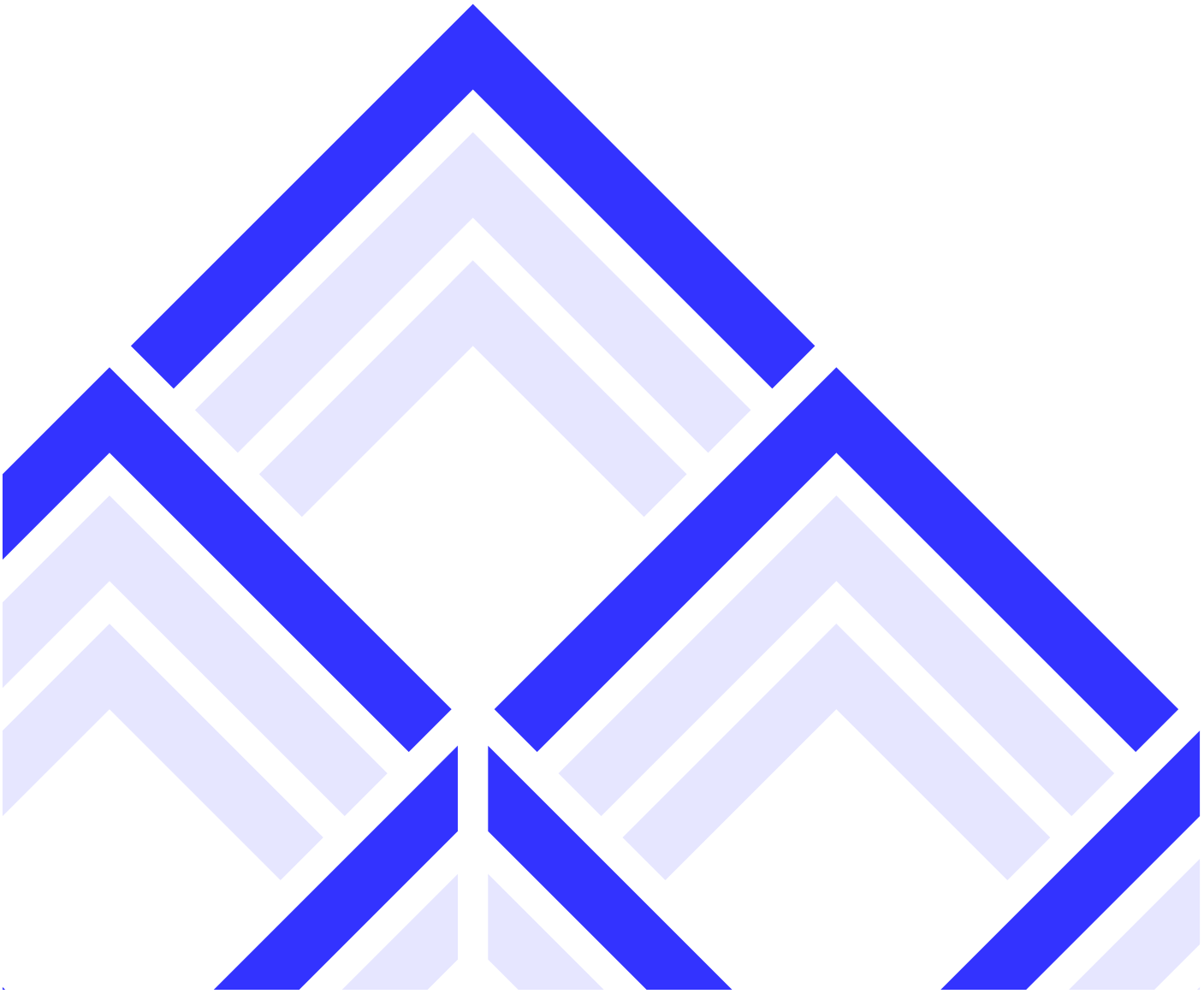
साथ ही हम यह भी सूचित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित और प्रदान किया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य बैंक को सूचीगत विनियमों का अनुपालन करने में सक्षम बनाना है, तथा इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य व्यक्ति, के प्रति किसी भी दायित्व या परवाह के कर्तव्य को स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं, जिसे यह प्रमाणपत्र दिखाया गया है या जिसके हाथों में यह हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना आ सकता है । इस प्रमाणपत्र की तिथि के बाद होने वाली किसी भी घटना या परिस्थिति के लिए इस प्रमाणपत्र को अद्यतित करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

कृते आर. देवेन्द्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी अकाउंटेंट्स
एफआरएन नं.: 114207डबल्यू

-ह-
पीयूष पित्रोदा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 188843
यूडीआइएन – 25188843बीएमजेजीटीवी2118
स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई 2025

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट



सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियमन, 2015 के विनियमन 24ए के अनुसार, यथा संशोधित

सेवा में,

सदस्य
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600002

हमने 31 मार्च 2025 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** (इसके बाद **"बैंक"** कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कॉर्पोरेट आचरण के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है । सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से आयोजित की गई जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने व उस पर अपने अभिमत व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्नों, बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी पर हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षा अवधि के दौरान और बड़े पैमाने पर सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र है व इसके बाद बैंक द्वारा की गई रिपोर्टिंग के अधीन:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रखे गए बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न दाखिल किए गए अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम बैंक पर लागू होंगे।
ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन नियम।
iii. निपेक्षागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियमन और उपविधि ;
iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियमन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; (समीक्षाधीन अवधि के लिए बैंक पर लागू नहीं)
v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमन और दिशानिर्देश: -

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमन, 2011
ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015;
ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015
घ) भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम जन्य इक्विटी) विनिमय,2021 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर लागू नहीं);
ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2018;
च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियमन, 2021;

साथ ही हम उल्लेख करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसरण में कोई घटना/कार्रवाई नहीं हुई:-

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियमन, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में (लागू नहीं है क्योंकि बैंक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता के रूप में पंजीकृत नहीं है);
ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियमन, 2021; और
ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी - खरीद) विनियमन, 2018

(vi) हमने विभिन्न कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा स्थापित प्रणालियों और तंत्रों की समीक्षा की है जो विशेष रूप से बैंक पर लागू होते हैं और निम्नलिखित प्रमुख शीर्षकों/समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं:

क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अधिसूचनाएँ और परिपत्र और उसके संशोधन
ख) बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और उसके संशोधन
ग) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2008
घ) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970.
ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934.

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारा मानना है कि बैंक द्वारा स्थापित प्रणालियाँ और तंत्र उक्त वर्णित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों/विनियमों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) (संशोधित) के संबंध में सचिवीय मानक और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठकों (संशोधित) पर मार्गदर्शन नोट। (लागू नहीं)

(ii) सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया यूनिफ़ॉर्म लिस्टिंग समझौता। (जिसे आगे "सूचिबद्ध विनियमन" कहा जाएगा)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने आम तौर पर निम्नलिखित के अलावा, उक्त वर्णित कानूनों का अनुपालन किया है जो लागू सीमा तक है :

1. बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल नहीं है।

2. बैंक के निदेशक मंडल की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुरूप नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या न्यूनतम मानदंड से कम है। जिसके परिणामस्वरूप 21 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 21 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का भी विधिवत गठन नहीं किया गया।
3. बैंक ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है:

क. धारा 9(3)(ई) - बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक की नियुक्ति जो कामगार हैं।
ख. . धारा 9(3)(एफ) - बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक की नियुक्ति जो कामगार नहीं हैं।
ग. धारा 9(3)(जी): एक निदेशक की नियुक्ति, जो कम से कम पंद्रह वर्षों से सनदी लेखाकार रहा हो, जिसे रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

हमें बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारत सरकार द्वारा की जाती है। बैंक द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त नियुक्तियों के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और डीएफएस को इसकी जानकारी दी है।

साथ ही हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल को बैंकिंग कंपनियां (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम,

1970 (संशोधित) की धारा 9(3) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (संशोधित) के अनुसार विधिवत नियुक्त किया गया है। बोर्ड का गठन उक्त उल्लेखित के अतिरिक्त, कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और शेयरधारक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। बैंक ने रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार के समक्ष मामला उठाया है।

साथ ही हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

साथ ही हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित कार्यक्रम/कार्रवाई की है:

1. अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/राइट्स इश्यू/ईएसपीएस/अधिमानी इश्यू या किसी अन्य तरीके से इक्विटी शेयर जारी करके एक या अधिक किस्तों में 5000 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाने के प्रस्ताव के लिए 02 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया।
2. 19 मार्च, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में एक या अधिक किस्तों में रुपये 10,000 करोड़ के दीर्घावधि (इन्फ्रा) बॉन्ड जारी करके धन जुटाने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 15 मई, 2025

कृते श्रीनिधि श्रीधरन एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव (ओं)

सीएस श्रीनिधि श्रीधरन
सीपी सं. 17990
एफसीएस सं. 12510
पीआर सं.: 6279/2024
यूआईएन: एस2017टीएन472300
यूडीआईएन:एफ012510जी000346954

नोट : यह रिपोर्ट हमारे पत्र के समसंख्यक तिथि के साथ पढ़ा जाना है, जो कि **अनुबंध ए** एवं प्रारूप के रूप में संलग्न हैं एवं वे रिपोर्ट के अभिन्न अंग हैं ।

अनुलग्नक 'ए'

सेवा में,

सदस्यगण
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,
763, अण्णा सालै, चेन्नै -600 002

इस पत्र के साथ सम दिनांक की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अभिमत व्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा मानकों (सीएसएएस-1 से सीएसएएस-4) और आईसीएसआई लेखापरीक्षा मानकों पर मार्गदर्शन नोट और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है।सत्यापन, परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता के साथ-साथ विभिन्न प्रकटीकरणों और विवरणों में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया है, जैसा कि बैंक द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत दाखिल किया जाना आवश्यक है।
4. जहाँ भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. बैंक के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम करती हैं। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 15 मई, 2025

कृते श्रीनिधि श्रीधरन एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव (ओं)

सीएस श्रीनिधि श्रीधरन
सीपी. संख्या 17990
एफसीएस:12510
पीआर संख्या :6279/2024
यूआईएन : एस2017टीएन472300
यूडीआईएन: एफ012510जी000346954

निदेशकों की गैर- अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुक्रम में

निदेशक मंडल
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै
चेन्नै – 600002

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र के निर्गमन के उद्देश्य से **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,** जिसका पंजीकृत कार्यालय 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 स्थित है, (जिसे आगे से "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों द्वारा हमें प्रस्तुत सभी संबंधित पंजियों , रिकॉर्डों, प्रारूपों, विवरणियों की हमारे द्वारा जाँच की गयी ।

हमारे अभिमत और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) के अनुसार और जांच के साथ-साथ हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्रमाण पत्र को जारी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और ऐसे सत्यापन के आधार पर जिसे आवश्यक समझा गया, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2025 तक बैंक के बोर्ड में शामिल निम्नवत किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रहने से ना तो वर्जित किया गया है और ना ही अयोग्य ठहराया गया है।

क्रम सं.	डीआईएन	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	07240718	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	अध्यक्ष एवं गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	21.02.2024
2.	08946309	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक, सीईओ-एमडी	01.01.2023
3.	08055872	श्री जयदीप दत्ता रॉय	कार्यपालक निदेशक	30.01.2024
4.	--	श्री धनराज टी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024
5.	--	सुश्री नीलम अग्रवाल	गैर-कार्यपालक नामित निदेशक	05.08.2024
6.	--	सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	गैर-कार्यपालक नामित निदेशक	14.07.2023
7.	--	श्री संजया रस्तोगी	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक, शेयरधारक निदेशक	03.12.2022

बोर्ड के किसी भी निदेशक की नियुक्ति / उनकी सेवाओं को जारी रखने संबंधी पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जाँच के आधार पर हम उसके बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र ना तो बैंक की भविष्यगत परिहार्यता के प्रति और ना ही बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए कामकाजों की पद्धति की प्रभाविता या दक्षता के प्रति कोई आश्वासन है ।

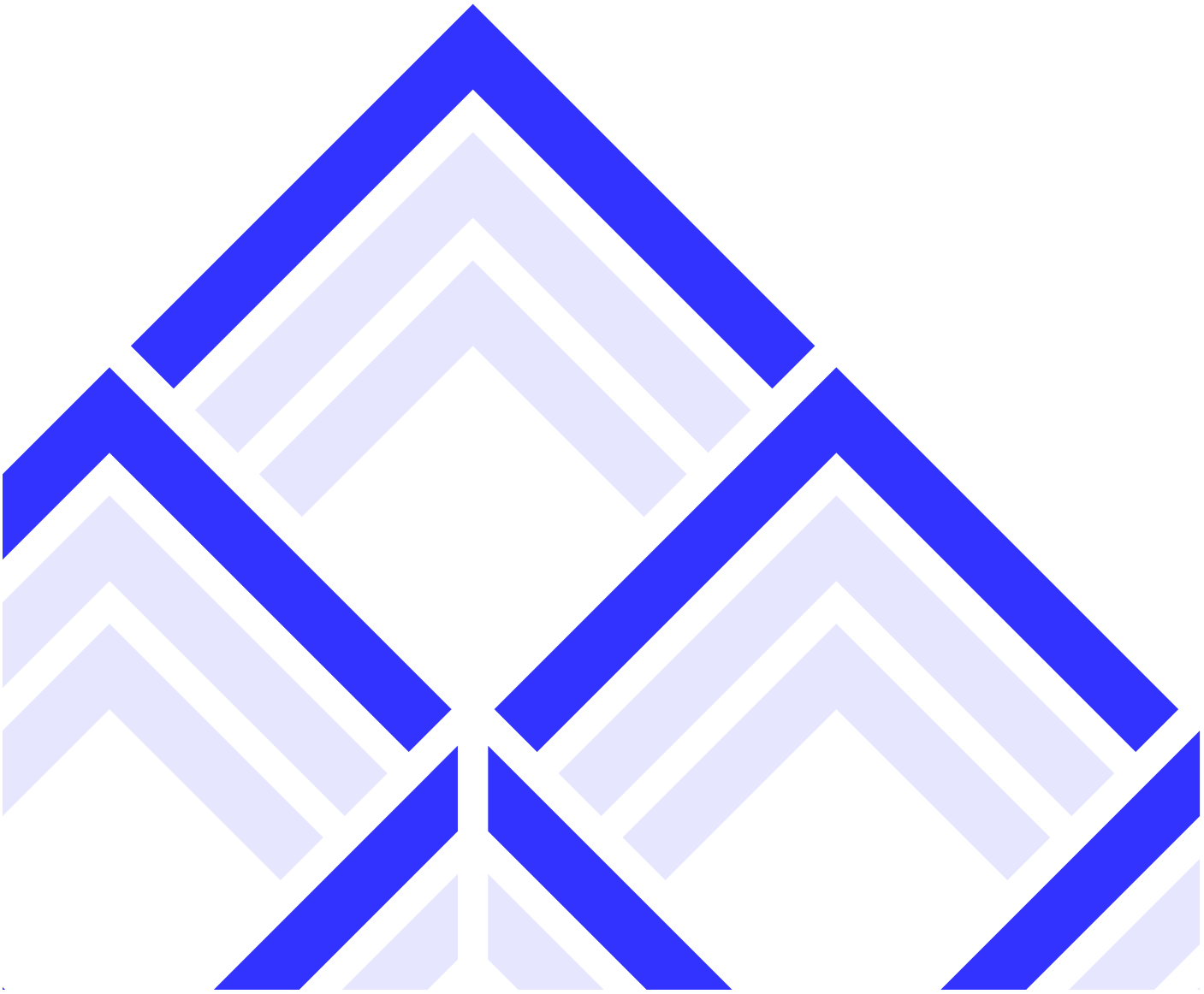
कृते श्रीनिधि श्रीधरन व एसोसिएट
कंपनी सचिव (ओं)

सी एस श्रीनिधि श्रीधरन
एफसीएस नं. 12510
सीपी नं. 17990
पीआर संख्या : 6279/2024
यूआइएन : एस2017टीएन472300
यूडीआईएन : एफ012510जी000347130

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 15 मई, 2025

वार्षिक खाता
स्टैंडअलोन

31 मार्च 2025



31.03.2025 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन – पत्र

रु. हजार में

	अनुसूचियाँ	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पूंजी व देयताएँ			
पूंजी	**01**	19256 58 98	18902 41 23
आरक्षितियाँ और अधिशेष	**02**	13284 32 95	9039 88 85
जमाएँ	**03**	311938 82 39	285905 37 82
उधार	**04**	42227 66 32	30387 16 55
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	**05**	8307 53 66	7798 77 43
कुल		**395014 94 30**	**352033 61 88**
आस्तियाँ			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	**06**	18115 54 82	16904 56 29
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	**07**	2954 71 60	1649 85 57
निवेश	**08**	111044 83 64	99632 08 17
अग्रिम	**09**	245555 16 84	213318 80 94
अचल आस्तियां	**10**	4654 82 10	3739 75 59
अन्य आस्तियाँ	**11**	12689 85 30	16788 55 32
कुल		**395014 94 30**	**352033 61 88**
आकस्मिक देयताएँ	**12**	159405 16 51	195742 15 63
संग्रहण के लिए बिल		17088 33 51	19119 00 64
मूल लेखाकरण नीतियाँ	**17**		
लेखों पर टिप्पणियाँ	**18**		

अनुसूचियाँ तुलन – पत्र का अंग है ।

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व सीईओ

श्रीनिवासन श्रीधर
अध्यक्ष

नीलम अग्रवाल
निदेशक

संजया रस्तोगी
निदेशक

बी चंद्रा रेड्डी
निदेशक

सोनाली सेन गुप्ता
निदेशक

सुरेश कुमार रुंगटा
निदेशक

दीपक शर्मा
निदेशक

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 02 मई, 2025

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ व हानि खाता

रु. हजार में

	अनुसूचियाँ	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
आय			
अर्जित ब्याज	**13**	28131 00 87	24049 73 44
अन्य आय	**14**	5545 06 84	5656 26 24
योग		**33676 07 71**	**29705 99 68**
व्यय			
व्यय किया गया ब्याज			
परिचालन व्यय	**15**	17240 80 29	14220 32 04
प्रावधान और आकस्मिकता (निवल)	**16**	7747 26 38	8721 90 75
योग		5353 30 54	4108 14 40
लाभ / हानि (-)		**30341 37 21**	**27050 37 19**
वर्ष के लिए लाभ / हानि (-)		3334 70 50	2655 62 49
अग्रणित लाभ / हानि (-)		(14469 29 17)	(16448 69 86)
योग		**(11134 58 67)**	**(13793 07 37)**
विनियोजन			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण		833 67 63	663 90 62
अन्य आरक्षितियों में अंतरण		421 37 16	0
पूंजी आरक्षितियों में अंतरण		43 69 06	12 31 18
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षतियों में अंतरण		100 00 00	0
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)		0	0
तुलन – पत्र में अग्रेषित शेष राशि		(12533 32 52)	(14469 29 17)
योग		**(11134 58 67)**	**(13793 07 37)**
मूल एवं घटाए गए शेयर अर्जन (रु.)		1.76	1.40
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग है ।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए
सनदी लेखाकार के लिए एवं उनकी ओर से

आर देवेंद्र कुमार व एसोसियेट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

(पीयूष पित्रोदा)
साझेदार
एम संख्या:188843

तेज राज व पाल
एफआरएन 304124ई

(पी वेणुगोपाल राव)
साझेदार
एम संख्या: 010905

लक्ष्मी तृप्ति व एसोसियेट्स
एफआरएन 009189सी

(विवेक मेहता)
साझेदार
एम संख्या : 415118

संजीव ओम प्रकाश गर्ग एंड कंपनी
एफ़आरएन: 008773सी

(अनूप मितना)
साझेदार
एम संख्या :405289

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 02 मई, 2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

रू. हज़ार में

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह		
निवल लाभ / (हानि)	33 34 70 50	26 55 62 49
करों हेतु प्रावधान	11 77 01 09	7 56 91 66
आयकर से पहले निवल लाभ / (हानि)	**45 11 71 59**	**34 12 54 15**
के लिए समायोजन:		
एचटीएम निवेशों के लिए परिशोधन	82 19 57	45 27 60
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन से हुई हानि	0	(7 49 91 77)
स्थिर आस्तियों से पर मूल्यह्रास	3 94 45 57	3 35 85 28
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि	(1 79 59)	(2 20 92)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	8 24 58 65	27 15 61 90
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	35 85 27 83	(1 12 22 29)
निवेशों पर मूल्यह्रास (एनपीआई के लिए प्रावधान का निवल)	(24 53 74)	6 37 00 59
उतार-चढ़ाव के कारण मूल्यह्रास प्रावधान	(69 43 61)	0
अन्य मदों हेतु प्रावधान	(1 97 19 89)	1 27 32 54
टियर II बॉन्ड्स पर ब्याज	1 92 45 92	2 27 69 10
	47 86 00 70	**32 24 42 03**
निम्नवत के लिए समायोजन :		
जमाओं में वृद्धि/ (कमी)	260 33 44 57	250 22 08 76
उधारियों में वृद्धि/(कमी)	118 40 49 77	98 83 39 36
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)	(24 66 85 49)	19 45 84 84
निवेशों में (वृद्धि)/ कमी	(114 70 41 31)	(53 94 03 55)
अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(330 60 94 56)	(379 81 85 46)
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/ कमी	8 31 64 97	(6 94 82 30)
	(82 92 62 04)	**(72 19 38 35)**
प्रत्यक्ष कर (निवल)	**19 58 08 56**	**(5 83 00 00)**
परिचालन गतिविधियों से/(हेतु प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह (क)	29 63 18 82	(11 65 42 17)
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल आस्तियों की बिक्री/ निपटान	49 66 22	5 96 77
अचल आस्तियों की खरीद	(6 14 95 90)	(3 65 25 82)
निवेश गतिविधियों से/(हेतु प्रयुक्त) सृजित निवल नकदी (ख)	**(5 65 29 68)**	**(3 59 29 05)**
वित्त पोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
टियर I और टियर II बांडों का मोचन/अन्य उधार/पूंजी में वृद्धि	14 32 77 69	(3 00 00 00)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

रू. हज़ार में

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
बेसल 3 टियर 2 बॉन्डों का निर्गम	0	0
आरक्षितियों/ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों में परिवर्तन	(9 87 51 10)	0
आइओबी बॉन्ड पर प्रदत्त ब्याज	(3 27 31 17)	(2 27 69 10)
वित्तीय गतिविधियों से सृजित/(हेतु प्रयुक्त) निवल नकदी (ग)	**1 17 95 42**	**(5 27 69 10)**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)	**25 15 84 56**	**(20 52 40 32)**
वर्ष के प्रारम्भ में नकद व नकद समतुल्य		
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद व शेष	169 04 56 29	171 48 09 47
बैंकों के साथ शेष और मांग-द्रव्य	16 49 85 57	34 58 72 71
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य		
नकद व भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष	181 15 54 82	169 04 56 29
वर्ष के प्रारम्भ में नकद व नकद समतुल्य	**29 54 71 60**	**16 49 85 57**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमी	**25 15 84 56**	**(20 52 40 32)**

यह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है ।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के निष्पादन और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार पुष्टि करने के लिए पुनः समूहीकृत किया गया है ।

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व सीईओ

श्रीनिवासन श्रीधर
अध्यक्ष

नीलम अग्रवाल
निदेशक

सोनाली सेन गुप्ता
निदेशक

संजया रस्तोगी
निदेशक

सुरेश कुमार रुंगटा
निदेशक

बी चंद्रा रेड्डी
निदेशक

दीपक शर्मा
निदेशक

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 02 मई, 2025

समतिथि को हमारी रिपोर्ट के जरिए और की ओर से
सनदी लेखाकार

आर देवेंद्र कुमार व एसोसियेट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

(पीयूष पित्रोदा)
साझेदार
एम संख्या:188843

तेज राज व पाल
एफआरएन 304124ई

(पी वेणुगोपाल राव)
साझेदार
एम संख्या: 010905

लक्ष्मी तृप्ति व एसोसियेट्स
एफआरएन 009189सी

(विवेक मेहता)
साझेदार
एम संख्या : 415118

संजीव ओम प्रकाश गर्ग एंड कंपनी
एफ़आरएन: 008773सी

(अनूप मितना)
साझेदार
एम संख्या :405289

अनुसूची - 1

पूंजी

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
प्राधिकृत पूंजी		
प्रत्येक रूपये 10/- के 2500,00,00,000 शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक रूपये 10/- के 2500,00,00,000 शेयर)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
निर्गमित , अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी		
"प्रत्येक 10/- रुपये के 1925,65,89,795 इक्विटी शेयर (इसमें प्रत्येक 10/- रुपये भारत सरकार द्वारा धारित 1821,83,26,570 इक्विटी शेयर के शामिल हैं)"	**19256 58 98**	**18902 41 23**
विगत वर्ष 10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 1890,24,12,256 इक्विटी शेयर। (भारत सरकार द्वारा धारित 10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 1821,83,26,570 इक्विटी शेयर शामिल हैं)		

अनुसूची - 2

आरक्षितियाँ व अधिशेष

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. सांविधिक आरक्षितियाँ		
अथ शेष	4750 63 46	4086 72 84
जोड़ें: परिवर्धन	83 36 763	663 90 62
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग -I	**5584 31 09**	**4750 63 46**
II. पूंजी आरक्षिति		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		
अथ शेष	2722 63 49	2753 15 36
जोड़ें: परिवर्धन	672 99 16	9 87 87
घटाएँ : कटौतियाँ	22 65 60	40 39 74
योग – अ	**3372 97 05**	**2722 63 49**
आ. आस्तियों की बिक्री पर		
अथ शेष	2169 75 76	2157 44 57
जोड़ें: परिवर्धन	43 69 06	12 31 19
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग- आ	**2213 44 82**	**2169 75 76**
इ . अन्य		

अथ शेष	153 24 38	153 22 07
जोड़ें: परिवर्धन	3 93	2 31
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग -इ	**153 28 31**	**153 24 38**
योग -II (अ,आ एवं इ)	**5739 70 18**	**5045 63 63**
III. शेयर प्रीमियम		
अथ शेष	8557 90 11	8557 90 11
जोड़ें: परिवर्धन	1078 59 94	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग-III	**9636 50 05**	**8557 90 11**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ		
अ. अन्य राजस्व आरक्षितियाँ		
अथ शेष	3683 14 78	3647 11 52
जोड़ें: परिवर्धन	56 43 77	36 03 26
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - अ	**3739 58 55**	**3683 14 78**
आ. निवेश आरक्षिति खाते		
अथ शेष	97 95 58	97 95 58
जोड़ें: परिवर्धन	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	97 95 58	0
योग – आ	**0**	**97 95 58**
इ. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति		
अथ शेष	983 90 47	965 71 07
जोड़ें: परिवर्धन	152 35 93	111 80 37
घटाएँ : कटौतियाँ	6 70 35	93 60 97
योग – इ	**1129 56 05**	**983 90 47**
ई. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियाँ खाता		
अथ शेष	390 00 00	390 00 00
जोड़ें: परिवर्धन	100 00 00	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग – ई	**490 00 00**	**390 00 00**

उ. सामान्य आरक्षित निधि-ट्रेजरी		
अथ शेष	0	0
जोड़ें: परिवर्धन	(1315 57 17)	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - उ	**(1315 57 17)**	**0**
ऊ . एएफ़एस आरक्षित निधि		
अथ शेष	0	0
जोड़ें: परिवर्धन	392 19 56	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - ऊ	**392 19 56**	**0**
ए. विशेष आरक्षितियाँ - सरकारी गारंटीकृत एस.आर.		
अथ शेष	0	0
जोड़ें: परिवर्धन	421 37 16	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - ए	**421 37 16**	**0**
योग - IV (अ,आ,इ,ई,उ,ऊ एवं ए)	**4857 14 15**	**5155 00 83**
V. लाभ एवं हानि खाता	**(12533 32 52)**	**(14469 29 17)**
योग (I, II , III, IV एवं V)	**13284 32 95**	**9039 88 85**

अनुसूची - 3

जमाएँ

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
अ. I. मांग जमाएँ		
i) बैंकों से	1558 27 74	257 64 87
ii) अन्यों से	26568 34 59	22661 32 10
योग - I	**28126 62 33**	**22918 96 97**
II. बचत बैंक जमाएँ	**108034 82 03**	**102589 32 08**
III. मियादी जमाएँ		
i) बैंकों से	3 64	566 65 84
ii) अन्यों से	175777 34 39	159830 42 93
योग - III	**175777 38 03**	**160397 08 77**
योग – अ (I,II एवं III)	**311938 82 39**	**285905 37 82**
आ. I) भारत की शाखाओं में जमाएँ	**303415 25 66**	**278967 49 60**
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएँ	**8523 56 73**	**6937 88 22**
योग आ	**311938 82 39**	**285905 37 82**

(पुनर्ग्रहणाधिकार के अधीन जमाएँ - नोट क्रमांक 21 का संदर्भ लें)

अनुसूची - 4
लिए गए उधार

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. भारत में लिए गए उधार		
भारतीय रिज़र्व बैंक	1946 00 00	7000 00 00
अन्य बैंकों से	3366 95 00	2118 67 50
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	20599 66 34	12121 97 00
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	0	0
बॉन्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	0	0
गौण कर्ज	2165 00 00	2165 00 00
योग (I)	**28077 61 34**	**23405 64 50**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	**14150 04 98**	**6981 52 05**
योग (I एवं II)	**42227 66 32**	**30387 16 55**
ऊपर I एवं II में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	25912 61 34	21240 64 50

अनुसूची -5
अन्य देयताएँ व प्रावधान

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. देय बिल	628 52 03	811 73 08
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
III. उपचित ब्याज	267 65 07	402 50 31
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	7411 36 56	6584 54 04
योग	**8307 53 66**	**7798 77 43**

अनुसूची -6
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी व शेष

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा व एटीएम नकदी सम्मिलित है)	1235 14 95	1263 61 73
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष		
i) चालू खाते में शेष	11784 32 27	9094 53 29
ii) अन्य खातों में शेष	5096 07 60	6546 41 27
कुल योग (I एवं II)	**18115 54 82**	**16904 56 29**

अनुसूची -7
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
अ) चालू खातों में	13 70 82	8 78 89
आ) अन्य जमा खातों में	244 79 31	236 89 25
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
अ) बैंकों के साथ	0	0
आ) अन्य संस्थाओं के साथ	0	0
योग -I (i व ii)	**258 50 13**	**245 68 14**
II. भारत के बाहर		
अ) चालू खातों में	846 21 62	790 57 03
आ) अन्य जमा खातों में	535 64 68	3 50 90
इ) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	1314 35 17	610 09 50
योग -II (i,ii व iii)	2696 21 47	1404 17 43
कुल योग (I व II)	**2954 71 60**	**1649 85 57**

अनुसूची -8
निवेश

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. भारत में निवेश		
i)सरकारी प्रतिभूतियाँ	101565 84 30	91652 13 70
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	99 45
iii) शेयर	1151 71 97	602 66 86
iv) डिबेंचर और बंध पत्र	3072 22 98	2542 94 34
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	615 64 72	606 90 22
vi) अन्य निवेश	613 69 58	71 00 75
(म्यूचुअल फंड, जमाओं की वेंचर पूंजी फंड में निवेश		
योग - I	**107019 13 55**	**95476 65 32**
II. भारत के बाहर निवेश		
i)सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	3699 98 63	3834 79 09
ii) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	193 44 19	193 44 19
iii) अन्य निवेश	132 27 27	127 19 57
योग - II	**4025 70 09**	**4155 42 85**
योग (I एवं II)	**111044 83 64**	**99632 08 17**
भारत में सकल निवेश	107978 78 29	96752 28 36
घटाएँ : मूल्यह्रास	959 64 74	1275 63 04
घटाएँ: पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज	0	0
निवल निवेश	**107019 13 55**	**95476 65 32**
भारत के बाहर सकल निवेश	4032 30 00	4164 78 90
घटाएँ : मूल्यह्रास	6 59 91	9 36 05
निवल निवेश	**4025 70 09**	**4155 42 85**
कुल निवल निवेश	**111044 83 64**	**99632 08 17**

अनुसूची -9
अग्रिम

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
अ. i) क्रय व भुनाए गए बिल	10869 40 73	8332 89 52
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय उधार	92080 18 05	77151 92 44
iii) सावधि उधार	142605 58 06	127833 98 98
योग	**245555 16 84**	**213318 80 94**
आ. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूति	177081 13 42	145445 87 71
(बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	40744 07 61	34358 84 19
ii) बैंक/ सरकार की प्रत्याभूति द्वारा संरक्षित	27729 95 81	33514 09 04
iii) अप्रतिभूत		
योग	**245555 16 84**	**213318 80 94**
इ. I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	113583 52 65	107640 07 65
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	17280 15 88	24336 39 57
iii) बैंक	0	0
iv) अन्य	99292 50 13	64104 10 60
योग	**230156 18 66**	**196080 57 82**
II) भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से बकाया	0	0
ii) अन्यों से बकाया		
• क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	4162 81 04	7333 80 59
• संघबद्ध उधार	5739 25 14	2743 70 69
• अन्य	5496 91 99	7160 71 84
योग	15398 98 18	17238 23 12
योग (इ-I एवं इ-II)	**245555 16 84**	**213318 80 94**

अनुसूची -10

अचल आस्तियाँ

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. परिसर		
वर्ष के आरंभ में / पुनर्मूल्यांकित लागत पर	4576 16 08	4571 95 99
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	924 86 81	4 20 09
उप-योग	**5501 02 89**	**4576 16 08**
वर्ष के दौरान कटौतियाँ *	29 59	0
	5500 73 30	4576 16 08
अद्यतित मूल्यह्रास	1415 42 71	1378 83 55
कुल -I	**4085 30 59**	**3197 32 53**
II. पूँजीगत चालू कार्य	74 23 85	14 47 85
कुल - II	**74 23 85**	**14 47 85**
III. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचरऔर जुड़नार शामिल हैं)		
वर्ष के आरंभ में लागत	2955 66 67	2703 23 88
वर्ष के दौरान परिवर्धन	291 63 71	346 66 67
उप योग	**3247 30 38**	**3049 90 55**
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	67 44 69	94 23 89
	3179 85 69	2955 66 67
अद्यतन मूल्यह्रास	2684 58 03	2427 71 45
कुल - III	**495 27 66**	**527 95 21**
योग (I, II व III)	**4654 82 10**	**3739 75 59**

* 31.03.2025 को विनिमय दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल हैं ।

अनुसूची -11
अन्य आस्तियाँ

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	174 68 34	30 51 35
ii) उपचित ब्याज	5149 12 43	4153 89 68
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	2315 44 55	5450 54 21
iv) लेखन – सामग्री व स्टैम्प	3 49 09	2 51 92
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	16	224 27 48
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखी जमाओं को शामिल करें)	5047 10 73	6926 80 68
कुल	**12689 85 30**	**16788 55 32**

अनुसूची -12
आकस्मिक देयताएँ

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) बैंक के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	8 03 15	4 87 95
ii) अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	129706 60 38	165998 91 81
iv) ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ	14713 15 35	13137 86 75
क) भारत में	179 63 06	157 78 69
ख भारत के बाहर	6074 74 57	4557 27 58
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ		
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	454 38 14	100 99 50
i) पूँजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि		
ii) करेंसी स्वैप के तहत बैंक देयताएँ	0	0
iii) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	0	0
iv) ब्याज दर स्वैप (आइएनआर)	0	0
v) करेंसी ऑप्शन के तहत बैंक देयता	0	0
vi) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप / एफआरए / प्राप्य प्रभार	0	0
vii) भारिबै के साथ डीईएएफ में राशि	2311 24 26	2003 50 50
viii) आइटी मांग विवाद	5957 19 71	9780 74 96
ix) अन्य	6 29	6 29
कुल	**159405 16 51**	**195742 15 63**

अनुसूची -13

अर्जित ब्याज

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) ब्याज/ अग्रिम बट्टा/ बिल	20182 12 52	17575 60 73
ii) निवेशों पर आय	7037 88 37	5945 77 19
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	175 87 51	228 74 20
iv) अन्य	735 12 47	299 61 32
कुल	**28131 00 87**	**24049 73 44**

अनुसूची -14

अन्य आय

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) कमीशन , विनिमय और दलाली	1502 38 67	1330 59 21
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ / हानि	523 61 89	273 23 94
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / हानि	0	749 91 77
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ	1 79 59	2 20 92
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ / हानि	38 75 84	192 80 84
vi) विविध आय	3478 50 85	3107 49 56
कुल	**5545 06 84**	**5656 26 24**

अनुसूची -15
खर्च किया गया ब्याज

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) जमाओं पर ब्याज	15008 49 31	12608 56 51
ii) भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	2232 24 75	1611 81 65
iii) अन्य	6 23	(6 12)
योग	**17240 80 29**	**14220 32 04**

अनुसूची -16
परिचालन व्यय

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	4666 39 60	6140 12 56
ii) भाड़ा, कर और विद्युत	558 84 23	528 16 92
iii) मुद्रण और लेखन सामग्री	34 97 10	32 85 60
iv) विज्ञापन और प्रचार	10 42 05	5 08 06
v) बैंकों की संपत्ति पर मूल्यह्रास	394 45 57	335 85 28
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	1 00 29	97 53
vii) लेखा परीक्षकों की फीस व खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	41 35 85	30 26 73
viii) विधि प्रभार	29 93 75	31 29 54
ix) डाक, तार, टेलीफोन, आदि	63 86 40	60 99 30
x) मरम्मत व अनुरक्षा	42 64 64	37 79 57
xi) बीमा	410 70 86	350 06 73
xii) अन्य व्यय	1492 66 04	1168 42 93
योग	**7747 26 38**	**8721 90 75**

अनुसूची -17
बैंक की प्रमुख लेखांकन नीतियाँ - स्टैंडअलोन

1. तैयारी का आधार

1.1 बैंक का वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपचित अवधारणा एवं कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। यह भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक / मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं । विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया जाता है।

आकलन का प्रयोग:

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को ऐसे आकलन व अनुमान लगाने होते हैं जितने वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व चिन्हित और व्यय लेखांकन

2.1 आय की पहचान निष्पादित परिसंपत्तियों पर उपचय आधार पर की जाती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में वसूली सर्वप्रथम मूलधन के रूप में विनियोजित की जाती है, तथा शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और प्रभारों के रूप में विनियोजित ली जाती है।

वाद दायर किए गए खातों की वसूली मूलधन में या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी।

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के तहत वसूली मूलधन में विनियोजित की जाएगी तथा मूलधन से अधिक राशि को ब्याज में विनियोजित किया जाएगा।

यदि किसी उधारकर्ता खाते को पिछली तिथि से एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वर्गीकरण की वर्तमान तिथि तक की कोई भी वसूली पहले ब्याज के रूप में और शेष राशि, यदि कोई हो, मूलधन के रूप में विनियोजित की जाती है। ऐसी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में की गई बाद की वसूली पहले मूलधन के रूप में और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और प्रभार के रूप में विनियोजित की जाती है।

एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण बिक्री मूल्य से प्राप्त नकदी घटक की सीमा तक तब किया जाता है जब बिक्री रकम निवल बही मूल्य से अधिक (अर्थात प्रावधान घटाकर बही बकाया) होती है।

एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत खातों को मुकदमा दायर खातों के रूप में माना जाएगा और इन एनसीएलटी खातों में वसूली का विनियोजन चाहे वह कॉरपोरेट देनदार या गारंटरों के प्रति शुरू की गई प्रक्रिया से ही हो उन्हें मुकदमा दायर खातों के समान ही माना जाएगा।

डिबेंचर/ इक्विटी/ अन्य ऋण या इक्विटी या लिखतों आदि के रूप में हुई वसूली, जो एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में नकद वसूली के रूप में होती है और जैसा कि मुकदमा दायर खातों में किया जाता है अर्थात मूलधन और उस पर ब्याज।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन(साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की प्रेषण बिक्री से प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में गणना में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 निष्क्रिय बचत बैंक खाते,अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है ।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब संबंधित देश में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है ।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन-देन का लेखांकन, लेखा मानक (एएस)11 के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के अनुसरण में किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया, की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में अंतिम शेष को समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेन-देन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को "अन्य देयताएँ व प्रावधान' '/ "अन्य आस्ति खाता' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोड़कर जहाँ खातों का समायोजन अंतिम दरों पर किया जाता है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बहियों में उनके लेन-देन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न परिचालन माना जाता है।

ख. परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणामी विनिमय के अंतर को अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक "विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती" नामक अलग खाते में जमा किया जाता है ।

4. निवेश

4.1 आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी स्वयं की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को छोड़कर) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेंगे, अर्थात, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उप-श्रेणी होगी।

प्रत्येक प्रतिभूति (एनपीआई के अलावा) के अंकित मूल्य की तुलना में अधिग्रहण लागत का प्रीमियम/छूट, यदि कोई हो, परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित/उपचित किया जाता है।

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर,

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर,

ड.) अनुषंगियां/संयुक्त उपक्रम व

च) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)

4.2. म्युचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1 "लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य" (एफवीटीपीएल)" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रतिभूतियों को तिमाही अंतराल पर बाजार में चिन्हित किया जाता है। एचएफटी के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रतिभूतियों को दैनिक आधार पर बाजार में चिन्हित किया जाता है।

केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/ एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/ निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण-पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू के क्रम में उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है ।

पीडीएआइ (प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया)/ एफबीआईएल द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है ।

उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर, एएफएस के अंतर्गत रखे गए सभी निष्पादित निवेशों (जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, बांड और डिबेंचर इत्यादि) में मूल्यांकन लाभ और हानि को एकत्रित किया जाएगा, चाहे उनका वर्गीकरण कुछ भी हो। निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को सीधे एएफएस-रिजर्व नामक रिजर्व में क्रेडिट या डेबिट किया जाएगा। एफवीटीपीएल में रखी गई निष्पादित प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में क्रेडिट या डेबिट किया जाएगा।

लेखा पुस्तकों में निर्धारित अंतराल पर मूल्यांकन के कारण व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन होगा।

4.3.2 ''परिपक्वता के लिए धारित'': ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है।

अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

4.4 एनपीए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अ-निर्धारण के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/ बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और तदनुसार, जहाँ कहीं लागू हो, प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में (जैसे ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध व परिपक्वता तक धारित व एफवीटीपीएल) निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लिखा जाता है।

''परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग में निवेशों के विक्रय के लाभ के मामले में, कर चुकतान के बाद निवल लाभ और सांविधिक आरक्षिती में अंतरित की जाने वाली राशि को "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया जाता है।

एएफएस श्रेणी में किसी ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/ हानि को एएफएस-रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा और लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाएगा ।

शुरुआत में दर्ज करते समय एएफएस के तहत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा । इसके बजाय, ऐसा लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से पूंजी आरक्षित खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन/प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिया जाता है। ट्रेज़री बिलों के मामले में खंडित अवधि ब्याज नहीं होता है। आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानि डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा – जोखा किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है ।

4.10 सभी निवेश सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित किया जाता है ।

4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है ।

4.12 तुलनपत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया जाता है।

4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया जाता है । अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी उन निवेशों से नेट किया गया है ।

4.14 किसी निवेश को उसकी खरीद के समय एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में उसके वर्गों में अंतरण, सिर्फ एचएफटी से एएफएस श्रेणी में अदला-बदली/ अंतरण को छोड़कर, अधिग्रहण लागत/बुक वैल्यू/बाजार मूल्य के आधार पर अन्य वर्गों में वर्ष में एक बार, निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है । ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है और प्रतिभूति का बही मूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का ऐसा अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की अनुमति या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.15 भारतीयरिज़र्वबैंककेपरिपत्रसंख्याआरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.0489/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक इनवेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में प्रतिफल में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए: -

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है ,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

5.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए, प्रावधान किए जाते हैं, जिसके अनुसार संबंधित ऋणों/ अग्रिमों खातों प्रावधानीकरण के अतिरिक्त ऋण / अग्रिम की पुनर्संरचना के पूर्व व बाद के उचित मूल्य को घटाया जाता है । उचित मूल्य में कमी और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज में कमी , यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया जाता है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।

6. डेरिवेटिव्स

6.1 ब्याज सहित आस्तियों/ देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2 बचाव उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति/ देयता जो भी पहले हो,पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3 उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ- हानि खाते में पहचाना/मान्य किया जाता है। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र व उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

क्रम सं	फर्नीचर का प्रकार	मूल्यह्रास
i	परिसर	2.50%
ii	फर्नीचर और जुड़नार (धातु और लकड़ी)	10%
iii	विद्युत संस्थापना	20%
iv	वाहन	20%
v	कम्प्यूटर	33.33 %
vi	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33.33 %
vii	अग्निशामक यंत्र और ऐसी परिसंपत्तियां जिनका मूल्य 1000 रुपये से अधिक परंतु 5000 रुपये से कम है।	100%

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते से लिया गया है और समकक्ष राशि को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से राजस्व आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

7.3 फर्नीचर/ जुड़नार का पूंजीकरण वस्तुओं की प्रकृति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

7.4 अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर ध्यान दिए बगैर मूल्य ह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया गया है । (सीधी रेखा पद्धति के तहत)

7.5 परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास केवल तभी अनुमत है जब परिसंपत्तियों का उपयोग क्रय के वर्ष में किया गया हो।

7.6 यदि एकल परिसंपत्ति का मूल्य 1000/- रुपये से कम या उसके बराबर है, तो बैंक परिसंपत्ति को पूंजीकृत नहीं करेगा और परिसंपत्तियों को राजस्व व्यय के रूप में मानेगा। इसलिए, इस मामले में परिसंपत्ति पूंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगी।

7.7 यदि एकल परिसंपत्ति का मूल्य 1000/- रुपये से अधिक लेकिन 5000/- रुपये से कम है, तो यह पूंजीकरण के लिए पात्र होगा।

7.8 हालांकि, मूल्यह्रास वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्ति के मूल्य के 100% की सीमा तक लागू होगा। उसके बाद, यह पुस्तकों में 1/- रुपये में लिया जायेगा।

7.9 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.10 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया गया है।

7.11 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया गया है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन पद्धति के लिए अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

8.3 विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर:

बैंक द्वारा आयकर व्यय मौजूदा कर व आस्थगित कर व्यय की कुल राशि अदा की गई है । मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण, विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर , जो कि संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है , को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व " आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है। आस्थगित कर समायोजन में आस्तिगत कर आस्ति या देयता में वर्ष के दौरान होने वाले बदलाव शामिल हैं। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की गणना वर्तमान वर्ष में कर योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच समयांतर के प्रभाव और अगले लाभ से घाटा-पूर्ति को विचार में लेकर की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनर्मूल्यांकन, प्रबंधन के निर्णय के आधार पर कि उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित मानी जाए या नहीं। आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य में होने वाले लाभ से कर घाटा-पूर्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता के साथ इस बात का पुख्ता सबूत हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के प्रति वसूल किया जा सकता है।

10. प्रति शेयर अर्जन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "इपीएस (प्रति शेयर अर्जन)" के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है, सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्ति ह्रास

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोई घाटा हो तो, उसे लाभ एवं हानि खाते में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को सेकंडरी रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है ।

13. प्रावधानों आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए लेखांकन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों" के अनुसरण में बैंक, प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, ये भी संभावना है कि जब बाध्यताओं की राशि के लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके तब बाध्यताओं को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह हो सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन-देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्ति, यदि कोई हो तो उसे मान्यता नहीं दी जाती है या उसका प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

अनुसूची 18

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हेतु लेखों पर टिप्पणियाँ

1. निवेश

1.1 आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत हैं:

(रु.करोड़ों में)

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य		कुल निवेशों का प्रतिशत (%)	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
परिपक्वता के लिए धारित	92 288.38	85 711.46	83.10	84.93
बिक्री के लिए उपलब्ध	16 068.28	15 205.49	14.47	15.07
एफवीटीपीएल	1 498.86	0	1.35	0
एफवीटीपीएल_एचएफटी	380.70	0	0.34	0
अनुषंगी, संयुक्त उद्यम व एसोसिएट्स	815.23	0	0.73	0
कुल	111051.45	100 916.75	100.00	100.00

*01.04.2024 को बैंक ने आरबीआई का मास्टर निर्देश- वाणिज्यिक बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023, DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 दिनांकित 12 सितंबर, 2023 को लागू किया है, इसलिए 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के आंकड़े 31 मार्च 2024 के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं ।

1.2 अंकित मूल्य से ऊपर रखे गए निवेशों के संबंध में, वर्ष के दौरान ₹ 82.20 करोड़ का प्रीमियम परिशोधित किया गया (पिछले वर्ष ₹ 45.28 करोड़) । वित्तीय वर्ष के दौरान, अंकित मूल्य से नीचे रखे गए निवेशों पर छूट के रूप में ₹ 295.23 करोड़ की राशि अर्जित की गई (पिछले वर्ष शून्य था क्योंकि अर्जित छूट लागू नहीं थी)। जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार ब्याज आय में शामिल किया जाता है ।

आगे, ₹ 4100 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि गैर-ब्याज वाले भारत सरकार के पुनर्पूंजीकरण बांड में निवेश हैं, जो कि मार्च 2031 से मार्च 2036 तक परिपक्व हो रहे हैं और परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं । इनका मूल्यांकन आरबीआई के मौजूदा निर्देशों के अनुसार किया जाता है और मासिक अंतराल पर छूट दी जाती है । 31.03.2025 तक, इन बांडों की वहन लागत ₹ 2,553.94 करोड़ है, जबकि शुरुआत की तिथि पर यह ₹ 2368.85 करोड़ थी ।

1.3 सीसीआईएल सेटलमेंट गारंटी फंड/डिफॉल्ट फंड के लिए ₹ 517.00 करोड़ (पिछले साल ₹ 517 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ और टीआरईपीएस/डिफॉल्ट फंड के तहत उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में ₹ 12,918.00 करोड़ (पिछले साल ₹ 13,018.00 करोड़) की प्रतिभूतियाँ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास रखी गई हैं । इसके अलावा, फॉरेक्स ऑपरेशन के लिए डिफॉल्ट फंड के लिए ₹ 132.10 करोड़ (पिछले साल ₹ 127.10 करोड़) की सीमा तक की प्रतिभूतियाँ सीसीआईएल के पास जमा की गई हैं और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए ₹ 15.00 करोड़ (पिछले साल ₹ 15.00 करोड़) रखी गई हैं । बैंक ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ₹ 3,000 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,500 करोड़) अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ रखी हैं । बैंक ने एलएएफ विंडो के तहत उधार लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ₹ 17,500 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 16,000 करोड़) की सीमा तक की प्रतिभूतियाँ भी रखी हैं ।

1.4 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – ओडिशा ग्राम्य बैंक में निवेश के अंतर्गत शेयर ₹ 606.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 606.90 करोड़) रखे हैं ।

1.5 बैंक ने वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे और भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के तहत बेचा है । ओएमओ के तहत बैंक द्वारा बिक्री की सीमा 680.67 करोड़ रुपये (बीवी) [पिछले वर्ष: शून्य] थी और ₹ 4.72 करोड़ [पिछले वर्ष: शून्य] का लाभ कमाया गया । बैंक ने ₹ 3,991.33 करोड़ (बीवी) [पिछले वर्ष ₹ 1,668.52 करोड़] (भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित सीमा 5 % के भीतर) की सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियों (ओएमओ के अलावा) को भी बेचा है और ₹ 51.74 करोड़ [पिछले वर्ष ₹ 14.20 करोड़] का लाभ दर्ज किया है । भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ को लाभ-हानि खाते में लिया गया है और तत्पश्चात उसे पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है (करों और सांविधिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर)।

1.6 निवेश का मूल्य

(रु. करोड़ में)

विवरण		31.03.2025	31.03.2024
1.	निवेश का सकल मूल्य		
	क. भारत में	1 07 978.78	96 752.28
	ख. भारत के बाहर	4 032.30	4 164.79
2.	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	क. भारत में	959.65	1 275.63
	ख. भारत के बाहर	6.59	9.36
3.	निवेश का निवल मूल्य		
	क. भारत में	1 07 019.13	95 476.65
	ख. भारत के बाहर	4 025.70	4 155.43

1.7 प्रतिभूति रसीदों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

प्रतिभूति रसीदों में निवेश के बही मूल्य का विवरण निम्नानुसार प्रकट किया जा सकता है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	0.00	
(i)बैंक द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	421.37	416.47
(ii)अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	0	0
कुल	421.37	416.47

प्रतिभूति रसीदों में निवेश के बही मूल्य पर अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी किए गए एसआर	5 वर्ष से अधिक समय पहले लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	8 वर्ष से अधिक पहले जारी किए गए एसआर
(i) बैंक द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	421.37	0.00	1175.20
i) के प्रति प्रावधान	0.00	0.00	1175.20
(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य निम्नानुसार है	0.00	0.00	0.00
(ii) के प्रति प्रावधान	0.00	0.00	0.00
कुल(i)+(ii)	0.00	0.00	1175.20

1.8 1 अप्रैल, 2024 से बैंक ने वाणिज्यिक बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर आरबीआई द्वारा जारी मास्टर निर्देश (निर्देश), 2023, DOR. MRG.36/21.04.141/2023-24 दिनांकित 12 सितंबर, 2023 को लागू किया है, जिसने निवेशों के वर्गीकरण और लेखांकन के आधार और लाभ/हानि के उचित मूल्यांकन के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं । तदनुसार, स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों में, बैंक ने शुरुआत के समय सामान्य रिज़र्व में ₹ 1413.53 करोड़ की शुद्ध हानि दर्ज की है (31.03.2025 तक निवेश रिज़र्व खाते (आइआरए) में रखे गए ₹ 97.96 करोड़ को स्थानांतरित करने के बाद ₹ 1315.57 करोड़) है । वित्तीय वर्ष के लिए एएफएस रिजर्व (कर के निवल) में ₹ 390.57 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ, जो कि आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एएफएस के तहत निष्पादित निवेशों का उचित मूल्य और लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य, जिसमें ट्रेडिंग के लिए आयोजित (एचएफटी) श्रेणियां शामिल हैं, को क्रमशः एएफएस रिजर्व और लाभ और हानि खाते के माध्यम से चिन्हित किया जाता है । तदनुसार पिछली अवधियों की राशि तुलनीय नहीं है ।

2. निवेश फ्लक्चुए रिजर्व

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/DOR/2023-24/104 DOR.M.RG.36/21.04.141/2023-24 दिनांकित 12 सितंबर 2023 के अनुसार, एक निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (IFR) तब तक बनाया जाना है जब तक कि IFR की राशि AFS और FVTPL (HFT सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो, निरंतर आधार पर, IFR में निम्न में से कम से कम राशि स्थानांतरित करके:

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या
बी) वर्ष के लिए निवल लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है ,
सी) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान आईएफआर को ₹ 100 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है।
डी) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, आईएफआर से शून्य राशि निकाली गई है।

3. अग्रिम

3.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया ।

3.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं ।

3.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है ।

3.4 अ-लेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबन्धकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है ।

4. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर)

वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ ₹ 179 59 457.20 (एक करोड़ उनहत्तर लाख उनसठ हजार चार सौ सत्तावन और बीस पैसे मात्र) था, जिसमें से ₹ 1.35 करोड़ की राशि बैंक द्वारा अपनाई गई सतत प्रथा के अनुसार पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दी गई है ।

5. अंतर शाखा समाधान/ आंतरिक कार्यालय लेखे

अंतर शाखा लेन-देन और आंतरिक/कार्यालय खातों का समाधान शाखाओं और/या केंद्रीय कार्यालय विभागों में विभिन्न चरणों में प्रगति पर है । बकाया प्रविष्टियों को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया के पूरा होने पर आवश्यक लेखांकन समायोजन, यदि कोई आवश्यक हो, किया जाएगा। प्रबंधन बकाया प्रविष्टियों के समाधान/उन्मूलन पर किसी महत्वपूर्ण परिणामी प्रभाव की आशा नहीं करता है।

6. पूंजी और आरिक्षतियाँ

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018, यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआइपी) के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआइबी) को नकद के रूप में ₹ 10 अंकित मूल्य वाले 35,41,77,539 इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जो ₹ 30.57 प्रति शेयर के प्रीमियम पर कुल ₹ 1436.89 करोड़ है। इसके परिणामस्वरूप जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में ₹ 354.18 करोड़ और शेयर प्रीमियम खाते में ₹ 1078.60 करोड़ (₹ 4.11 करोड़ के शेयर निर्गम व्यय का शुद्ध) की वृद्धि हुई है ।
- 31 मार्च 2025 तक बैंक की चुकता पूंजी ₹ 19,256.59 करोड़ है। 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार की शेयरधारिता 94.61% है ।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने बेसल III टीयर II बांड जारी नहीं किया है ।

7. कर

7.1 प्रबंधन की राय में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के तहत प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं । इसलिए बैंक ने एमएटी/आयकर के प्रावधान के लिए कोई राशि प्रदान नहीं की है ।

7.2 अग्रिम भुगतान किया गया कर (प्रावधानों का शुद्ध) समाधान के अधीन है । यह लंबित मूल्यांकन/अपील के तहत/विवाद के तहत भुगतान किए गए कर के कारण है। [अनुसूची 11(iii) देखें] ।

7.3 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के पश्चात विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में आय कर से संबंधित रु. 4061.92 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 8450.79 करोड़) एवं सेवा कर से संबंधित रु. 256.24 करोड़ (पिछले वर्ष 238.42 करोड़) एवं कुल वस्तु एवं सेवा कर रु. 1615.29 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1071.78 करोड़) हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

7.4 वर्ष के लिए कर व्यय रु. 1177.01 करोड़ है जिसमें रु. 17.01 करोड़ का मौजूदा कर व्यय और रु. 1160.00 करोड़ का आस्थगित कर शामिल है – नोट सं. 18.8 का संदर्भ लें ।

7.5 31 मार्च 2025 तक बैंक के पास कुल मिलाकर ₹ 3863.98 करोड़ की निवल आस्थगित कर संपत्ति का शेष है, जिसे पूर्व में चिन्हित की गई थी और अनुमानित आधार पर बैंक ने तिमाही (31.03.2025) के लिए ₹ 500.00 करोड़ की आस्थगित कर संपत्ति और 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1160.00 करोड़ को रिवर्स कर दिया है ।

7.6 बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंक द्वारा चिन्हित एमएसएमई इकाइयों को देय कोई भी बकाया राशि नहीं है, जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से आगे लंबित है और वर्ष के दौरान ऐसे पक्षों के लिए मूल राशि या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान की देयता स्वीकार किए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है ।

8 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला सामने नहीं आया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण:

1) नियामक पूंजी

क) नियामक पूंजी की संरचना

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
i)	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1) / भुगतान की गई शेयर पूंजी और भंडार (मार्जिन का निवल, यदि कोई हो)	28 972.20	20 839.72
ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी*/ अन्य टीयर 1 पूंजी@	0	0.00
iii)	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	28 972.20	20 839.72
iv)	टीयर 2 पूंजी	4 412.00	4 034.78
v)	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	33 384.20	24 874.50
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	1 69 083.88	1 43 979.05
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)* / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई शेयर पूंजी और आरक्षितियां @	17.13%	14.47%
viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	17.13%	14.47%
ix)	टीयर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	2.61%	2.80%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	19.74%	17.28%
xi)	लीवरेज अनुपात*	6.90%	5.66%
xii)	की शेयरधारिता का प्रतिशत		
	क) भारत सरकार	94.61%	96.38%
	ख) राज्य सरकार (नाम निर्दिष्ट करें)$	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग) प्रायोजक बैंक$	लागू नहीं	लागू नहीं
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई भुगतान की गई इक्विटी पूंजी की राशि	354.18	शून्य
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टीयर 1 पूंजी की राशि	शून्य	शून्य
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि, बेसल III अनुपालक टीयर II बांड	शून्य	शून्य

$ राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता का प्रतिशत केवल आरआरबी के लिए लागू है।

ख) आरक्षितियों से आहरित

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरक्षितियों से आहरित राशि शून्य है।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च 2025 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान*

(रु. करोड़ में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	2 767.49	3 119.46	24 956.30	346.40	3 833.26	2 771.40
2 से 7 दिन	5 502.45	4 681.06	6 558.33	4 971.25	2 721.74	2 927.90
8 से 14 दिन	5 341.41	7 616.70	1 338.61	1 212.16	2 012.01	2 101.96
15 से 30 दिन	9 579.20	5 098.65	2 931.32	4 406.46	6 549.99	7 227.34
31 दिन से 2 महीने तक	17 503.43	9 518.10	4 201.43	1 789.93	4 198.58	3 441.13
2 महीने से 3 महीने तक	18 036.21	13 795.39	4 587.94	3 463.92	3 026.47	1 996.46
3 महीने से 6 महीने	43 326.62	22 976.36	10 702.73	5 098.00	6 429.34	8 712.32
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	68 408.86	26 370.14	18 021.16	10 637.36	6 032.64	7 156.68
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	42 787.04	74 811.86	13 153.05	8 123.44	4 471.43	3 710.33
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	14 004.94	24 744.14	3 910.64	503.96	2 188.03	656.50
5 वर्ष से अधिक	84 681.18	57 286.99	20 683.33	1 674.77	2 383.13	3 144.60
कुल	3 11 938.83	2 50 018.85	1 11 044.84	42 227.65	43 846.62	43 846.62

31 मार्च 2024 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान*

(रु. करोड़ में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	3 494.40	3 968.11	13 823.20	249.53	3 810.85	2 570.05
2 से 7 दिन	9 008.35	3 573.95	12 318.52	7 650.21	3 037.05	2 790.44
8 से 14 दिन	8 653.41	5 566.81	1 831.97	793.69	1 202.81	2 366.72
15 से 30 दिन	8 436.83	4 737.00	2 016.11	1 283.08	5 708.97	6 474.06
31 दिन से 2 महीने तक	11 797.55	9 761.01	3 188.78	435.65	6 530.04	5 472.58
2 महीने से 3 महीने तक	11 538.39	9 576.75	3 155.22	2 764.19	12 085.62	5 245.23
3 महीने से 6 महीने	31 628.76	20 060.11	8 140.34	5 902.82	3 354.73	10 967.61
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	47 420.13	32 878.82	11 726.85	6 533.07	1 925.79	3 395.67
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	1 46 920.56	56 946.67	36 529.83	2 608.42	3 385.02	798.20
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 059.18	20 773.90	2 200.81	1.50	932.69	651.07
5 वर्ष से अधिक	1 947.80	51 175.33	4 700.43	2 165.00	1 743.50	2 985.30
कुल	2 85 905.36	2 19 018.46	99 632.06	30 387.16	43 717.07	43 716.93

ख) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

आरबीआई ने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) को परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के माध्यम से पेश किया था । जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) हैं और संभावित चलनिधि व्यवधानों के लिए बैंकों की अल्पकालिक लचीलापन 30 दिनों तक चलने वाले एक तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए है । वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी है कि बैंक के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, न्यूनतम एलसीआर की आवश्यकता 100% है।

एलसीआर की परिभाषा : उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (एचक्यूएलए) का स्टॉक
अगले 30 कैलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी प्रवाह (बहिर्गमन)

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक में, परिसंपत्तियों की दो श्रेणियां हैं, अर्थात स्तर 1 और स्तर 2 आस्ति । स्तर 2 आस्ति को उनके मूल्य-अस्थिरता के आधार पर स्तर 2 ए और स्तर 2 बी परिसंपत्तियों में उप-विभाजित किया जाता है । प्रत्येक श्रेणी में शामिल किए जाने वाले परिसंपत्तियां वे हैं जो बैंक के पास तनाव अवधि के पहले दिन मौजूद है । स्तर 1 की आस्ति 0 मार्जिन के साथ है जबकि स्तर 2 में, 2 ए की संपत्ति न्यूनतम 15 मार्जिन और स्तर 2 बी एसेट्स की संपत्ति, न्यूनतम 50% मार्जिन के साथ है ।
कुल निवल नकदी बहिर्गमन को अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्गमन से मार्जिन के रूप में पारिभाषित किया गया है । कुल अपेक्षित कैश आउटफ्लो की गणना विभिन्न श्रेणियों या देनदारियों और बकाया-तुलन पत्र प्रतिबद्धताओं के बकाया शेष राशि को उस दर से गुणा करके की जाती है, जिस पर वे बंद होने या कम होने की उम्मीद करते हैं। कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह की गणना दरों की संविदात्मक प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए बकाया शेष राशि को गुणा करके की जाती है जिस पर वे कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75% के कुल कैप तक प्रवाह की उम्मीद करते हैं ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के चार तिमाहियों एवं मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एलसीआर का विवरण :

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही	31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही	30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही	30 जून 2024 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही
एचक्यूएलए	79 145.04	75 594.21	74 050.96	67 762.45	61 725.29
कुल निवल नकदी बहिर्गमन	62 680.15	55 527.79	58 865.46	57 560.75	44 430.36
% में एलसीआर	126.27	136.14	125.80	117.72	138.93

बैंक ने मार्च 2025 तिमाही में सभी कार्य दिवसों के लिए एलसीआर की गणना की है, इस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा निर्मित डेटाबेस को आधार बनाकर इसे तैयार किया गया है । 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का एलसीआर तीन महीने के दैनिक औसत (चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष 2024-25) के आधार पर 126.27% है और मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित 100% की वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है ।

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

बैंक में तरलता प्रबन्धन बैंक की एएलएम नीति व विनियमों पर आधारित है । देशीय व विदेशी केंद्र आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करते हैं । बैंक बोर्ड ने अल्को को बैंक की फंडिंग रणनीतियाँ बनाने हेतु अधिकार प्रदान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंडिंग स्रोतों में विविधता है और यह बैंक के परिचालन आवश्यकता के अनुरूप है । अल्को के सभी प्रमुख फैसले बैंक के बोर्ड को समय- समय पर सूचित किए जाते हैं । दैनिक / मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त , नियमित रूप से बैंक की तरलता जरूरतों का आकलन करने हेतु बैंक दैनिक सांविधिक तरलता विवरणी तैयार करता है ।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के ऊपर एसएलआर निवेश के रूप में मुख्य रूप से एचक्यूएलए को बनाए रख रहा है। खुदरा जमा कुल वित्तपोषण स्रोतों का प्रमुख हिस्सा है, और ऐसे फंडिंग स्रोत विविध हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक की भविष्य की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण का अनुलग्नक:

(रुपये करोड़ में)

		जून-24		जून-23		सितम्बर-24		सितम्बर-23	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति									
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)		67 762.45		65 135.35		74050.96		66 334.58
नकदी बहिर्वाह									
2	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें	221 886.43	21 638.10	2 05 246.75	19 197.75	2 21 292.57	21 528.27	2 11 340.59	19 767.93
(i)	स्थिर जमाएं	11 010.78	550.54	26 538.41	1326.92	12 019.71	600.99	27 322.68	136.13
(ii)	कम स्थिर जमाएं	2 10 875.66	2 1087.57	1 78 708.34	17 870.83	2 09 272.86	20 927.29	1 84 017.91	18 401.79
3	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें	62 122.10	39 352.03	47 920.97	23 941.17	59 710.83	37831.48	54 082.57	27 010.27
(i)	परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
(ii)	गैर परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	62 122.10	39 352.03	47 920.97	23 941.17	59 710.83	37 831.48	54 082.57	27 010.27
(iii)	अप्रतिभूति ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन	6 077.30	0.00	4 753.98	290.16	4 825.51	0.00	5 214.87	1 367.53
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें से	17 745.67	2 695.20	12 477.02	1 859.93	14 436.70	2 221.14	14 153.19	2 017.54
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	432.73	432.73	808.46	808.46	224.39	224.39	810.90	810.90
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधा	17 312.94	2262.7	11 668.56	1 051.47	14 212.31	1 996.75	13 342.29	1 206.64
6	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	4 684.05	4 684.05	0.00	0.00	6 569.72	6 569.72	0.00	0.00
7	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	18 335.03	553.71	15 537.54	466.46	18 924.64	568.16	17 107.07	513.40
8	कुल नकद बहिर्वाह		68 923.09		45 755.47		68 718.77		50 676.67
नकदी प्रवाह									
9	प्रतिभूत उधार [उदा. रिवर्स रेपो]	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	34.71	0.00
10	पूर्णता निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	20 144.10	10 678.66	9 630.42	5 407.17	15 880.94	9 253.13	88 78.73	5 171.76
11	अन्य नकद अंतर्वाह	683.68	683.68	592.16	588.93	600.18	600.18	2 168.27	2 166.77
12	कुल नकद अंतर्वाह	20 827.78	11 362.34	10 229.72	5 996.10	16 481.12	9 853.31	11 081.71	7 338.53
13	कुल एच क्यू एल ए		67 762.45		65 135.35		74 050.96		6 634.58
14	कुल निवल नकद प्रवाह		57 560.75		39 759.37		58 865.45		43 338.14
15	तरलता कवरेज अनुपात [%]		117.72%		163.82%		125.80%		153.06%

(रुपये करोड़ में)

		दिसम्बर-24		दिसम्बर-23		मार्च-25		मार्च-24	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति									
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)		7 5594.21		62 640.51		79 145.04		61 725.29
नकदी बहिर्वाह									
2	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें	2 24 127.97	21 798.20	21 6117.99	20 216.43	2 29 543.66	22 319.07	21 9726.53	20 565.56
(i)	स्थिर जमाएं	12 291.90	614.60	27 907.45	1 395.37	12 705.96	635.30	2 8141.89	1 407.09
(ii)	कम स्थिर जमाएं	2 11 836.07	21 183.61	1 88 210.54	18 821.05	2 16 837.70	21 683.77	19 1584.64	19 158.46
3	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें	53 256.22	33 272.63	55 182.14	27 616.31	67 040.44	41 903.33	5 4995.09	28 485.66
(i)	परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	53 256.22	33 272.63	55 182.14	27 616.31	67 040.44	41 903.33	5 4995.09	28 485.66
(iii)	अप्रतिभूति ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन	6 765.82	0.00	7 145.04	1 762.16	4 716.98	0.00	10 658.54	0.00
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें से	16 519.01	2 474.17	15 168.96	2 058.76	15 545.40	2 311.43	16 293.91	2 340.31
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	177.39	177.39	743.74	743.74	6.71	6.71	575.43	575.43
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधा	16 341.62	2 296.78	14 425.22	1 315.02	15 538.69	2 304.72	15 718.48	1 764.88
6	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	4 977.98	4 977.98	460.26	460.26	4 531.35	4 531.35	2392.93	2 392.93
7	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	19 763.51	592.91	17 357.57	520.73	20 076.63	602.30	17 388.27	521.70
8	कुल नकद बहिर्वाह		63 115.89		52 634.65		71 667.48		54 306.16
नकदी प्रवाह									
9	प्रतिभूत उधार [उदा. रिवर्स रेपो]	0.00	0.00	298.85	27.88	0.00	0.00	484.55	44.19
10	पूर्णता निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	12 476.21	7 084.96	11 160.61	6 014.24	14 196.48	8 565.75	17 974.27	9 152.73
11	अन्य नकद अंतर्वाह	503.14	503.14	2 032.99	2 032.99	421.58	421.58	1 029.31	678.88
12	कुल नकद अंतर्वाह	12 979.35	7 588.10	13 492.44	8 075.11	14 618.06	8 987.33	19 488.13	9 875.80
13	कुल एच क्यू एल ए		75 594.21		62 640.51		79 145.04		61 725.29
14	कुल निवल नकद प्रवाह		55 527.79		44 559.54		62 680.15		44 430.36
15	तरलता कवरेज अनुपात [%]		136.14%		140.58%		126.27%		138.93%

1. गैर-भारित मूल्यों की गणना 30 दिनों के भीतर परिपक्व या कॉल करने योग्य बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है (इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए) सिवाय जहां अन्यथा परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में उल्लिखित है।
2. भारित मूल्यों की गणना संबंधित हेयरकट (एचक्यूएलए के लिए) या इनफ्लो और आउटफ्लो दरों (इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए) को लागू करने के बाद की जाती है।
3. समायोजित मूल्यों की गणना (i) हेयरकट और इनफ्लो और आउटफ्लो दरों और (ii) किसी भी लागू कैप्स (यानी एचक्यूएलए के लिए लेवल 2बी और लेवल 2 एसेट्स पर कैप और इनफ्लो पर कैप) दोनों को लागू करने के बाद की जाती है।
4. वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तीन तिमाहियों से संबंधित प्रकटीकरण प्रबंधन द्वारा संकलित किए गए हैं और लेखा परीक्षकों द्वारा उन पर भरोसा किया गया है ।

ग) निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

आरबीआई निवल स्थिर निवल अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की जिससे बैंकों द्वारा अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्त पोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ निधि देने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा सके। 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है।

एनएसएफआर की परिभाषा: उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ)
आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ)

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक फैली हुई है। किसी विशिष्ट संस्थान की आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) की राशि चलनिधि विशेषताओं और उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ-साथ इसके तुलन पत्र से इतर (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है।

जून 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2024 और मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर का विवरण:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	मार्च 2025 तिमाही	दिसंबर 2024 तिमाही	सितंबर 2024 तिमाही	जून 2024 तिमाही
उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ) (भारित मूल्य)	2 78 278.16	2,64,267.44	2,68,374.70	2,70,901.56
आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) (भारित मूल्य)	2 08 012.52	2,06,203.94	2,01,102.00	1,94,430.64
एनएसएफआर% में	133.78%	128.16%	133.45%	139.33%

बैंक ने **31 मार्च 2025** के लिए एनएसएफआर की गणना की है जो 133.78% है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित 100% की न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है। बैंक का अधिकांश वित्तपोषण खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से होता है, जो फंडिंग की स्थिरता के संबंध में उच्च स्थिरता प्रदान करते हैं। लंबी अवधि के क्षितिज पर निरंतर आधार पर अपनी गतिविधियों को निधि देने के लिए बैंक के पास वित्त पोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)		दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नही	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य
एएसएफ आइटम											
1	पूंजी: (2+3)	28 720.8645	0.00	0.00	0.00	28 720.8645	32 581.14	0.00	0.00	2065	34 646.14
2	विनियामक पूंजी	28 720.8645	0.00	0.00	0.00	28 720.8645	32 581.14	0.00	0.00	2065	34 646.14
3	अन्य पूंजीगत साधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6)	2 37 440.10	0.00	0.00	4 483.92	2 18 838.12	1 01 491.00	1 40 979.44	698.57	7 361.10	2 26 883.34
5	स्थिर जमा	13 162.13	0.00	0.00	4 483.92	16 987.94	11 508.53	1 839.88	64.08	637.74	13 379.59
6	कम स्थिर जमा	2 24 277.98	0.00	0.00	0.00	2 01 850.18	89 982.47	1 39 139.56	634.49	6 723.36	2 13 503.75
7	थोक वित्त पोषण: (8+9)	32 675.81	0.00	741.11	0.00	16 708.46	0.00	19 872.63	1 0872.8	107.40	15 426.25
8	परिचालन जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण	32 675.81	0.00	741.11	0.00	16 708.46	0.00	19 872.63	1 0872.48	107.40	15 426.25
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	72 769.40	81.53	0.00	0.00	0.00	31 133.45	38 668.97	185.06	15.7	1322.431348
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		81.5326	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	72 769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	31 133.45	38 668.97	185.06	15.70	1322.43
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					26 4267.44					278278.16
14	कुल NSFR उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA)					3 542.21					3877.32
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	330.93	0.00	0.00	0.00	165.46	469.60	20.70	68.92	713.99	183.14
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	44 171.92	53 938.30	49 768.93	11 3879.55	1 81 365.88	40 694.26	54 900.18	64 374.90	1 01 077.17	173049.12
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(रुपये करोड़ में)		दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नही	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण	0.00	4 854.57	2 869.73	23 550.32	25 713.37	550.06	6 092.86	2 099.54	7 310.23	9796.96
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	44 171.92	49 083.73	46 899.20	42 286.91	1 18 334.81	3 9001.45	47 074.08	60 349.74	46 035.05	124105.44
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	8 038.17	0.00	0.00	7 695.14	10 226.65	1 001.96	604.07	1 496.04	8 589.90	7284.76
21	आवासीय बंधक प्रदर्शन करना, जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	24 247.08	17 091.75	39.03	1 711.21	1 497.18	24 022.80	17830.61
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	0.00	0.00	1 7591.34	11 434.37	39.03	1 416.25	1 314.77	17 614.00	12839.98
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	0.00	0.00	0.00	23 795.25	20 225.96	1 103.72	22.02	428.44	23 709.08	21316.11
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	10 013.06	91.10	83.15	10 156.69	20 232.83	1 587.97	565.10	155.27	28 535.51	29924.75
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0.00				0.00	0.00				0.00

(रुपये करोड़ में)		दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नही	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	741.11	629.94		0.00	0.00	741.11	629.94
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव एसेट्स		0.00	0.00	0.00	0.00		40.28	0.00	0.00	40.28
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की मार्जिन से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		4.08	0.00	0.00	4.08		2.01	0.00	0.00	2.01
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	10 013.06	87.02	83.15	9 415.58	19 598.81	1 587.91	522.81	155.27	27 794.40	29252.52
30	ऑफ-तुलन पत्र आइटम		1 338.82	1 279.23	17 472.70	897.56		21 753.91	61.07	102.24	978.21
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					2 06 203.94					208012.53
32	निवल स्थिर निधि अनुपात (%)					128.16%					133.78%

(रुपये करोड़ में)		जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य					सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य
एएसएफ आइटम											
1	पूंजी: (2+3)	25811.2	0.00	0.00	0.00	25811.2	28705.71	0.00	0.00	0.00	28705.71
2	विनियामक पूंजी	25811.2	0.00	0.00	0.00	25811.2	28705.71	0.00	0.00	0.00	28705.71
3	अन्य पूंजीगत साधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6)	227762.81	0.00	0.00	3770.67	210275.46	231988.76	0.00	0.00	7003.28	216426.27
5	स्थिर जमा	30365.27	0.00	0.00	3770.67	32617.67	12662.14	0.00	0.00	7003.28	19032.31
6	कम स्थिर जमा	197397.54	0.00	0.00	0.00	177657.79	219326.62	0.00	0.00	0.00	197393.96
7	थोक वित्त पोषण: (8+9)	66204.38	0.00	3425.41	0.00	34814.89	46485.43	0.00	0.00	0.00	23242.72
8	परिचालन जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण	66204.38	0.00	3425.41	0.00	34814.89	46485.43	0.00	0.00	0.00	23242.72
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	7373.84	16.87	0.00	0.00	0.00	46030.09	11.33	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		16.8687	0.00	0.00			11.33	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	7373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46030.09	0.00	0.00	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					270901.56					268374.70
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					3614.70					3903.02
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	356.46	0.00	0.00	0.00	178.23	479.27	0.00	0.00	0.00	239.63
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	49246.08	41426.53	35079.85	128803.49	185945.35	38258.24	49526.66	43198.39	117279.21	175714.74

(रुपये करोड़ में)		जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य					सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण	0.00	288.93	747.29	27054.30	27471.29	0.00	3777.17	1181.10	27053.18	28210.30
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	49246.08	41137.60	34332.56	54226.93	122371.71	38258.24	45749.49	42017.29	42127.75	110105.03
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	7889.58	0.00	0.00	8687.55	10775.13	5012.63	0.00	0.00	5519.62	6845.96
21	आवासीय बंधक प्रदर्शन करना, जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	23307.44	15519.76	0.00	0.00	0.00	24037.52	16947.76
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	0.00	0.00	21457.84	13947.60	0.00	0.00	0.00	17420.66	11323.43
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	0.00	0.00	0.00	24214.82	20582.59	0.00	0.00	0.00	24060.76	20451.65

(रुपये करोड़ में)		जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	1534.58	132.04	110.20	2109.65	3787.16	9461.39	112.88	103.15	10938.56	20505.62
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं					0.00	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	662.10	562.79		0.00	0.00	735.68	625.33
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव एसेट्स		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की मार्जिन से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	0.00		0.57	0.00	0.00	0.57
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	1534.58	132.04	110.20	1447.55	3224.37	9461.39	112.31	103.15	10202.88	19879.72
30	ऑफ-तुलन पत्र आइटम		1258.63	1050.43	13798.36	905.20		1169.73	1074.30	13863.38	738.99
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					194430.64					201102.00
32	निवल स्थिर निधि अनुपात (%)					139.33%					133.45%

3. निवेश

अ) 31 मार्च 2025 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता के लिए धारित												
कुल	86 977.44	0.00	0.00	1 807.67	0.00	0.00	88 785.11	3 455.77	0.00	47.50	3 503.27	92 288.38
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	86 977.44	0.00	0.00	1 807.67	0.00	0.00	88 785.11	3 455.77	0.00	47.50	3 503.27	92 288.38
बिक्री के लिए उपलब्ध												
कुल	14 588.40	0.00	682.20	687.60	0.00	0.00	15 958.20	244.22	0.00	37.58	281.80	16 240.00
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	171.72	0.00	0.00	171.72	0.00	0.00	0.47	0.47	172.19
निवल	14 588.40	0.00	682.20	515.88	0.00	0.00	15 786.48	244.22	-	37.11	281.33	16 067.81
लाभ व हानि के जरिए वास्तविक मूल्य (एफवीटीपीएल)												
कुल	0.00	1.01	642.11	982.31	0.00	613.70	2 239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 239.13
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	1.01	553.30	233.62	0.00	0.00	787.93	0.00	0.00	0.00	0.00	787.93
निवल	0.00	0.00	88.81	748.69	0.00	613.70	1 451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 451.20
ट्रेडिंग के लिए धारित लाभ व हानि के जरिए वास्तविक मूल्य (एफवीटीपीएल_ एचएफटी												
कुल	0.00	0.00	380.70	0.00	0.00	0.00	380.70	0.00	0.00	47.66	47.66	428.36
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	380.70	0.00	0.00	0.00	380.70	0.00	0.00	47.66	47.66	428.36
अनुषंगी, संयुक्त उद्यम व एसोसिएट्स												
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	615.65	0.00	615.65	0.00	199.58	0	0.00	815.23

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.14	0	0	6.14
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	615.65	0.00	615.65	0.00	193.44	0		809.09
कुल निवेश	1 01 565.84	1.01	1 705.01	3 477.58	615.65	613.70	1 07 978.79	3 699.99	199.58	132.74	4 032.31	1 12 011.10
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान #	-	1.01	533.30	405.34	-	-	959.65	-	-	-	-	-
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	-	1.01	553.30	405.34	-	-	959.65	-	6.14	0.47	0.47	959.65
निवल	1 01 565.84	-	1 151.71	3 072.24	615.65	613.70	10 7019.14	3 699.99	193.44	132.27	4 025.70	111044.84

@ आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर मास्टर निर्देश के अनुसार प्रदान किए गए प्रारूप को 1 अप्रैल 2025 को अद्यतन किया गया है, जिसमें निवेश को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है । आरबीआई मास्टर निर्देश- वर्गीकरण, मूल्यांकन और वाणिज्यिक बैंक के निवेश पोर्टफोलिओ का संचालन (निर्देश), 2023, डीओआर. एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 दिनांकित 12 सितंबर 2023 के अनुसार, ट्रेडिंग (एचएफटी) के लिए आयोजित लाभ और हानि खाते (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य में बैंक द्वारा किया गया है ।

बैंक के पास हांगकांग शाखा के एनपीआई निवेश के तहत मेसर्स टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई द्वारा जारी इक्विटी और एनसीडी हैं जैसा कि अनुसूची -8 निवेश ओवरसीज़ के तहत दिखाया गया है और जो एससीए द्वारा प्रमाणित है। चूंकि खाता अवमानक श्रेणी के अंतर्गत है, बैंक के पास उक्त निवेश एक्सपोजर के लिए निम्नानुसार प्रावधान है:

निवेश का प्रकार	31.03.2025 (आइएनआर) के अनुसार प्रावधान की राशि
टीसीआई सनमार केम.एसएई - इक्विटी	47 65 66 190.06
टीसीआई सनमार केम.एसएई - एनसीडी	31 18 33 062.60
कुल	78 83 99 252.66

उपर्युक्त प्रावधान केंद्रीय कार्यालय बही में धारित है।

31.03.2024 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता के लिए धारित												
कुल	81 230.16	1.01	0.00	0.00	606.9	22.07	81 860.14	3 549.11	199.57	100.69	3 849.37	85 709.51
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.00	6.13	0.00	6.13	6.2
निवल	81 230.16	0.99	0.00	0.00	606.9	22.02	81 860.07	3 549.11	193.44	100.69	3 843.24	85 703.31
बिक्री के लिए उपलब्ध							0.00					
कुल	10 478.08	0.00	1 950.51	3 067.53	0.00	487.95	15 984.07	285.37	0.00	29.73	315.1	16 299.17
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	56.11	0.00	1 347.83	524.58	0.00	438.96	2 367.48	0.00	0.00	2.92	2.92	2 370.4
निवल	10 421.97	0.00	602.68	2 542.95	0.00	48.99	13 616.59	285.37	0.00	26.81	312.18	18 663.73
ट्रेडिंग के लिए आयोजित							0					
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	91 708.24	1.01	1 950.51	3 067.53	606.9	510.02	97 844.21	3 834.48	199.57	130.42	4 164.47	1 02 008.68
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	2.92	9.05	9.05
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	56.11	0.02	1 347.83	524.58	0.00	439.01	2 367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 367.55
निवल	91 652.13	0.99	602.68	2 542.95	606.9	71.01	95 476.66	3 834.48	193.44	127.5	4 155.42	99 632.08

बैंक के पास हांगकांग शाखा के एनपीआई निवेश के तहत मेसर्स टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई द्वारा जारी इक्विटी और एनसीडी हैं जैसा कि अनुसूची -8 निवेश ओवरसीज के तहत दिखाया गया है और जो एससीए द्वारा प्रमाणित है। चूंकि खाता अवमानक श्रेणी के अंतर्गत है, बैंक के पास उक्त निवेश एक्सपोजर के लिए निम्नानुसार प्रावधान है:

निवेश का प्रकार	31.03.2025 (आइएनआर) के अनुसार प्रावधान की राशि
टीसीआई सनमार केम.एसएई - इक्विटी	46 50 24 053.40
टीसीआई सनमार केम.एसएई - एनसीडी	30 48 92 801.68
कुल	76 99 16 855.08

उपर्युक्त प्रावधान केंद्रीय कार्यालय. बही में धारित है।

आ) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व के प्रावधानों का संचालन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
i) निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन		
ए. प्रारंभिक जमा	1284.67	2100.97
बी. जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	2573.57
सी. घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/बट्टे खाते में डालना	*1278.07	3389.87
डी. जमा शेष	6.60	1284.67
निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व का संचलन	0	0
ए. प्रारंभिक जमा	390	390
बी. जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	100	0
सी. कम: ड्राडाउन	0	0
डी. जमा शेष	490	390
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष (बुक वैल्यू)	2.55%	2.62%

*आरबीआई मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023, डीओआर. एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 दिनांक 12 सितंबर, 2023 के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में शेष राशि सामान्य/राजस्व रिजर्व में स्थानांतरित कर दी गई है ।

इ) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और स्थानान्तरण

चालू वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी (5% की निर्धारित सीमा से अधिक) से बिक्री: शून्य [पिछला वर्ष: शून्य]। वर्ष की शुरुआत में आरबीआई द्वारा अनुमत श्रेणी अंतरण के अलावा एचटीएम श्रेणी में/से अंतरण : शून्य ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 12.09.2023 को जारी मास्टर परिपत्र-वर्गीकरण, वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का मूल्यांकन और संचालन (निर्देश) 2023 के अनुसार, उसके के बाद यानी 01.04.2024 को बैंक अपने बोर्ड और आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व स्वीकृति के बिना श्रेणियों (अर्थात एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच निवेशों को पुनर्वर्गीकृत नहीं करेंगे ।

ई) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2024-25	2023-24
क)	1 अप्रैल को अथशेष राशि	2 476.50	2 305.16
ख)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	99.32	288.77
ग)	उपरोक्त अवधि के दौरान मार्जिन *	433.89	117.43
घ)	31 मार्च को अंतिम शेष	2 141.93	2 476.50
ङ)	धारित कुल प्रावधान**	2 220.77	2 553.49

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	जारीकर्ता	राशि		निजी प्लेसमेंट की सीमा		'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा		अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा		अ सू ची ब द्ध ' प्रतिभूतियों की सीमा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24
क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	22 594.42	23 653.69	22 529.41	23 605.05	-	-	-	-	60.00	-
ख)	वित्तीय संस्थाओं	578.97	380.50	572.42	364.40	-	-	-	-	-	-
ग)	बैंकों	744.45	1 209.89	681.44	1 136.76	-	8.75	-	8.75	-	8.75
घ)	निजी कॉरपोरेट	2 877.12	2 341.40	2 566.40	2 018.38	-	18.75	47.66	65.25	47.50	65.19
ङ)	सहायक/ संयुक्त उद्यम	815.23	806.48	615.65	-	8.75	-	8.75	-	8.75	-
च)	अन्य	3 699.99	3 834.47	-	-	-	-	-	-	-	-
छ)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-6.61	-1 284.67	-	-770.53	-	-	-	-	-	-
	कुल *	31 303.57	30 941.76	26 965.32	26 354.06	8.75	27.50	56.41	74.00	116.25	73.94

ऊ) रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य एवं बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष 2024-25 के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष 2024-25 के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष 2024-25 के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च 2025 तक बकाया	
	एफवी	**एमवी**	**एफवी**	**एमवी**	**एफवी**	**एमवी**	**एफवी**	**एमवी**
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां क) सरकारी प्रतिभूतियां	765.00	713.00	10 422.00	10 259.00	2 252.00	2 192.0	1 993.00	1 995.00
ख) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां क) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ऋ) 31 मार्च 2025 तक सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेन-देन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

जीएसएल लेन-देन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा	31 मार्च 2025 तक बकाया
टीआरईपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आइबी रेपो	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* प्रकटीकरण को समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (प्रतिभूति उधार सरकार) निर्देश, 2023 में निर्दिष्ट किया जाएगा । संदर्भ की आसानी के लिए इस निर्देश के जारी होने की तिथि के अनुसार प्रकटीकरण टेम्पलेट को यहाँ पुन: प्रस्तुत किया गया है ।

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	31.03.2025 तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31 मार्च 2025* तक सरकारी प्रत्याभूति उधार (जीएसएल) लेन-देन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसतन बकाया	वर्ष के दौरान कुल लेन-देन	दिनांक 31.03.2025 तक बकाया
जीएसएल लेन-देन के जरिए उधार दी गई प्रत्याभूति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेन-देन के जरिए उधार ली गई प्रत्याभूति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेन-देन के जरिए संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रत्याभूति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेन-देन के जरिए संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रत्याभूति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31 मार्च 2024* तक सरकारी प्रत्याभूति उधार (जीएसएल) लेन-देन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसतन बकाया	वर्ष के दौरान कुल लेन-देन	दिनांक 31.03.2025 तक बकाया
जीएसएल लेन-देन के जरिए उधार दी गई प्रत्याभूति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेन-देन के जरिए उधार ली गई प्रत्याभूति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेन-देन के जरिए संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रत्याभूति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेन-देन के जरिए संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रत्याभूति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. आस्ति की गुणवत्ता

क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक		गैर निष्पादित			कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैर-निष्पादक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक जमा	2 12 224.06	1 204.39	4 480.05	1 109.99	6 794.43	2 19 018.49
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					3 627.54	
घटाएँ: वर्ष के दौरान मार्जिन					5 074.25	
जमा शेष	2 44 671.14	923.07	3 274.91	1 149.74	5 347.72	2 50 018.86
सकल एनपीए में कमी के कारण:						
i) उन्नयन					305.37	305.37
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					886.04	886.04
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					3 365.51	3 365.51
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना					517.33	517.33
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक संतुलन	1,483.76	723.02	3662.87	942.40	5 328.29	6 812.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					834.00	
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान उलटे/बट्टे खाते में डाले गए ऋण					1901.83	
धारित प्रावधानों का अंतिम संतुलन					4 260.46	6 934.29
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष	442.84	719.42	54.59	1 216.85	442.84	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					225.36	
घटाएँ: वर्ष के दौरान मार्जिन					530.35	
जमा शेष		515.31	338.00	58.55	911.86	911.86
अस्थायी प्रावधान						
प्रारंभिक शेष						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरित राशि						0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम संतुलन						0.00
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष						31 836.20

जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना	3 439.92
घटाएं: पूर्व में वर्ष के दौरान खाते तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालने से की गई वसूली	6 815.80
जमा शेष	28 460.32

अनुपात (प्रतिशत में)	2024-25	2023-24
सकल अग्रिम से हुए सकल एनपीए	2.14%	3.10%
निवल अग्रिम से हुए निवल एनपीए	0.37%	0.57%
प्रावधान कवरेज अनुपात	97.30%	96.85%

ख) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र म सं.	क्षेत्र*	2024-25 बकाया कुल अग्रिम	2024-25 स क ल एनपीए	2024-25 उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	2023-24 बकाया कुल अग्रिम	2023-24 सकल एनपीए	2023-24 उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
क)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	70 570.35	1 661.73	2.35%	52 843.66	2 064.73	3.90%
ख)	प्राथमिकता के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	16 551.74	504.29	3.05%	14 574.89	1 084.45	7.44%
ग)	क्षेत्र उधार सेवाएं	20 452.07	252.81	1.24%	17 602.30	1 018.25	5.78%
घ)	सेवाएं वैयक्तिक ऋण	8 193.22	303.62	3.71%	13 732.45	487.76	3.55%
	उप-योग (i)	11 5 767.38	2 722.45	2.35%	98 753.30	4 655.19	4.71%
ii)	**गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र**						
	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	3 975.07	11.07	0.28%	2 791.19	33.19	1.18%
	उद्योग	23 422.14	852.95	3.64%	1 7988.5	1 725.64	9.59%
	सेवाएं	51 484.20	1 310.66	2.55%	50 031.62	33.92	0.07%
	वैयक्तिक ऋण	54 572.60	450.59	0.83%	48 854.87	346.49	0.71%
	खाद्य साख	797.46	0	0.00%	599.00	0.00	0.00%
	उप-कुल (ii)	**1 34 251.47**	**2 625.27**	**1.96%**	**1 20 265.18**	**2 139.24**	**1.77%**
	कुल (i + ii)	**2 50 018.85**	**5 347.72**	**2.14%**	**2 19 018.49**	**6 794.43**	**3.10%**

*(कृषि के अंतर्गत पीएसएलसी एसएफ/एमएफ बिक्री सहित एवं आरआइडीएफ, सिडबी व एनएचबी को छोड़कर) ।

ग) विदेशी में संपत्ति, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
कुल संपत्ति	29 083.30	30 020.73
कुल एनपीए	1 382.46	1 356.83
कुल राजस्व	1 097.95	855.20

घ) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

i) समाधान योजना का विवरण

तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/2013 डीबीआर नंबर बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 , जहां समीक्षा अवधि के 180 दिनों/365 दिनों के भीतर व्यवहार्य समाधान योजना लागू नहीं की गई है - संशोधित ढांचा:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2025 को ऋण की राशि	आरबीआई परिपत्र के तहत कवर किए गए ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान	(घ) में से प्रावधान 31.03.2025 तक पहले ही किया जा चुका है
2 330.41	2 330.41	2 330.41	1 159.64	1 170.77

ङ) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

आरबीआई ने अपनी अधिसूचना सं. आरबीआई/ डीओआर/2021-22/83 डीओआर.एसीसी. आरईसी सं. 45/ 21.04.018/2021-22 दिनांकित 30.08.2021 (01.04.2024 को अद्यतन) ने उन बैंकों द्वारा प्रकटीकरण की आवश्यकता बनाई है जहां आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों में भिन्नता वार्षिक रिपोर्ट की सीमाएँ पार कर गई हैं।

31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, बैंकों को विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए, यदि निम्नलिखित में से एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

(ए) आरबीआई द्वारा मूल्यांकन हेतु एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान संदर्भ अवधि के प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक है, और

(बी) आरबीआई द्वारा चिन्हित किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक है ।

यदि पैरामीटर (ए) और/या (बी) में से कोई भी ट्रिगर होता है, तो स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना दी जानी चाहिए ।

सेबी ने 11 जुलाई, 2023 को जारी अपने परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 के माध्यम से इन खुलासों को महत्वपूर्ण घटनाओं/सूचनाओं के सेबी एलओडीआर के विनियमन 30 के अंतर्गत लाया है और इसलिए, तत्काल प्रकटीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि यह जानकारी मूल्य संवेदनशील है, जिसके लिए शीघ्र प्रकटीकरण की आवश्यकता है। सूचीबद्ध बैंकों को आरबीआई की अंतिम जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (‹आरएआर›) प्राप्त होने के तुरंत बाद प्रकाशित वार्षिक वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में उन्हें प्रकाशित करने की प्रतीक्षा करने के बजाय, आरबीआई की अधिसूचनाओं में उल्लिखित विचलन और निर्दिष्ट सीमा से परे प्रावधान का प्रकटीकरण यथासंभव जल्दी और 24 घंटे के भीतर करना चाहिए।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरएआर पर आधारित विचलन के लिए मैट्रिक्स:

तदनुसार, आरबीआई ने परिसंपत्ति वर्गीकरण में विचलन और एनपीए के लिए प्रावधान हेतु मैट्रिक्स तैयार किया है जो इस प्रकार है:

(राशि रु, करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	राशि
1.	31 मार्च, 2024* तक सकल एनपीए, जैसा कि बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है	6,794
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक सकल एनपीए	6,794
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	0
4.	31 मार्च, 2024 तक निवल एनपीए, जैसा कि बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है	1,217
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च 2024 तक निवल एनपीए	1,217
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5-4)	0
7.	31 मार्च, 2024 तक एनपीए के लिए प्रावधान, जैसा कि बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है	2,706
8.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक एनपीए के लिए प्रावधान	2,706
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	0
10	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किया गया लाभ	6,780
11.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी) की सूचना दी गई	2,656
12.	प्रावधान में अंतर पर विचार करने के बाद 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (काल्पनिक) कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी)	2,638*

*मानक परिसंपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानों पर विचार करने के बाद, आरबीआई द्वारा रु. 18 करोड़ का मूल्यांकन किया गया ।

वर्तमान स्थिति: आरबीआई ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए विचलन रिपोर्ट प्रस्तुत की है और ट्रिगर बिंदुओं का आकलन इस प्रकार है:

ए) आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक है, और

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

(करोड़ रुपये में)

प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले लाभ की सूचना	प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले सूचित लाभ का 10%	आरबीआई द्वारा एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान	रिपोर्ट किए गए आंकड़े और आरबीआई के आंकड़े के बीच 10% का अंतर	यदि बी-सी नकारात्मक है तो ट्रिगर सक्रिय हो जाता है
(ए)	(बी)	(सी)	(बी-सी)	
6,780	339	0	नहीं	नहीं

बी) आरबीआई द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक हैं।

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

(करोड़ रुपये में)

प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए (वर्ष के दौरान अतिरिक्त)	प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए का 10%	आरबीआई द्वारा चिन्हित किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए	रिपोर्ट किए गए आंकड़े और आरबीआई के आंकड़े के बीच 10% का अंतर	यदि बी-सी नकारात्मक है तो ट्रिगर सक्रिय हो जाता है
(A)	(B)	(C)	(B-C)	
1648	165	0	नहीं	नहीं

चूंकि दोनों ट्रिगर बिंदुओं में कोई ट्रिगर साक्ष्य नहीं है, इसलिए बैंक द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और तदनुसार, सेबी एलओडीआर नियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

च) ऋण एक्सपोज़र के अंतरित का प्रकटीकरण

आरबीआई मास्टर निर्देश संदर्भ संख्या आरई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर. एसटीआर. आरईसी /21.04.048/2021-22 "मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का अंतरण) दिशानिर्देश, 2021" दिनांक 24.09.2021 के अनुसार प्रकटीकरण दिनांकित 24.09.2021, 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

i) "वैसे ऋण डिफ़ॉल्ट में नहीं है" @ के संबंध में जो अंतरित या अर्जित किए गए हैं

क) सह-उधार :

अधिग्रहण का तरीका	कॉरपोरेट	कृषि		खुदरा	एमएसएमई
	प्रत्यक्ष असाइनमेंट	प्रत्यक्ष असाइनमेंट -कैपरी ग्लोबल कैपिटल	प्रत्यक्ष असाइनमेंट -आइआइएफएल	प्रत्यक्ष असाइनमेंट	प्रत्यक्ष असाइनमेंट
अर्जित ऋणों का कुल मूल बकाया (करोड़ में)	0	529.75	978.89	0.00	133.30
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	0	1 वर्ष से कम	1 वर्ष से कम	0.00	0.53
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (वर्षों में)	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	Nil
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	0	139.22	159.18	0.00	159.82
मूल्य के अनुसार अर्जित ऋणों का रेटिंग अनुसार वितरण	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	आस्तियां अनरेटेड हैं

ख) पूल खरीद :

अधिग्रहण का तरीका	कॉरपोरेट	कृषि		खुदरा	एमएसएमई
	प्रत्यक्ष असाइनमेंट	प्रत्यक्ष असाइनमेंट -कैपरी ग्लोबल कैपिटल	प्रत्यक्ष असाइनमेंट -आइआइएफएल	प्रत्यक्ष असाइनमेंट	प्रत्यक्ष असाइनमेंट
अर्जित ऋणों का कुल मूल बकाया (करोड़ में)	0	0	0	425.03	0.00
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	0	0	0	20.69	0.00
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (वर्षों में)	0	0	0	1.35	0.00
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	0	0	0	133.84%	0.00
मूल्य के अनुसार अर्जित ऋणों का रेटिंग अनुसार वितरण	0	0	0	--	0.00

iii) हस्तांतरित डिफ़ॉल्ट न किए गए ऋणों का विवरण: शून्य

वर्ष 2024-25 के दौरान अंतरित तनावग्रस्त ऋण

(राशि रु. करोड़ में)

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित तनावग्रस्त ऋणों का विवरण

	एआरसी को			अनुमत हस्तांतरी को		अन्य हस्तांतरी को (कृपया निर्दिष्ट करें)	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
खातों की संख्या	वैयक्तिक कॉरपोरेट ऋण	08	7 वैयक्तिक कॉर्पोरेट ऋण + 474 एमएसएमई एनपीए ऋणों का 2 पोर्टफोलियो + 25948 असुरक्षित शिक्षा एनपीए ऋणों का 2 पोर्टफोलियो कुल 26429	01	शून्य		शून्य
हस्तांतरित ऋणों का सकल मूल बकाया	प्रतिभूति-रहित शैक्षणिक ऋणों का पोर्टफोलिओ	7445					
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	कुल	7453					
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (अंतरण के समय)	1346.95		1841.70	36.83	शून्य		शून्य
कुल विचारार्थ	लागू नहीं*		5 वर्ष	3.8 वर्ष	शून्य		शून्य
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00		0.00	0.00	शून्य		शून्य
खातों की संख्या	503.88		600.08	27.13	लागू नहीं		लागू नहीं
हस्तांतरित ऋणों का सकल मूल बकाया	3.47		0.00	0.00	लागू नहीं		लागू नहीं

* इसमें पोर्टफोलियो आधार पर बिक्री शामिल है ।

वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण

	एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का सकल मूल बकाया	शून्य	
भुगतान हुए कुल प्रतिफल		
अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि		

IV) बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान की **178.96 करोड़ रुपये** की राशि को वापस कर दिया है ।

V) 31 मार्च, 2025 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरण।

(राशि रुपये करोड़ में)

रिकवरी रेटिंग	बही मूल्य (31.03.2025)	बही मूल्य (31.03.2024)
आरआर1+(150% से अधिक)	68.11	0.00
आरआर1(100%-150%)	122.51	33.97
आरआर2(75%-100%)	0	99.05
आरआर3(50%-75%)	0	16.00
आरआर4(25%-50%)	0	81.77
आरआर5(0%-25%)	0	79.29
आरआर6	0	0.00
योजना अवधि के दौरान एसआर-रेटिंग से छूट	0	0.00
एसआर-अनरेटेड	230.75	106.39
कुल	421.37	416.47*

* बैंक ने 100% प्रावधान धारित किया है ।

छ) धोखाधड़ी खाते

अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी:

	2024-24	2023-24
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	28	16
		(रु. करोड़ में)
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	30.51	13.39
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	30.51	13.39
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	शून्य	शून्य

1. बैंक ने 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चार तिमाहियों की अवधि के दौरान धोखाधड़ी के प्रति देयता के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है।
2. 31.03.2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, अग्रिम के अलावा अन्य श्रेणी के अंतर्गत 13 धोखाधड़ी की सूचना आरबीआई को दी गई है, जहाँ संभावित घाटा ₹ 9.18 करोड़ है और जिसके लिए बैंक 100% प्रावधान कर रहा है । एफएमआर वार धोखाधड़ी डेटा का मिलान किया जा रहा है।

अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी के अलावा

विवरण	2024-25	2023-24
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	20	27
ऐसी धोखाधड़ी में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया (₹ करोड़)	0.76	1.69
31 मार्च को बकाया राशि के लिए किए गए प्रावधान की मात्रा (₹ करोड़)	0.76	1.69
सेंधमारी/डकैती/लूट-पाट और आदि सहित शुरुआत से 31 मार्च तक संचयी प्रावधान	481.39	493.12

- बैंक ने 31 मार्च 2025 हेतु चार तिमाहियों की अवधि में विस्तारित करने के स्थान पर पूरे वित्तीय वर्ष के लिए धोखाधड़ी के प्रति देयता के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है।
- 31.03.2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, आरबीआई को अग्रिम श्रेणी के अलावा अन्य 5 धोखाधड़ी की सूचना मिली है, जहां संभावित नुकसान **0.50 करोड़ रुपये** है और जिसके लिए बैंक के पास 100% प्रावधान है ।धोखाधड़ी से संबंधित एफएमआर वार आंकडो का मिलान किया जा रहा है।

छ) डिजिटल धोखाधड़ी

विवरण	2024-25	2023-24
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	1875	8006
ऐसी धोखाधड़ी में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया (₹ करोड़)	0.003	0.01
31 मार्च को बकाया राशि के लिए किए गए प्रावधान की मात्रा (₹ करोड़)	0.003	0.01
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों ' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	0	0

बैंक ने 31 मार्च 2025 हेतु चार तिमाहियों की अवधि में विस्तारित करने के स्थान पर पूरे वित्तीय वर्ष के लिए धोखाधड़ी के प्रति देयता के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है।

31.03.2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को डिजिटल बैंकिंग श्रेणी के तहत 27 धोखाधड़ी की सूचना मिली है, जहां संभावित नुकसान रु. 0.003 करोड़ है। रु. 0.003 करोड़ राशि के संभावित नुकसान हेतु प्रावधान किए गए हैं ।

ज) कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर- पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए हुए हैं	(ए) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - यथास्थिति इस छमाही के अंत में
वैयक्तिक ऋण	1 542.59	31.09	-	621.99*	889.51
कॉरपोरेट व्यक्ति*	648.94	0.07	0	143.68	505.19
जिनमें से एमएसएमई	344.54	0.07	0	124.68	219.79
अन्य	994.19	19.50	0	471.73	502.96
कुल	3 185.71	50.66	0	1 237.40	1 897.66

* इसमें वे खाते शामिल हैं जिन्हें पिछले 12 महीनों में नियमित पुनर्भुगतान के कारण पुनर्गठित श्रेणी से हटा दिया गया था ।

5. एक्स्पोज़र

क. स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(रु. करोड़ में)

श्रेणी	**2024-25**	**2023-24**
i) प्रत्यक्ष ऋण	36 777.80	32 499.33
क) आवासीय बंधक- उधारकर्ता की उस आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा ।	33 018.59	29 573.39
जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयिक्तक आवास ऋण को पृथक रूप से दिखाया जाएगा। एक्सपोज़र में गैर- निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी)	6 698.19	11 980.45
ख) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा- वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीयवाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) इसमें गैर-निधि आधारित (एनबीएफ) सीमाएं भी शामिल होंगी;	2 929.58	2 121.02
ग) अन्य स्थावर संपदा- सीआरई के तहत होटल, अस्पताल एवं लिक्रिरेंट	804.92	1 056.76
घ) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश- आवासीय व्यावसायिक रियल एस्टेट	0.00	0.00
ii) अप्रत्यक्ष ऋण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	3 856.02	3 962.51
कुल स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण	40 633.82	36 461.84

ख. पूँजी बाजार को ऋण एक्सपोज़र

(रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
i) उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कॉरपोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	863.20	458.86
ii) शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए शेयरों / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष आधार पर अग्रिम;	0	0
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	0	0
iv प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उदेश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	362.69	453.78
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	0.00	0.00
vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटरों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	0.00	0.00
vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	0.00	0.00
x) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण	71.30	140.71
xi) अन्य वित्तीय गारंटी	0.00	0.00
पूँजी बाजार को कुल उधार	1 297.19	1 053.35

ग. जोखिम वर्ग वार देशीय ऋण :

(रु. करोड़ में)

जोखिम वर्ग *	31.03.2025 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2025 तक धारित प्रावधान	31.03.2024 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2024 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	11 598.54	5.03	14 898.81	7.62
कम	4 271.84	0.00	4 590.90	0.00
सामान्य रूप से कम	2 660.89	0.00	2 958.99	0.00
सामान्य	493.25	0.00	9.79	0.00
सामान्य रूप से उच्च	574.33	0.00	491.25	0.00
उच्च	2.56	0.00	0.67	0.00
उच्चतर	645.96	0.00	547.57	0.00
कुल	20 247.37	5.03	23 497.98	7.62

घ. अप्रतिभूत अग्रिम

बैंक द्वारा अग्रिम की कुल राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा जिसके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर शुल्क जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों की गणना की जाएगी और साथ ही निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार ऐसी अमूर्त संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य का भी प्रकटीकरण किया जाएगा :

(रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	48 300.03	48 531.80
उक्त में से,अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	4 353.71	6 570.39
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का आकलित मूल्य	4 353.71	6 570.39

ड़. फैक्टरिंग एक्सपोजर

(रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
फैक्टरिंग के तहत हमारे बैंक का एक्सपोजर	9 242.51	6 377.11

च. इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र

भारत में वित्तीय बाजारों के विकास के साथ, बैंकों ने उन संस्थाओं के माध्यम से अनुमत वित्तीय गतिविधियों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से उनके स्वामित्व में हैं। परिणामस्वरूप, समूह संस्थाओं के प्रति बैंकों का एक्सपोजर बढ़ा है और आगे चलकर इसमें और वृद्धि हो सकती है। समूह संस्थाओं के साथ अपने व्यवहार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को चालू वर्ष के लिए पिछले वर्ष की तुलना के साथ निम्नलिखित प्रकटीकरण करना चाहिए:

(रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का	शून्य	शून्य
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर सीमा विच्छेद के विवरण और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	शून्य	शून्य

छ. आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण

बैंक ने यूएफसीई पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने ग्राहकों के लिए अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के लिए प्रावधान का अनुमान लगाया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर.एमआरजी.आरईसी.76/100-00-007/22-23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के अनुरूप है । 31 मार्च 2025 को बैंक ने उसके प्रति 17.12 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है ।

6. जमाओं, अग्रिमों, उधारों व अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

क. जमाओं का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	12 704.14	12 738.79
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	4.07%	4.48%

ख. अग्रिमों का केंद्रीकरण

रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	37 164.75	40 254.52
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	14.86%	18.38%

*अग्रिमों की गणना ऋण जोखिम के आधार पर की जाएगी, अर्थात वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित सीमाएँ, जिसमें लागू होने पर व्युत्पन्न जोखिम भी शामिल हैं। स्वीकृत सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, उसे गिना जाएगा। हालाँकि, पूरी तरह से निकाले गए टर्म लोन के मामले में, जहाँ स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को फिर से निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है , बैंक बकाया को ऋण जोखिम के रूप में मान सकते हैं।

31.03.2025 तक सकल अग्रिम – ₹ 250018.85 करोड़

ग. एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोज़र)

(रु. करोड़ में

विवरण	2024-25	2023-24
बीस बड़े उधारकर्ताओं /ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	44 505.78	12 738.79
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	11.99%	14.49%

*अग्रिमों की गणना लागू भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमन के आधार पर की जाएगी।

घ. अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	1466.51	1530.64
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत	27.42%	22.53%

वित्तीय वर्ष 2024-25 में एनपीए का केंद्रीकरण (शीर्ष बीस खातों में तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए खाते शामिल नहीं हैं)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	सकल एनपीए बकाया (रु. करोड़ में)
1	एग्रीट्रेड इंटरनेशनल पी.एल.	264.33
2	कोबियन प्रा.टी.ई. लिमिटेड	137.36
3	कैनवेल कॉमर्स पीएल	127.90
4	विकुधा ओवरसीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	125.48
5	फ़ार्लिन टिम्बर्स पीएल	107.87
6	सलीम शूज़ प्राइवेट लिमिटेड	93.56
7	वारिसन ज़मरुद एसडीएन बीएचडी	79.19
8	इस्लामी बैंक बांग्लादेश लिमिटेड	71.88
9	शेफ़ील्ड होल्डिंग्स लिमिटेड	71.11
10	बरगावा कमोडिटीज कंपनी	48.66
11	पी एंड जी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	41.67
12	नेशनल बैंक लिमिटेड	37.23
13	ब्रह्मपुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	36.48
14	फेनाटेक्स कंपनी लिमिटेड	35.60
15	विंटेल एक्सपोर्ट्स पीएल	34.36
16	मेसर्स जाडिया पाइप्स इंडिया लिमिटेड	32.92
17	नाओलिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	32.37
18	ओएसएम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	30.81
19	शिंगार लिमिटेड	29.17
20	सोना अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड	28.56
	कुल	1466.51

वित्तीय वर्ष 2023-24 में एनपीए का केंद्रीकरण (शीर्ष बीस खातों में तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए खाते शामिल नहीं हैं)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	सकल एनपीए बकाया (रु. करोड़ में)
1	एग्रीट्रेड इंटरनेशनल पी.एल.	258.09
2	कोबियन प्रा.टी.ई. लिमिटेड	141.33
3	विकुधा ओवरसीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	135.08
4	कैनवेल कॉमर्स पीएल	124.73
5	फ़ार्लिन टिम्बर्स पीएल	105.19
6	सलीम शूज़ प्राइवेट लिमिटेड	93.56
7	एशिया व्यू एंटरप्राइजेज	81.50
8	वारिसन ज़मरुद एसडीएन बीएचडी	76.89
9	शेफ़ील्ड होल्डिंग्स लिमिटेड	73.47
10	रुक्मिणी आयरन प्राइवेट लिमिटेड	47.80
11	बरगावा कमोडिटीज कंपनी	47.45
12	ब्रह्मपुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	45.08
13	पी एंड जी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	44.89
14	टेक्सट्रेड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	44.24
15	एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड	39.71
16	एम्पी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	39.17
17	नाओलिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	33.68
18	विंटेल एक्सपोर्ट्स पीएल	33.50
19	मेसर्स जाडिया पाइप्स इंडिया लिमिटेड	32.92
20	फेनाटेक्स कंपनी लिमिटेड	32.35
	कुल	1530.64

7. डेरिवेटिव्स

वायदा दर करार / ब्याज दर अदला –बदली

(रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
स्वैप करारों के काल्पनिक मूल		
करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि	शून्य	शून्य
स्वैप करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति		
स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण $		
स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण @		

नोट: स्वैप की प्रकृति और शर्तें, जिसमें क्रेडिट और बाजार जोखिम की जानकारी और स्वैप रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां शामिल हैं, का भी खुलासा किया जाएगा।.

$ संकेंद्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों के लिए एक्सपोजर या अत्यधिक गियर वाली कंपनियों के साथ स्वैप कर सकते हैं।
@ यदि स्वैप विशिष्ट परिसंपत्तियों, देनदारियों, या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं, तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो बैंक को प्राप्त होगी या तुलन पत्र की तारीख के अनुसार स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए भुगतान करेगी। एक ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य इसका मार्क टू मार्केट वैल्यू होगा।

ख) विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	शून्य	शून्य
(ii)	31 मार्च तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखत वार)	शून्य	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं(लिखत वार)	शून्य	शून्य
(iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं (लिखत वार)	शून्य	शून्य

ग). डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है।बैंक कॉरपोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सके। इस तरह के लेन-देन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं ।

अ) विदेशी उधार/एफ़सीएनआर(बी) पोर्टफोलियो/ आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज/ विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये उत्पाद बैंक टू बैंक दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति

समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेन-देन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।

ऊ) डेरिवेटिव्स का प्रयोग बैंक के तुलन पत्र के एक्सपोज़र को हेज़ करने हेतु किया जाता है ।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है।तुलन पत्र हेतु किए गए स्वैप के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों/देयताओं की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। ग्राहकों के लिए बैक टू बैक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

ए) सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं। बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया। बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं ।

डेरिवेटिव से संबंधित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ, जिसमें डेरिवेटिव के उपयोग की सीमा, उससे जुड़े जोखिम और व्यवसायिक उद्देश्यों का विशेष संदर्भ है । साथ ही, इसमें शामिल है -

क) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन ।

ख) जोखिम मापन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का दायरा और प्रकृति ।

ग) हेजिंग और/या जोखिम को कम करने के लिए नीतियां तथा हेजिंग/न्यूनीकरण उपायों की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियां और प्रक्रियाएं; तथा

घ) हेज और नॉन-हेज लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की पहचान; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम शमन ।

बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने और अधीनस्थ ऋण की लागत को कम करने के लिए हेजिंग उद्देश्य के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) का उपयोग करता है। इसके अलावा, बैंक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीति के अनुसार व्यापार उद्देश्यों के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप भी करता है । स्वैप लेनदेन केवल उन बैंकों के साथ दर्ज किए जाते हैं जिनके पास आइएसडीए समझौते हैं ।

ए) बैंक ने जोखिम प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त संरचना और संगठन स्थापित किया है, जिसमें ट्रेजरी विभाग, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति शामिल हैं।

बी) व्युत्पन्न लेन-देन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेन-देन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत जोखिम, विनियामक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है । आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं ।

सी) बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है । बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपक्वता ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है ।

डी) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ(नीति संख्या 6) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गयी है।

ii) **मात्रात्मक प्रकटीकरण**

(रु. करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25 मुद्रा डेरिवेटिव्स	2024-25 ब्याज दर डेरिवेटिव्स	2023-24 मुद्रा डेरिवेटिव्स	2023-24 ब्याज दर डेरिवेटिव्स
क	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)				
	1) प्रतिरक्षा के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2) व्यापार के लिए	शून्य		शून्य	
ख	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति@				
	1) आस्तियाँ (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2) देयताएँ (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग	ऋण जोखिम$	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन (100*पीवी01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	1) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2) व्यापार डेरिवेटिव्स पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ	वर्ष के दौरान देखे गए 100* पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	1). हेजिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2). ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

@ प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए, जैसा भी मामला हो, निवल स्थिति या तो परिसंपत्ति या देयता के तहत दिखाई जाएगी।
$ भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार बैंक डेरिवेटिव उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोजर के मापन पर वर्तमान एक्सपोजर विधि अपना सकते हैं।

घ. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) पदों के मूल्यांकन के लिए प्रोपराइटरी मॉडल का उपयोग करने वाले बैंक, प्रोपराइटरी मॉडल के अनुसार मूल्यांकन का प्रकटीकरन करेंगे, जिसमें उस मॉडल का उपयोग करने का औचित्य और उनके वित्तीय विवरणों में खातों के नोट्स में मूल्यांकन पद्धति का स्पष्टीकरण शामिल होगा। प्रकटीकरण में फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआइएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित सीडीएस वक्र या एफआइएमएमडीए * द्वारा अनुशंसित बेंचमार्क के अनुसार मूल्यांकन भी शामिल होगा ।

* एफआइएमएमडीए द्वारा प्रकाशित सीडीएस वक्र या एफआइएमएमडीए द्वारा अनुशंसित बेंचमार्क के अनुसार मूल्यांकन का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता तब प्रभावी होगी जब एफआइएमएमडीए सीडीएस वक्र प्रकाशित करना शुरू कर देगा या मूल्यांकन बेंचमार्क की सिफारिश करेगा ।

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप- शून्य (पिछले वर्ष-शून्य)

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में)

क्र म सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जाएगी)	शून्य	शून्य
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रक्षित किए गए एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
	ख) तुलनपत्र पर एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर i) स्वयं की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
	ख) तुलन पत्र के अनुसार एक्सपोजर i) स्वयं की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
5.	प्रतिभूत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6.	लिक्विडिटी सपोर्ट, पोस्ट-सिक्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रारूप और मात्रा (बकाया मूल्य)।	शून्य	शून्य
7.	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन । कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (ए) भुगतान की गई राशि (बी) पुनर्भुगतान प्राप्ति (सी) बकाया राशि	शून्य	शून्य

8.	पूर्व में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत डिफ़ॉल्ट दर । कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।	शून्य	शून्य
9.	समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग सीएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें ।	शून्य	शून्य
10.	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) बकाया शिकायतें	शून्य	शून्य

9. तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिसका समेकन किया जाना आवश्यक हो)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ निधि)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	2 003.50	1 822.20
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	361.54	303.77
घटाएँ : दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	53.80	122.47
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंतिम शेष	2 311.24	2 003.50

11. शिकायतों का प्रकटीकरण:

बैंक को ग्राहकों एवं लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों की सूचना का सार

क्रम सं	विवरण	2024-25	2023-24
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायत			
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	2 017	1 950
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2 10 075	2 57 420
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2 09 482	2 57 353
3.1	जिसमें, बैंक द्वारा खारिज किए गए शिकायतों की संख्या	1 324	1 890
4	वर्ष के समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	2 610	2 017
बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें			
5	बीओ कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का बैंक द्वारा सुलझाने की संख्या	1 508	1 451
5.1	5 के, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में सुलझाए गए खातों की संख्या	611	512
5.2	5 के, बीओ द्वारा समाधान / मध्यस्थता / जारी सलाहकार के माध्यम से सुलझाव गए खातों की संख्या	897	939
5.3	5 के, बैंक के प्रति बीओ द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद निपटाए गए खातों की संख्या	0	0
6	निर्धारित समय समय के भीतर अवार्ड कार्यान्वित न करने की सख्या (जिनका अपील किया गया है, उसे छोड़कर)	0	0

नोट : बनाए रखने योग्य शिकायतें एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधार पर शिकायतों को संदर्भित करती है और योजना के दायरे में आती है।
आरबीआईओ योजना के अनुसार अवार्ड व्यापगत हो गया है क्योंकि ग्राहक ने पत्र दिया है कि उसे अवार्ड स्वीकार नहीं है।

आ. ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के पाँच शीर्ष आधार

शिकायतों का आधार (यथा संबन्धित शिकायत)	वर्ष के शुरुआत से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोत्तरी / कमी का %	वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	5 के, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष (वि.वर्ष 2024-25)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रानिक बैंकिंग	427	96 294	-18.53%	608	0
एटीएम / डेबिट कार्ड	464	46 244	-36.40%	806	0
क्रेडिट कार्ड	298	922	-45.31%	144	0
ऋण और अग्रिम	14	587	-33.52%	43	0

चेक / ड्राफ्ट / बिल	5	1 138	-58.53%	7	0
अन्य	809	64 890	+6.03%	1 002	0
कुल	2 017	2 10 075	-18.39%	2 610	0
पिछले वर्ष (वि.वर्ष 2023-24)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रानिक बैंकिंग	793	1 18 199	(+)6.21%	427	0
एटीएम / डेबिट कार्ड	595	72 708	(+)2.74%	464	0
क्रेडिट कार्ड	262	1 686	(-)12.46%	298	0
ऋण और अग्रिम	23	883	(-)15.50%	14	1
चेक / ड्राफ्ट / बिल	10	27 44	(+)0.44%	5	1
अन्य	267	61 200	(+)480.20%	809	0
कुल	1 950	2 57 420	(+)29.81%	2 017	2

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

विवरण	2024-25	2023-24
i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और (iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंस होने पर) के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड (वित्तीय विवरण संबंधी मास्टर निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण-प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण संबंधी प्रकटीकरण संदर्भ: डीओआर.एसीसी.आरईसी. संख्या 45/21.04.018/2021-22 दिनांकित 30 अगस्त, 2021 तथा 01 अप्रैल, 2024 तक अद्यतित)	3.20	0.57

13. पारिश्रमिक प्रकटीकरण

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2024-25)	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2023-24)
1.	श्री. अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी व सीईओ) (01.01.2023 से)	64 40 736.00	40 80 132.00
2.	श्री. जयदीप दत्ता रॉय	कार्यपालक निदेशक 31.01.2024 से	41 25 174.07	7 47 253.16
3.	श्री धनराज टी	कार्यपालक निदेशक 10.03.2024 से	39 21 601.34	2 53 295.23
4.	सुश्री एस. श्रीमती	कार्यपालक निदेशक दिनांक 09.03.2024 से सेवा समाप्त	19 98 381.29	38 57 030.33
5.	श्री संजय विनायक मुदालियर	कार्यपालक निदेशक 30.01.2024 से सेवा समाप्त	15 32 160.00	31 81 709.89

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी नकदीकरण बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं ।

14. अन्य प्रकटीकरण

अ. कारोबार अनुपात

विवरण	2024-25	2023-24
i) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	2.94%	2.92%
ii) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	1.49%	1.68%
iii) जमा लागत	5.08%	4.70%
iv) निवल ब्याज मार्जिन	3.25%	3.28%
v) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	2.34%	2.01%
vi) आस्तियों से लाभ	0.92%	0.81%
vii) कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोडों में)	26.80	23.54
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ों में)	0.16	0.12

बैंक बीमा कारोबार

उनके द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण उनकी तुलन पत्र के खातों के नोट्स में प्रकट किया जाना चाहिए, प्रकटीकरण चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए किया जाना चाहिए।

(रु. करोड़ में)

क्रम सं..	आय का स्वरूप *	2024-25	2023-24
(क)	जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	2.65	2.39
(ख)	गैर जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	30.10	27.09
(ग)	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.56	0.51
(घ)	अन्य - **वर्ष के दौरान लेखा में रखे गए पिछले वर्षों से संबंधित**	1.01	1.61
(ङ)	पीएमजेजेबीवाई-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	1.37	1.54
(च)	पीएमएसबीवाई-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	0.44	0.43
	कुल	36.13	33.57

*बैंक द्वारा किए गए बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक ।

ग. विपणन और वितरण

बैंक अपने द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक के विवरण का प्रकटीकरण करेंगे।

आय की प्रकृति	2024-25	2023-24
विपणन और वितरण व्यवसाय	शून्य	शून्य

घ. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25		2023-24	
		खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
1	पीएसएलसी कृषि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	पीएसएलसी - एसएफ़/ एमएफ़	शून्य	21 971.50	शून्य	12 985.50
3	पीएसएलसी – सूक्ष्म उद्यम	शून्य	शून्य	3 000.00	शून्य
4	पीएसएलसी सामान्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ड़. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.00	(0.49)
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	834.02	2 706.49
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	3 585.28	(112.22)
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान	(21.26)	(7.37)
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित)	1177.01	756.92
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	(221.74)	764.71
कुल	5 353.31	4 108.14

च. आईएफआरएस अभिसरणित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का कार्यान्वयन

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक इंड एएस (भारतीय लेखा मानक) लागू करने की प्रक्रिया में है। आरबीआई ने परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी. बीसी. सं. 29/21.07.001 / 2018-19 दिनांकित 22 मार्च 2019 के माध्यम से इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। हालाँकि, सभी बैंकों द्वारा आरबीआई को हर छमाही में प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण जमा किया जाना है। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। बैंक परियोजना संचालन समिति की मंजूरी के बाद अर्धवार्षिक आधार पर आरबीआई को प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

छ. डीआइसीजीसी को किस्त का भुगतान

(राशि करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	2024-25	2023-24
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	367.51	331.48
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

ज. बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण परिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देनदारियों और व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

पेंशन:

31 मार्च 2025 तक अशोध्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन देयताएं शून्य हैं।

ग्रेच्युटी:

31 मार्च 2025 को परिशोधित ग्रेच्युटी देयता शून्य है।

अंतिम बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण से संबंधित कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान किया गया है ।

झ. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंकों को वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए सभी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) का पूरा ब्योरा देना चाहिए, जिसमें उनके मूल्यांकन किए गए वित्तीय प्रभाव, साथ ही उनके द्वारा पूर्व में जारी एलओसी के तहत उनके द्वारा जारी किए गए संचयी वित्तीय दायित्व और बकाया के वित्तीय विवरण, 'नोट्स टू अकाउंट्स' के भाग के रूप में इसके प्रकाशित किया गया है ।

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	--
31.03.2024 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	3
आकलित वित्तीय प्रभाव	--
संचयी आंकलित वित्तीय दायित्व	--

31 मार्च, 2025 तक एलओसी के बकाया की संचयी स्थिति:

1. वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% के न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने और प्रतिधारित आय के प्रति पूंजीगत निधियों में परिवर्तित करने और/या अतिरिक्त पूंजी डालने की व्यवस्था करने के लिए एक चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी किया है जोकि आरबीआई से अनुमोदन के अधीन है । 31.03.2025 को बैंकॉक शाखा की नियत पूंजी टीएचबी 2,20,00,00,000(18.24%) है।

   सबसे खराब स्थिति में यदि शाखा का संपूर्ण टेक्सटाइल एक्सपोजर के एनपीए होने पर हमें मानक कपड़ा अनारक्षित के असुरक्षित हिस्से हेतु टीबीएच 1.644 मिओ की सीमा तक का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ सकता है। यदि यह आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कोई अतिरिक्त पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मौजूदा आरक्षितियाँ अनारक्षित राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।

2. वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने नेगारा मलेशिया को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया था । बैंक अन्य संयुक्त उद्यम साझेदारों के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद (आइआइबीएमबी) की फंडिंग, कारोबार और अन्य मामलों में, जब भी उनकी आवश्यकता होती है सहायता करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वो अपने कारोबार परिचालन एवं प्रबन्धन में मलेशियाई कानून, विनिमयनों एवं नीतियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है। नेगारा मलेशिया को जारी लेटर ऑफ कंफर्ट का वित्तीय प्रभाव एमवाईआर 330 मियो यानि विभिन्न तिथियों पर एमवाईआर 115.500 मियो के प्रदत्त पूंजी के 35% के हमारे हिस्से तक है।

3. मेजबान देश के नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक ने आइओबी-श्रीलंका शाखा द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए दिनांक 12.09.2019 को आयोजित बैठक में सीबीएसएल के पक्ष में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया है।

ट. हरित जमा से जुटाए गए धन के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय सूचना

विवरण	2024-25	2023-24	संचयी *
जुटाई गई कुल हरित जमा राशि (ए)	2.76	0.26	3.02
हरित जमा निधि का उपयोग **			
नवीकरणीय ऊर्जा	1.10	0.26	1.36
ऊर्जा दक्षता		0	
स्वच्छ परिवहन	1.66	-	1.66
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन		0	
सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन		0	
प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण		0	
हरित इमारतें		0	
जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन		0	
स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण		0	
आवंटित कुल हरित जमा निधि (बी=1 से 9 का योग)	2.76	0.26	3.02
आवंटित नहीं की गई ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (सी=ए-बी)	0	0	0
हरित जमा आय के अस्थायी आवंटन का विवरण, पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए उनका आवंटन लंबित है			

* नोट: ग्रीन डिपॉजिट योजना 10.02.2024 से शुरू की गई और हमारी विभिन्न क्रेडिट योजनाएं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सूर्या और स्वच्छ परिवहन के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन ग्रीन डिपॉजिट की शुरुआत से पहले से अस्तित्व में हैं।

15. आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी. बीसी. 18/ 21.04.048/ 2018-19 दिनांक 01.01.2019, डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 34/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांक 11.02.2020 एवं डीओआर. सं. बीपी. बीसी/ 4/ 21.04.048/ 2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार "वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत छूट प्राप्त या पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत" पर, एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण 31.03.2025 तक निम्नानुसार हैं:

खातों की संख्या	31 मार्च 2022 तक कुल एक्सपोजर (करोड़ ₹ में)
1486	104.23

16. दिनांक 05 मई 2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी./2021-22 के अनुसार, "समाधान रूपरेखा - 2.0: व्यक्तियों और लघु व्यवसायों के कोविड-19 से संबंधित तनाव का समाधान" पर, उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन को मंजूरी दी गई और कार्यान्वित किया गया और ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कुल जोखिम निम्नानुसार हैं: -

(राशि रु. करोड़ में)

उधारकर्ताओं की संख्या	31 मार्च 2025 तक कुल एक्स्पोजर
13 729	1 358.62

17. आरबीआई परिपत्र डीओआर के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण, परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी /3/21.04.048/2020-21 दिनांकित 6 अगस्त, 2020 के अनुसार, उन खातों की संख्या और जुड़ी राशि के संबंध में, जिनके लिए समाधान अवधि बढ़ाई गई थी, उसे 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए दिया गया है:

(राशि रु. करोड़ में)

बढ़ायी गयी समाधान योजना के तहत खातों की संख्या	2024-25	2023-24
जुड़ी हुई राशि	शून्य	शून्य

18. वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधानों की राशि:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2024-25	2023-24
आयकर के लिए प्रावधान	17.01	22.67
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	1 160.00	734.24
निवल प्रावधान	1 177.01	756.91

19. आरबीआई के दिशा-निर्देशों आरबीआई/डीओआर/2021-22/83डीओआर. एसीसी.आरईसी. संख्या 45/21.04.018/2021-22 दिनांकित 25 अक्टूबर, 2023 के अनुसार, कुल आय के 1% से अधिक "अन्य आय" शीर्षक के अंतर्गत विविध आय का विवरण निम्नानुसार है:

अनुसूची	उपशीर्षक / शीर्षक के अंतर्गत मद	राशि करोड़ में	राशि प्रतिशत में
अनुसूची -5अन्य देयताएं और प्रावधान (IV-अन्य (प्रावधान सहित)	--	--	--
अनुसूची 11 अन्य परिसंपत्तियां (IV-अन्य)	--	--	--
अनुसूची 14 अन्य आय	राइट ऑफ में वसूली सहित अन्य आय	2 946.50	8.75
अनुसूची 16 परिचालन खर्च (12वीं अन्य व्यय)	--	--	--

20. आरबीआई के 29 मार्च 2025 के परिपत्र के अनुसार, , बैंक ने "प्रावधान और आकस्मिकताएं - सरकारी गारंटीकृत सुरक्षा रसीदें" में लाभ और हानि खाते में ₹ 369.74 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स किया है। बैंक ने एआरसी द्वारा घोषित एनएवी के आधार पर इन एसआर का मूल्यांकन किया है और इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.62 करोड़ के अवास्तविक लाभ को लाभ और हानि खाते में चिन्हित किया गया है ।

उपरोक्त रु. 421.76 करोड़ राशि «राजस्व और अन्य रिजर्व» के अंतर्गत रखी गई है और इसे सीईटी-1 पूंजी से काट लिया गया है और यह लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होगी ।

21. 31.03.2025 तक ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई जमाराशियों के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित जमाराशियां 5439.48 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष उपलब्ध नहीं) ऋण, एलजी, एलसी और सरकारी प्राधिकारियों द्वारा कुर्क की गई हैं।

22. 31 मार्च 2025 तक कोविड-19 से संबंधित आकस्मिक प्रावधान के रूप में ₹1647.03 करोड़ की राशि है ।

23. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक का विवरण

31.03.2024 तक बैंकों की टीयर 1 पूंजी 20839.72 करोड़ रुपये है। 31.03.2024 तक एलईएफ मानदंडों के अनुसार, टीयर 1 पूंजी का 20% 4167.94 करोड़ रुपये है और टीयर 1 पूंजी का 25% 5209.93 करोड़ रुपये है।

टीयर 1 पूंजी के अनुसार एकल काउंटर पार्टी एक्सपोजर के तहत कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, यानी 31.03.2024 तक 20839.72 करोड़ रुपये है ।

टीयर 1 पूंजी के अनुसार समूह काउंटर पार्टी एक्सपोजर के तहत किसी भी खाते में कोई उल्लंघन नहीं है, यानी 31.03.2024 तक 20839.72 करोड़ रुपये और सभी खाते टीयर 1 पूंजी के 25% के भीतर हैं ।

विदेशी शाखाएँ:

क्र म सं.	उ धा र क र्ता का नाम	एक्सपोज़र छत	स्वीकृत सीमा	वह अवधि जिसके दौरान सीमा पार हो गई	अवधि के दौरान बकाया राशि सीमा से अधिक हो गई	बोर्ड की मंजूरी का विवरण	31.03.2025 तक की स्थिति असाधारण
1	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	एसबीएल 50.00 जीबीएल 75.00	65.00 (एसबीएल से अधिक)	08.06.2023-आज तक (अंतिम बार 10.07.2024 को समीक्षा की गई)	58.00	24.06.2023 को बोर्ड अनुसमर्थन	58.00
2	आरईसी लिमिटेड	एसबीएल 50.00 जीबीएल 75.00	65.00 (एसबीएल से अधिक)	21.09.2022 से अब तक (अंतिम समीक्षा 29.10.2024 को की गई)	65.00	29.12.2023 को बोर्ड का अनुसमर्थन	65.00
3	किंग एम्पायर ग्रुप लिमिटेड	एसबीएल 40.00 जीबीएल 60.00	30.00 (जीबीएल से अधिक)	29.11.2023 से अब तक (अंतिम बार 27.12.2024 को समीक्षा की गई)	5.788	20.12.2023 को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हुआ	15.543

4	फाइव एलिमेंट इंडस्ट्री लिमिटेड	एसबीएल 40.00 जीबीएल 60.00	50.00 (एसबीएल एवं जीबीएल दोनों अधिक हैं)*	29.11.2023 से अब तक (अंतिम समीक्षा 27.12.2024 को की गई)	17.470	20.12.2023 को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हुआ	50.429
5	टीसीआई सनमार केमिकल्स	एसबीएल 40.00 जीबीएल 60.00	46.014 (एसबीएल से अधिक)	30.08.2024 से अब तक	36.031	06.11.2024 को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हुआ	34.771

क्रम संख्या 3 और 4 समूह खाते हैं । किंग एम्पायर ग्रुप लिमिटेड के लिए एसबीएल सीमा के भीतर है । हालांकि, जीबीएल (फाइव एलिमेंट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ) की लिमिट पार हो गई है ।

लेखा मानकों (एएस) के संदर्भ में प्रकटीकरण

1.लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वित्तीय विवरणी को उन्हीं लेखांकन नीतियों व पॉलिसियों के आधार पर तैयार किया गया है जिनका पालन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया था।
वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि आय/व्यय मदों की कोई सामग्री नहीं थी ।

2. लेखांकन मानक 9 – राजस्व चिन्हित

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी – अनुसूची 17 में मद सं. 2 में वर्णितानुसार राजस्व को चिन्हित किया गया है ।

3. लेखांकन मानक 11 – विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
अथ शेष	983.90	965.71
वर्ष के दौरान क्रेडिट	152.36	111.80
वर्ष के दौरान आहरण	6.70	93.61
इति शेष	1 129.56	983.90

4. लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''कर्मचारियों के लाभ'' संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।
अल्पावधि कर्मचारी लाभ

1. अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि, जैसे कि चिकित्सा लाभ, जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने की अपेक्षा की जाती है, उस अवधि हेतु ही मान्य होती है जब कर्मचारी सेवारत होता है।
2. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ
   लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

परिभाषित लाभ योजनाएँ

अ) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2025	2024	2025	2024
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	13 465.63	11 314.24	1 494.38	1 302.17
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
जोड़ें: ब्याज लागत	857.34	776.97	104.53	94.94
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	314.79	332.67	95.59	88.82
घटाएं ; लाभ का भुगतान किया गया	(1 262.45)	(11 35.44)	(97.27)	(92.59)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	979.81	2 177.19	49.95	101.03
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14 355.12	13 465.63	1 647.18	1 494.38

आ) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2025	2024	2025	2024
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	13 465.63	11 314.25	1 494.38	1 326.82
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
जोड़ें: योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	1 003.10	896.50	108.34	101.62
जोड़ें: नियोक्ता का योगदान	1 080.15	2 348.23	105.37	127.30
घटाएं : भुगतान किया गया लाभ	(12 62.45)	(11 35.44)	(97.27)	(92.59)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)।	68.69	42.09	36.36	31.23
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	14 355.12	13 465.63	1 647.18	1 494.38
गैर निधिपोषित परिवर्तनीय देयता		--		--

इ) तुलन पत्र में चिन्हित रकम

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2025	2024	2025	2024
i) वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	14 355.12	13 465.63	1 647.18	1 494.38
ii) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	14 355.12	13 465.63	1 647.18	1 494.38
iii) अंतर	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) तुलन पत्र में चिन्हित प्राप्त गैर निधि पोषित निवल देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
v)तुलन पत्र में चिन्हित निधि पोषित निवल आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

ई) लाभ व हानि में चिन्हित व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2025	2024	2025	2024
i. वर्तमान सेवा लागत	314.79	332.67	95.59	88.82
ii. पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
iii. ब्याज लागत	857.34	776.97	104.53	94.94
iv. योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(10 03.10)	(896.50)	(108.34)	(101.62)
v. वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	911.12	2 135.09	13.58	69.80
vi. वर्ष के दौरान चिन्हित संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ – हानि में चिन्हित खर्च (i+ii+iii+iv+v+vi)	1 080.15	2 348.24	105.37	151.95

उ) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता:

(% में आंकड़े)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2025	2024	2025	2024
क) ऋण लिखतें /केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	3.40	4.09	8.53	9.13
ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	4.70	3.89	9.25	11.97
ग) पीएसयू/ पीएफआइ/कॉरपोरेट बाँड्स में निवेश	6.27	6.91	11.13	13.57
घ) ईक्विटी लिखतें	0.89	0.77	2.06	1.29
ड़) अन्य निवेश	84.74	84.34	69.03	64.04
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

ऊ) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

(% में आंकड़े)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2025	2024	2025	2024
बट्टा दर	6.68%	7.23%	6.69%	7.23%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	1.00%	1.00%	3.00%	3.00%
पेंशन वृद्धि	4.00%	4.00%	-	-
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	7.50%	7.50%	7.23%	7.56%
मोर्टैलिटी	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

ऋ) पेंशन हेतु 5 वर्षों का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/घाटा

(रु. करोड़ में)

	तुलन पत्र में चिन्हित राशि	31.03.2021 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2025 तक
i.	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	9 856.98	10 703.91	11 569.76	13 465.63	14 355.12
ii.	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	9 856.98	10 363.23	11 314.25	13 465.63	14 355.12
iii.	अंतर (ii-i)	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00
iv.	गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	गैर चिन्हित संक्रमण दायित्व	-	-	-	-	-
vi.	तुलन पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00

ए) ग्रेच्युटी हेतु पांच वर्ष का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/घाटा

(रु. करोड़ में)

	तुलन पत्र में चिन्हित राशि	31.03.2021 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2025 तक
i.	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	913.11	1200.55	1 302.17	1 494.38	1 647.18
ii.	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1 295.29	1 225.20	1 326.82	1 494.38	1 647.18
iii.	अंतर (ii-i)	382.18	24.65	24.65	0.00	0.00
iv.	गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	गैर चिन्हित संक्रमण दायित्व	-	-	-	-	-
vi.	तुलन पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	382.18	24.65	24.65	0.00	0.00

I) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है:

बट्टा दर : बट्टा दर को सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2024) के अनुसार तय किया गया है ।
प्रत्याशित वापसी दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है।
अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाली ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु. 84.40 करोड़ है ।

II) परिभाषित योगदान योजना:

बैंक के पास एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने 186.95 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 165.26 करोड़ रुपये) का योगदान दिया है।

III) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (बिना वित्तपोषित दायित्व के):

सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण लाभ

क) देयताओं के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान

(रु. करोड़ में)

तुलन पत्र में चिन्हित राशि	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2025	2024
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	752.15	576.27
जोड़ें: ब्याज लागत	52.28	41.78
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	-	-
जोड़ें: पूर्व सेवा लागत	16.17	-
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	85.80	74.24
घटाएं : भुगतान किए गए लाभ	(58.17)	(47.11)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	21.05	106.97
परिभाषित लाभ दायित्व को समाप्त करना	869.28	752.15

(ख) लाभ व हानि खाते में चिन्हित राशि

(रु. करोड़ में)

तुलन पत्र में चिन्हित राशि	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2025	2024
i) वर्तमान सेवा लागत	85.80	74.24
ii) पिछली सेवा लागत	-	-
iii) पूर्व सेवा लागत	16.17	
iv) ब्याज लागत	52.28	41.78
v) योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	0.00	0.00
vi) वर्ष में चिन्हित प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	21.05	106.97
vii). लाभ व हानि में चिन्हित खर्च	175.30	223.00

(ग) तुलन पत्र में चिन्हित प्रारंभिक और समापन देयता/(आस्तियों) का समाधान

(रु. करोड़ों में)

तुलन पत्र में चिन्हित राशि	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2025	2024
i) प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	752.15	576.26
ii) निवल अधिग्रहण लागत	-	-
iii) लाभ व हानि में चिन्हित खर्च	175.30	223.00
iv) भुगतान किए गए लाभ	(58.17)	(47.11)
v) तुलन पत्र में चिन्हित निवल देयता	873.87	752.15
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	21.05	106.97
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	869.28	752.15

(घ) प्रमुख बीमांकिक अनुमान [भारित औसत के रूप में व्यक्त]

तुलन पत्र में चिन्हित राशि	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2025	2024
बट्टा दर	6.69%	7.23%
वेतन वृद्धि का अपेक्षित दर	5.00%	5.00%
पलायन दर	3.00%	3.00%
मॉर्टलिटी	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गई प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार करने हेतु भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान, योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और कर्मचारी बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता हैं। ऐसे अनुमान बहुत दीर्घकालिक होते हैं और पूर्व के सीमित अनुभव/तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं होते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और धारणाओं पर लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में, यदि आवश्यक हो तो, जानकारी के अभाव में प्रकटीकरण नहीं किया जाता है ।

5. लेखांकन मानक 17 – खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को राजकोष, कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ में)

का रो बा र खण्ड	ट्रेजरी डिजिटल बैंकिंग		कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग अन्य खुदरा बैंकिंग		कुल खुदरा बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग				अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-2025	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व	7917.88	7252.48	10066.82	9630.17	0.22	0.07	14313.65	11838.84	14313.87	11838.91	640.60	682.60	32939.16	29404.16
परिणाम	763.50	546.89	1751.59	1364.30	-1.64	-1.61	5100.78	4126.38	5099.14	4124.77	337.55	426.46	7951.78	6462.42
अनाबंटित आय													736.92	301.82
अनाबंटित व्यय													736.23	301.35
परिचालनगत लाभ/हानि													8688.01	6763.77
आय कर													1177.01	756.92
प्रावधान व आकस्मिकताएँ													4176.29	3351.23
असाधारण लाभ / हानि													0.00	0.00
निवल लाभ													3334.71	2655.63
खण्डवार आस्तियाँ	120031.33	107506.41	112917.76	11437.56	1.05	0.51	155808.16	119315.87	155809.21	1119316.38	74.23	85.56	388832.53	341279.81
अनाबंटित आस्तियाँ													6182.41	10753.81
कुल आस्तियाँ													395014.94	352033.62
खण्डवार देयताएँ	106524.26	97723.41	107128.51	110441.19	1.05	0.51	148219.43	115593.85	148220.48	115594.36	530.34	272.64	362403.59	324031.60
अनाबंटित देयताएं													70.43	59.72
कुल देयताएं													362474.62	324091.32

भाग ख - भौगोलिक खंड

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	देशीय		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व	32 578.13	28 850.80	1 097.94	855.19	33 676.08	29 705.99
आस्तियाँ	3 75 139.05	3 38 332.37	19 875.90	13 701.25	3 95 014.94	3 52 033.62

6. लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

विवरण निम्नवत हैं:

संबंधित पार्टियों का नाम व उनके संबंध

क) एसोसिएट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ; ओडिशा ग्राम्य बैंक

ख) संयुक्त उद्यम : इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद लिमिटेड

ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक :

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव , प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री जयदीप दत्ता रॉय , कार्यपालक निदेशक

श्री धनराज टी , कार्यपालक निदेशक

ए) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन:

2024-25 व 2023-24 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को वेतन और कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का विवरण:

(राशि रु. में)

क्र.सं	पूर्णकालिक निदेशक का नाम	पारिश्रमिक राशि (₹) 2024-25	पारिश्रमिक राशि (₹) 2023-24
1.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (एमडी व सीईओ)	64 40 736.00	40 80 132.00
2.	श्री जयदीप दत्ता रॉय (ईडी)	41 25 174.07	7 47 253.16
3.	श्री धनराज टी (ईडी)	39 21 601.34	2 53 295.23
4	सुश्री एस.श्रीमती (ईडी, 09.03.2024 को सेवा समापन)	19,98,381.29*	38 57 030.33
5.	श्री संजय विनायक मुदालियर (ईडी, 30.01.2024 को सेवा समापन)	15 32 160.00*	31 81 709.89

* पारिश्रमिक में वेतन और भत्ते, वेतन बकाया, कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी बकाया शामिल है ।

(राशि रु. करोड़ में)

मदें/ संबंधित पार्टी	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियों	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक@		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
			वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधारियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.74
जमाएँ	लागू नहीं	लागू नहीं	1172.15	1172.15	1.49	1.70	2.66	3.26	1176.30	1177.11
जमा राशियों का स्थानन	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं		0.00		0.00		0.00		0.00
अचल संपत्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं		0.00		0.00		0.00		0.00
ब्याज का भुगतान किया	लागू नहीं	लागू नहीं		0.32		0.00		0.00		0.32
प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं		135.90		0.09		0.05		136.04
सेवाओं का प्रतिपादन*	लागू नहीं	लागू नहीं		0.00		0.00		0.00		0.00
सेवाओं की प्राप्ति*	लागू नहीं	लागू नहीं		0.00		0.00		0.00		0.00
प्रबंधन अनुबंध*	लागू नहीं	लागू नहीं		0.00		0.00		0.00		0.00

वर्ष के दौरान अधिकतम एवं वर्ष के अंत पर शेष को प्रकटीकरण किया जाएगा ।
* अनुबंध सेवाएं इत्यादि व विप्रेषण सुविधाएं , लॉकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सुविधाएं नहीं ।
नोट : ये डेटा प्रबंधन द्वारा संबंधित पार्टी के लिए संकलित किया गया है ।

7. लेखांकन मानक 20-प्रति शेयर आय

विवरण	2024-25	2023-24
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	3334.71	2655.62
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	18 99 09 56 640	18 90 24 12 256
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	1.76	1.40
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

8. लेखांकन मानक - 21 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) और लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन

1. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) और उसके निम्नलिखित सहायक एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों का समेकित वित्तीय विवरण में शामिल हैं: -

क्रम सं	कंपनी का नाम	निवेश का प्रकार	निगमन का देश	होल्डिंग का %
1	ओड़िशा ग्राम्य बैंक	एसोसिएट्स	भारत	35.00%
2	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद	संयुक्त उद्यम	मलेशिया	35.00%

2. संयुक्त उद्यम इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद के खाते , जिन्हें समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल किया गया है, स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार कैलेंडर वर्ष के आधार पर तैयार किए गए हैं । संयुक्त उद्यम के निगमित खाते 01 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 की अवधि के लिए हैं । 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके लिए समीक्षा न किए गए खातों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में समायोजन की आवश्यकता हो ।
3. बैंक यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 18.06% हिस्सेदारी रखता है। चूंकि कंपनी में शेयरधारिता 25% से कम है, इसलिए इसे मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना गया है ।
4. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी शामिल है जिसे एएस-27 (संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार आनुपातिक समेकन पद्धति में दर्ज किया गया है । तदनुसार, संयुक्त उद्यम में ₹ 28.34 करोड़ के निवेश की वहन लागत पर शुद्ध परिसंपत्ति की अधिकता का हिस्सा एफसीटीआर का प्रतिनिधित्व करता है जिसे रिजर्व और अधिशेष के तहत रिपोर्ट किया जाता है, यह ट्रांसलेशन अंतर को दर्शाता है ।
5. एसोसिएट्स में निवेश के संबंध में, जिसे एएस 23 (एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार इक्विटी पद्धति के तहत लेखांकित किया गया है, इक्विटी शेयरों में निवेश की अग्रणीत राशि ₹ 606.90 करोड़ को आइओबी की निवल परिसंपत्तियों के ₹ 275.52 करोड़ के हिस्से के विरुद्ध समायोजित किया गया है और शेष ₹ 331.38 करोड़ को मूल्य में गिरावट को पहचानने के लिए रिजर्व और अधिशेष में शेष के प्रति समायोजित किया गया है ।
6. संयुक्त उद्यम (आईआईबीएम) के वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के अलावा अन्य आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें जहां उचित हो, बैंक की परिसंपत्ति को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर लिखना शामिल है । आईआईबीएम ने तब से व्यवसाय समाप्ति चरण में प्रवेश कर लिया है और अपने बैंकिंग लाइसेंस को सरेंडर करने का इरादा रखता है । हालाँकि, चालू व्यवसाय के आधार पर लागू होने से कोई महत्वपूर्ण समायोजन नहीं हुआ ।
7. केंद्र सरकार द्वारा 05 अप्रैल, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जो 01 मई, 2025 से प्रभावी होगी, ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक को एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलित कर दिया गया है, जिसे अधिसूचित समामेलन योजना के अनुसार ओडिशा ग्रामीण बैंक कहा जाएगा ।

9. लेखांकन मानक 22: आय पर करों के लिए लेखांकन

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2025		31.03.2024	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	286.86		1021.64	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	58.51		68.98	
अन्य सम्पत्तियों के लिए प्रावधान	146.23		126.41	
पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	57.43		11.01	
सेवाविच्छेद वेतन के लिए आरक्षिती	0.96		1.10	
एनपीए के लिए प्रावधान	1 197.33		1 861.70	
विदेशी मुद्रा अंतरण के लिए प्रावधान	390.74		348.27	
अन्य	1 725.92		1 860.83	
कुल	3 863.98		5 299.94	
निवल डीटीए	3 863.98		5 299.94	

10. लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना

यह मानक संचालन बंद करने के बारे में जानकारी देने के लिए सिद्धांत स्थापित करता है। उसी बैंक की अन्य शाखाओं में परिसंपत्तियों/देयताओं को स्थानांतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलय/बंद होने को संचालन बंद करने के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए यह लेखा मानक बैंक की शाखाओं के विलय/बंद करने पर लागू नहीं होगा। मानक के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता केवल तब होगी जब: (i) संचालन बंद करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा देनदारियों और संपत्तियों की वापसी में कमी आई है या उपरोक्त प्रभाव वाले संचालन को बंद करने का निर्णय बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और (ii) बंद किया गया संचालन पूरी तरह से पर्याप्त है।

11. लेखांकन मानक26 – अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि तक परिशोधित किया जाता है ।

12. लेखांकन मानक 27 –संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग:

बैंक ने संयुक्त उद्यम, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आईआईबीएमबी) में 35% निवेश किया है, जिसमें 31.03.2025 के अंत तक 1,99,57,52,186.00 रुपये मूल्य के 1,15,50,000 शेयर हैं । आईआईबीएमबी के शेयरधारकों द्वारा मलेशिया में परिचालन से स्वैच्छिक रूप से बाहर निकलने का सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद, आईआईबीएमबी के बोर्ड ने स्वैच्छिक समापन के लिए बैंक नेगारा मलेशिया (बीएनएम) से अनुमोदन मांगा । बीएनएम ने दिनांक 09.02.2024 के पत्र में समापन परिचालन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और बाद में विस्तृत निकास योजना प्रस्तुत करने के अधीन व्यापार लाइसेंस को आत्मसमर्पण कर दिया है । बीएनएम के उक्त आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2024 के वित्तीय वर्ष के लिए आईआईबीएमबी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के अनुसार , ग्राहकों से लिए गए ऋण, अग्रिम और जमा को शून्य पर लाया गया है । निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, तो अंतिम समापन पर विचार किया जाएगा ।

13. लेखांकन मानक28 – आस्तियों की क्षति

हमारे बैंक में परिसंपत्तियों की क्षति शून्य है ।

14. लेखांकन मानक29 –आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान:

इस संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को उचित स्थानों पर शामिल किया गया है ।

क्रमांक	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के प्रति दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में विभिन्न कार्यवाहियों के लिए बैंक एक पक्षकार है। बैंक को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से बैंक की वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणाम या नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बैंक उन विभिन्न कराधान मामलों में भी एक पक्षकार है जिनके संबंध में अपीलें लंबित हैं।
2	आंशिक प्रदत्त निवेशों/ वेंचर फंड्स पर देयताएं	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता के प्रति भुगतान न की गई शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	फॉर्वर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देयता	बैंक भविष्य की तारीख में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर मुद्राओं का आदान-प्रदान करने के लिए व्यापार के अपने सामान्य पाठ्यक्रम में विदेशी एक्सचेंजों में प्रवेश करता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित दर पर भविष्य की तारीख में विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है। काल्पनिक राशियों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में, बैंक आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में लेन-देन बंद कर देता है। इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया लेन-देन उत्पन्न होते हैं, और इसलिए पोर्टफोलियो के सकल काल्पनिक मूलधन का एक बड़ा मूल्य होता है, जबकि शुद्ध बाजार जोखिम कम होता है।
4	घटकों, स्वीकृति, समर्थन और अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटी	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहक की ओर से दस्तावेजी क्रेडिट और गारंटी जारी करता है। दस्तावेजी ऋण बैंक के ग्राहकों की साख को बढ़ाते हैं। गारंटियां आम तौर पर अपरिवर्तनीय आश्वासन का प्रतिनिधित्व करती हैं कि ग्राहक अपने वित्तीय या प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में बैंक भुगतान करेगा।
5	अन्य मद, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	बैंक अपने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, अग्रेषण दर समझौते, मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप में व्यवस्था करते हैं। करेंसी स्वैप निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा में दूसरी मुद्रा के मुकाबले ब्याज/मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर कैश फ्लो के आदान-प्रदान की प्रतिबद्धता है। आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज की जाने वाली कल्पित राशियाँ, आमतौर पर अनुबंधों के ब्याज घटक की गणना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली राशियाँ हैं। इसके अलावा, इनमें उन अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, सहयोगियों और सहायक कंपनियों की ओर से बैंक द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफर्ट, जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता निधि के तहत बैंक देयता और अन्य विविध दल देनदारियों भी शामिल हैं ।

15). पुनर्संरचित खातों का विवरण

(राशि रु. करोड़ में)

2024-25

	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					कॉरपोरेट सहित अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण																					
क्रम संख्या.	विवरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2024 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	3.00	0	0	0	3.00	15 947.00	2 508.00	12 276.00	165.00	30 896.00	57 479.00	1 301.00	3 125.00	14.00	61 919.00	73 429.00	3 809.00	15 401.00	179.00	92 818.00
		बकाया राशि	158.08	0	0	0	158.08	1 736.01	200.96	376.02	8.06	2 321.05	3 210.03	337.46	334.67	2.87	3 885.03	5 104.12	538.42	710.69	10.93	6 364.16
		उन पर प्रावधान	10.92	0	0	0	10.92	161.60	94.58	272.34	8.06	536.58	277.81	232.11	247.22	2.86	760.00	450.33	326.69	519.56	10.92	1 307.50
2	01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0.00	18.00	(2 130.00)	2 119.00	11.00	18.00	4 357.00	(2 343.00)	3 423.00	2.00	5 439.00	4 375.00	(4 473.00)	5 542.00	13.00	5 457.00
		बकाया राशि	0	0	0	0	0.00	8.51	(155.06)	154.74	0.32	8.51	152.35	(98.27)	128.47	2.40	184.95	160.86	(253.33)	283.21	2.72	193.46
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0.00	0.43	(61.80)	123.72	0.32	62.67	8.57	(45.13)	90.27	0.01	53.72	9.00	(106.93)	213.99	0.33	116.39
3	01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0.00	90.00	(45.00)	(44.00)	(1.00)	0.00	428.00	(255.00)	(147.00)	0.00	26.00	518.00	(300.00)	(191.00)	(1.00)	26.00
		बकाया राशि	0	0	0	0	0.00	7.38	(2.82)	(4.56)	0.00	0.00	91.98	(15.93)	(7.29)	0.00	68.76	99.36	(18.75)	(11.85)	0.00	68.76
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0.00	0.68	(0.27)	(0.41)	0.00	0.00	36.98	(6.78)	(4.93)	0.00	25.27	37.66	(7.05)	(5.34)	0.00	25.27
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और / या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	(1 978.00)	(2.00)	(1.00)	0.00	(1 981.00)	(3 866.00)	0.00	0.00	0.00	(3 866.00)	(5 844.00)	(2.00)	(1.00)	0.00	(5 847.00)
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	(470.09)	0.00	0.00	0.00	(470.09)	(461.52)	0.00	0.00	0.00	(461.52)	(931.61)	0.00	0.00	0.00	(931.61)
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0	(47.00)	0.00	0.00	0.00	(47.00)	(46.15)	0.00	0.00	0.00	(46.15)	(93.15)	0.00	0.00	0.00	(93.15)

क्रम संख्या	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण विवरण		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
			मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0	0	0	0.00	(1 414.00)	1 405.00	9.00	0.00	0.00	(3 962.00)	5 041.00	4.00	0.00	1 083.00	(5 376.00)	6 446.00	13.00	0.00	1 083.00
		बकाया राशि	0.00	0	0	0	0.00	(49.59)	49.42	0.17	0.00	(0.00)	(110.51)	145.48	2.64	0.00	37.61	(160.10)	194.90	2.81	0.00	37.61
		उन पर प्रावधान	0.00	0	0	0	0.00	(4.87)	18.00	0.12	0.00	13.25	(4.76)	96.14	0.10	0.00	91.48	(9.63)	114.14	0.22	0.00	104.73
6	01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0	0	0	0.00	(5 559.00)	(304.00)	(1 896.00)	(15.00)	(7 774.00)	(8 120.00)	(5 841.00)	(4 203.00)	3.00	(18 161.00)	(13 679.00)	(6 145.00)	(6 099.00)	(12.00)	(25 935.00)
		बकाया राशि	0.00	0	0	0	0.00	(474.70)	(42.35)	(87.19)	(1.40)	(605.64)	(256.05)	(170.47)	(94.87)	0.29	(521.10)	(730.75)	(212.82)	(182.06)	(1.11)	(1 126.74)
		उन पर प्रावधान	0.00	0	0	0	0.00	(41.01)	(32.13)	(36.39)	(1.40)	(110.93)	(25.91)	(169.04)	(98.46)	0.27	(293.14)	(66.92)	(201.17)	(134.85)	(1.13)	(404.07)
7	31 मार्च 2025 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	3.00	0	0	0	3.00	7 104.00	1 432.00	12 463.00	160.00	21 159.00	42 043.00	4 614.00	7 416.00	15.00	54 088.00	49 150.00	6 046.00	19 879.00	175.00	75 250.00
		बकाया राशि	108.41	0	0	0	108.41	757.52	50.15	439.18	6.98	1 253.83	2 237.33	134.44	325.98	4.67	2 702.42	3 103.26	184.59	765.16	11.65	4 064.66
		उन पर प्रावधान	9.88	0	0	0	9.88	69.83	18.49	359.38	6.98	454.68	184.69	93.67	222.75	2.29	503.40	264.40	112.16	582.13	9.27	967.96

क्रम संख्या	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण विवरण		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
			मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुरा	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुरा	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुरा	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुरा
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2023 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	3	0	0	0	3	22,668	9,508	5,358	47	37,581	60,182	25,646	3,220	34	89,066	82,853	35,154	8,578	81	1,26,650
		बकाया राशि	158	0	0	0	158	2,495	371	146	12	3,023	2,372	673	137	2	2,816	5,025	1,043	283	14	5,997
		उन पर प्रावधान	11	0	0	0	11	234	56	146	12	447	194	167	56	36	385	439	222	202	48	843
2	01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	213	(7,701.00)	7,582	119	213	4,133	(4,794.00)	5,789	0	5,128	4,346	(12,495.00)	13,371	119	5,341
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	10	(261.98)	256	6	10	56	(10.95)	178	0	224	66	(272.93)	434	6	234
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0	1	(39.29)	151	6	118	2	(15.79)	174	0	160	3	(55.08)	325	6	278
3	01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	743	(704.00)	(37.00)	(2.00)	0	(542.00)	518	50	1	27	201	(186.00)	13	(1.00)	27
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	32	(30.64)	(1.20)	0	(0.00)	(24.75)	23	2	0	0	7	(7.95)	1	0	0
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0	3	(7.66)	(1.20)	0	(5.73)	(6.21)	6	1	0	0	(3.08)	(1.94)	(0.62)	0	(5.61)
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और / या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	(4.00)	0	0	0	(4.00)	0	0	0	0	0	(4.00)	0	0	0	(4.00)
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	(23.57)	0	0	0	(23.57)	0	0	0	0	0	(23.57)	0	0	0	(23.57)
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0	(2.34)	0	0	0	(2.34)	0	0	0	0	0	(2.34)	0	0	0	(2.34)

क्रम संख्या	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण का विवरण		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	(2,428.00)	2,419	6	3	0	(8,017.00)	8,937	1	0	921	(10,445.00)	11,356	7	3	921
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	(204.44)	198	6	0	0	(110.92)	250	0	0	139	(315.36)	449	6	0	139
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0	(20.40)	122	6	0	107	33	211	0	0	243	12	332	6	0	351
6	01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	(5,245.00)	(1,014.00)	(633.00)	(2.00)	(6,894.00)	8,044	20,460	702	15	29,221	2,799	19,446	69	13	22,327
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	(572.83)	(75.06)	(30.87)	(9.92)	(688.68)	168	662	24	0	855	(404.47)	587	(6.52)	(9.65)	166
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0	(53.38)	(35.55)	(28.98)	(9.92)	(127.83)	54	152	6	0	212	0	117	(22.74)	(9.68)	84
7	31 मार्च 2024 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	3	0	0	0	3	15,947	2,508	12,276	165	30,896	45,870	9,791	8,352	12	64,025	61,817	12,299	20,628	177	94,921
		बकाया राशि	158	0	0	0	158	1,736	201	376	8	2,321	1,478	272	293	2	2,045	3,214	473	669	10	4,366
		उन पर प्रावधान	11	0	0	0	11	162	95	272	8	537	107	215	225	2	548	269	309	497	10	1,085

तुलनात्मक आंकड़े जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

Unlock Your
Home's Potential

IOB NRI Home Top-Up Loan



T&C Apply

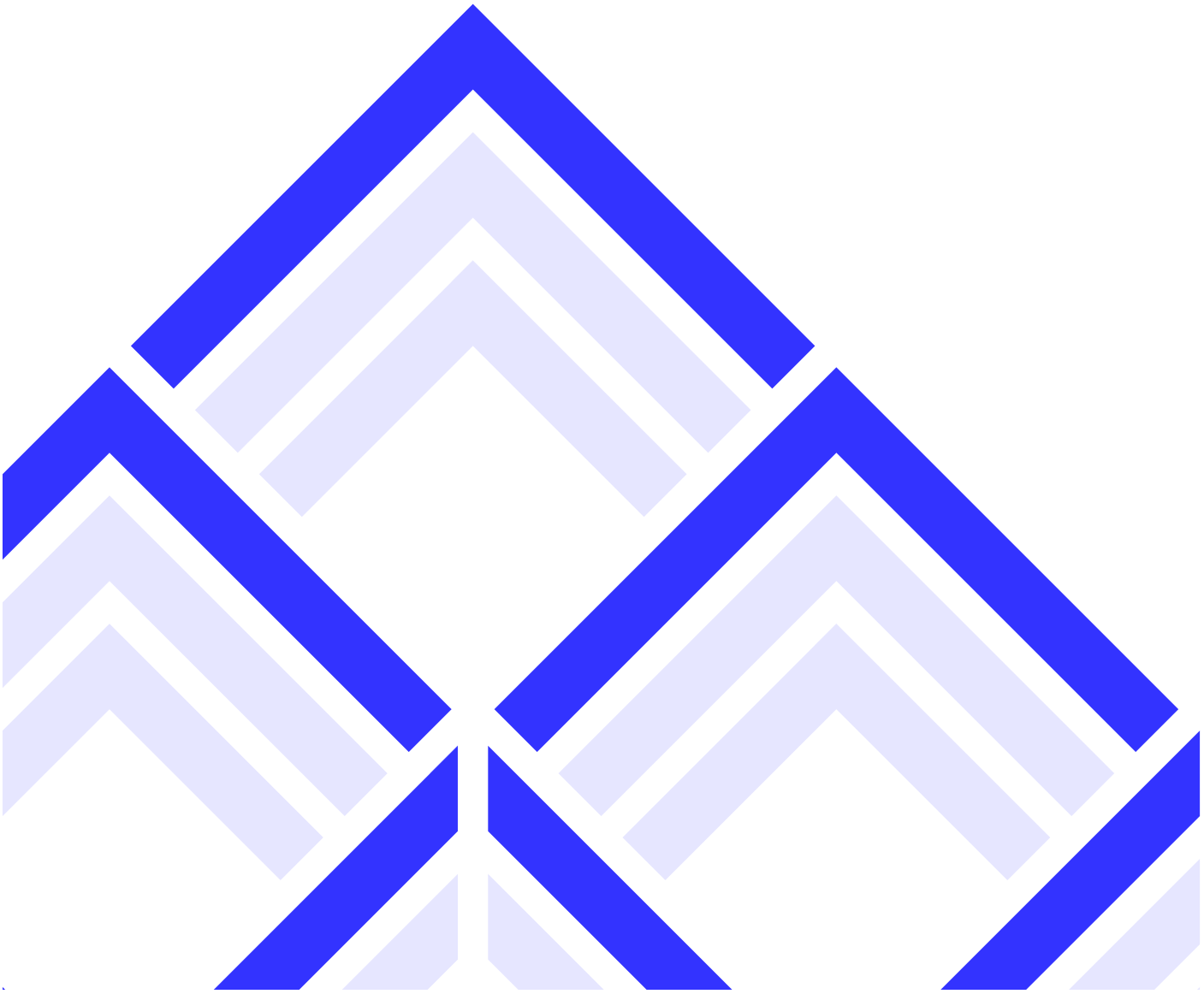
Flexible Repayment Tenure | No Prepayment or Pre closure Penalty | Multiple Loan Options

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

89 Years of Trust & Excellence

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - स्टैंडअलोन



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट स्टैंडअलोन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सभी सदस्यों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** (बैंक) के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक के तुलन पत्र के अलावा तत्संबंधी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण व नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है । इसके अलावा इसमें संबंधित तिथि हेतु केंद्रीय कार्यालय के संबंध में विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण मूलक सूचनाओं के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के प्रति सभी नोट शामिल हैं।

i. हमारे द्वारा केंद्रीय कार्यालय और 20 शाखाओं का लेखापरीक्षा किया गया,

ii. सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा 20 अन्य कार्यालयों सहित 903 शाखाओं का लेखा परीक्षण किया गया ।

iii. स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा 4 विदेशी शाखाओं का लेखापरीक्षा किया गया।

हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआई)** द्वारा बैंकों को ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया गया है ।

इस तुलन-पत्र में 2389 शाखाओं और 57 क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त लाभ व हानि खाते का विवरण और नकद प्रवाह विवरणी शामिल जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है । ये लेखापरीक्षित शाखाएं अग्रिम के क्षेत्र में 20.15%, जमाओं में 52.93%, ब्याज आय में 26.19% और ब्याज संबंधी खर्चों में 26.78% का अंशदान करती है ।

हमारे अभिमत और हमारे संज्ञान के अनुसार तथा हमें प्रदत्त किए गए स्पष्टीकरणों के अनुक्रम में उक्त पृथक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 **(अधिनियम)** द्वारा वांछित सूचना प्रदान करते हैं, जो बैंक के लिए आवश्यक है और इस रूप में भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है :

ए. तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलन पत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2025 को बैंक की वर्तमान स्थिति का ठीक रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;

बी. लाभ और हानि खाता, उस पर नोट्स के साथ पठित वास्तविक लाभ को दर्शाता है; और

सी. नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है ।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा विषयक मानकताओं के अनुसार की है । इन मानकताओं के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी नीतिगत संहिता के अनुसार बैंक संबंध रखे बिना तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से जुडी नीतिगत अपेक्षाओं सहित लेखापरीक्षा की है जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल हैं, जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश के अनुसरण में तैयार किया गया है और हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया गया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह पर्याप्त और अपने विचार को लिए आधार प्रदान करने के लिए सम्पयुक्त है।

मामलों पर बल

3. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 के निम्नलिखित नोट्स की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं :-

i. नोट संख्या 6.3, इसमें उल्लिखित कारणों से विभिन्न विवादित आयकर और अप्रत्यक्ष कर देयताओं का प्रावधान न करने से संबंधित है।

ii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों से संबंधित ₹ 3863.98 करोड़ के वहन शेष और अनुमानित आधार पर वर्ष के दौरान ₹ 1160 करोड़ के प्रत्यावर्तन के संबंध में नोट संख्या 6.5 तथा 31 मार्च, 2025 तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों के वहन शेष की प्राप्ति क्षमता का प्रबंधन मूल्यांकन।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले :-

4. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले है जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं । इन मामलों पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हम अलग से कोई अभिमत प्रदान नहीं करना चाहते । निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो कि बैंक को हमारी रिपोर्ट के साथ संप्रेषित किए गए है।

I. अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और प्रावधान (अनुसूची 17 के पैरा 5 का संदर्भ ले. वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट 2 के साथ पठित)

बैंक की निवल अग्रिम राशि कुल संपत्ति का 56.69 प्रतिशत है, जो वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है। वे, अन्य बातों के आतिरिक्त, आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित (एनपीए) में वर्गीकृत करने से संबंधित दिशानिर्देश संबन्धित परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों के मामलों के अतिरिक्त जिसमें अग्रिमों का वर्गीकरण और उसका प्रावधान स्थानीय नियमों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हो उसके अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों को अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करता है।

निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान के लिए उचित तंत्र स्थापित है। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देन का हिसाब रखता है, जो यह भी चिन्हित करता है कि अग्रिम निष्पादन योग्य हैं या गैर-निष्पादित।

भारतीय रिज़र्व बैंक ("भारिबैं") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अतिरिक्त, बैंक के पास गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर प्रावधान के लिए कुछ नीतियाँ भी हैं।

यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, आईआरएसीपी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है, तो इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का आगामी मूल्य वास्तव में गलत हो सकता है।

लेन-देन की प्रकृति, नियामक आवश्यकताओं, वर्तमान कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और प्रावधानों की गणना में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है।

इसके अतिरिक्त, आहरण शक्ति की गणना के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष, भारिबैं द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय की पहचान पर निर्भरता के कारण गैर-निष्पादित अग्रिमों सहित, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में निर्धारित किया है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत
मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमने अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनके प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया । हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और निम्नलिखित सहित वास्तविक परीक्षण शामिल थे :

ए) हमने सिस्टम में निर्मित नियंत्रणों, भारिबैं के दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में शामिल जाँच और संतुलन व गैर-निष्पादित संपत्तियों की पहचान के लिए संबंधित बैंक की नीतियों, प्रकृति, समय और ठोस प्रक्रियाओं के सीमा निर्धारित करने के प्रावधान के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई।

बी) हमें शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आय पहचान, निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता जाँच के लिए आबंटित की गई थी। हमाने आबंटित शाखाओं में ठोस प्रक्रियाओं को पूरा करने में, हमने बड़े अग्रिमों/ तनावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है।

सी) आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, क्रेडिट लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता, बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार है।

डी) शाखाओं से प्राप्त रिटर्न को स्वीकार किया गया, जो ऑडिट के अधीन नहीं हैं और उस संबंध में हमने उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा की शुद्धता को पुष्टि करने के लिए बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र/ प्रणालियों की समीक्षा की और सुनिश्चित किया गया कि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवाद/ विचलन/ त्रुटियों पर बैंक द्वारा विचार किया गया।

ई) समय-समय पर जारी भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान व प्रावधान और आय के संगत उलटाव की जांच की गई।

एफ) एनपीए की पहचान और भारिबैं के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

जी) भारिबैं के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कार्यान्वित परिसंपत्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।

एच) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य देशीय और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए काम को स्वीकार किया है।

आई) नमूना आधार पर चयनित उधारकर्ताओं की फाइलों और ऐसे खातों के संचालन की समीक्षा की गई।

जे) प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित करना।

के) ब्याज आवेदन की परीक्षण जांच, अन्य शुल्क लगाना, कमीशन आदि।

एल) सुनिश्चित किया गया कि हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत सही किया गया है।

II. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से जुड़ी या स्वतंत्र रूप से काम करने वाली अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर अत्यधिक निर्भर है।

हमारा विशेष ध्यान सिस्टम में दिए गए तर्क, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, पहुंच प्रबंधन और कर्तव्यों का पृथक्करण से संबंधित है। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, शुद्ध और मॉनिटर किए गए हैं, जिससे सिस्टम सटीक व विश्वसनीय रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी उत्पन्न कर सके, जिसका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा में होती है और विविध व जटिल लेन-देन की प्रक्रिया होती है जो आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यहाँ एक जोखिम रहता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण सटीक रूप से डिज़ाइन व प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का विषय माना जाता है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है, और परीक्षण पर प्रणाली जनित रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी के परीक्षण जांच के आधार पर आईटी सिस्टम के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं शामिल हैं :

ए) बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

बी) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, पहुंच नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई।

सी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को निष्पादित करने की आवश्यकता की पहचान की, हमने मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे सिस्टम और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने अधिक नमूना जांच की।

डी) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों (एमओसी) पर निर्भरता रहती है।

ई) जहां भी उपलब्ध कराया गया हो, बाह्य विक्रेता निरीक्षण रिपोर्ट पर निर्भरता रहती है।

एफ) आईएस ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की और प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की।

III. निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित

निवेशों की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 1 के साथ पढ़ी जाने वाली अनुसूची 17 के पैरा 4 देखें)

निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, सुरक्षा रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया गया निवेश शामिल है।

बैंक की कुल संपत्ति में निवेश 25.62 प्रतिशत है। ये भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। भारिबैं के निर्देश, अन्य बातों के साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की गैर-मान्यता और उसके प्रति प्रावधान के लिए लागू होते हैं।

बाजार की अस्थिरता, विश्वसनीय कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण गैर-उद्धृत निवेश और कम कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है।

तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित थी।

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारिबैं द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफआईबीआईएल दरों, बीएसई / एनएसई पर उद्धृत दरों, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा / जानकारी का संग्रह शामिल हैं।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और निर्णय की सीमा, लेन-देन की मात्रा, उपलब्ध निवेश और नियामक की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

भारिबैं के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की ओर केन्द्रित थी। ट्रेज़री के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निम्नलिखित पर केंद्रित हैं –

ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक भारिबैं के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया व उसे समझा ।

बी) उपलब्ध निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए फिर से मूल्यांकन करके भारिबैं के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया। निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूतियों की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल हैं , सुनिश्चित करने के बाद नमूनों का चयन किया गया।

सी) नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर या भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर, गैर-उद्धृत निवेशों के स्वतंत्र रूप से परीक्षण-जाँच की गई।

डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय के अनुरूप परिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया।

ई) हमने भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास की स्वतंत्र रूप से पुन: गणना करने के लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूने का चयन किया और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारिबैं के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान की पुनर्गणना की।

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 14 (एएस -29) के साथ पठित अनुसूची 17 के पैरा 13 और अनुसूची 12 का संदर्भ ले) :

बैंक ने इसके प्रति विवादित दावे किए हैं, जिनमें कर और गैर-कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले भी शामिल हैं, जो विभिन्न अदालतों/ मंचों में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित बहिर्प्रवाह का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और जहां भी आवश्यक समझा जाए, कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णय/ व्याख्या का विश्लेषण करने पर केंद्रित था।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

ए) हमने योजना की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया और कर मुकद्दमेबाजी मामलों पर प्रबंधन के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है।

बी) हमने संभावित बहिर्प्रवाह और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की। इन अनिश्चित कर/ गैर कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय कानूनी प्राथमिकता और अन्य फैसलों पर विचार किया गया।

सी) इसके अतिरिक्त, हमने ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में प्रबंधन निर्णयों, उद्योग स्तर के विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमान व बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों की अभिमत पर विश्वास किया।

डी) प्रमुख विवादित गैर-कर मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा चुनिंदा प्रमुख पत्राचार, आंतरिक/ बाह्य कानूनी राय/ परामर्श को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया।

ई) बैंक/अन्य कॉर्पोरेट के मामले में एक-समान मामलों में जहां भी उपलब्ध हो, वहां अन्य कानूनी घोषणाओं की समीक्षा और सत्यापन किया गया।

एफ) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की गई और प्रावधानों का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित प्रमुख धारणाओं का मूल्यांकन किया गया।

जी) विवादित गैर-कर मामलों के संभावित परिणाम के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णयों पर विश्वास किया।

5. अन्य मामले

ए) हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 903 शाखाओं, 20 अन्य कार्यालय एवं 4 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2025 तक रु. 2,01,132.37 करोड़ की कुल संपत्ति को दर्शाती है और उस वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.15,206.72 करोड़ है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उल्लिखित है। 31 मार्च 2025 तक इन शाखाओं और प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा अग्रिम का 47.45%, जमा का 42.59% और गैर-निष्पादित आस्तियों का 22.76% और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 45.16% कवर किया जा रहा है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है और अब तक हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है जो पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

बी) 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिनमें से एक पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा फर्म हैं और उन्होंने 09 मई 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर असंशोधित अभिमत व्यक्त की है।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी हमें इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उक्त वर्णित अन्य जानकारी जब यह उपलब्ध हो, को पढ़ना है और इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भौतिक रूप से ग़लत वर्णित गया है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रमुख

वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की जानकारी पढ़ते हैं, अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई मिथ्य कथन है, तो हमें इस मामले को गवर्नेंस के प्रभारी को सूचित करना आवश्यक होगा ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी तथा उन पर गवर्नेंस का प्रभार है

7. बैंक का निदेशक मंडल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ,जिसमें लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जोकि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल है ।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने या परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक परिचानगत संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करता है और लेखांकन के आधार पर परिचालनगत संस्था का उपयोग करता है। निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियां

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएओं के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री की गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी ।गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, माना जाता है । इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं । साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर , उनका आकलन करते हैं , चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों
- प्रबंधन के द्वारा उयपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।
- लेखांकन के के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने होगा । हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को

चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।

- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्याकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिणाम है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से , जिसके कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में गवर्नेंस के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं ।

हम उन लोगों को जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है , उन्हें भी यह विवरणी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों जो कि हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संवाद करने के लिए विचार किया जा सकता है।

उन प्रभारों के संबंध में गवर्नेंस को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। जबतक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार जनहित लाभ कम हो जाएंगे।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।

उपरोक्त पैराग्राफ 5,7 से 8 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार इसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) बैंक के वे सभी लेन-देन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

सी) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

10. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस. एआरजी.6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार " सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उत्तरवर्ती संसूचना दिनांकित 19 मई, 2020 के साथ पठित , हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं :

ए) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यहाँ तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

बी) वित्तीय लेन-देन या मामलों पर कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सी) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती है।

डी) खातो और अन्य मामलों से जुड़े मामलों के अनुरक्षण से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ई) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध**-ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2025 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।

11. हम साथ ही यह रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के

प्रयोजनों के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त खाता बही विवरणियों से प्राप्त की गयी हैं और उन शाखाओं से जिनका हमने दौरा नहीं किया है वहाँ से हमें लेखापरीक्षण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं।

बी) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी के प्रवाह का विवरण और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ जहां हम नहीं गए, खाता बहियों के साथ हैं।

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है ।

डी) हमारी राय में, तुलन पत्र , लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते आर देवेंद्र कुमार व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 114207डब्ल्यू

पीयूष पित्रोदा
साझेदार
एम. नं.: 188843
यूडीआइएन25188843बीएमजेजीटीपी7041

कृते तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 304124ई

पी वेणुगोपाल राव
साझेदार
एम. नं.: 010905
यूडीआइएन:25010905बीएमओएचटीक्यू3698

कृते लक्ष्मी तृप्ति व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009189सी

विवेक मेहता
साझेदार
एम. नं.:415118
यूडीआइएन : 25415118बीएनजीएजीयू6170

कृते संजीव ओमप्रकाश गर्ग व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:008773सी

अनूप मितना
साझेदार
एम. नं.:405289
यूडीआइएन :25405289बीएमकेटीकेएल8812

दिनांक: मई 02, 2025
स्थान : चेन्नै

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 10(ई) में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. संख्या. 6270/ 08.91.001/ 2019-20 दिनांकित 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई सूचना") के माध्यम से अपेक्षित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने 31 मार्च 2025 तक **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** ("बैंक") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ आनुषंगिक है, जिसमें बैंक की शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन के दायित्व

बैंक की प्रबंधन और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारत के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आइसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए लेखा परीक्षण (एसएएस) पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया, आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक किया है । उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो ।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के प्रकरण में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण के लिए बैंक की आंतरिक वित्तीय विषय पर वित्तीय विवरणी से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे

हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री का गलत विवरण हो सकता है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है । इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगाड़ सकता है ।

अभिमत

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर टिप्पणी, मार्गदर्शन में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड पर आधारित था ।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जो 923 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है जो कि उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है ।

कृते आर देवेंद्र कुमार व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 114207डब्ल्यू

पीयूष पित्रोदा
साझेदार
एम. नं.: 188843
यूडीआइएन25188843बीएमजेजीटीपी7041

कृते लक्ष्मी तृप्ति व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009189सी

विवेक मेहता
साझेदार
एम. नं.:415118
यूडीआइएन : 25415118बीएनजीएजीयू6170

कृते तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 304124ई

पी वेणुगोपाल राव
साझेदार
एम. नं.: 010905
यूडीआइएन:25010905बीएमओएचटीक्यू3698

कृते संजीव ओमप्रकाश गर्ग व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:008773सी

अनूप मितना
साझेदार
एम. नं.:405289
यूडीआइएन :25405289बीएमकेटीकेएल8812

दिनांक: मई 02, 2025
स्थान : चेन्नै

Experience
Premium Banking
with our
VISA Credit Cards
Platinum | Signature



Earn Reward Points with Nth Rewards

Luxury Airport Transfers & Immigration Services Discounts

1% Flat Cashback on selected transactions

Emergency Card Replacement & Emergency Cash Disbursement



T&C Apply

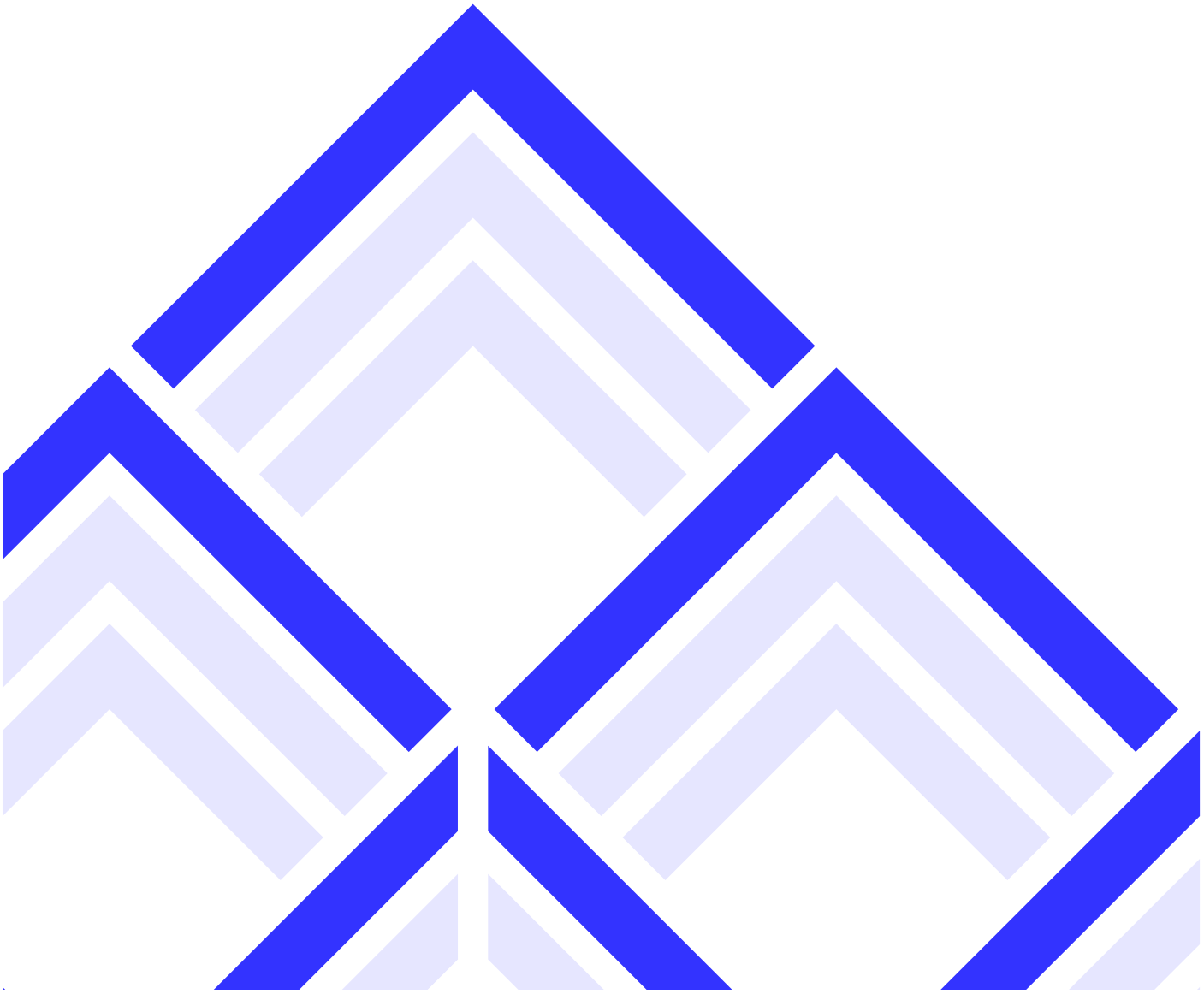
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

89 Years of Trust & Excellence

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

वार्षिक खाता समेकित

31 मार्च 2025



समेकित तुलन-पत्र 31.03.2025

रु. हजार में

	अनुसूचियाँ	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पूंजी व देयताएँ			
पूंजी	**01**	19256 58 98	18902 41 23
आरक्षितियाँ और अधिशेष	**02**	12976 75 83	8659 03 68
जमाएँ	**03**	311938 82 39	286121 48 17
उधार	**04**	42227 66 32	30387 16 55
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	**05**	8308 13 45	7799 22 55
कुल		**394707 96 97**	**351869 32 18**
आस्तियाँ			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	**06**	18115 87 16	16905 53 65
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	**07**	3103 76 35	1909 36 41
निवेश	**08**	110587 96 89	99193 91 53
अग्रिम	**09**	245555 16 84	213330 13 18
अचल आस्तियां	**10**	4654 82 10	3740 18 82
अन्य आस्तियाँ	**11**	12690 37 63	16790 18 59
कुल		**394707 96 97**	**351869 32 18**
आकस्मिक देयताएँ	**12**	159405 16 51	195742 15 63
संग्रहण के लिए बिल		17088 33 51	19119 00 64
मूल लेखाकरण नीतियाँ	**17**		
लेखों पर टिप्पणियाँ	**18**		

अनुसूचियाँ तुलन – पत्र का अंग है ।

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व सीईओ

श्रीनिवासन श्रीधर
अध्यक्ष

नीलम अग्रवाल
निदेशक

संजया रस्तोगी
निदेशक

बी चंद्रा रेड्डी
निदेशक

सोनाली सेन गुप्ता
निदेशक

सुरेश कुमार रुंगटा
निदेशक

दीपक शर्मा
निदेशक

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 02 मई, 2025

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता

रु. हजार में

	अनुसूचियाँ	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
आय			
अर्जित ब्याज	13	28143 64 15	24065 66 70
अन्य आय	14	5606 66 67	5665 30 30
योग		**33750 30 82**	**29730 97 00**
व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	17244 47 60	14226 50 04
परिचालन व्यय	16	7756 26 52	8730 53 03
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (नेट)		5354 06 33	4108 27 92
योग		**30354 80 45**	**27065 30 99**
लाभ / हानि (-)			
वर्ष के लिए लाभ / हानि (-)		3395 50 37	2665 66 01
अग्रणित लाभ / हानि (-)		(14473 93 34)	(16454 44 77)
योग		**(11078 42 97)**	**(13788 78 76)**
विनियोजन			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण		833 67 63	663 90 62
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण		482 05 67	8 92 77
पूंजी आरक्षितियों में अंतरण		43 69 06	12 31 19
विशेष आरक्षित को अंतरण		100 00 00	0
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)		0	0
तुलन – पत्र में अग्रेषित शेष राशि		(12537 85 33)	(14473 93 34)
योग		**(11078 42 97)**	**(13788 78 76)**
मूल एवं घटाए गए शेयर अर्जन (रु.)		1.76	1.40
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)		10.00	10.00

नोट: अन्य आय में एसोसिएट से लाभ शामिल है

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग है ।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए
सनदी लेखाकार के लिए एवं उनकी ओर से

आर देवेंद्र कुमार व एसोसियेट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

(पीयूष पित्रोदा)
साझेदार
एम संख्या:188843

तेज राज व पाल
एफआरएन 304124ई

(पी वेणुगोपाल राव)
साझेदार
एम संख्या: 010905

लक्ष्मी तृप्ति व एसोसियेट्स
एफआरएन 009189सी

(विवेक मेहता)
साझेदार
एम संख्या : 415118

संजीव ओम प्रकाश गर्ग एंड कंपनी
एफ़आरएन: 008773सी

(अनूप मितना)
साझेदार
एम संख्या :405289

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 02 मई, 2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

रू. हज़ार में

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह		
निवल लाभ / (हानि)	33 95 50 38	26 65 66 03
करों हेतु प्रावधान	11 77 01 09	7 57 08 35
आयकर से पहले निवल लाभ / (हानि)	**45 72 51 47**	**34 22 74 38**
के लिए समायोजन:		
एचटीएम निवेशों के लिए परिशोधन	82 19 57	45 27 60
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन से हुई हानि	0	(7 49 91 77)
स्थिर आस्तियों से पर मूल्यह्रास	3 94 45 57	3 36 36 92
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि	(1 79 59)	(2 21 43)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	8 25 34 84	27 15 67 13
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	35 85 27 83	(1 12 22 29)
निवेशों पर मूल्यह्रास (एनपीआई के लिए प्रावधान का निवल)	(24 53 74)	6 37 00 59
उतार-चढ़ाव के कारण मूल्यह्रास प्रावधान	(69 18 66)	0
अन्य मदों हेतु प्रावधान	(1 97 19 89)	1 27 24 15
टियर II बॉन्ड्स पर ब्याज	1 92 45 92	2 27 69 10
	47 87 01 85	**32 24 90 00**
निम्नवत के लिए समायोजन :		
जमाओं में वृद्धि/ (कमी)	258 17 34 22	251 47 89 14
उधारियों में वृद्धि/(कमी)	118 40 49 77	98 83 39 36
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)	(24 66 70 83)	17 22 34 87
निवेशों में (वृद्धि)/ कमी	(114 51 71 19)	(54 83 75 93)
अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(330 50 25 05)	(379 78 12 27)
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/ कमी	8 32 78 22	(4 75 34 39)
	(84 78 04 86)	**(71 83 59 22)**
प्रत्यक्ष कर (निवल)	**19 58 06 26**	**(5 83 00 00)**
परिचालन गतिविधियों से/(हेतु प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह (क)	**28 39 54 71**	**(11 18 94 84)**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल आस्तियों की बिक्री/ निपटान	24 35 69	5 96 76
अचल आस्तियों की खरीद	(6 03 27 37)	(3 65 25 82)
निवेश गतिविधियों से/(हेतु प्रयुक्त) सृजित निवल नकदी (ख)	**(5 78 91 69)**	**(3 59 29 06)**
वित्त पोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
टियर I और टियर II बांडों का मोचन/अन्य उधार/पूंजी में वृद्धि	14 32 77 70	(3 00 00 00)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

रू. हज़ार में

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
टियर I और टियर II बांडों का मोचन/अन्य उधार/पूंजी में वृद्धि	0	0
आरक्षितियों/ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों में परिवर्तन	(9 61 36 12)	0
आइओबी बॉन्ड पर प्रदत्त ब्याज	(3 27 31 16)	(2 27 69 10)
वित्तीय गतिविधियों से सृजित/(हेतु प्रयुक्त) निवल नकदी (ग)	**1 44 10 43**	**(5 27 69 10)**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)	**24 04 73 45**	**(20 05 93 00)**
वर्ष के प्रारम्भ में नकद व नकद समतुल्य		
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद व शेष	169 05 53 65	171 50 18 08
बैंकों के साथ शेष और मांग-द्रव्य	19 09 36 41	36 70 64 98
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य		
नकद व भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष	181 15 87 16	169 05 53 65
बैंकों के साथ शेष और मांग-द्रव्य	31 03 76 35	19 09 36 41
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमी	**24 04 73 45**	**(20 05 93 00)**

यह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है ।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के निष्पादन और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार पुष्टि करने के लिए पुनः समूहीकृत किया गया है ।

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व सीईओ

नीलम अग्रवाल
निदेशक

संजया रस्तोगी
निदेशक

बी चंद्रा रेड्डी
निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

श्रीनिवासन श्रीधर
अध्यक्ष

सोनाली सेन गुप्ता
निदेशक

सुरेश कुमार रुंगटा
निदेशक

दीपक शर्मा
निदेशक

समतिथि को हमारी रिपोर्ट के जरिए और की ओर से
सनदी लेखाकार

आर देवेंद्र कुमार व एसोसियेट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

(पीयूष पित्रोदा)
साझेदार
एम संख्या:188843

लक्ष्मी तृप्ति व एसोसियेट्स
एफआरएन 009189सी

(विवेक मेहता)
साझेदार
एम संख्या : 415118

तेज राज व पाल
एफआरएन 304124ई

(पी वेणुगोपाल राव)
साझेदार
एम संख्या: 010905

संजीव ओम प्रकाश गर्ग एंड कंपनी
एफ़आरएन: 008773सी

(अनूप मितना)
साझेदार
एम संख्या :405289

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 02 मई, 2025

अनुसूची -1
पूंजी

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
प्राधिकृत पूंजी		
प्रत्येक रूपये 10/- के 2500,00,00,000 शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक रूपये 10/- के 2500,00,00,000 शेयर)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
निर्गमित , अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी		
"प्रत्येक 10/- रुपये के 1925,65,89,795 इक्विटी शेयर (इसमें प्रत्येक 10/- रुपये भारत सरकार द्वारा धारित 1821,83,26,570 इक्विटी शेयर के शामिल हैं)"	**19256 58 98**	**18902 41 23**
विगत वर्ष 10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 1890,24,12,256 इक्विटी शेयर। (भारत सरकार द्वारा धारित 10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 1821,83,26,570 इक्विटी शेयर शामिल हैं)		

अनुसूची -2
आरक्षितियाँ व अधिशेष

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. सांविधिक आरक्षितियाँ		
अथ शेष	4750 63 46	4086 72 84
जोड़ें: परिवर्धन	833 67 63	663 90 62
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग -I	**5584 31 09**	**4750 63 46**
II. पूंजी आरक्षिति		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		
अथ शेष	2722 63 49	2753 15 36
जोड़ें: परिवर्धन	672 99 16	9 87 87
घटाएँ : कटौतियाँ	22 65 60	40 39 74
योग – अ	**3372 97 05**	**2722 63 49**
आ. आस्तियों की बिक्री पर		
अथ शेष	2169 75 76	2157 44 57
जोड़ें: परिवर्धन	22 65 60	12 31 19
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग- आ	**2213 44 82**	**2169 75 76**
इ . अन्य		
अथ शेष	153 24 38	153 22 07
जोड़ें: परिवर्धन	3 93	2 31
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0

योग -इ	**153 28 31**	**153 24 38**
योग -II (अ,आ एवं इ)	**5739 70 18**	**5045 63 63**
III. शेयर प्रीमियम		
अथ शेष	8557 90 11	8557 90 11
जोड़ें: परिवर्धन	1078 59 94	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग-III	**9636 50 05**	**8557 90 11**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ		
अ. अन्य राजस्व आरक्षितियाँ		
अथ शेष	3291 07 93	3246 11 57
जोड़ें: परिवर्धन	117 12 27	44 96 04
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - अ	**3408 20 20**	**3291 07 61**
आ. निवेश आरक्षिति खाते		
अथ शेष	97 95 58	97 95 58
जोड़ें: परिवर्धन	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	979558	0
योग – आ	**0**	**97 95 58**
इ विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति		
अथ शेष	999 76 63	989 08 56
जोड़ें: परिवर्धन	152 08 45	112 02 90
घटाएँ : कटौतियाँ	(6 05 01)	101 34 82
योग – इ	**1157 90 09**	**999 76 63**
ई. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियाँ खाता		
अथ शेष	390 00 00	390 00 00
जोड़ें: परिवर्धन	100 00 00	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग – ई	**490 00 00**	**390 00 00**
उ. सामान्य आरक्षित निधि-ट्रेजरी		
अथ शेष	0	0
जोड़ें: परिवर्धन	(1315 57 17)	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - उ	**(1315 57 17)**	**0**
ऊ . एएफ़एस आरक्षित निधि		
अथ शेष	0	0
जोड़ें: परिवर्धन	392 19 56	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - ऊ	**392 19 56**	**0**

ए. विशेष आरक्षितियाँ - सरकारी गारंटीकृत एस.आर.		
अथ शेष	0	0
जोड़ें: परिवर्धन	421 37 16	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - ए	**421 37 16**	**0**
योग - IV (अ,आ,इ,ई,उ,ऊ एवं ए)	**4554 09 84**	**4778 79 82**
V. लाभ एवं हानि खाता	**(12537 85 33)**	**(14473 93 34)**
योग (I, II , III, IV एवं V)	**12976 75 83**	**8659 03 68**

अनुसूची -3
जमाएँ

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	**31.03.2024** तक
अ. I. मांग जमाएँ		
i) बैंकों से	1558 27 74	257 64 87
ii) अन्यों से	26568 34 59	22677 82 14
योग - I	**28126 62 33**	**22935 47 01**
II. बचत बैंक जमाएँ	**108034 82 03**	**102589 41 20**
III. मियादी जमाएँ		
i) बैंकों से	3 64	566 65 84
ii) अन्यों से	175777 34 38	160029 94 12
योग - III	**175777 38 03**	**160596 59 96**
योग – अ (I,II एवं III)	**311938 82 39**	**286121 48 17**
अ. I) भारत की शाखाओं में जमाएँ	303415 25 66	278967 49 60
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएँ	8523 56 73	7153 98 57
योग आ	**311938 82 39**	**286121 48 17**

(पुनर्ग्रहणाधिकार के अधीन जमाएँ - नोट क्रमांक 10 का संदर्भ लें)

अनुसूची -4
लिए गए उधार

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. भारत में लिए गए उधार		
भारतीय रिज़र्व बैंक	1946 00 00	7000 00 00
अन्य बैंकों से	3366 95 00	2118 67 50
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	20599 66 34	12121 97 00
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	0	0
बॉन्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	0	0
गौण कर्ज	**2165 00 00**	**2165 00 00**
योग (I)	**28077 61 34**	**23405 64 50**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	**14150 04 98**	**6981 52 05**
योग (I एवं II)	**42227 66 32**	**30387 16 55**
ऊपर I एवं II में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	**25912 61 34**	**21240 64 50**

अनुसूची -5
अन्य देयताएँ व प्रावधान

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. देय बिल	628 52 03	811 73 08
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
III. उपचित ब्याज	267 65 07	402 50 31
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	7411 96 35	6584 99 16
योग	**8308 13 45**	**7799 22 55**

अनुसूची -6
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व शेष

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा व एटीएम नकदी सम्मिलित है)	1235 14 95	1263 92 73
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष		
i) चालू खाते में शेष	11784 64 61	9095 13 31
ii) अन्य खातों में शेष	5096 07 60	6546 47 61
योग (I व II)	**18115 87 16**	**16905 53 65**

अनुसूची -7
बैंकों में शेष और मांग तथाके पास नकदी व शेष
अल्प सूचना पर प्राप्य धन

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
अ) चालू खातों में	13 78 82	8 84 40
आ) अन्य जमा खातों में	244 79 31	236 89 25
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
अ) बैंकों के साथ	0	0
आ) अन्य संस्थाओं के साथ	0	0
योग -I (i व ii)	**258 58 13**	**245 73 65**
II. भारत के बाहर		
अ) चालू खातों में	846 39 85	790 68 07
आ) अन्य जमा खातों में	535 68 11	3 65 60
इ) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	1463 10 26	869 29 09
योग -II (i,ii एवं iii)	**2845 18 22**	**1663 62 76**
कुल योग (I एवं II)	**3103 76 35**	**1909 36 41**

अनुसूची -8
निवेश

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1. भारत में निवेश		
i)सरकारी प्रतिभूतियाँ	101565 84 30	91652 13 70
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	99 45
iii) शेयर	820 33 62	210 59 69
iv) डिबेंचर और बंध पत्र	3072 22 99	2542 94 34
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	615 64 72	606 90 22
vi) अन्य निवेश (म्यूचुअल फंड, जमाओं की वेंचर पूंजी फंड में निवेश	613 69 58	71 00 75
योग - I	**106687 75 21**	**95084 58 15**
II. भारत के बाहर निवेश		
i)सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	3699 98 63	3867 01 90
ii) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	0	0
iii) अन्य निवेश	200 23 05	242 31 48
योग - II	**3900 21 68**	**4109 33 38**
योग (I एवं II)	**110587 96 89**	**99193 91 53**
भारत में सकल निवेश	107453 95 75	96166 77 00
घटाएँ : मूल्यह्रास	959 64 73	1275 63 04
घटाएँ: पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज		
निवल निवेश	**106494 31 02**	**94891 13 96**
भारत के बाहर सकल निवेश	4100 25 79	4312 13 63
घटाएँ : मूल्यह्रास	6 59 92	9 36 06
निवल निवेश	**4093 65 87**	**4302 77 57**
कुल निवल निवेश	**110587 96 89**	**99193 91 53**

अनुसूची -9
अग्रिम

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
अ. i) क्रय व भुनाए गए बिल	10869 40 73	8338 51 80
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय उधार	92080 18 05	77156 79 24
iii) सावधि उधार	142605 58 06	127834 82 14
योग	**245555 16 84**	**213330 13 18**
आ. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूति (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	177081 13 42	145455 52 89
ii) बैंक/ सरकार की प्रत्याभूति द्वारा संरक्षित	40744 07 61	34358 84 19
iii) अप्रतिभूत	27729 95 81	33515 76 10
योग	**245555 16 84**	**213330 13 18**
इ. I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	113583 52 65	107640 07 65
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	17280 15 88	24336 39 57
iii) बैंक	0	0
iv) अन्य	99292 50 13	64104 10 60
योग	**230156 18 66**	**196080 57 82**
II) भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से बकाया	0	0
ii) अन्यों से बकाया		
• क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	4162 81 04	7339 42 88
• संघबद्ध उधार	5739 25 15	2743 70 69
• अन्य	5496 91 99	7166 41 79
योग	**15398 98 18**	**17249 55 36**
योग (इ-I एवं इ-II)	**245555 16 84**	**213330 13 18**

अनुसूची -10
अचल आस्तियाँ

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. परिसर		
वर्ष के आरंभ में / पुनर्मूल्यांकित लागत पर	4576 16 08	4571 95 99
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	924 86 81	4 20 09
उप-योग	**5501 02 89**	**4576 16 08**
वर्ष के दौरान कटौतियाँ *	29 59	0
	5500 73 30	4576 16 08
अद्यतित मूल्यह्रास	1415 42 71	1378 83 55
कुल -I	**4085 30 59**	**3197 32 53**
II. पूँजीगत चालू कार्य	**74 23 85**	**14 47 85**
कुल - II	**74 23 85**	**14 47 85**
III. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार शामिल हैं)		
वर्ष के आरंभ में लागत	2969 71 86	2717 09 80
वर्ष के दौरान परिवर्धन	291 65 99	346 88 22
उप कुल	**3261 37 85**	**3063 98 02**
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	**67 57 18**	**94 26 16**
	3193 80 68	2969 71 86
अद्यतन मूल्यह्रास	2698 53 02	2441 33 42
कुल - III	**495 27 66**	**528 38 44**
योग (I, II व III)	**4654 82 10**	**3740 18 82**

* 31.03.2025 को विनिमय दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल हैं ।

अनुसूची -11
अन्य आस्तियाँ

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	174 68 34	30 51 35
ii) उपचित ब्याज	5149 12 43	4153 89 68
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	2315 85 70	5450 93 06
iv) लेखन – सामग्री व स्टैम्प	3 49 09	2 51 92
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	16	224 27 48
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखे जमाओं को शामिल करें)	5047 21 91	6928 05 10
योग	**12690 37 63**	**16790 18 59**

अनुसूची -12
आकस्मिक देयताएं

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) बैंक के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	8 03 15	4 87 95
ii) अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	129706 60 38	165998 91 81
iv) ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
क) भारत में	14713 15 35	13137 86 75
ख) भारत के बाहर	179 63 06	157 78 69
v) सकार , पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	6074 74 57	4557 27 58
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
i) पूँजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	454 38 14	100 99 50
ii) करेंसी स्वैप के तहत बैंक देयताएँ	0	0
iii) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	0	0
iv) ब्याज दर स्वैप (आइएनआर)	0	0
v) करेंसी ऑप्शन के तहत बैंक देयता	0	0
vi) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप / एफआरए / प्राप्य प्रभार	0	0
vii) भारिबै के साथ डीईएएफ में राशि	2311 24 26	2003 50 50
viii) आइटी मांग विवाद	5957 19 71	9780 74 96
ix) अन्य	6 29	6 29
योग	**159405 16 51**	**195742 15 63**

अनुसूची -13
अर्जित ब्याज

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) ब्याज/ अग्रिम बट्टा/ बिल	20182 79 36	17576 70 83
ii) निवेशों पर आय	7042 41 37	5951 69 85
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	183 30 95	237 64 69
iv) अन्य	735 12 47	299 61 33
योग	**28143 64 15**	**24065 66 70**

अनुसूची -14
अन्य आय

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) कमीशन , विनिमय और दलाली	1502 43 11	1330 75 12
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ / हानि	524 33 04	272 94 33
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / हानि	0	749 91 77
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ	1 79 59	2 21 43
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ / हानि	38 91 58	193 05 32
vi) विविध आय	3539 19 35	3116 42 33
योग	**5606 66 67**	**5665 30 30**

अनुसूची -15
खर्च किया गया ब्याज

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) जमाओं पर ब्याज	15012 16 63	12614 68 60
ii) भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	2232 24 75	1611 87 55
iii) अन्य	6 22	(6 11)
योग	**17244 47 60**	**14226 50 04**

अनुसूची -16
परिचालन व्यय

रु. हजार में

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	4669 17 00	6143 27 79
ii) भाड़ा, कर और विद्युत	560 38 09	528 71 82
iii) मुद्रण और लेखन सामग्री	34 98 11	32 87 88
iv) विज्ञापन और प्रचार	10 42 06	5 10 10
v) बैंकों की संपत्ति पर मूल्यह्रास	395 22 98	336 36 92
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	1 18 79	1 15 40
vii) लेखा परीक्षकों की फीस व खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	41 57 70	30 39 11
viii) विधि प्रभार	29 97 65	31 29 67
ix) डाक, तार, टेलीफोन, आदि	63 89 56	61 32 40
x) मरम्मत व अनुरक्षा	45 90 74	40 00 88
xi) बीमा	410 87 80	350 23 03
xii) अन्य व्यय	1492 66 04	1169 78 03
योग	**7756 26 52**	**8730 53 03**

अनुसूची -17

बैंक की प्रमुख लेखांकन नीतियाँ – समेकित

1. तैयारी का आधार

1.1 बैंक का वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपचित अवधारणा एवं कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। यह भारत में सामान्तया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक / मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं । विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया जाता है।

1.2 समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक और उसके संयुक्त उद्यमों व सहयोगियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

क) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (मूल) का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

ख) संयुक्त उद्यम का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी एएस 27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार 'आनुपातिक समेकन'।

ग) आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" के अनुसार 'इक्विटी पद्धति' के तहत 'एसोसिएट्स' में निवेश के लिए लेखांकन।

आकलन का प्रयोग

1.3 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को ऐसे आकलन व अनुमान लगाने होते हैं जिनने वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व चिन्हित और व्यय लेखांकन

2.1 आय को अर्जक परिसंपत्तियों पर उपार्जन के आधार पर पहचाना जाता है।

अनर्जक परिसंपत्तियों के मामले में वसूली पहले मूलधन के लिए और शेष राशि, यदि कोई हो, एवं तत्पश्चात ब्याज और शुल्क के लिए विनियोजित की जाती है।

मुकदमा दायर खातों के मामले में वसूली मूलधन के लिए या संबंधित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विनियोजित की जाएगी।

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के तहत वसूली मूलधन के लिए विनियोजित की जाएगी और मूलधन से अधिक राशि को ब्याज के लिए समायोजित किया जाएगा।

यदि किसी उधारकर्ता खाते को पिछली तारीख से एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो वर्गीकरण की ऐसी वर्तमान

तिथि तक की कोई भी वसूली पहले ब्याज के लिए और शेष राशि, यदि कोई हो, मूलधन के लिए विनियोजित की जाती है। ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों में की गई बाद की वसूली पहले मूलधन के लिए और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और शुल्क के लिए विनियोजित की जाती है।

एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण बिक्री मूल्य से प्राप्त नकदी घटक की सीमा तक तब किया जाता है जब बिक्री रकम निवल बही मूल्य से अधिक (अर्थात प्रावधान घटाकर बही बकाया) होती है ।

एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत खातों को मुकदमा दायर खातों के रूप में माना जाएगा और इन एनसीएलटी खातों में वसूली का विनियोजन चाहे वह कॉर्पोरेट देनदार या गारंटरों के विरुद्ध शुरू की गई प्रक्रिया से ही हो उन्हें मुकदमा दायर खातों के समान ही माना जाएगा।

एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में ऋण-पत्र/ इक्विटी/ अन्य ऋण या इक्विटी या अर्ध इक्विटी लिखत आदि के माध्यम से वसूली नकद वसूली के रूप में उसी तरह की जाएगी जैसा कि वाद दायर खातों में किया जाता है, अर्थात पहले मूलधन के रूप में और शेष राशि ब्याज के रूप में।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन(साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में गणना में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 निष्क्रिय बचत बैंक खाते,अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है ।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब देश में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन-देन का लेखांकन, लेखांकन मानक (एएस)11 के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के अनुसरण में किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्समय पर लागू एफईडीएआई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष को समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू एफईडीएआई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेन-देन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) एफईडीएआई द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को ''अन्य देयताएँ व प्रावधान' '/ ''अन्य आस्ति खाता' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोड़कर जहाँ खातों का समायोजन अंतिम दरों पर किया जाता है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बहियों में उनके लेन-देन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. जैसा कि लेखांकन मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न परिचालन माना जाता है।

ख. परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में के भारतीय विदेशी

मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को एफईडीएआई द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणामी विनिमय के अंतर को अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती'' नामक अलग खाते में जमा किया जाता है ।

4. निवेश

4.1 आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी स्वयं की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को छोड़कर) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेंगे, अर्थात, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उप-श्रेणी होगी।

प्रत्येक प्रतिभूति (एनपीआई के अलावा) के अंकित मूल्य की तुलना में अधिग्रहण लागत का प्रीमियम/छूट, यदि कोई हो, को परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी कटौती प्रणाली पर परिशोधित/ उपार्जित किया जाता है।

निवेशों का प्रकटीकरण छह वर्गीकरणों के तहत किया जाता है, अर्थात,

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) बांड और ऋण-पत्र,

ङ) सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम और

च) अन्य (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)।

4.2 म्युचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1. "लाभ और हानि आधारित उचित मूल्य" (एफवीटीपीएल)" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही अंतराल पर बाजार में अंकित किया जाता है। एचएफटी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक आधार पर बाजार में अंकित किया जाता है।

केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/ एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/ निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू के क्रम में उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है ।

वरीयता शेयरों का मूल्यांकन पीडीएआई (भारतीय प्राथमिक डीलर संघ)/ एफबीआईएल द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित वाइटीएम दरों पर उचित मार्क-अप के साथ वाइटीएम आधार पर किया जाता है।

उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर, एएफएस के अंतर्गत रखे गए सभी अर्जक निवेशों (जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, बांड और डिबेंचर इत्यादि) में मूल्यांकन लाभ और हानि को एकत्रित किया जाएगा, चाहे उनका वर्गीकरण कुछ भी हो । निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को सीधे एएफएस-आरक्षितियों नामक आरक्षिति में क्रेडिट या डेबिट किया जाएगा। एफवीटीपीएल में रखी गई अर्जक प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में क्रेडिट या डेबिट किया जाएगा।

लेखा बही में निर्धारित अंतराल पर मूल्यांकन के कारण व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन होगा।

4.3.2. "परिपक्वता तक धारित": ऐसे निवेश अधिग्रहण लागत/ परिशोधित लागत/वहन मूल्य पर किए जाते हैं।

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और प्रायोजित संस्थानों में निवेश का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।

4.4 निवेश, एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और तदनुसार, जहाँ कहीं लागू हो, प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी श्रेणी (जैसे ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और एफवीटीपीएल) में निवेश की बिक्री पर लाभ/ हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है।

"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, करों के बाद निवल लाभ और सांविधिक आरक्षितियों में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को "पूंजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया जाता है।

एएफएस श्रेणी में ऋण साधन की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस-आरक्षित खाते से स्थानांतरित किया जाएगा और लाभ और हानि खाते में विनियोजित किया जाएगा ।

प्रारंभिक निर्धारण के समय एएफएस के तहत नामित इक्विटी उपकरणों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं की जाएगी। इसके बजाय, ऐसे लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व से पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन/प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिया जाता है। ट्रेज़री बिलों के मामले में खंडित अवधि ब्याज नहीं होता है। आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानि डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा – जोखा किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है ।

4.10 सभी निवेश सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित किया जाता है ।

4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है ।

4.12 तुलन-पत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया जाता है।

4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया जाता है । अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी उन निवेशों से नेट किया गया है ।

4.14 किसी निवेश को उसकी खरीद के समय एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में उसके वर्गों में अंतरण, सिर्फ एचएफटी से एएफएस श्रेणी में अदला-बदली/ अंतरण को छोड़कर, अधिग्रहण लागत/बुक वैल्यू/बाजार मूल्य के आधार पर अन्य वर्गों में वर्ष में एक बार, निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है ।

ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है और प्रतिभूति का बही मूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का ऐसा अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की अनुमति या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.15 भारतीयरिज़र्वबैंककेपरिपत्रसंख्याआरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.0489/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक इनवेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में प्रतिफल में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए: -

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है ,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

5.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं, जिसके अनुसार संबंधित ऋणों/ अग्रिमों खातों प्रावधानीकरण के अतिरिक्त ऋण / अग्रिम की पुनर्संरचना के पूर्व व बाद के उचित मूल्य को घटाया जाता है । उचित मूल्य में कमी और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज में कमी , यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया जाता है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

6. डेरिवेटिव्स

6.1 ब्याज सहित आस्तियों/ देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2 प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति/देयता जो भी पहले हो,पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3 उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ-हानि खाते में पहचाना/मान्य किया जाता है। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र व उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी कटौती प्रणाली पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

क्रम	फर्नीचर का प्रकार	मूल्यह्रास %
1	परिसर	2.50%
2	फर्नीचर और जुड़नार (धातु और लकड़ी)	10%
3	विद्युत प्रतिष्ठापन	20%
4	वाहन	20%
5	कंप्यूटर	33.33%
6	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	33.33%
7	अग्निशामक यंत्र और ऐसी संपत्तियाँ जिनका मूल्य 1000/- रुपये से अधिक लेकिन 5000/- रुपये से कम है	100%

अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है, तथा समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में स्थानांतरित की जाती है।

7.3 फर्नीचर/ जुड़नार का पूंजीकरण वस्तुओं की प्रकृति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

7.4 अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तिथि पर ध्यान दिए बिना पूरे वर्ष के लिए परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। (सीधी कटौती प्रणाली के तहत)

7.5 परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास केवल तभी अनुमत है जब परिसंपत्तियों को खरीदे गए वर्ष में उपयोग में लाया गया हो।

7.6 यदि एकल परिसंपत्ति का मूल्य 1000/- रुपये से कम या उसके बराबर है, तो बैंक परिसंपत्ति का पूंजीकरण नहीं करेगा

और परिसंपत्तियों को राजस्व व्यय के रूप में मानेगा। इसलिए, इस मामले में, परिसंपत्ति पूंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगी।

7.7 यदि एकल परिसंपत्ति का मूल्य 1000/- रुपये से अधिक लेकिन रुपये 5000/- से कम है, तो यह पूंजीकरण के लिए पात्र होगी। हालांकि, वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्ति के मूल्य के 100% की सीमा तक मूल्यह्रास लागू होगा। उसके बाद, यह मूल्य बही में रुपये 1/- होगा।

7.8 जहां अलग-अलग लागतों का पता नहीं लगाया जा सकता है वहाँ भूमि और भवन पर समग्र रूप से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है ।

7.9 लीजहोल्ड संपत्तियों के संबंध में, प्रीमियम को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

7.10 विदेशी शाखाओं की अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास संबंधित देशों के लागू कानूनों/ प्रक्रियाओं के अनुसार प्रदान किया जाता है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन पद्धति के अंशदान के लिए लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर:

बैंक द्वारा आयकर व्यय मौजूदा कर व आस्थगित कर व्यय की कुल राशि अदा की गई है । मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण, विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर , जो कि संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है , को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व " आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है। आस्थगित कर समायोजन में आस्तिगत कर आस्ति या देयता में वर्ष के दौरान होने वाले बदलाव शामिल हैं। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की गणना वर्तमान वर्ष में कर योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच समयांतर के प्रभाव और अगले लाभ से घाटा-पूर्ति को विचार में लेकर की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनर्मूल्यांकन, प्रबंधन के निर्णय के आधार पर कि उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित मानी जाए या नहीं। आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य में होने वाले लाभ से कर घाटा-पूर्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता के साथ इस बात का पुख्ता सबूत हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के प्रति वसूल किया जा सकता है।

10. प्रति शेयर अर्जन

सनदी लेखाकंन संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "(प्रति शेयर अर्जन)" के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है, सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोई घाटा हो तो, उसे लाभ एवं हानि खाते में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीय रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है ।

13. प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए लेखांकन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों" के अनुसरण में बैंक, प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, ये भी संभवना है कि जब बाध्यताओं की राशि के लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके तब बाध्यताओं को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह हो सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन-देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्ति, यदि कोई हो तो उसे मान्यता नहीं दी जाती है या उसका प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

अनुसूची 18
समेकित वित्तीय विवरण 2024-25 के खातों पर नोट्स

1. समेकित वित्तीय विवरण में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) और बैंक के निम्नलिखित अनुषंगी और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण शामिल हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निवेश का प्रकार	निगमन का देश	होल्डिंग का %
1	ओडिशा ग्राम्य बैंक	एसोसिएट्स	भारत	35%
2	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (31.12.2024 तक)	संयुक्त उद्यम	मलेशिया	35%

1.1. बैंक का यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 18.06% हिस्सेदारी है। चूंकि कंपनी में शेयरधारिता 25% से कम है, इसलिए इसे मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना गया है ।

1.2. समेकित वितीय विवरणी में संयुक्त उपक्रम के हित को एएस 27 (संयुक्त उपक्रम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) की अनुपातिक समेकित पद्धति के अनुसार लेखे में शामिल किया गया है। तदनुसार, एफसीटीआर का दर्शाने वाले संयुक्त उपक्रम में रु 15.86 करोड़ के निवेश की रखाव लागत से ऊपर, निवल आस्तियों में अधिकता के हिस्से को आरक्षिती एवं अधिशेष के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है, यह ट्रांसलेशन अंतर को दर्शाता है।

1.3. एसोसिएट्स में निवेश के संबंध में, जिसे एएस 23 (एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार इक्विटी पद्धति के तहत लेखांकित किया गया है, इक्विटी शेयरों में निवेश की अग्रणीत राशि ₹ 606.90 करोड़ को आइओबी की निवल परिसंपत्तियों के हिस्से ₹ 275.52 लाख के प्रति समायोजित किया गया है और शेष ₹ 331.38 करोड़ को मूल्य में गिरावट को पहचानने के लिए रिज़र्व और अधिशेष में शेष के प्रति समायोजित किया गया है ।

2. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम का वित्तीय विवरण:

क) संयुक्त उद्यम इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद के खाते, जिन्हें समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल किया गया है, स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार कैलेंडर वर्ष के आधार पर तैयार किए गए हैं । संयुक्त उद्यम के निगमित खाते 01 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 की अवधि के लिए हैं। 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके लिए समीक्षा न किए गए खातों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में समायोजन की आवश्यकता हो ।

ख. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बैंक की 18.06% हिस्सेदारी है। चूंकि कंपनी में शेयरधारिता 25% से कम है, इसलिए इसे मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना गया है।

ग. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी शामिल है जिसे एएस 27 (संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार आनुपातिक समेकन पद्धति में दर्ज किया गया है। तदनुसार, संयुक्त उद्यम में ₹ 28.34 करोड़ के निवेश की वहन लागत पर शुद्ध परिसंपत्ति की अधिकता का हिस्सा एफसीटीआर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे रिज़र्व और

अधिशेष के तहत रिपोर्ट किया जाता है, यह ट्रांसलेशन अंतर को दर्शाता है।

घ. एसोसिएट्स में निवेश के संबंध में, जिसे एएस 23 (एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार इक्विटी पद्धति के तहत लेखांकित किया गया है, इक्विटी शेयरों में निवेश की अग्रणीत राशि ₹ 606.90 करोड़ को आइओबी की शुद्ध परिसंपत्तियों के ₹ 275.52 करोड़ के हिस्से के प्रति समायोजित किया गया है और शेष ₹ 331.38 करोड़ को मूल्य में गिरावट को पहचानने के लिए रिज़र्व और अधिशेष में शेष के प्रति समायोजित किया गया है।

ङ) संयुक्त उद्यम (आईआईबीएम) के वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के अलावा अन्य आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें जहां उचित हो, बैंक की परिसंपत्ति को निवल वसूली योग्य मूल्य पर लिखना शामिल है। आईआईबीएम ने तब से व्यवसाय समाप्ति चरण में प्रवेश कर लिया है और अपने बैंकिंग लाइसेंस को सरेंडर करने का इरादा बना लिया है। हालाँकि, चालू व्यवसाय के आधार को लागू करने से रोकने के कारण कोई महत्वपूर्ण समायोजन नहीं हुआ।

च) केंद्र सरकार द्वारा 05 अप्रैल, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जो 01 मई, 2025 से प्रभावी होगी, ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक को एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलित कर दिया गया है, जिसे अधिसूचित समामेलन योजना के अनुसार ओडिशा ग्रामीण बैंक कहा जाएगा ।

3. अंतर शाखा समाधान/आंतरिक कार्यालय खाते

शाखाओं और/या केंद्रीय कार्यालय के विभागों में अंतर शाखा लेन-देन और आंतरिक/कार्यालय खातों का समाधान विभिन्न चरणों में किया जा रहा है । बकाया प्रविष्टियों को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । यदि कोई आवश्यक लेखांकन समायोजन आवश्यक है तो ऐसी प्रक्रिया पूरी होने पर किया जाएगा। हालाँकि प्रबंधन लंबित समाधान और बकाया प्रविष्टियों के उन्मूलन के किसी भी भौतिक परिणामी प्रभाव की उम्मीद नहीं करता है।

4. पूंजी और आरक्षितियां

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018, यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआइपी) के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआइबी) को नकद के रूप में ₹ 10 प्रत्येक अंकित मूल्य वाले 35,41,77,539 इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जो ₹ 30.57 प्रति शेयर के प्रीमियम पर कुल मिलाकर ₹ 1436.89 करोड़ हो गए हैं । इसके परिणामस्वरूप जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में ₹ 354.18 करोड़ और शेयर प्रीमियम खाते में ₹ 1078.60 करोड़ (₹ 4.11 करोड़ के शेयर निर्गम व्यय का शुद्ध) की वृद्धि हुई है।
- 31 मार्च, 2025 तक बैंक की चुकता पूंजी ₹ 19,256.59 करोड़ है। 31 मार्च, 2025 तक भारत सरकार की शेयरधारिता 94.61% है ।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने बेसल III टीयर II बांड जारी नहीं किया है।

क) नियामक पूंजी की संरचना

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	2024-25	2023-24
i)	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1) / चुकता शेयर पूंजी और रिज़र्व@ (कटौतियों के बाद, यदि कोई हो)	28 972.20	20 839.72
ii)	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	0.00	0.00
iii)	टीयर 2 पूंजी	28 972.20	20 839.72
iv)	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	4 412.00	4 034.78
v)	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	33 384.20	24 874.50
vi)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और रिज़र्व@	16 9 083.88	1 43 979.05

vii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्लूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	17.13%	14.47%
viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्लूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	17.13%	14.47%
ix)	टीयर 2 अनुपात (आरडब्लूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	2.61%	2.80%
	पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	19.74%	17.28%
	लीवरेज का अनुपात	6.90%	5.66%
x)	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	क) भारत सरकार	94.61%	96.38%
	ख) राज्य सरकार (नाम बताएं)$	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग) प्रायोजक बैंक$	लागू नहीं	लागू नहीं
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	354.18	शून्य
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टीयर 1 पूंजी की राशि	शून्य	शून्य
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि, जिनमें से बेसल III टीयर II बांड	शून्य	शून्य

$ राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता का प्रतिशत केवल आरआरबी के लिए लागू है।

ख) आरक्षितियों से निकासी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान रिज़र्व से निकासी शून्य है।

प्रावधान और आकस्मिकताएं

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
निवेश / बट्टे पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.00	(0.49)
एनपीए के लिए प्रावधान	834.02	2706.49
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	3585.28	(112.22)
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान	(21.26)	(7.37)
आयकर के लिए प्रावधान किया गया (आस्थगित कर सहित)	1177.01	756.92
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	(221.74)	764.71
कुल	**5353.31**	**4108.14**

5. निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/DOR/2023-24/104 DOR.M.RG.36/21.04.141/2023-24 दिनांक 12 सितंबर 2023 के अनुसार, एक निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आइएफआर) तब तक बनाया जाना है जब तक कि आइएफआर की राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो, निरंतर आधार पर, आइएफआर में निम्न में से कम से कम राशि स्थानांतरित करके:

क. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ
ख. वर्ष के लिए निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन घटाएँ

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान आइएफआर को ₹ 100 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है ।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान आइएफआर से शून्य राशि निकाली गई है।

6. कर

6. 1 प्रबंधन की राय में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के तहत प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, बैंक ने एमएटी/आयकर के लिए कोई राशि प्रावधानित नहीं की है ।

6.2 अग्रिम भुगतान किया गया कर (प्रावधानों को छोड़कर) समाधान के अधीन है । यह मूल्यांकन के लिए लंबित राशि/ अपील के अंतर्गत/विवाद के तहत भुगतान किए गए कर के कारण है। [अनुसूची 11(iii) देखें]

6.3 अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों, कुछ न्यायिक घोषणाओं और कर विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए, आकस्मिक देनदारियों के लिए कुल ₹ 4 061.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8450.79 करोड़), कुल ₹ 256.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 238.42 करोड़) सेवा कर और कुल ₹ 1615.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1071.78 करोड़) माल और सेवा कर की विवादित और अन्य मांगों के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक को कुल ₹ 4402.51 करोड़ का आयकर रिफंड मिला है ।

6.4 वर्ष के लिए कर व्यय ₹ 1177.01 करोड़ है जिसमें ₹ 17.01 करोड़ का चालू कर व्यय और ₹ 1160.00 करोड़ का आस्थगित कर व्यय शामिल है - नोट संख्या 18.8 देखें ।

6.5 बैंक का 31 मार्च 2025 तक ₹ 3863.98 करोड़ की निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों पर शेष है, जिसे पिछली अवधि में चिन्हित किया गया था और अनुमानित आधार पर बैंक ने तिमाही (31.03.2025) के लिए ₹ 500.00 करोड़ की आस्थगित कर संपत्ति और 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1160.00 करोड़ को रिवर्स कर दिया है । प्रबंधन की राय में, डीटीए की वहन राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है ।

6.6 बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंक द्वारा चिन्हित एमएसएमई इकाइयों को देय कोई भी बकाया राशि नहीं है, जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से आगे लंबित है और वर्ष के दौरान ऐसे पक्षों के लिए मूल राशि या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान की देयता स्वीकार किए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है ।

6.7 वर्ष के दौरान आयकर के लिए प्रावधान की गई राशि:

(₹. करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
आयकर का प्रावधान	17.01	22.67
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	1160.00	734.24
निवल प्रावधान	1177.01	756.91

7. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंकों को वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए सभी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) का पूरा विवरण प्रकट करना चाहिए, जिसमें उनके मूल्यांकित वित्तीय प्रभाव, साथ ही उनके द्वारा अतीत में जारी किए गए और बकाया एलओसी के तहत उनके मूल्यांकित संचयी वित्तीय दायित्व शामिल हैं, जो उनके प्रकाशित वित्तीय विवरणों में "लेखों पर नोट्स" के भाग के रूप में प्रकट किए जाने चाहिए ।

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	-
31.03.2025 तक बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	3
आकलित वित्तीय प्रभाव	-
संचयी मूल्यांकित वित्तीय दायित्व	

31 मार्च 2025 तक बकाया एलओसी की संचयी स्थिति:

1. वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने बैंकॉक शाखा के संबंध में न्यूनतम 12% सीआरएआर बनाए रखने और प्रतिधारित आय को पूंजी निधि में परिवर्तित करने और/या सीआरएआर को न्यूनतम 12% पर बहाल करने के लिए आगे पूंजी डालने की व्यवस्था करने के लिए एक लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन के अधीन है। 31 मार्च, 2025 तक बैंकॉक शाखा की निर्धारित पूंजी टीएचबी 2,20,00,00,000 (18.24%) है ।

   सबसे खराब स्थिति में शाखा का पूरा टेक्सटाइल एक्सपोजर एनपीए बन सकता है। हमें मानक टेक्सटाइल अग्रिमों के असुरक्षित हिस्से के रूप में टीएचबी 1.644 एमआइओ की सीमा तक अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ सकता है। यदि यह आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कोई अतिरिक्त पूंजी नहीं भेजी जाएगी क्योंकि मौजूदा रिज़र्व असुरक्षित राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

2. वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में एक लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया है। बैंक अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद को वित्तपोषण, व्यवसाय और अन्य मामलों में आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि यह अपने व्यावसायिक संचालन और प्रबंधन के संचालन में मलेशियाई कानूनों, विनियमों और नीतियों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। बैंक नेगारा मलेशिया को जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट का वित्तीय प्रभाव एमवाइआर 330 एमआइओ की चुकता पूंजी के 35% के हमारे हिस्से के बराबर है, यानी, एमवाइआर 115.500 एमआइओ ।

3. मेजबान देश नियामक के दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक ने आइओबी श्रीलंका शाखा द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए 12.09.2019 को आयोजित अपनी बैठक में सीबीएसएल के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है।

8. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों (एएस) के संदर्भ में प्रकटीकरण

8.1 **लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि**, पूर्व अवधि की वस्तुएं और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन
वित्तीय विवरण उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनका 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पालन किया गया था।

8.2 **लेखांकन मानक 9 – राजस्व मान्यता**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों - अनुसूची 17 के मद संख्या 2 में वर्णितानुसार चिन्हित की गई है ।

8.3. **लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ (मूल बैंक)**
बैंक ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-15 (संशोधित) "कर्मचारी लाभ" को अपनाया था ।

1. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:
चिकित्सा लाभ जैसे अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की छूट रहित राशि, जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने की अपेक्षा की जाती है, उस अवधि के दौरान ही मान्य होती है, जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

2. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:
लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार लाभ और हानि खाते और तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त रोजगार के बाद के लाभों और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :

(₹. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13465.63	11314.24	1494.38	1302.17
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
जोड़ें: ब्याज लागत	857.34	776.97	104.53	94.94
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	314.79	332.67	95.59	88.82
घटाएँ: भुगतान किए गए लाभ	(1262.45)	(1135.44)	(97.27)	(92.59)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	979.81	2177.19	49.95	101.03
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14355.12	13465.63	1647.18	1494.38

ख) योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(₹. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	13465.63	11314.25	1494.38	1326.82
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
जोड़ें: योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	1003.10	896.50	108.34	101.62
जोड़ें: नियोक्ता का अंशदान	1080.15	2348.23	105.37	127.30
घटाएँ: भुगतान किया गया लाभ	(1262.45)	(1135.44)	(97.27)	(92.59)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	68.69	42.09	36.36	31.23
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	14355.12	13465.63	1647.18	1494.38
गैर निधिपोषित परिवर्तनीय देयता		--		--

ग) तुलन-पत्र में चिन्हित राशि :

(₹. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
i) वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	14355.12	13465.63	1647.18	1494.38
ii) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	14355.12	13465.63	1647.18	1494.38
iii) अंतर	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) तुलन-पत्र में चिन्हित गैर निधि पोषित निवल देयता	0.00	*(0.00)	0.00	0.00
v) वित्तपोषित निवल परिसंपत्तियों को तुलन-पत्र में चिन्हित किया जाएगा	0.00	0.00	0.00	0.00

घ) लाभ एवं हानि में चिन्हित व्यय:

(₹. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
i) वर्तमान सेवा लागत	314.79	332.67	95.59	88.82
ii) पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
iii) ब्याज लागत	857.34	776.97	104.53	94.94
iv) योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	(1003.10)	(896.50)	(108.34)	(101.62)
v) वर्ष में चिन्हित शुद्ध एक्चुरियल (लाभ)/हानि	911.12	2135.09	13.58	69.80
vi) वर्ष में चिन्हित संक्रमणकालीन दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00
पी एंड एल में चिन्हित व्यय +ii+iii+iv+v+vi)	1080.15	2348.24	105.37	151.94

ङ) पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता:

(आंकड़े % में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
क) ऋण उपकरण/केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	3.40	4.09	8.53	9.13
ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	4.70	3.89	9.25	11.97
ग) पीएसयू/पीएफआई/कॉरपोरेट बांड में निवेश	6.27	6.91	11.13	13.57
घ) इक्विटी निवेश	0.89	0.77	2.06	1.29
ङ) अन्य निवेश	84.74	84.34	69.03	64.04
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त):

(आंकड़े % में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
बट्टा दर	6.68	7.23	6.69	7.23
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	5.00	5.00	5.00	5.00
पलायन दर	1.00	1.00	3.00	3.00
पेंशन वृद्धि	4.00	4.00	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर	7.50	7.50	7.23	7.56
मॉर्टलिटी	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गई प्रक्रिया	अनुमानित इकाई क्रेडिट		अनुमानित इकाई क्रेडिट	

छ) पेंशन के लिए पांच वर्षों का प्रकटीकरण

i).योजना में अधिशेष/घाटा

(₹. करोड़ में)

	तुलन पत्र में चिन्हित राशि	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक
i.	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	9856.98	10703.91	11569.76	13465.63	14355.12
ii.	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9856.98	10363.23	11314.25	13465.63	14355.12
iii.	अंतर (ii-i)	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00
iv.	गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	गैर चिन्हित अपरिवर्तनीय दायित्व	-	-	-	-	-
vi.	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00

ज) ग्रेच्युटी के लिए पांच वर्षों का प्रकटीकरण

(I) योजना में अधिशेष/घाटा

(₹. करोड़ में)

	तुलन पत्र में चिन्हित राशि	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक
i.	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	913.11	1200.55	1302.17	1494.38	1647.18
ii.	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1295.29	1225.20	1326.82	1494.38	1647.18
iii.	अंतर (ii-i)	382.18	24.65	24.65	0.00	0.00
iv.	गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	गैर चिन्हित अपरिवर्तनीय दायित्व	-	-	-	-	-
vi.	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	382.18	24.65	24.65	0.00	0.00

(i) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत हैं: -

बट्टा दर: मूल्यांकन की तिथि (दिनांक 31.03.2025 की तुलन-पत्र) पर सरकारी बांड पर बाजार प्रतिफल के संदर्भ में बट्टा दर का चयन किया गया है ।

प्रत्याशित प्रतिफल दर: परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल की समग्र दर उस तिथि को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित की गई है, जो उस अवधि पर लागू है, जिस पर दायित्व का निपटान किया जाना है ।

ग्रेच्युटी के लिए भुगतान की जाने वाली सर्वोत्तम राशि ₹ 84.40 करोड़ होगी ।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना:

बैंक के पास एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है, जो 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है । इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है । नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है । वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने ₹. 186.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ .165.26 करोड़) का योगदान दिया है ।

(iii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (गैर निधिपोषित दायित्व के):

सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण लाभ

क) देयताओं के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान

(₹. करोड़ में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	752.15	576.27
ब्याज लागत जोड़ें	52.28	41.78
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	-	-
जोड़ें: पूर्व सेवा लागत	16.17	-
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	85.80	74.24
घटाएँ: भुगतान किए गए लाभ	(58.17)	(47.11)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	21.05	106.97
परिभाषित लाभ दायित्व को समाप्त करना	869.28	752.15

ख) लाभ एवं हानि खाते में चिन्हित राशि

(₹. करोड़ में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2024-25	2023-24
i) वर्तमान सेवा लागत	85.80	74.24
ii) पिछली सेवा लागत	-	-
iii) पूर्व सेवा लागत	16.17	
iv) ब्याज लागत	52.28	41.78
v) योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	0.00	0.00
vi) वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध एक्चुरियल (लाभ)/हानि	21.05	106.97
लाभ व हानि में चिन्हित व्यय	175.30	223.00

ग) तुलन-पत्र में चिन्हित प्रारंभिक और अंतिम देयता/(परिसंपत्तियों) का समाधान

(₹. करोड़ में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2024-25	2023-24
i) प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	752.15	576.26
ii) निवल अधिग्रहण लागत	-	-
iii) पी एंड एल में चिन्हित व्यय	175.30	223.00
iv) भुगतान किए गए लाभ	(58.17)	(47.11)
v) तुलन-पत्र में चिन्हित निवल देयता	873.87	752.15
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	21.05	106.97
अंतिम परिभाषिक लाभ दायित्व	869.28	752.15

घ) प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ [भारित औसत के रूप में व्यक्त]

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2024-25	2023-24
बट्टा दर	6.69%	7.23%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	5.00%	5.00%
पलायन दर	3.00%	3.00%
मॉर्टलिटी	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गई प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार करने हेतु भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान, योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और कर्मचारी बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता हैं। ऐसे अनुमान बहुत दीर्घकालिक होते हैं और पूर्व के सीमित अनुभव/तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं होते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और धारणाओं पर लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो वह सूचना के अभाव में नहीं किया जाता है ।

8.4 लेखांकन मानक 17 – समेकित वित्तीय पर खंड रिपोर्टिंग

बैंक ने अप्रैल 2007 में सेगमेंट रिपोर्टिंग पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशा-निर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट को ट्रेजरी, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालन में विभाजित किया गया है । डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना और लेखा मानक - 17 '' सेगमेंट रिपोर्टिंग '' के तहत खुदरा बैंकिंग सेगमेंट के उप-सेगमेंट के रूप में डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की रिपोर्टिंग पर आरबीआई परिपत्र DOR.AUT.REC. 12/22/01.001/2022-23 दिनांक 7 अप्रैल, 2022 के अनुपालन में, बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट को खुदरा बैंकिंग सेगमेंट के उप-सेगमेंट के रूप में रिपोर्ट किया है ।

भाग ए: कारोबार सेगमेंट

(₹. करोड़ में)

कारोबार सेगमेंट	राजकोष		कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग						अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
					डिजिटल बैंकिंग		अन्य खुदरा बैंकिंग		कुल खुदरा बैंकिंग					
विवरण	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-2025	2024-2025	2024-2025	2023-24
आय	7991.43	7275.89	10067.48	9631.31	0.22	0.07	14313.65	11838.84	14313.87	11838.91	640.60	682.60	33013.38	29428.71
परिणाम	824.77	546.89	1751.89	1365.05	-1.64	-1.61	5100.78	4126.38	5099.14	4124.77	337.55	426.46	8013.35	6463.17
अनाबंटित आय													736.93	301.82
अनाबंटित व्यय													736.22	301.35
परिचालन लाभ / हानि													8749.56	6773.90
आयकर													1177.01	757.08
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं													4177.05	3351.19
असाधारण लाभ/ हानि													0.00	0.00
निवल लाभ													3395.50	2 655.63
खंडवार परिसंपत्तियाँ	119712.61	107330.71	112929.51	114382.96	1.05	0.51	155808.16	119315.87	155809.21	119316.38	74.23	85.46	388525.56	3 41 115.51
अनाबंटित परिसंपत्तियाँ													6182.41	10 753.81
कुल संपत्ति													394707.97	351869.32
खंडवार देयताएं	106524.86	97939.96	107128.51	110441.19	1.05	0.51	148219.43	115593.85	148220.48	115594.36	530.34	272.64	362404.19	3 24 248.15
अनाबंटित देयताएं													70.43	59.72
कुल देनदारियों													362474.62	324307.87

*वित्त वर्ष 2024-2025 के आंकड़े स्टैंडअलोन वित्तीय आंकड़ों पर आधारित हैं ।

8.5 लेखांकन मानक 18 – संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

विवरण निम्नानुसार है:

ए) संबंधित पक्षों का नाम और उनका संबंध:

क) एसोसिएट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : ओडिशा ग्राम्य बैंक

ख) संयुक्त उद्यम : इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद लिमिटेड।

ग) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

(i). श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ii). श्री जयदीप दत्ता रॉय, कार्यपालक निदेशक

(iii). श्री धनराज टी, कार्यपालक निदेशक

बी) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन:

वर्ष 2024-25 और 2023-24 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन और कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का विवरण:

(राशि ₹. में)

क्र. सं	पूर्णकालिक निदेशक का नाम	पारिश्रमिक राशि (₹.) (2024-25)	पारिश्रमिक राशि (₹.) (2023-24)
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (एमडी व सीईओ)	64 40 736.00	40 80 132.00
2	श्री. जयदीप दत्ता रॉय (ईडी)	41 25 174.07	7 47 253.16
3	श्री धनराज टी (ईडी)	39 21 601.34	2 53 295.23
4	सुश्री एस. सुश्री (ईडी, 09.03.2024 को सेवा समापन)	19,98,381.29*	38 57 030.33
5	श्री. संजय विनायक मुदालियर (ईडी, 30.01.2024 को सेवा समापन)	15 32 160.00*	31 81 709.89

*वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन।

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें / संबंधित पार्टी	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियां	एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक @		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
			वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधार #	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.74
जमा #	लागू नहीं	लागू नहीं	1172.15	1172.15	1.49	1.70	2.66	3.26	1176.30	1177.11
जमा राशियों का स्थानन #	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम #	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश #	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धताएँ #	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया #	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था प्रदान किया #	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
अचल संपत्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
ब्याज का भुगतान किया	लागू नहीं	लागू नहीं	0.32		0.00		0.00		0.32	
प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	135.90		0.09		0.05		136.04	
सेवाएं प्रदान करना *	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
सेवाएं प्राप्त करना *	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
प्रबंधन अनुबंध *	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	

वर्ष के अंत में बकाया राशि तथा वर्ष के दौरान अधिकतम राशि का प्रकटीकरण किया जाना है ।
* अनुबंध सेवाएं आदि व विप्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि जैसी सुविधाएं नहीं ।
नोट: संबंधित पक्ष से संबंधित डेटा प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है ।

8.6 लेखांकन मानक 20 – प्रति शेयर आय

विवरण	2024-2025	2023-2024
इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर पश्चात उपलब्ध निवल लाभ (₹. करोड़ में)	3334.71	2655.62
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	18990956640	18,90,24,12,256
मूल तथा कम किये हुए प्रति शेयर आय (₹. में)	1.76	1.40
प्रति इक्विटी शेयर सामान्य मूल्य (₹. में)	₹ 10.00	₹ 10.00

8.7 लेखांकन मानक 22: आय पर करों का लेखांकन

(₹ .करोड़ में)

विवरण	31.03.2025		31.03.2024	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	286.86		1021.64	
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	58.51		68.98	
अन्य परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	146.23		126.41	
पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान	57.43		11.01	
सेवानिवृत भुगतान हेतु आरक्षित राशि	0.96		1.10	
एनपीए के लिए प्रावधान	1197.33		1861.70	
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेसन रिज़र्व	390.74		348.27	
अन्य	1725.92		1860.83	
कुल	3863.98		5299.94	
नेट डीटीए	3863.98		5299.94	

8.8 एएस 24 – परिचालन बंद करना

यह मानक संचालन बंद करने के बारे में जानकारी देने के लिए सिद्धांत स्थापित करता है। उसी बैंक की अन्य शाखाओं में परिसंपत्तियों/ देयताओं को स्थानांतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलय/बंद होने को संचालन बंद करने के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए यह लेखा मानक बैंक की शाखाओं के विलय/बंद करने पर लागू नहीं होगा। मानक के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता केवल तब होगी जब: (i) संचालन बंद करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा देनदारियों और संपत्तियों की वापसी में कमी आई है या उपरोक्त प्रभाव वाले संचालन को बंद करने का निर्णय बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और (ii) बंद किया गया संचालन पूरी तरह से पर्याप्त है।

8.9 लेखांकन मानक 26 – अमूर्त संपत्ति

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि तक परिशोधित किया जाता है ।

8.10 लेखांकन मानक 28 – परिसंपत्तियों का अनर्जक होना

हमारे बैंक में परिसंपत्तियों की क्षति शून्य हुई है ।

8.11 लेखांकन मानक 29 – आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान:

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के प्रति दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में विभिन्न कार्यवाहियों के लिए बैंक एक पक्षकार है। बैंक को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से बैंक की वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणाम या नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बैंक उन विभिन्न कराधान मामलों में भी एक पक्षकार है जिनके संबंध में अपीलें लंबित हैं।
2	आंशिक प्रदत्त निवेशों/ वेंचर फंड्स पर देयताएं	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता के प्रति भुगतान न की गई शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	फॉर्वर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देयता	बैंक भविष्य की तारीख में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर मुद्राओं का आदान-प्रदान करने के लिए व्यापार के अपने सामान्य पाठ्यक्रम में विदेशी एक्सचेंजों में प्रवेश करता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित दर पर भविष्य की तारीख में विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है। काल्पनिक राशियों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में, बैंक आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में लेन-देन बंद कर देता है। इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया लेन-देन उत्पन्न होते हैं, और इसलिए पोर्टफोलियो के सकल काल्पनिक मूलधन का एक बड़ा मूल्य होता है, जबकि शुद्ध बाजार जोखिम कम होता है।
4	इकाइयों की ओर से दी गई गारंटियां, स्वीकारोक्तियां, बेचान एवं अन्य दायित्व	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहक की ओर से दस्तावेजी क्रेडिट और गारंटी जारी करता है। दस्तावेजी ऋण बैंक के ग्राहकों की साख को बढ़ाते हैं। गारंटियां आम तौर पर अपरिवर्तनीय आश्वासन का प्रतिनिधित्व करती हैं कि ग्राहक अपने वित्तीय या प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में बैंक भुगतान करेगा।
5	अन्य मद जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	बैंक अपने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, अग्रेषण दर समझौते, मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप में व्यवस्था करते हैं। करेंसी स्वैप निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा में दूसरी मुद्रा के मुकाबले ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर कैश फ्लो के आदान-प्रदान की प्रतिबद्धता है। आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज की जाने वाली कल्पित राशियाँ, आमतौर पर अनुबंधों के ब्याज घटक की गणना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली राशियाँ हैं। इसके अलावा, इनमें उन अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, सहयोगियों और सहायक कंपनियों की ओर से बैंक द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफर्ट, जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता निधि के तहत बैंक देयता और अन्य विविध दल देनदारियों भी शामिल ह।

9. 31.03.2025 तक ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई जमाराशियों के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित जमाराशि 5439.48 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष उपलब्ध नहीं) ऋण, एलजी, एलसी और सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई कुर्क के प्रति है ।

10. तुलनात्मक आंकड़े

जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

Turn your account number *into your name*

IOB My Account My Name
SB HNI I SB Salary

Alphanumeric name of 7 characters | Easy to remember and share | No need to visit branch, do it online



APPLY NOW

Scan the QR Code

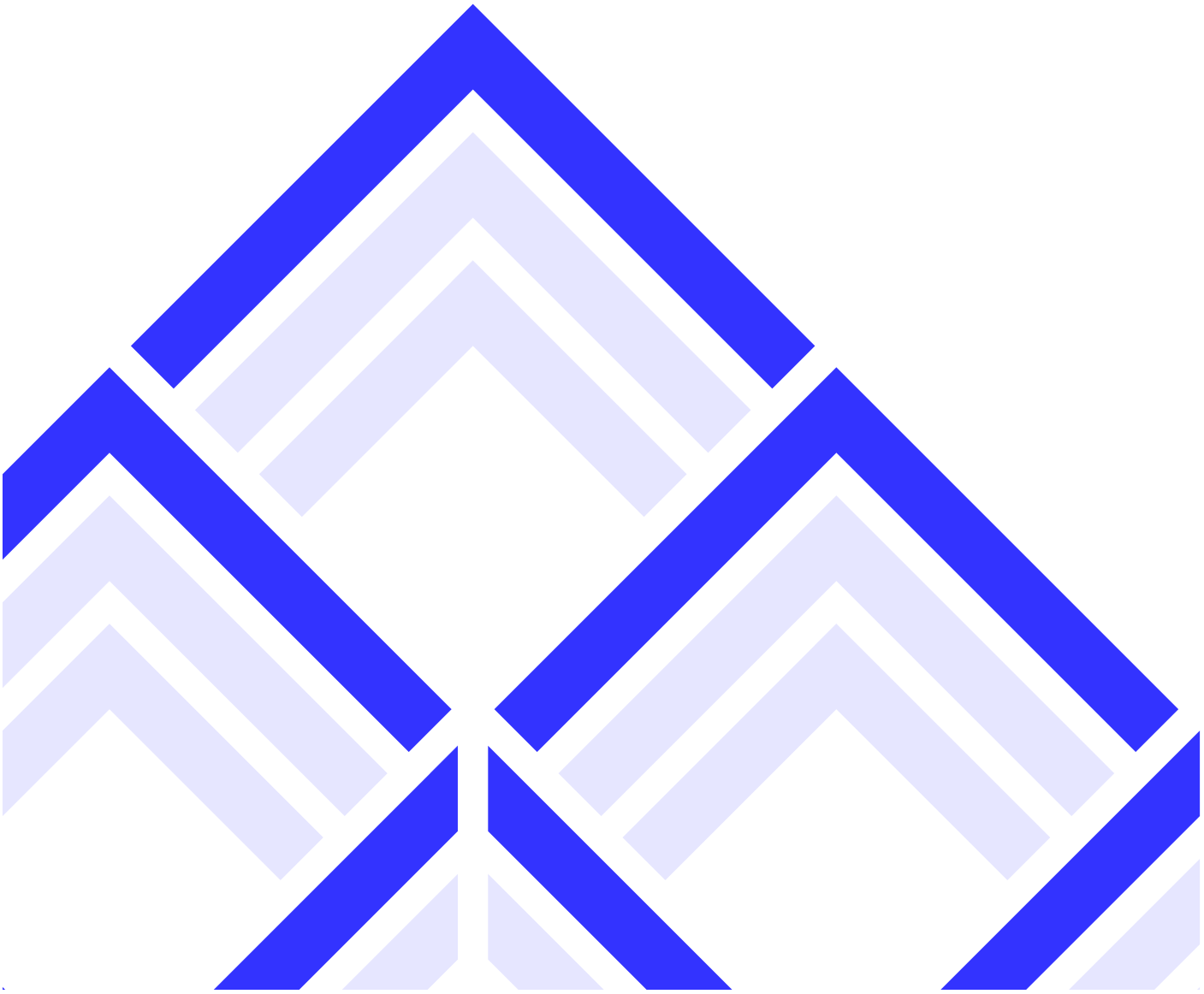
T&C apply*

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in

89 Years of Trust & Excellence

www.iob.in | Follow us on @IOBIndia | 1800 890 4445 | 1800 425 4445

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - समेकित



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सभी सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत:

1. हमने **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है (बाद में 'बैंक' के रूप में संदर्भित) और इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी जिनमें 31 मार्च, 2025 तक समेकित तुलन-पत्र शामिल है, समेकित लाभ व हानि खाता और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है, और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद **'समेकित वित्तीय विवरणियां'** के रूप में संदर्भित), जिसमें सम्मिलित है:

   क) बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

   ख) एक विदेशी संयुक्त उद्यम (इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद के अ-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

   ग) एक सहयोगी (ओडिशा ग्राम्य बैंक) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

   हमारी अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और इस तरह के संयुक्त उद्यम और सहयोगी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, जैसा कि अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया था, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, दिशानिर्देश और निर्देश ("आरबीआई दिशानिर्देश") और लागू लेखांकन मानक द्वारा इस प्रकार से जानकारी देते हैं जो समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं :

   क) समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2025 तक समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष अवलोकन देते हैं;

   ख) समाप्त वर्ष की तिथि के लिए समेकित लाभ व हानि खाते के संदर्भ में समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के वास्तविक लाभ; और

   ग) समाप्त वर्ष की तिथि के लिए समेकित नकदी प्रवाह के संदर्भ में समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष अवलोकन देते हैं।

अभिमत का आधार:

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा विषयक मानकताओं (एसए) के अनुसार की है । हमारी जिम्मेदारियां इन मानकताओं के अधीन हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है । आईसीएआई द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार हम, समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक अपेक्षाएँ जो समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है जिन्हें लेखांकन मानक और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश के अनुसरण में तैयार किया गया है और हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को इन अपेक्षाओं के अनुसार पूरा किया है । हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार, हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलो पर बल:

3. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 के निम्नलिखित नोट्स की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:

   (i) नोट संख्या 6.3, उसमें उद्धृत कारणों के लिए विभिन्न विवादित आयकर और अप्रत्यक्ष कर देनदारियों का प्रावधान न करने से संबंधित हैं और नोट संख्या 6.2 अग्रिम भुगतान किए गए कर के लंबित समाधान से संबंधित है।

   (ii) नोट संख्या 6.5, वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति और रिवर्सल से संबंधित ₹3863.98 करोड़ के आगामी शेष, अनुमानित आधार पर ₹1160 करोड़ का उत्क्रमण और 31 मार्च 2025 को आस्थगित कर परिसंपत्ति के आगामी शेष की वास्तविकता के प्रबंधन मूल्यांकन से संबंधित है ।

   उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले :

4. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले, वे मामले हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं । इन मामलो पर हमारे अभिमत वित्तीय

विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हम अलग से कोई अभिमत प्रदान नहीं करना चाहते । प्रमुख लेखा-परीक्षकों द्वारा चिन्हित प्रमुख लेखापरीक्षा मामलो सहित संबंधित घटक लेखा-परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो कि बैंक को हमारी रिपोर्ट के साथ संप्रेषित किए गए हैं।

(i) अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरण की अनुसूची 9)

बैंक की निवल अग्रिम राशि कुल संपत्ति का 56.69 प्रतिशत है, जो वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है । वे, अन्य बातों के आतिरिक्त, आय चिन्हित, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक (एनपीए) में वर्गीकृत करने से संबंधित दिशानिर्देश संबन्धित परिपत्रों और निर्देशों द्वारा निगरानी किये जाते हैं, सिर्फ विदेशी कार्यालयों के मामलों के छोड़कर जिसमें अग्रिमों का वर्गीकरण और उसका प्रावधान स्थानीय नियमों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हो उसके अनुसार किया जाता है । बैंक इन अग्रिमों को अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करता है।

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों को चिन्हित करने के लिए उचित तंत्र स्थापित है। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देन का हिसाब रखता है, जो अग्रिम अर्जक है या अनर्जक, उसे भी चिन्हित करता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ("भारिबैं") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अतिरिक्त, बैंक के पास अनर्जक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के लिए कुछ नीतियाँ भी हैं ।

यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, आईआरएसीपी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है, तो इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का आगामी मूल्य वास्तव में गलत हो सकता है।

लेन-देन की प्रकृति, नियामक आवश्यकताओं, वर्तमान कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और प्रावधानों की गणना में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है।

इसके अतिरिक्त, आहरण शक्ति की गणना के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता, सुरक्षा मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष, भारिबैं द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय की पहचान पर निर्भरता के कारण गैर-निष्पादित अग्रिमों सहित, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में निर्धारित किया है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनके प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आंकलन किया। हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और निम्नलिखित सहित वास्तविक परीक्षण शामिल थे :

क) हमने सिस्टम में निर्मित नियंत्रणों, भारिबैं के दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में शामिल जाँच और संतुलन व गैर-निष्पादित संपत्तियों की पहचान के लिए संबंधित बैंक की नीतियों, प्रकृति, समय और ठोस प्रक्रियाओं के सीमा निर्धारित करने के प्रावधान के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई।

ख) हमें शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आय पहचान, निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता जाँच के लिए आबंटित की गई थी। हमने आबंटित शाखाओं में ठोस प्रक्रियाओं को पूरा करने में, हमने बड़े अग्रिमों/ तनावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है।

ग) आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, क्रेडिट लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता, बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार है।

घ) शाखाओं से प्राप्त रिटर्न को स्वीकार किया गया, जो ऑडिट के अधीन नहीं हैं और उस संबंध में हमने उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा की शुद्धता को पुष्टि करने के लिए बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र/ प्रणालियों की समीक्षा की और सुनिश्चित किया गया कि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवाद/ विचलन/ त्रुटियों पर बैंक द्वारा विचार किया गया।

ङ) समय-समय पर जारी भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान व प्रावधान और आय के संगत उलटाव की जांच की गई।

च) एनपीए की पहचान और भारिबैं के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

छ) भारिबैं के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कार्यान्वित परिसंपत्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।

ज) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य अंतरदेशीय और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए काम को स्वीकार किया है।

झ) नमूना आधार पर चयनित उधारकर्ताओं की फाइलों और ऐसे खातो के संचालन की समीक्षा की गई।

ञ) प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित करना।

ट) ब्याज आवेदन की परीक्षण जांच, अन्य शुल्क लगाना, कमीशन आदि।

ठ) सुनिश्चित किया गया कि हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत ठीक किया गया है।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से जुड़ी या स्वतंत्र रूप से काम करने वाली अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर अत्यधिक निर्भर है। हमारा विशेष ध्यान सिस्टम में दिए गए तर्क, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, पहुंच प्रबंधन और कर्तव्यों का पृथक्करण से संबंधित है। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, शुद्ध और मॉनिटर किए गए हैं, जिससे सिस्टम सटीक व विश्वसनीय रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी उत्पन्न कर सके, जिसका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा में होती है और विविध व जटिल लेन-देन की प्रक्रिया होती है जो आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यहाँ एक जोखिम रहता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण सटीक रूप से डिज़ाइन व प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का विषय माना जाता है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है, और परीक्षण पर सिस्टम से उत्पन्न रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी के परीक्षण जांच के आधार पर आईटी सिस्टम के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं :

क) बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

ख) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, पहुंच नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई।

ग) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को निष्पादित करने की आवश्यकता की पहचान की, हमने मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे सिस्टम और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने अधिक नमूना जांच की।

घ) सांविधानिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों (एमओसी) पर निर्भरता रहती है।

ङ) जहां भी उपलब्ध कराया गया हो, बाह्य विक्रेता निरीक्षण रिपोर्ट पर निर्भरता रहती है।

च) आईएस ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की और प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की।

(iii) निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8)

निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, सुरक्षा रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया गया निवेश शामिल है।

बैंक की कुल संपत्ति में निवेश 25.62 प्रतिशत है। ये भारिबैं के

परिपत्रों और निर्देशों द्वारा संचालित किये जाते हैं । भारिबैं के निर्देश, अन्य बातों के साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की गैर-मान्यता और उसके प्रति प्रावधान के लिए लागू होते हैं।
बाजार की अस्थिरता, विश्वसनीय कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण गैर-उद्धृत निवेश और कम कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है।

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारिबैं द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफआईबीआईएल दरों, बीएसई / एनएसई पर उद्धृत दरों, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा / जानकारी का संग्रह शामिल हैं।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और निर्णय की सीमा, लेन-देन की मात्रा, उपलब्ध निवेश और नियामक की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

भारिबैं के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की ओर केन्द्रित थी। राजकोष के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निम्नलिखित पर केंद्रित हैं –

क) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक भारिबैं के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया व उसे स्वीकार किया।

ख) उपलब्ध निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए फिर से मूल्यांकन करके भारिबैं के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया। निवेश की सभी श्रेणियां (सुरक्षा की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल हैं , सुनिश्चित करने के बाद नमूनों का चयन किया गया।

ग) नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर या भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर, गैर-उद्धृत निवेशों के स्वतंत्र रूप से परीक्षण-जाँच की गई।

घ) हमने एनपीआई की पहचान और आय के अनुरूप उलटाव और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आंकलन और मूल्यांकन किया।

ङ) हमने भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास की स्वतंत्र रूप से पुन: गणना करने के लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूने का चयन किया और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारिबैं के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान की पुनर्गणना की।

(iv) कुछ मुकद्दमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (वित्तीय विवरण की अनुसूची 12)

बैंक ने कर और गैर-कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित शामिल मामले के विरुद्ध विवादित दावे किए हैं, जो विभिन्न अदालतों/ मंचों में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं । प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित बहिर्प्रवाह का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और जहां भी आवश्यक समझा जाए, कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णय/ व्याख्या का विश्लेषण करने पर केंद्रित था।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

क) हमने योजना की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया और कर मुकद्दमेबाजी मामलों पर प्रबंधन के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है।

ख) हमने संभावित बहिर्प्रवाह और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की। इन अनिश्चित कर/ गैर कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय कानूनी प्राथमिकता और अन्य फैसलों पर विचार किया गया।

ग) इसके अतिरिक्त, हमने ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में प्रबंधन निर्णयों, उद्योग स्तर के विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमान व बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों की अभिमत पर विश्वास किया।

घ) प्रमुख विवादित गैर-कर मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा चुनिंदा प्रमुख पत्राचार, आंतरिक/ बाह्य कानूनी राय/ परामर्श को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया।

ङ) बैंक/अन्य कॉरपोरेट के मामले में एक-समान मामलो में जहां भी उपलब्ध हो, वहां अन्य कानूनी घोषणाओं की समीक्षा और सत्यापन किया गया।

च) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की गई और प्रावधानों का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित प्रमुख धारणाओं का मूल्यांकन किया गया।

छ) विवादित गैर-कर मामलों के संभावित परिणाम के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णयों पर विश्वास किया।

सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध सीमा तक शाखा लेखा परीक्षा/ अतिरिक्त जानकारी के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों पर निर्भरता रही।

5. अन्य मामले

क) समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के ₹60.68 करोड़ के निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि एक एसोसिएट के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनकी वित्तीय विवरण / जानकारी का हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं किया गया है । इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत केवल संयुक्त उद्यम और सहयोगी के संबंध में निहित राशि और प्रकटीकरण से पूर्णतः ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ख) हमने एक विदेशी संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिसके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में कुल परिसंपत्तियां ₹ 24.41 करोड़, कुल राजस्व ₹ 13.54 करोड़ तथा निवल नकदी बहिर्वाह ₹ 0.87 करोड़ दर्शाए गए हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है । ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना अ-लेखापरीक्षित हैं तथा हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहां तक यह इस संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अ-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना पर आधारित है । हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत और निम्नलिखित कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्यों और अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलो के संबंध में संशोधित नहीं है।

ग) 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिनमें से तीन पूर्ववर्ती ऑडिट फर्म हैं और उन्होंने 09 मई 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर असंशोधित अभिमत व्यक्त की है।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है । अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक को सूचना शामिल है, लेकिन उसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है । अन्य जानकारी हमें इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और पिलर 3 प्रकटीकरण को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन संबंधी निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे ।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है ।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की सूचना को पढ़ते हैं और यदि

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई भौतिक गलत बयान है, तो हमें इस मामले को गवर्नेंश के प्रभारी लोगों को बताना होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी तथा उनपर गवर्नेंस का प्रभार है

7. बैंक का निदेशक मंडल समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ,जिसमें लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जोकि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल है जिनका उपयोग उपरोक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में बने रहने के लिए समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम क्षमता का आंकलन करने के लिए समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम सहित ईकाइयों के निदेशक मंडल जिम्मेदार होता है और इससे संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करना व लेखांकन के आधार का उपयोग करना, जब तक कि प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है।

समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम से संबन्धित निदेशक मंडल, समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री के गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी ।गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, माना जाता है। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं । साथ ही हम :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर उनका आंकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।

- प्रबंधन के द्वारा प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।

- प्रबंधन के द्वारा इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।

- लेखांकन के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की विव उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष / निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई में) भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने कई क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने होगा । हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।

- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय

वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्याकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए बैंक और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें । हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के निर्देशन, पर्यवेक्षण और लेखापरीक्षा के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं । समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिणाम है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से , जिसके कारण समेकित वित्तीय विवरणों के जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलो के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में बैंक के गवर्नेंस और समेकित वित्तीय विवरणियों सहित अन्य ईकाइयों के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं।

हम उन लोगों को जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है, उन्हें भी यह विवरणी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलो जो कि हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संवाद करने के लिए विचार किया जा सकता है।

प्रभारों के संबंध में गवर्नेंस को संप्रेषित मामलो, हम उन मामलो का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं । जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार के जनहित लाभ कम हो जाएंगे ।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ व हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों अनुसार तैयार किया गया है।

10. उपरोक्त पैराग्राफ 5,7 से 8 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और सहयोगी की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, जैसा कि 'अन्य मामलों' पैराग्राफ में वर्णित आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के वे सभी लेन-देन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

ग) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

11. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.6270/08.91.001/2019-20 दिनांकि 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) की आवश्यकताओं के अनुसार " सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उत्तरवर्ती संसूचना दिनांकित 19 मई, 2020 के साथ पठित , हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं :

क) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यहाँ तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेन-देन या मामलों पर कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा

(2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती है।

घ) खातो और अन्य मामलों से जुड़े मामलों के अनुरक्षण से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर तकनीकी गाइड" के अनुच्छेद 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

12. हम साथ ही यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारे अभिमत में, हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त खाता बही विवरणियों से प्राप्त की गयी हैं और उन शाखाओं से जिनका हमने दौरा नहीं किया है वहाँ से हमें लेखापरीक्षण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ व अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

ख) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता और नकदी के प्रवाह का विवरण और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ जहां हम नहीं गए, खातो की पुस्तक के साथ हैं।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है ।

घ) हमारी राय में, तुलन पत्र , लाभ व हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते आर. देवेन्द्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 114207डबल्यू

पीयूष पित्रोदा
साझेदार
एम. नं.: 188843
यूडीआइएन : 188843बीएमजेजीटीपी7041

कृते तेज राज और पाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन :304124ई

पी वेणुगोपाल राव
साझेदार
एम. नं.: 010905
यूडीआइएन:25010905बीएमओएचटीक्यू3698

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009189सी

विवेक मेहता
साझेदार
एम. नं.:415118
यूडीआइएन : 25415118बीएनजीएजीयू6170

कृते संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:008773सी

अनूप मितना
साझेदार
एम. नं.:405289
यूडीआइएन : 25405289बीएमकेटीकेएल8812

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 02 मई, 2025

Banking That Works for You!

IOB CD Platinum Plus

- Free NEFT/RTGS/IMPS transactions
- Personal Accident Insurance
- Auto Sweep- In/Sweep-Out Facility
- Rent Free POS Machine & Many More





T&C Apply

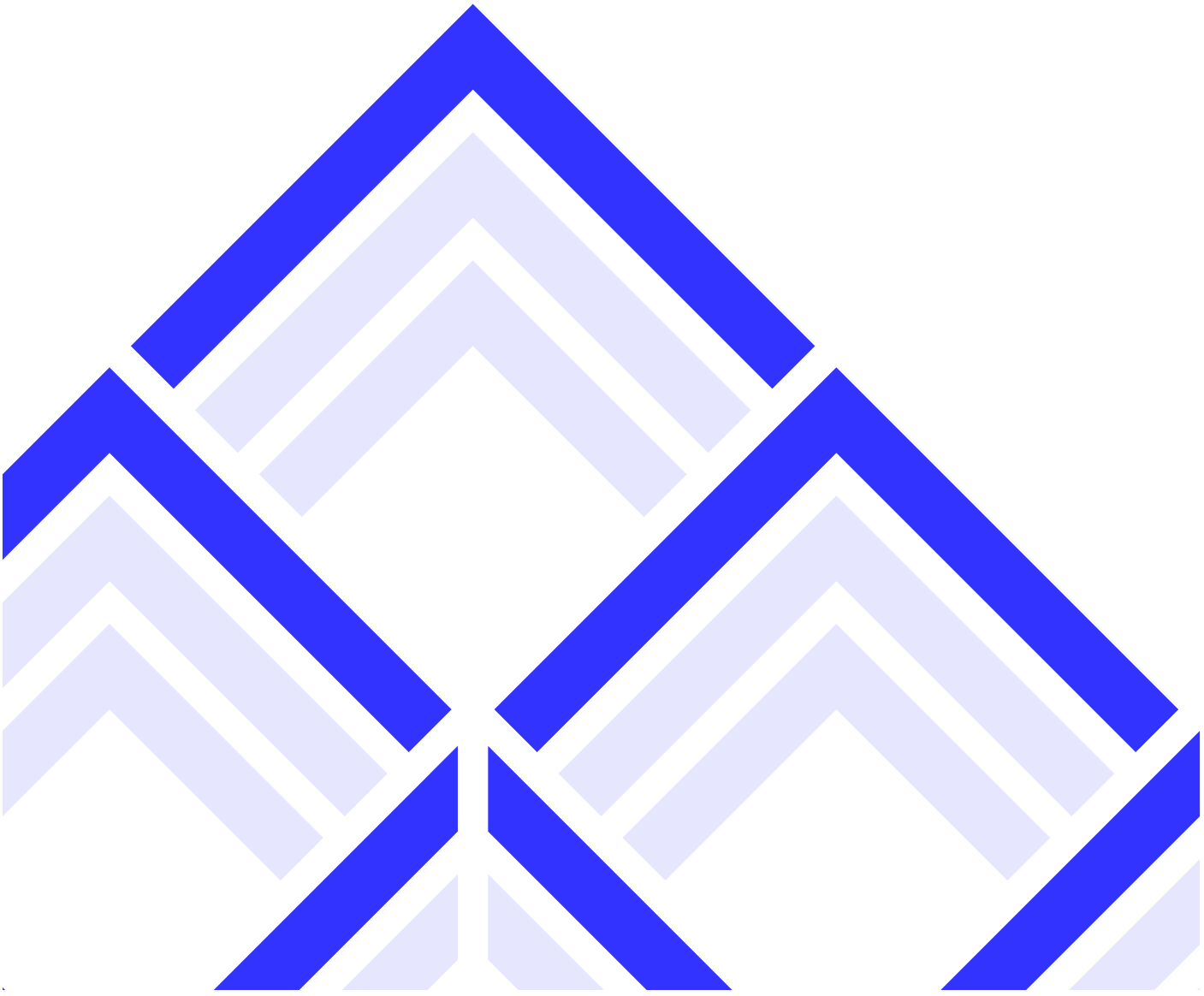
SCAN HERE TO KNOW MORE

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

89 Years of Trust & Excellence

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

बेसल III के स्तंभ 3 का प्रकटीकरण- 31.03.2025



बेसल III के स्तंभ 3 का प्रकटीकरण- 31.03.2025

आरबीआइ ने बेसल III दिशानिर्देश जारी किए, जो 01.04.2013 से लागू है एवं वर्तमान में बेसल III दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ, न्यूनतम पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 11.50%, न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर -1 अनुपात 8.00% और न्यूनतम टियर 1 अनुपात 9.50% है । 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा धारित न्यूनतम पूंजी 11.50% है और न्यूनतम सीईटी 1 (सीसीबी सहित) 8.00% है । बैंक ने 11.50% (सीसीबी सहित) की नियामक आवश्यकता की तुलना में 31.03.2025 तक 19.74% का सीआरएआर बनाए रखा है।

बेसल III ढांचे में तीन परस्पर सुदृढ़ स्तंभ शामिल हैं:

(i) स्तंभ 1: न्यूनतम पूंजी आवश्यकता (क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम)

(ii) स्तंभ 2: पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया

(iii) स्तंभ 3: बाज़ार अनुशासन

बाजार अनुशासन (स्तंभ 3) में बैंक की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे पर प्रकटीकरण शामिल है। ये प्रकटीकरण निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। अपनी जोखिम वहन क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम और अन्य । जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों को रोकना नहीं है , बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आकलन किया जा सके और शमन किया जा सके। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है। बैंक की जोखिम क्षमता जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होते हैं। बैंक की जोखिम क्षमता को आम तौर पर बैंक के जोखिम क्षमता विवरण और आइसीएएपी यानी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम सीमा और ट्रिगर बिंदुओं के निर्धारण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित की है। निदेशक मंडल की एक (आरएमसीबी) उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाज़ार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और बाज़ार जोखिम के प्रबंधन हेतु फंडस समिति, परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन हेतु उत्पाद/ प्रोसेस जोखिम शमन समिति (पीआरएमसी) तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति का भी गठन किया है ।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण

के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के संयोजक हैं। जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएँ विभाग और सामान्यत: अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं तथा नीति जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एम आइ एस को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा वे क्षेत्र/ अंचल स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में सहभागिता करते हैं।

जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल दृष्टिकोण इसके प्रारंभिक बिंदु के जोखिम नियंत्रण करने पर निर्भर करता है। बैंक ने 31.03.2008 से प्रभावी पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा से (बेसल II) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में ढांचा रूपरेखा का अनुपालन कर रहा है । के अनुपालन में है। बेसल III दिशानिर्देशों की शुरूआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहे हैं। बेसल III फ्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक स्तम्भ पर आधारित हैं। संशोधित का पहला स्तम्भ क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा स्तम्भ पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूँजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बै. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे स्तम्भ की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन प्रथम स्तम्भ जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूँजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02.12.2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक "तनाव जांच नीति /फ्रेमवर्क" तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और अल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं आपदा से उबरने की योजना बनाई है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डेटा कोड बनाए गए हैं , सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर , मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन , वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना सुरक्षा प्रणाली विभाग द्वारा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके, जबकि आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है।

बेसल III फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत पहलों को माइग्रेट करने के लिए बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में है।

बेसल III फ्रेमवर्क के तीसरे स्तंभ का अभिप्राय बाज़ार अनुशासन से है। बाज़ार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूँजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 18 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाज़ार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूँजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूँजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (अ) अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (आ) पूँजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (इ) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (ई) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4), (उ) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (ऊ) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (ए) ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम (डीएफ-7), (ऐ) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (ओ) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी) (डीएफ-9), (औ) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10), (अं) पूँजी का संघटन (डीएफ-11), लेखांकन संपत्तियों की सारांश तुलना बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय (डीएफ 17) और लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डी एफ 18) । यह बाज़ार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

डीएफ-1: प्रयोज्यता की संभावना

"इण्डियन ओवरसीज़ बैंक" पर बेसल III ढांचा लागू होता है । बैंक के समेकित वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड, निर्देश और दिशानिर्देश, कंपनी अधिनियम 2013, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी लेखा मानक एवं भारत (आइसीएआइ) और भारत में प्रचलित लेखांकन प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क. 31.03.2025 को समाप्त अवधि हेतु समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची:

इकाई का नाम	निगमन देश	क्या इकाई समेकन के लेखांकन संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि व्याख्या	क्या इकाई समेकन के विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
ओडिशा ग्राम्य बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी समेकन के दायरे में नहीं हैं
इंडिया इन्टरनेशनल बैंक, बरहद, मलेशिया	मलेशिया	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम समेकन के दायरे में नहीं है

ख. 31.03.2025 को लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

(रूपये करोड़ में)

इकाई का नाम	निगमन देश	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	इकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियमक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेस	भारत	जनरल इंश्योरेस	368.18	18.06	लागू नहीं	लागू नहीं

ii. मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ग. 31.03.2025 को समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

(रूपये करोड़ में)

इकाई का नाम	निगमन देश जैसा ऊपर (I) क में इंगित किया गया है	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
ओडिशा ग्राम्य बैंक	भारत	बैंकिंग	1734.01*	21546.41
इंडिया इंटरनेशन बैंक, बरहद, मलेशिया	मलेशिया	बैंकिंग	634.07**	622.43

* ओडिशा ग्राम्य बैंक में इक्विटी का बैंक हिस्सा रुपये 606.90 करोड़ (1734.01*35%) है।
** इंडिया इंटरनेशनल बैंक, बरहद, मलेशिया में बैंकों की हिस्सेदारी रुपये 221.92 करोड़ है (634.07*35%)

घ. सभी अनुषंगी इकाइयों में पूँजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है

निगमन देश / अनुषंगी का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी की कमी
लागू नहीं				

ङ. बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं:

(रु. करोड़ में)

बीमा इकाइयों के नाम	निगमन देश	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारित प्रक्रिया बनाम पर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	भारत	जनरल इंश्योरेस	368.18	18.06	सीआरएआर में 1 बीपीएस से कम की कटौती

च. बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा:

31.03.2025 को बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं है।

डीएफ-2: पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

क. वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों के समर्थन हेतु अपनी पूंजी की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए बैंक के दृष्टिकोण की एक सारांश चर्चा

बैंक के पास बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी समग्र पूंजी पर्याप्तता का आकलन करने की एक प्रक्रिया है और इसके पूंजी स्तर को बनाए रखने की एक रणनीति है । यह प्रक्रिया यह आश्वासन देती है कि बैंक के पास अपने व्यवसाय में निहित सभी जोखिमों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। बैंक, पूंजी जुटाने के उपलब्ध विकल्पों पर विचार करके नियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है।

बैंक ने स्तंभ 2 आवश्यकताओं के भाग के रूप में अवशिष्ट जोखिम को पूरा करने के लिए उपलब्ध पूंजी की पर्याप्तता के उपाय के रूप में बैंक के प्रासंगिक जोखिम कारकों पर विचार करते हुए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर एक रूपरेखा तैयार की है। स्तंभ 1 के तहत निर्धारित क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के अलावा, बैंक ने अपने पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया है और स्तंभ 2 के तहत विभिन्न भौतिक जोखिमों का आकलन किया है जो या तो आंशिक रूप से कवर किए गए हैं या स्तंभ 1 के तहत कवर नहीं किए गए हैं। आइसीएएपी पूंजी नियोजन प्रक्रिया का विवरण देता है और निम्नलिखित जोखिमों के माप, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी आवश्यकता और तनाव परीक्षण को कवर करते हुए एक मूल्यांकन करता है:

- माइग्रेशन जोखिम/डिफ़ॉल्ट जोखिम की रेटिंग
- संकेन्द्रण जोखिम
- तरलता जोखिम
- ब्याज दर जोखिम
- प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
- मॉडल जोखिम
- रणनीतिक संबंधी जोखिम
- अनुपालन संबंधी जोखिम
- रेसीडुअल संपार्श्विक जोखिम
- व्यावसायिक जोखिम
- पेंशन दायित्व जोखिम
- प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिम
- कानूनी जोखिम
- आउटसोर्सिंग संबंधी जोखिम
- देश संबंधी जोखिम
- निपटान संबंधी जोखिम
- प्रमुख कार्मिक जोखिम
- आचरण संबंधी जोखिम

बैंक ने सभी भौतिक जोखिमों को गुणात्मक रूप से कवर करने के लिए आइसीएएपी के तहत एक समुचित प्रणाली निर्धारित की है।

बैंक ने 2 दिसंबर 2013 को आरबीआइ द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप असाधारण लेकिन संभावित घटनाओं के लिए संगठन की संभावित भेद्यता का आकलन करने के लिए एक "तनाव परीक्षण ढांचा" तैयार किया है । इसके अलावा बैंक ने ईज़ दिशानिर्देशों के आधार पर "तनाव परीक्षण ढांचा" भी तैयार किया है। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेष रूप से बैंक के भौतिक जोखिम के संबंध में, आर्थिक मंदी/मंदी के समय पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिमों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और तदनुसार इसे संबोधित करने के लिए उपयुक्त सक्रिय कदम उठाए जाते हैं। नीतिगत नुस्खों के अनुसार, बैंक समय-समय पर बैंक के तुलन पत्र और विशिष्ट पोर्टफोलियो पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और रिपोर्ट उचित समितियों को देता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी पर्याप्तता

बैंक की पूंजी आवश्यकताओं की गणना क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति और परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग करके की गई है।

31 मार्च, 2025 तक, बैंक द्वारा रखी गई पूंजी सीसीबी सहित 11.50% की नियामक आवश्यकता के मुकाबले कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों की 19.74% है:

रु. करोड़ में

	31.03.2025
क) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	13370.41
• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	0.00
ख) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	0.00
विदेशी मुद्रा जोखिम (गोल्ड सहित)	19.23
इक्विटी जोखिम	88.02
ग) परिचालनामक जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	
बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण	1534.65
घ) सामान्य ईक्विटी टियर-I , टियर-I व कुल पूंजी अनुपात	
सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात	17.13%
कुल टियर 1 पूंजी अनुपात (टियर 1 सीआरएआर)	17.13%
कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	19.74%

डीएफ-3 : उधार जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

पिछली देय और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की परिभाषाएँ (लेखांकन उद्देश्यों के लिए)

अनर्जक परिसंपत्तियाँ

कोई परिसंपत्ति तब गैर-निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिए आय सृजित करना बंद कर देती है। एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक अग्रिम है जहां

I. सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।

II. ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।

III. खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है।

IV. अन्य खातों के संबंध में प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।

V. छोटी अवधि की फसलों के लिए दिया गया ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है और लंबी अवधि की फसलों के लिए दिया गया ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त शेष रहती है एक फसल सीज़न के लिए अतिदेय रहती है ।

VI. किसी खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा जब किसी तिमाही के दौरान लिया गया ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता है।

VII. 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण पर आरबीआइ दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

VIII. व्युत्पन्न लेनदेन के संबंध में, व्युत्पन्न अनुबंध के बाजार मूल्य के लिए सकारात्मक अंक का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्य भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए अदत्त रहती है।

'आउट ऑफ़ ऑर्डर' स्थिति

यदि बकाया राशि लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक बनी रहती है तो किसी खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाता है। ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है, लेकिन बैंक के तुलन पत्र की तारीख तक 90 दिनों तक लगातार कोई क्रेडिट नहीं है, या जहां क्रेडिट डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है उसी अवधि के दौरान, ऐसे खातों को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाता है।

'अतिदेय'

किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख पर नहीं किया जाता है।

• दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान

तनाव की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग:

निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार तनावग्रस्त संपत्तियों को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके, डिफ़ॉल्ट* पर तुरंत ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव की पहचान करना:

एसएमए उपवर्ग	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या किसी अन्य राशि के बीच पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए-0	1-30 दिन
एसएमए-1	31-60 दिन
एसएमए-2	61-90 दिन

*डिफॉल्ट' का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना, जब ऋण की राशि का पूरा या कुछ हिस्सा या किस्त देय हो और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा चुकाया न जाए। नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के लिए, डिफ़ॉल्ट का अर्थ यह भी होगा, उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से 30 दिनों से अधिक समय तक बकाया राशि का लगातार अतिदेय बना रहना।

• बैंक की क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति की चर्चा

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक सुसंरचित ऋण नीति और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। नीति दस्तावेज़ संगठनात्मक संरचना, भूमिका और जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करती है जिससे बैंक द्वारा किए गए क्रेडिट जोखिम की पहचान की जा सकती है, मात्रा निर्धारित की जा सकती है और उस ढांचे के भीतर प्रबंधित किया जा सकता है, जिसे बैंक अपने जनादेश और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप मानता है । बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कार्यविधि और प्रणालियों की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी), बोर्ड की उप-समिति का गठन किया जाता है जो क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बैंक द्वारा क्रेडिट जोखिम की निगरानी बैंक-व्यापी आधार पर की जाती है और बोर्ड/आरएमसीबी द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है ।

नीति एवं रणनीति

बैंक ने बैंक में सर्वोत्तम क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। ऋण नीति और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति के अलावा, बैंक ने अग्रिमों, फंड और निवेश नीति, काउंटर पार्टी जोखिम प्रबंधन नीति और देश जोखिम प्रबंधन नीति आदि पर ब्याज दर नीति भी बनाई है, जो बैंक में क्रेडिट जोखिम की निगरानी का अभिन्न अंग है। इसके अलावा, बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और क्रेडिट जोखिम शमन पर एक नीति लागू की है जो बैंक के हितों की रक्षा के लिए बैंक द्वारा आम तौर पर स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक दोनों) और ऐसी प्रतिभूतियों के परिचालन का विवरण देती है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में एक्सपोज़र में क्रेडिट जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, माप, निगरानी और नियंत्रण शामिल है।

क्रेडिट जोखिम की पहचान और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में, निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

(i) ऊपरी तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और प्रबंधन जोखिमों में वर्गीकृत विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिपक्ष जोखिम का आकलन करने के लिए क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन (सीआरए) मॉडल/स्कोरिंग मॉडल को विकसित और परिष्कृत करना, जिनमें से प्रत्येक को अलग से स्कोर किया जाता है।

(ii) समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य दृष्टिकोण पर परामर्श जारी करके, बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों में पोर्टफोलियो को संभालने के लिए विशिष्ट नीति नुस्खे देने और मात्रात्मक एक्सपोजर पैरामीटर निर्धारित करने के लिए उद्योग अनुसंधान का संचालन करना।

(iii) क्रेडिट मंजूरी समिति में रखने से पहले जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा सभी उच्च मूल्य वाले क्रेडिट प्रस्तावों का जोखिम विश्लेषण किया जा रहा है।

क्रेडिट जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में एकल उधारकर्ता, समूह उधारकर्ता और उद्योगों जैसे आयामों में एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो प्राप्त करने के लिए जोखिम सीमाएं स्थापित करना शामिल है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और क्रेडिट जोखिमों के संकेन्द्रण से बचने के लिए, व्यक्तिगत कंपनियों, समूह कंपनियों, बैंकों, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं, पूंजी बाजार, रियल एस्टेट, संवेदनशील वस्तुओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों पर आंतरिक दिशानिर्देश आदि निर्धारित किए गए हैं । जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए त्रैमासिक अंतराल पर क्रेडिट जोखिम तनाव परीक्षण आयोजित किए जाते हैं ।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व प्रबोधन के ज़रिए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल उद्योग जोखिम, व्यवसाय जोखिम, प्रबंधन जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहां लागू हो) और सुविधा जोखिम आदि जैसे जोखिम घटकों से संबंधित मात्रात्मक और गुणात्मक विशेषताओं को कारक बनाता है। उद्योग जोखिम पर डेटा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और बाजार की स्थितियों के आधार पर क्रिसिल द्वारा समर्थित होता है।

मंजूरी अधिकार :

बैंक ऋण और अग्रिम की मंजूरी के लिए एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधीन शक्ति संरचना का पालन करता है। क्षेत्रीय कार्यालय व केंद्रीय कार्यालय स्तर पर ऋण स्वीकृतियाँ विभिन्न समितियों द्वारा की जा रही है । विशिष्ट स्वीकृति शक्तियां शाखा प्रबंधकों को प्रत्यायोजित की गई हैं । खुदरा ऋण मंजूर करने के लिए आरएलपीसी का गठन किया गया है।

जाँच और संतुलन अर्थात क्रेडिट जोखिम प्रबंधन को क्रेडिट स्वीकृतियों से अलग करना, क्रेडिट जोखिम रेटिंग निर्दिष्ट करने की प्रणाली, रेटिंग का सत्यापन, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के आधार पर क्रेडिट सुविधाओं के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था, क्रेडिट ऑडिट आदि मौजूद हैं। न्यूनतम प्रवेश स्तर रेटिंग बेंचमार्क निर्धारित हैं। अन्य बैंकों और देश के एक्सपोज़र पर कुल एक्सपोज़र की निगरानी के लिए एक उपयुक्त तंत्र मौजूद है।

(रूपये करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण		31.03.2025
क.	कुल सकल क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर:	
•	निधि आधारित	400246.73
•	गैर निधि आधारित	21828.62
कुल		422075.35
ख.	भौतिक वितरण एक्सपोजर:	
•	देशी	
	निधि आधारित	233501.21
	गैर निधि आधारित (एलसी व एलजी)	19593.52
•	विदेशी	
	निधि आधारित	16517.65
	गैर निधि आधारित (एलसी व एलजी)	1374.00
ग	एक्सपोजर, निधि आधारित और गैर-निधि अलग-अलग उद्योग प्रकार	संलग्न
घ.	परिसंपत्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता ब्रेकडाउन	संलग्न
ङ.	एनपीए का मूल्य (कुल)	5347.72
•	अवमानक	923.07
•	संदिग्ध	3274.91
	क. डी1	780.62
	ख. डी2	1188.51
	ग. डी3	1305.78
•	हानि	1149.74
च.	निवल एनपीए	911.86
छ.	एनपीए अनुपात	
•	कुल अग्रिमों पर कुल एनपीए	2.14%
•	निवल अग्रिम पर निवल एनपीए	0.37%
ज.	एनपीए की संचलन (सकल)	
•	अथशेष(01.04.2024)	6794.43
•	जोड़ना	3627.54
•	घटाना	5074.25
•	इतिशेष (31.03.2025)	5347.72
झ.	एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन	
•	अथशेष (01.04.2024)	
•	अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	5328.29
•	बट्टे खाते में डालना/ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रलेखन	834.00
		1901.83
•	इतिशेष (31.03.2025)	4260.46
ञ.	अनर्जक निवेशों की राशि	2142.94
ट.	अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	2142.94
ठ.	निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार – चढाव (देशी)	01.04.2024 से प्रभावी आरबीआई के मौजूदा मास्टर निर्देश के अनुसार लागू नहीं
•	अथशेष (01.04.2024)	
•	अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	
•	बट्टे खाते में डालना/ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रलेखन	
ड.	इतिशेष (31.03.2025)	

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विभाजन (वैश्विक)

विवरण	राशि (करोड़ में)
दिन 1	36,297.94
2 दिन – 7 दिन	12742.35
8 दिन – 14 दिन	9460.09
15 दिन – 30 दिन	9353.25
31 दिन – 2 माह	15192.47
2 माह – 3 माह	19367.77
3 माह – 6 माह	36415.08
>6 माह – 12 माह	48812.97
>1 वर्ष – 3 वर्ष	90176.06
>3 वर्ष – 5 वर्ष	29133.37
> 5 वर्ष	97546.62

उद्योगवार एक्सपोजर

तालिका डीएफ़ -3	
	(रूपये करोड़ में)
उद्योग का नाम	एक्सपोजर
खनन व क्वेरियिंग	4446.80
खाद्य प्रसंस्करण	3893.51
उनमें से चीनी	675.15
उनमें से खाद्य तेल व वनस्पति	1009.42
उनमें से चाय	127.25
बेवरेज़ व तंबाकू उत्पाद	1536.05
सूती वस्त्र	2676.70
जूट वस्त्र	18.03
हस्तशिल्प/ खादी (गैर प्राथमिक)	222.06

तालिका डीएफ़ -3	
अन्य वस्त्र उद्योग	5071.16
चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	684.63
लकड़ी व लकड़ी उत्पाद	831.90
कागज व कागज उत्पाद	832.27
पेट्रोलियम (गैर- इंफ्रा) , कोयलान उत्पाद (गैर- खनिज) एवं नाभिकीय इंधन	2593.68
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेंटस, इत्यादि)	3712.18
उनमें से उर्वरक	1154.69
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	557.99
उनमें से अन्य	1997.81
रबर , प्लास्टिक और उनके उत्पाद	1501.22
ग्लास एवं ग्लासवेयर	58.86
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	733.23
लौह एवं स्टील	6029.98
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	2318.47
सभी इंजीनियरिंग	6954.33
उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	1091.21
वाहन , वाहन के भाग , परिवहन साधन	3994.41
रत्न व आभूषण	1879.02
निर्माण	2151.08
इंफरास्ट्रक्चर	24072.79
उनमें से रोडवेज़	5894.71
उनमें से ऊर्जा	14084.12
उनमें से दूरसंचार	227.54
अन्य उद्योग	2121.02
अवशिष्ट अन्य अग्रिम	264127.28
उनमें से उड्डयन क्षेत्र के लिए	154.47
कुल ऋण व अग्रिम	342460.67

डीएफ -4: उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

अ) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए

- **उपयोग की गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ ही किसी भी बदलाव की स्थिति का कारण**

आरबीआइ दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने केयर, क्रिसिल, इकरा, इंडिया रेटिंग, एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च और इन्फोमेरिक्स (घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) और फिच मूडीज और एस व पी (अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां) को अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में माना है । क्रमशः घरेलू और विदेशी एक्सपोज़र की रेटिंग, जिनकी रेटिंग का उपयोग जोखिम-भारित परिसंपत्तियों और पूंजीगत शुल्क की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।

- **एक्सपोज़र के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है**

(i) एक वर्ष से कम या उसके बराबर की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजर के लिए (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और अन्य रिवॉल्विंग क्रेडिट को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और अन्य रिवॉल्विंग क्रेडिट (अवधि की परवाह किए बिना) और 1 वर्ष से अधिक के टर्म लोन एक्सपोजर के लिए, दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

- **बैंकिंग बुक में तुलनीय संपत्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण**

बैंक के बाहरी रेटिंग एप्लिकेशन ढांचे के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से बैंक के दीर्घकालिक और अल्पकालिक एक्सपोजर के लिए निर्दिष्ट सभी दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग को बैंक द्वारा विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाता है।
- विदेशी संप्रभु और विदेशी बैंक एक्सपोज़र उन्हें जारीकर्ता रेटिंग के आधार पर जोखिम-भारित होते हैं।
- बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सुविधा/उधारकर्ता की बाहरी रेटिंग की पिछले 15 महीनों के दौरान ईसीएआइ द्वारा कम से कम एक बार समीक्षा की गई है और यह इसके आवेदन की तिथि पर लागू है।
- बैंक के नाम पर सीआरए द्वारा प्रकटीकरण के साथ बैंक सुविधा रेटिंग और उक्त सीआरए द्वारा रेटिंग कार्यों पर जारी प्रेस विज्ञप्ति (पीआर) में रेटेड संबंधित क्रेडिट सुविधाओं को केवल जोखिम भार उद्देश्य के लिए माना जाता है।
- जहां विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा एक इकाई को कई जारीकर्ता रेटिंग सौंपी जाती हैं, जोखिम भार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:
    - यदि किसी विशेष दावे के लिए चुनी गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा केवल एक ही रेटिंग है, तो उस रेटिंग का उपयोग दावे के जोखिम भार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
    - यदि चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दो रेटिंग दी गई हैं, जो अलग-अलग जोखिम भार में मैप की गई हैं, तो उच्च जोखिम भार लागू किया जाता है।
    - यदि चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अलग-अलग जोखिम भार के साथ तीन या अधिक रेटिंग दी गई हैं, तो दो सबसे कम जोखिम भार के अनुरूप रेटिंग को संदर्भित किया जाता है और उन दो जोखिम भार में से जो अधिक है उसे लागू किया जाता है, यानी, दूसरा सबसे कम जोखिम भार।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रू. करोड़ों में)

वर्गीकरण	न्यूनीकरण के बाद एक्सपोजर (ईएएम)	ईएएम बाहरी रेटिंग के अंतर्गत आता है	अनरेटेड
अग्रिम/निवेश			
100% जोखिम भार से कम	222362.49	31742.69	190619.79
100% जोखिम भार पर	28855.17	10277.41	18577.76
100% से अधिक जोखिम भार	26250.50	3715.08	22535.42
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	277468.16	45735.18	231732.97
अन्य परिसंपत्तियां			
100% जोखिम भार से कम	26512.09	578.15	25933.94
100% जोखिम भार पर	5084.55	4.24	5080.31
100% से अधिक जोखिम भार	0.01	0.01	0.00
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	31596.65	582.40	31014.25

डीएफ – 5 : उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) नीतियां और प्रक्रियाएं, और इस बात का संकेत कि बैंक किस हद तक ऑन-तुलन पत्र नेटिंग का उपयोग करता है

ऑन-तुलन पत्र नेटिंग ऋण/अग्रिम और जमा तक ही सीमित है, जहां बैंक के पास कानूनी रूप से लागू करने योग्य नेटिंग व्यवस्था है, जिसमें दस्तावेज़ीकरण के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीननिवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं की गणना करता है:
जहां बैंक:

क. के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी आधार है कि नेटिंग या ऑफसेटिंग समझौता प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में लागू करने योग्य है, भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया या ऋणशोधनाक्षम हो।

ख. के पास किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के साथ ऋण/अग्रिम और जमा का निर्धारण करने में सक्षम है जो नेटिंग समझौते के अधीन हैं; और

ग. के पास निवल आधार पर प्रासंगिक एक्सपोजर की निगरानी और नियंत्रण करता है, यह अपनी पूंजी पर्याप्तता गणना के आधार के रूप में ऋण/अग्रिम और जमा के निवल एक्सपोजर का उपयोग कर सकता है। ऋण/अग्रिम को एक्सपोज़र और जमा को संपार्श्विक माना जाता है।

• संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं

विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, बैंक ने बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन और क्रेडिट जोखिम शमन तकनीकों पर एक सुस्पष्ट नीति बनाई है। नीति दस्तावेज़ समय-समय पर जारी किए गए संपार्श्विक प्रबंधन दिशानिर्देशों के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। यह मोटे तौर पर बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों की प्रकृति और प्रकार को सूचीबद्ध करता है। यह मोटे तौर पर बैंक द्वारा उधार देने और ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन/निगरानी के लिए बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों की प्रकृति और प्रकार को सूचीबद्ध करता है ताकि बैंक के हितों की सुरक्षा/रक्षा की जा सके ताकि इससे जुड़े जोखिम को कम किया जा सके।

• बैंक द्वारा ली जाने वाली संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का विवरण

निम्नलिखित संपार्श्विक को आमतौर पर मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम शमनकर्ता के रूप में मान्यता दी जाती है:

- नकद या नकद समतुल्य (बैंक जमा/एनएससी/केवीपी/एलआइसी पॉलिसी, आदि)
- स्वर्ण
- केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां

• गारंटर प्रतिपक्ष के मुख्य प्रकार और उनकी साख योग्यता

आरबीआइ दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटर के रूप में स्वीकार करता है:

- संप्रभु, संप्रभु संस्थाएं [बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआइएस), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), यूरोपीय सेंट्रल बैंक और यूरोपीय समुदाय के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक, निर्यात क्रेडिट और गारंटी निगम (ईसीजीसी) और माइक्रो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट सहित और छोटे उद्यम (सीजीटीएमएसई)], सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई), बैंक और प्राथमिक डीलर, प्रतिपक्ष की तुलना में कम जोखिम भार वाले।

- अन्य गारंटर जिनकी बाहरी रेटिंग एए या इससे बेहतर है। यदि गारंटर एक मूल कंपनी, सहयोगी या सहायक कंपनी है, तो उन्हें बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त गारंटी के लिए दायित्वधारी से कम जोखिम भार का आनंद लेना चाहिए। गारंटर की रेटिंग एक इकाई रेटिंग होनी चाहिए जिसमें इकाई की सभी देनदारियों और प्रतिबद्धताओं (गारंटी सहित) को शामिल किया गया हो।

• शमन के अंतर्गत (बाज़ार या क्रेडिट) जोखिम सांद्रता के बारे में जानकारी:

बैंक के पास परिसंपत्तियों का एक विस्तृत पोर्टफोलियो है जो विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित है, जैसे: -

- ऊपर सूचीबद्ध योग्य वित्तीय संपार्श्विक
- संप्रभु और अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स द्वारा गारंटी,
- प्रतिपक्ष की अचल संपत्ति और वर्तमान संपत्ति।

रू. करोड़ में

डीएफ़- 5 ऋण जोखिम शमन	31.03.2025
ख. प्रत्येक के लिए अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों, एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ तुलन पत्र नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कटौती के पश्चात कवर किया गया है।	78306.20
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ	279.70
बैंकों – अनुसूची (आइ एन आर)	0.00
एफ सी वाई में विदेशी बैंकों का दावा	0.00
प्राथमिक डीलर (पीडी)	0.00
कॉर्पोरेट	3120.59
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो	55849.66
आवासीय संपति द्वारा प्रतिभूत	2.43
वाणिज्यिक संपत्ति द्वारा प्रतिभूत	8.39
उपभोक्ता ऋण	18898.87
पूँजी बाज़ार एक्सपोज़र	0.00
एन बी एफ सी एन डी	131.52
जोखिम पूँजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ आवासीय ऋण	0.00
अनर्जक आस्तियाँ अन्य	0.00
स्टाफ ऋण	15.01
अन्य आस्तियाँ	0.00
पुनर्संरचित /पुनर्गठित खाते	0.00

वाणिज्यिक संपत्ति- आर एच द्वारा प्रतिभूत दावे – आर एच	0.04
ग. प्रत्येक के लिए अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों, एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ तुलन पत्र नेटिंग के बाद) जो कि गारंटी/ ऋण व्युत्पन्नी द्वारा कवर किया गया है (जब भी आरबीआइ द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदत्त)	38054.76
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	26886.78
कॉर्पोरेट	6163.66
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो	4229.21
एनबीएफ़सी	765.94
सीआरई	8.87
सीआरई- आरएच	0.30

डीएफ 6 : प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया ।

डीएफ – 7 : ट्रेडिग बुक में बाज़ार जोखिम

क. गुणात्मक प्रकटीकरण :

बाज़ार जोखिम :

बाज़ार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, इक्विटी कीमतें तथा कमोडिटी कीमतों जैसे बाज़ार व्युत्पन्न द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-तुलन पत्र तथा ऑफ तुलन पत्र स्थिति में हानि होने की संभावना होती है। बाज़ार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एचवीटीपीएल तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में जोखिम की स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और इक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाज़ार जोखिम को कम करना है ।

बाज़ार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ :

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाज़ार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। अन्य नीतियां जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित हैं, वे हैं कंट्री रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, काउंटरपार्टी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ट्रेजरी ऑपरेशंस के लिए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी और स्ट्रेस टेस्टिंग पॉलिसी। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए अच्छी तरह से परिभाषित संगठन संरचना निर्धारित करती है, जिससे बैंक द्वारा किए गए बाजार जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण एएलएम ढांचे के भीतर किया जाता है, जो बैंक की जोखिम सहनशीलता के अनुरूप है। नीतियां बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न जोखिम सीमाएं निर्धारित करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि परिचालन उचित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन के माध्यम से बैंक की बाजार जोखिम में वापसी की अपेक्षा के अनुरूप है। नीतियां बाजार जोखिम की प्रभावी निगरानी के लिए रिपोर्टिंग ढांचे से भी निपटती हैं ।

एएलएम नीति विशेष रूप से चलनिधि जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन ढांचे से संबंधित है । जैसा कि नीति में परिकल्पना की गई है, आरबीआइ द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना डेटा कवरेज के आधार पर दैनिक आधार पर अवशिष्ट परिपक्वता/परिसंपत्तियों और देनदारियों के व्यवहार पैटर्न के आधार पर जीएपी विश्लेषण के माध्यम से तरलता जोखिम का प्रबंधन किया जाता है । स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट के माध्यम से चलनिधि जोखिम अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक को घरेलू संचालन के लिए रिपोर्ट किया गया था, जबकि इसे प्रत्येक विदेशी केंद्र में अलग से प्रबंधित किया गया था और पूर्व में नियंत्रण उद्देश्य के लिए एएलसीओ को रखा गया था । हालांकि मार्च 2013 से आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार, तरलता जोखिम की गणना की जाती है और भारतीय रिज़र्व बैंक को रुपये और विदेशी मुद्रा में घरेलू संचालन, विदेशी केंद्रों और विभिन्न आवृत्तियों पर बैंक संचालन के लिए समेकित किया जाता है ।

आरबीआइ ने तरलता के वित्तपोषण के लिए दो न्यूनतम मानकों जोकि चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अल्पावधि लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए और नेट स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) लंबी अवधि के दौरान बैंक की लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए हैं, पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। ।

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना दैनिक आधार पर

की जाती है, एएलसीओ को रखा जाता है, और मासिक आधार पर आरबीआइ को रिपोर्ट किया जाता है। निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफ़आर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है, मासिक आधार पर एएलसीओ को रखा जाता है और तिमाही आधार पर आरबीआइ को रिपोर्ट किया जाता है।

बैंक ने आकस्मिक निधियन योजना की व्यवस्था की है। कुशल परिसंपत्ति देयता प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण (सहिष्णुता) सीमाएं पहले चार कोष्ठक के लिए आरबीआइ द्वारा और विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता समय कोष्ठक के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती हैं। विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से बैंक की तरलता प्रोफ़ाइल का मूल्यांकन किया जाता है। तरलता की स्थिति पर किसी भी प्रकार के तनाव से निपटने के लिए बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपाय भी किए हैं। बैंक व्यवस्थित और स्थिर निधि योजना के माध्यम से घरेलू ट्रेजरी द्वारा पर्याप्त तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने अवधि अंतराल विश्लेषण फ्रेमवर्क भी बनाया है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन तथा अवधि अंतराल आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करती है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाज़ार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। कार्यरत मिड ऑफिस विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है । चूंकि ब्याज दर की गति अस्थिर होती है, खासकर रु. 3 करोड़ व इससे अधिक पर, इसलिए अलको द्वारा अनुमोदित थोक जमा के लिए ब्याज दरें कैप के रूप में कार्य करेंगी और मप्र (ट्रेजरी) को जमा पर ब्याज दरों को उद्धृत करने के लिए नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बेहतर ब्याज दरों को उद्धृत करने और वर्तमान और अनुमानित तरलता के आधार पर कैप के भीतर संचालित करने का अधिकार होगा। रिटर्न को अधिकतम करने के लिए बैंक की स्थिति, धन के तत्काल भुगतान की आवश्यकता, उपलब्ध तैनाती के अवसरों के संबंध में बाजार का रुझान, अन-हेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर पर प्रभाव आदि। अलको पिछले महीने के दौरान उद्धृत थोक घरेलू जमा (रुपये 3 करोड़ और उससे अधिक की जमा) पर ब्याज दर की समीक्षा करेगा।

साथ ही, बैंक के पास समर्पित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति भी है जो यह सुनिश्चित करती है कि बैंक का परिचालन बाजार जोखिम पर प्रतिफल की प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाज़ार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.03.2025 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

रु.करोड़ में

बाज़ार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	0.00	0.00
ईक्विटी स्थिति जोखिम	1100.22	88.02
विदेशी विनिमय जोखिम	240.42	19.23
कुल	1340.64	107.25

डीएफ – 8 - परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाली हानि संबंधी जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है लेकिन रणनीतिक और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है ।

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) साइबर सुरक्षा नीति (ग) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (घ) अपने ग्राहक को जानें (के वाइ सी) पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (ड.) निरंतर कारोबार तथा आपदा उद्धार योजना (बीसी) डीआरपी अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोत पर नीति।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य

लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारा बैंक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी संगणना हेतु आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को परिचालनात्मक जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर पूंजी धारित करनी चाहिए।

31.03.2025 तक रूपये करोड़ में

मानदंड	पूँजी राशि	कल्पित जोखिम भारित आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15 %	1534.65	19183.13

डीएफ – 9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण :

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां बाज़ार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है । ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है । परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनाऐएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है । इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है ।

जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और जोखिम स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है और बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किया जाता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा ओपन स्थिति सीमा (दिन के समय/रात), स्टॉप लॉस सीमा, समग्र अंतर सीमा की निगरानी की जाती है और अपवाद, यदि कोई हो, तो बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और बैंक के शीर्ष प्रबंधन को सूचित किया जाता है।

जोखिम पर मूल्य (वीएआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है। बाजार जोखिम तनाव परीक्षण जोखिम मूल्य के पूरक के रूप में पाक्षिक अंतराल पर किया जाता है। परिणाम बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और बैंक के शीर्ष प्रबंधन को सूचित किए जाते हैं।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (% के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषन को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है । इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है ।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अंतराल विश्लेषण (डीजीए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टीजीए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आर्ति (आर एस ए) दर संवेदनशील देयता (आर एल ए) पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की आस्ति या वैश्विक देयता कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5% या अधिक हो । सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर गणना की जाती है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2025 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(रू. करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर) 31.03.2025	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	326.70 (पिछले वर्ष के एनआइआई का 3%)	14.05	46.11
0.50% परिवर्तन	653.40 (पिछले वर्ष के एनआइआई का 6%)	28.10	92.22
0.75% परिवर्तन	980.10 (पिछले वर्ष के एनआइआई का 9%)	42.15	138.33
1.00% परिवर्तन	1306.80 (पिछले वर्ष के एनआइआई का 12%)	56.20	184.44
2.00% परिवर्तन	2613.60 (पिछले वर्ष के एनआइआई का 24%)	112.40	368.88
इक्विटी का आर्थिक मूल्य			31.03.2025
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)% में			-0.08
एएलएम नीति के अनुसार सीमा			(+/-)1.00%
इक्विटी की बाज़ार मूल्य (एमवीइ)			
200 बीपीएस दर आघात के लिए ईक्विटी में घटाव मात्रा % में			2.30%

डीएफ – 10 प्रतिपक्ष उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर से संबंधित सामान्य प्रकटीकरण

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक अपने और अपने ग्राहकों के अंतर्निहित जोखिम के जोखिम से बचाव के लिए एक उपयोगकर्ता के रूप में डेरिवेटिव बाजार में भाग ले रहा है। बैंक की व्यावसायिक संरचना, ग्राहकों की प्रकृति और मिश्रण, पूंजी की आवश्यकता और जोखिम की भूख को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव नीति द्वारा शासित होती हैं। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध जैसे व्युत्पन्न उत्पाद में काम कर रहा है।

विभिन्न स्तरों पर काउंटर पार्टी सीमा, स्टॉप लॉस सीमा, डे लाइट सीमा, ओवरनाइट सीमा, स्टॉप लॉस सीमा और एक्सपोज़र सीमा आदि जैसी विभिन्न सीमाएँ स्थापित करके विभिन्न जोखिमों का मापन और प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। ऐसी सीमाओं का उपयोग निवेश प्रबंधन नीति और आरबीआइ/सेबी/एक्सचेंजों के दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में)

क्र	ब्यौरे	कल्पित मूल्य	एमटीएम	कुल चालू ऋण एक्सपोजर
1	डेरिवेटिब्स	0.00	0.00	0.00
2	ब्याज दर करार / स्वैप एस	0.00	0.00	0.00
3	आगे की खरीददारी /बिक्री करार	129127.25	767.86	767.86
4	ऋण डेरिवेटिब्स	0.00	0.00	0.00
5	ऋण डिफ़ोल्ट स्वैप	0.00	0.00	0.00
	कुल	129127.25	767.86	767.86

डीएफ -11: पूँजी की संघटना

रू. करोड़ में

	डीएफ - 11 पूंजी की संरचना	राशि
बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट का उपयोग विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)		
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ		
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	28893.09
2	प्रतिधारित आय	10506.14
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	2365.01
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी	41764.24
सामान्य ईक्विटी टियर।पूँजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन (एसआर के प्रावधान को लाभ एवं हानि में वापस लाया गया तथा सीईटी 1 से घटाया गया)	421.37
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	11134.59
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	

	डीएफ - 11 पूंजी की संरचना	राशि
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ	
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि	
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)	
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	395.51
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10% से अधिक नहीं रखता है (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश	
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों का निवल (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)3	0.00
20	बंधक सेवा अधिकार (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00
21	अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	840.57
22	15 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0.00
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00
26बी	जिसमें से: समेकित गैरवित्तीय अनुषंगियों 8 की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00
26सी	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक द्वारा नहीं हुआ है, की ईक्विटी पूँजी में कमी	0.00
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00
बेसल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों केसंबंध में सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन		
27	कटौती को कवर करने केलिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन।	0.00
28	सामान्य ईक्विटी टियरपर कुल विनियामक समायोजन	12792.04
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी 1)	28972.20

	डीएफ - 11 पूंजी की संरचना	राशि
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत		
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	0.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	0.00
33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी 1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी 1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषगिंयों द्वारा जारी लिखत	0.00
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0.00
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: नियामक समायोजन		
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	0.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	0.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0.00
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में निवेश	0.00
41बी	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00
42	अपर्याप्त टियर II की वजह से कटौतियों को कवर करने केलिए अतिरिक्त टियर I में लागू विनियामक समायोजन	
43	अतिरिक्त टियर I पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00
44	अतिरिक्त टियर I पूँजी (एटी1)	0.00
45	टियर I पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44)	28972.20

	डीएफ - 11 पूंजी की संरचना	राशि
टियर 2 पूंजी: लिखत और प्रावधान		
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	2065.00
47	टियर 2 से बाहर होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	0.00
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0
50	प्रावधान	2347.00
51	विनियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूँजी	4412.00
टियर 2 पूंजी: नियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	0.00
53	टियर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों कानिवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10%% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारीसाझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0
55	विनियामक समेकन संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	
56ए	जिनमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0
56बी	जिनमें से: बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टियर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक केसाथ समेकित नहीं किया गया है	0
57	टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	4412.00
59	कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	33384.20
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	169083.87
60ए	जिनमें से : कुल उधार जोखिम भारित आस्तियां	148560.11
60बी	जिनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारित आस्तियां	1340.64
60सी	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारित आस्तियां	19183.13

	डीएफ - 11 पूंजी की संरचना	राशि
पूंजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वालीआस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	17.13%
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	17.13%
63	कुल पूँजी (जोखिम भारितआस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	19.74%
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	8.00%
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	2.50%
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0
67	जिनमें से : जी-एसआइबी बफर अपेक्षा	0
68	बफर की पूर्ति केलिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.63%
राष्ट्रीय मिनीमा (यदि बेसल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसलIII न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.50%
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	7.00%
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%
कटौती के लिए सीमा से नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)		
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियॉ (संबंधित कर देयता का निवल)	0
टियर 2 में लागू प्रावधानों को शामिल करने पर कैप		
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	2347.00
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने केलिए सीमा	2347.00
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणें के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	लागू नहीं
79	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के तहत टियर 2 में शामिल करने केलिए प्रावधान की सीमा	लागू नहीं

	डीएफ - 11 पूंजी की संरचना	राशि
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी1 पर वर्तमान सीमा	0
81	कैप के कारण देय सीइटी1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	0
82	फेज आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	0
83	सीमा को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0.00
84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	0.00
85	सीमा को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0.00

रू. करोड़ में

टेम्पलेट पर नोट्स		
टेम्पलेट की क्रम संख्या	विवरण	
10	संचयी हानि के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	3863.98
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	0.00
19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णतः नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10 की सीमा पर विचार किया गया है, बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0
	इसमें से : सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोतरी	0
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोतरी	0
26b	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की ईक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में बढ़ोतरी	0
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	2347.00
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	क्रम 50 का कुल	2347.00

तालिका डीएफ़ – 12 पूँजी की संरचना – समाधान आवश्यकता

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र	31.03.2025 नियामक विचार के समेकन के अंतर्गत तुलनपत्र
क	**पूंजी और देयताएँ**		
i	प्रदत्त पूँजी	19,256.59	19,256.59
	आरक्षिति तथा अधिशेष	13,284.33	12,976.76
	अल्पमत ब्याज	-	-
	कुल पूँजी	**32,540.92**	**32,233.35**
ii	**जमाएं**	**3,11,938.82**	**3,11,938.82**
	जिसमें से : बैंकों से जमा	1,558.31	1,558.28
	जिसमें से : ग्राहकों से जमा	3,10,380.51	3,10,380.55
	जिसमें से : अन्य	-	-
iii	**उधार**	**42,227.65**	**42,227.66**
	जिसमें से : आरबीआइ से	-	-
	जिसमें से : बैंक से	3,366.95	3,366.95
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	22,454.66	22,545.66
	जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर)	14,150.04	14,150.05
	जिसमें से : पूँजी लिखत	2,165.00	2,165.00
iv	**अन्य देयताएँ तथा प्रावधान**	**8,307.54**	**8,308.13**
	कुल	**3,95,014.93**	**3,94,707.97**
ग			
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष**	**18,115.55**	**18,115.87**
	बैंक में शेष तथा अल्प सूचना पर मांग मुद्रा	**2,954.72**	**3,103.76**
II	**निवेश**	**1,11,044.84**	**1,10,587.97**
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियाँ	1,05,265.83	1,05,265.83
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
	जिसमें से : शेयर	1,283.99	952.61
	जिसमें से : डिबेंचर तथा बाण्ड	3,072.23	3,072.23
	जिसमें से : अनुषंगियों / संयुक्त उपक्रम / सहयोगी	809.09	615.65
	जिसमें से : अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्यूअल निधि आदि)	613.70	681.65

iii	**ऋण तथा अग्रिम**	**2,45,555.17**	**2,45,555.17**
	जिसमें से : बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	-	
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	2,45,555.17	2,45,555.17
iv	**अचल आस्तियाँ**	**4,654.82**	**4,654.82**
v	**अन्य आस्तियाँ**	**12,689.84**	**12,690.37**
	जिसमें से : साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	-	
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियाँ	3,863.98	3,863.98
vi	समेकन पर साख	-	
vii	लाभ व हानि खाते में नामे शेष	-	
	कुल	**3,95,014.93**	**3,94,707.97**

तालिका डीएफ – 13 : विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ

विनियामक पूंजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट				
क्र सं.	विवरण	दिनांकित बेसल III टियर II शृंखला III	दिनांकित बेसल III टियर II शृंखला IV	दिनांकित बेसल III टियर II शृंखला V
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआइपी, आइएसआइएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आइएनई565ए08035	आइएनई 565ए08043	आइएनई 565ए08050
3	लिखत के शासी कानून	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
नियामक समाधान				
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्तन के बाद बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	400.00	665.00	1000.00
9	लिखत का बराबर मूल्य	रूपये 10.00 लाख	रूपये1.00 करोड़	रूपये 1.00 करोड़
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	निर्गम की मूल तिथि	24.09.2019	31.03.2022	24.03.2023
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित

13	परिपक्वता की मूल तिथि	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	नहीं	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक पूर्व माँग तिथि, आकस्मिक माँग तिथियां और मोचन राशि (रु. करोड़ों में)	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 665	शून्य, शून्य, 1000
16	आगामी माँग तिथियां यदि लागू है तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कूपन / लाभांश				
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	कूपन रेट	कूपन रेट	कूपन रेट
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर - संचयी	गैर - संचयी	गैर - संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो उस लिखत प्रकार को निर्दिष्ट करें जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	हां	हां	हां
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	स्थायी	स्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन की अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन अंतरण सुविधाएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हां, तो गैर-अनुपालन विशेषताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ 14: वनियिामक पूंजी लखितों के लएि नयिम व शर्ते

विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ का प्रकटीकरण टेम्पलेट				
क्र. सं.	विवरण	बेमियादी/ दिनांकित बेसल III अनुपालन टियर II शृंखला III	बेमियादी/ दिनांकित बेसल III अनुपालन टियर II शृंखला IV	बेमियादी/ दिनांकित बेसल III अनुपालन टियर II शृंखला V
1	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआइपी, आइएसआइएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई565ए08035	आईएनई 565ए08043	आईएनई 565ए08050
2	लिखत का प्रकार	ऋण लिखत	ऋण लिखत	ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु. 10.00 लाख	रु. 1.00 करोड़	रू. 1.00 करोड़
4	सतत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	नहीं	हाँ	हाँ
7	वैकल्पिक माँग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रू. करोड़ में)	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 665	शून्य, शून्य, 1000
8	निश्चित या चल लाभांश/कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
11	क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	गैर -संचयी या संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी
13	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन की अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
15	गैर अनुपालन अंतरण सुविधाएँ	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हां, तो गैर-अनुपालन विशेषताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ़-15 पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर लागू नहीं।

तालिका डीएफ-16: इक्विटी - बैंकिंग बही स्थिति के लिए प्रकटीकरण

मात्रात्मक प्रकटीकरण

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के इक्विटी पोर्टफोलियो का मूल्य इस प्रकार है:

बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग श्रेणी के लिए धारित इक्विटी शेयरों के लिए

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नवीनतम बाजार दरों पर किया जाता है, अर्थात बाजार के हिसाब से।
- गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्र से निर्धारित बही मूल्य पर किया जाता है। यदि तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो उसका मूल्यांकन प्रति कंपनी 1/- रुपये के हिसाब से किया जाता है।

परिपक्वता श्रेणी तक धारित इक्विटी शेयरों के लिए

- परिपक्वता तक धारित श्रेणी में रखे गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रूपये करोड़ में)

क्रम	विवरण	राशि
1	निवेशों के तुलन-पत्र में प्रकट मूल्य, साथ ही साथ उन निवेशों का उचित मूल्य; उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए, सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर की कीमत वास्तविक मूल्य से भौतिक रूप से भिन्न होती है	0.00
2	निवेश के प्रकार और प्रकृति, उस राशि सहित जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: • सार्वजनिक रूप से कारोबार; और • निजी रूप से रखा गया	 455.72 1030.85
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न होने वाले संचयी लाभ/ (हानि)। (01.04.2024 से 31.03.2025 वित्तीय वर्ष 2024-25	21.29
4	कुल गैर-तरलीकृत प्राप्तियाँ (हानियाँ)13	259.48
5	कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ) 14	0.00
6	टियर 1 और/या टियर 2 पूंजी ** में शामिल उपरोक्त में से कोई भी राशि	606.90
7	बैंक की कार्यप्रणाली के साथ-साथ कुल राशि और किसी भी पर्यवेक्षी संक्रमण या नियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में ग्रैंडफादरिंग प्रावधानों के अधीन इक्विटी निवेश के प्रकार के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी ग्रुपिंग द्वारा विभाजित पूंजी आवश्यकताएं	शून्य

** प्रायोजक के रूप में ओडिशा ग्राम्य बैंक की शेयर पूंजी में इंडियाट्स बैंक का निवेश।
13 ऊपर दर्शाया गया आंकड़ा बास्केट-एएफएस श्रेणी के शेयरों में एमटीएम लाभ/हानि है ।

14 कुल अप्राप्त लाभ (हानि) घटाए गए मूल्यवृद्धि को अनदेखा कर दिया गया है, जो निष्पादन करने वाले शेयरों/गैर सीडीआर शेयरों से संबन्धित है ।

डीएफ 17 : लेखांकन आस्तियां तथा लिवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपायों का तुलनात्मक सारांश

(रूपये करोड़ में)

	मद	राशि
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	433187
2	बैंकिंग में निवेश हेतु समायोजन, वित्तीय, बीमा अथवा कारोबारी इकाइयां जो कि लेखांकन उद्देश्य से समेकित की गई हैं किंतु नियामक समेकन के विस्तार के बाहर हैं	617
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किंतु लिवरेज अनुपात मानक से बाहर तुलनपत्र पर पहचानी गई प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन	0
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	4119
5	लेनदेनों को वित्तपोषित करने वाली प्रतिभूतियों के लिए समायोजन (यानि रेपो एवं समान प्रतिभूत उधार)	0
6	तुलनपत्र से इतर की मदों के लिए समायोजन (तुलनपत्र एक्सपोजर से इतर समतुल्य क्रेडिट राशियों में परिवर्तन)	18478
7	अन्य समायोजन	35144
8	लिवरेज अनुपात एक्सपोजर	420023

डीएफ 18 : लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

(रूपये करोड़ में)

	मद	
1	तुलन पत्र की मदें (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर किंतु संपार्श्विकों सहित)	433187
2	(बेसल III टियर 1 पूंजी को निर्धारित करने में कटौती की गई आस्ति राशियां)	35761
3	तुलनपत्र में कुल एक्सपोज़र (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 व 2 का योग)	397426
	डेरीवेटिव एक्सपोज़र	
4	सभी डेरीवेटिव लेनदेनों के साथ संबद्ध प्रतिस्थापना मूल्य (जैसे कि पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का निवल)	768
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों के साथ पीएफई संबद्ध हेतु अतिरिक्त राशियां	3351
6	जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर तुलन पत्र आस्तियों से कटौतियां की गई हैं वहां डेरीवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप	---
7	(डेरीवेटिव लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौतियां)	---
8	(ग्राहक-निपटान कारोबार एक्सपोज़र से सीसीपी लेग की छूट)	---
9	लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए अनुमानित राशि का प्रभावी समायोजन	---
10	(लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए समायोजित अनुमानित राशि ऑफसेट तथा अतिरिक्त कटौतियां)	---
11	कुल डेरीवेटिव एक्सपोज़र (4 से 10 पंक्तियों का योग)	4119

	लेनदेन एक्सपोज़र को वित्तपोषित करने वाली प्रतिभूति	
12	बिक्री खाता लेनदेनों के लिए समायोजित करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की कोई मान्यता नहीं है)	---
13	(सकल एसएफटी आस्तियो की नकद प्राप्तियों तथा नकद देयताओं की निवल राशि)	---
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोज़र	---
16	लेनदेन एक्सपोज़र्स को वित्तपोषित करने वाली कुल प्रतिभूतियाँ (12 से 15 पंक्तियों का योग)	0
	तुलन पत्र से इतर अन्य मदें	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र	46064
18	(क्रेडिट समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन)	27586
19	तुलनपत्र से इतर मदें (17 तथा 18 पंक्तियों का योग)	18478
	पूंजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20	टियर 1 पूंजी	28972
21	कुल एक्सपोजर (3,11,16 तथा 19 पंक्तियों का योग)	420023
	लिवरेज अनुपात	
22	बेसल III लिवरेज अनुपात	6.90%

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता रिपोर्ट

यथा तिथि तक संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34 2 (एफ) के अनुसार सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएफडी-एसईसी-2/ पी/ सीआइआर/ 2023/ 122 दिनांक 12 जुलाई 2023, एनएसई परिपत्र संदर्भ संख्या: एनएसई/ सीएमएल/ 2024/ 11 दिनांकित 10.05.2024 और बीएसई नोटिस संख्या 20240510-48 दिनांकित 10.05.2024 के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट तैयार की गई है और बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है, जिसका लिंक निम्नलिखित है :

https://www.iob.in/UPLOAD/CEDocuments/iobBRSR_2024-25.pdf

लाभांश वितरण नीति

यथा तिथि तक संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के खंड 43ए के अनुसार बैंक ने एक लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है ।

https://www.iob.in/upload/CEDocuments/IOB_Dividend_Distribution_Policy.pdf

ABOUT THE REPORT

With over eight decades of committed service, Indian Overseas Bank (IOB) has stood as a pillar of trust in India's financial landscape. Rooted in integrity, inclusion, and community service, the Bank continues to evolve, anchored by its heritage while embracing a future defined by innovation and resilience, truly reflecting its ethos of Strong Roots, Rising Future.

This report marks IOB's first step toward adopting the Integrated Reporting (<IR>) framework, aligning financial and non-financial disclosures with our enduring values and forward-looking vision, in keeping with the theme 'Strong Roots, Rising Future'.

It reaffirms our commitment to foundational principles while investing in sustainability-led innovation and inclusive growth strategies.

Backed by a growing network, solid capital position, and digital transformation, IOB is charting a course for long-term relevance and responsible growth, grounded in its legacy, yet focused on a dynamic and resilient future.

Reporting Frameworks and Guidelines

- The Banking Regulation Act, 1949.
- Regulations, circulars, and guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI).
- Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013.
- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The Companies Act, 2013, Companies (Accounts) Rules, 2014, and Companies (Accounting Standards) Rules, 2021.
- RBI's corporate governance framework and related directives.
- Indian Banks' Association Code of Banking Practices.
- Code of Corporate Governance prescribed by SEBI.
- Integrated Reporting Framework (<IR>).
- SEBI Guidelines on Integrated Reporting.

Reporting Period:

This report presents the bank's standalone financial and operational performance from April 1, 2024, to March 31, 2025. Select strategic developments occurring post-March 31, 2025, have also been included wherever material.

Reporting Boundary:

This report follows the guiding principles & Glide path to IR of the Integrated Reporting (<IR>) Framework, offering a cohesive overview of the Bank's financial results and non-financial developments.

Assurance:

The Bank's standalone and consolidated financial statements have been independently audited by:

M/s. R Devendra Kumar & Associates	FRN 114207W
M/s. Tej Raj & Pal	FRN 304124E
M/s. Laxmi Tripti & Associates	FRN 009189C
M/s. Sanjeev Omprakash Garg & Co.	FRN 008773C

FAP Solutions Private Limited has provided a reasonable assurance on Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR).

Forward Looking Statement:

This report may contain forward-looking statements that involve known and unknown risks, uncertainties, and other factors. These statements are based on current expectations and assumptions and do not guarantee future performance. Readers are advised to exercise judgment and refer to official filings for updates.

Feedback

We welcome your feedback on this report.
Please write to us at: investor@iobnet.co.in

NAVIGATE THE REPORT

Our Stakeholders

- Customer
- Employee
- Regulators
- Investor / Shareholder
- Communities

Capitals

- Financial
- Manufactured
- Intellectual
- Human
- Social & Relationship
- Natural

Material Issues

- Data Privacy
- Business Continuity
- Ethical Behaviour
- Systematic Risk Management
- Financial Inclusion
- Customer Fairness and Right Selling
- Employee Benefits and Development
- Regulatory and Legal Compliance
- GHG Emissions Management
- ESG Oversight

SDGs



CORPORATE OVERVIEW

Our Legacy, Evolution & Strong Roots

Founded in 1937 by Shri M.Ct.M. Chidambaram Chettyar, Indian Overseas Bank (IOB) was established to provide banking services to the underserved and promote India's global trade aspirations. Over the decades, the Bank has remained committed to nation-building, financial inclusion, and ethical banking. As we completed 88 years of service in FY 2024–25, IOB is one of India's trusted public sector banks, known for its widespread reach, customer-centric ethos, and prudent governance.

With branches in financial hubs like Singapore, Colombo and Hong Kong, IOB maintains a global presence that complements its domestic strength. The Bank's long-standing focus on responsible credit, inclusive access, and core sector support has been supplemented by early investments in technology and digital systems, enabling it to modernise while preserving the values that shaped its foundation. The Bank's ability to adapt while staying true to its roots reflects its strong institutional foundation. IOB is among India's first banks to introduce digital banking and computerisation.

IOB's journey has been marked by resilience and reinvention. It has navigated economic shifts, technology disruptions, and regulatory reforms while continuing to serve individuals, enterprises, and communities across the country.

A Diverse and Evolving Business Model

IOB offers a comprehensive suite of financial products and services across retail, agriculture, MSME, and corporate banking. We operate on a universal banking model, catering to credit and deposit needs through a broad portfolio that includes housing loans, jewel loans, business finance, agri-credit, and a growing bouquet of ESG-linked products.

Our diversified income mix reflects the strength of our core operations and the agility of our product design. In FY 2024–25, the Bank recorded a 14.15% growth in global advances and an 11.30% growth in total business, with robust contributions from the RAM (Retail, Agriculture, MSME) sectors, which now account for 77.78% of total domestic credit.

With growing emphasis on sustainability as well as digital change, IOB remains aligned with emerging customer aspirations, country priorities, and international standards.

Wide Geographic and Digital Reach

As of March 31, 2025, Indian Overseas Bank has a formidable presence with:

3,335
Branches across India, including 929 rural branches

3,497
ATMs/CRMs

10,135
Business Correspondents, ensuring last-mile financial access

4
Overseas branches in Singapore, Hong Kong, Bangkok, and Colombo

In addition to physical reach, we have rapidly scaled our digital infrastructure:

1.02+ CRORE
Mobile banking users

1.20+ CRORE
UPI-registered users

digital.iob.in
A fully integrated digital banking hub

Tab-based doorstep banking, Aadhaar Face Authentication, and online self-service journeys

This hybrid model of high-touch and high-tech banking enables us to serve a wide demographic: urban salaried professionals, rural farmers, MSME entrepreneurs, and the global Indian diaspora.

Purpose-Led Growth with National Impact

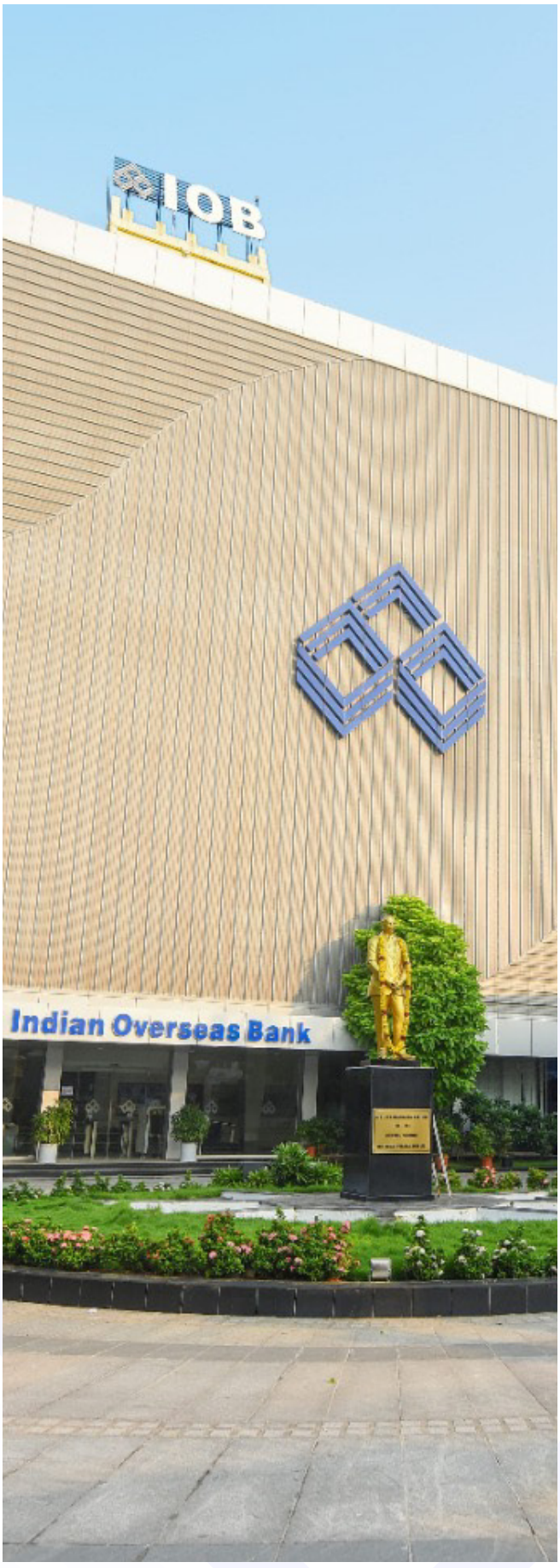
IOB continues to uphold its mandate as a purpose-driven bank that creates lasting social and economic value. We are active partners in key government schemes such as PMJDY, PM-KUSUM, PMSBY, and APY, with over 87 lakh Jan Dhan accounts and a strong focus on rural and agri-lending. Our green finance portfolio—including solar energy, EV loans, and sustainable infrastructure—is growing rapidly, IOB's contributions to public sector strength, financial inclusion, and digital enablement were recognised through awards and certifications in FY25, including top rankings in EASE 5.0, five awards at the IBA Banking Technology Awards, and ISO certification for our Staff College, reflecting its operational capabilities and stakeholder confidence.

Our Rising Future

Indian Overseas Bank is entering a new phase of strategic growth anchored in financial stability, customer-centric transformation, and operational efficiency. The Bank is deepening its presence in the retail, agriculture, and MSME segments, supported by a focused shift toward technology-led delivery models.

Enhanced digital adoption across mobile, UPI, and internet banking platforms is reshaping customer engagement, while partnerships with fintech's and upgrades to internal systems are streamlining loan origination and service delivery.

With sustainability emerging as a core priority, the Bank is actively integrating ESG considerations into its lending and governance frameworks. Continued emphasis on expanding inclusive access, modernising operations, and building internal capabilities positions IOB to grow with purpose and resilience in a rapidly evolving financial ecosystem.



GUIDING OUR JOURNEY



SHRI M. Ct. M. CHIDAMBARAM CHETTYAR
Founder Chairman

OUR VISION

"To emerge as the preferred Bank connecting Generations with high standards of ethics and Governance."

CORE VALUES

- Integrity and Transparency
- Innovation and collaboration
- Sustainability

OUR MISSION

"To provide best Banking solutions through digital and physical experience for customer delight with skilled manpower."

Strategic Objectives

- Continued focus on improving overall operating performance
- Focus on portfolio quality & improving capital optimization
- Focus on digitization and technology
- Focus on increasing profitability
- Open new banking outlets to expand our Bank's network

1937
Indian Overseas Bank (IOB) was founded on 10th February 1937 by Shri. M. Ct. M. Chidambaram Chettyar

1957
Bank established its own Training Centre.

1964
Inauguration of IOB's Head Office in Mount Road.

1969
Nationalisation of the Bank.

1984
1000th branch opened (Gobindpuri Branch).

1996
Banks profit reached ₹100 cr. for the first time

2000
Initial Public Offer and Follow on Public offer in 2003.

2009
Achieved 100% CBS

2010
Bank opened its 2000th Branch (Yamuna Vihar Branch).

2013
Bank surpassed the landmark of 3000 Branch by opening of Vaniangudi Branch.

2016
All branches migrated from in house CBS platform "CROWN" to FINACLE.

2021
RBI takes IOB out of PCA Framework on improvement in financial and credit profile.

2024
The Bank crossed the ₹5 lakh crore mark in total business for the first time during the year ended on March 31, 2024.

2024
IOB reached a noteworthy milestone by being the fifth public sector lender to reach ₹1 lakh crore in market capitalization.

"GOOD PEOPLE TO GROW WITH"

VALUE CREATION MODEL

Inputs (Capitals Deployed)

Capitals	Key Inputs	
Financial Capital	Capital	₹ 19,256.59 Cr.
	Deposits	₹ 3.12 Lakh Cr.
	Advances	₹ 2.50 Lakh Cr.
Manufactured Capital	Branches	3,236
	ATMs / CRMs	3,506
	BCs	6,379
Intellectual Capital	• Digital Platform (**digital.iob.in**) • Mobile Banking App • Tab-Based Banking • LOS & CRM	
Human Capital	Total Employee	21,475
	Gender Diversity	36.26%
	Cost To Employees of FY25	₹ 4,666 Cr.
	L&D Per Hour Employee in FY25	27.4 Hours
Social & Relationship Capital	CSR Expenses of FY25	₹ 3.76 Cr.
	Total Active Customer	41+ Million
	Rural Branch Network	MoUs with IREDA, IGBC, PCAF
Natural Capital	Total Electricity Consumption	3,01,283.56 Units
	Total Water Consumption	2.50 Lakh KL
	ESG-aligned lending strategy	Mr. Harit
	Introduced 'ESG Mascot' to promote Sustainability Awareness.	

Output

Personal Banking | Corporate Banking | Agri & Rural Banking



Digital Banking

Credit Card

MSME | Forex | Government Business

lizing
osits

Credit Delivery

Digital Transformation

Capital
gement





Outcomes

Capitals	Key Inputs	
Financial Capital	Net Profit	₹3,334.70 Cr. (+25.25%)
	NIM	3.42% (Domestic)
	EPS	1.76
Manufactured Capital	Total Branches	3,335
	ATMs / CRMs	3,497
	BCs	10,135
Intellectual Capital	• Face-Auth Onboarding • Self-Service Digital Hub • ICCW/ICD pilot	
Human Capital	Total Employee	20,966
	Gender Diversity	36.43%
	Cost To Income Ratio	47.14%
	Retention Rate	99%+
Social & Relationship Capital	CSR Beneficiary	₹ 22.9 Lakh
	PMJDY Accounts	₹ 87 Lakh+
	Under-served District (New Branches)	19
	Total Rural Branch	929
Natural Capital	ESG Linked Loans	₹ 876 Cr.
	Launch of Green Products	IOB Tejas & IOB Surya
	MoUs on Green Building	

FINANCIAL CAPITAL

FY 2024–25 marked a significant milestone in Indian Overseas Bank's value creation journey, underpinned by a sharp focus on profitable growth, operational prudence, and capital resilience. Our ability to strengthen core earnings while improving asset quality and expanding our balance sheet demonstrates the robustness of our financial foundation and the effectiveness of our long-term strategy.

Key Highlights :

- **16.28%**
  Return On Equity (ROE)
- **19.74%**
  Capital to Risk-Weighted Asset Ratio (CRAR)
- **0.92**
  Return On Asset (ROA)
- **₹ 8,688 Cr.**
  Operating Profit (Growth 28.44% YoY)
- **14.15%**
  Advance Growth

Stakeholder Impacted

Customers

Investors / Shareholders

SDGs Impacted



Linked Material Issues

- Financial Inclusion
- Customer Fairness & Right Selling
- Regulatory Legal Compliance
- Systematic Risk Management



Financial Performance & Efficiency

Indian Overseas Bank delivered a strong financial performance in FY 2024–25, reflecting consistent improvement across all profitability metrics. The Bank's net profit rose to ₹3,335 crore, an impressive 25.25% growth over the previous year, supported by higher interest income and tight cost control. Net Interest Income (NII) grew by 10.80% year-on-year to reach ₹10,890 crore, while Operating Profit surged by 28.44% to ₹8,688 crore. This strong performance is mirrored in the enhancement of key return ratios, with Return on Assets (ROA) improving from 0.81% to 0.92% and Return on Equity (ROE) from 16.24% to 16.28%.

These gains are not merely numerical; they represent a qualitative shift in how the Bank approaches profitability by building a sustainable earnings base, diversifying income streams, and improving portfolio quality. Non-interest income remained steady at ₹5,545 crore despite volatility in investment-related gains. In comparison, fee-based income posted a healthy 25.75% growth to ₹2,418 crore, reflecting improved customer engagement and broader adoption of digital channels.

Strengthening the Balance Sheet

During the year, the Bank's total business grew by 11.30% to ₹5,61,958 crore, with advances growing at 14.15% to reach ₹2,50,019 crore. This growth was broad-based, driven by strong traction in the Retail, Agriculture, and MSME segments (RAM), constituting nearly 78% of domestic advances. Within RAM, agriculture advances saw the highest growth at almost 34%, underscoring the Bank's rural and priority sector orientation. On the liabilities side, total deposits grew by 9.11% to ₹3,11,939 crore, led by a ₹10,653 crore increase in CASA deposits. The Bank added 39 lakh CASA accounts during the year, further strengthening its low-cost deposit base.

The Bank achieved these numbers while maintaining a healthy Credit-to-Deposit (CD) ratio of 80.15% globally and 76.96% domestically. This reflects optimal fund deployment, contributing to a Net Interest Margin (NIM) of 3.25% globally and 3.42% domestically—well above the average for public sector banks.

Ensuring Capital Adequacy and Asset Quality

Our capital adequacy remained robust with a CRAR of 19.74% as of March 31, 2025, up from 17.28% a year ago. The Bank's CET-1 ratio also improved to 17.13%, providing ample cushion for future credit expansion and regulatory compliance. Importantly, these strong capital buffers were achieved without compromising asset quality.

The Bank made notable strides in reducing its stressed assets. Gross NPA declined to ₹5,348 crore (2.14% of gross advances), down from 3.10% in the previous year. The net NPA fell to ₹912 crore, or 0.37% of net advances. The Provision Coverage Ratio (PCR) strengthened to 97.30%, placing IOB among the best in its peer group. These achievements are outcomes of focused recovery, prudent underwriting, and a calibrated credit strategy incorporating ESG and climate risk considerations at the central level.

Future Outlook & Growth

The Bank's financial progress in FY25 is not a short-term spurt but the result of long-term enablers—digital transformation, HR capability enhancement, and sharper product design. Operational efficiency saw substantial gains, with the cost-to-income ratio improving to 47.14%, from 56.32% in FY24. Our investments in digital systems, back-end automation and customer-centric delivery models largely drove this.

As we look ahead, the Bank remains committed to deploying capital judiciously, scaling ESG-aligned lending, and strengthening our franchise across customer segments. Our financial performance in FY25 has laid a strong foundation for supporting future ambitions—resilient, inclusive, and sustainable growth.

MANUFACTURED CAPITAL

At Indian Overseas Bank, manufactured capital represents the physical and digital infrastructure that underpins the delivery of seamless and inclusive banking experiences. In FY 2024–25, we focused on expanding our service footprint, modernising our delivery platforms, and building digitally empowered infrastructure to cater to an evolving and diverse customer base across urban and rural India.

Key Highlights :

- **28%**
  Total Domestic Branches (Rural Branch)
- **101**
  New Branches
- **95.98%**
  Uptime ATM/CDM/PPK
- **₹ 6,812+ Cr.**
  Loans sanctioned (Mudra Loan)

Stakeholder Impacted

Customers | Employees | Regulator

SDGs Impacted



Linked Material Issues

- Business Continuity
- Ethical Behaviour
- Systematic Risk Management
- Customer Fairness & Right Selling
- Regulatory & Legal Compliance



Expanding our National & Global Footprint

IOB's extensive network remains a key enabler of its inclusive banking agenda. During FY25, the Bank operated through:

- 3,335 branches across India, including 929 rural branches, accounting for 28% of total domestic branches
- 3,497 ATMs, with no net additions during FY25
- 2 Cash Deposit Machines (CDMs) added during FY25
- 10,135 Business Correspondents (BCs), significantly up from 6,379 last year—a growth of over 58%

ATM, CDM, and PBK uptime for FY25 was maintained at 95.98%, supported by robust monitoring tools and continuous follow-up mechanisms to ensure system availability. Self-service machines—including ATMs, Cash Recyclers (CRs), and Passbook Kiosks (PBKs)—are actively tracked through specialised monitoring tools that assess usage patterns and system performance. IOB also optimally deploys mobile vans across regional zones to provide banking services in financially underserved areas, reinforcing its commitment to rural inclusion.

Our outreach is not limited to domestic boundaries. IOB maintains an international presence with branches in Singapore, Hong Kong, Bangkok, and Colombo, and a joint venture bank in Malaysia (under voluntary winding up). These overseas operations contributed:

- ₹25,063 crore in business, representing 4.46% of total global business
- ₹290 crore in operating profit and ₹97 crore in net profit

Digitising the Banking Infrastructure

In line with our digital-first vision, IOB significantly enhanced its digital infrastructure during the year to improve speed, accessibility, and customer satisfaction.

Key Digital Platforms Strengthened in FY25

- **"digital.iob.in"** – a self-service hub for customers to access a bouquet of digital services
- **TAB Banking** – enabling real-time account opening, KYC updates, and service delivery at the customer's doorstep.
- **BHIM IOB UPI App** – revamped for improved user experience, now available on both Android and iOS
- **Online account portability, online locker allocation, and Aadhaar-based face authentication** – reinforcing our leadership in digital convenience.

Mobile banking users crossed 1.02 crore, and internet banking users grew to 34.18 lakh. Our UPI registered users crossed 1.20 crore, reflecting a significant shift toward digital transactions.

Infrastructure for Financial Inclusion

Recognising the importance of physical presence in underbanked geographies, IOB continues to expand rural infrastructure:

- 19 new rural branches were opened in FY25
- Over 87 lakh PMJDY accounts serviced, with cumulative balances of ₹3,835 crore
- Rollout of Digital Banking Kiosks and Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW) mechanisms, including participation in Unified Lending Interface (ULI) pilot with RBIH
- IOB has also implemented a dedicated Business Continuity Plan (BCP) and maintains secondary lines at Disaster Recovery (DR) sites to ensure high availability and uninterrupted service delivery.

These efforts ensure banking access in metros, cities, and India's remote and aspirational districts.

Operational Transformation and Process Efficiency

IOB's manufactured capital is also reflected in the transformation of internal processes and backend systems to drive efficiency:

- Digital Office Note system rolled out to eliminate paper-based processing
- Loan Origination System (LOS) for real-time credit appraisal and faster turnaround
- CRM tools deployed to deepen customer engagement and enable targeted cross-selling

These enhancements have resulted in faster service delivery, reduced cost of operations, and improved customer satisfaction.

Supporting a Hybrid Service Model

With growing emphasis on both human and digital interfaces, IOB's infrastructure investments are building a hybrid banking model. We aim to ensure that customers experience the same efficiency and responsiveness, whether interacting with us at a rural branch, an urban ATM, a digital portal, or a Business Correspondent.

As we look to the future, we remain committed to strengthening our manufactured capital with:

- Continued branch expansion in underserved areas
- Further digitisation of product journeys
- Co-creation with fintechs for more innovative delivery models
- Energy-efficient infrastructure aligned with green banking goals

INTELLECTUAL CAPITAL

Intellectual capital forms the foundation of Indian Overseas Bank's ability to innovate, differentiate, and deliver value in a rapidly evolving financial ecosystem. It encompasses our technology infrastructure, knowledge systems, data integrity protocols, and strategic partnerships that enhance customer experience, operational agility, and sustainable growth.

Key Highlights :

- **1.02+ Cr.**
  Total Mobile Banking Users
- **1.20+ Cr.**
  UPI Registered Users
- **94.71%**
  Total Transaction (Digital Customer transaction)
- **Fintech Partnerships**
- **e-PAATASHALA**
  Revamped E-learning Platform



Stakeholder Impacted

Customers

Employees

SDGs Impacted



Linked Material Issues

- Data Privacy

Digital Innovation as a Competitive Edge

Indian Overseas Bank (IOB) continued to invest in technology-driven solutions to modernise operations and improve service delivery. Guided by a digital transformation roadmap co-created with a leading consulting firm, the strategy focused on five pillars: technology resilience, customer centricity, digital innovation, operational efficiency, and value delivery.

These priorities translated into multiple front-end innovations during FY25:

- Aadhaar-based face authentication was introduced for account opening, nomination, and Re-KYC, offering inclusive and branchless service options.
- Green PIN generation and card activation can be done through ATM channels or Internet banking.
- Debit cards can be applied/ blocked/ replaced using IB/MB channels.
- Customers can now access online account number portability, safe deposit locker allotment, and debit card issuance, replacement, or blocking through internet and mobile banking.
- Along with the financial and non-financial transactions, customers can apply for IPO, avail a loan against deposit, and apply/view various government schemes.
- The Bank launched TAB-based banking to facilitate real-time onboarding and KYC updates by field staff.
- Additionally, we revamped the BHIM IOB UPI app and launched a self-service digital hub digital.iob.in providing a seamless interface for accessing our digital offerings.
- The bank went live as an issuer and acquirer of the RuPay Credit Card on UPI. It launched a pilot for ICD (Issuer and Acquirer), UPI Delegate Payments (GFF), and Central Mapper (UPI Number) capabilities.
- Visa Platinum and Signature variants, Visa business debit cards, and MasterCard variant debit cards were launched, along with Tamil Nadu government scheme cards—Tamil Pudhalvan and Pudhumai Penn—for students.

Digital Infrastructure Performance & Monitoring

IOB has implemented a structured performance monitoring framework to ensure consistent service delivery across its digital infrastructure. During FY25, ATM/CDM uptime was maintained at 95.98%, supported by system-generated logs, vendor oversight, and defined service-level agreements.

Self-service machines—including ATMs, CRs, and PBKs—are monitored for uptime and performance using dedicated tools, and usage data informs resource allocation strategies. Mobile Vans, deployed in semi-urban and remote areas, are similarly monitored to assess their effectiveness in extending banking services to underserved regions. To improve environmental sustainability, the bank discontinued receipt printing for successful ATM withdrawals. Vault access procedures were digitised, and dynamic One-Time Combination (OTC) passwords replaced static manual methods.

Cybersecurity and Data Integrity

As digital adoption grows, ensuring the security and integrity of customer data remains paramount. The Bank has established a strong, multi-layered cybersecurity framework in compliance with RBI's Cyber Security directives. A 24/7 Cyber Security Operations Centre (CSOC) monitors real-time threats using SIEM tools. Privileged Access Management (PAM) has been implemented for sensitive systems, alongside multifactor authentication to strengthen access control.

Encryption protocols such as RSA 2048 and AES 256, and secure communication standards like TLS 1.2, safeguard data in transit and at rest. Critical databases are monitored through Database Activity Monitoring (DAM), and regular penetration testing, application audits, and digital signature protocols ensure high data assurance. These efforts collectively fortify our digital backbone and help maintain customer trust.

Collaborative Ecosystem and Thought Leadership

Our intellectual capital is built internally and enhanced through strategic partnerships. During FY25, IOB partnered with the Indian Green Building Council (IGBC) to promote financing of green-certified real estate and joined the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), becoming one of the early Indian banks to commit to standardised GHG emissions measurement from financed activities.

We also collaborated with fintech's and government platforms to co-create unique solutions that expanded access, improved speed, and strengthened compliance. These partnerships enabled IOB to stay agile in a dynamic market and contribute meaningfully to sectoral innovation and sustainable finance.

Knowledge Systems and Capacity Building

The Bank's strong learning and development infrastructure reflects our commitment to building intellectual capital. The ISO 9001:2015-certified Staff College at Anna Nagar, Chennai, continued to play a pivotal role in upskilling employees across functions. Training programs were expanded to include cybersecurity, ESG-linked lending, digital customer journeys, & evolving regulatory frameworks.

Additionally, we encouraged continuous learning through digital collaboration tools & knowledge-sharing platforms, fostering a culture of curiosity, resilience, and innovation. These efforts ensure that our workforce is equipped to meet the evolving needs of customers and stakeholders while driving operational excellence.

Future Growth Strategy

With nearly 95% of customer transactions now occurring through digital channels, IOB is positioning digital banking as a support function and a primary channel for delivery and growth. The roadmap includes broader digitisation of customer journeys—onboarding, loan requests, and document handling—to improve turnaround time and service consistency

Customer feedback is key in shaping improvements, particularly in mobile and internet banking platforms. These efforts are part of a broader goal to make banking more accessible, responsive, and aligned with emerging expectations. Recognition at industry platforms such as the Global Fintech Fest further reinforces IOB's commitment to staying ahead in the digital space.



BSCIC Certifications
BSCIC
Private Limited

BSCIC

Certificate

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

This is to certify that:

INDIAN OVERSEAS BANK, STAFF COLLEGE

NO. 230, 7/A, JAWAHARLAL NEHRU ROAD,
OLD THIRUMANGALAM, ANNA NAGAR,
CHENNAI – 600040, TAMILNADU, INDIA

Hereby granted the Certificate Number: BN23404/22192 Rev. 00

Subsequent to the Assessment of the organization, it has been found to be operating a Quality Management System which complies with the requirements of

ISO 9001:2015

For the following scope:

Imparting Internal Trainings for IOB Staff as per the Bank Directions, and Coordinating Design and Development of the Training Courses
IAF Scope: 37

For
BSCIC CERTIFICATIONS PVT.LTD.

Originally Registered: 27-Sep-2024 1st Surveillance Due on: 26-Sep-2025
Issue Date: 27-Sep-2024 2nd Surveillance Due on: 26-Sep-2026
Expiry Date: 26-Sep-2027

Sanjay Seth
Managing Director

(In case if Surveillance Audit is not allowed to be conducted; this Certificate shall be Suspended/Withdrawn).

Please Re-validate this certificate's status at www.bsc-icc.com at REGISTRATION STATUS.
This Certificate of Registration is granted subject to relevant provisions of the BSCIC Certifications PVT. LTD. Contract Terms & Scheme for Registration Form B018 (Latest Version). Please see B019 at our website www.bsc-icc.com.
The certificate of Registration remains the property of BSCIC Certifications Pvt. Ltd. and shall be returned immediately upon request.
BSCIC Headquarters: 6work, 1st Floor, 58/15A, Crown Plaza Mall, Faridabad - 121 007, Haryana, India.

Page 1 of 1

Registered

BSCIC
NABCB
QM 030
IAF

HUMAN CAPITAL

At Indian Overseas Bank, we recognise that the strength of our human capital underpins every aspect of our value creation journey. As a public sector bank navigating a rapidly transforming financial landscape, our ability to evolve rests on our workforce's capabilities, motivation, and adaptability. In FY 2024–25, we focused on enhancing employee productivity, future-proofing skillsets, and embedding a performance-driven culture while fostering well-being, inclusion, and ethical conduct. Our strategic HR interventions were designed to drive operational excellence and align our people practices with the Bank's long-term growth ambitions and ESG commitments.

Key Highlights :

- **14,906**
  Total No of Trained Staff
- **484**
  Specially abled employees
- **3.7/5**
  Avg Satisfaction score
- **4.15%**
  Internal Promotion Rate

Stakeholder Impacted

Employees

SDGs Impacted

Linked Material Issues

- **Employee Benefit & Development**
- **Ethical Behaviour**



Building a Skilled and Future-Ready Workforce

At Indian Overseas Bank, people are the catalysts of transformation. As the Bank continues to evolve in response to technological, regulatory, and customer shifts, a strategic focus remains on building an agile, capable and future-ready workforce.

In FY 2024–25, 14,096 employees were trained through the internal training system, while 1,806 executives and officers participated in external programs conducted by reputed training institutions. The training hours per employee stood at 27.41 hours for the reporting year, reflecting a robust commitment to continuous learning and capability development.

Digital learning emerged as a core pillar of the Bank's learning strategy. A total of 5,998 staff members completed various online training sessions. Additionally, the Bank's proprietary e-learning platform, E-Paatashala, provided access to 82 modules across key functional areas such as credit, treasury, and NPA management. Notably, 8,571 employees completed six mandatory modules through this platform in FY 2024–25.

The Bank's ISO 9001:2015-certified Staff College in Anna Nagar, Chennai, was central in delivering high-impact training across emerging domains such as ESG finance, cybersecurity, digital operations, and credit appraisal. All training content was periodically aligned with regulatory changes and evolving skill requirements, ensuring practical relevance and readiness.

Leadership development continued as a priority area. Scale IV and above officers were identified and nominated for dedicated Leadership Development Programmes (LDPs) at reputed institutes. Four senior executives were nominated for a one-year residential LDP. As part of the HR transformation initiative—Project Lakshya—the Bank has also planned to train 250 future leaders under a long-duration LDP in FY 2025–26.

This blended approach of classroom, online, and institutional training ensures that IOB's workforce is equipped with technical expertise and leadership competencies, ethical grounding, and customer-centric thinking essential for navigating a dynamic banking environment.

Workforce Strength and Stability

As of FY 2024–25, Indian Overseas Bank employed a total of 20,966 personnel, distributed across key workforce categories as follows:

- Officers: 12,494
- Customer Service Associate: 6,992
- Office Assistant: 1,480

This distribution reflects a well-balanced structure supporting the Bank's pan-India and international operations. Employee retention at IOB continues to be exemplary within the industry. The bank's attrition rate stood at approximately 1%, significantly lower than the industry average of 25% and notably better than the most significant public sector bank's attrition rate of 3%. This low turnover indicates strong employee engagement, institutional loyalty, and a stable work environment.

A resilient workforce structure and superior retention performance ensure continuity, reduce rehiring and training costs, and enhance long-term operational efficiency.

Recognitions, Partnerships and Strategic Focus

Indian Overseas Bank's efforts to build a modern and agile workforce have been further validated through national recognition and strategic collaborations. During FY 2024–25, the Bank was honoured with the Best Tech Talent & Organisation award at the IBA Banking Technology Awards, reflecting the strength of its talent management and digital readiness. Reinforcing its academic-industry engagement, IOB signed a Memorandum of Understanding with B.S. Abdur Rahman Crescent Institute to launch a cybersecurity hackathon, supported by EY as knowledge partner.

These initiatives complement ongoing cost optimisation measures—staff expenses declined from ₹6,140 crore in FY 2023–24 to ₹4,666 crore in FY 2024–25, marking a 24% reduction, driven by process automation and deployment of digital solutions. In support of its inclusion goals, the Bank has enhanced its employee-focused ESG agenda by promoting a gender-friendly workplace, strengthening financial literacy outreach through SNEHA centres, and reinforcing grievance redressal systems across its operations.

Enhancing Productivity Through Transformation

A key priority during the year was improving employee productivity by reimagining processes, roles, and service delivery models. The Bank introduced workflow digitisation and paperless office solutions to simplify internal approvals and decision-making. The resulting turnaround time and transparency improvements translated into better customer outcomes and higher operational efficiency. At the same time, automation of backend functions and the introduction of CRM tools helped reduce repetitive tasks, enabling staff to focus on relationship-building, advisory services, and strategic growth areas.

Our cost-to-income ratio improved significantly from 56.32% in FY24 to 47.14% in FY25, a testament to the contribution of human capital optimisation alongside digital enhancements.

Promoting a Culture of Inclusion, Ethics, and Well-being

Human capital at Indian Overseas Bank is not only defined by skills and performance but also by the values, diversity, and well-being it fosters. The Bank remains committed to creating a safe, inclusive, and empowering workplace that respects individual dignity and drives collective growth.

During FY 2024–25, the gender diversity ratio stood at 1.74, reflecting continued efforts toward gender equity and inclusive hiring. To better understand workforce sentiment, an employee engagement survey was conducted with

support from Boston Consulting Group. Approximately 8,700 employees participated, yielding an average satisfaction score of 3.7 out of 5. Insights from the survey have guided improvements across people practices and engagement initiatives.

IOB continues investing in employee well-being through infrastructure upgrades, flexible work arrangements, and targeted mental health and financial literacy awareness sessions. Specific health and wellness initiatives implemented during the year included:

- **Gym and Yoga Reimbursement:**

A reimbursement of ₹1,000 per year is offered from the Staff Welfare Fund to all staff members enrolling in gym and yoga programs. This initiative supports both physical and mental well-being across the workforce.

- **Stress Management Talk:**

A psychologist from M/s Apollo Hospitals conducted a stress management session on February 5, 2025. The session equipped employees with techniques to manage occupational stress and enhance their overall quality of life.

The Bank actively strengthened its grievance redressal mechanisms and Whistle-blower Policy to reinforce an ethical workplace culture. A zero-tolerance approach toward harassment and discrimination was enforced through mandatory compliance training and regular internal assessment.

These efforts collectively reflect IOB's holistic approach to workforce well-being, ethical conduct, and cultural inclusivity as foundations for long-term institutional strength.

Aligning People Strategy with Purpose and Performance

As we sharpen our strategic focus on sustainable growth, our people practices are aligned with broader business and ESG priorities. Key HR metrics—including learning hours per employee, internal promotion ratios, and employee satisfaction scores—are tracked more closely to inform decision-making. Every year, the Bank promotes its employees across the cadres.

In FY 24-25, 4.15% of employees were promoted. Also, to grow the future leaders, the Bank has a Board-approved policy on succession planning and leadership development and an approved list of successors for critical positions or under the HR transformation project. A tool was developed to suggest the most suitable successors for the critical posts. In addition, we are developing performance-linked incentive structures and recognition frameworks to encourage excellence in customer service, digital adoption, and community engagement.

IOB aims to deepen employee engagement through open feedback channels, digital HR tools, and skill-based internal mobility. By empowering our people with clarity of purpose, opportunities for growth, and meaningful work, we ensure that our human capital becomes a true enabler of long-term value creation.



SOCIAL AND RELATIONSHIP CAPITAL

As a public sector bank, we are committed to creating long-term shared value through deep customer engagement, strong partnerships, and financial inclusion across India. In FY 2024–25, we advanced key initiatives like PMJDY and PM-KUSUM, reinforcing our mission to be a responsive and people-first institution.

Key Highlights :

- **2+ MILLION**
  Total CSR Beneficiary
- **8.7 MILLION ACCOUNTS**
  PMJDY Beneficiary
- **50,103 STREET VENDORS**
  PM Sawanidhi Loans
- **"SNEHA"**
  Financial Literacy Centres

Stakeholder Impacted

Customers

Communities

SDGs Impacted



Linked Material Issues

- Ethical Behaviour
- Financial Inclusion
- Customer Fairness & Right Selling



Strengthening Customer Trust and Reach

At Indian Overseas Bank, strong stakeholder relationships are central to our identity as a trusted public sector institution. With over 3,335 domestic branches, 3,497 ATMs/CRMs, and a Business Correspondent network that expanded to 10,135 in FY 2024–25, we are deepening our physical and digital engagement across urban, semi-urban, and rural India. This extensive reach enabled us to serve customers in previously underbanked regions while advancing our mission of financial inclusion. During the year, we added 39 lakh CASA customers, taking our CASA base to over ₹1.36 lakh crore and contributing to a CASA ratio of 43.65%.

We enhanced accessibility through initiatives such as tab-based banking, interoperable cardless cash withdrawal (ICCW), and our unified self-service hub—**digital.iob.in** These initiatives aim to deliver secure, frictionless, and inclusive services. These efforts reflect our transition into a hybrid bank that combines physical presence with digital convenience to meet evolving customer expectations.

Advancing Financial Inclusion and Rural Development

IOB's social license to operate is built on decades of trust, particularly in rural India. During FY25, we expanded our rural footprint by opening 19 new branches in rural districts, bringing the total to 929 rural branches—**28% of our domestic branch network**. We also continued to anchor key national initiatives such as:

- **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):** Over **87 lakh accounts serviced**, with a cumulative balance of ₹3,835 crore
- **Jan Suraksha Schemes:** Including PMSBY, PMJJBY, and Atal Pension Yojana—reaching lakhs of beneficiaries
- **PM-KUSUM Scheme:** Facilitating solar-powered Agri-loans under IOB Surya and Surya B schemes
- **PM Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM Swanidhi)**: Supported **50,103 street vendors** with sanctioned loans worth **₹108.21 crore**; of these, **47,400 accounts** were disbursed a total of **₹102.54 crore**, helping micro-entrepreneurs maintain business continuity and build credit history.

By connecting millions to the formal banking system and enabling access to credit, insurance, and pension schemes, we reinforce our role as an engine of grassroots empowerment and rural resilience- Investor Representative.

Collaborative Ecosystem and Public Trust

We continue to build strong partnerships with government institutions, industry bodies, and fintechs to expand the scope and quality of our offerings. Key alliances during the year included:

- **IREDA:** To co-finance renewable energy projects
- **IGBC:** To promote green-certified building finance
- **PCAF:** For standardised measurement of GHG emissions from financed activities

These collaborations extend beyond commercial gains, reinforcing public trust, expanding financial inclusion, and aligning the Bank with national development priorities. We also actively engaged with regulators and policymakers through compliance forums, customer feedback sessions, and digital awareness drives to ensure transparency and responsiveness.

Responsible Banking and Community Engagement

Our commitment to responsible and ethical banking defines IOB's social capital equally. We prioritise fairness, transparency, and grievance redressal through initiatives such as the **Customer Rights Policy**, effective complaint resolution systems, and regular sensitisation of frontline staff.

Through our **Financial Literacy Centres (FLCs)**—branded SNEHA—we conducted awareness programs across rural and semi-urban regions, promoting informed financial decisions among farmers, women, senior citizens, and first-time borrowers. We also supported women's empowerment through targeted lending schemes and workplace equity initiatives and continued to invest in accessible banking for older people and the differently abled.

These sustained efforts reaffirm our belief that long-term financial performance must be accompanied by social trust, community development, and inclusive progress.

NATURAL CAPITAL

As a responsible financial institution, Indian Overseas Bank recognises its pivotal role in facilitating India's transition toward a low-carbon, sustainable future. Our commitment to environmental stewardship, climate risk integration, and green financing guides our approach to natural capital. In FY 2024–25, we took definitive steps to align our lending practices, partnerships, and risk frameworks with national sustainability goals and global climate commitments. We believe that banking has the power to finance development and influence how development respects and protects the planet.

Key Highlights :

- **₹159.45 Cr**
  Renewable Energy Projects Loans
- **₹717.29 Cr**
  Sustainable Water and Waste Management Projects Loans

Stakeholder Impacted

Investors

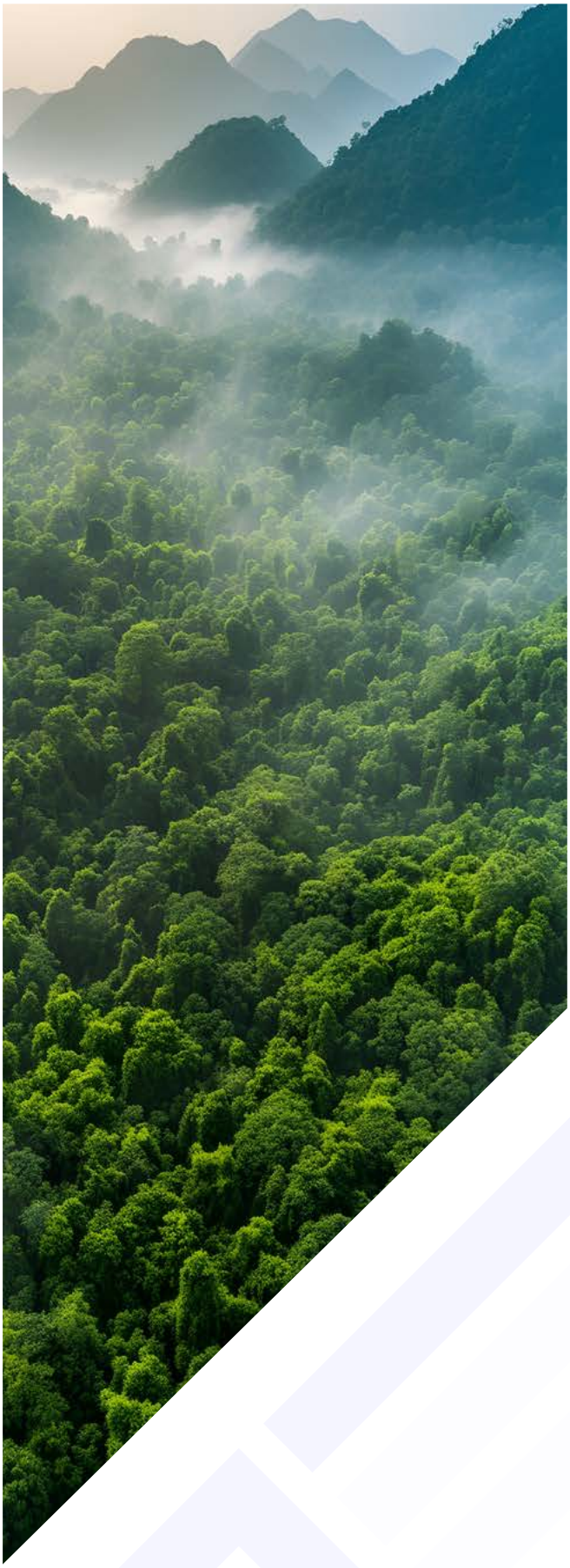
Communities

SDGs Impacted



Linked Material Issues

- GHG Emissions
- ESG Oversight



Green Financing for a Sustainable Future

IOB has significantly scaled up its green lending portfolio, offering specialised schemes that directly contribute to adopting clean energy and environmentally responsible practices. Key green products include:

- **IOB Tejas** – financing solar energy equipment for MSMEs
- **IOB Surya A and Surya B** – supporting rooftop solar installations for individuals and institutions
- **IOB HL Surya** – enabling housing loan customers to finance solar systems with attractive terms

As of March 31, 2025, the Bank's ESG-aligned loan book comprised:

- ₹717.29 crore in Sustainable Water and Waste Management.
- ₹415.46 crore in social infrastructure loans
- ₹350.39 crore in non-schematic renewable energy projects
- ₹159.45 crore in Renewable Energy
- ₹121.20 crore in electric vehicle loans
- ₹32.33 crore in Surya loans and ₹46.84 crore in Tejas loans

These efforts support clean energy and energy efficiency and help borrowers reduce operational emissions, conserve natural resources, and improve energy access.

Integrating Climate Risk into Credit Decisions

Understanding that environmental degradation poses material risks to banking operations, IOB has begun integrating climate considerations into its credit assessment frameworks. During FY25, the Bank launched a Climate Risk Questionnaire for borrowers with exposures above ₹100 crore, equipping credit teams to assess exposure to physical and transition risks. Additionally, a district-level Physical Risk Heat Map was developed in collaboration with the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), enabling granular risk analysis of climate-sensitive geographies. These tools are currently being applied at the central office level and are progressively institutionalised in broader credit decision-making.

The Bank also issued an RFP for a comprehensive ESG and climate risk solution to further embed these principles into its risk management processes and product design.

Strategic Partnerships and Framework Adoption

To accelerate its environmental transition, IOB entered strategic collaborations with key institutions in the sustainability ecosystem. The Bank signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Indian Green Building Council (IGBC) to promote finance for certified green buildings. It also became a signatory to the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) - a global alliance that supports banks in measuring and disclosing GHG emissions linked to their loan and investment portfolios.
These partnerships provide access to sustainability-aligned projects and databases and help the Bank adopt globally harmonised frameworks for climate disclosure and impact management.

Promoting a Culture of Environmental Responsibility

IOB is actively embedding environmental consciousness into its operational ethos and stakeholder communication. The Bank launched "Mr. Harit," its ESG mascot, to promote sustainability awareness across branches and customer touchpoints. Internally, we are working towards paperless processing through digital initiatives such as e-notes, automated MIS, and electronic service workflows. IOB also supports government-led programs like PM-KUSUM, financing solar-powered agricultural solutions that reduce dependence on diesel and grid power.

While formal GHG emission reduction targets are under development, the Bank has initiated steps to define its carbon neutrality roadmap by engaging external consultants and assessing internal footprints.



Bank Smart Bank Fast !

Introducing

IOB INSTA

Digital Savings Account



- Open Instantly – No branch visit required!
- 100% Digital – Aadhaar & PAN-based easy setup
- Debit Card Access
- Secure & Convenient
- Mobile & Internet Banking

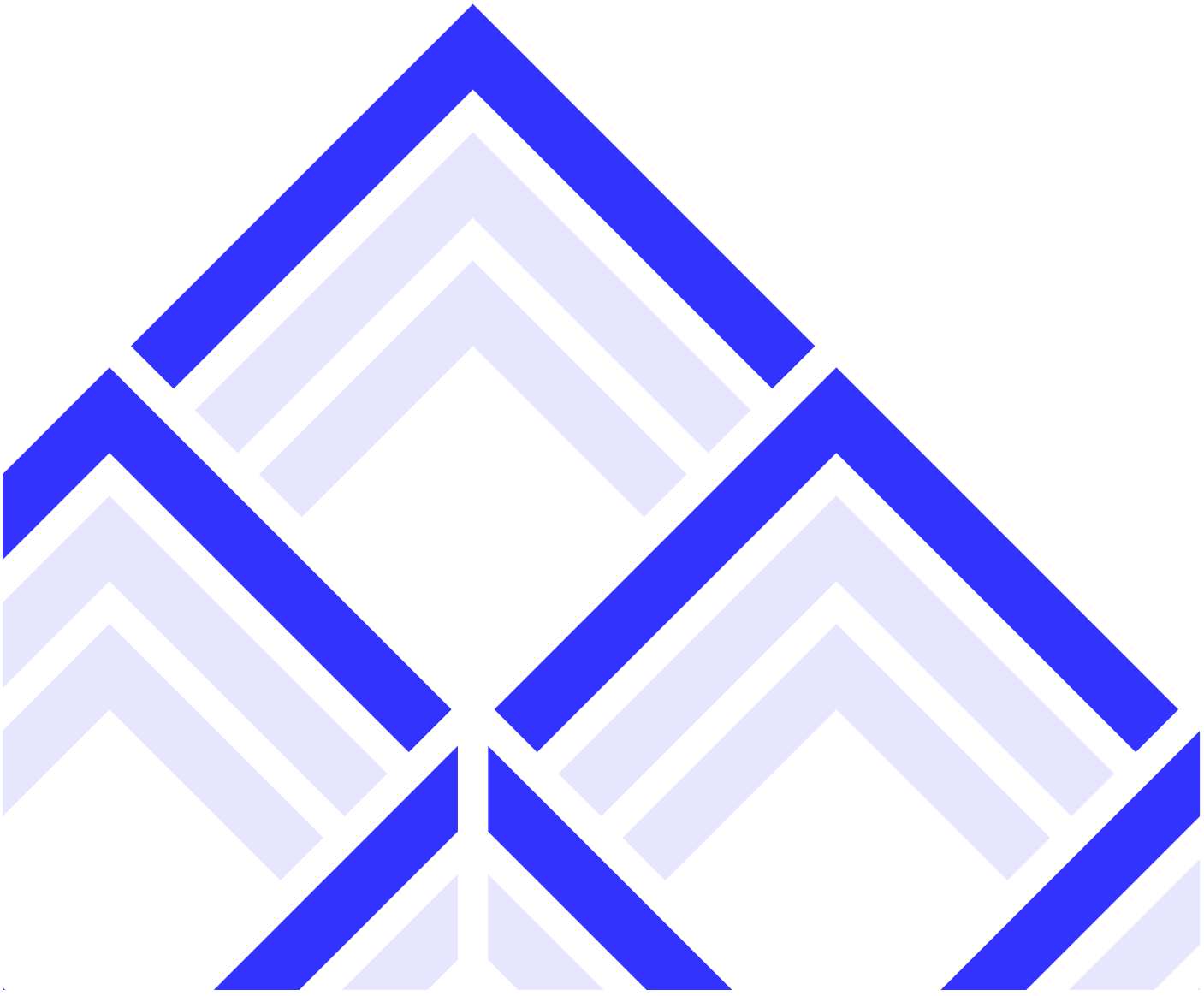
OPEN NOW

T&C Apply

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING



NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56(i) of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that the Twenty Fifth **Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank** will be held on **Wednesday, July 02, 2025**, at **11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

AGENDA ITEM NO 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as of March 31, 2025, Standalone and Consolidated Profit and Loss account and Cash Flow Statement for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS

AGENDA ITEM NO 2:

Appointment of Ms. Neelam Agrawal as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of **Ms. Neelam Agrawal** as **Non-Executive Director (Government Nominee Director)** of the Bank under clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide the Govt. of India (GOI) Notification eF.No.6/2(ii)/2022-BO.I dated August, 05,2024 with immediate effect and until further orders of the Govt. of India, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 3:

Appointment (Re-nomination) of Shri Deepak Sharma as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as an **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the Appointment (Re-nomination) of **Shri Deepak Sharma** as the **Part-Time Non-Official Director of the Bank** under Clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Govt. of India Notification eF. No. 6/1(v)/2024-BO.I dated April 11, 2025, for a period of one year from the date of notification, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 4:

Appointment (Re-nomination) of Shri B. Chandra Reddy as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as an **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the Appointment (Re-nomination) of **Shri B. Chandra Reddy** as the **Part-Time Non-Official Director of the Bank** under Clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Govt. of India Notification eF. No. 6/1(vi)/2024-BO.I dated April 11, 2025, for a period of one year from the date of notification, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 5:

Appointment (Re-nomination) of Shri Suresh Kumar Rungta as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as an **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the Appointment (Re-nomination) of **Shri Suresh Kumar Rungta** as the **Part-Time Non-Official Director of the Bank** under Clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Govt. of India Notification eF. No. 6/1(vii)/2024-BO.I dated April 11, 2025, for a period of one year from the date of notification, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 6:

Appointment of M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for an audit period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-30.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws, if any, the relevant circulars issued by SEBI (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) approval of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded for appointment of M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Company Secretaries (UIN: S2017TN472300) as Secretarial Auditor of the Bank for Audit period of Five years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-30 at a fee of ₹ 1,40,000 /- per annum (plus applicable taxes).

RESOLVED FURTHER THAT approval of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board to delegate all or any of its powers herein conferred to any Committee of the Board and / or Director(s) and / or officer(s) / employee(s) of the Bank to give effect to the aforesaid resolution and to sign and execute all such documents, contracts, agreements, deeds and writings and to do all such acts, deeds, matters and things as may be deemed necessary, expedient and incidental to give effect to the aforesaid resolution."

AGENDA ITEM NO 7:

To raise equity share capital up to ₹4,000 crores (including share premium, if any), in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies / Mutual Funds / QIBs or any other mode or combination thereof during the financial year 2025-2026.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 ("The Regulations") and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) , Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding aggregate issue size of ₹ 4,000 crores (including share premium) as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be in one or more tranches either by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies / Mutual Funds / QIBs or any other mode or combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)

Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR") the provisions of the Act, the provisions of Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 , the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non Debt instruments) Rules 2019, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department for promotion of Industry and Internal Trade (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Paid up Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2 (ss) of the ICDR Regulations) such as Public financial Institution, foreign portfolio investor, mutual fund, venture capital fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/ or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up, and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

b) pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations the Bank is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / securities, shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration. "

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/ conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/ or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities that are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/ hereafter constituted to give effect to the aforesaid Resolutions."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

AGENDA ITEM NO 8:

To create, grant, offer, issue and allot such number of equity shares of the face value of ₹ 10 each within the aggregate issue size of ₹4,000 crores (including share premium, if any) as per the capital raising plan approved by the Board of the Bank for FY 2025-2026, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India under Employees Share Purchase Scheme hereinafter referred to as IOB-ESPS 2025-26.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** subject to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 (Regulations) and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (Stock Exchanges) as per LODR (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations and the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) ("SEBI Regulations"), and subject to the approval, consent and sanction of RBI, GOI, SEBI, Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot such number of equity shares of the face value of ₹ 10 each within the overall limit approved by the Board of the Bank of ₹ 4,000 crores (including share premium), in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that the Central Government of India shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the "Indian Overseas Bank – Employee Stock Purchase Scheme, 2025-26 (IOB-ESPS 2025-26)", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "IOB-ESPS 2025-26" on such terms and

conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "IOB-ESPS 2025-26", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "IOB-ESPS 2025-26" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "IOB-ESPS 2025-26" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "IOB-ESPS 2025-26" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution in compliance to SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and other applicable laws.

On Behalf of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-
(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date: 06th, June 2025

NOTES

a) EXPLANATORY STATEMENT(S):

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form the part of the Notice.

b) In view of the situations arising due to Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 & Circular No. 10/2022 dated December28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, Circular no.09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/ 79 dated May 12, 2020 & circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CMD21/ CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI /HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/2022/47 dated April 28, 2022,SEBI/HO/ CFD/CMD2/CR/P/ 2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/ HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 has permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM for period up to September 30, 2025 without the physical presence of the shareholders.

In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

The Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** to provide facility for voting through remote e-voting VC/OAVM facility for the AGM and as the attendant enablers for conducting of the AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2024-25 is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders of the bank may please note that the Notice and **Annual Report 2024-25** will be made available on the website of the Bank at **www.iob.in**. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e., National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** respectively and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. **www.evotingindia.com**.

c) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link **https://wisdom.cameoindia.com** to get the soft copy of the Notice of AGM and Annual Report. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

d) VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertaking) Act 1970, No shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Wednesday, June 25, 2025 , being the Cut-off Date** will be eligible to participate in AGM for the said purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

As per Regulation 10 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, if any share stands in

the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

e) REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 & Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, Circular no.09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/ 79 dated May 12, 2020 & circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CMD21/ CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI /HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/2022/47 dated April 28, 2022,SEBI/HO/CFD/CMD2/ CR/P/ 2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 SEBI/ HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 10, 2024 and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. Remote E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Wednesday, June 25, 2025**, being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner.

THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

Step 1: Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- The remote e-voting period begins on **Friday, June 27, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, July, 01, 2025, at 5:00 p.m. (IST). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date on Wednesday, June 25, 2025, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.**

- Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.

- Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 09,2020, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholder's/retail shareholders is at a negligible level.

  Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

  In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

- In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders Holding Securities In Demat Mode With **CDSL Depository**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website **www.cdslindia.com** and click on login icon & My Easi New (Token) Tab.. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at cdsl website **www.cdslindia.com** and click on login & My Easi New (Token) Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on **www.cdslindia.com** home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: **https://eservices.nsdl.com** either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at **https://eservices.nsdl.com**. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at **https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp** 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: **https://www.evoting.nsdl.com/** either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e., your sixteen-digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4) For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on **company name or e-Voting service provider name** and you will be re-directed to **e-Voting service provider website** for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants (DP)**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important Note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and NSDL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at Toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.022 4886 7000 and 022 2499 7000

- Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

  1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
  2) Click on "Shareholders" module.
  3) Now enter your User ID
     a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
     b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
     c) Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
  4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
  5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
  6) If you are a first-time user, follow the steps given below:

For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.	
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/ Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/ RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- Click on EVSN 250602003 for exercising e-voting of agenda of AGM 2025.
- On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- There is also an optional provision to upload BR/ POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. **For Physical shareholders -** Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by login in the online Investor Portal **https://wisdom.cameoindia.com/**
2. **For Demat shareholders -** Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
3. **For Individual Demat shareholders –** Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM/EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM/ EGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
4. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
6. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/ OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include

large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request by mentioning their name, Demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in. **The window for registration of speaker shareholder will be kept open from June 20, 2025 to June 26, 2025.** The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance not later than **June 26, 2025** mentioning their name, Demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in These queries will be replied by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

9. The shareholders attending the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 and also as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

10. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

11. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

12. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

13. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians- For Remote Voting Only

- Non-Individual shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to **www.evotingindia.com** and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mailed to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively, Non-Individual shareholders are mandatory required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; at **investor@iobnet.co.in** with marking copy to and **rsaevoting@gmail.com**, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you can write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** *or contact at toll free no 1800 21 09911.*

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call toll free no. 1800 21 09911.

f) APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to MCA circulars No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders are not available for this AGM, as it is being held through VC/OAVM. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

g) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e., other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/ Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to rsaevoting@gmail.com with copy to investor@iobnet.co.in not less than FOUR DAYS before the date of Annual General Meeting i.e., on or before 4:00 p.m. (IST) on Friday June 27, 2025.

h) CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request, if any, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor,
No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700
Online Investor Portal:
https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, only to their respective Depository Participant(s).

i) NORMS FOR FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION:

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 it is mandatory to furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities and provides that any dividend/ interest to the security holders (holding securities in physical form), whose folio(s) do not have PAN or Choice of Nomination or Contact Details or Mobile Number or Bank Account Details or Specimen Signature updated, shall be eligible for any payment of dividend/interest, through electronic mode only with effect from April 01, 2024, upon their furnishing all the aforesaid details in entirety.

It shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish all the above mentioned details to RTA.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA below mentioned address:

S. No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting out of Nomination 4 Form
4	Form ISR-13	Nomination Form
5	Form ISR-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor,
No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700
Online Investor Portal:
https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

j) Dematerialization of Physical Holdings:

SEBI has amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 01st April 2019. Further it has been mandated vide amendment 2022 that transmission or transposition of securities held in physical or dematerialized form shall be effected only in dematerialized form. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect, any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted by the RTA.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Indian Overseas Bank, are once again advised to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

k) Benefits of Dematerialization of Shares:

No threat of loss and wear and tear of share certificate, Easy and convenient way to hold securities, Immediate transfer of securities, Reduced paperwork for transfer of securities and Reduced Transaction cost etc.

l) Results of Remote E-Voting & E-Voting During AGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the AGM, thereafter, unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

On Behalf of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-

Place: Chennai
Date: 06th, June 2025

(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

EXPLANATORY STATEMENT

AGENDA ITEM NO. 2

Appointment of Ms. Neelam Agrawal as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970, the Central Government, vide Notification eF. No.6/2(ii)/2022-BO.I dated 05th August, 2024 has nominated Ms. Neelam Agrawal (Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Indian Overseas Bank with immediate effect and until further orders, vice Shri Kartikeya Misra.

Ms Neelam Agrawal is an officer of 2008 batch of Indian Revenue Service. She has been appointed as Government of India Nominee Director on the Board of Indian Overseas Bank w.e.f 05.08.2024.

Ms Neelam Agrawal is currently posted as Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. She has a wide experience of more than a decade of handling various challenging assignments in the Income Tax Department.

Ms Neelam Agrawal graduated with B.A. (Hons) from Ranchi University. Prior to joining Indian Revenue Service, she was selected for Jharkhand Administrative Service and served in the State of Jharkhand for a couple of years.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter-se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Ms Neelam Agrawal or her relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 2 of the accompanying Notice of AGM.

AGENDA ITEM NO. 3

Appointment (Re-nomination) of Shri Deepak Sharma as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide notification eF.No.6/1(v)/2024-BO.I dated April 11, 2025 has re-nominated Shri Deepak Sharma as the Part-Time Non-official Director on the Board of the Bank for a period of one year from the date of notification, i.e. April 11, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Deepak Sharma has been re-nominated as Director of Indian Overseas Bank on April 11, 2025. He has vast experience in Real Estate Industry Exposure. Further he has relevant Experience in Unique Combination of Finance, Legal & Compliance, Leadership Skills, Project Management and Operations. Further he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.

Shri Deepak Sharma is having qualification of B. Com, EPGDIB (IIFT), LLB, LLM (Real Estate).

Previous Term as Director of the Bank: 21.12.2021 to 20.12.2024.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter- se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Deepak Sharma or his

relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 3 of the accompanying Notice of AGM.

AGENDA ITEM NO. 4

Appointment (Re-nomination) of Shri B. Chandra Reddy as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide notification eF.No.6/1(vi)/2024-BO.I dated April 11, 2025 has re-nominated Shri B. Chandra Reddy as the Part-Time Non-official Director on the Board of the Bank for a period of one year from the date of notification, i.e. April 11, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

Shri B. Chandra Reddy has been re-nominated as Director of Indian Overseas Bank on April 11, 2025. He has vast experience in Auditing. Prior to this he was Statutory Bank Auditor in Union Bank of India during 2020-2021. Further, he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.

He is a Fellow member of Institute of Chartered Accountant of India and having Master's degree in Commerce.

Previous Term as Director of the Bank: 21.12.2021 to 20.12.2024.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter- se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri B. Chandra Reddy or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

AGENDA ITEM NO. 5

Appointment (Re-nomination) of Shri Suresh Kumar Rungta as the Part-Time Non-Official Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-section (3) and sub-section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide notification eF.No.6/1(vii)/2024-BO.I dated April 11, 2025 has re-nominated Shri Suresh Kumar Rungta as the Part-Time Non-official Director on the Board of the Bank for a period of one year from the date of notification, i.e. April 11, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Suresh Kumar Rungta has been re-nominated as Director of Indian Overseas Bank on April 11, 2025. He has actively participated in various social activities in the State of Bihar as Treasurer. He has also actively participated as member of Advisory Committee of Bihar VAT (since 2005). Further he has authored Several books.

He has regularly contributed to leading Hindi dailies like AAJ, Dainik Jagran, Hindustan, Prabhat Khabar and other on Economic, Rural Development and Agricultural related issues of Bihar.

He has a Master's degree in Commerce (Finance).

Previous Term as Director of the Bank: 21.12.2021 to 20.12.2024.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter- se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Suresh Kumar Rungta or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.

AGENDA ITEM NO. 6

Appointment of M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for an audit period of 5 years commencing from FY 2025-2026 till FY 2029-2030.

In terms of Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ('LODR') Regulations, 2015, the Secretarial Auditor shall be appointed on the recommendation of the Board with the approval of shareholders of the Bank.
Accordingly, the Board has recommended the appointment of M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Company Secretaries, a peer reviewed firm as Secretarial Auditor of the Bank for Audit period of 5 years commencing from FY 2025-2026 till FY 2029-2030 at a fee of Rs.1,40,000/- per annum (plus applicable taxes), for the approval of shareholders.

M/s Srinidhi Sridharan & Associates (SSA), Company Secretaries is an integrated CS firm which was started in the year 2017 and is focused on corporate laws and compliances. The Firm has wide experience in handling Secretarial Audit, Corporate Governance Audit, ESOP Audit, Labour Audit etc. Firm holds Peer Review Certificate No. 6279/2024 issued on 27.11.2024 and is valid upto 30.11.2029.

M/s Srinidhi Sridharan & Associates confirmed that the firm has not incurred any disqualification and eligible to be appointed as Secretarial Auditor of the Bank in terms of Regulation 24 (1A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The services to be rendered by M/s Srinidhi Sridharan & Associates as Secretarial Auditor are within the purview of Regulation 24 (1B) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/P/2024/185 dated December 31, 2024.

None of the Directors and/ or Key Managerial Personnel of the Bank and/ or their relatives are concerned or interested, financially or otherwise, in the Ordinary Resolution as set out in Item No 6 of the accompanying Notice of AGM.

AGENDA ITEM NO. 7

To raise equity capital upto Rs. 4000 crores (including share premium), in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021/ Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies / Mutual Funds / QIBs or any other mode or combination thereof.

a) In order to comply with the Basel III guidelines of RBI and to have a strong Capital Base so as to provide necessary capital support to fund business growth, the Bank is in continuous need of capital.

b) The Govt. of India vide Gazette Notification No. G.S.R. 520(E) dated 30th July 2021 further amended provisions under Securities Contracts (Regulations) Rules (SCRR),1957 and in terms of the said amendment in SCRR, the Central Government may in public interest exempt any listed public sector company from any or all of the provisions of SCRR.

c) Subsequently, the Central Government vide its letter Ref. No. F. No. 1/14/2018-PM (part) dated 19th July 2024 conveyed SEBI that the Central Government has decided in the public interest that every listed public sector company, as defined in the SCRR, 1957, which has public shareholding below twenty five per cent and which could not increase its public shareholding to at least twenty five per cent within the timeline stipulated in Rule 19A of SCRR, 1957, shall get exemption up to 01.08.2026 to increase its public shareholding to at least twenty five per cent.

d. The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 2nd May 2025 has approved for raising equity capital of Rs.4,000 crore (including premium) through the different available options in one or more tranches subject to approval of shareholders and other requisite Statutory/Regulatory approvals.

e. Accordingly, the Bank proposes to raise equity capital by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies / Mutual Funds / QIBs or any other mode or combination thereof to increase the public shareholding in the Bank. These options will be exercised by the Bank based on the prevailing market conditions.

f. The equity capital as aforesaid will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI ICDR Regulations and shall be in compliance with the other relevant guidelines /regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.

g. The Bank in terms of Section 3(2B) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.

h. Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

i. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of Follow-on Public Issue, and/ or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

j. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

k. In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

l. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

m. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time, if applicable, or any other guidelines/ regulations/consents as may be applicable or required.

n. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

o. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

p. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

q. The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.

r. None of the Directors or the Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 7 of the accompanying Notice.

AGENDA ITEM NO 8:

To create, grant, offer, issue and allot such number of equity shares of the face value of ₹10 each within the aggregate issue size of ₹ 4,000 crores (including share premium) as per the capital raising plan approved by the Board of the Bank, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India under Employees Share Purchase Scheme hereinafter referred to as IOB-ESPS 2025-26.

The Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "IOB-ESPS 2025-26" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank.

ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth.

iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (SEBI Regulations) all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated in Part C of Schedule I of the SEBI(Share Based Employee Benefits) Regulations, 2021 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the "IOB-ESPS 2025-26".

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "IOB-ESPS 2025-26" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding the overall limit approved by the board of the bank of ₹4,000 crores (including Share premium), at the time of offer.

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

The number of new Equity Shares proposed to be issued under the Scheme shall be decided by the Board or the Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) and shall be within the overall limit of ₹4,000 crores (including share premium), approved by the Board of the Bank, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside under the "IOB-ESPS 2025-26".

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE "IOB-ESPS 2025-26"

All permanent employees of the Bank whether working in India or outside including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

The Equity Shares are proposed to be offered directly and allotted and thus there will not be period of Vesting.

E. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS / SARs / BENEFIT SHALL BE VESTED

Not Applicable.

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA

Purchase price or pricing formula will be determined by the Board or the Committee of Directors for Issue of Equity Shares as per SEBI Regulations at the time of offer.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter alia, include offer made to the eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE "IOB-ESPS 2025-26"

All permanent employees of the Bank whether working in India or outside including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/ issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The maximum number of new Equity Shares per employee proposed to be issued under the Scheme shall be decided by the Committee of Directors constituted for the purpose and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the post issue paid up capital of the Bank.

J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

As the new shares are proposed to be issued under "IOB-ESPS 2025-26", no other benefits will be provided to eligible employees.

K. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST

"IOB-ESPS 2025-26" will be implemented and administered directly by the Bank.

L. WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the "IOB-ESPS 2025-26", the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.

As the shares are directly issued to the eligible employees under the "IOB-ESPS 2025-26" by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)

Not Applicable.

O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2021, if applicable for time to time.

P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new Equity Shares and as such, the valuation of Options or SARs is not applicable.

Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

'In case the company opts for expensing of share-based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' Report. The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

R. LOCK IN PERIOD:

The equity shares issued under "IOB-ESPS 2025-26" shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

S. TERMS & CONDITIONS FOR BUYBACK, IF ANY, OF SPECIFIED SECURITIES/OPTIONS COVERED GRANTED UNDER THE SCHEME:

Subject to the provisions of the then prevailing applicable laws, the Board shall determine the procedure for buy-back of shares issued under the Scheme if to be undertaken at any time by the Bank, and the applicable terms and conditions thereof."

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank, if any.

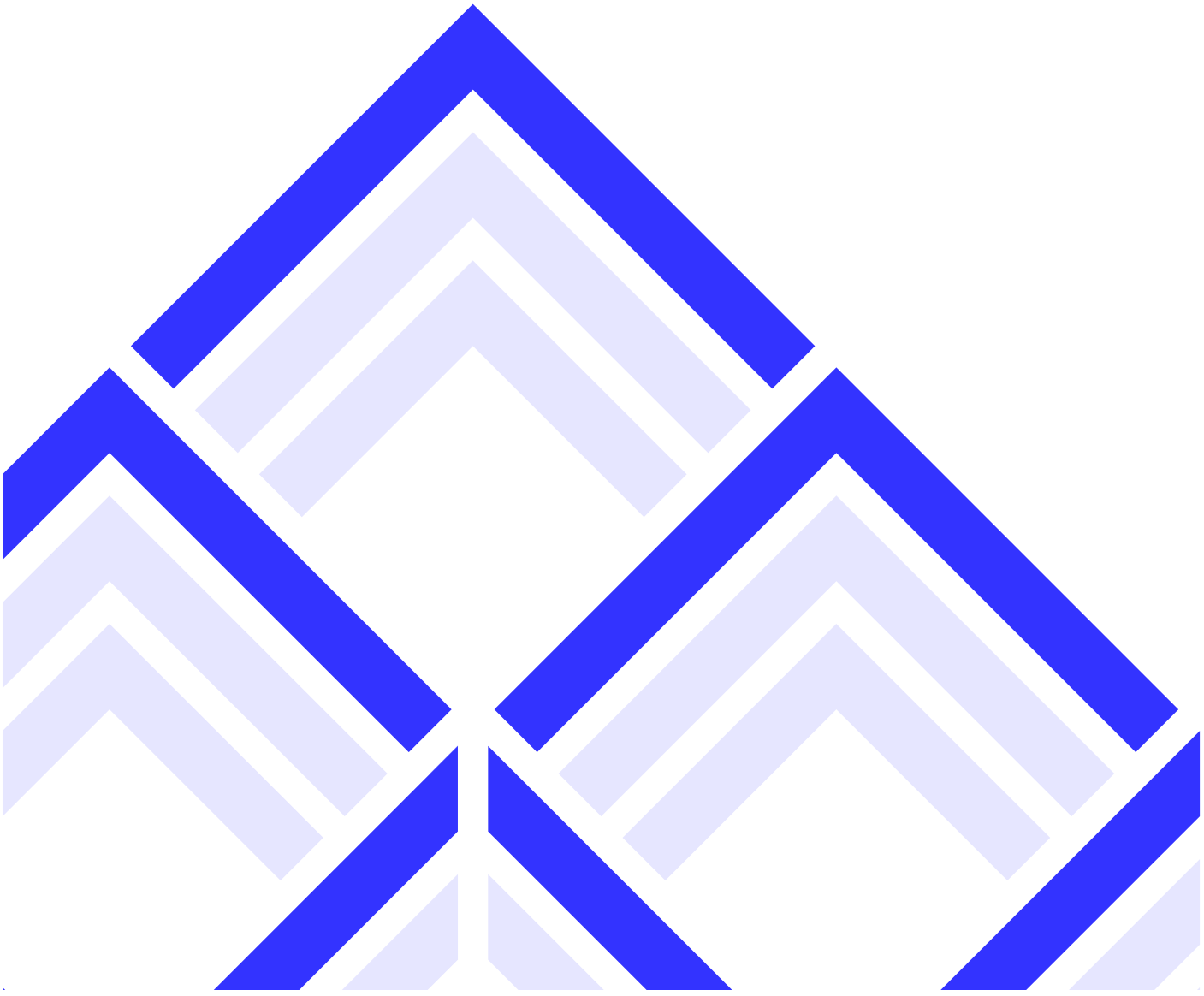
On Behalf of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-

Place: Chennai
Date: 06th, June 2025

(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

DIRECTORS' REPORT 2024-25



GLOBAL AND DOMESTIC ECONOMIC ENVIRONMENT

After enduring a prolonged and unprecedented series of shocks, the global economy appeared to have slowly stabilized, however, the landscape has changed considerably as the governments around the world reorder their policies & priorities which caused uncertainties to climb a new highs, reflecting effective tariff rates at levels never seen before and making it a totally unpredictable environment.

Trade is a key engine for global growth, accounting for 60% of global GDP in 2024. The current geopolitical situation and trade tariff related measures have exacerbated uncertainties clouding the economic outlook across regions, posing new headwinds for global growth and inflation.

Intensifying downside risks dominate the outlook, amid escalating trade tensions and financial market adjustments. Taking into consideration these prevailing global economic conditions, as per IMF estimation, global growth in the near term is projected to drop to 2.8% in 2025 and 3% in 2026 much below the historical 2000 to 2019 average of 3.7%.

Despite global uncertainties and downward revisions in growth forecasts for other large economies, India is set to maintain its leadership in global economic growth. Supported by strong fundamentals and strategic government initiatives, the country is well-positioned to navigate the challenges ahead. With reforms in infrastructure, innovation, and financial inclusion, India continues to enhance its role as a key driver of global economic activity. The IMF's projections reaffirm India's resilience, further solidifying its importance in shaping the global economic future.

The RBI has kept its growth projection for India's GDP at 6.5% for the FY 2025-26. India's CPI inflation eased from 3.61% in Feb-2025 to 3.34% in Mar-2025. It is the lowest year-on-year inflation after Aug-2019. The RBI has forecast retail price inflation for FY 2025-26 at 4.0%, The RBI has reduced the repo rate to 6 %, signalling a shift in the monetary policy stance from "neutral" to "accommodate" to support economic growth. Liquidity has also been eased out in view of various steps taken by RBI. Earlier, it had also announced a reduction in the Cash Reserve Ratio (CRR) to 4.0 % in the wake of a positive outlook on inflation and to boost growth.

FINANCIAL PERFORMANCE

The Bank has continued its remarkable performance in Business as well as from profitability front during the financial year ended 2024-25. Total Business of the Bank, stood at ₹ 5,61,958 crores as on March 31, 2025, as against ₹ 5,04,923 crores, registering growth of ₹ 57,035 crores (11.30%) on YoY basis. Gross Advances increased by 31,001 crores (14.15%) on YoY basis and stood at ₹ 2,50,019 crores as on March 31, 2025, as against ₹ 2,19,018 crores as on March 31, 2024. Total Deposits have increased by ₹ 26,034 crores and stood at ₹ 3,11,938 crores as on March 31, 2025, as compared to ₹ 2,85,905 crores as at the end of March 31, 2024.

Despite various challenges faced by the industry in mobilisation of low-cost CASA deposit, our bank could able to increase CASA Deposit by Rs. 10,653 Crore, registering a growth of 8.49 % YOY (Rs 1,36,161 Crore as on 31.03.2025 against Rs 1,25,508 Cr in the previous financial year. In this financial year Bank has successfully onboarded more than 39 lakh CASA customers helping the bank to maintain the CASA ratio at 43.65 % as on 31.03.2025 which is one of the best performance among the peer PSBs.

The Net Profit increased to ₹3,335 Crore for this financial year as against ₹2,656 crore as on 31.03. 2024 registering a growth of 25.56 %, it was supported by strong growth in Interest Income and Improvement in asset quality. The Net Interest Income (NII) increased by 10.79 % on Y-o-Y basis to ₹ 10,890 crore for the year ended 31.03.2025 as against ₹ 9,829 crore for the year ended 31.03.2024. The Net Interest Margin (NIM) of the Bank stood at 3.25 % for the financial year ended on 31.03.2025.

On the asset quality side, the Bank has successfully reduced both the Gross NPA & Net NPA. The Gross NPA of the Bank decreased to Rs 5,348 Crores (2.14%) as on 31.03.2025 from Rs 6,794 Crores (3.10%) as on 31.03.2024. Similarly, the Net NPA of the bank has significantly decreased from Rs 1,217 Crores (0.57 %) as on 31.03.2024 to Rs 912 Crores (0.37 %) as on 31.03.2025.

Strong improvement in the asset quality helped the bank to reduce the NPA provision requirement by 69.18 % (from Rs 2,706 Crores as on 31.03.2024 to Rs 834 Crores for the current financial year). The credit cost of the bank substantially improved to 0.36 % as on 31.03.2025 as against 1.34 % in the last year. The provision coverage ratio (PCR) of the Bank improved by 45 bps to 97.30 % as on 31.3.2025 from 96.85 % as on 31.03.2024.

The Capital Adequacy ratio has improved by 246 bps to 19.74 % as on 31.03.2025 as against 17.28 % as on 31.03.2024 making it as one of the best in the industry and it is well above the regulatory requirement.

INCOME AND EXPENDITURE ANALYSIS

The Interest received on advances has increased by 14.83 % (YoY) to Rs.20,182 Crores for the full financial year ended on 31st March 2025 in comparison to Rs. 17,576 Crores received in the previous year ended 31st March 2024. Interest on investments has increased by 18.36 % to Rs. 7,038 Crores in FY 2024-25 as against Rs. 5,946 Crores in FY 2023-24. Total

interest income has increased by 16.97 % to Rs. 28,131 Crores in FY 2024-25 as against Rs 24,050 Crores in FY 2023-24. Total income has increased by 13.36 % to Rs. 33,676 Crores in FY 2024-25 as against Rs 29,706 Crores in FY 2023-24.

The Interest on Deposits stood at Rs.15,008 Crores for FY 2024-25 as compared to Rs. 12,609 Crores paid in the previous year. Interest on Borrowings has increased to Rs.2,232 Crores in FY 2024-25 as against Rs.1,611 Crores in FY 2023-24. Total Interest Expenses have increased to Rs. 17,241 Crores in FY 2024-25 as against Rs. 14,220 Crores in FY 2023-24. Total Expenses have increased by 8.92 % to Rs. 24,988 Crores in FY 2024-25 as against Rs 22,942 Crores in FY 2023-24.

The Net Interest Income (NII) increased by 10.79 % on Y-o-Y basis to ₹ 10,890 crore for the year ended 31.03.2025 as against ₹ 9,829 crore for the year ended 31.03.2024

The operating income has increased by 6.14 % to Rs 16,435 Crore in FY 2024-25 as against Rs 15,485 Crore reported in the previous financial year ended 2023-24. The Operating expenses decreased to Rs. 7,747 Crores in FY 2024-25 as against Rs.8,722 Crores in FY 2023-24.

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy ratio has improved further by 246 bps to 19.74 % as on 31.03.2025 as against 17.28 % as on 31.03.2024 which is well above the regulatory requirement.

Branch Network

The Bank has 3,335 Domestic Branches as on 31st March 2025 as against 3,236 Branches as on 31st March 2024, comprising of 929 Rural Branches (28%), 1011 Semi Urban Branches (30%), 681 Urban Branches (21%) and 714 Metropolitan Branches (21%). The Bank has 53 Regional Offices, 2 Extension Counters, 1 Satellite Office, 2 City Back Offices, 6 Nodal Audit Offices and 8 Retail Loan Processing Centre. During the year FY 2024-25, the Bank opened 101 branches and 7 Retail Loan Processing Centres across the country.

Capital:

- During the Financial Year 2024-25, the Bank has issued 35,41,77,539 equity shares having Face Value of ₹10 each for cash to Qualified Institutional Buyers(QIB) pursuant to Qualified Institutional Placement(QIP) in accordance with the provisions of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended at a premium of ₹30.57 per share aggregating to Rs. ₹1,436.89 Crore. This has resulted in an increase of ₹354.18 Crore in the issued and paid-up Equity Share Capital and ₹1,078.60 Crore (net of share issue expenses₹4.11 Crore) in Share Premium Account.
- The paid-up capital of the Bank stands at ₹19,256.59 Crore as on March 31st 2025. The Government of India shareholding stands at 94.61% as on March 31st 2025.
- During the FY 2024-25, Bank has not raised any Tier II Capital.

Dividend:

As per Audited Balance Sheet 31.03.2025, the Bank is having accumulated losses in its books. In view of the same, the Bank is not qualifying as per guidelines stipulated in RBI circular dated May 4, 2005 wherein the Bank need to comply Sections 15 of the Banking Regulation Act, 1949. Hence, Bank has not declared any dividend for FY 2024-25.

Market capitalization of the Bank:

Particulars	Market Capitalisation as on 31.12.2024*	Rank among listed entities
BSE Ltd.	₹1,09,375.96 Crore	88 (among top 100)
National Stock Exchange of India Ltd.	₹1,09,387.21 Crore	88 (among top 100)

CORPORATE GOVERNANCE:

The Board of the Bank is committed in adopting good Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has a well-documented system and practice on Corporate Governance. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate section of the Annual Report.

INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF):

- As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, the Bank has transferred Unpaid Dividend amount up to the FY 2013-14 to IEPF.
- Bank is complying with all guidelines/regulations laid down by the Regulatory Authorities and Government of India from time to time. The Bank redresses the shareholders grievances without any delay.

CHANGES IN THE DIRECTORS ON THE BOARD OF THE BANK:

The following changes took place in the Board of Directors of your Bank during the financial year 2024-25:

- Shri Kartikeya Misra ceased to be Director of the Board of the Bank i.e., 04.08.2024 who was appointed as Govt of India Nominee Director on the Board of the Bank by the Government of India w.e.f. 25.10.2023.
- Ms. Neelam Agrawal has been appointed as Govt of India Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 05.08.2024.
- Shri B. Chandra Reddy, Shri Deepak Sharma & Shri Suresh Kumar Rungta are ceased to be Directors of the Bank w.e.f. 20.12.2024 upon completion of their tenure of three years

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March 2025:

- The applicable Accounting Standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- Accounting Policies had been selected and applied consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of your Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of your Bank for that period.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of the relevant Acts for safeguarding the assets of your Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The Annual Accounts were prepared on a going concern basis.
- Internal financial controls had been laid down to be followed by your Bank, and such Internal Financial Controls were adequate and were operating effectively. Explanation.— For the purposes of this clause, the term "Internal Financial Controls" means the policies and procedures adopted by your Bank to ensure the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to your Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information.
- Proper systems were in place to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

BOARD OF DIRECTORS

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and ED's function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2025 were 07 directors comprising one Non-executive Chairman, three whole time Directors, one GOI Nominee Director, one RBI nominee director, and one director elected from amongst the shareholders to duly represent their interest.

Position of the terms of the Directors during the FY 2024-25

Sl No	Name	DOJ	DOR / Term Ends on	Designation
01	Shri Srinivasan Sridhar	21/02/2024	20/02/2027	Non-Executive Chairman & Part Time Non-Official Director
02	Shri Ajay Kumar Srivastava	01/01/2023	31/12/2025	Managing Director & Chief Executive Officer
03	Shri Joydeep Dutta Roy	31/01/2024	19/10/2025	Executive Director
04	Shri Dhanaraj T	10/03/2024	09/03/2027	Executive Director
05	Ms Neelam Agrawal	05/08/2024	UFO *	Govt. Nominee Director
06	Ms Sonali Sen Gupta	14/07/2023	UFO *	RBI Nominee Director
07	Shri Sanjaya Rastogi	03/12/2022	02/12/2025	Share Holder Director

*Until Further orders

During the FY 2024-25, the following Director tenure ended as below:

Sl No	Name	DOJ	DOR / Term Ends on	Designation
01	Shri Kartikeya Misra	25/10/2023	04/08/2024	Govt. Nominee Director
02	Shri B Chandra Reddy	21/12/2021	20/12/2024	Part Time Non-Official Director
03	Shri Deepak Sharma	21/12/2021	20/12/2024	Part Time Non-Official Director
04	Shri Suresh Kumar Rungta	21/12/2021	20/12/2024	Part Time Non-Official Director

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors are grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks the valued Customers, Employees Union, Officers Association, domestic and international banking group, the shareholders & other stake holders for their valued support and continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all levels and looks forward to their continued involvement with commitment towards achieving the future goals.

Place: Chennai
Date: 24th May, 2025

For and on behalf of the Board of Directors

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & Chief Executive Officer

Get Cash in a Flash with our

JEWEL LOANS

Instant Approval

Competitive Rate of Interest

Minimum Processing Charges

T&C Apply

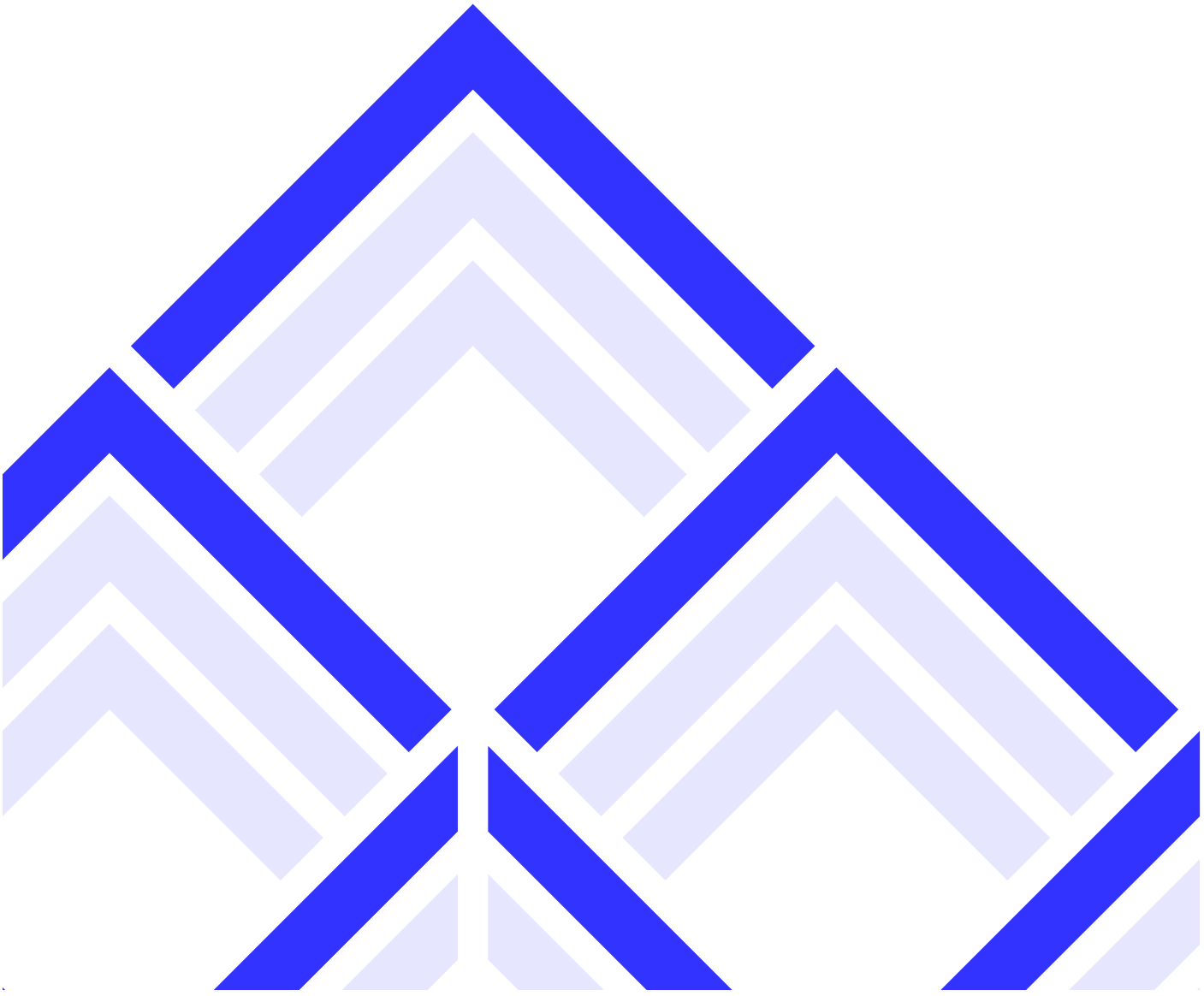


इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

89 Years of Trust & Excellence

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



ECONOMIC AND BANKING ENVIRONMENT

Global financial markets remain volatile exhibiting risk-off sentiment over fluctuating perceptions on the monetary policy trajectory and trade related uncertainty. The global economy is growing below its long-term average, with unpredictable financial environment loaded with uncertainties and high risks, especially in the wake of recent reciprocal tariff impositions.

Intensifying downside risks dominate the outlook, amid escalating trade tensions and financial market adjustments. Taking into consideration these prevailing global economic conditions, global growth in the near term as per IMF the estimated global growth is projected to drop to 2.8% in 2025 and 3% in 2026 much below the historical 2000 to 2019 average of 3.7%.

The Indian economic outlook remains resilient supported by improved consumption demand and strong macroeconomic fundamentals. Inflation is expected to remain below the expected level. Despite global uncertainties and downward revisions in growth forecasts for other large economies, India is set to maintain its leadership in global economic growth. Supported by strong fundamentals and strategic government initiatives, the country is well-positioned to navigate the challenges ahead. With reforms in infrastructure, innovation, and financial inclusion, India continues to enhance its role as a key driver of global economic activity. The IMF's projections reaffirm India's resilience, further solidifying its importance in shaping the global economic future.

The Banking sector in India remained resilient and stable and various key financial parameters relating to capital adequacy, asset quality, provision coverage and profitability have seen improvement. The demand for credit is seen from almost all the major sectors of the economy. The Credit offtake of the banking industry (SCBs) rose by 11.03 % year on year for the fortnight ended March 21, 2025. The Deposit too grew by 10.26 % for the same period. The credit-to-deposit ratio remains above 80%, indicating a gap between credit expansion and deposit mobilization

Going forward, the banking sector may continue to face pressure on NIM due to RBI's rate cut and slow growth in low-cost CASA deposit. CASA deposit growth was muted during the last financial year 2024-25 and to match the accelerated credit growth, Banks in India raised the funds through high-cost bulk deposits and short-term borrowings. The challenge of low-cost CASA deposit mobilisation is likely to continue in the current financial year also and banks will have to depend on term deposits and other short-term borrowing avenues to meet its liquidity requirements.

Presently, more than 50 % of loan portfolio of Scheduled Commercial Banks are linked with RBI's repo rate. With the primary objective of maintaining price stability with ensuring growth, the Reserve Bank has already made rate cut of 50 bps, two tranche of 25 bps each in February and April 2025. All banks in India have already passed on the benefits of this 50-bps repo cut to all their customers whose loans are linked to repo rate. This has impacted the banks, a hit of 0.50% interest income on their repo linked loan portfolio.

Based on the current and evolving macroeconomic situation, it is expected that further one or two repo cuts are likely to happen, which may further impact the margin of the banks. In order to protect the margin, banks left with no choice but to reduce the interest rate on their deposits. NIMs are likely to stay moderate. However, the bank with higher concentration of repo linked loan portfolios may face the more stress on margin.

BACKGROUND OF THE BANK

Indian Overseas Bank (IOB) was founded on 10th February 1937 by Shri. M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, a pioneer in many fields. IOB was one of the 14 major banks that were nationalized in 1969. On the eve of Nationalisation in 1969, IOB had 195 Branches in India with aggregate deposits of Rs.67.70 Crore and advances of Rs.44.90 Crore. Presently the Bank has its overseas presence in 4 countries: Singapore, Hongkong, Thailand and Sri Lanka.

The Bank has also sponsored Odisha Grameen Bank in Odisha.

Key Highlights :

- The Bank has completed 88 years of service excellence in Banking as on 10.02.2025.
- Bank has a strong domestic presence of 3335 Branches & 3497 ATMs/CRs and 10135 Business Correspondents provides extended reach to customers.
- 58.17% of Branches catering to the needs of Rural and Semi Urban centres enhancing deeper Financial Inclusion.
- A strong Brand name in South India especially in the State of Tamil Nadu.
- Overseas Presence with 4 Branches
- Opened 101 new Branches across the country during this Financial Year
- Sustained Growth in Low-cost CASA deposits, strong performance in Retail, Agri and MSME Segments contributing to 77.78% of Domestic Advances

Bank's Operations :

- **Domestic Deposits**

  The Bank's total domestic deposits stood at Rs.3,03,415 Crores as on 31st March 2025 as against Rs. 2,78,968 Crores as on 31st March 2024. The domestic CASA has increased from Rs. 1,23,435 Crores as on 31st March 2024 to Rs.1,33,644 Crores as on 31st March 2025. It is also to

mention that the domestic Savings Bank deposits have grown from Rs.1,02,328 Crores as on 31st March 2024 to Rs.1,07,661 Crores as on 31st March 2025. The domestic CASA% stands at 44.05% as of March 2025.

- **Domestic Advances**

  With a view to diversify the risk and to improve the margins, the Bank focused more on Retail, Agri and MSME sectors during the fiscal year. The Domestic Gross Advances stood at Rs.2,33,501 Crores as on 31st March 2025 as against Rs.2,00,697 Crores as on 31st March 2024. It is noteworthy to mention that the Domestic Gross Advances have grown by 16.34%.

OVERSEAS OPERATIONS

The Bank has 5 establishments abroad, including 4 Overseas Branches, and 1 Joint Venture Subsidiary as on 31st March 2025. The Bank has one Branch each at Singapore, Hong Kong, Bangkok and Colombo. India International Bank (Malaysia) Berhad [IIBMB] - a Joint Venture of Bank of Baroda, Indian Overseas Bank and Union Bank of India - is however under process of voluntary winding up.

The Overseas Business (except JV-IIBMB) stood at Rs. 25,041 Crore as of 31st March 2025 as compared to Rs. 25,259 Crore as of 31st March 2024. Business of JV-IIBMB is 'Nil' as of 31st March 2025 due to ongoing voluntary winding up process.

TREASURY OPERATIONS AND INVESTMENTS

Treasury Operations(Domestic)

The profit on sale of investments was at Rs. 521.83 crores during 2024-25 (Rs. 272.44 Crores during 2023-24) before accounting category transfer loss at Nil as against Rs. 256.38 crores in the previous year. As per the extant RBI Master directions on Classification, Valuation and operation of Investment portfolio of Commercial Banks, Directions 2023, Bank shall not transfer investments between categories without the prior approval of the DoS, RBI from transition date 01.04.2024. The profit on exchange from Forex business stood at Rs. 2.17 crores for FY 2024-25 as against Rs. 161.57 crores in the previous FY 2023-24. The reduction is due to premium paid on Foreign Currency Borrowing, which was swapped into rupee to fund our Domestic Operations.

Investments(Domestic)

Net investments of the Bank were at Rs. 1,07,019.14 crores as of 31st March 2025 as against Rs. 95,476.65 crores as on 31st March 2024. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs. 524.00 crores during the year 2024-25 as against Rs. 434.01 crores during the year 2023-24.

10-year Benchmark yield has moved down from 7.05% to 6.58% during the year.

TREASURY OPERATIONS AND INVESTMENTS (FOR OVERSEAS ALONE)

Treasury Operations (overseas)

The profit on sale of investments (Overseas Centres) was at Rs. 1.84 crores during 2024-25. The profit on exchange from Forex business stood at Rs. 37.10 crores as on 31.03.2025 as against Rs. 27.64 crores in the previous year.

Investments (overseas)

Net investments of the Bank (Overseas Centres) were at Rs. 4025.70 crores as of 31st March 2025. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs. 38.94 crores during the year 2024-25.

MSME

To facilitate the promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises, the Government of India enacted THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT ACT 2006 (MSMED ACT 2006). The Act became operational from 02.10.2006 and the new criteria was further notified vide Gazette Notification No CG-DL-E-26062020-220191 dated June 26, 2020.

RBI vide their communication letter no RBI/2020-21/10 FIDD. MSME & NFS. BC. No. 3/06.02.31/2020-21, dated 02.07.2020, advised the revised guidelines for classification of Enterprises as MSME which have come into force w.e.f. July 01, 2020.

As per RBI Circular No. RBI/2021-2022/67 FIDD.MSME&NFS. BC.No.13/06.02.31 /2021-22 dated 07.07.2021, with respect to Definition of Micro, Small and Medium Enterprises – Addition of Retail and Wholesale Trade, various categories of Micro, Small and Medium Enterprises are defined as under:

Category	Investment in Plant and Machinery/ Equipment Cost (WDV)	Turn Over
Micro	Up to Rs.1.00 Crore	Up to Rs.10.00 Crore
Small	Above Rs.1.00 Crore & Up to Rs.10.00 Crore	Above Rs.5.00 Crore & Up to Rs.50.00 Crore
Medium	Above Rs. 25.00 Crore & Up to Rs.125.00 Crore	Above Rs. 50.00 Crore & Up to Rs.250.00 Crore

The Investment & Turnover criteria is uniform for both Manufacturing and Service Enterprises.

Government of India vide gazette notification CG-DL-E-21032025-261838 dated 21.03.2025 has further revised the criteria for categorization of MSME which came into effect from 01.04.2025 as under:

Category	Investment in Plant and Machinery/Equipment Cost (WDV)	Turn Over
Micro	Up to Rs.2.50 Crore	Up to Rs.10.00 Crore
Small	Above Rs.2.50 Crore & Up to Rs.25.00 Crore	Above Rs.10.00 Crore & Up to Rs. 100.00 Crore
Medium	Above Rs. 25.00 Crore & Up to Rs. 125.00 Crore	Above Rs.100.00 Crore & Up to Rs.500.00 Crore

The Investment & Turnover criteria is uniform for both Manufacturing and Service Enterprises

MSME Performance

The share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises stood at Rs. 44309 Crores as on 31st March 2025 registering y-o-y growth of 6.63%. Bank decided not to continue with an account with large exposure as the concessionary ROI was affecting NIM. Except the particular instance of exit, the overall growth is at par with the industry and shall reflect in subsequent quarters.

Key Points

◦ Pradhan Mantri Mudra Yojana

Bank has achieved target under PMMY with disbursement amounting to Rs. 6778.22 Crores as on 31st March 2025 vis-à-vis target of Rs.6300 crores. Bank has sanctioned 283718 number of fresh Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) loans amounting to Rs. 6812.55 crores in FY 24-25.

◦ Stand Up India Scheme

Bank has surpassed the stipulated target under Stand Up India Scheme with 7231 sanctions as against the target of 6614 sanctions

2767 accounts under Stand Up India Scheme were sanctioned in FY 24-25 with a sanctioned amount of Rs. 567 Crores. Outstanding as on 31.03.2025 was Rs. 628.16 Crores.

◦ PMEGP

Bank had secured third position in the number of sanctions under PMEGP for FY 23-24. Taking cue from the same, bank has actively sanctioned applications under PMEGP and provided support to new entrepreneurs in FY 24-25. Outstanding as on 31.03.2025 under PMEGP stands at Rs. 652 Crores with 3829 sanctions amounting to project cost of Rs. 372 Crores.

◦ IOB Pragati Scheme for Start Up Units

Launch of IOB Pragati Scheme on 16.07.2024 for providing finance to Start Up units. Loans are covered under Credit Guarantee Scheme for Start Ups up to the limit of Rs. 10 Crores by NCGTC.

The bank has opened an exclusive branch for startups in Chennai on 06.06.2024 with a focus to increase finance to new entrepreneurs.

◦ Loan Origination System

Department, in coordination with ITD, has successfully onboarded all major MSME schemes to LOS which ensures smooth processing of proposals, hassle free journey for loan applicants and reduced TAT.

◦ CIBIL Triggers

Bank has tied up with CIBIL Transunion for CIBIL Triggers which is an offering from Transunion CIBIL Limited allowing us to monitor credit activities of existing MSME customers of our Bank in the industry. This initiative helps our Branches to reach out to the MSME customers who are approaching other Banks/FIs for their financial needs and take timely measures to fulfil customer requirements and strengthen relationships.

◦ Launch of IOB E-GST Scheme

Department has launched E-GST Scheme for providing hassle free finance to applicants filing GST returns. Quantum is arrived at based on GST turnover data fetched from GST portal and bank account statement. Applicants get access to tailor made credit for their specific needs in a few clicks.

TReDS

Our bank is among the fore runners under TreDS. The bank has a robust infrastructure for invoice financing under TReDS having integration with 4 platforms viz. M1 Exchange, C2TReDS, Invoice Mart and Receivables Exchange of India (RXIL). Small suppliers for whom availability of instant working capital finance is key to smooth operations of their business, get access to readily available credit at the best rates. The outstanding under TReDS portfolio as on 31.03.2025 is Rs. 9242.50 Crores.

MSME Boost Campaign

Department launched a campaign by the name "MSME Boost" to on board new MSME customers to which the response from branches was overwhelming. The Bank canvassed Rs. 1725 Crores of fresh MSME business purely from new customers on boarded.

Cluster Based Financing

The number of clusters identified by the bank are 23 as on 31.03.2025. Bank has added 11 clusters in FY 24-25 and is continuously identifying new clusters based on geographical location of industries and feasibility.

The list of clusters as on 31.03.2025 is as under:

S No.	Name of the Cluster Scheme	Region
1.	Ceramic and Plastic Industry Cluster in Morvi, Gujarat	Ahmedabad
2.	Textiles Industry Cluster at Coimbatore	Coimbatore
3.	Engineering Goods Cluster in Coimbatore	Coimbatore
4.	Engineering and Packaging Cluster in NCR Delhi	NCR Delhi
5.	Auto Components Cluster in NCR Delhi	NCR Delhi
6.	Auto Components Cluster in Chennai/ Kancheepuram	Chennai I, Chennai II, Kancheepuram
7.	Auto/Bicycle Components Cluster in Ludhiana	Ludhiana
8.	Hosiery /Textiles Cluster in Ludhiana	Ludhiana
9.	Plywood Industry Cluster in Perumbavoor, Kerala	Ernakulam
10.	Textile Cluster in Surat, Gujarat.	Baroda
11.	Textile Cluster in Tiruchengode, Tamil Nadu	Salem
12.	Auto Components Cluster in Hosur and Krishnagiri, Tamil Nadu.	Salem
13.	Alleppey and Kollam COIR Products Cluster	Trivandrum
14.	Baroda – Engineering Cluster	Baroda
15.	Baroda – Chemical & Chemical Products Cluster	Baroda
16.	Mandi Gobindgarh, Fatehgarh Sahib – Steel Re Rolling Cluster	Chandigarh
17.	Erode & Karur Textile and Allied Activity Cluster	Erode

S No.	Name of the Cluster Scheme	Region
18.	Genome Valley-Medchal/Malkajgiri Pharmaceutical Cluster	Hyderabad
19.	Trichy- Fabricators and Engineering Works Cluster	Trichy
20.	Ranipet Leather Products Cluster	Vellore
21.	Panipat NCR Delhi-Textile Cluster	NCR Delhi
22.	Ranipet -Steel Fabrication & Machinery Shop Industry Cluster	Vellore
23.	Automobile & Engineering Cluster Pune	Pune

The overall feedback from our customers is positive as they enjoy various benefits viz. lower ROI and charges, reduced TAT, and uniform template-based processing of proposals due to same nature of industry in a cluster.

Guidance for FY 25-26

- Bank is actively working towards full digitalization of MSME products and implementation of STP for a few products to ensure hassle free journey for our customers and reduced TAT.
- Lodgement of bills under TReDS has been automated and the department is working towards automation of realization of bills which shall bring operational efficiency in bills processing under TReDS.
- Revised MSME definition shall be implemented in FY 24-25 which shall bring a large number of units under the ambit of MSME categorization. The same shall ensure growth in MSME portfolio, benefits passed on to our customers and achievement of PSL targets.
- Department is continuously in touch with field functionaries and ROs to identify new clusters. This approach shall expand the overall coverage under cluster-based financing and shall add many new MSME units to our portfolio by offering various cluster-based benefits.

RETAIL BANKING

The total outstanding under Retail Credit Portfolio increased from Rs 48514 crores as of March 2024 to Rs.62765 Crores as of March 2025. The Retail Credit registered Y-o-Y growth of 29.37 % during FY2024-25. The overall Retail share to domestic advances is 26.56 %.

Housing Loan Portfolio Registered Y-o-Y growth of 12.61 % during FY 2024-25. Fresh Housing loan sanctioned during review period are 20505 accounts amounting to Rs 6550.87 Crore. The total Disbursement was Rs 6419.99 Crore.

Vehicle loan portfolio has registered Y-o-Y growth of 18.29% during the FY 2024-25.Fresh loan sanctioned in the FY 2024-25 is 21939 accounts amounting to Rs 2233.79 Crore. The total Disbursement was Rs 2209.40 Crore.

Mortgage loan portfolio has registered Y-o-Y growth of 50.08% during the FY 2024-25. Fresh loan sanctioned in the FY 2024-25 was 6298 accounts amounting to Rs 2190.18 Crore. The total Disbursement was Rs 2191.63 Crore.

Personal loan has shown a growth of 29.92%. Fresh sanctions made were 29346 accounts amounting to Rs 1407.49 Crore. The total Disbursement was Rs 1404.59 Crore and Jewel loan portfolio has shown a growth of 220.22% during the FY 2024-25. Fresh sanction of 1340880 accounts amounting to Rs 20004.46 Crore were done and Rs 19952.72 Crore was disbursed.

Modification in Existing Scheme:

Based on market dynamics and feedback from field functionaries and to make our product more competitive, suitable modification were carried out in the existing Retail Products to make them more competitive product.

Details of the modification done in the Retail loan products are as under:

◦ Pension loan

In view of escalation in living cost, medical expenditures etc maximum quantum under pension loan has been increased from Rs 5.00 Lakhs to Rs 10 Lakhs to regular pensioners and the quantum of loan of Family pensioner has been increased from Rs 3.00 Lakhs to Rs 6.00 Lakhs. Further Roll over of pension loan also has been permitted.

Personal Loan

The number of Captive Branches (Situated in the premises of institutions having Banking Relationship and salary accounts of employees with us) have been increased from 195 to 206 branches and these branches have been empowered to sanction higher quantum of personal loan to the employees of such institution to increase our personal loan portfolio.

IOB Vidya Shrest Scheme

The scheme is to provide collateral free education loan for study at premier education institutes in India. Based on cost escalation of education, quantum has been revised and now students can avail collateral free loan up to Rs 40 Lakhs for study at Institutes coming under Category A and up to Rs 30 Lakhs for study at institutes under category B as against their previous limit of Rs 15 Lakhs and Rs 7.50 Lakhs respectively. However, for higher quantum above limit of Rs 150 Lakhs, the availment will be subject of offering of suitable collateral Security.

Based on National Institutional Ranking Framework (NIRF), addition to the prestigious educational institutes have been made. All new IITs, IIMs, AIIMA, NIITs have been included.

Skill Loan Scheme

A Skill Loan Scheme was launched by the Government of India in the year 2015. Recently IBA has shared revised skilled Loan scheme. The scheme covers a wide range of programs, including technical and non-technical courses, with the objective of empowering the youth with the necessary skills to improve their employability and contribute to economic growth. Quantum of loan has been increased from Rs 1.50 Lakh to Rs 7.50 Lakh to allow students to enrol for high end courses requiring more financial support. Revised scheme has been implemented in our bank during FY 2024-25.

Introduction of New Products/ Initiatives under Retail Credit Portfolio

CIC Based rate of interest

To ensure better financial discipline, increased quality of Retail Loan portfolio, CIC Based pricing on all the Retail loan products was introduced. Our bank has introduced CIC score-based interest rates offering interest rates based on the CIC score.

PM Vidyalaxmi Scheme

"Pradhan Mantri Vidyalaxmi Scheme" (PM-Vidyalaxmi Scheme), a collateral free and guarantor free education loan scheme for study at 860 identified Educational Institutes, identified by Ministry of Education based on their NIRF Rankings with Central Sector Interest Subvention Scheme for financial support to meritorious students has been launched ,so that financial constraints do not prevent any youth of India from pursuing quality higher education at these 860 educational institutes. The scheme has been introduced in our bank during 2024-25.

New Housing Loan Scheme - IOB Gharonda 2.0, Under Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U) 2.0

Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U) Scheme was launched on 25th June 2015 by the Hon'ble Prime Minister to provide all-weather pucca houses to all eligible urban households across the nation with the vision of 'Housing for All'. Now, the government has launched Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) has been launched to provide assistance to 1 crore eligible urban families, thus ensuring that eligible citizens of urban India can own a house and lead a better quality of life. As per scheme, the Housing Loan up to Rs. 25 Lakhs, for property value up to Rs. 35 Lakhs, sanctioned to eligible customers, shall be covered under Interest Subsidy Scheme (ISS) w.e.f. 01.09.2024. This has been introduced in our bank as IOB GHARONDA 2.0.

New Housing Loan Scheme for EWS/LIG/ MIG Borrowers "HOUSING LOAN-ELM(U)"

The Department of Financial Services (DFS) and select member Banks along-with IBA had jointly have formulated a Home Loan scheme for facilitating Housing Loans to Individuals in the Economically Weaker Section (EWS), Low Income Group (LIG), and Middle-Income Group (MIG) categories, with regular source of income with minimal or nil documented income or income proof but have digital footprints of banking and other economic activities. Based on the above, IBA model scheme We have introduced the scheme named as HOUSING LOAN-ELM(U).

Digital Initiatives

The Bank has taken following steps towards digitalization for better customer experience:

Retail Loan Product Movement to LOS

For improvement in quality and reduction in TAT of processing of Loans we have been moving our Retail Loan products to LOS (A Digital Loan processing platform).

During the FY 2024-25, we have moved the following products to LOS:

1. Subhagruha Housing Loan, Gen Next Housing Loan, Home Advantage, NRI Housing Loan, NRI Gen Next Housing Loan, Home Improvement and Home Décor under Home Loan Schemes.
2. Loan against property for Individual Customers.
3. Personal Loan Top Up online journey for customers.
4. Vehicle Loan under Online Journey for customers.

◦ Establishment of Retail Loan Processing Centres (RLPC)

To take more benefits of digitalization of loan processing and to improve compliance and reduce TAT, Bank has established **total 8 RLPC** across the country, during this Financial Year 2024-25 the bank has established **7 new RLPCs**

- Mumbai,
- Delhi,
- Kolkata,
- Bangalore,
- Lucknow
- Coimbatore and
- Chennai

CORPORATE CREDIT

Corporate lending plays a significant role in nation-building by providing businesses with the financial resources they need to grow, innovate, and contribute to the overall economy. It supports economic development, job creation, infrastructure development, and the creation of a more vibrant and resilient economy.

These services typically include lending, underwriting, advisory, and other financial products tailored to the needs of corporations and large businesses. With present market scenario and Bank's internal risk appetite, we continue to provide thrust in expanding our exposure in capital light asset, wherein the Bank focuses mainly on AAA/AA rated accounts and PSU/ Government guaranteed exposure spread over various core industries and other segments.

Further, in order to capitalize on the ongoing demand on financial service segment, the Bank is also expanding its structural exposure in onward lending segment of Housing/ MSME/Consumer finance/Vehicle finance. Corporate lending in India has experienced significant developments, reflecting a dynamic and evolving financial landscape in respect of PLI and green shoot industry and as such, the Bank continue to contribute towards national pride projects in infrastructure/ technology. We have already floated customized loan products where ROI is linked to market rates. This helps the better rated Corporate to access credit at market determined rate.

PRIORITY SECTOR CREDIT

The average growth of four quarters for the FY 2024-25 was Rs. 1933.08 Crs and the average Outstanding stood at Rs.99706.16 Crs against the target of Rs.72494.03 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 40% of ANBC by achieving 55.01% under Total Priority Sector Advances during FY 2024-25.**

Agriculture

The average growth of four quarters for the FY 2024-25 was Rs.2131.36 Crs and the average outstanding stood at Rs. 55240.83 Crs against the target of Rs. 32622.31 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 18% of ANBC by achieving 30.48% under Agriculture advances** during FY 2024-25.

Loans to Small and Marginal farmers

The average growth of four quarters for the FY 2024-25 was Rs.1037.22 Crs and the average outstanding stood at Rs.37165.25 Crs against the target of Rs.18123.51 Crs and t**he Bank has surpassed the mandatory norms of 10% of ANBC by achieving 20.51%** under loans to **Small/ Marginal farmers** during FY 2024-25.

Loans to Non-Corporate farmers

The average growth of four quarters for the FY 2024-25 was Rs.2610.41 Crs and the average outstanding stood at Rs.54750.67 Crs against the target of Rs. 24974.19 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 13.78% of ANBC by achieving 30.21%** under loans to **Non-Corporate Farmers** during FY 2024-25.

Loans to Micro Enterprises

The average outstanding stood at Rs.16808.59 Crs against the target of Rs.13592.63 Crs for the FY 2024-25 and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 7.5% of ANBC by achieving 9.27%** under loans to **Micro Enterprises** during FY 2024-25.

Loans to Weaker Section

The average growth of four quarters for the FY 2024-25 was Rs.1229.56 Crs and the average outstanding of four quarters for the FY 2024-25 stood at Rs.41588.95 Crs against the target of Rs.21748.21 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 12.00% of ANBC by achieving 22.95% under loans to Weaker Section.**

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 78641 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 3703.74 Crs.

Specialized SHG Credit Centre

30 Branches with 5 branches in a Cluster in 19 Regions of our Bank have been formed as Special SHG Credit Centre for processing of SHG loans from nearby Branches. During the FY 2024-25, Rs.806.12 Crs to 14314 SHG groups have been disbursed by the Specialized SHG Credit Centre.

Credit flow to women

Bank's credit to women stood at Rs. 53107.36 crores as of 31st March 2025 which constitutes 27.76 % of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

Lead Bank Initiatives

The Bank has Lead Bank responsibilities in 15 districts of Tamil Nadu and 1 district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee (SLBC) of Tamil Nadu. During the year, as Convenor of SLBC, Tamil Nadu, the Bank has conducted four main meetings.

In addition, the Bank as convenor of SLBC, Tamil Nadu has also convened 6 Sub Committee and 4 Steering committee meetings during the year.

SLBC Initiatives for Financial Inclusion

- In the state of Tamil Nadu, 153.68 lakh PMJDY accounts are opened up to 31st March 2025. The number of Male PMJDY accounts is 62.20 lakhs and number of Female PMJDY accounts is 91.40 lakhs.
- The Aadhaar saturation for the State of Tamil Nadu is 102.12%.*

**The population of Tamil Nadu is based upon the 2011 census, whereas Aadhar saturation is based upon the current number*

SLBC initiatives on Credit Flow in Tamil Nadu

Banks in Tamil Nadu have achieved the following as of March 2025:

- CD ratio of Banks in the State continues to be above 100% and as of Mar 2025, the CD ratio stands at 126.08%.
- 45.99% under Priority Sector against the national norms of 40%.
- 24.12% of Agricultural Advances against the national norms of 18%.
- 19.45% of advances to weaker sections against the national norms of 12%.
- The Government is promoting lending to women's SHG for Financial inclusion, Entrepreneurship, Income generation, Sustainable Livelihoods, Women's empowerment and Community Development, thus contributing to the growth of the nation. Banks in the state have disbursed SHG loans to the tune of Rs.35,189.87 crores as against the Annual target of Rs.35,000 Crs for FY 2024-25.
- The Annal Ambedkar Business Champions Scheme (AABCS) loans are specifically for individuals belonging to the Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) communities in Tamil Nadu, aiming to promote entrepreneurship and economic development. During FY 2024-25, as against the Annual Target of 1,000 nos. of applications amounting to Rs.114.56 crores under AABCS Scheme, Banks in State of Tamil Nadu has disbursed 1,160 nos. of loans amounting to Rs.119.18 crores, thus contributing to the upliftment of the SC/ST communities.

FINANCIAL INCLUSION

Our Bank has engaged M/s. Integra Micro Systems Pvt. Ltd., as our Technology Service Provider (TSP) and Six Corporate Business Correspondents namely

1. M/s. Integra Microsystems Pvt. Ltd.,
2. M/s. Atyati Technologies Pvt. Ltd.,
3. M/s. FIA Technology Pvt. Ltd.,
4. M/s. Starfin India Pvt. Ltd.,
5. M/s. Zero Mass Pvt. Ltd. and
6. M/s. RNFI Services Ltd.

For the management of Business Correspondent Agents (BCAs) across PAN India. Our Bank has engaged 10135 BCAs as on 31.03.2025. BCAs are engaged for opening of accounts, collection of small value deposits, enrolment of customers under Jan Suraksha Schemes like APY, PMJJBY and PMSBY, recovery in loan accounts including NPA accounts, mobilizing deposits and collecting RD instalments.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. Our Bank has opened 8784415 PMJDY Accounts as on 31.03.2025, out of which 8365710 (95%) are operative accounts. We have issued 7797164 RuPay Debit Cards in PMJDY accounts since inception till 31st March 2025.

Aadhaar enrolment and update centres as per Aadhaar Regulations, 2016.

Our Bank has established Aadhaar Enrolment Centres (AECs) in 379 Branches all over India in line with UIDAI guidelines and engaged M/s Asuja eServ Private Limited as a vendor for outsourcing of manpower in all the Aadhaar Enrolment Centres of our Bank since November 2024.

Jan Suraksha Schemes

The Jan Suraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015. The Bank is enrolling customers under Jan Suraksha schemes viz PMJJBY and PMSBY.

As on 31st March 2025, the enrolment counts under Jan Suraksha schemes is as below:

Schemes	Status of enrolment as on 31st March 2025 (Cumulative)	Status of Enrolment during the FY 2024-25
PMJJBY	3782634	746823
PMSBY	8316697	1259596
Total	**12099331**	**2006419**

Atal Pension Yojana

Atal Pension Yojana (APY) is an old age income security scheme for a savings account holders in the age group of 18-40 years who is not an income tax-payee. The scheme helps in addressing the longevity risks among the workers in the unorganized sector and encourages the workers to voluntarily save for their retirement.

Performance under APY over the years is as follows –

Financial Year	Enrolments
2015-16	18540
2016-17	60084
2017-18	111959
2018-19	103711
2019-20	150010
2020-21	179081
2021-22	232860
2022-23	277710
2023-24	261318
2024-25	267678
Total APY Enrolments (Cumulative)	**1662951**

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Govt of India, the Bank had set up total 14 RSETIs in all Lead Districts allotted to IOB in the State of Tamil Nadu, to provide training to farmers, members of SHGs, educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections.

The RSETIs are managed by SNEHA Trust established by the Bank. During the year under review, the RSETIs have conducted 471 training programs benefiting 14327 rural participants. Bank has achieved settlement of 78% and credit settlement of 55% which are well above the national average of 70% and 50% respectively.

Financial Literacy

Financial Literacy is imparted through Financial Literacy Centres established at 24 locations (15 in Tamil Nadu & 9 in Kerala) under Corporate Social Responsibility. The counsellors of these centres are educating the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counselling services and offer debt counselling to indebted individuals.

They are also conducting periodical camps at various places. As on 31st March 2025, 81575 credit counselling camps have been conducted by the FLCs since inception. 17653 Financial Literacy camps were conducted on various aspects of Banking and 147341 SB accounts have been sourced and opened since inception. 5388 Special camps for newly included people in the financial system were conducted by covering 418168 beneficiaries. FLCs conducted FL sessions at 118 ITIs, 7 Vocational Training partners (VTPs) and 3 Operational Centres (OCs) and imparted Financial Literacy to 21069 Students.

Centre for Financial Literacy (CFL)

One of the milestones of the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI: 2019-2024) is to expand the reach of CFLs to every block of the Country. RBI has allotted a total of 74 centres for CFLs to our Bank with 65 in the State of Tamil Nadu and 9 in Kerala for financial literacy through M/s Dhan Foundation (NGO).

The CFLs have been designed to raise financial awareness, promote good financial practices, and drive sustainable change in behaviour, ultimately resulting in informed financial choices and greater sense of control over one's finances. These centres use a combination of educational videos, experiential learning and financial planning tools to drive home key messages and benefits of using formal financial services. Our Bank's CFLs have been committed to strengthening the financial capabilities of socially and economically disadvantaged communities and minimize every household's financial vulnerability. Our Bank's CFL ensure promoting better financial practices in the community, creating an enabling environment, and developing a network of trained financial inclusion experts which are crucial to driving financial inclusion to the last mile.

PERFORMANCE ON PARA-BANKING PRODUCTS

Under Para banking business, bank has earned income of Rs.33.31 Crores during FY 2024-25 through Bancassurance & Distribution of Mutual funds. Various campaigns and drives along with Corporate Social Responsibility activities as mentioned below were conducted during the year.

- **Feed for needy people in old age homes (Prathistha 4.0 Campaign).**
- **Roshni (Vision) to needy people (Sahara Campaign).**
- **Sapling plantation for every green point earned (Utkarsh Campaign).**
- **Free hearing aids to needy people (Shikar Campaign).**
- Against the annual target of Rs.42.00 crores, we have achieved an income of Rs.33.31 crores. The achievement percentage is 79.31%. and have shown growth in all the products.
- The overall income growth YoY as on Mar 2025 when compared to the previous year is 11.25%.
- The overall income growth in business excluding HDFC Ergo stands at 17.33 % as of Mar 2025.
- Under Niva Bupa, the overall growth YoY as on Mar 2025 when compared to the previous year is 46.96%.
- Under SBIGI, the overall growth YoY as on Mar 2025 when compared to the previous year is 32.17%.
- Under LIC, the overall growth YoY as on Mar 2025 when compared to the previous year is 14.71%.
- We have grown by 5.94 % under USGIC and 9.48 % under Mutual Funds.

Product Launched during the FY 2024-25

We have introduced the following new group products during the FY 2024-25.

Niva Bupa Health Insurance

- **New Group Insurance Product for members of SHG – SHG Suraksha -** Product for the members of SHG by providing Hospital Daily Cash benefits and Accidental death Cover for the age group of 18 to 65 Years with policy tenue of with a minimum premium of Rs.300/- inclusive of GST.
- **Super Top Up -** Product for the new customers as well as existing policy holders by providing cover for the age group of 18-60 years in adult and child from 91-21 days. A super top-up health plan covers the total hospital bills up to the limit specified in super top-up plan above the deductible amount. Once the deductible is paid, the super top-up policy becomes active for subsequent claims.
- **Rise –** New retail product for the bank customers by providing cover for the age group of 18-65 years in adult and child 91days - 30 years. "RISE" has been designed especially for the huge population of India in the smaller towns and locations across the country. In an era marked by dynamic lifestyles and evolving healthcare needs, the importance of access to quality health care is well understood and Rise is a manifestation of commitment to providing comprehensive and forward-thinking coverage that ensures the well-being of the masses.
- **New GCC –** New Group Critical Care (NGCC), loan linked product providing Critical Illness and Accidental Insurance cover for borrowers in the age group of 18 to 55 Years with policy tenure of 5 years. The product has been formulated with core features of existing Group Critical Care with enhanced features. The plan intends to cover the borrowers in case of diagnosis with any of the 41 listed critical illnesses and accidental death or disability. Sum insured will be equal to the amount of loan sanctioned.

Universal Sompo General Insurance

- Supreme Health Care Policy - Supreme health care policy is a comprehensive health care policy at an affordable price. It covers cost of an insured member's medical and surgical expenses. If during the policy period one or more Insured Person(s) is required to be hospitalized for treatment of an illness or injury at a hospital/ day care centre, following medical advice of a duly qualified medical practitioner, the company shall indemnify, expenses towards the coverages & sum insured.

- Vehicle Insurance – QR Based Journey – As a part of Environmental, Social and Governance (ESG) initiative a new hassle-free service for availing Vehicle insurance product was launched. QR codes not only market the services but also make operations such as claim processing easier for the customers.

SBI General Insurance

Arogya Protect – Health insurance product exclusively for the customers of our Bank by providing comprehensive health insurance plan at affordable price, which covers medical expenses in case of medical emergencies and secure coverage for proposers & their family at a flat Premium.

Campaigns conducted for Social Cause:

- **NIVA BUPA PRATISHTHA CAMPAIGN 3.0 -** To donate meals to needy Indians in Old Age Homes and Orphanages. Our Bank has sourced 29204 Policies with a net premium of Rs.9.73 Crores which has contributed 48641 Pledge Points and thereby donating 48641 meals for needy people.
- **NIVA BUPA "SAHARA" CAMPAIGN -** To donate Cataract Surgeries and providing Roshni (Vision) to needy people. Our Bank has sourced 35720 Policies with a net premium of Rs.10.47 Crores which has contributed 8380 Pledge Points and thereby donating 838 Cataract Surgeries for needy people.
- **General Insurance Campaign – Utkarsh'2025 –** Universal Sompo General Insurance Company Ltd – For every 500 green points USGI will plant 1 sapling in the name of the bank. Accordingly, for Rs.701.80 Lakh premium mobilised, 7.02 lakh green points has been sourced and 702 saplings will be planted by USGIC in the name of bank.
- **General Insurance Campaign – Shikhar'2025 –** SBI General Insurance Company Ltd – For every 10 Lakh Premium sourced by our bank, SBIGI Co Ltd will be providing one hearing aid in the name of the bank to the challenged & needy people. Accordingly, for Rs.370.60 Lakh premium was sourced and SBIGIC will be donating 37 hearing aid in the name of bank to the needy people.

QR Code Stand for Religious Institutions

- We are providing QR CODE stand for Temples, Churches, Mosques, and other Religious Institutions enabling the devotees to make e-offerings.
- 242 QR Code stands have been installed at various Religious Institutions during the previous FY 2024-25, which had gained wider publicity in Media and Newspapers in Regional languages.
- Rs.5.04 Crore received as offerings as on 31.03.2025 through QR Code stands installed in various Religious Institutions. The offerings received, is retained in the respective accounts.

CUSTOMER SERVICE

Bank endeavours to provide continuous services to all our customers and provides satisfactory solution to customer's grievances. Bank has revamped and introduced Customer Relationship Management tool with enhanced features to provide better grievance redressal to our valued customers. Apart from this, Bank helps customers to choose right products and counsels them to take calculated financial decisions. Bank is also committed to resolve the complaints immediately and within TAT to the satisfaction of the customers.

Bank has facilitated Grievance Redressal portal through our website, Internet Banking/Mobile Banking app, contact centre, etc. Customers can lodge their complaints through any of these portals. Customers can view the status of their grievances and update any additional record sought. Customers can choose to close their complaint if they are satisfied.

Grievance Redressal Mechanism

Our Robust Grievance Redressal Mechanism strives to deliver solutions within next working day for which Bank has designed a helpdesk at Regional Offices comprising of one Grievance Redressal Officer (GRO) who is the Second Line, one RCC official for technical support and desk officer to attend customer grievances immediately. Customer Relationship Management (CRM) tool for Grievance Redressal Mechanism is enabled with all regulatory parameters. Complaint details are available on real time basis and access by various layer of offices enable effective redressal mechanism. Provision to capture customer feedback is also inbuilt in the portal on closure of complaints.

Apart from Internal Grievance Redressal Mechanism and Contact Centre, Department handles complaints received from Alternate Grievance Redressal Mechanism viz Banking Ombudsman (RBI), CPGRAMS (Centralized Public Grievances Redress and Monitoring System maintained by Department of Administrative Reforms and Public Grievances), INGRAMS (Integrated Grievance Redressal Mechanism maintained by Department of Consumer Affairs).

Bank has introduced various customer friendly initiatives, to provide ease to customer experience. Some of them are listed below:

- **Grievance Redressal Day:** Grievance Redressal Meeting is held at branch level in PAN India on 15th of every month. Department is placing feedback and suggestions received from customers before the Customer Service Committee of the Board.
- **Grievance Disposal Day:** Grievance Disposal Day for Branches/ROs was introduced, and it is conducted on Third Friday of every month for speedy processing of complaints.
- **Customer Relationship Management (CRM):** Bank has launched CRM as part of Digital Initiative and an Integrated Complaint Management System which is a software or module used to manage and track customer complaints

efficiently. This tool helps businesses receive, record, classify, and resolve customer complaints, ultimately improving customer satisfaction and understanding.

Customer Contact Centre:

- We have Contact Centre with Toll Free Services for Inbound calls related to Request, Query and Complaints with dedicated Customer Service Agents by 24X7 in all days to address/register the issues/ complaint raised by Customers on calling and provide Self Service through IVR Self Service solution. The Toll Free Numbers are 1800 890 444 & 1800 425 4445.
- New Next Gen Contact Centre transition/integration is in progress to enhance Customer experience with latest technology of AI and various Omnichannel.
- To prevent fraudulent related calls, **'140xx' & '1600xx' Numbering Series as per RBI/TRAI guidelines:**

  The Reserve Bank of India vide its Circular Ref. No. RBI/2024- 25CEPD.CO.OBD.No.S1270/50-01-001/2024-25dated 17.01.2025 has issued guidelines for prevention of financial frauds perpetrated using voice calls and SMS by all the Financial Institutions. As per the guidelines, all the outbound Promotional Voice Calls should be prefixed by -140xx' numbering series and the outbound Transactional & Services Calls should be prefixed by -1600xx' numbering series.

  As per RBI instructions this Process was to be completed on or before 31.03.2025. Bank has procured the following numbers and completed the above guidelines successfully within in the stipulated timeline. The details of the numbers procured are as follows:

  - 1600 118 119 & 1600 318 418 for Transactional & Service Calls(60 Channels).
  - 140 9686 440 to 140 9686 469 for Promotional Calls(30 Channels).
- **To familiarize the above Outbound Numbers,** Bank has sent **SMS** with the details of the above Numbers to all customers and posted the details **in our Bank's Website** and in respective **IOB social media.**
- Contact Centre Information has been ported in our IOB website under Customer Care menu.

PSB Alliance Doorstep Banking

As per the instructions of IBA and RBI, our bank has implemented PSB alliance Doorstep banking successfully.

- Bank has secured 1st Position in Group D during the "DSB Abhiyan" campaign which was launched by PSB alliance Pvt Ltd. in June 2024.
- A column in saving bank account opening form to get consent from the customer for registration of DSB services is incorporated at the time of account opening.
- All India DSB Nationwide Digital Life Certificate campaign was conducted by PSB Alliance private Limited from 01.11.2024 to 31.12.2024. During the campaign 1399 transactions were raised successfully.

Achievement of the Department

- For the FY2024-25, the grievance disposal by the Bank was all time high. We could contain the **Banking Ombudsman Chennai and INGRAMS complaints to NIL.**
- All Complaints were resolved within TAT and No complaints are pending for more than 30 days.
- Bank has not received any **AWARD** for the FY 2024-25 from RBI- Ombudsman Office.
- The pendency of complaints is near to NIL in our Bank.
- Queue Management System was introduced in 50 (Fifty) metro Branches for enhancing customer Branch experience and for hassle free services in Branches.
- Capturing of Feedback through SMS for cash transactions on Customer experience under **Reward and Motivation Program** was implemented for enhancing customer service.
- **Quarterly Educative Series** is being issued by department, which has yielded good results. Department has already issued 20 Educative series circulars based on complaints received and Root Cause Analysis.

Details of Customer Complaints received and redressed during the year 2024-2025 is given below:

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Number of complaints at the beginning of the year	2017	1950
Number of complaints received during the year	210075	257420
Number of complaints resolved during the year	209482	257353
Number of complaints pending at the end of the year	2610	2017
Effective Resolution Rate	**98.77%**	**99.22%**

Categories of Complaints for the year ended 31.03.2025 is as follows:

Nature of Complaints	Total Number of complaints in all Channels	% of Total Complaints
NON- DIGITAL		
General Banking	5641	2.69
Customer Service	2471	1.18
PMJDY	930	0.44
Advances	888	0.42
Deposits	878	0.42
CIC	501	0.24
Insurance	496	0.24
Pension	185	0.09
NRI Services	105	0.05
Others	342	0.16
Total	**12437**	**5.92**
DIGITAL		
Non-ATM	156450	74.47
ATM	41188	19.61
Sub total	**197638**	**94.08**
Grand Total	**210075**	**100.00**

CUSTOMER SERVICE COMMITEE

The MD &CEO presides over the meetings of the committee. The committee met 4 times during the period 01.04.2024 to 31.03.2025. Number of meetings attended by each member of the committee during the year is as under:

S. No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/ held in FY 2024-25
		From	To	
1	Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	Till date	4/4
2	Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	Till date	4/4
3	Shri Dhanaraj T	10.03.2024	Till date	4/4
4	Shri B Chandra Reddy	12.03.2024	20.12.2024	3/4
5	Shri Deepak Sharma	21.12.2021	20.12.2024	3/4

STRESSED ASSETS MANAGEMENT DEPARTMENT

- Bank is continuously adopting various methods and recovery tools for reducing the Bank's NPA portfolio and improving the profit level. Though the core objective in NPA recovery is recovery of the entire contractual dues without any hit on the profit front, in practice, due to various factors, the Bank has to shift the strategy for NPA recovery by other means including compromise settlements apart from taking other legal measures as may be warranted. Bank undertook various initiatives during the year for strengthening the recovery function and for improving the overall performance in Recovery area.

- Bank also implemented digitalization in SARFAESI, all the Demand notices, Possession Notice & Sale Notice has also been developed and implemented. Bank is also in the process of digitalization of entire recovery process (i.e.) One time settlement, NCTL, DRT, Lok Adalat, Civil Suit etc.

- During the period under review, one of the recovery tools that has worked very well is the Special OTS Schemes. The special OTS Schemes were modified in such a way that for Non NCLT accounts, powers have been given to various layers of Authorities so that the outstanding NPA A/cs could be settled in a hassle free manner without taking any long

process for sanctioning of the OTS and conveying the same to the borrowers/guarantors. This scheme of Special OTS was made non-discretionary and non-discriminatory in nature.

- Total number of OTS sanctioned during the FY2024-25 was 52928 accounts for an amount of Rs.1517.47 Crs and out of this, the Bank has so far recovered an amount of Rs 818.05 Crs.

- Bank conducted E-Auctions for the properties possessed under SARFAESI Act every month till March 2025 through E-Bikray platform. Bank was able to put E auction of 4397 properties and out of this, 516 Properties were sold fetching Rs.463.77 Crores under E auction in FY 2024-25. Initiation of E auction procedure under SARFAESI had also paved the way for OTS, upgradation and full closure in many NPA accounts. In order to bring more buyers, Bank also engaged Debt Recovery Agents to mobilise bidders. Bank has made available all the eligible properties details in IOB Online where prospective buyer can search for the property details and participate in the Auctions. Bank has developed a trigger tool to generate leads from the prospective buyers who visit our website.

- The total NPA recovery done by the Bank during the FY 2024-25 was around Rs. 4013.57 Crs, the Bank's focus on Recovery remains unchanged and unwavering. The Bank will continue to keep the Recovery momentum going strong in the current financial year also.

DISPOSAL OF PETITIONS RECEIVED UNDER RTI ACT

RTI applications and appeals are handled by a separate and specialized cell called RTI Cell in the Bank. The RTI Cell is working under the control and supervision of Assistant General Manager, Law Department, who is designated as Central Public Information Officer (CPIO). Bank has also designated Regional Managers as Central Assistant Public Information Officer (CAPIO) to assist CPIO in disposing RTI applications within the prescribed time frame (i.e., 30 days from the receipt of RTI application). There are 50 CAPIOs in our Bank.

Bank has designated General Manager, Law Department as First Appellate Authority (FAA) for disposing appeals filed by the appellants who were aggrieved with the reply of CPIO and CAPIOs.

Bank has received **1571** applications filed under RTI Act, 2005 for seeking information in the year 2024-25. **1557** RTI applications are duly disposed of as per the provisions of RTI Act, 2005 by CPIO and CAPIOs.

Bank has received **263** first appeals seeking further information against the reply of CPIO and CAPIO and **262** have been duly disposed by FAA by passing appropriate order on merits and as per the provisions of RTI Act, 2005.

The appellants who were aggrieved with the reply of CPIO/ CAPIO and FAA preferred second appeal before Honourable Central Information Commission (CIC), New Delhi. Bank received 69 notices in Second Appeals filed before CIC. All the second appeals were represented by CPIO/CAPIO and were duly disposed by Information Commissioner by passing appropriate order on merits without any adverse remarks against the Bank.

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate tradeoff between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.
The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank.

The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk

management committees. The Mid-Office in departments/ Risk Management in particular, and other functional branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been nominated at Regional Offices to oversee the credit risk of the respective regional offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. Minimum Capital of 9% and Capital Conservation Buffer of 2.5% with overall CRAR of 11.50% have been prescribed by RBI in their BASEL III.

The Basel-III Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business and commensurate with bank's risk profile and control environment.

As per RBI Circular, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 02.12.2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions and SOP Document on Stress Testing, the bank carries out various stress tests periodically on bank's balance sheet and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan is in place. The 3-way data centres have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centres and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps, while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel III framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

RBI had introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR) in order to ensure short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The minimum LCR requirement set out in the RBI guidelines for the bank effective January 1, 2019 is 100%. The Bank is maintaining LCR well above the minimum prescribed levels. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

RBI introduced the Net Stable Funding Ratio (NSFR) in order to promote resilience of Banks over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guidelines effective October 1, 2021 is 100%.

The bank is maintaining NSFR well above the minimum prescribed levels. Bank's majority funding is from Retail and Small Business customers, which provide high stability with regard to stability of Funding. Bank is having enough stable sources of funding to fund their activities on an ongoing basis over a longer-term time horizon.

As per the final guidelines on IRRBB issued by RBI vide Circular issued on 17.02.2023 on Governance, Measurement and Management of Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), the banks should develop their own methodologies for capital allocation, based on their risk appetite. In determining the appropriate level of capital, banks should consider both the amount and the quality of capital needed.

The bank has started computing the Interest Rate Risk in Banking Book and the potential change in Economic Value of Equity and Change in the Net Interest Income is being measured and reported to RBI also. The bank's interest rate risk in banking book is well within the tolerance limit and is being monitored and managed on periodical basis.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk-based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending June, 2015.

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June

30, 2013. The bank is complying with the same.
The third pillar of Basel-III framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches (DF-5), (f) Securitization Exposures: Disclosure for Standardized Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF (11), Summary Comparison of accounting assets vs Leverage Ratio exposure measure (DF 17) and Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

CREDIT MONITORING

Bank has implemented various strategies for follow-up and recovery of SMA accounts and for closer monitoring of credit to ensure that slippages are kept at the minimum possible levels. Measures implemented during FY 2024-25 for effective monitoring of accounts:

Bank has taken the following measures to address the potential risk of increased slippages.

- **SMA and Probable Slippages Reports for the month are provided online well ahead every month** and updated report is made available for follow-up by the Branches/ROs/ CO Departments on a daily basis.
- **SMS Alerts** are sent to SMA borrowers at regular frequencies reminding them on the repayment of overdue.
- SMA Borrowers not responding to telephonic follow-up within 15 days are followed up through **personal visits.**
- **SMA accounts** with the outstanding of Rs.50 lakhs and above are being **reviewed on a monthly basis** by GMs committee at C.O.
- **SMA accounts of overseas Branches** are also reviewed by GMs Committee on a monthly basis.
- **System generated Letters** to SMA borrowers (mentioning overdue and requesting early regularization) has been enabled for ROs and Branches.
- Services of an **Outbound Call Centre** is also engaged for follow up and recovery in SMA/Probable Slippage accounts of Retail credit and MSME. Apart from the calls **Voice Blast** facility is also used to send pre-recorded messages to the overdue borrowers reminding them for paying their dues at the earliest.
- Bank has launched **Web App and Mobile App** on 01.07.2024 and SMA accounts are being followed up by Branches/ROs through these Apps. SMA data is being updated on a daily basis for follow-up by the Branches/ROs.

Bank was able to control slippages during the FY 2024-25 by adopting the above measures and has maximized recovery and regularization of Special Mention Accounts.

LOAN REVIEW MECHANISM

- **Stock Audit procedures** have been strengthened for all accounts with working capital outstanding (both fund based and non-fund based) of Rs.5 crores and above. Stock Audit review notes are being placed to the GMs Committee at Central Office and observations of the Committee are being advised to RO/Branches.
- **Agency for Specialized Monitoring (ASM)** is allocated by Bank for accounts wherever CCD/MSME has stipulated ASM appointment in the sanction. ASM reports are being placed to the GMs Committee at Central Office & observations of the Committee are being advised to RO/ Branches for due compliance.
- **Credit Compliance Audit** is conducted for accounts with an exposure of Rs.50.00 lakhs and above for domestic accounts and for accounts with exposure Rs.1.00 Crore and above for overseas accounts. Audit is carried out annually.

  The account is categorized as Low/Moderate/High according to the level of compliance. Corrective measures are taken account wise to strengthen compliance and to address gaps.
- **Early Warning Signals (EWS):** Bank has a robust EWS solution in place. The solution covers non-retail accounts with exposure of Rs. 3.00 Crores or more (both fund and non-fund based) and Retail accounts with exposure of Rs 50.00 Lakhs and above irrespective of the lending arrangement.

COMPLIANCE

Compliance: Strengthening Governance & Risk Management

Indian Overseas Bank (IOB) upholds compliance as a fundamental pillar of corporate governance and risk management. The Bank's robust compliance framework, aligned with Reserve Bank of India (RBI) guidelines, ensures strict regulatory adherence and fosters a strong compliance culture. The Compliance Department, led by the Chief Compliance Officer (CCO), reports directly to the Managing Director & CEO, the Board, and the Audit Committee of the Board (ACB), ensuring stringent oversight and accountability.

Key compliance initiatives undertaken:

- **"Anupalan" Mobile App –** Digital tool for structured compliance reporting, geo-tagged branch visits, and real-time monitoring.
- **Customized E-Learning & Certification –** Compliance training in partnership with IIBF to enhance regulatory awareness.
- **Regulatory Upskilling & Workshops –** Periodic sessions to strengthen staff knowledge of evolving regulations.
- **Comprehensive Compliance Monitoring Tool –** Digital framework for regulatory change management and compliance testing.
- **Knowledge Management Tool –** Intranet portal providing centralized access to RBI, SEBI, and other regulatory guidelines.
- **New Product Monitoring –** Six-month intensive compliance risk assessment for newly launched products.
- **"IOB Anupalan" Compliance Magazine –** Dedicated publication on regulatory updates and best practices.
- **Compliance Awareness Week –** Bank-wide initiative promoting compliance culture through training and recognition programs.

Prestigious Recognition: SKOCH Award for Advancing Compliance Excellence

Indian Overseas Bank's **commitment to compliance innovation and governance excellence** was recognized with the **prestigious SKOCH Award.** This national honor acknowledges IOB's **pioneering initiatives in compliance management, risk mitigation, and digital transformation,** reinforcing its leadership in regulatory adherence and compliance best practices.

INSPECTION & AUDIT

The bank's Inspection and Audit Department is integral to its ongoing commitment to progress, diligently working to guarantee adherence to regulations, effective risk mitigation, and robust internal controls. For the fiscal year 2024-25, the department focused on three key objectives: firstly, verifying complete compliance with all mandates and directives issued by the Reserve Bank of India (RBI) and other relevant regulatory authorities; secondly, evaluating the strength and efficacy of the bank's risk management protocols and internal control mechanisms; and thirdly, pinpointing opportunities for refinement and recommending targeted solutions to bolster the bank's overall operational efficiency and success.

Highlights of major activities during FY 2024-25

Category	Objective	Key Activities & Highlights	Impact/Significance
Overall Mandate	Ensure regulatory compliance, strengthen risk management, and enhance internal controls.	The Inspection and Audit Department served as a cornerstone of continuous improvement, proactively identifying areas for enhancement and reinforcing the bank's operational resilience.	Contributed to a robust and compliant banking environment, safeguarding assets and bolstering stakeholder confidence.
Risk-Based Internal Audit (RBIA)	Comprehensive risk-based audit coverage.	100% completion of the RBIA plan for FY 2024-25, covering all planned and approved branches by the deadline.	Ensured thorough assessment of risk profiles across the branch network, enabling timely identification and mitigation of potential vulnerabilities.
Offsite Monitoring Uni t (OMU)	Enhance early risk detection and mitigation.	*Significant enhancements implemented, focusing on control-oriented exception reporting.	Improved the unit's ability to proactively identify and address emerging risks. Enabled a more dynamic and forward-looking approach to risk management, aligning with regulatory expectations.
Offsite Control & Surveillance (OCAS)	Improve compliance regarding audit observation points made.	Audit package modifications were implemented to strengthen focus on key control areas.	Increased compliance with audit recommendations fostering a stronger control environment across bank operations.

Category	Objective	Key Activities & Highlights	Impact/Significance
Management Audit	Assess efficiency and effectiveness of management functions.	Management Audit conducted across a broad spectrum of functions, including 49 Regional Offices, 43 Central Office departments, 7 Nodal Audit Offices, and 1 Regional Rural Bank.	Provided valuable insights into the efficacy of management practices, enabling targeted improvements to enhance overall operational efficiency and strategic alignment.
Concurrent Audit	Real-time monitoring of transactions and controls within branches.	676 branches covered under concurrent audit, representing 50% coverage in deposits and 60% in total advances.	Provided continuous monitoring of high-value transactions and key control points, enabling prompt detection and resolution of irregularities.
IS Audit	Ensure the security, integrity, and reliability of IT systems.	* Completion of all IS audits as per plan. * Compliance with IT Examination 2023-24 observations. * Implemented the Framework for Monitoring Outsourcing Arrangements and Role of Internal Audit	Strengthened the bank's IT security posture, mitigating risks associated with cyber threats and data breaches. Optimized governance and control over outsourced IT functions, enhancing oversight and accountability.
IFCoFR	Ensure the adequacy and effectiveness of Internal Financial Controls over Reporting.	IFCoFR control testing at Branches, RO, CO and systems to enable Annual Certification by SCA. Sustained for 2024-25	Strengthening of internal financial controls, ensuring the accuracy and reliability of financial reporting, and enabling a clear and transparent audit trail.

Achievement of Internal Audit Function:

- **Comprehensive Audit Coverage:** Internal Audit function demonstrated a commitment to thorough audit coverage across all critical areas, ensuring robust risk management and regulatory compliance.
- **Proactive Risk Management:** Significant enhancements to the OMU and the introduction of OMU-PROBE reflect a proactive approach to identifying and mitigating emerging risks.
- **Enhanced Control Environment:** Modifications to the audit package and the successful completion of management audits underscore the bank's dedication to strengthening its internal control framework.
- **Technology Focus:** The successful completion of IS audits and the implementation of the Framework for Monitoring Outsourcing Arrangements demonstrates a commitment to securing IT systems and data.
- **Continuous Improvement:** Internal Audit function has been exploring and implementing improvements to the audit processes to improve the internal controls.

VIGILANCE

With the theme of "Business First, Preventive Vigilance Always" continued during the year 2024-25, the Bank continued to take various effective steps for Preventive Vigilance and speedy disposal of Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission.

Preventive Vigilance Activities

The following Preventive Vigilance initiatives were conducted during the year 2024-25:

- During the FY 2024-25, total 170 complaints received from various sources including DFS, CVC, RBI, CBI & Others. Wherever vigilance overtone observed such complaints were handled till the logical end as per the timeframe fixed by CVC and no complaint was pending more than 3 months as of now.
- Department has scrutinized 24 CTE type inspections and examined various procurement orders / service orders placed by Information Technology Department, General Administration Department and Subsidiary RRB - Odisha Gramya Bank.

- A series of thematic inspections on various matters, verification of Housing loans sanctioned during the campaign period, high advance growth branches, surprise visits by vigilance department to check the compliance level etc., during year were conducted.
- CVO/Officials of Vigilance Department have visited 6 Regions of the Bank and Odisha Gramya Bank (OGB) during the financial year to ensure compliance to vigilance mechanism at the ground level. During the visit, CVO has sensitized the RO staff, select Branch heads and few branches over WebEx/ Video Conferencing about importance of preventive vigilance.
- During the Financial year 2024-25, as part of VAW 2024 training programme for officials across the Branches/ Regional Offices pan-India was conducted highlighting the systems/procedures and the importance of timely completion of disciplinary proceedings. Also, nominations of officials of the bank were made to different vigilance training programmes conducted by CVC/Various institutes along with few RVOs who have taken charge during the year as Regional Vigilance Officers at various Regional Offices. Total 5304 staff members were trained during the said period.

Predictive Vigilance

CO Inspection Reports, Audit reports of all the high and medium risk branches for the year 2024-25 were scrutinized on a real time basis and cognizance of incidents of Vigilance angle were brought on record for appropriate action by bank. The details of reports scrutinized are as follows:

- Scrutinized 1942 concurrent audit reports during the year 2024-25.
- Scrutinized 2520 Central Office Inspection reports during the year 2024-25.
- Scrutinized 869 Statutory Audit reports during the year 2024-25.
- During the year 2024-25 total of 28284 clearances /status given to employees for availing loans, passport, foreign visits, first line posting etc.
- 154 No. of SAC files scrutinized.
- 37 No. of Fraud files scrutinised.

Punitive Vigilance

Due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases by the Bank, pendency in disposal of vigilance cases and non-vigilance cases reduced for the FY 2024-25. As on 31.03.2025 only 76 vigilance cases are under process at various level and out of that 41 cases charge sheet was issued and remaining 35 cases issuance of charge sheet is under process by CDAC. Further, more than 36 months NIL case is pending . Total Suspension cases as on 31.03.2025 is 16. Also, during the FY 2024-25 total 15 cases were referred to ABBFF out of which 08 cases were taken up for deliberation and concluded.

Participative Vigilance

Commission's message on Vigilance Awareness Week **"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि "** / "Culture of Integrity for Nation's Prosperity" has been well taken by all Branches, Regional Offices PAN India and Central Office. Vigilance Department has organized various internal and outreach activities to create awareness among our employees, customers, stakeholders, and general public about being honest and transparent. A special focus and wide publicity given on Capacity Building, Identification and Implementation of Systemic Improvement Measures, Updation of Circulars/Guidelines/Manuals, Disposal of complaint received before 30.06.2024, and Dynamic Digital presence during Campaign period. We inspired all public in general in the process of eradicating corruption and embracing Integrity.

And CVO along with Vigilance Department officials participated in a seminar/workshop on "Preventive Vigilance for Vigilance Officers of PSBs & PSUs" organized by Indian Bank on 15.09.2024 at Chennai under the directives of Central Vigilance Commission, New Delhi.

Also, CVO along with Two officials of RO, Bangalore have attended a programme "Capacity Building & Training Programme on key aspects of Preventive vigilance by Canara Bank on 18th & 19th October 2024 at Bengaluru.

Gist of Activities / Events conducted within the organization

Vigilance Awareness Week (VAW)-2024 was observed during the period from 28.10.2024 to 03.11.2024 as per the instructions and guidelines of the CVC. The following activities were conducted by the Bank during the VAW -2024.

In-House Vigilance Awareness Activities

- **Mass Pledge:** On 28th October 2024, Mass Pledge was taken at 11:00 AM in Central Office, Chennai, wherein Managing Director & Chief Executive Officer Shri Ajay Kumar Srivastava administered the pledge in English in presence of Executive Directors, Chief Vigilance Officer, General Managers, and other executives. Pledge in Hindi was administered by Shri. Rajeev Kumar, Chief Vigilance Officer. Similarly, all the employees of branches and administrative offices took pledge at the same time across India.
- **E-Integrity Pledge:** More than 24,68,999 customers have taken Integrity Pledge at the time of opening Account with us from 16th August 2024 to 15th November 2024 through our Branches across India.

- **Online Quiz Contest:**
  - An all-India On-line quiz competition was held from **08th October 2024 to 19th October 2024** for all the staff members of the bank in the following categories:
  - **Executives Cadre Quiz category:** All the executives of the bank of the cadre of AGM and above attached with, Branches, Regional offices and Central office were encouraged to participate in the competition.
  - **Supervisory Cadre Quiz Category:** All the supervisory staff including probationary staff were encouraged to participate in the competition.
  - **Award Staff Quiz category:** All the award staff of the bank were encouraged to participate in the competition.
  - **Best Short film/reel/videos:** Staff of the bank were encouraged to prepare a short video/reel/film on the Vigilance Awareness Week – 2024 theme **"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" / "Culture of Integrity for Nation's Prosperity".** It was informed that the content of the audio visual should not be created with copyright content and to be created in either Hindi/English language. A total of 40 number of entries were received. The best five videos were awarded, and their content was used by the bank for promotion of the theme wherever it seems suitable/ fit.
  - **Online Essay Contest for Employees:** From 08th October 2024 to 19th October 2024 an essay competition was conducted for all employees of the bank through Online Essay Contest portal on the theme **"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" / "Culture of Integrity for Nation's Prosperity".** A committee evaluated the essays submitted and participation certificates for all participants were issued. In the same manner, Odisha Gramya Bank too conducted an Essay Competition for all the staffs attached to the administrative office and all the branches of the bank. A committee headed by Chairman evaluated the participant's effort and distributed the prizes to the winners.
    - **Displaying Banners & Posters:** From 28th October 2024 to 03rd November 2024, all branches, Regional Offices and Central office displayed VAW Banners at the prominent places across India. In Central Office, VAW banner was displayed at three places, i.e., Main Gate, Entrance gate of Main building, Annexe Building. One standee for each building was also displayed during VAW.
    - **Seminar on prevention of frauds:** On 29th October 2024, pan India a webinar was organized by inviting Dr. Sonal Chandra, DIG of Police, CBI, Economic Offences Branch, Chennai as Chief Guest. The Regional Heads, Regional Vigilance Officers and other staffs at Regional Offices & Branches, Pan India participated through Video Conference.

      Seminars and workshops were also organized during the VAW 2024 at all Regional Offices. Eminent personalities from CBI, Police etc., were invited as Chief Guest in the meeting.

      Seminars and workshops were also organized at Odisha Gramya Bank with eminent persons as Chief Guest.
  - **Rangoli Contest on Vigilance Awareness Activities:** On 29th October 2024, 54 employees of our Bank in form of 14 teams of our Bank participated in Rangoli competition on the theme "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" / "Culture of Integrity for Nation's Prosperity" held at Central Office, Chennai.
  - **Publication of VAW-2024 Special Edition of IOB Vigil (Quarterly Magazine):** In October 2024, Vigilance Department has published the in-house quarterly magazine "IOB Vigil" VAW-2024 special edition to create awareness regarding the preventive vigilance activities which will be helpful for all the staff members across the work profile.

Outreach Activities:

- **SKY Advertisement:** On 28th October 2024, Sky Advertising Balloons @ 40 Feet Height on the top of Central office, Chennai, and Staff College – Chennai carrying Vigilance Awareness Week - 2024 theme and logo of IOB in Tamil and English.
- **Air Advertisement:** As part of the celebration of Vigilance Awareness Week, jingles on the theme of the Vigilance Awareness Week – 2024 has been aired from has been aired through FM Radio Channels (Big FM, Radio City and Radio Mirchi) for 07 days (from 28.10.2024 to 03.11.2024).
- **RADIO Interview of CVO:** Interview of CVO having duration of 05 minutes (300 Seconds) has been aired in parts of 30 seconds each for 10 times on 02.11.2024.
- **Events in Schools and Colleges:** Various VAW activities across the country in 234 Schools involving 17413 Students and 60 colleges involving 4012 students participated in the Vigilance Awareness Week and took mass pledge in total. Elocution, Debate, Drawing, etc. competitions and workshops were held in these schools. Prizes were distributed for the winners.
- **Awareness Gram-Sabhas:** Across the country 483 Gram Sabha's involving 9294 Public was conducted during Vigilance Awareness Week and took mass pledge in total.
- **Seminars/workshops:** Across the country total 70 Seminars/workshops were conducted on VAW activities wherein around 3284 Public participated and took mass pledge.
- **Walkathon:** Metro and Non-Metro Regional Offices of Chennai in collaboration with Central office has organized a **Mega Walkathon on 26.10.2024 at Besant Nagar Beach – Chennai.** The event has been flagged off by our Executive Director in the presence of Chief Vigilance Officer, General

Managers, Deputy General Managers, Assistant General Managers, Vigilance Department Officials and other staff of Central Office and Chennai – I & Chennai – II Regional Offices have participated in the event enthusiastically. The event was well covered by leading print media and mass media.

Other Visible Activities Through Digital Platform

- **During VAW 2024,** bulk SMS was sent to 80 lakh IOB Customers containing Message "Dear Customer, Indian Overseas Bank observes **'Vigilance Awareness Week' from 28.10.2024 to 03.11.2024.** Join us to imbibe the **'Culture of integrity for Nation's Prosperity'** by taking Integrity Pledge at your nearest IOB Branch or visit **www.iob.in** or **https://pledge.cvc.nic.in.**
- **During Vigilance Awareness Week - 2024, 15,80,246 emails** were sent to selected IOB Customers carrying CVO Message and with a hyperlink to take e-pledge.
- **All the ATMs/CDMs machine of IOB Pan India** were enabled to **display and printing of Vigilance Awareness Week Message** "PLEASE JOIN US IN THE VIGILANCE AWARENESS WEEK – 2024 CELEBRATION AND TAKE PLEDGE BY VISITING **WWW.IOB.IN** OR **HTTPS://PLEDGE.CVC.NIC.IN**"
- We have displayed the **Message of Vigilance Awareness Week 2024** in Bank's Intranet Site, Internet Site www.iob.in and in Salary slips of employees through CHRIS Platform along with screen saver of all the PCs of the Bank.
- **Vigilance Awareness Week message** was prominently displayed in Bank official page of X (formerly Twitter), YouTube, Instagram, and Facebook.
- For the month of October 2024 and November 2024 salary slips of the employees were printed with the VAW Message **"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"** / **"Culture of Integrity for Nation's Prosperity".** Join and take pledge @ **www.iob.in**."
- Display of celebration of VAW in our webpage (Internet site and Intranet Site) wherein a hyperlink was provided for taking integrity pledge for public.

Activities conducted in Odisha Gramya Bank (OGB) Sponsored by IOB:

Mass pledge taken by 1642 employees.

- E-pledge taken by 1650 customers.
- Essay, Rangoli and quiz competition conducted and 88 employees participated.
- Activities conducted in 50 schools and 2096 students participated and took mass pledge.
- Awareness Gram Sabha's conducted in 72 villages and 1875 general public participated and took mass pledge.

DIGITAL BANKING

Digital Payments and seamless, efficient Dynamic Online solutions are the norms for customer experience and customer satisfaction in the present-day Banking services. The Bank is committed to its customers to provide the best experience through its various Digital Banking Services. The Bank has a strong network of Alternate Delivery Channels to ensure 24 * 7 availability of Banking services even when the brick-and-mortar branches remain closed.

A strong chain of ATMs & Cash Recyclers at branches and important offsites sufficiently supplemented by e-Passbook Kiosks form the core of the digital platform of the Bank. Other important and most sought-after Alternate Delivery channels include Internet Banking, Mobile Banking, NEFT, RTGS and IMPS services, Bank's own BHIM IOB UPI App, PoS machines, Pre-printed QR Codes, Voice Based QR code handsets, IOB Pay, Fastag etc.

Indian Overseas Bank has been the pioneer in the Banking industry in introducing new and innovative Digital products with the objective to scale-up the business prospects of the bank through continuous digital on-boarding of customers, digitalised form of lending, Do It Yourself Journeys for opening of Accounts, sanction of Credit Cards and also for availing loans and other Para Banking services. The Bank has taken forward its on-going digital journey to new heights during FY 2024-25 to a great extent and will continue to pursue it further, in the ensuing FY 2025-26.

Summary of the various Digital Banking Products and Services offered by the Bank are as follows:

ATM, Cash Recycler and Passbook Kiosk Services of the Bank

As on 31.03.2025, the Bank has a network of 3497 Cash Management Machines, comprising of 1144 ATMs and 2353 Cash Recyclers; of which 2679 are located onsite and remaining 728 located at offsite. Out of these 3497 ATMs & CRs, 2686 are managed by Branches of the Bank while 811 are managed by ATM managed services vendors. The Bank ensures continuous availability of ATM services to customers 24 * 7 with sufficient cash in all its ATMs and Cash Recyclers.

Bank's ATM & CR portfolio average uptime for 2024-25 was 96.01% ; The Bank provides continuous availability of sufficient cash in all its ATMs 24 * 7 ; and also maintains the lowest number of Cash out ATMs in the industry as per RBI norms. In the FY 2024-25, the Bank achieved ZERO Cash out ATM status during Seven out of the twelve months and in four other months, just one ATM each went Cash Out that too due to long & continuous holidays. Bank has deployed 2752 self-service e-Passbook Kiosks at branches, an increase of about 500 in total e-PBKS that were available as on 31.03.2024. The Bank has also introduced Internet Banking facility through 700 of its existing e-PBKs, across India.

Debit Cards

- Debit Card is a major tool for conducting financial transactions in ATMs, PoS machines and for online.
- To meet the vagaries of customers the Bank offers more than ten different variants under RuPay, VISA and Mastercard brands.
- Each flavour of the card is designed to meet specific customer segments. The card variants include Classic, Gold, Platinum, Signature, Select etc., All the variants are NCMC enabled NFC cards.
- Government scheme specific cards viz., PMJDY Cards, Kisan Credit Cards etc., are also offered to public.
- Both Insta Cards (without customer name) and Personalised cards (with customer name) are offered as per preference of the customers.
- Self-activation of the debit card by the customers, change PIN through Green PIN generation (for all types of cards including PMJDY, KCC, NRO, through different channels etc.,) are enabled for ease of use.
- Various self-servicing facilities like enable/disable e-com, enable/disable international transactions, setting separate card limits for different types of transactions, block debit card, are enabled for card holders through Internet Banking, Mobile Banking, IOB Website, Contact centre and Bank's Branches.
- Card on File (Tokenization) is enabled.
- Cards are issued with National Common Mobility Card (NCMC) feature of RuPay for contactless transactions.
- Facility has been provided to card holders to activate the Card through Net Banking and IOB ATM.
- Green PIN is enabled for all types of A/cs including PMJDY/ KCC/NRO/NRE and INSTA card customers.
- During FY 2024-25 the Bank introduced Business Debit Cards (IOB VISA Classic & IOB VISA Platinum) aimed to meet the requirements of business and corporate customers, with scope for 200 plus business offers to customers.
- Bank issued about 58000 Co-branded Debit Cards in tie-up with Govt. of Tamilnadu under the "Tamizh Puthalvan" a social welfare scheme of TN Govt.

Mobile Banking

- IOB Mobile Banking App is one of the best user friendly and comprehensive MB Apps.
- Available in both Android and iOS devices
- Product has all the advanced features such as:
  - Self-registration without visiting branch.
  - Login using Biometric authentication/ Face recognition (IOS) for enhanced security and access.
  - Payee sync between Net banking and Mobile banking.
  - Debit card Apply, Replacement and Upgrade.
  - Debit card New PIN Set/ Reset PIN and change Old PIN.
  - ASBA – IPO application – View and withdraw applied IPO.
  - Loan repayment.
  - Cooling period for payee addition introduced.
  - Form 15G/H submission.
  - PMJJBY/PMSBY insurance enrolment.
  - mPassbook facility available to view & download account statements.
  - Voice assistance facility.
  - Deposit opening including 444 days, renewal, pre-closure and closure.
  - Bharat Bill Payment System (BBPS) integration.
  - Pay Later/Standing Instructions facility.
  - Mobile Banking application in 10 regional languages.
  - Scan & Pay Integrated with Mobile Banking.
  - Complaints/Fraud Reporting.
  - Shop at your favourite store & buy Clothing, Accessories, Furniture, Electronics & much more with added reward points.

Internet Banking

- Currently the Bank provides Internet Banking through its in-house platform.
- Major features are Balance Enquiry, Transaction details, Funds Transfer using NEFT/RTGS/IMPS etc, Online Tax and Utility Payments Bill Payments, Top Up of Prepaid Cards, and Credit Card Payments.
- Internet Banking application available 10 regional languages.
- Facility to avail Demand Loan against Deposit.
- Foreign Outward Remittance to Singapore enabled in Internet Banking.

- Open PPF account without stepping into Branch.
- Online registration and self-activation through Debit Card (Retail).
- Opening/Closure/Renewal of Deposits.
- Block/Unblock/Upgrade/ Set Green PIN/Change Limits of your Debit Card.
- Apply/View for Govt Schemes viz NPS, SGB, PPF etc.
- Apply for IPO (Initial Public Offering) both for retail and corporate.
- Download e-Statement, Deposit/Loan Interest Certificates etc.
- Enable / Disable AEPS.
- Funds Transfer to VAN ID (My Account My Name ID) through Net Banking.
- During the ensuing FY 2024-25 the Bank will be migrating to new Internet Banking platform enabled by M/s Edgeverve through Digital Engagement Hub which will enhance the Online Banking experience of customers.

BHIM IOB UPI

- The Bank Introduced its BHIM IOB UPI App in the year 2016.
- The Bank launched BHIM IOB UPI (with UPI 1.0 in 2017 and UPI 2.0 in 2021).
- In the FY 2023-24 the Bank introduced UPI LITE App as integral part of BHIM IOB UPI App ; using the UPI Lite App, customers can make faster payment up to Rs.500 can be made without UPI PIN.
- Revamped BHIM IOB UPI application launched in April 2024 with simplified User Interface and enhanced digital experience.
- Make payment using UPI ID, Account number and IFSC and by scanning any QR code.
- Pay to any mobile Number with UPI Number functionality.
- Use Request Money feature for collecting payments.
- Create UPI mandate for recurring payments.
- Set/Reset UPI PIN using Debit Card or Aadhaar card.
- Self-Transfer facility in case of multiple accounts.
- Add Payee for faster payment.
- Launched multi-lingual Soundbox facility and IOB UPI Vyapar application in 2023 for simplifying merchant's day-to-day activity.
- We have introduced UPI Lite for low value transactions & central mapper.

RTGS/NEFT

- Available for Customer and Inter Bank transactions.
- Customers can avail NEFT channels through Mobile Banking and NEFT and RTGS through Internet Banking.
- NEFT & RTGS channels functioning 24 X 7.
- NEFT Charges are waived for NEFT transactions initiated through online mode (viz internet banking and mobile banking) for savings account customer.

IOB PAY

- It is an integrated online payment system which offers fee payments, merchant payments, donations for charitable institutions etc. It is an easy and effective way of collecting payments for the merchant customers of our Bank.
- Services provided through in house developed product with integrated Aggregators/Directly through PG Aggregators.
- Bank has recently empaneled 10 (ten) number of PG Aggregators through EOI process for providing payment gateway to merchant customers of our bank. This will help Bank to provide industry standard payment gateway solutions to corporate merchants with website/without website and also by providing customized mobile applications/ERPs etc.
- 1078 merchants have been onboarded for IOB Pay as on 31.03.2025 and during FY 2024-25 about 25 Top Notch Government Departments and Public Sector Undertakings have been onboarded for IOB Pay by the Bank, across different states of the country.
- The Bank also provides various other Digital Banking Payment Solutions viz., Point of Sales Machines (PoS), QR Code enabled Payments through Ready to use QR codes to new customers, Voice Message Based QR Code handsets etc., IOB Fastag for prepaid stickers for highway Toll charges payment etc.

TAB BANKING

The bank has been steadfast on its commitment towards enhancing any-time, any-where inclusive service delivery. Towards the same, the bank has invested significantly on availability of Tab banking gadgets with Aadhaar Face Authentication and Aadhaar Fingerprint Authentication across each of its branches and the service offerings via this marquee channel has been enhanced with an array of services such that over twenty-five most sought after banking services like Account opening, Re-KYC, Nomination

registration, Jan Suraksha policy issuance, Activation of dormant accounts, Fixed Deposit account opening, Digital banking channel enrolment can be rendered instantly to customers by branches. The availability of face authentication on this channel facilitates all our customers including those with smudged fingerprints, senior citizens having difficulties to authenticate via fingerprint to seamlessly authenticate using face and avail benefit of our digital services without any barriers in a contact-less way.

As on 31.03.2025, Bank has **4080 TAB devices** covering the entire branch network across the nation.

◦ COVETED ACHIEVEMENTS BY BANK ON THE TECHNOLOGY FRONT, IN FY 2024-25:

In recognition of the Bank's leaping strides of development in the Technology and Digital areas, our Bank has once again won the prestigious IBA BANKING TECHNOLOGY AWRDS for the year 2024, in FIVE Categories out of the Seven categories in which these awards are being given by IBA.

i) Best Bank in Tech Talent & Organization (Winners)
ii) Best Bank in Financial Inclusion (Runners up)
iii) Best Bank in IT Risk Management (Special Mention)
iv) Best Technology Bank (Special Mention) and
v) Best Bank in AI & ML Adoption (Special Mention)

The Awards were presented to the MD & CEO of the Bank by Shri Rabi Shankar, Hon'ble Deputy Governor of Reserve Bank of India on 24.01.2025 in the 20th Annual IBA Banking Technology Conclave organized by Indian Banks' Association in Mumbai.

It is pertinent to mention that in the FY 2023-24 also our Bank had bagged FIVE IBA Banking Technology Awards.

Way Forward

The new FY 2025-26 will begin with the launch of a new Internet Banking Solution from Digital Engagement Hub platform and also a new state of the art Mobile Banking Application during May 2025.

The Bank plans to move to a robust new UPI Switch that will have high upscaling capabilities through open market selection of the service provider. In the first two quarters 600 Cash Recyclers and 400 Cash Dispensers will be rolled out across all geographies of India, which will reduce the issuer expenses of the Bank on ATM transactions and will also improve the acquirer income.

Two New variants of MasterCard brand of Debit Cards will be launched in FY 2025-26 to give 360-degree options to customers to choose from, multiple variants of debit cards of Visa, RuPay and Mastercard.

Our Bank always cares for the physically challenged customers and as a major initiative the bank will introduce "Debit cards to visually challenged customers" in FY 2025-26. In addition to this eco-friendly debit cards will also be introduced by the Bank in the new FY.

Bank is also onboarding a travel and lifestyle Aggregator merchant shortly. Bank also plans to roll out a comprehensive pre-paid card solution, wherein Prepaid cards can be issued for transit purpose with NFC enablement, to customers with NIL KYC, minimum KYC and full KYC.

Under its IT initiatives the Bank has expanded its capacity on storage, networking, infrastructure areas. Various monitoring and performance enhancement tools have been procured by the Bank. In the year 2024-25 the Bank has commenced its iconic project of CBS Tech-Refresh which includes major revamp in CBS infrastructure, CBS software and also upgrading to higher version of Finacle (10.2.25) of M/s Infosys. This project will be completed in the FY 2025-26.

Out of the total IT budget of the Bank for FY 2025-26, a substantial portion has been earmarked for providing seamless experience in Digital payment solutions and Digitalisation of various Branch products. Another major project embarked upon by the Bank on digital front is introduction of the Central Bank Digital Currency (CBDC) which will be achieved during FY 2025-26. As the digital experience should go with the confidence and faith of customers in doing digital transactions continuous R&D in the digital banking security will be carried out and necessary capital and revenue investments will be made in this regard as well.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Bank has implemented a robust Management Information System (MIS) and Decision Support System to handle Reporting and analytical requirements of the Bank apart from ensuring flow of data to User Departments for submission of various statutory and ad-hoc reports.

Oracle Analytic Server (OAS), an analytical tool deployed by the bank provides around 300 reports, Data Mining and analytics accessed by Top Management, Controlling Offices and Branches through our intranet IOBONLINE.

The tool has been utilized by the In-house team of MIS for development and deployment of Dashboards, Reports and analytics based on user requirements. The tool is effectively used for various purposes such as Performance Monitoring, Regulatory Reporting, Analysis of historical data, Follow up of campaigns etc.

Some of the major activities of MIS are furnished below:

MISD Activities

- Business Intelligence Reports Development.
- Data Submission for RBI Inspection.

- Data Submission for Statutory Audits.
- SLBC Reports Automation.
- CIBIL, NESL Development and Modifications.
- CRILC Data Submission.
- IOB Data Design Portal Maintenance.
- RBI MDA Data Submission.
- AML Reports.
- Data Submission for EASE.
- RBI CIMS – Automation.
- Data submission for analytics.
- Tranche Reports.
- HRMD Portal Data submission.
- Data Submission to User Depts for onward submission to RBI, DFS.

Enterprise Data Management Department

Bank has formed a new EDM department which will be responsible for identifying the relevant and best data management practices and providing related methodologies for the implementation of the initiatives. It will also be responsible to govern/facilitate the adoption and implementation of data management standards across the Bank.

EDMD's role function will be to ensure that the data present in Source Systems is **Accurate**, and the reports are **Consistent**. Bank has framed a Data Governance Policy.

This objective of the Policy is to clearly define the following as a framework:

- Policy Ownership.
- Organization Structure, roles, and responsibilities for Data Governance.
- Data Identification and Ownership

The Data Governance policy also consists of the Data Classification, Data Identification & Ownership, Master Data Management, Data Life-Cycle Management, Data Quality Management, Data Profiling and the Data Cleansing Mechanism.

INFORMATION SECURITY DEPARTMENT

- Board approved Information Security Policy, Cyber Security Policy, Digital Payment Security Control Policy, Technology Risk Management Policy, Cyber Crisis Management Plan, Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place.
- Bank's Information Security Department is certified with ISO 27001:2022 which is a recognition for following the information security best practices.
- Bank has achieved PCI-DSS 4.0 certification. PCI DSS stands for Payment Card Industry Data Security Standard. It is a set of security standards designed to protect the payment card data of cardholders and ensure the secure handling of cardholder information by organizations that process, store, or transmit payment card data.
- A Security Operation Centre (SOC) operates 24*7*365 days to monitor and analyze the information security incidents to take preventive and corrective steps with the state of art security technologies.
- Regular DR drills are being conducted every quarter to ensure availability.
- Bank has disseminated security awareness through educative series in Bank's website, internal circulars, posters, SMSs, messages through ATM Kiosk, Internet Banking, Mobile Banking and Social Media Handles (Facebook, twitter etc.) for the benefit of customers. Employees and vendors.
- Bank has also uploaded cyber security awareness videos in Bank's website, social media accounts such as Facebook, twitter, YouTube etc., to create awareness among customer, employees, and vendors.
- Bank has conducted Cyber Security awareness training to all the staff members and third-party service providers.
- Bank has a contingency plan with approved BCP/DR to ensure continuity of services.
- Bank has implemented defense in depth at different layers to secure Bank's IT environment.

GOVERNMENT ACCOUNTS

Direct Tax Collections

The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct taxes. Direct tax collection is enabled in internet banking and over the counter in all branches. During the year, the bank has handled transactions amounting to Rs.13585.08 crore and earned commission of Rs.1.10 crore.

Indirect Tax Collections

The Bank is authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax, E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty Drawback. After the introduction of GST, all our branches

have been enabled for collection of GST. During the year, Bank has handled transactions amounting to Rs.17142.87 crore and earned commission of Rs.0.99 crore.

Payment of Pension

- Bank is serving pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, TNEB, Chennai Port Trust, Local Fund Audit of Tamil Nadu and Malaysian Government Pension
- Among the above, our Centralized Pension Processing Centre (CPPC), disburses pension for departments of Central Govt, such as Civil, Defence, Railway, Telecom and Postal Pensioners wherein the total number of pension accounts is 32907 as on 31.03.2025. Bank has disbursed about Rs.1288.32 crore of such pension during the year and received reimbursement within 2-3 days from the date of disbursement. In this regard, during the year bank has earned commission of Rs.3.46 crores.

Other treasuries / Services handled

Bank also handles Treasury Business of the Government of Tamil Nadu and collection of various State Revenues. Bank has collected a state revenue of Rs.5556.55 Cr during the year 2024-25. Bank serves the account of Planning Commission and Department of Telecommunications and handled receipts and payments totalling Rs.331.70 Crore. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 90 branches in Tamil Nadu handling receipts and payments of Rs.567.57 crore.

Small Savings Schemes

Bank has been actively participating in the Government of India Small Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, Public Provident Fund, Sukanya Samriddhi Yojana and Mahila Samman Savings Certificate, 2023 schemes and have contributed subscriptions of about Rs.1676.56 crore.

National Pension System

All our Bank Branches have been enabled for subscription of NPS. During the FY 2024-25 we have implemented instant PRAN generation module. With the introduction of instant PRAN generation module, our bank has enrolled 12402 NPS (NPS & NPS Vatsalya) during FY 2024-25 and surpassed the NPS target of 5000 allotted by PFRDA.

Our bank has achieved 100% and 131% target allotted by PFRDA in Game changers campaign (18.11.2024 to 23.12.2024) and Final Frontier campaign (14.01.2025 to 31.03.2025) respectively. Govt of India has launched NPS Vatsalya scheme on 18th September 2024 and our bank have opened 2845 NPS Vatsalya during the year.

Government Business Cell

Bank has set up 22 Government Business Cell in all major state capital during the FY 2024-25 with an aim to garner more government business. During the FY 2024-25 GBC teams have canvassed a Govt Business of Rs.2772 Cr.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Recruitment & Staff strength

The Bank's staff strength stood at **20966** Comprising **12494 Officers, 6992 Customer Service Associates and 1480 Office Assistants as of 31st March, 2025**.

During the year 2024 - 2025, 287 Probationary Officers and 33 Specialist Officers in JMG Scale I, have joined the services of our Bank through IBPS Common Recruitment Process (CRP) XIII. Also, 05 Specialist officers in MMG Scale II, 03 Specialist Officers in MMG Scale III have joined the services of our Bank.

Of the total staff strength, **4091** members belonged to SC category, **1549** to ST Category, and **7048** to OBC Category. Staff Strength includes **7638** Women employees, **768** Ex-servicemen and **484** physically challenged members.

Motivation

◦ Employee Day

Employees are the first and foremost assets of our Bank and Bank always believes in continuous motivation to gain confidence of employees.

Our employees have always displayed impeccable commitment and dedication to our esteemed organization, at all times, and conducting "EMPLOYEE DAY" is one way of actively involving all our employees, knowing and resolving their issues and grievances, making them feel appreciated for their professional as well as personal achievements, and thereby, re-instilling a sense of belongingness and ensuring that they propel towards higher levels of performance. Every 3rd Saturday of the month is celebrated as Employee Day across the country.

◦ ASK US

We have always been proactive in providing our employees with ample learning opportunities and the "ASK US – Online Help Desk" is one such initiative introduced by our Bank.

It is a Real Time Online Platform provided for our staff members for clarifying their banking related doubts, become more confident in discharging their day to day duties and thereby, render efficient customer service.

Our Bank's endeavour and approach towards training and developing our employees has always been to improve on the current processes, build capacity in the bank to offer better banking service by addressing the knowledge gap, by providing staff members with ample learning opportunities.

All Regional Offices and CO Departments have Resource Persons from their respective workplace. These Resource persons will in turn help the staff members in clarifying their doubts on a real time basis.

Project Lakshya – HR Transformation

- Indian Overseas Bank has started its flagship digital HR transformation project **"LAKSHYA"** with the objective to align with industry trends and enhance performance of employees.

"Lakshya" is designed to serve as an ideal substitute for the traditional APAR system, offering in-depth insights and comprehensive evaluations of officers' performance on a monthly, quarterly, and annual basis across all levels.

The solutions introduced under this initiative are expected to promote:

- Greater transparency
- Enhanced efficiency
- Optimal resource utilization
- Increased productivity

The digital transformation of Human Resource (HR) functions in IOB marks a critical step toward enhancing efficiency, transparency, and employee satisfaction. Leveraging modern tools and technologies, HR departments are reshaping how performance is managed, roles are defined, and employees are motivated. Fifteen key tools play a pivotal role in this transformation: Scientific Target Setting, Role Clarity, Monthly Scorecards highlighting area of strength & areas of concerns, Performance Dashboards, Quarterly appraisals, Employee engagement initiatives, and reward and recognition mechanisms are the major highlights of this project.

Quarterly appraisals further strengthen the performance management cycle. By shifting from annual to more frequent reviews, feedback becomes more relevant and actionable. This approach also enables faster course corrections and continuous development. Moreover, employee engagement initiatives, supported by digital tools like pulse surveys and virtual meetings with field functionaries, create a two-way communication channel, ensuring employees feel heard, valued, and connected to the bank's mission.

In conclusion, the integration of these digital tools in our Bank's HR systems not only improves performance management but also fosters a more engaged, productive, and satisfied workforce. This holistic approach will help our bank to remain competitive, agile, and future-ready.

Capacity Building

In order to plan the succession and equip the identified officers for identified critical positions, Bank has drawn a Policy on "Capacity Building" in tune with RBI guidelines to enhance the knowledge of the staff members.

Staff members have been advised to obtain certifications in those areas to enhance their capability.

As a part of motivational measure, Bank is reimbursing the course fees for the identified certifications under capacity building and also giving due weightage for the same in the Promotion process.

Ethics Policy

Ethics policy is in place covering all the employees of the Bank, to create a culture of cooperation among the employees in respect of public conduct, communications with the Bank, interactions with external entities including the media and dealing with colleagues. The policy defines the standards of the conduct that is expected of all employees in order that the right decisions are taken in performing roles and responsibilities across various functions in the Bank.

For implementation of the said policy, a Standard Operating Procedure (SOP) has been adopted wherein online affirmation from all the employees confirming adherence to the code of conduct as detailed in the Ethics policy is obtained on annual basis.

Job Family

Job Family framework for Officers is in place which comprises of 14 families. The same was arrived after grouping similar nature of tasks/ business vertical and related Depts./ cells/ areas etc. under one family as part of HR Transformation project.

All Officers having exposure/ working in the related depts./ business verticals and having requisite qualifications in the areas falling under the Job Families have been grouped/ classified.

Training

Keeping in view of the corporate goal and making the bank a customer centric one, training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of

banking through the internal and external mode.

Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Small & Medium Enterprises Financing, Vigilance. Also Programmes for First Line and Second Line Managers were conducted for all staff members through offline modes.

Pre-Promotion Training for SC/ST/OBC/PH members who are eligible for promotion from Office Assistant(Sub Staff) to Clerical cadre, Customer Service Associates(Clerical Cadre) to JMGS I, JMGS I to MMGS II and MMGS II to MMGS III was conducted through online mode.

The Pre-Retirement counselling programme was conducted for Officers and Clerks who retired during the year.

Internal Training

Our Bank's internal training system comprises of One Staff College and Twelve Staff Training Centres (STCs). The statistics of Internal Trainings imparted for the FY 2024 – 25 is furnished hereunder:

Particulars	Training imparted to Individual staff members (irrespective of no. of trainings attended)	Training imparted during FY 2024-25 (based on total no. of trainings attended by members)
Officers	8,697	13,256
Clerical	4,852	6,451
Sub Staff	547	607
Total	**14,096**	**20,314**
SC (out of total)	2,798	4,128
ST (out of total)	1,142	1,728

External Training

We had also deputed **1806** Executives/Officers/Clerical for training programmes conducted by reputed external institutes like IDRBT – Hyderabad, NIBM – Pune, ASCI-Hyderabad, CAB – Pune, RBI, Wrights Training and Consulting LLP, State Bank Institute of Leadership (SBIL), NAMCABS, IIBM-Guwahati, Industrial Management Academy, CAFRAL – Mumbai, FEDAI – Mumbai, IBA, IIBF, NIBSCOM, BIRD-Lucknow, ISTM Delhi, AJNIFM.

Apart from the general and subject concerned training programs, Bank has also conducted special training programs, **FAB 50 and FAB 50 Plus** for the **88** top performers and Super 88 campaign winners program for **178** top performers of the campaigns to encourage the top performers. **50** Executives/Officers have been trained on various **Leadership Development Training Programs** by reputed training institutes like IDBRT, CAFRAL- Mumbai, ISB Hyderabad, RBI etc.

- **E-Paatashala – Online e-Learning portal**

  E-Paatashala was made available for all the staff members in our Bank's online module consisting of 82 modules on various areas like Credit, NPA, Treasury, Foreign Exchange etc., during the FY 2024 - 25. These modules were targeted at enhancing and updating the knowledge of the staff members thereby scaling up our online learning initiative (E-Paatashala). The said portal was updated and maintained by our Staff College Faculty on a regular basis. A total of 8571 employees completed all SIX Mandatory modules (out of 82 available modules) under E-Paatashala.

- **Standard Employee Grievance Redressal System (SEGRS)**

  To have a formalized grievance redressal mechanism for our staff members, a Standard Employee Grievance Redressal System (SEGRS) online portal is made available to lodge the grievances of our staff members. The Grievances/Complaint Main areas are grouped in various categories related to Facilities, Behaviour, Allowances etc.

  These grievances will be redressed at two levels - Regional Office and Central Office. The complaints will be escalated to the next level on a time bound basis and redressed accordingly.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Industrial relations environment in the Bank remained cordial and conducive throughout the year for achieving organization's objectives.

To monitor and maintain good Industrial Relations climate in all Offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline and the guidelines / policies to be followed, etc.

Action is taken against staff members against whom complaints/ matters of IR nature are reported to enforce discipline and harmonious industrial relations in the Bank.

Disciplinary action is initiated against staff members who remain on unauthorized absence. Further, all the guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees.

HRMD-IR Section, Central Office holds discussions with Officer Association / Workmen Union for redressal of grievances of staff members regarding staff benefits / IR issues etc.
During the financial year, considering the roles and responsibilities undertaken by Branch Managers, additional monetary benefit of Rs.3000/- per month has been paid to them with effect from November 2024.

Relief Loan was sanctioned to staff members who were affected by the floods in the States of Andhra Pradesh and Telangana. Similarly, Relief Loan was sanctioned to staff members who were affected by Cyclonic Storm "FENGAL" and the resultant floods in the State of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry.

Improvements were made in availment of Festival Advance by staff members with the introduction of Straight Through Processing which facilitated instant credit of advance amount, subject to members' fulfilling the stipulated guidelines.

Similarly, reimbursement of monthly expenses viz., Conveyance & Newspaper etc. was made through Straight Through Processing. We obtain statement from all staff members regarding their 'Movable, Immovable and valuable properties' as at the end of March every year. For the year ended 31.03.2024, most of the staff members have submitted their returns.

To prevent Sexual Harassment of Women at Workplace, Internal complaints committees were constituted at all administrative offices (Central / Regional offices) as per the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.

The details of the Sexual Harassment Complaints received and disposed during the year 2024 – 2025 is as follows:

Complaints pending at the beginning of the year (01.04.2024)	5
Complaints received during the year 2024-25	2
Complaints disposed off during the year	6
Complaints pending as at the end of the year (31.03.2025)	1

Industrial Disputes / Court Cases filed by staff members before various Courts including those before Assistant Labour Commissioner are reviewed by the Bank at Apex level as per Ministry of Finance guidelines and efforts are taken to settle/ get the Court cases disposed of expeditiously.

CONDUCT AND DISCIPLINARY ACTION CELL

Disciplinary Proceedings

During the Financial Year 2024-2025, a dedicated Disciplinary Authority Cell (DA Cell) headed by a DGM has been formed at Central Office to handle the cases involving officials up to the Grade MMG III for speedy disposal. To Speed up the enquiry proceedings, Enquiry Cell has been formed at Seven Nodal Audit Offices with an AGM as Inquiring Authority and a Chief Manager as Presenting Officer exclusively for conducting enquiry for disciplinary cases of CDAC, IR Cell of Central Office and all Regional Offices.

During the FY 2024-25, Department had issued 487 new Charge Sheets, however disposed 685 cases. (357 cases disposed in the previous FY 2024). **The number of pending Disciplinary Cases under Vigilance category has been brought down to 76 as of March 2025 against 163 vigilance cases pending as of March 2024**. Likewise non-vigilance cases brought down to 90 against 107 as on 31.03.2024.

The department has taken necessary steps to conclude the disciplinary cases within the stipulated time prescribed by the CVC, with more emphasis on case related to suspended members. Department has been reviewed by a GM Committee on monthly basis and by the top management on quarterly basis, which enabled them to dispose of the cases within TAT.

COMPOSITION OF SC/ST/OBC EMPLOYEES IN INDIAN OVERSEAS BANK

Category of posts	Total No. of employees As on 31.03.2025	No of SCs	% of SCs	No of STs	% of STs	No of OBCs	% of OBCs	No of Gen	% of Gen
Officers	12494	2129	17.04	1152	9.22	4071	32.58	5142	41.16
Customer Service Associate	6992	1383	19.78	349	4.99	2488	35.58	2772	39.65
Office Assistant	1359	527	38.78	45	3.31	441	32.45	346	25.46
Sweeper	121	52	42.98	3	2.48	48	39.67	18	14.88
Total	**20966**	**4091**	**19.51**	**1549**	**7.39**	**7048**	**33.62**	**8278**	**39.48**

Rosters

As per Ministry guidelines, recruitment and promotion rosters are maintained at Head Office to ensure adequate representation of SC/ST/OBC/EWS employees. Inspection of Rosters is carried out on a regular basis. Roster Register for the Calendar year 2023 have been verified by Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi and have been uploaded online in our IOB website (www.iob.in).

Trainings

Pre-Promotion trainings are conducted for SC/ST/OBC & PwBD employees before the commencement of the promotion examinations. CLOs & Office Bearers of SC/ST & OBC welfare Associations were imparted training on Reservation norms, Rosters and other Govt. guidelines.

Welfare of SC/ST/PwBD/ Ex-Servicemen Employees

The Reservation Policy for SC/ST/PwBD/Ex- Serviceman which are applicable for banks under Government of India is also applicable to Indian Overseas Bank. As stipulated by the DFS guidelines, Reservation Cell is functioning under the direct control of Chief Liaison officer which ensures the implementation of the rules of Reservation. The Cell takes care of the grievances of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Differently abled Persons.

Quarterly meeting with the majority Welfare Association is held at regular intervals in order to resolve issues related to grievances/service matter/welfare of our SC/ST Employees.

Welfare of OBC Employees

The Reservation Policy for OBCs which are applicable for Banks under Government of India are also applicable to Indian Overseas Bank. Bank is having Reservation Cell at Central Office, which is under the direct supervision of Chief Liaison Officer. The Chief Liaison Officer through the Reservation Cell ensures that the Government guidelines are implemented in the Bank.

Half yearly meeting with the majority Welfare Association is held at regular intervals in order to resolve issues related to grievances/service matter/welfare of our OBC Employees.

Loan Facilities for SCs/STs Beneficiaries

Our Bank has Schemes like CEGSSC and Stand-up India for welfare and upliftment of the Scheduled Castes & Scheduled Tribes and all other credit facilities of our Bank cater to the needs of all classes of society including Scheduled Castes & Scheduled Tribes.

CEGSSC (Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Castes): provides Guarantee cover to Scheduled Caste borrowers for the loans up to Rupees Five Crores.

Stand up India: Provides Guarantee cover to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe & Women borrowers for the loans from Rs. 10 lacs to Rs. 1 Crore.

SECURITY

Security is an ongoing process and the Department is ensuring for preventive security measures always. Thus Safety, Security and precautionary measures, as and where required, mandated and suggested have been reviewed, studied and implemented for all Branches, ATMs and Administrative Offices keeping in view the local law and order situation, crime rate and modus operandi of the crimes against Banks.

The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire safety arrangements and inculcation of fire prevention and security consciousness among staff to ensure safety to life and property. Portable fire extinguishers for fighting all classes of fire have been provided at Branches and Administrative Offices. CCTV systems have been provided for all Branches. All Staff members have been educated regarding security awareness. It is ensured that security gadgets viz., CCTV and Burglar Alarm system are installed and functioning 24×7×365 days.

Integrated Alarm system and outsourced Watchmen / Armed Guards are provided at vulnerable ATMs and branches, on case to case basis. Most of the Currency Chests have been sanctioned outsourced fortified cash vans with two armed guards for safe transporting of cash and the performance of Cash Van is reviewed by Security Department at Central Office. RSO's (Regional Security Officers) are deployed in 36 Regions and the remaining Regions, not posted with RSOs, are assigned to RSOs of adjacent Region for monitoring of security aspects. Security Department at Central Office headed by Chief Security Officer is responsible for overall supervision of security aspects of all Branches, ATMs, Currency Chests and administrative offices.

OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the FY 2024-25.

Also, the Bank has committed to achieve all the goals of the Annual Program formulated by the Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India. As per the directives of Government of India, Bank has enabled Hindi Unicode font in all the computers of Administrative Offices and as well as all the Branches. Four editions of our in-house Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form, have been published. The Bank has conducted All India Official Language Conference and Seminar for our Official Language Officers on 28th and 29th May 2024 at Staff College, Chennai. The said program was chaired by our MD & CEO and Ms. Anshuli Arya, Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt. of India has also attended as a chief guest. Regional Offices, who have done excellent work in the field of Official Language implementation were rewarded under the Rajbhasha Shield Scheme. Also, the Regional Offices whose publication of E-Magazine was excellent were rewarded in the said conference.

Bank has organized one day Hindi training program on the subject of **"कंठस्थ 2.0 (अनुवाद सारथी) उपयोग और भविष्य"** at Puri (Orrisa) on 19th June 2024. Staff of Member Offices of TOLIC, Puri and our staff members were participated in the aforesaid program. The said program was chaired by our MD & CEO and Ms. Meenakshi Joly, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt. of India has also attended as a chief guest. Also, 1227 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year.

Our Bank has received the First Prize of **'Rajbhasha Kirti Puraskar'** the most prestigious award for PSBs towards implementation of Official Language for the Financial Year 2023-24 handed over by the **Hon'ble Shri. Amit Shah Ji,** Minister of Home Affairs, Government of India, and it was received by our **MD&CEO, Shri Ajay Kumar Srivastava**. Also, at the 4th All India Official Language Conference on 15th September 2024 held at Bharat Mandapam, New Delhi, organized by Ministry of Home Affairs, our MD & CEO addressed 10,000 participants on the subject of "**तकनीक के दौर में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का योगदान**" Also, our Central Office has secured Second Prize towards the implementation of Official Language from TOLIC, Chennai for FY 2023-24.

Our Regional Office Goa has secured 3rd Prize from Regional Implementation Office, Govt. of India for Official Language Implementation for the FY 2023-24. We are pleased to mention that our 40 Regional Offices along with Branches have received awards from respective TOLICs. Till now, this number is highest ever in the any FY for TOLIC prizes. Our 27 Regional Offices were inspected in connection with Official Language implementation by Official Language Department, Central Office.

Third Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Language has conducted inspection of Regional Office Hyderabad on 23rd October 2024. The said committee expressed satisfaction over the implementation of Official Language in the said centre.

The Bank has conducted Hindi competitions in all Regional Offices and Central Office on the occasion of Hindi Day Celebrations. An All-India Hindi Essay Writing competition was held on 18th September 2024 for our staff members. The Bank has also conducted inter-bank All-India Hindi Essay Writing competition in December 2024 for the staff members of all Public Sector Banks, FIs and Insurance Companies. Award winning articles of the said competition have been compiled and published in a book form as "निबंध संचय भाग-3". We have also published 'भाषा संगम' book, from these book staff members may learn basic Hindi through 19 scheduled languages. The said book was inaugurated by Central Home & Cooperation Minister **Hon'ble Shri. Amit Shah Ji** on 14th September 2024 during the 4rth All India Official Language Conference & Hindi Day at Bharat Mandapam, New Delhi.

Also, our Official Language Department has published **'आइओबी कॉमिक सीरीज़'** and **'अपने ग्राहक को जानिए और धन शोधन निवारक मानक'** book for enriching the knowledge of our staff members, the said books were released by our MD & CEO on 25th September 2024 on occasion of prize distribution ceremony of Hindi Day Celebrations. On 10th January 2025, World Hindi Day was observed in Central Office and Regional Offices. On this occasion various Hindi competitions, seminars and workshops were held in Regional Offices. Various Hindi competitions were conducted by Regional Offices on Bank's 89th Foundation Day celebrations on 10th February 2025. Bank has observed International Mother Language Day on 21st February 2025, on that day various Hindi competitions and seminar conducted by Regional Offices.

Our Bank has introduced cash incentive scheme for staff members, who are doing excellent implementation of Official Language in January 2021. Under this scheme, staff members who have excelled in the Official Language are being given an incentive of Rs. 1,000 and there is a provision to confer certificate to 12 staff members from central office and 3 staff members from each Regional Office & 6 staff members from Branches coming under their jurisdiction of respective ROs during every half year. During the FY 2024-25, a total of 701 staff members were awarded with cash incentive and certificates under this scheme.

STATUS OF IMPLEMENTATION OF IND AS IN OUR BANK

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing Ind AS (Indian Accounting Standards).

RBI vide circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice.

However, RBI requires all Banks to submit Ind AS Proforma Financial Statements every half year. As per RBI directive, a Project Steering Committee headed by Executive Director has been formed for monitoring Implementation of Ind AS in the Bank.

Bank is submitting Ind AS Proforma Financial Statements to RBI on half yearly basis regularly after approval of Project Steering Committee.

PSBS – REFORM AGENDA – EASE – ENHANCED ACCESS & SERVICE EXCELLENCE

EASE 7.0: Driving Excellence in Public Sector Banking

The **Enhanced Access & Service Excellence (EASE) Reforms Agenda**, launched by the Department of Financial Services (DFS) under the guidance of the Indian Banks' Association (IBA), continues to be a transformative force in modernizing Public Sector Banks (PSBs). The EASE 7.0 framework introduced for FY 2024-25 with the theme: **Economic Development | Customer Delight | Resilient Banking**

EASE 7.0 focuses on five key themes with 21 Action Points

- **Banking Towards 'Viksit Bharat' –** Aligning banking with national priorities.
- **Excellence in Customer Service –** Enhancing service quality and experience.
- **Adoption of New-age Technology –** Advancing digital capabilities, automation, and analytics.
- **Effective Risk & Fraud Management –** Strengthening governance, fraud detection, and recovery strategies.
- **Developing Employees for Emerging Banking Priorities –** Upskilling workforce for future-ready banking.

Indian Overseas Bank has demonstrated consistent progress in **the EASE Reforms Index**, showcasing its commitment to operational excellence, digital transformation, and customer-centric banking. The Bank has proactively implemented strategic initiatives to drive improvements in **customer experience, governance frameworks, risk management, and service delivery**, aligning itself with the evolving needs of the banking sector.

Through these concerted efforts, IOB continues to strengthen its position as a leading public sector bank committed to innovation, resilience, and superior service standards.

PLANNING & ECONOMIC DESK

The Planning function continues to derive a synchronised co-ordination between Top Management and Field Level functionary for effective implementation of the corporate policies, Bank's priorities and ensuring achievement of corporate budget.

The Economic Desk supplements Top Management with day-to-day developments in the Financial Ecosystem apart from analysing the policy and products of other peer banks along with close monitoring of RBI policies & other regulatory guidelines.

Customer Onboarding

During the Financial Year 2024-25, we have successfully onboarded 39.97 Lakhs CASA customers, of which 11.16 Lakhs customers were onboarded through our TAB devices.

Bank is striving to continue the same momentum of customer onboarding for this Financial Year as well.

New Developments

Keeping in view the demand and requirements of branches and in line with the offerings of other banks in the market and to make our product more competitive, we have gathered inputs and made suitable modifications and introduced and revamped liability schemes in order to make them move in the market as a competitive product.

◦ IOB Startup Current Account

Indian Startups have transitioned from being primarily service-oriented to becoming leaders in product innovation demonstrating their technological skills across various sectors. As Indian Startups are expected to become key drivers of growth, they need designated/ exclusively start up branches and customized products for their start up business growth.

Accordingly, to cater the needs of the startups and to support the startup customers, we have introduced IOB STARTUP Current Account scheme.

◦ Aadhar Based Term Deposit

- With an aim to simplify and standardize the term deposit opening process while providing a seamless experience to customers, we have introduced Aadhar based term deposit opening.
- Staff can access the opening of term deposit facility by logging into Tab Banking facility and provide an efficient and customer friendly banking experience.

◦ IOB Insta Digital Saving Account

As part of our ongoing digital transformation efforts, we have launched IOB INSTA DIGITAL savings account.

Account can be opened by NTB (New-to bank) Customers through E-KYC (Aadhar based OTP). The scheme enables NTB (New-to bank) Customers to open accounts conveniently through our bank's web portal using Aadhar Based OTP Authentication.

◦ Non-Callable Term Deposit

In order to mobilize a reliable source of funding for the bank and to maintain a good Asset – Liability Management system, we have introduced Non – Callable Term Deposit under Retail Term Deposit segment from 91 days to less than 2 years period (except 444 days bucket).

Deposit is available in Reinvestment Deposit plan (RDP) and Short Deposit Receipts (SDR) plan with a minimum deposit amount of Rs. 1,00,01,000/- (Rs. One Crore and one thousand only).

◦ Ultra HNI Scheme

- To meet the needs and expectations of the HNI customers, to comply with EASE norms and to be in line with the changing industry trends, we have introduced ULTRA HNI SB schemes (3 variants)
- The product provides customers with Personal accidental insurance coverage up to Rs. 110.00 lakhs, concession in processing charges for various loan products, free debit card and a bundle of attractive features.

PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

Press Release and Electronic Media Interaction

- The Department in coordination with M/s. Veritas Reputation PR Private Limited from 01st March 2024 disseminated 49 Standalone press releases and conducted 12 electronic media interactions garnered around 1600+ coverages across the media.

Media Coverage:

Particulars	
Print Media	**736**
Online Media	**886**
Electronic Media	**12**
Total	**1,634**

Advertisement, Publicity, And Other Activities

The Bank has utilized various platform for Advertisement and Publicity, including Print, Online Advertisement, FM Radio, Chennai Metro Train, Chennai MTC Bus Branding, Kolkata Bus Branding, Hoarding and paid campaigns in social media. During the fiscal year, Bank has spent Rs. 1,46,80,308.26 on Advertisement (Regulatory) and Rs. 5,23,60,014.29 on Advertisement (Non-Regulatory) & Publicity.

As directed by DFS, the following activities were organized centrally by the Bank:

- 19th April 2024 - **Voters Outreach and Awareness programmes** conducted in coordination with all the Regional Offices for creating awareness about the importance of voting for the ongoing 18th Lok Sabha Elections from 19th April 2024 to 1st June 2024 by sending banners, conducting seminars, Forums etc., Department also Showcased sky advertising balloons by creating awareness about voting in three places 1) Central Office, 2) Staff College and 3) Purasawalkam Branch.
- 21st June 2024 - **International Yoga Day** Demonstration at Loyola College, Chennai, our MD & CEO along with ED(JDR) & ED(DT) and TOP Executives were present during the yoga demonstration.
- 09th August 2024 – **Har Ghar Tiranga** Celebrations (09.08.2024 to 15.08.2024) – encouraging all for hoisting flags in their house to bring the Tiranga, provided Flags with sticks to GMs, HODs and DGMs.
- 12th August 2024 – **"Viksit Bharat ka Mantra, Desh ho Nashe se Swatantra"**, Pledge administered by MD & CEO and TOP Executives has participated.
- 14th August 2024 – **Partition Horrors Remembrance Day** – Stall containing photos of Partition Horrors are showcased to Public at T Nagar Branch
- 15th August 2024 – **78th Independence Day** Celebrated at our Central Office and across Regional Offices. Top Management, Executives and Staff Members attended the flag hoisting ceremony at the Central Office.
- 29th August 2024 – **FIT India** Pledge as commemorating the National Sports Week (26.08.2024 to 31.08.2024) has been administered by MD & CEO and TOP Executives has participated.
- 31st August 2024 – **Closing Ceremony of the National Sports Week** held at our Central Office where prize and certificates were distributed by HRMD – Sports wing.
- 17th September 2024 – **"Swachhata Hi Seva campaign"** from 17.09.2024 to 02.10.2024 with the theme "Swabhav Swatchhata- Sanakaar Swachhata" in the cleanliness Drive organised at Besant Nagar Elliots Beach, our MD & CEO along with EDs and Executives have participated in cleaning the beach and Donated 2 battery operated vehicle to Chennai Corporation for using it for carrying the garbage's.
- 01st October 2024 – **"Blood Donation Day"** pledge has been administered by MD & CEO along with EDs and General Managers/HODs and Blood Donation camp has been organized in collaboration with M/s Kavery Hospitals Chennai around 72 units blood has donated and instructed Regional Offices for organizing the blood donation camps in their respective regions.
- 26th October 2024 – **"Vigilance Awareness Week"** Integrity Pledge had administered by MD & CEO along with EDs, CVO and General Managers/HODs and Walkathon held at Besant Nagar Elliots where our Top Executives and Staff from Central office, Chennai – I & Chennai II Regional Office had participated and to symbolize our commitment to a corruption free environment Sky Balloons put at Central Office and in Staff Training College, Thirumangalam, Chennai and they also released balloons in the sky to "let the Corruption go away!!".
- 26th November 2024 - **Constitutional Day Pledge** administered by MD & CEO to symbolize our unity and democracy.
- 26th January 2025 - **Bank celebrated 76th Republic Day at our Central Office** and across Regional Offices. Top Management, Executives and Staff Members attended the unfurling ceremony at the Central Office.
- 10th February 2025 - **"ParikshaPeCharcha2025"**, showcased PMs speech to School Students PAN India
- 08th March 2025 - **International Women's Day** celebrated across all Branches/ Regional office and Central office PAN India.

Bank hosted/participated in the following Parliamentary (Lok Sabha & Rajya Sabha) Committee Meetings held during the FY 2024-25

- 31st August 2024 - **Study visit of the Committee on Government Assurances, Rajya Sabha** at Chennai.
- 25th October 2024 - **Study visit of Department - Related Parliamentary Standing Committee on Industry** at Goa.
- 12th November 2024 - **Study Tour of the Standing Committee on Finance (2024-25)** at Chennai.
- 17th January 2025 - **Standing Committee on Rural Development on Rural Development and Panchayati Raj** at Chennai.
- 24th January 2025 - **Study Visit of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare** at Goa.

Social Media

- The Bank's official Social Media platform was effectively used to enhance the Bank's brand image of the Bank. A dedicated social media team has been formed to further enhance and build our Brand Image.
- As of March 31, 2025, our subscribers count on **YouTube – 8,42,294, Facebook – 3,52,958, Instagram – 2,73,139, X (Formerly Twitter) – 56,914 and LinkedIn – 41,039 & Treads – 12,933 totaling 15,79,277 subscribers.**
- Additionally, we are committed to regularly updating our social media channels with posts about our products and services, educating our customers and staff and significantly boosting our bank's marketing visibility.
- During FY 2024-25, **794 posters/flyers/videos** posted on social media and **348 customer complaints** received through social media were meticulously attended and resolved within 48 hours.

Corporate Social Responsibility

During **FY 2024-25**, the Bank spent a total of **Rs. 3.76 Crores on Corporate Social Responsibility (CSR)**, benefitting about **22,90,325 beneficiaries**.

Corporate Social Responsibility (CSR) spent by Bank for the FY 2024 - 25

S. no.	Category	Sanctioned Amount (Exclusive of GST in lakhs)	Beneficiaries				
			ST	SC	OBC	General	Total
1	Education	43.43	23752	50162	108273	81804	263991
2	Empowerment of women & Senior Citizen	11.84	520	1122	2398	1789	5827
3	Environmental Protection and Social cause	68.68	70658	149201	321975	243366	785201
4	Healthcare and Sanitation	109.24	30018	63384	136784	103389	333575
5	Protection of Tradition & Heritage	65.89	75199	158764	342604	259009	835576
6	Rural Welfare Initiatives and Disaster Management	33.91	1165	1731	3736	2803	9435
7	Skill Training / Apprenticeship Training & Skill Development	5.00	4050	8550	18450	13950	45000
8	Sports	29.00	882	1868	4032	3039	9821
9	Technology and Research	5.00	88	186	402	304	980
10	War Veterans and Charity	4.42	82	176	388	273	919
Grand Total		**376.41**	**206415**	**435144**	**939040**	**709726**	**2290325**

OUTLOOK FOR BANKING SECTOR

Going forward, the banking sector may continue to face pressure on NIM due to RBI's rate cut and slow growth in low-cost CASA deposit. CASA deposit growth was muted during the last financial year 2024-25 and to match the accelerated credit growth, Banks in India raised the funds through high-cost bulk deposits and short-term borrowings. The challenge of low-cost CASA deposit mobilisation is likely to continue in the current financial year also and banks will have to depend on term deposits and other short-term borrowing avenues to meet its liquidity requirements.

Presently, more than 50 % of loan portfolio of Scheduled Commercial Banks are linked with RBI's repo rate. With the primary objective of maintaining price stability with ensuring growth, the Reserve Bank has already made rate cut of 50 bps, two tranche of 25 bps each in February and April 2025. All banks in India have already passed on the benefits of this 50 bps repo cut to all their customers whose loans are linked to repo rate. This has impacted the banks, a hit of 0.50% interest income on their repo linked loan portfolio.

Based on the current and evolving macroeconomic situation, it is expected that further one or two repo cuts are likely to happen, which may further impact the margin of the banks. In order to protect the margin, banks left with no choice but to reduce the interest rate on their deposits. NIMs are likely to stay moderate. However, the bank with higher concentration of repo linked loan portfolios may face the more stress on margin.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank has laid down a system of internal financial controls with reference to its financial statements. The integrity and reliability of the internal control systems are achieved through clear policies and procedures, process automation, training and development of employees, and an organisation structure that segregates responsibilities. These controls are reviewed and tested by the internal audit team to ensure the accuracy and completeness of the accounting records and the preparation of reliable financial statements. The internal financial controls of the Bank with respect to the financial statements are adequate and are operating effectively.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Please refer to page no 398 for Directors Responsibility Statement.

KEY FINANCIAL RATIOS

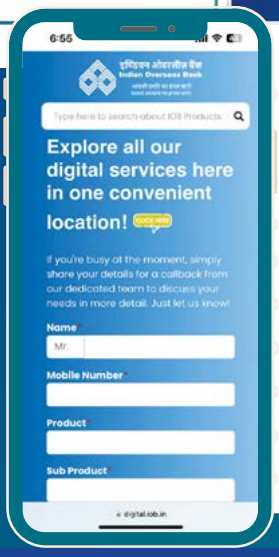
S. No	Ratio	2024-25	2023-24
1	Return on Equity	16.28	16.24
2	Return on Assets	0.92	0.81
3	Cost to Income	47.14	56.32
4	Capital Adequacy	19.74	17.28
5	Debt Equity Ratio	1.66	1.46
6	Operating Profit Margin	25.80	22.77
7	Net Profit Margin	9.90	8.94

Elevate Your Banking Experience with IOB

digital.iob.in

All-in-One Solution for all your Banking Needs.

- DIGITAL SAVINGS ACCOUNT
- DIGITAL PENSIONER'S LIFE CERTIFICATE
- ONLINE REAL-TIME ALLOTMENT OF SAFE DEPOSIT LOCKER
- DIGITAL RETAIL LOAN
- DIGITAL AGRI LOAN
- CREDIT CARD
- ONLINE RE KYC UPDATE
- e-ACCOUNT STATEMENT
- INTEREST CERTIFICATE
- UNCLAIMED DEPOSITS SEARCH
- DIGITAL SHG LOAN
- DIGITAL KCC LOAN



Skip a trip to the branch

Experience the convenience of our quick and simple digital services right here!

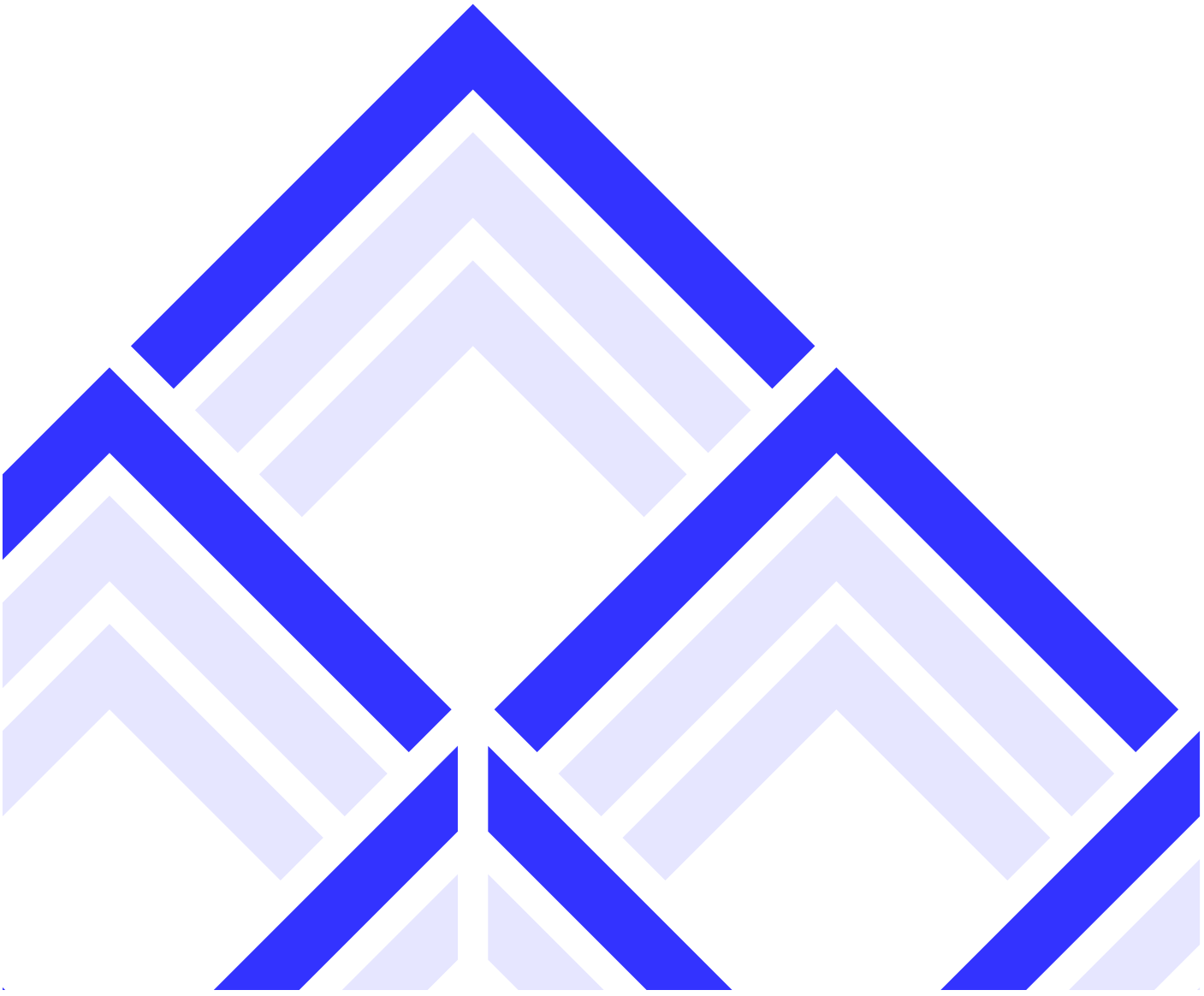


T&C Apply

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

CORPORATE GOVERNANCE REPORT FOR THE YEAR 2024-25



MANDATORY REQUIREMENTS

BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

Indian Overseas Bank recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. Bank has always strived hard to best serve the interests of all its stakeholders viz. Shareholders, Customers, Government and Society at large. Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn has enabled the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc., issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

BOARD OF DIRECTORS

Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (the Nationalisation Act) as amended from time to time. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Nationalisation Act, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The responsibilities of the Board include monitoring overall functioning of Bank including but not limiting to approval of policies for conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit and risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA Management and provisioning integrity, compliance of regulatory and statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources etc. The Board has constituted various sub-committees and delegated its powers for different functional areas to the committees of the Board. The Board as well as its Committees meet at periodic intervals.

◦ Composition

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength of Board as on 31.03.2025 is Seven Directors comprising three whole time Directors, 2 non-executive Directors, 1 Part-time Non-Official Director and Non-Executive Chairman and 1 director elected from amongst the shareholders to duly represent their interest.

The positions of Workmen Employee Director and Non Workmen Director are required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(e) and 9(3) (f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In terms of section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board shall have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. The post of Chartered Accountant director is vacant since 25.07.2019.

The Bank have taken up with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for immediate filling up of various vacancies at the Board level and the Central Government is in the process of nominating other Directors. The vacancies shall be filled in as and when the Directors are appointed by Government of India.

Particulars of Directors who held office during the financial year 2024-25

Name of the Director (Shri/Smt)	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointments	Retirement/demission of office during the year
Shri Srinivasan Sridhar	Non-Executive Chairman & Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.02.2024	--
Shri Ajay Kumar Srivastava	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	01.01.2023	--
Shri Joydeep Dutta Roy	Executive Director	Executive / Whole Time	31.01.2024	--
Shri Dhanaraj T	Executive Director	Executive / Whole Time	10.03.2024	--
Shri Kartikeya Misra	Government Nominee Director	Official – Non-Executive	25.10.2023	04.08.2024
Ms Neelam Agrawal	Government Nominee Director	Official – Non-Executive	05.08.2024	--
Ms Sonali Sen Gupta	RBI Nominee Director	Official – Non-Executive	14.07.2023	--
Shri Suresh Kumar Rungta	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	20.12.2024
Shri B Chandra Reddy	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	20.12.2024
Shri Deepak Sharma	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	20.12.2024
Shri Sanjaya Rastogi	Shareholder Director	Non-Executive	03.12.2022	--

Profile of Directors of the Bank as on 31.03.2025 is enclosed as an Annexure.

It is declared that none of the Directors are related to each other.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors, and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct and the statement of such declaration is as under:

"This is to confirm that the Bank has laid down a code of conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the said code of conduct is posted on the Bank's website. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the code of conduct."

Shri Pradeep Kumar, Assistant General Manager was the Secretary of the Board.

Particulars of Skills/ Expertise/ Competence of Board of Directors

Core Skill/ Expertise/ Competencies identified as required in the context of the Bank business and sectors for it to function effectively	Core Skill/ Expertise / Competencies available with the board
Banking	Yes
Finance	Yes
Economics	Yes
Human Resource Management	Yes
Information Technology	Yes
Treasury Management	Yes
Marketing	Yes
Risk Management	Yes

Meetings of the Board

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 14 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace since 2012-13. Subsequently, web-based portal is shifted to Bank's Online Committee module from FY 2024-2025. The portal offers Directors confidential e-access on iPads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time, and resources.

During the financial year 2024-25, the Board meetings were held 14 times on the following dates and places:

DATE OF MEETING	PLACE HELD
22.04.2024	Chennai
09.05.2024	Chennai
31.05.2024	Bhubaneswar
01.06.2024	Bhubaneswar
22.07.2024	Chennai
23.07.2024	Chennai
13.09.2024	Chennai
17.10.2024	Chennai
06.11.2024	Chennai
30.11.2024	Lucknow
18.12.2024	Chennai
20.01.2025	Chennai
18.02.2025	Chennai
19.03.2025	Chennai

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. Wherever Leave of Absence is being requested by Directors, leave of absence is marked. All meeting has taken place partially/fully in electronic mode throughout the FY 2024-25.

- Attendance of the Directors at the Board meetings are furnished below:

Name of the Director	Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
Shri Srinivasan Sridhar	14	14
Shri Ajay Kumar Srivastava	14	14
Shri Joydeep Dutta Roy	14	14
Shri Dhanaraj T	14	14
Ms Neelam Agrawal	08	07
Shri Karthikeya Misra	06	04
Ms Sonali Sen Gupta	14	14
Shri Suresh Kumar Rungta	11	11
Shri B Chandra Reddy	11	11
Shri Deepak Sharma	11	11
Shri Sanjaya Rastogi	14	14

Details of Shares held by Non-Executive Directors in terms of Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as on 31.03.2025:

Name of the Director	Number of Shares
Shri Sanjaya Rastogi	100

No other Non-Executive Directors hold any IOB shares.

◦ Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri Srinivasan Sridhar	1. Oracle Financial Services Software Ltd., 2. Nirlon Limited, 3. Graphite India Ltd. 4. Finca, Azerbaijan	**ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD** 1. Audit Committee - as member 2. Corporate Social Responsibility committee - as member 3. Nomination and Remuneration Committee - as member 4. Risk Management Committee - as Chairman and 5. ESOP Allotment Committee- as Chairman **NIRLON LTD** 1. Audit Committee-as member 2. Nomination and Remuneration Committee- as member 3. Stakeholder Relationship Committee- as member 4. Corporate Social Responsibility Committee- as Chairman 5. Independent Directors Committee- as member 6. Risk Management committee – as member **GRAPHITE INDIA LTD.** 1. Audit Committee - as member 2. Risk Management Committee - as Chairman **FINCA, AZERBAIJAN** 1. Audit Committee – as member 2. HR Committee- as member
Shri Ajay Kumar Srivastava	Universal Sompo General Insurance Company	--

◦ Membership in Committees

Audit Committee of the Board, Risk Management Committee of Board, Information Technology Committee of the Board, Nomination and Remuneration Committee, Board Committee for Performance Evaluation and Stakeholder Relationship Committee is chaired by Independent Directors. Special Committee of the Board for monitoring and follow up of cases of frauds has been constituted as per RBI Guidelines in place of the Committee of Board for monitoring large value frauds. In view of RBI/SEBI/DFS guidelines, reconstitution of the committees has been done as per extant guidelines.

COMMITTEES OF THE BOARD

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for recording.

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Audit Committee of the Board (ACB)
3. Risk Management Committee of the Board (RMCB)
4. Customer Service Committee of the Board (CSC)
5. Committee for Review of Disciplinary Cases & Departmental Enquiries (CRDC)
6. Information Technology Strategy Committee (ITSC)
7. Board Level Steering Committee on Human Resources (BLSCHR)
8. Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA(BLCMRNPA)
9. Committee of Board for Consideration of Appeals (CBCA)
10. Stakeholder Relationship Committee of the Board (SRC)
11. Nomination and Remuneration Committee (NRC)

12. Special Committee of the Board for monitoring and follow up of cases of frauds (SCBMF)
13. Review Committee on Wilful Defaulters and Non-Co-Operative Borrowers (RCWDNCB)
14. Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)
15. Credit Approval Committee (CAC)
16. Board Level Committee for Compromise Settlements (BLCCS)

◦ Management Committee of the Board

No.of Meeting held: 21
Dates of meeting:
16.04.2024, 08.05.2024, 28.05.2024, 28.05.2024, 14.06.2024, 26.06.2024, 10.07.2024, 30.07.2024, 16.08.2024, 30.08.2024, 18.09.2024, 07.10.2024, 29.10.2024, 12.11.2024, 25.11.2024, 16.12.2024, 27.12.2024, 21.01.2025, 06.02.2025, 17.02.2025, 19.03.2025 and 28.03.2025

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded) as per quantum fixed by the Board.

b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals – as per quantum fixed by the Board.

c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure.

d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e. Filing of suits / appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

g. Donations.

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of MD & CEO/ powers of Credit Approval Committee, as may be applicable.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 21 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025 and the details of number of meetings attended during their tenure by each Committee member are as under:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Ajay Kumar Srivastava (Chairman)	01.01.2023	--	21	21
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	21	21
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	21	20
Ms Sonali Sen Gupta	14.07.2023	--	21	09
Shri Suresh Kumar Rungta	11.10.2023	20.12.2024	15	15
Shri Sanjaya Rastogi	24.12.2024	--	06	06

◦ Audit Committee of the Board

No.of Meeting held: 05
Dates of meeting: 08.05.2024, 09.05.2024, 22.07.2024, 17.10.2024, 05.11.2024.

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/SEBI. The Audit Committee of the Board (ACB) consists of only Non-Executive Directors (NEDs). The Chair of the board is not member of the ACB. The meetings of the ACB is chaired by an independent director who is not chairing any other committee of the Board. The Chair of the ACB is not member of any committee of the board which has a mandate of sanctioning credit exposures. All members have the ability to understand all financial statements as well as the notes/ reports attached thereto and at least one member have requisite professional expertise/ qualification in financial accounting or financial management [e.g. experience in application of accounting standards and practices, including internal controls around it]. Executive Directors are joining the meeting as Invitee which is approved by the Board.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

- To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalization and quality

control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections of RBI.

- To review the internal inspection / audit function in the Bank the system, its quality and effectiveness in terms of follow up and also the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings.
- To obtain and review quarterly/annual reports from Compliance Department on compliance of regulatory requirement of Regulators in Host Countries in respect of overseas branches.
- To review compliance report on the directives issued by ACB/Board/RBI.
- To review and follow up on the report of the statutory audit and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual I quarterly financial statements and reports.
- To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI i.e. RAR/RMP etc..
- Review on exposures to sensitive sectors, i.e. capital market & real estate.
- Review of KYC/ AML Guidelines- - (i) Review of implementation (ii) Review of compliance of concurrent audit reports with respect to adherence to KYC / AML guidelines at branches.
- Review of information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers.
- It should recommend the various policies in respect of Inspection and Audit/ Accounting/ Governance etc. of Bank for approval of Board in its meeting.
- To review calendar notes as approved by ACB.

This Committee specially focuses on the follow-up of:

- Inter- Branch Adjustment Accounts.
- Unreconciled long outstanding entries in Suspense, Sundries, Funds in Transit, clearing Inter - Bank Accounts, Nostro Accounts etc..
- Frauds and all other major areas of house- keeping.
- Detailed report on fraudulent transactions relating to Internet Banking through phishing attacks pointing out in particular the deficiencies in the existing systems and steps taken by the IT department to prevent such cases.

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the scope of the Audit Committee of the Board was broadened to include the following reviews of accounts at specific exposure levels as approved by the Audit Committee of the Board:

A. Potential NPA / stress cases as and when required.

B. High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances.

C. Cases of One-time settlement involving high value loans.

D. High value accounts - to evaluate / re-evaluate the value and quality of security / collateral (both tangible and especially intangible) provided against the accounts.

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges.

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing of Audit Plan and status of achievement thereof.
- Reviewing the Bank's Financial and Risk Management Policies.

Further as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 PART C, the role of the audit committee is defined which is part of Corporate Governance Policy.

The committee met 5 times during the year 2024-25.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment. As the term of 3 NEDs ended on 20.12.2024, ACB couldn't be reconstituted as per RBI Guidelines and there was no meeting of the ACB in Q4 of FY 2024-25. All agendas of ACB were directly put up to Board under the special provisions contained in paragraph 14A of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended from time to time.

The members who held office during the period 01.04.2024 to 31.03.2025 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri B Chandra Reddy (Chairman)	05.01.2022	20.12.2024	05	05
Ms Sonali Sen Gupta	14.07.2023	--	05	04
Shri Sanjaya Rastogi	11.10.2023	23.12.2024	05	05
Shri Deepak Sharma	05.01.2022	20.12.2024	05	05

◦ Risk Management Committee of Board

No.of Meeting held: 05
Dates of meeting: 03.04.2024, 18.05.2024, 21.06.2024, 12.09.2024 and 17.12.2024

Meetings of Risk Management Committee of Board (RMCB) should be chaired by an independent director who is not Chair of the board or any other committee of the board. The Chair of the board may be a member of the RMCB only if he/she has the requisite risk management expertise. Role and Function of RMCB to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. The Committee will oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee met 5 times during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment. As the term of 3NEDs ended on 20.12.2024, RMCB could not be reconstituted as per RBI Guidelines and there was no meeting of the RMCB in Q4 of FY 2024-25. All agendas of RMCB were directly put up to Board under the special provisions contained in paragraph 14A of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

Number of Meetings attended by each Member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	20.12.2024	05	05
Shri Srinivasan Sridhar	12.03.2024	--	05	05
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	05	05
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	05	05
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	05	05
Shri B Chandra Reddy	21.10.2022	20.12.2024	05	05
Shri Deepak Sharma	05.01.2022	20.12.2024	05	05

◦ Committee for Monitoring Large Value Frauds

No.of Meeting held: 02
Dates of meeting: 18.05.2024 and 12.09.2024

The major functions of the Committee are to monitor and review all large value frauds with a view to identifying systemic lacunae, if any, reasons for delay in detection and reporting, if any, monitoring progress of CBI/Police investigation, recovery position, ensuring that staff accountability exercise is completed quickly, reviewing the efficacy of remedial action taken to prevent recurrence of frauds and putting in place suitable preventive measures. The Chairman presides over the meetings of the Committee and the present Chairman of the committee is Non-Executive Chairman. The Committee met 2 times during the period 01.04.2024 to 31.03.2025. The committee stood dissolved w.e.f. 06.11.2024 as RBI guidelines mandated the constitution of the Special Committee of the Board for monitoring and follow up of cases of frauds (SCBMF). Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Srinivasan Sridhar	12.03.2024	06.11.2024	02	02
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	06.11.2024	02	02
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	06.11.2024	02	02
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	06.11.2024	02	02
Shri B Chandra Reddy	05.01.2022	06.11.2024	02	02
Shri Deepak Sharma	11.10.2023	06.11.2024	02	02
Shri Sanjaya Rastogi	12.03.2024	06.11.2024	02	02

Special Committee of the Board for Monitoring and Follow Up of Cases of Frauds (SCBMF) w.e.f 06.11.2024,

No.of Meeting held: 02
Dates of meeting: 17.12.2024 and 28.03.2025

SCBMF shall oversee the effectiveness of the fraud risk management in the bank. SCBMF shall review and monitor cases of frauds, including root cause analysis, and suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimising the incidence of frauds. The coverage and periodicity of such reviews shall be decided by the Board of the bank. The Chairman presides over the meetings of the Committee and the present Chairman of the committee is Shri Sanjaya Rastogi, Shareholder Director. The Committee met 2 times during the period 01.04.2024 to 31.03.2025. The committee was constituted w.e.f. 06.11.2024 as RBI guidelines mandated the constitution of the Special Committee of the Board for monitoring and follow up of cases of frauds (SCBMF) in place of committee for Monitoring Large value Frauds. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Sanjaya Rastogi	19.03.2025	--	01	01
Shri Srinivasan Sridhar	06.11.2024	--	02	02
Shri Ajay Kumar Srivastava	06.11.2024	--	02	02
Shri Joydeep Dutta Roy	06.11.2024	--	02	02
Shri Dhanaraj T	06.11.2024	--	02	02
Shri B Chandra Reddy	06.11.2024	20.12.2024	01	01
Shri Suresh Kumar Rungta	06.11.2024	20.12.2024	01	01

◦ Customer Service Committee

No.of Meeting held: 04
Dates of meeting: 18.05.2024, 28.08.2024, 17.12.2024 and 28.03.2025

Customer Service Committee of the Board, illustratively, could address the following: -

- Formulation of a Comprehensive Deposit Policy
- Issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account
- Product approval process with a view to suitability and appropriateness
- Annual survey of depositor satisfaction
- Triennial audit of such services. Besides, the Committee could also examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered.
- To evaluate and review the level of customer services in the Bank. It shall also consider the new measures for improvement in Customer Services

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2024 to 31.03.2025. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	04	04
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	04	04
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	04	04
Shri B Chandra Reddy	12.03.2024	20.12.2024	03	03
Shri Deepak Sharma	05.01.2022	20.12.2024	03	03
Shri Sanjaya Rastogi	19.03.2025	--	01	01

◦ Committee for Review of Disciplinary Cases & Departmental Enquiries

No.of Meeting held: 04
Dates of meeting: 21.06.2024, 28.08.2024, 18.12.2024 and 27.03.2025

It reviews the vigilance/ non-vigilances disciplinary and departmental enquires on quarterly basis and Quarterly progress for staff accountability Examination in fraud cases involving Rs 50 crore and above. The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2024 to 31.03.2025. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	04	04
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	04	04
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	04	04
Shri Kartikeya Misra	25.10.2023	04.08.2024	01	00
Ms Neelam Agrawal	05.08.2024	--	03	02
Ms Sonali Sen Gupta	14.07.2023	--	04	04

◦ Nomination and Remuneration Committee

No.of Meeting held: 01
Dates of meeting: 27.03.2025

Nomination and Remuneration Committee (NRC) is carrying out necessary due diligence and arrive at the 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors as specified in RBI master Direction DBR.Appt.No. 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Part D. It is also carrying out function of existing Remuneration Committee. NRC is constituted with only Non-Executive Directors (NED). The meeting of the NRC is chaired by an independent director. The Chair of the board is not chairing the NRC. The meeting of NRC is held as and when required. The Committee consists of 3 Non-Executive Director.s

The Committee met once during the FY 2024-25. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Sanjaya Rastogi	24.03.2025	--	01	01
Shri Srinivasan Sridhar	24.03.2025	--	01	01
Ms Neelam Agrawal	24.03.2025	--	01	01

Information Technology Strategy Committee

No.of Meeting held: 07
Dates of meeting: 03.04.2024, 21.06.2024, 12.09.2024, 17.12.2024, 21.01.2025, 17.02.2025 and 27.03.2025

Information Technology Strategy Committee (ITSC) is deliberating on the IT policy of technology adoption by the Bank for leveraging the developments in IT to improve business. It reviews and monitor progress of major IT enabled business initiatives and Technical Architecture of the Bank. Detail role and function is defined in Corporate Governance Policy

The Chairman presides over the meetings of the Committee. At present, Shri Srinivasan Sridhar, part time non-official Director & Non-Executive Chairman is chairing the committee. The Committee had met 7 times during the period 01.04.2024 to 31.03.2025. The Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Srinivasan Sridhar	12.03.2024	--	07	07
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	07	07
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	07	07
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	07	07
Shri Kartikeya Misra	25.10.2023	04.08.2024	02	00
Ms Neelam Agrawal	05.08.2024	--	05	04
Shri B Chandra Reddy	05.01.2022	20.12.2024	04	04

Board Level Steering Committee on Human Resources

No.of Meeting held: 05
Dates of meeting: 21.06.2024, 28.08.2024, 29.10.2024, 06.12.2024 and 21.01.2025

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee had met 5 times during the period 01.04.2024 to 31.03.2025. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	05	05
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	05	05
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	05	05
Ms Neelam Agrawal	05.08.2024	--	04	04
Shri Kartikeya Misra	25.10.2023	04.08.2024	01	00
Shri Sanjaya Rastogi	29.12.2022	--	05	05
Dr T T Ram Mohan **	--	--	05	04

*** He is not an appointed director. He has been nominated for this Committee as HR professional (Ex-IIM Professor) in line with DFS guidelines.*

Review Committee on Wilful Defaulters & Non-Co-Operative Borrowers

No.of Meeting held: 05
Dates of meeting: 18.05.2024, 28.08.2024, 17.12.2024, 10.02.2025 and 18.03.2025

MD & CEO is Chairing this committee from w.e.f. 13.08.2024 as per RBI Guidelines. The Committee met 5 times during the period 01.04.2024 to 31.03.2025. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Ajay Kumar Srivastava	13.08.2024	--	04	04
Shri Srinivasan Sridhar	12.03.2024	12.08.2024	01	01
	31.01.2025	--	02	02
Ms Neelam Agrawal	31.01.2025	--	02	01
Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	20.12.2024	03	03
Shri Deepak Sharma	12.03.2024	20.12.2024	03	03
Shri. Sanjaya Rastogi	31.01.2025	--	02	02

◦ Stakeholders Relationship Committee

No.of Meeting held: 04
Dates of meeting: 18.05.2024, 28.08.2024, 06.11.2024 and 17.02.2025

The role of the Stakeholders Relationship Committee shall be as specified as in Part D of the Schedule II, SEBI LODR 2015, which is given below:

- Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new /duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ annual reports /statutory notices by the shareholders of the company.

The Committee met 4 times during the period 01.04.2024 to 31.03.2025. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Sanjaya Rastogi	29.12.2022	--	04	04
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	04	04
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	04	04
Shri Suresh Kumar Rungta	12.03.2024	20.12.2024	03	03
Shri Deepak Sharma	05.01.2022	20.12.2024	03	03

◦ Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA

No.of Meeting held: 06
Dates of meeting: 22.04.2024, 21.06.2024, 28.08.2024, 18.12.2024, 12.02.2025 and 18.03.2025

Board Level Committee to Monitor Recovery In NPA(BLCMRNPA) is reviewing and monitoring the recovery in all NPA accounts. It also reviews the NPA Management and also progress/ action taken report on various guidelines/ directions given by Government of India in respect of stressed assets. The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 6 times during the period 01.04.2024 to 31.03.2025. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

◦ Board Committee for Performance Evaluation

To evaluate the performance of Whole-time Directors and General Managers in charge of internal control (such as Inspection & Audit, Compliance & Risk) as per DFS guidelines. The Committee met 4 times during the year 2024-25.

◦ Committee of Board for Consideration of Appeals

Committee of Board for Consideration of Appeals act as an Appellate authority/ Reviewing Authority in case of punishment/ Disciplinary action etc. is awarded to Executives where MD & CEO is the Disciplinary Authority (DA) or in his absence Executive Directors are Disciplinary Authority Wherever, MD& CEO is the Disciplinary Authority, he/ she will not be the members of Committee for Appeal and Review. The Committee did not meet during the year 2024-25.

Credit Approval Committee of the Board

No.of Meeting held: 19
Dates of meeting:.

18.04.2024, 16.05.2024, 27.05.2024, 13.06.2024, 05.07.2024, 31.07.2024, 17.08.2024, 06.09.2024, 24.09.2024, 14.10.2024, 02.11.2024, 18.11.2024, 06.12.2024, 19.12.2024, 10.01.2025, 22.01.2025, 04.02.2025, 18.03.2025 and 29.03.2025

The Credit Approval Committee has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No. S.0.2736(E) dated December 5, 2011. The Committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for Loan compromise / write off. Subsequently various directives have been received in respect of CAC. On basis of that, the committee was last reconstituted by Board on 25.06.2020.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 19 times during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

Board Level Committee for Compromise Settlements

No.of Meeting held: 02
Dates of meeting: 17.10.2024 and 18.12.2024

Based on RBI Framework for Compromise Settlements and Technical Write-offs dated 08.06.2023, Board Level Committee for Compromise Settlements was constituted on 23.07.2024. The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 02 times during the period from 23.07.2024 to 31.03.2025. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

SENIOR MANAGEMENT

Particular of Senior Management including the changes therein since the close of the previous Financial year:

Name	Designation
Shri Sudhir Prasad Thakur	General Manager
Shri Nataraj Karyampudi	General Manager & Chief Compliance Officer
Shri Lakshmi Venkatesh R	General Manager
Shri A.M. Banerjee	General Manager
Shri Gopal S	General Manager
Shri Mohan M	General Manager
Shri Suresh P	General Manager
Ms Selvarani V	General Manager
Shri Koustuv Majumder	General Manager & Chief Risk Officer
Shri Dilip Kumar Barik	General Manager
Shri Anil Kumar	General Manager
Shri Sikrilal V.L	General Manager
Ms N. Vijaya	General Manager
Shri Sanjay Kishore	General Manager
Shri Madhaw Chandra Jha	Deputy General Manager & Chief Financial Officer
Ms Dhurga Devi M	Deputy General Manager
Shri Rajesh M S	Deputy General Manager
Shri Prem kumar S	Deputy General Manager
Shri Purna Chandra Satapathy	Deputy General Manager
Shri Amit Srivastava	Deputy General Manager
Shri Amit Kumar	Deputy General Manager
Shri Deepak Kumar Tripathy	Deputy General Manager
Shri Rahul Dubey	Deputy General Manager
Shri Mahesh Kumar S P	General Manager (Demitted office on superannuation on 28.02.2025)
Ms Rajalakshmi Bhavani Shankar	General Manager (Demitted office on superannuation on 28.02.2025)
Shri Reyazul Haque	General Manager (Demitted office on superannuation on 31.12.2024)
Shri Shyam Sunder Narang	General Manager (Demitted office on superannuation on 30.04.2024)

REMUNERATION TO DIRECTORS

The details of salary paid to the Whole-time Directors of the Bank, during the Financial year 2024-25 are as under:

Name of the Whole Time Director	Remuneration * (2024-25)
Shri Ajay Kumar Srivastava (MD & CEO)	64,40,736.00
Shri Joydeep Dutta Roy (ED)	41,25,174.07
Shri Dhanaraj T (ED)	39,21,601.34
Ms. S. Srimathy (ED, Exited on 09.03.2024)	19,78,160.00
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (ED, Exited on 30.01.2024)	15,32,160.00

**Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.*

SITTING FEES TO DIRECTORS

The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fee fixed by Government of India which is Rs.40,000/- per Board Meeting and Rs.20,000/- per Committee Meeting and additional Fee of Rs.10,000/- for chairing Board Meeting and Rs.5,000/- for chairing Board Committee meeting in terms of GOI Circular No.F.No.15/1/2011-BO.I dated 18.01.2019.

The details of Sitting Fees paid to the during the year 2024-25 are as under:

Name of the Director	FY 2024-25
Shri Srinivasan Sridhar	12,40,000.00
Shri Suresh Kumar Rungta (up to 20.12.2024)	10,45,000.00
Shri B Chandra Reddy (up to 20.12.2024)	8,65,000.00
Shri Deepak Sharma (up to 20.12.2024)	9,80,000.00
Shri Sanjaya Rastogi	12,90,000.00

GENERAL MEETINGS

Details of General Meetings held during the last three years are given here in below:

Nature of Meeting	Date, Day & Time of Meeting	Venue	Business Performed
22nd AGM	15.07.2022 Friday 11:00 AM	Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600002 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)	a) Adoption of Audited Balance Sheet of the Bank as of 31st March, 2022 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2022, together with the Directors' Report and the Auditors' Report thereon.(Ordinary Resolution) b) To raise capital by further issue of equity shares either by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placement or by any other means. (Special Resolution) c) To consider issue of shares to Employees under the "Indian Overseas Bank – Employee Stock Purchase Scheme, 2022-23 (IOB-ESPS 2022-23)" (Special Resolution)

Nature of Meeting	Date, Day & Time of Meeting	Venue	Business Performed
23rd AGM	07.07.2023 Friday 11:00 AM	Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600002 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)	a) Adoption of Audited Balance Sheet of the Bank as of 31st March 2023 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2023, together with the Directors' Report and the Auditors' Report thereon. (Ordinary Resolution) b) Appointment of Shri Ajay Kumar Srivastava as Managing Director & CEO.(Ordinary Resolution) c) Appointment of Shri. Sanjay Vinayak Mudaliar, as Executive Director (Ordinary Resolution) d) To raise paid up equity capital of Rs.1000 Crore through various options available (QIP/FPO/Right issues/ESPS etc.) (Special Resolution)
24th AGM	02.07.2024 Tuesday 11:00 AM	Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600002 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)	a) Adoption of Audited Balance Sheet of the Bank as of 31st March, 2024, the Profit and Loss account, Cash Flow Statement for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. (Ordinary Resolution) b) Appointment of Shri. Srinivasan Sridhar as Part time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank. (Special Resolution) c) Appointment of Shri Joydeep Dutta Roy as Executive Director of the Bank. (Ordinary Resolution) d) Appointment of Shri Dhanaraj T as Executive Director of the Bank. (Ordinary Resolution) e) Appointment of Shri Kartikeya Misra as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank. (Ordinary Resolution) f) Appointment of Ms. Sonali Sen Gupta as Non-Executive Director (RBI Nominee Director) of the Bank. (Ordinary Resolution) g) To raise paid-up equity capital upto Rs. 5000 crores, in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies / Mutual Funds / QIBs or any other mode or combination thereof. (Special Resolution)

- EGM for election of one shareholder director was scheduled to be held on 15.12.2022 and the same was cancelled due to receipt of only one valid nomination against one existing vacancy.
- In the 22nd ,23rd & 24th AGMs, special resolutions were put through to obtain the shareholders' approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on Public Offer or preference shares (cumulative / non-cumulative).
- No Special resolution was passed during last three years through Postal ballots.

The following Directors were present in the last Annual General Meeting of the Bank held on 02.07.2024.

Name of Director	Designation
Shri Srinivasan Sridhar	Chairman
Shri Ajay Kumar Srivastava	Managing Director & Chief Executive Officer
Shri Joydeep Dutta Roy	Executive Director
Shri Dhanaraj T	Executive Director
Ms Sonali Sen Gupta	RBI Nominee Director
Shri B Chandra Reddy	Independent Director
Shri Sanjaya Rastogi	Shareholder Director

MEANS OF COMMUNICATION

- Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances through publication in newspapers, intimation to Stock Exchanges, press releases, presentations to Analysts and through website of the bank at www.iob.in. The Bank also displays official news releases, presentations made to institutional investors, analysts on its website.
- The quarterly financial results are published in a national daily, Hindi daily and a regional vernacular daily in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR). The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	Hindi daily	Tamil daily	English Daily	Date of Publication
30.06.2024	Jansatta	Dinamani	Financial Express	23.07.2024
30.09.2024	Jansatta	Dinamani	Financial Express	18.10.2024
31.12.2024	Jansatta	Dinamani	Financial Express	21.01.2025
31.03.2025	Jansatta	Dinamani	Financial Express	03.05.2025

GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION

a. AGM: Date, Time, and Venue: -

Date	July 02, 2025(Wednesday)
Time	11:00 AM(IST)
Mode	Virtual Mode through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)
Venue	Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600002 [Deemed venue of the meeting]

b. Financial Year: 01st April 2024 to 31st March 2025.

c. Dividend Payment Date: Not declared during the FY 2024-25.

d. Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, has incorporated a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 on Unpaid dividend of banks and

Ministry of Corporate Affairs had advised the process to be followed by banks for transferring the Unpaid Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years, shall be transferred to IEPF:

Dividend for the year	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Due Date for Transferring to Government (IEPF)
Nil		

e. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Bombay Stock Exchange Limited Floor 1, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001	National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051

Annual Listing Fees for the year 2024-25 have been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

f. Registrar & Share Transfer Agent:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor,
No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700
Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

g. Distribution of shareholding as on 31.03.2025:

S. No	Category	No. of Shareholders	No. of Shares	% of holding
PROMOTERS HOLDING				
1	Government of India (President of India)	01	18,21,83,26,570	94.61
	Sub-Total (1)	**01**	**18,21,83,26,570**	**94.61**
NON-PROMOTERS HOLDING				
	Institutional Investors (Domestic)			
2	Mutual Funds	14	1,29,48,941	0.07
	Banks, Financial Institutions	13	8,02,30,024	0.42
	Insurance Companies	05	35,52,49,347	1.84
	Other Financial Institutions	02	4,94,35,916	0.26
	Alternate Investment Funds	01	628	0.00
	Sub-Total (2)	**35**	**49,78,64,856**	**2.59**
Institutional Investors (Foreign)				
3	Foreign Portfolio Investor	24	4,25,85,060	0.22
	Sub-Total (3)	**24**	**4,25,85,060**	**0.22**

S. No	Category	No. of Shareholders	No. of Shares	% of holding
	Non- Institutional Investors			
4	Key Managerial Person	01	10	0.00
	Individuals	9,59,921	36,99,08,415	1.92
	NRI	4,747	89,33,984	0.05
	Bodies Corporate	1,049	6,62,00,132	0.34
	Overseas Corporate Body	01	48,000	0.00
	ESOP/ESOS/ESPS	7806	3,88,02,240	0.20
	HUF	4,183	73,33,161	0.04
	Trusts	20	4,39,902	0.00
	Director and their Relatives	02	1,530	0.00
	Clearing Members	10	52,65,953	0.03
	LLP	62	8,75,782	0.01
	Others	01	4,200	0.00
	Sub-total (4)	**9,77,803**	**49,78,13,309**	**2.59**
GRAND TOTAL		**9,77,863**	**19,25,65,89,795**	**100.00**

h. Distribution of Shareholding:

- **Distribution schedule as on 31.03.2025(Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.)**

Shareholding of Shares	No. of Shareholders	% to Total No. of Shareholders	No. of Shares	% to Total
01-100	6,24,691	62.71	2,07,19,824	0.11
101-500	2,44,622	24.56	6,58,41,304	0.34
501-1000	64,216	6.45	5,23,31,589	0.27
1001-2000	30,716	3.08	4,61,76,554	0.24
2001-3000	9,909	0.99	2,52,94,073	0.13
3001-4000	4,647	0.47	1,67,27,166	0.09
4001-5000	4,125	0.41	1,95,36,116	0.10

Shareholding of Shares	No. of Shareholders	% to Total No. of Shareholders	No. of Shares	% to Total
5001-10000	8,572	0.86	6,49,47,529	0.34
10001 - and above	4,672	0.47	18,94,50,15,640	98.38
Total	**9,96,170**	**100.00**	**19,25,65,89,795**	**100.00**

- **Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares:**

Name of Shareholder	No. of Shares	% of Holding
Life Insurance Corporation of India	35,13,31,169	1.82

- **Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 5% of the total number of shares:**

Name of Shareholder	No. of Shares	% of Holding
Nil		

- **Statement showing details of locked-in shares:**

Name of Shareholder	No. of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares
Nil		

- **Foreign Shareholding as on 31.03.2025:**

Category	As on 31.03.2025		As on 31.03.2024	
	No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
Foreign Institutional Investors	NIL	0.00	NIL	0.00
Overseas Corporate Bodies	48,000	0.00	48,000	0.00
NRIs	89,33,984	0.00	87,20,697	0.00
Foreign Portfolio Investor	4,25,85,060	0.02	91,61,501	0.00
Total	**5,15,67,044**	**0.03**	**1,79,30,198**	**0.01**

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs and Foreign Portfolio Investors) as at 31.03.2025 was 0.03%, which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

- **Top Ten shareholders of the Bank as on 31.03.2025:**

NAME OF SHAREHOLDERS	No of Shares held	% of Total holding
President of India	18,21,83,26,570	94.61
Life Insurance Corporation of India	35,06,45,719	1.82
IIFL Finance Ltd	4,92,97,510	0.26
NPS TRUST- A/c LIC Pension Fund Scheme	1,60,21,691	0.08
Bank of Baroda	1,23,24,377	0.06
Bank of Maharashtra	1,23,24,377	0.06
Canara Bank	1,23,24,377	0.06
Central Bank of India	1,23,24,377	0.06
NPS TRUST- A/c SBI Pension Fund Scheme	1,23,24,377	0.06
UCO Bank	1,23,24,377	0.06
Total	**18,70,82,37,752**	**97.15**

i. Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.) as on 31.03.2025 are as under:

Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares held	% on Total Paid up
CDSL	7,30,695	18,45,07,88,547	95.82
NSDL	1,90,369	7,81,94,65,48	4.06
PHYSICAL	75,106	2,38,54,700	0.12
TOTAL	**9,96,170**	**19,25,65,89,795**	**100.00**

Time and again, Bank is requesting shareholders to demat their physical holding. For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participants, where they maintain demat accounts.

Benefits of dematerialization are as follows:

- Hassle free transfer
- No threat of loss of share certificate
- Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits
- Nomination facility
- Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support the green initiatives.

Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

Form	Purpose
Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
Form ISR-3	Declaration Form for opting out of Nomination 4 Form
Form ISR-13	Nomination Form
Form ISR-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No. of shareholders	No. of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2024	219	54,700
Number of Shareholders who approached for transfer of shares from unclaimed suspense account during the year	1	300
Number of Shareholders to whom shares were transferred from the unclaimed suspense account	1	300
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the unclaimed suspense account at the end of 31.03.2025	218	54,400

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

j. Reconciliation of Share Capital Audit Report:

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialized form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

k. Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The Bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

I. The Bank has raised non-convertible bonds in the nature of Debentures/ Promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2025 are as follows:

Series	ISIN	Date of Allotment	Size (Rs. in Cr)	Tenor (in months)	Coupon %	Redemption Date
			Basel III Tier II Bonds			
III	INE565A08035	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029
IV	INE565A08043	31.03.2022	665.00	120	8.60	31.03.2032#
V	INE565A08050	24.03.2023	1000.00	120	9.00	31.03.2033#

#Call option available at the end of 5 years and on subsequent coupon payment date (with prior approval of RBI).

m. Debenture Trustee to the Issue:

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Limited, Mumbai, as Bond Trustees to for Series III & Series IV Bond Issues and has appointed SBI Cap Trustee Company Limited, Mumbai as Bond Trustees to for Series V Bond issues to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd., **Universal Insurance Building, Ground Floor Sir P.M. Road, Fort, MUMBAI-400 001** **Contact Details: The Compliance officer** **Tel: 022-40807000/Fax: 022-66311776** **Email:** itsl@idbitrustee.com **Website:** www.idbitrustee.com	**SBICAP Trustee Company Limited** **Mistry Bhavan, 4th Floor,** **122 Dinshaw Vachha Road,** **Churchgate, Mumbai – 400 020** **Contact Details:** **Shri. Ardhendu Mukhopadhyay** **022-43025566** www.sbicaptrustee.com

n. Credit Ratings:

- **Basel III Tier II Bonds as on 31.03.2025**

Name of the Rating Agency	BASEL III TIER II BONDS		
	SERIES III INE565A08035 Rs.500 Crores	SERIES IV INE565A08043 Rs.665 Crores	SERIES V INE565A08050 Rs.1000 Crores
CRISIL Limited	AA / STABLE		
ICRA Limited			AA / STABLE
INDIA Ratings	AA / STABLE	AA / STABLE	
CARE Ratings		AA / STABLE	AA / STABLE

Previous Credit Rating for all Series of Basel III Tier II Bonds by all Credit Rating Agency was AA-/Positive for the FY 2023-24.

- **Certificate of Deposits:**

Name of the Rating Agency	Instrument Type	Amount	Rating
CARE Ratings	Certificate of Deposits	Rs.10000 Crores	CARE A1+ (A One Plus)

o. Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer Agents. Shareholders may lodge documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor,
No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700
Online Investor Portal:
https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office to handle the complaints and service requirements of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell
Central Office, 763, Anna Salai
Chennai-600 002
Tel: 044-28889360, 71729791, 28415702,
email: **investor@iobnet.co.in**

OTHER DISCLOSURES

- Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter / Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.
- The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to Capital Markets, during the last three years except as mentioned in the Annual Secretarial Compliance Reports for the respective years hosted in the website of the Bank **www.iob.in**
- The Bank being one of the Nationalized Banks, has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable.
- The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees, officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff / officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank. Bank falls within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely 'Whistle Blower Policy' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures.

  The content of the policy is made available on Bank's website **https://iob.in/Whistle-blower-scheme**

  No personnel of the Bank have been denied access to the Audit Committee.
- Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities. The details of penalties levied by RBI / Statutory authorities have been disclosed in the notes to accounts (Schedule -18).
- Corporate Governance Policy and Policy for Related Party Transactions have been uploaded on the site of the Bank and the same can be viewed at the following link: https://iob.in/Policies

- There are no material subsidiaries of the Bank as on 31.03.2025.
- Bank has appointed M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2025. Annual Secretarial Audit Report will form part of the Annual report of the Bank.
- A Certificate from M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Practicing Company Secretaries certifying that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory/ Regulatory Authority is attached and form part of the Annual Report.
- Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub-paras (2) to (10) of Annexure-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: Nil
- Commodity price risks and commodity hedging activities - Not Applicable.
- Utilization of Fund raised by the Bank through Qualified Institutions Placement (QIP):

  During the Financial Year 2024-25, the Bank has issued 35,41,77,539 equity shares having Face Value of Rs 10 each for cash to Qualified Institutional Buyers(QIB) pursuant to Qualified Institutional Placement(QIP) in accordance with the provisions of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended at a premium of Rs 30.57 per share aggregating to Rs 1,436.89 Crore. This has resulted in an increase of Rs 354.18 Crore in the issued and paid-up Equity Share Capital and Rs 1,078.60 Crore (net of share issue expenses Rs 4.11 Crore) in Share Premium Account.

  The paid-up capital of the Bank stands at Rs 19,256.59 Crore as on March 31st 2025. The Government of India shareholding stands at 94.61% as on March 31st 2025.

  The Issue Proceeds of said QIP has been utilized by the Bank to augment Tier 1 capital requirement under Basel III norms of RBI to support growth and for general business requirements of the Bank.

  During the FY 2024-25, there were no such instances, where the Board did not accept recommendations of the Committee of the Board which are mandatorily required. All the recommendations that are mandatorily required were approved by the Board.
- A Compliance Certificate from the Managing Director & CEO of the Bank and Chief Financial Officer as stipulated under Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before the Board for each quarter and will be annexed to the Annual Report of the Bank.
- The Board of Directors of the Bank confirms that the independent Directors of the Bank fulfil the conditions specified in Listing Regulations and are independent of the management.
- Total Professional Fee and other expenses paid to Auditors for the Financial Year 2024-25 is ₹41,35,84,500.03
- In line with the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules made there under, the Bank has formulated a policy for prevention of Sexual Harassment of Women at workplace. During the financial year 2024-25

Particulars	
Number of complaints filed during the financial year	02
Number of complaints disposed of during the financial year	02
Number of complaints pending at the end of the financial year	00

- The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and will be annexed to the Annual Report of the Bank.
- The Non-Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.
- The Dividend Distribution Policy of the Bank form part of the Annual Report and is available on the Bank's website at **https://iob.in/upload/CEDocuments/IOB_Dividend_Distribution_Policy.pdf**
- Details of familiarization programs for Directors have been given on the Bank's website at **https://iob.in/FPIID**

The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1)of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

Discretionary Requirements	Status of Implementation
The Board: A Non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Yes
Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
Audit Qualification	The Bank is having unqualified financial statements.
Separate post of Chairman and the Managing Director or the CEO	The post of Chairman and Managing Director of Public Sector Banks has been bifurcated by the Government of India into a non-executive Chairman to give an overall policy direction to the Bank and a full-time executive Managing Director & CEO to oversee the day-to-day functioning of the Bank.
Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is reporting to the Audit Committee of the Board.

For and on behalf of the Board of Directors

(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

BRIEF PROFILE OF THE PRESENT DIRECTORS OF THE BANK

Shri Srinivasan Sridhar, Non-Executive Chairman & Part-Time Non-Official Director
(D.O.B: 03.05.1960)

Shri Srinivasan Sridhar joined Indian Overseas Bank as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman w.e.f 21.02.2024. Shri Srinivasan Sridhar was on the board of Bank of Baroda as Shareholder director from 2018 till his time of assumption of his current role.

Shri Srinivasan Sridhar is a B. Com (Hons.) graduate from Delhi University and is also a Qualified Chartered Accountant.

Shri Srinivasan Sridhar is a financial services expert with over 30 years of experience gained internationally and in India. He was with Citigroup for 28 years and has worked in 6 countries across Asia, Africa, and Europe. Some of the leadership positions he held with Citigroup included being CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East, and Africa. He also brings deep banking experience and track record from around the globe in areas such as Corporate and Investment Banking, Product Management, Risk Management, Governance and Regulatory Compliance.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Oracle Financial Services Software Ltd, Nirlon Ltd, Graphite India Ltd, Finca, Azerbaijan.

Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director & Chief Executive Officer
(D.O.B: 15.10.1967)

Shri Ajay Kumar Srivastava has assumed charge as Managing Director and CEO of Indian Overseas Bank with effect from 01.01.2023 from his posting as Executive Director of the bank since 09.10.2017.

He has a Bachelor Degree in Science (Hons.)

He started his banking career as Probationary officer in 1991 with Allahabad Bank where he worked in various capacities in different parts of the country. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi while working at senior level in Allahabad Bank.

After successful completion of about 27 years in Allahabad Bank he was elevated as Executive Director by Government of India, and he joined Indian Overseas Bank on 09.10.2017.

At Indian Overseas Bank as Executive Director, he had a very challenging journey. Bank was incurring losses since 2014, was in PCA since 2015 and financial parameters were in bad shape besides many other challenges. He made strategies for each of the key areas and successfully implemented them at the ground level with the support of the Board. He served the Bank as Executive Director for more than five years and handled all the departments and portfolios during the period. The highlight of his stint as Executive Director is that he had played a very key role in bringing the Bank out of loss in March 2020 and out of PCA in September 2021. Moreover, he was the only Executive Director in the Bank for about 14 months during 2020-2021.

He was also Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) by Government of India for two years. He has also served as Director on the Board of Regional Rural Bank in his previous Bank.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Universal Sompo General Insurance Co ltd.

Shri Joydeep Dutta Roy, Executive Director
(D.O.B: 01.07.1972)

Shri Joydeep Dutta Roy assumed charge as Executive Director of Indian Overseas Bank w.e.f. 31.01.2024. A career Banker for around 28 years, he joined Bank of Baroda in the year 1996.

After completing very successful stints in Bank of Baroda as the Head of HR, Regional Head of Bank's Dehradun and Bareilly Regions, Head of Integration at the time of amalgamation of

erstwhile Dena and erstwhile Vijaya Banks with Bank of Baroda, he was elevated to the position of Chief General Manager and was posted in the Office of the MD & CEO of the Bank. As a Chief General Manager, he was in charge of strategy formulation & implementation in the Bank and for conducting Bank level and Vertical level reviews apart from managing the Subsidiaries & Joint Ventures of the Bank, post which, he was appointed as an Executive Director by the Government of India w.e.f. 21.10.2021.

As Executive Director in Bank of Baroda, he has held charge of various critical portfolios of the bank viz. Retail Banking Business (Assets & Liabilities), Wealth Management and NRI Business, Risk, Finance and Planning functions, HRM, IT & Digital, Inspection & Audit, Compliance, Credit Monitoring, Collections, Subsidiaries & Joint Ventures, Operations & Services, Enterprise Data Management, among others in the bank.

He has also served as a director on the board of National e Governance Services Ltd (NeSL), PSB Alliance Ltd, India First Life Insurance Company Ltd, The Nainital Bank Ltd, Baroda Global Shared Services Ltd, BOB Cards Ltd, Bank of Baroda, Botswana and Bank of Baroda Tanzania Ltd besides being a Non-Executive Chairman of the Boards of Baroda-BNP Paribas Asset India Pvt Ltd and Bank of Baroda (UK) Ltd.

Shri Joydeep Dutta Roy holds an Honours degree in Economics from Delhi University, besides being a law graduate and an MBA from the Narsee Monjee Institute of Management Studies in Mumbai.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Nil.

Shri T Dhanaraj, Executive Director
(D.O.B: 20.05.1970)

Shri T. Dhanaraj has assumed charge as Executive Director of the Bank on 10.03.2024. Prior to this, he was Chief General Manager (CDO/CLO) in Indian Bank. Shri T. Dhanaraj joined Indian Bank as Rural Development Officer in 1994.

During his long stint in the Banking Industry, he gained varied exposures in important spheres of Banking viz., as a Branch Head of Rural & Corporate Branches, Agriculture Credit, MSME and Human Resources. He played a crucial role during the amalgamation of erstwhile Allahabad Bank with Indian Bank in all HR related matters. As the Head of HR in the amalgamated entity, transformation of HR practices was carried out meticulously by implementing Performance Management System (PMS) to drive efficiency.

During his stint as Head of Rural Banking Department, he was instrumental in collaborating with IIT, Madras for Agri. Incubation for financing Agri. Start-ups and initiated Agri Co-lending models. As Chairman of RRB, he successfully completed amalgamation of Pallavan Grama Bank & Pandian Grama bank which eventually came to be known as Tamil Nadu Grama bank. He was also a Director on the Board of NABKISAN, a Subsidiary of NABARD and on the Board of Saptagiri Grameen Bank, an RRB sponsored by Indian Bank.

Shri T Dhanaraj holds an Agricultural Engineering Degree from Tamil Nadu Agricultural University besides holding other Professional qualifications viz., CAIIB, 'Leadership Development Program' management course for leaders of PSU banks conducted by IIM Bangalore. He has attended & completed 'Executive program in HR Analytics'(EPHRA) from IIM, Lucknow. He has also completed the Directors Development Program 2024 from EgonZehnder & Harvard Business Publishing.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Nil.

Ms Neelam Agrawal, Govt. Nominee Director
(D.O.B: 07.11.1979)

Ms. Neelam Agrawal is an officer of 2008 batch of Indian Revenue Service. Ms Neelam Agrawal has been appointed as Government of India Nominee Director on the Board of Indian Overseas Bank w.e.f 05.08.2024.

Ms. Neelam Agrawal is currently posted as Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. She has a wide experience of more than a decade of handling various challenging assignments in the Income Tax Department.

Ms. Neelam Agrawal graduated with B.A. (Hons) from Ranchi University. Prior to joining Indian Revenue Service, she was selected for Jharkhand Administrative Service and served in the State of Jharkhand for a couple of years.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Nil.

Ms Sonali Sen Gupta, RBI Nominee Director
(D.O.B: 04.09.1968)

Ms. Sonali Sen Gupta is currently Regional Director for Karnataka, Reserve Bank of India (RBI), Bengaluru. In her career of nearly three decades in RBI, she has worked as Chief General Manager-in-charge of Financial Inclusion and Development Department at Central Office, Mumbai and served as a Director on Board of National Centre for Financial Education (NCFE), Mumbai. Her area of expertise is Banking Regulation and Supervision and Human Resource Development at Central Office as well Regional Offices level. She has worked in the

Central Office as well as Chandigarh, Kolkata, and New Delhi Regional Offices of the Reserve Bank.

She joined Indian Overseas Bank as RBI Nominee Director w.e.f 14.07.2023

She served as a member secretary to 'Internal Working Group to Review Agricultural Credit' and led the team providing secretarial assistance to the 'Expert Committee on MSME', set up in 2019. She was also a part of specialised committee on Rationalisation of Returns/Statements, set up under Regulation Review Authority 2.0

During the Indian G20 Presidency, she has been RBI Lead for Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), a working group under the Finance Track of G20.

She holds a Bachelor's Degree in Commerce (Hons) and has a Master's Degree in Banking and Finance. She is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance (CAIIB).

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Nil.

Shri Sanjaya Rastogi, Shareholder Director

(D.O.B: 18.01.1963)

Shri Sanjaya Rastogi joined Life Insurance Corporation of India as a Direct Recruit Officer in 1987. After Graduation, he did his Master's in Business Administration from Institute of Management Technology.

Shri Sanjaya Rastogi has been nominated as Shareholder Director of Indian Overseas Bank on 03.12.2022

In his long illustrious career, he has handled several important assignments in LIC as Marketing Manager, Sr. Divisional Manager of Mumbai DO I & III. He has worked in Pension & Group Schemes department and LICHFL. Prior to his posting as Executive Director (MBAC) he worked as Regional Manager (Marketing), Northern Zone, Delhi of LIC. He superannuated on 31.01.2023 as Executive Director of LICI.

Shareholding in Indian Overseas Bank : He holds 100 Shares of our Bank.

Other Directorships: Nil.

AUDITORS CERTIFICATE REGARDING COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Indian Overseas Bank** ("the Bank") for the year ended on March 31, 2025, as stipulated in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C and D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination, as carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of the Chartered Accountants of India (the "ICAI"), was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on our examination of the relevant records and in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and Paragraphs C and D of Schedule V to the Listing Regulations for the year ended March 31, 2025 subject to the following:

a. The Bank was non-compliant with Regulation 17(1)(a) throughout the year due to the absence of an Independent Woman Director.

b. Compliance with Regulations 17(1) and 17(1)(b) was pending from 21st December,2024 till 31st March,2025, following the retirement on account of completion of terms of three Independent Directors on 20th December 2024, reducing the number of independent Directors below the required one-third.

c. The constitution of Audit Committee was not in compliance with Regulation 18(1) from 21st December 2024 due to the resulting vacancy.

d. The Nomination and Remuneration Committee did not comply with Regulation 19(1), from 21st December 2024 to 23rd March 2025 due to the resulting vacancy.

e. The Risk Management Committee was non-compliant with Regulation 21(2) from 21st December 2024 till 31st March,2025 due to the vacancy arising from the retirements as stated above.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

This certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this Certificate for any events or circumstances occurring after the date of this Certificate.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN No.: 114207W

Piyush Pitroda
Partner
Membership No.: 188843
UDIN - 25188843BMJGTV2118

Place: Mumbai
Date: 13th May, 2025

Grow Green, Earn Clean – Switch to Organic Farming!

IOB HARIT KRANTI

Objective

- Support environmental sustainability
- Reduce chemical dependency
- Enhance soil health & human health

Loan Facility Details

- Loan Type: Working Capital / Composite Loan (Term Loan + Working Capital in 60:40 ratio)
- Purpose: Investment in irrigation, farm equipment & post-harvest activities

Who Can Apply?

- Individual / Joint Farmers
- Tenant Farmers, Sharecroppers, Oral Lessees
- SHGs, JLGs
- FPOs & FPCs willing to adopt organic farming

Eligibility Criteria

- Must be engaged or willing to shift to organic farming
- Use of chemical fertilizers, GMOs, or synthetic pesticides disqualifies
- Soil must be chemical-free for 1–2 years (with soil test proof)
- Training or certification in organic farming is mandatory

Loan Quantum

- Individuals / SHGs / JLGs – Up to ₹50 Lakhs
- FPOs / FPCs – Up to ₹5 Crores
- No minimum loan amount

Margin

- Nil margin up to ₹2 Lakhs
- 10% margin for term loans above ₹2 Lakhs

Security & Guarantee

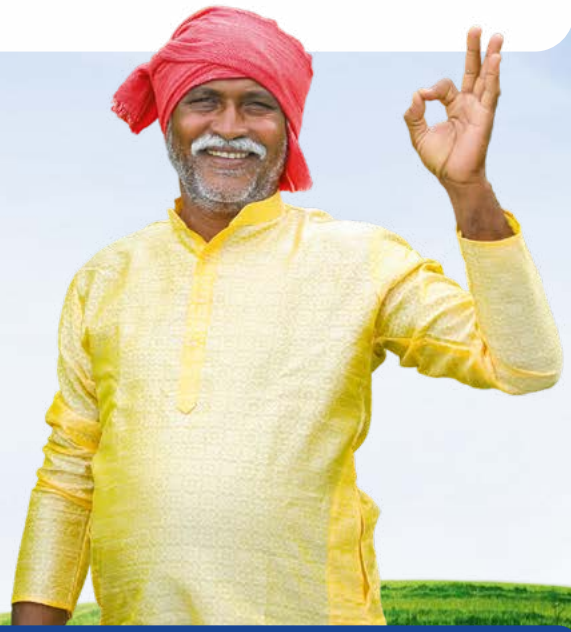
- Collateral-free loans up to ₹2 Lakhs

Repayment Terms

- Term Loan: Repay in up to 5 years, with a 12-month holiday
- Cash Credit: Renew annually, service interest regularly

Processing charges

- Up to ₹50,000 NIL
- Above ₹50, 000 Concessional Processing Charges

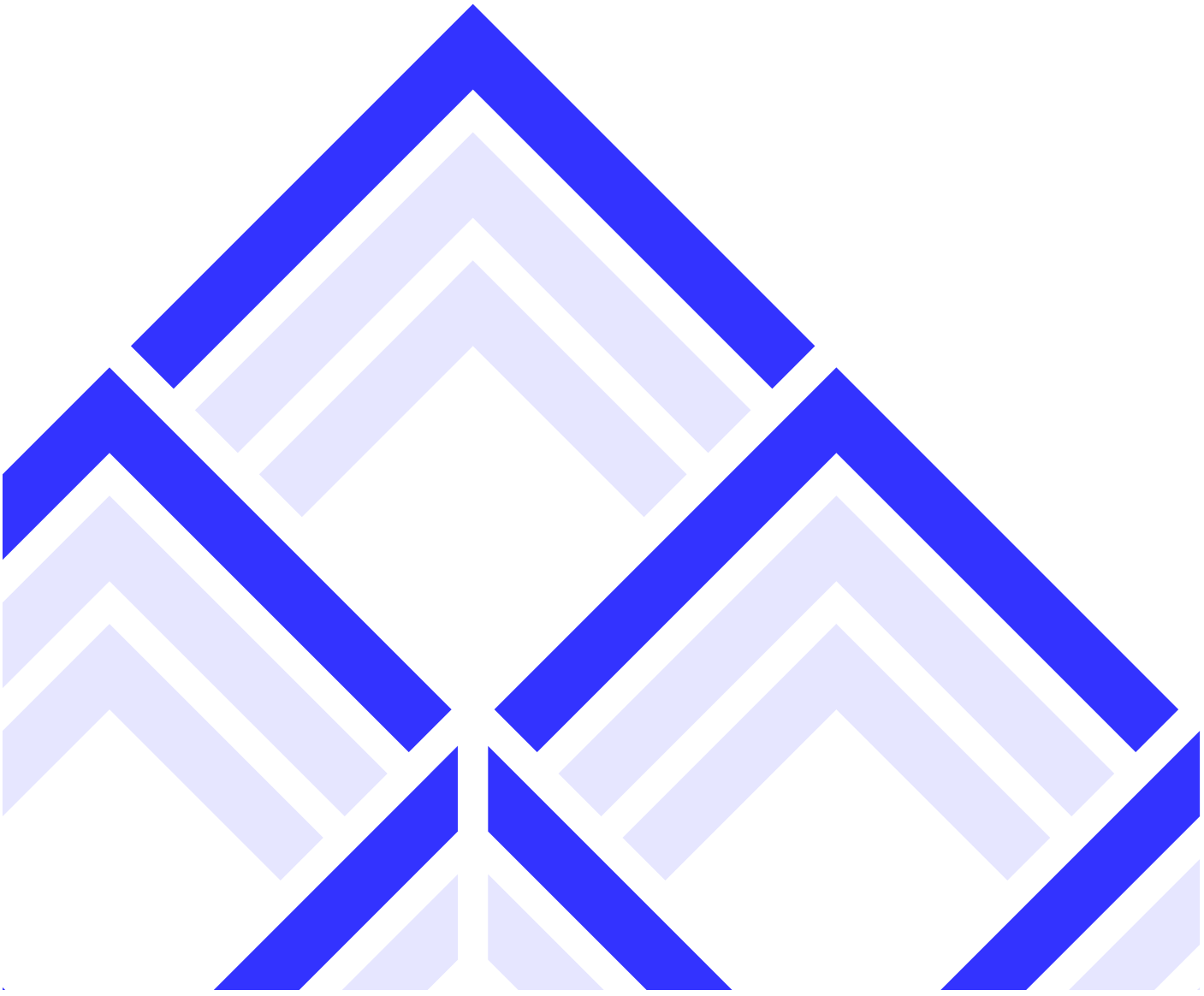


T&C Apply

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

SECRETARIAL AUDIT REPORT



SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

[Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 as amended]

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK
NO 736, ANNA SALAI,
CHENNAI-600002

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **INDIAN OVERSEAS BANK** (hereinafter called "the bank") for the financial year ended 31st March 2025. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March 2025 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended 31st March 2025 according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under to the extent applicable to the bank;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investments, Overseas Direct Investments and External Commercial Borrowings; (Not applicable to the Bank for the period under review);

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

   a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
   b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
   c. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
   d. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
   e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.

   We further state that there were no events/actions in pursuance of the following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

   a. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021;
   b. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (Not applicable as the Bank is not registered as Registrar to an Issue and Share Transfer Agent during the year under review);
   c. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; and
   d. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018.

vi. We have reviewed the systems and mechanisms established by the Bank for ensuring compliances various laws which are specifically applicable to the Bank and categorized under the following major heads/groups:

   a. The Banking Regulation Act, 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and its amendments thereof;
   b. The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof;
   c. Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008;
   d. The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
   e. The Reserve Bank of India Act, 1934.

We believe that the audit evidence which we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we believe that

the systems and mechanisms established by the Bank are adequate to ensure compliance of laws as mentioned above.

We have also examined compliance with the applicable clauses / regulations of the following:

a. Secretarial Standards with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) (as amended) and the guidance Note on Meetings of the Board of Directors and General Meetings (revised) issued by The Institute of Company Secretaries of India. (Not Applicable).

b. The Uniform Listing Agreement entered into with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited pursuant to the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (hereinafter referred as "Listing Regulations").

During the period under review the Bank has generally complied with the above-mentioned laws except to the extent as mentioned below:

- The Composition of Board of Directors of the Bank does not comprises of an Independent Woman Director.
- The Composition of Board of Directors of the Bank is not in compliance with Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as number of Independent Directors fell below the minimum criteria. Consequent to which the Audit Committee and Risk Management Committee of the Board were not duly constituted during the period from 21st December, 2024 to 31st March, 2025. Additionally the Nomination and Remuneration Committee was also not duly constituted from 21st December, 2024 to 23rd March, 2025.
- The Bank has not appointed the following Directors as per Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as follows:
  - Section 9(3)(e) - Appointment of one Director, from among such of the employees of the Bank who are workmen.
  - Section 9(3)(f) - Appointment of one Director, from among such of the employees of the Bank who are not workmen.
  - Section 9(3)(g): Appointment of one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank.

We have been informed by the Bank that, the Directors of the Banks are appointed by Department of Financial Services (DFS), Government of India. As per the explanation provided to us by the Bank, it had taken necessary steps and communicated with DFS for the above-mentioned appointments to ensure compliance.

We further report that The Board of Directors of the Bank has been duly appointed in accordance with Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act, 1970 (as amended), and the Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Board is constituted with an appropriate balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors, and Shareholder Directors, except as noted above. The Bank has raised the matter with the Government of India regarding the appointment of Directors to fill the vacant positions.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the bank has undertaken following events/ action:

- Obtained approval from shareholders of their Annual General Meeting held on 02nd July, 2024 for proposal of raising of Equity Share capital of Rs. 5000 Crores in one or more tranches by way of issuance of Equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP), Follow-on Public Offer / Rights Issue / ESPS / Preferential Issue or any other mode.
- Obtained approval from the Board of Directors at their meeting held on 19th March, 2025 for raising of funds through issue of Long Term (Infra) Bonds of Rs.10,000 Crores in one or more tranches.

Place: Chennai
Date: 15th May, 2025

For SRINIDHI SRIDHARAN & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

CS SRINIDHI SRIDHARAN
CP No. 17990
FCS No. 12510
PR NO: 6279/2024
UIN: S2017TN472300
UDIN: F012510G000346954

*This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **ANNEXURE -A** and forms an integral part of this report.*

'ANNEXURE -A'

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK
NO 736, ANNA SALAI,
CHENNAI-600002

Our report of even date is to be read along with this letter.

- Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

- We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records as per the Auditing Standards (CSAS-1 to CSAS-4) and Guidance Notes on ICSI Auditing Standards and Guidance Note on Secretarial Audit issued by The Institute of Company Secretaries of India. The verification was done to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

- We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank as well as correctness of the values and figures reported in various disclosures and returns as required to be filed by the Bank under the specified laws.

- Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

- It is the responsibility of the management of the Bank to devise proper systems to ensure compliance with the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards and to ensure that the systems are adequate and operate effectively. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

- The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Place: Chennai
Date : 15th May, 2025

For SRINIDHI SRIDHARAN & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

CS SRINIDHI SRIDHARAN
CP No. 17990
FCS No. 12510
PR NO: 6279/2024
UIN: S2017TN472300
UDIN: F012510G000346954

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

Pursuant to Regulation 34 (3) read with Schedule V Para-C Sub clause (10) (i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended

The Board of Directors
INDIAN OVERSEAS BANK
763, Anna Salai,
Chennai, Tamil Nadu - 600002.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **INDIAN OVERSEAS BANK** having its Registered Office at 763, Anna Salai, Chennai, Tamil Nadu 600002.(hereinafter referred to as ("The Bank")) produced before us by the Bank for the purpose of issuing this certificate, in accordance with Regulation 34 (3) read with Schedule V Part-C Sub clause 10 (i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our knowledge and according to the verifications (including Director Identification Number (DIN) Status at the portal **www.mca.gov.in**) and based on such examination as well as information and explanations furnished to us, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of issue of this certificate and based on such verification as considered necessary, we hereby certify that none of the Directors as stated below on the Board of the Bank as on 31st March, 2025 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by the Securities and Exchange Board India/ Ministry of Corporate Affairs or any such other statutory authority.

S.NO	DIN	NAME OF THE DIRECTOR	DESIGNATION	DATE OF INITIAL APPOINTMENT
01	07240718	Shri Srinivasan Sridhar	Non – Executive Chairman & Part time Non Official Director.	21.02.2024
02	08946309	Shri Ajay Kumar Srivastava	Executive Director, CEO-MD	01.01.2023
03	08055872	Shri Joydeep Dutta Roy	Executive Director	30.01.2024
04	-	Shri Dhanaraj T	Executive Director	10.03.2024
05	-	Ms Neelam Agrawal	Non-Executive – Govt Nominee Director	05.08.2024
06	-	Ms Sonali Sen Gupta	Non-Executive – RBI Nominee Director	14.07.2023
07	-	Shri Sanjaya Rastogi	Non – Executive Independent Director, Shareholder Director	03.12.2022

Ensuring the eligibility, for the appointment/ continuity, of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For SRINIDHI SRIDHARAN &ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

CS SRINIDHI SRIDHARAN
FCS No. 12510
CP No. 17990
PR No. 6279/2024
UIN: S2017TN472300
UDIN: F012510G000347130

Place: Chennai
Date : 15th May, 2025

DRIVE YOUR BUSINESS FORWARD WITH IOB

MSME COMMERCIAL VEHICLE LOAN



SCHEME BENEFITS

- Collateral Free Loan for Existing Borrowers
- Lowest Margin – Starts at Just 15%
- Repayment up to 84 Months
- Attractive Interest Rate

₹5 LOAN UPTO CRORE

T&C APPLY

APPLY NOW

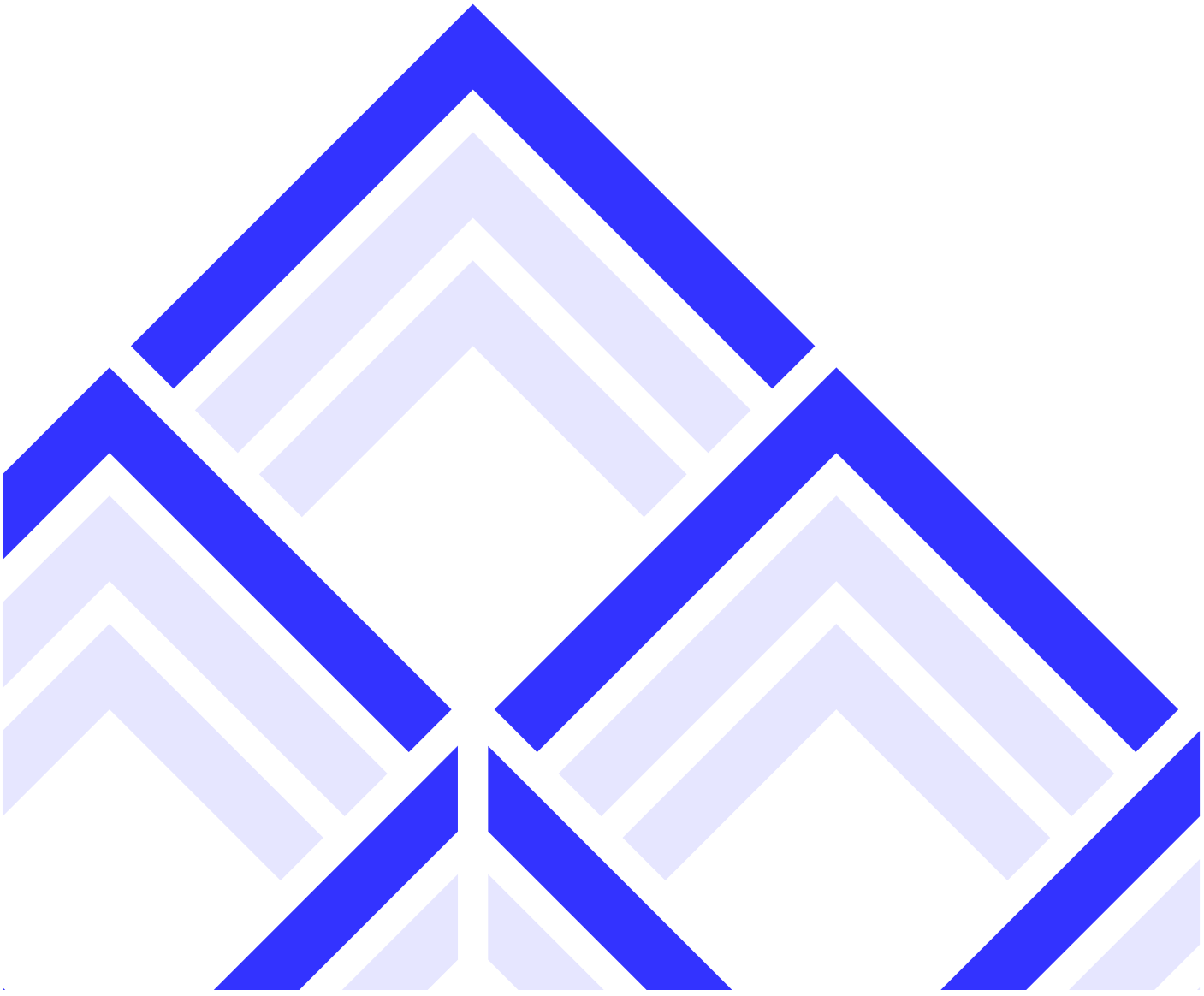
From Roadblocks to Fast Lanes
IOB Has You Covered!

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

89 Years of Trust & Excellence

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

ANNUAL ACCOUNTS STANDALONE



STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	**01**	19256 58 98	18902 41 23
Reserves and Surplus	**02**	13284 32 95	9039 88 85
Deposits	**03**	311938 82 39	285905 37 82
Borrowings	**04**	42227 66 32	30387 16 55
Other Liabilities and Provisions	**05**	8307 53 66	7798 77 43
TOTAL		**395014 94 30**	**352033 61 88**
ASSETS			
Cash and balances with Reserve Bank of India	**06**	18115 54 82	16904 56 29
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	**07**	2954 71 60	1649 85 57
Investments	**08**	111044 83 64	99632 08 17
Advances	**09**	245555 16 84	213318 80 94
Fixed Assets	**10**	4654 82 10	3739 75 59
Other Assets	**11**	12689 85 30	16788 55 32
TOTAL		**395014 94 30**	**352033 61 88**
Contingent Liabilities	**12**	159405 16 51	195742 15 63
Bill for collection		17088 33 51	19119 00 64
Significant Accounting Policies	**17**		
Notes on Accounts	**18**		
Schedules Form Part of the Balance Sheet			

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

DHANARAJ T
EXECUTIVE DIRECTOR

JOYDEEP DUTTA ROY
EXECUTIVE DIRECTOR

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
MANAGING DIRECTOR & CEO

SRINIVASAN SRIDHAR
CHAIRMAN

NEELAM AGRAWAL
DIRECTOR

SANJAYA RASTOGI
DIRECTOR

B CHANDRA REDDY
DIRECTOR

SONALI SEN GUPTA
DIRECTOR

SURESH KUMAR RUNGTA
DIRECTOR

DEEPAK SHARMA
DIRECTOR

Place: Chennai
Date: 02nd May 2025

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	YEAR ENDED 31.03.2025	YEAR ENDED 31.03.2024
INCOME			
Interest Earned	**13**	28131 00 87	24049 73 44
Other Income	**14**	5545 06 84	5656 26 24
TOTAL		**33676 07 71**	**29705 99 68**
EXPENDITURE			
Interest Expended	**15**	17240 80 29	14220 32 04
Operating Expenses	**16**	7747 26 38	8721 90 75
Provisions and Contingencies		5353 30 54	4108 14 40
TOTAL		**30341 37 21**	**27050 37 19**
PROFIT / LOSS (-)			
Net Profit / Loss (-) for the year		3334 70 50	2655 62 49
Profit /Loss (-) brought forward		(14469 29 17)	(16448 69 86)
TOTAL		**(11134 58 67)**	**(13793 07 37)**
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		833 67 63	663 90 62
Transfer to Other Reserves		421 37 16	0
Transfer to Capital Reserve		43 69 06	12 31 18
Transfer to Investment Fluctuation Reserve		100 00 00	0
Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
Balance carried over to Balance Sheet		(12533 32 52)	(14469 29 17)
TOTAL		**(11134 58 67)**	**(13793 07 37)**
Basic & Diluted Earnings per share (Rs.)		1.76	1.40
Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00	10.00

Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
FOR AND ON BEHALF OF CHARTERED ACCOUNTANTS

R. DEVENDRA KUMAR & ASSOCIATES
FRN 114207W

(PIYUSH PITRODA)
PARTNER
M No : 188843

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
FRN 009189C

(VIVEK MEHTA)
PARTNER
M No : 415118

TEJ RAJ & PAL
FRN 304124E

(P VENUGOPALA RAO)
PARTNER
M No : 010905

SANJEEV OMPRAKASH GARG & CO
FRN 008773C

(ANOOP MITNA)
PARTNER
M No :405289

Place: Chennai
Date: 02nd May 2025

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

(₹ in '000s)

	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit / (Loss)	33 34 70 50	26 55 62 49
Provision for taxes	11 77 01 09	7 56 91 66
Net Profit / (Loss) before Income Tax	**45 11 71 59**	**34 12 54 15**
Adjustments for :		
Amortisation of HTM Investments	82 19 57	45 27 60
Loss on Revaluation of Investments	0	(7 49 91 77)
Depreciation on Fixed Assets	3 94 45 57	3 35 85 28
(Profit) / Loss on Sale of Assets	(1 79 59)	(2 20 92)
Provision for NPAs	8 24 58 65	27 15 61 90
Provision for Standard Assets	35 85 27 83	(1 12 22 29)
Depreciation on Investments (net of Provision for NPI)	(24 53 74)	6 37 00 59
Depreciation Provision due to Fluctuation	(69 43 61)	0
Provision for Other Items	(1 97 19 89)	1 27 32 54
Interest on Tier II Bonds	1 92 45 92	2 27 69 10
	47 86 00 70	**32 24 42 03**
Adjustments for :		
Increase / (Decrease) in Deposits	260 33 44 57	250 22 08 76
Increase / (Decrease) in Borrowings	118 40 49 77	98 83 39 36
Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(24 66 85 49)	19 45 84 84
(Increase) / Decrease in Investments	(114 70 41 31)	(53 94 03 55)
(Increase) / Decrease in Advances	(330 60 94 56)	(379 81 85 46)
(Increase) / Decrease in Other Assets	8 31 64 97	(6 94 82 30)
	(82 92 62 04)	**(72 19 38 35)**
Direct Taxes (Net)	**19 58 08 56**	(5 83 00 00)
NET CASH FLOW GENERATED FROM /(USED IN) OPERATING ACTIVITIES (A)	**29 63 18 82**	**(11 65 42 17)**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / disposal of Fixed Assets	49 66 22	5 96 77
Purchase of Fixed Assets	(6 14 95 90)	(3 65 25 82)
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)	**(5 65 29 68)**	**(3 59 29 05)**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Redemption of Tier I & Tier II Bonds / Other Borrowings/Increase in Capital	14 32 77 69	(3 00 00 00)
Issue of Basel III Tier II Bonds	0	0

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

(₹ in '000s)

	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
Changes in Reserve/Revaluation Reverse	(9 87 51 10)	0
Interest Paid on IOB Bonds	(3 27 31 17)	(2 27 69 10)
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**1 17 95 42**	**(5 27 69 10)**
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)	**25 15 84 56**	**(20 52 40 32)**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	169 04 56 29	171 48 09 47
Balances with Banks & Money at Call	16 49 85 57	34 58 72 71
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	181 15 54 82	169 04 56 29
Balances with Banks & Money at Call	29 54 71 60	16 49 85 57
NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	**25 15 84 56**	**(20 52 40 32)**

This statement has been prepared in accordence with Indirect Method.

The previous year figures have been regrouped wherever necessary to confirm with the current year presentation and as per regulatory requirements.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

DHANARAJ T EXECUTIVE DIRECTOR	JOYDEEP DUTTA ROY EXECUTIVE DIRECTOR
AJAY KUMAR SRIVASTAVA MANAGING DIRECTOR & CEO	SRINIVASAN SRIDHAR CHAIRMAN
NEELAM AGRAWAL DIRECTOR	SONALI SEN GUPTA DIRECTOR
SANJAYA RASTOGI DIRECTOR	SURESH KUMAR RUNGTA DIRECTOR
B CHANDRA REDDY DIRECTOR	DEEPAK SHARMA DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
FOR AND ON BEHALF OF CHARTERED ACCOUNTANTS

R. DEVENDRA KUMAR & ASSOCIATES FRN 114207W	TEJ RAJ & PAL FRN 304124E
(PIYUSH PITRODA) PARTNER M No : 188843	(P VENUGOPALA RAO) PARTNER M No : 010905
LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES FRN 009189C	SANJEEV OMPRAKASH GARG & CO FRN 008773C
(VIVEK MEHTA) PARTNER M No : 415118	(ANOOP MITNA) PARTNER M No :405289

Date: 02nd May, 2025
Place: Chennai

SCHEDULE - 1
CAPITAL

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
AUTHORISED CAPITAL		
2500,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year-2500,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
1925,65,89,795 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1821,83,26,570 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)	**19256 58 98**	**18902 41 23**
Previous year 1890,24,12,256 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1821,83,26,570 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)		

SCHEDULE - 2
RESERVES & SURPLUS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. STATUTORY RESERVE		
Opening balance	4750 63 46	4086 72 84
Add: Additions	833 67 63	663 90 62
Less: Deductions	0	0
TOTAL -I	**5584 31 09**	**4750 63 46**
II. CAPITAL RESERVE		
A. Revaluation Reserve		
Opening balance	2722 63 49	2753 15 36
Add: Additions	672 99 16	9 87 87
Less: Deductions	22 65 60	40 39 74
TOTAL -A	**3372 97 05**	**2722 63 49**
B. On sale of Assets		
Opening Balance	2169 75 76	2157 44 57
Add: Additions	43 69 06	12 31 19
Less: Deduction	0	0
TOTAL - B	**2213 44 82**	**2169 75 76**

C. Others		
Opening Balance	153 24 38	153 22 07
Add: Additions	3 93	2 31
Less: Deduction	0	0
TOTAL - C	**153 28 31**	**153 24 38**
TOTAL -II (A,B and C)	**5739 70 18**	**5045 63 63**
III.SHARE PREMIUM		
Opening Balance	8557 90 11	8557 90 11
Add: Additions	1078 59 94	0
Less: Deduction	0	0
TOTAL-III	**9636 50 05**	**8557 90 11**
IV. REVENUE & OTHER RESERVES		
A. Other Revenue Reserves		
Opening Balance	3683 14 78	3647 11 52
Add: Additions	56 43 77	36 03 26
Less: Deduction	0	0
TOTAL - A	**3739 58 55**	**3683 14 78**
B. Investment Reserve Account		
Opening Balance	97 95 58	97 95 58
Add: Additions	0	0
Less: Deduction	97 95 58	0
TOTAL - B	**0**	**97 95 58**
C. Foreign Currency Translation Reserve		
Opening Balance	983 90 47	965 71 07
Add: Additions	152 35 93	111 80 37
Less: Deduction	6 70 35	93 60 97
TOTAL - C	**1129 56 05**	**983 90 47**
D. Investment Fluctuation Reserve Account		
Opening Balance	390 00 00	390 00 00
Add: Additions	100 00 00	0
Less: Deduction	0	0
TOTAL - D	**490 00 00**	**390 00 00**
E. General Reserves-Treasury		
Opening Balance	0	0
Add: Additions	(1315 57 17)	0
Less: Deduction	0	0
TOTAL - E	**(1315 57 17)**	**0**

F. AFS Reserves		
Opening Balance	0	0
Add: Additions	392 19 56	0
Less: Deduction	0	0
TOTAL - F	**392 19 56**	**0**
G. Special Reserve- Govt. Guaranteed SRs		
Opening balance	0	0
Add: Additions	421 37 16	0
Less : Deductions	0	0
TOTAL - G	**421 37 16**	**0**
TOTAL - IV (A,B,C,D,E,F and G)	**4857 14 15**	**5155 00 83**
V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT	**(12533 32 52)**	**(14469 29 17)**
TOTAL (I, II , III, IV and V)	**13284 32 95**	**9039 88 85**

SCHEDULE - 3
DEPOSITS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	1558 27 74	257 64 87
ii) From Others	26568 34 59	22661 32 10
TOTAL - I	**28126 62 33**	**22918 96 97**
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**108034 82 03**	**102589 32 08**
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	3 64	566 65 84
ii) From Others	175777 34 39	159830 42 93
TOTAL - III	**175777 38 03**	**160397 08 77**
TOTAL - A (I,II and III)	**311938 82 39**	**285905 37 82**
B. i) Deposits of branches in India	**303415 25 66**	**278967 49 60**
ii) Deposits of branches outside India	**8523 56 73**	**6937 88 22**
TOTAL - B	**311938 82 39**	**285905 37 82**

(Deposits under Lien- refer note no 21)

SCHEDULE - 4
BORROWINGS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. BORROWINGS IN INDIA		
Reserve Bank of India	1946 00 00	7000 00 00
Other Banks	3366 95 00	2118 67 50
Other Institutions & Agencies	20599 66 34	12121 97 00
Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	0	0
Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	0	0
Subordinated Debt	2165 00 00	2165 00 00
TOTAL (I)	**28077 61 34**	**23405 64 50**
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	**14150 04 98**	**6981 52 05**
TOTAL (I and II)	**42227 66 32**	**30387 16 55**
Secured borrowings included in I and II above	25912 61 34	21240 64 50

SCHEDULE - 5
OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. Bills Payable	628 52 03	811 73 08
II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. Interest Accrued	267 65 07	402 50 31
IV. Others (including provisions)	7411 36 56	6584 54 04
TOTAL	**8307 53 66**	**7798 77 43**

SCHEDULE - 6
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. Cash on hand (including Foreign currency notes)	1235 14 95	1263 61 73
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	11784 32 27	9094 53 29
ii) in Other Accounts	5096 07 60	6546 41 27
TOTAL (I and II)	**18115 54 82**	**16904 56 29**

SCHEDULE - 7
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. In India		
i) Balances with banks		
a) In Current Accounts	13 70 82	8 78 89
b) In Other Deposit Accounts	244 79 31	236 89 25
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With banks	0	0
b) With other institutions	0	0
TOTAL - (i and ii)	**258 50 13**	**245 68 14**
II. Outside India		
i) In Current Accounts	**846 21 62**	**790 57 03**
ii) In Other Deposit Accounts	**535 64 68**	**3 50 90**
iii) Money at Call and Short Notice	**1314 35 17**	**610 09 50**
TOTAL (i,ii and iii)	**2696 21 47**	**1404 17 43**
GRAND TOTAL (I and II)	**2954 71 60**	**1649 85 57**

SCHEDULE - 8
INVESTMENTS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) Government Securities	101565 84 30	91652 13 70
ii) Other Approved Securities	0	99 45
iii) Shares	1151 71 97	602 66 86
iv) Debentures and Bonds	3072 22 98	2542 94 34
v) Subsidiaries/ Joint Ventures	615 64 72	606 90 22
vi) Other Investments	613 69 58	71 00 75
(Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)		
TOTAL - I	**107019 13 55**	**95476 65 32**
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i) Government Securities (including Local Authorities)	3699 98 63	3834 79 09
ii) Subsidiaries/ Joint Ventures	193 44 19	193 44 19
iii) Other Investments	132 27 27	127 19 57
TOTAL - II	**4025 70 09**	**4155 42 85**
TOTAL (I and II)	**111044 83 64**	**99632 08 17**
Gross Investments in India	107978 78 29	96752 28 36
Less: Depreciation	959 64 74	1275 63 04
Less: Interest on Restructured Investments	0	0
Net Investments	**107019 13 55**	**95476 65 32**
Gross Investments Outside India	4032 30 00	4164 78 90
Less: Depreciation	6 59 91	9 36 05
Net Investments	**4025 70 09**	**4155 42 85**
TOTAL NET INVESTMENTS	**111044 83 64**	**99632 08 17**

SCHEDULE -9
ADVANCES

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
A.i) Bills Purchased & Discounted	10869 40 73	8332 89 52
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	92080 18 05	77151 92 44
iii) Term Loans	142605 58 06	127833 98 98
TOTAL	**245555 16 84**	**213318 80 94**
B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	177081 13 42	145445 87 71
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	40744 07 61	34358 84 19
iii) Unsecured	27729 95 81	33514 09 04
TOTAL	**245555 16 84**	**213318 80 94**
C.I) Advances in India		
i) Priority Sector	113583 52 65	107640 07 65
ii) Public Sector	17280 15 88	24336 39 57
iii) Banks	0	0
iv) Others	99292 50 13	64104 10 60
TOTAL	**230156 18 66**	**196080 57 82**
II) Advances Outside India		
i) Due from Banks	0	0
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased & Discounted	4162 81 04	7333 80 59
b) Syndicated Loans	5739 25 15	2743 70 69
c) Others	5496 91 99	7160 71 84
TOTAL	**15398 98 18**	**17238 23 12**
GRAND TOTAL (C-I and C-II)	**245555 16 84**	**213318 80 94**

SCHEDULE -10
FIXED ASSETS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. Premises		
At cost / revalued as at beginning of the FY	4576 16 08	4571 95 99
Additions during the year *	924 86 81	4 20 09
SUB TOTAL	**5501 02 89**	**4576 16 08**
Deductions during the year *	29 59	0
	5500 73 30	4576 16 08
Depreciation to date	1415 42 71	1378 83 55
TOTAL -I	**4085 30 59**	**3197 32 53**
II. Capital work in progress	**74 23 85**	**14 47 85**
TOTAL - II	**74 23 85**	**14 47 85**
III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
At cost as at beginning of the FY	2955 66 67	2703 23 88
Additions during the year	291 63 71	346 66 67
SUB TOTAL	**3247 30 38**	**3049 90 55**
Deductions during the year	67 44 69	94 23 89
	3179 85 69	2955 66 67
Depreciation to date	2684 58 03	2427 71 45
TOTAL - III	**495 27 66**	**527 95 21**
TOTAL (I, II AND III)	**4654 82 10**	**3739 75 59**

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2025

SCHEDULE -11
OTHER ASSETS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Inter Office Adjustments (Net)	174 68 34	30 51 35
ii) Interest Accrued	5149 12 43	4153 89 68
iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	2315 44 55	5450 54 21
iv) Stationery & Stamps	3 49 09	2 51 92
v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	16	224 27 48
vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	5047 10 73	6926 80 68
TOTAL	**12689 85 30**	**16788 55 32**

SCHEDULE -12
CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	8 03 15	4 87 95
ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	129706 60 38	165998 91 81
iv) Guarantees given on behalf of constituents		
a) In India	14713 15 35	13137 86 75
b) Outside India	179 63 06	157 78 69
v) Acceptances, Endorsements and Other obligations	6074 74 57	4557 27 58
vi) Other items for which the bank is contingently liable		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	454 38 14	100 99 50
b) Banks liability under currency swaps	0	0
c) Interest rate swaps (USD)	0	0
d) Interest rate swaps (INR)	0	0
e) Bank's Liability under Currency Options	0	0
f) Credit Default Swaps/FRAs/Receivable charges	0	0
g) Amount in DEAF with RBI	2311 24 26	2003 50 50
h) Disputed IT demands	5957 19 71	9780 74 96
i) Others	6 29	6 29
TOTAL	**159405 16 51**	**195742 15 63**

SCHEDULE -13
INTEREST EARNED

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Interest / discount on advances / bills	20182 12 52	17575 60 73
ii) Income on investments	7037 88 37	5945 77 19
iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	175 87 51	228 74 20
iv) Others	735 12 47	299 61 32
TOTAL	**28131 00 87**	**24049 73 44**

SCHEDULE -14
OTHER INCOME

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Commission, Exchange and Brokerage	1502 38 67	1330 59 21
ii) Profit/Loss on Sale of Investments	523 61 89	273 23 94
iii) Profit/Loss on Revaluation of Investments	0	749 91 77
iv) Profit on sale of land, Building & other Assets	1 79 59	2 20 92
v) Profit/Loss on exchange transactions	38 75 84	192 80 84
vi) Miscellaneous Income	3478 50 85	3107 49 56
TOTAL	**5545 06 84**	**5656 26 24**

SCHEDULE -15
INTEREST EXPENDED

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Interest on Deposits	15008 49 31	12608 56 51
ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	2232 24 75	1611 81 65
iii) Others	6 23	(6 12)
TOTAL	**17240 80 29**	**14220 32 04**

SCHEDULE -16
OPERATING EXPENSES

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Payments to and provisions for employees	4666 39 60	6140 12 56
ii) Rent, Taxes and Lighting	558 84 23	528 16 92
iii) Printing and Stationery	34 97 10	32 85 60
iv) Advertisement and Publicity	10 42 05	5 08 06
v) Depreciation on Bank's property	394 45 57	335 85 28
vi) Directors' fees, allowances and expenses	1 00 29	97 53
vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's)	41 35 85	30 26 73
viii) Law charges	29 93 75	31 29 54
ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	63 86 40	60 99 30
x) Repairs and Maintenance	42 64 64	37 79 57
xi) Insurance	410 70 86	350 06 73
xii) Other Expenditure	1492 66 04	1168 42 93
TOTAL	**7747 26 38**	**8721 90 75**

SCHEDULE 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF THE BANK STANDALONE

1. BASIS OF PREPARATION:

1.1 The Bank's financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and ongoing concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.\

2. REVENUE RECOGNITION AND EXPENSE ACCOUNTING

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets.

Recovery in case of Non-Performing Assets is first appropriated towards principal and the balance, if any, towards interest and charges.

Recovery in case of Suit Filed Accounts shall be appropriated towards principal or as per the directives of the court concerned.

Recovery under One Time Settlement (OTS) shall be appropriated towards principal and excess over principal shall be adjusted towards interest.

If any borrower account is classified as NPA from back date, any recovery till such present date of classification is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal. Subsequent recovery made in such Non-Performing Assets is first appropriated towards principal and the balance, if any, towards interest and charges.

In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognized to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

NCLT admitted accounts shall be treated as suit filed accounts and the appropriation of recovery in these NCLT accounts whether it is from the process initiated against the corporate debtor or guarantors shall be done as in suit filed accounts.

Recovery by way of debentures / equity / other debt or equity or quasi equity instruments etc in the NCLT approved resolution plan amount as cash recovery to be appropriated in the same manner as is done in suit filed accounts i.e. first towards principal and remaining amount towards interest.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/ Letter of Guarantee/Government Business/Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized/ accounted for as per local laws of the respective countries.

3. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury (Foreign):

a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. INVESTMENTS

4.1 In line with the RBI Guidelines, Banks shall classify their entire investment portfolio (except investments in their own subsidiaries, joint ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit and Loss (FVTPL). Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub-category within FVTPL.

The premium/ discount, if any, of acquisition cost in comparison the face value of each security (other than NPI) is amortized/ accrued on straight line method, over the remaining period of maturity.

Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries / Joint Ventures and

f) Others (to be specified).

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.3.1. Individual securities under "Fair Value through Profit & Loss "(FVTPL)" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Individual securities under HFT are marked to market on daily basis.

Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL (Financial Benchmarks India Pvt Ltd). Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available

balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI (Primary Dealers Association of India)/FBIL periodically.

Based on the above valuations, the valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. The net appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS-Reserve. The performing securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account.

The book value of individual securities would undergo change due to valuation at the prescribed intervals in the books of account.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost/ carrying value.

Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de –recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on Sale of Investments in any category (viz. Held for Trading, Available for Sale and FVTPL) is taken to Profit & Loss account.

In case of Profit on Sale of Investments in "Held to Maturity" category, Profit net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to "Capital Reserve Account".

Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS-Reserve and recognized in the Profit and Loss Account.

In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method

4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only

4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis

4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net off provision held in respect of Non Performing Investments

4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

4.14 An Investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories, other than shifting / transfer from HFT to AFS Category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. Such transfer of securities from one category to another is done as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India (RBI)

4.15 As per RBI Circular no. RBI/2017-18/147 DBR No. BP BC. 102/ 21.04.0489/ 2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-19 an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

The Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be the lower of the following: -

a) Net Profit on sale of investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations,

until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS Portfolio, on a continuing basis.

5. ADVANCES:

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

5.3 For Restructured / Rescheduled Assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans / advance before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The Provision for Diminution in Fair Value and interest sacrifice, if any, arising out of the above is reduced from advances.

In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Regulators.

6. DERIVATIVES

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination of such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT)

7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Sl No.	Furniture Types	Depreciation %
i	Premises	2.50%
ii	Furniture and Fixtures (Metal and Wooden)	10%
iii	Electrical Installation	20%
iv	Vehicles	20%
v	Computers	33.33%
vi	Computer Software	33.33%
vii	Fire Extinguishers and the assets whose value is more than Rs.1000/- but less than Rs.5000/-	100%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account, and equivalent amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves.

7.3 Capitalization of the furniture/fixtures can be done in view of the nature and use of the items.

7.4 Depreciation of the assets is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation. (Under straight line method)

7.5 Depreciation of the assets is allowed only if the assets is put to use in the year of purchased.

7.6 If the value of single asset is less than or equal to Rs.1000/-, Bank will not capitalize the asset and treat the assets as a revenue expenditure. So, in this case ,asset will not eligible for capitalization .

7.7 If the value of single asset is more than Rs.1000/- but less than Rs.5000/-, it will be eligible for capitalization. However, depreciation will be applicable to the extent of 100% of value of asset at the end of the financial year. Thereafter, it will carry Rs.1/- in the books.

7.8 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.9 In respect of leasehold properties, premium is amortized over the period of lease.

7.10 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. STAFF BENEFITS

8.1 Contribution to Provident Fund and National Pension System is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Funds. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement is made based on actuarial valuation at the year-end.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. TAXES ON INCOME

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognized on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

10. EARNINGS PER SHARE

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year-end except where the results are anti-dilutive.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

SCHEDULE 18

NOTES TO ACCOUNTS TO STANDALONE FINANCIAL STATEMENT

1. INVESTMENTS:

1.1 In accordance with Reserve Bank of India guidelines, the investments portfolio of the bank has been classified into three categories, as given below:

(₹ in crore)

Category	Gross Book Value*		Percentage to * Total Investments (%)	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
Held to Maturity	92 288.38	85 711.46	83.10	84.93
Available for Sale	16 068.28	15 205.49	14.47	15.07
FVTPL	1 498.86	0	1.35	0
FVTPL_HFT	380.70	0	0.34	0
Subsidiaries, Joint Ventures & Associates	815.23	0	0.73	0
Total	**1 11 051.45**	**1 00 916.75**	**100.00**	**100.00**

* On 01.04.2024 the Bank has implemented the RBI Master Directions-Classification, Valuation and Operations of Investments Portfolio of Commercial Bank (Directions), 2023, DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023, hence figures of year ended 31st March 2025 are not comparable with figures as of 31st March 2024.

1.2 In respect of investments held above the face value, premium of ₹ 82.20 Crores was amortized during the year (previous year ₹ 45.28 Crore). During the financial Year, an amount of ₹ 295.23 Crore was accrued as discount on investments held below the face value (previous year NIL as discount accrued was not applicable). These are accounted in Interest Income as per the extant directions of Reserve Bank of India.

Further, a sum of ₹ 4100 Crore (Face Value) being non-Interest bearing GOI Recapitalization Bonds investments are maturing from March 2031 to March 2036 and held under Held to Maturity category. They are valued as per the extant directions of RBI and discounted on monthly intervals. As on 31.03.2025, the carrying cost of these bonds is ₹ 2,553.94 Crore as against ₹ 2368.85 Crore as on the date of transition.

1.3 Securities of Face Value for ₹ 517.00 Crore (previous year ₹ 517.00 Crore) towards CCIL Settlement Guarantee Fund/Default Fund and securities for ₹ 12,918.00 Crore (previous year ₹ 13,018.00 Crore) towards collateral for borrowing under TREPS/Default Fund have been kept with Clearing Corporation of India Limited. Besides, securities to the extent of ₹ 132.10 Crore (previous year ₹ 127.10 Crore) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations and ₹ 15.00 Crore (previous year ₹ 15.00 Crore) held for Currency derivative segment. The Bank has placed securities of face value ₹ 3,000 Crore (previous year ₹ 3,500 Crore) with Reserve Bank of India for intraday borrowing. The Bank has also placed Securities to the extent ₹ 17,500 Crore (previous year ₹ 16,000 Crore) with Reserve Bank of India for our borrowing under the LAF window.

1.4 Shares under Investments in India in Regional Rural Bank – Odisha Gramya Bank is ₹ 606.90 Crore (previous year ₹ 606.90 Crore).

1.5 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and under Reserve Bank of India's Open Market Operations (OMO). The extent of sale by the Bank under OMO was ₹ 680.67 Crore (BV)

[previous year: NIL] and earned a profit of ₹ 4.72 Crore [previous year: NIL]. The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of ₹ 3,991.33 Crore (BV) [previous year ₹ 1,668.52 Crore] (within 5%, prescribed limit of Reserve Bank of India) and booked a profit of ₹ 51.74 Crore [previous year ₹ 14.20 Crore]. In accordance with the RBI guidelines the profit on sale of Government Securities under HTM category has been taken to Profit & Loss account and subsequently has been appropriated to capital reserve account (Net of taxes and amount to be transferred to Statutory Reserve).

1.6 Value of Investments:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
1. Gross Value of Investment		
a. In India	1 07 978.78	96 752.28
b. Outside India	4 032.30	4 164.79
2. Provision for Depreciation		
a. In India	959.65	1 275.63
b. Outside India	6.59	9.36
3. Net Value of Investment		
a. In India	1 07 019.13	95 476.65
b. Outside India	4 025.70	4 155.43

1.7 Details of Book value of Investment in Security Receipts the details of Book value of Investment in Security Receipts may be disclosed as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Book value of Investment in Security Receipts		
(i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	421.37	416.47
(ii) Backed by NPAs sold by the other Banks/Financial Institutions/Non-Banking companies as under lying	0	0
Total	421.37	416.47

Additional Disclosure on Book value of Investment in Security Receipts

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	SRs Issued within Past 5 Years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 Years	SRs issued more than 8 Years ago
(i) Book value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	421.37	0.00	1175.20
Provision held against (i)	0.00	0.00	1175.20
(ii) Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/ Financial Institution/ Non Banking Financial Companies as under lying	0.00	0.00	0.00
Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
Total Provisions (i)+(ii)	0.00	0.00	1175.20

1.8 With effect from April 1,2024, the bank has implemented master directions issued by RBI on Classification, Valuation and Operations of Investments Portfolio of Commercial Bank (Directions), 2023, DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023 which has introduced significant changes in the basis of classification and accounting of investments and recognition of fair valuation of gains/losses. Accordingly, in the standalone financial results, the bank has accounted net loss of ₹ 1413.53 Crore in General Reserve at transition (as on 31.03.2025 ₹ 1315.57 Crore after transferring ₹ 97.96 Crore held in Investment Reserve Account (IRA)). There was a net gain of ₹ 390.57 Crore in AFS Reserve (net of tax) for the financial year which is not available for any distribution in accordance with RBI directions referred above.

Subsequent to the said transition, fair value of performing investments under AFS and Fair value through Profit & Loss (FVTPL) including Held for Trading (HFT) categories during the FY 2024-25 are recognized through AFS Reserve and Profit and Loss Account respectively. Accordingly amounts for the previous periods are not comparable.

2. INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE

As per Reserve Bank of India circular number RBI/DOR/2023-24/104DOR.M.RG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023, an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created until the amount of IFR is at least two percent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:

a. Net profit on sale of Investments during the year

b. Net profit for the year less mandatory appropriations

c. During the year ended on March 31st, 2025, an amount of ₹100 crore has been transferred to IFR.

d. During the year ended on March 31st, 2025, an amount of NIL has been draw down from IFR.

3. ADVANCES

3.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

3.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

3.3 In assessing the reliability of certain advances, the estimated value of security, Central Government Guarantees etc., have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

3.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

4. FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT)

The Profit on sale of assets during the year was ₹ 17959457.20 (Rupees one Crore seventy-nine lakh fifty-nine thousand four hundred fifty seven and twenty paise only) out of which an amount of ₹ 1.35 crore has been transferred to capital reserve as per the consistent practice followed by the Bank.

5. INTER BRANCH RECONCILIATION/ INTERNAL OFFICE ACCOUNTS

Reconciliation of Inter Branch transactions and internal/ office accounts is under progress at different stages at the branches and /or Central Office Departments. Steps are being taken to eliminate the outstanding entries at the earliest. The necessary accounting adjusts if any required shall be carried out on the completion of such process. The management however does not anticipate any material consequential effect of pending reconciliation and elimination of outstanding entries.

6. CAPITAL AND RESERVES

- During the Financial Year 2024-25, the Bank has issued 35,41,77,539 equity shares having Face Value of ₹ 10 each for cash to Qualified Institutional Buyers (QIB) pursuant to Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended at a premium of ₹ 30.57 per share aggregating to ₹ 1436.89 Crore. This has resulted in an increase of ₹ 354.18 Crore in the issued and paid-up Equity Share Capital and ₹ 1078.60 Crore (net of share issue expenses of ₹ 4.11 crore) in Share Premium Account.
- The paid-up capital of the Bank stands at ₹ 19,256.59 Crore as on March 31st 2025. The Government of India shareholding stands at 94.61% as on March 31st, 2025.
- During the Financial Year 2024-25, Bank has not issued Basel III Tier II Bonds.

7. TAXES

7.1 In the opinion of management provisions under section 115 JB (Minimum Alternate Tax) of the Income Tax Act, 1961 are not applicable to the Bank. Therefore, bank has not provided any amount towards provision for MAT/ Income tax.

7.2 Tax paid in advance (Net of provisions) is under reconciliation. This is on account of amounts pending assessment/under appeal/ tax paid under dispute. [Refer Schedule 11(iii)].

7.3 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating ₹ 4061.92 Crore (previous year ₹ 8450.79 Crore), Service Tax aggregating to ₹ 256.24 Crore (previous year ₹ 238.42 crore) and Goods and Service Tax aggregating to ₹ 1615.29 crore (Previous year ₹ 1071.78 crore) towards contingent liabilities.

7.4 Tax expense for the year amounting to ₹ 1177.01 crore includes Current Tax expense of ₹ 17.01 crore and Deferred Tax expense of ₹ 1160.00 crore – refer note no.18.8.

7.5 The Bank has a carried balance of Net Deferred Tax Assets up to March 31,2025 aggregating to ₹ 3863.98 crore which was recognized in earlier periods and on estimated basis bank has reversed deferred tax asset amounting to ₹ 500.00 crores for the quarter (31.03.2025) and ₹ 1160.00 crore for the year ended 31.03.2025. In the opinion of the management, the carrying amount of DTA is fully realizable.

7.6 As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

8. There has not been any reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises.

DISCLOSURES AS PER RESERVE BANK OF INDIA REQUIREMENTS:

1. REGULATORY CAPITAL

a. Composition of Regulatory Capital

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves (net of deductions, if any)	28 972.20	20 839.72
ii)	Additional Tier 1 capital/ Other Tier 1 capital	0.00	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	28 972.20	20 839.72
iv)	Tier 2 capital	4 412.00	4 034.78
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	33 384.20	24 874.50
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	16 9 083.88	1 43 979.05
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs	17.13%	14.47%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	17.13%	14.47%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.61%	2.80%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	19.74%	17.28%
xi)	Leverage Ratio	6.90%	5.66%
xii)	Percentage of the shareholding of		
	a) Government of India	94.61%	96.38%
	b) State Government (specify name) $	N.A.	N.A.
	c) Sponsor Bank$	N.A.	N.A.
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	354.18	NIL
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	NIL	NIL
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which Basel III Tier II Bonds	NIL	NIL

$ Percentage of shareholding of State Government and Sponsor Bank is applicable only for RRBs.

b. Draw down from Reserves

Drawdown from the reserves during the financial year 2024-25 is NIL.

2. ASSET LIABILITY MANAGEMENT

a. Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31st ,2025

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	2 767.49	3 119.46	24 956.30	346.40	3 833.26	2 771.40
2 to 7 days	5 502.45	4 681.06	6 558.33	4 971.25	2 721.74	2 927.90
8 to 14 days	5 341.41	7 616.70	1 338.61	1 212.16	2 012.01	2 101.96
15 Days – 30 Days	9 579.20	5 098.65	2 931.32	4 406.46	6 549.99	7 227.34
31 Days – 2 Months	17 503.43	9 518.10	4 201.43	1 789.93	4 198.58	3 441.13
2 Months – 3 Months	18 036.21	13 795.39	4 587.94	3 463.92	3 026.47	1 996.46
3 Months – 6 Months	43 326.62	22 976.36	10 702.73	5 098.00	6 429.34	8 712.32
Over 6 Months & Upto 1 year	68 408.86	26 370.14	18 021.16	10 637.36	6 032.64	7 156.68
Over 1 year & up to 3 years	42 787.04	74 811.86	13 153.05	8 123.44	4 471.43	3 710.33
Over 3 years & up to 5 years	14 004.94	24 744.14	3 910.64	503.96	2 188.03	656.50
Over 5 years	84 681.18	57 286.99	20 683.33	1 674.77	2 383.13	3 144.60
Total	3 11 938.83	2 50 018.85	1 11 044.84	42 227.65	43 846.62	43 846.62

Maturity pattern of assets and liabilities as at March 31st, 2024

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Cur-rency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	3 494.40	3 968.11	13 823.20	249.53	3 810.85	2 570.05
2 to 7 days	9 008.35	3 573.95	12 318.52	7 650.21	3 037.05	2 790.44
8 to 14 days	8 653.41	5 566.81	1 831.97	793.69	1 202.81	2 366.72
15 Days – 30 Days	8 436.83	4 737.00	2 016.11	1 283.08	5 708.97	6 474.06
31 Days – 2 Months	11 797.55	9 761.01	3 188.78	435.65	6 530.04	5 472.58
2 Months – 3 Months	11 538.39	9 576.75	3 155.22	2 764.19	12 085.62	5 245.23
3 Months – 6 Months	31 628.76	20 060.11	8 140.34	5 902.82	3 354.73	10 967.61
Over 6 Months & Upto 1 year	47 420.13	32 878.82	11 726.85	6 533.07	1 925.79	3 395.67
Over 1 year & up to 3 years	1 46 920.56	56 946.67	36 529.83	2 608.42	3 385.02	798.20
Over 3 years & up to 5 years	5 059.18	20 773.90	2 200.81	1.50	932.69	651.07
Over 5 years	1 947.80	51 175.33	4 700.43	2 165.00	1 743.50	2 985.30
Total	2 85 905.36	2 19 018.46	99 632.06	30 387.16	43 717.07	43 716.93

b. Liquidity coverage ratio (LCR)

Reserve Bank of India had introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR) vide circular No RBI/2014-15/529 DBR. No. BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31,2015 which has been modified from time to time, in order to ensure short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The minimum LCR requirement set out in the Reserve Bank of India guidelines for the bank effective for FY 2024-25 is 100%.

Definition of LCR: $\frac{\text{Stock of high-quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$

In the stock of high-quality liquid assets (HQLA), there are two categories of assets, viz. Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are sub-divided into Level 2A and Level 2B assets on the basis of their price-volatility. Each category includes assets which the bank is holding on the first day of the stress period. Level 1 assets are with 0% haircut while in Level 2, 2A assets are with a minimum 15% haircut and Level 2B Assets, with a minimum 50% haircut.

The total net cash outflows is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

Details of LCR for FY 2024-25 (Four Quarters) & Quarter Ended March 2024:

(Amount in ₹ crore)

Details	Quarter Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.12.2024	Quarter Ended 30.09.2024	Quarter Ended 30.06.2024	Quarter Ended 31.0.2024
HQLA	79 145.04	75 594.21	74 050.96	67 762.45	61 725.29
Total Net cash Outflows	62 680.15	55 527.79	58 865.46	57 560.75	44 430.36
LCR in %	126.27	136.14	125.80	117.72	138.93

Bank has calculated LCR for all working days for the March 2025 quarter based on the data extracted from the bank's database through the program specifically designed for this purpose. Bank's LCR for the quarter ended March 31st 2025 stands at 126.27 % based on daily average of three months (Q4 FY 2024-25) and is well above the present minimum requirement prescribed by Reserve Bank of India of 100% for the Quarter ended March, 2025. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

The detailed Quantitative disclosure is placed below:

Liquidity Management in the Bank is driven by the ALM Policy of the Bank and regulatory prescriptions. The Domestic and Overseas Centers are reporting to the Asset Liability Management Committee (ALCO). The ALCO has been empowered by the Bank's Board to formulate the Bank's funding strategies to ensure that the funding sources are well diversified and is consistent with the operational requirements of the Bank. All the major decisions of ALCO are being reported to Risk Management Committee of Board (RMCB) periodically. In addition to daily/monthly LCR reporting, Bank prepares daily Structural Liquidity statements to assess the liquidity needs of the Bank on an ongoing basis.

The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources, and such funding sources are well diversified. Management is of the view that the Bank has sufficient liquidity cover to meet its likely future short-term requirements.

Annexure to the Quantitative Disclosure:

(Amount in ₹ crore)

		Jun-24		Jun-23		Sep-24		Sep-23	
		Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		67 762.45		65 135.35		74050.96		66 334.58
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	221 886.43	21 638.10	2 05 246.75	19 197.75	2 21 292.57	21 528.27	2 11 340.59	19 767.93
(i)	Stable deposits	11 010.78	550.54	26 538.41	1326.92	12 019.71	600.99	27 322.68	136.13
(ii)	Less stable deposits	2 10 875.66	2 1087.57	1 78 708.34	17 870.83	2 09 272.86	20 927.29	1 84 017.91	18 401.79
3	Unsecured wholesale funding, of which:	62 122.10	39 352.03	47 920.97	23 941.17	59 710.83	37831.48	54 082.57	27 010.27
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	62 122.10	39 352.03	47 920.97	23 941.17	59 710.83	37 831.48	54 082.57	27 010.27
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	6 077.30	0.00	4 753.98	290.16	4 825.51	0.00	5 214.87	1 367.53
5	Additional requirements, of which	17 745.67	2 695.20	12 477.02	1 859.93	14 436.70	2 221.14	14 153.19	2 017.54
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	432.73	432.73	808.46	808.46	224.39	224.39	810.90	810.90
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	17 312.94	2262.70	11 668.56	1 051.47	14 212.31	1 996.75	13 342.29	1 206.64
6	Other contractual funding obligations	4 684.05	4 684.05	0.00	0.00	6 569.72	6 569.72	0.00	0.00
7	Other contingent funding obligations	18 335.03	553.71	15 537.54	466.46	18 924.64	568.16	17 107.07	513.40
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		68 923.09		45 755.47		68 718.77		50 676.67
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g., reverse repos)	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	34.71	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	20 144.10	10 678.66	9 630.42	5 407.17	15 880.94	9 253.13	88 78.73	5 171.76
11	Other cash inflows	683.68	683.68	592.16	588.93	600.18	600.18	2 168.27	2 166.77
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	20 827.78	11 362.34	10 229.72	5 996.10	16 481.12	9 853.31	11 081.71	7 338.53
13	**TOTAL HQLA**		67 762.45		65 135.35		74 050.96		6 634.58
14	**TOTAL NET CASH OUTFLOWS**		57 560.75		39 759.37		58 865.45		43 338.14
15	**LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)**		117.72%		163.82%		125.80%		153.06%

		Dec-24		Dec-23		Mar-25		Mar-24	
		Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		7 5594.21		62 640.51		79 145.04		61 725.29
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	2 24 127.97	21 798.20	21 6117.99	20 216.43	2 29 543.66	22 319.07	21 9726.53	20 565.56
(i)	Stable deposits	12 291.90	614.60	27 907.45	1 395.37	12 705.96	635.30	2 8141.89	1 407.09
(ii)	Less stable deposits	2 11 836.07	21 183.61	1 88 210.54	18 821.05	2 16 837.70	21 683.77	19 1584.64	19 158.46
3	Unsecured wholesale funding, of which:	53 256.22	33 272.63	55 182.14	27 616.31	67 040.44	41 903.33	5 4995.09	28 485.66
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	53 256.22	33 272.63	55 182.14	27 616.31	67 040.44	41 903.33	5 4995.09	28 485.66
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	6 765.82	0.00	7 145.04	1 762.16	4 716.98	0.00	10 658.54	0.00
5	Additional requirements, of which	16 519.01	2 474.17	15 168.96	2 058.76	15 545.40	2 311.43	16 293.91	2 340.31
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	177.39	177.39	743.74	743.74	6.71	6.71	575.43	575.43
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	16 341.62	2 296.78	14 425.22	1 315.02	15 538.69	2 304.72	15 718.48	1 764.88
6	Other contractual funding obligations	4 977.98	4 977.98	460.26	460.26	4 531.35	4 531.35	2392.93	2 392.93
7	Other contingent funding obligations	19 763.51	592.91	17 357.57	520.73	20 076.63	602.30	17 388.27	521.70
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		63 115.89		52 634.65		71 667.48		54 306.16
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g., reverse repos)	0.00	0.00	298.85	27.88	0.00	0.00	484.55	44.19
10	Inflows from fully performing exposures	12 476.21	7 084.96	11 160.61	6 014.24	14 196.48	8 565.75	17 974.27	9 152.73
11	Other cash inflows	503.14	503.14	2 032.99	2 032.99	421.58	421.58	1 029.31	678.88
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	12 979.35	7 588.10	13 492.44	8 075.11	14 618.06	8 987.33	19 488.13	9 875.80
13	**TOTAL HQLA**		75 594.21		62 640.51		79 145.04		61 725.29
14	**TOTAL NET CASH OUTFLOWS**		55 527.79		44 559.54		62 680.15		44 430.36
15	**LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)**		136.14%		140.58%		126.27%		138.93%

1. Unweighted values are calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) except where otherwise mentioned in the Circular and LCR template.
2. Weighted values are calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows).
3. Adjusted values are calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates and (ii) any applicable caps (i.e. cap on level 2B and level 2 assets for HQLA and cap on inflows).
4. The Disclosure pertaining to first three quarters of FY 2024-25 are as compiled by the management and relied upon by the auditors.

c. Net Stable Funding ratio (NSFR)

Reserve Bank of India introduced the Net Stable Funding Ratio (NSFR) in order to promote resilience of Banks over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The minimum NSFR requirement set out in the Reserve Bank of India guidelines effective from October 1, 2021 is 100%

Definition of NSFR: $\frac{\text{Available Stable Fund (ASF)}}{\text{Required Stable Fund (RSF)}}$

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. Available stable funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of required stable funding (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.

Details of NSFR for the quarter ended June 2024, Sept' 2024, Dec'2024 & Mar'2025:

(Amount in ₹ crore)

Details	Mar 2025 Quarter	Dec 2024 Quarter	September 2024 Quarter	June 2024 Quarter
Available stable funding (ASF) (Weighted Value)	2 78 278.16	2,64,267.44	2,68,374.70	2,70,901.56
Required Stable Fund (RSF) (Weighted Value)	2 08 012.52	2,06,203.94	2,01,102.00	1,94,430.64
NSFR in %	133.78%	128.16%	133.45%	139.33%

Bank has calculated NSFR for **March 31st 2025** which stands at 133.78% which is well above the Reserve Bank of India prescribed minimum requirement of 100%. Bank's majority funding is from Retail and Small Business customers, which provide high stability with regard to stability of Funding. Bank is having enough stable sources of funding to fund their activities on an ongoing basis over a longer-term time horizon.

The detailed Quantitative disclosure is placed below

	(₹ in Crore)	For Quarter Ended Dec 2024 NSFR Disclosure Template					For Quarter Ended Mar 2025 NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
		ASF Item									
1	Capital: (2+3)	28 720.8645	0.00	0.00	0.00	28 720.8645	32 581.14	0.00	0.00	2065	34 646.14
2	Regulatory capital	28 720.8645	0.00	0.00	0.00	28 720.8645	32 581.14	0.00	0.00	2065	34 646.14
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2 37 440.10	0.00	0.00	4 483.92	2 18 838.12	1 01 491.00	1 40 979.44	698.57	7 361.10	2 26 883.34
5	Stable deposits	13 162.13	0.00	0.00	4 483.92	16 987.94	11 508.53	1 839.88	64.08	637.74	13 379.59
6	Less stable deposits	2 24 277.98	0.00	0.00	0.00	2 01 850.18	89 982.47	1 39 139.56	634.49	6 723.36	2 13 503.75
7	Wholesale funding: (8+9)	32 675.81	0.00	741.11	0.00	16 708.46	0.00	19 872.63	10 872.48	107.40	15 426.25
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	32 675.81	0.00	741.11	0.00	16 708.46	0.00	19 872.63	10 872.48	107.40	15 426.25
10	Other liabilities: (11+12)	72 769.40	81.53	0.00	0.00	0.00	31 133.45	38 668.97	185.06	15.70	1 322.43
11	NSFR derivative liabilities		81.5326	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	72 769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	31 133.45	38 668.97	185.06	15.70	1 322.43
13	Total ASF (1+4+7+10)					2 64 267.44					2 78 278.16
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3 542.21					3 877.32
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	330.93	0.00	0.00	0.00	165.46	469.60	20.70	68.92	713.99	183.14
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	44 171.92	53 938.30	49 768.93	11 3879.55	1 81 365.88	40 694.26	54 900.18	64 374.90	1 01 077.17	1 73 049.12
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00

	(₹ in Crore)	For Quarter Ended Dec 2024 NSFR Disclosure Template					For Quarter Ended Mar 2025 NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	4 854.57	2 869.73	23 550.32	25 713.37	550.06	6 092.86	2 099.54	7 310.23	9 796.96
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	44 171.92	49 083.73	46 899.20	42 286.91	1 18 334.81	3 9001.45	47 074.08	60 349.74	46 035.05	1 24 105.44
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	8 038.17	0.00	0.00	7 695.14	10 226.65	1 001.96	604.07	1 496.04	8 589.90	7 284.76
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	24 247.08	17 091.75	39.03	1 711.21	1 497.18	24 022.80	17 830.61
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	1 7591.34	11 434.37	39.03	1 416.25	1 314.77	17 614.00	12 839.98
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	23 795.25	20 225.96	1 103.72	22.02	428.44	23 709.08	21 316.11
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	10 013.06	91.10	83.15	10 156.69	20 232.83	1 587.97	565.10	155.27	28 535.51	29 924.75
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00	0.00				0.00

	(₹ in Crore)	For Quarter Ended Dec 2024 NSFR Disclosure Template					For Quarter Ended Mar 2025 NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	741.11	629.94		0.00	0.00	741.11	629.94
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00		40.28	0.00	0.00	40.28
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		4.08	0.00	0.00	4.08		2.01	0.00	0.00	2.01
29	All other assets not included in the above categories	10 013.06	87.02	83.15	9 415.58	19 598.81	1 587.91	522.81	155.27	27 794.40	29 252.52
30	Off-balance sheet items		1 338.82	1 279.23	17 472.70	897.56		21 753.91	61.07	102.24	978.21
31	**Total RSF (14+15+16+24+30)**					2 06 203.94					2 08 012.53
32	**Net Stable Funding Ratio (%)**					128.16%					133.78%

	(Amount ₹ in Crore)	For Quarter Ended Jun 2024 NSFR Disclosure Template					For Quarter Ended Sep 2024 NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	25811.2	0.00	0.00	0.00	25811.2	28705.71	0.00	0.00	0.00	28705.71
2	Regulatory capital	25811.2	0.00	0.00	0.00	25811.2	28705.71	0.00	0.00	0.00	28705.71
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	227762.81	0.00	0.00	3770.67	210275.46	231988.76	0.00	0.00	7003.28	216426.27
5	Stable deposits	30365.27	0.00	0.00	3770.67	32617.67	12662.14	0.00	0.00	7003.28	19032.31
6	Less stable deposits	197397.54	0.00	0.00	0.00	177657.79	219326.62	0.00	0.00	0.00	197393.96
7	Wholesale funding: (8+9)	66204.38	0.00	3425.41	0.00	34814.89	46485.43	0.00	0.00	0.00	23242.72
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	66204.38	0.00	3425.41	0.00	34814.89	46485.43	0.00	0.00	0.00	23242.72
10	Other liabilities: (11+12)	7373.84	16.87	0.00	0.00	0.00	46030.09	11.33	0.00	0.00	0.00
11	NSFR derivative liabilities		16.8687	0.00	0.00			11.33	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	7373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46030.09	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Total ASF (1+4+7+10)					270901.56					268374.70
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3614.70					3903.02
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	356.46	0.00	0.00	0.00	178.23	479.27	0.00	0.00	0.00	239.63
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	49246.08	41426.53	35079.85	128803.49	185945.35	38258.24	49526.66	43198.39	117279.21	175714.74
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	(Amount ₹ in Crore)	For Quarter Ended Jun 2024 NSFR Disclosure Template					For Quarter Ended Sep 2024 NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	288.93	747.29	27054.30	27471.29	0.00	3777.17	1181.10	27053.18	28210.30
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	49246.08	41137.60	34332.56	54226.93	122371.71	38258.24	45749.49	42017.29	42127.75	110105.03
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	7889.58	0.00	0.00	8687.55	10775.13	5012.63	0.00	0.00	5519.62	6845.96
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	23307.44	15519.76	0.00	0.00	0.00	24037.52	16947.76
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	21457.84	13947.60	0.00	0.00	0.00	17420.66	11323.43
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	24214.82	20582.59	0.00	0.00	0.00	24060.76	20451.65
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	1534.58	132.04	110.20	2109.65	3787.16	9461.39	112.88	103.15	10938.56	20505.62
25	Physical traded commodities, including gold					0.00	0.00				0.00

	(Amount ₹ in Crore)	For Quarter Ended Jun 2024 NSFR Disclosure Template					For Quarter Ended Sep 2024 NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	662.10	562.79		0.00	0.00	735.68	625.33
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00		0.57	0.00	0.00	0.57
29	All other assets not included in the above categories	1534.58	132.04	110.20	1447.55	3224.37	9461.39	112.31	103.15	10202.88	19879.72
30	Off-balance sheet items		1258.63	1050.43	13798.36	905.20		1169.73	1074.30	13863.38	738.99
31	**Total RSF (14+15+16+24+30)**					194430.64					201102.00
32	**Net Stable Funding Ratio (%)**					139.33%					133.45%

Note: The disclosure pertaining to first three quarters of FY 2024-25 are as complied by the management and relied upon by the auditors.

3. INVESTMENTS

a) Composition of Investment Portfolio As at March 31st 2025@

(Amount in ₹ crore)

	Investments in India							Investments outside India				
	Govern-ment Securities	Other Approved Securities	Shares	Deben-tures and Bonds	Subsidiar-ies and/ or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiar-ies and/ or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments
Held to Maturity												
Gross	86 977.44	0.00	0.00	1 807.67	0.00	0.00	88 785.11	3 455.77	0.00	47.50	3 503.27	92 288.38
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	86 977.44	0.00	0.00	1 807.67	0.00	0.00	88 785.11	3 455.77	0.00	47.50	3 503.27	92 288.38
Available for Sale												
Gross	14 588.40	0.00	682.20	687.60	0.00	0.00	15 958.20	244.22	0.00	37.58	281.80	16 240.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	171.72	0.00	0.00	171.72	0.00	0.00	0.47	0.47	172.19
Net	14 588.40	0.00	682.20	515.88	0.00	0.00	15 786.48	244.22	0.00	37.11	281.33	16 067.81
Fair value through profit and loss (FVTPL)												
Gross	0.00	1.01	642.11	982.31	0.00	613.70	2 239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 239.13
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	1.01	553.30	233.62	0.00	0.00	787.93	0.00	0.00	0.00	0.00	787.93
Net	0.00	0.00	88.81	748.69	0.00	613.70	1 451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 451.20
Fair value through profit and loss_ Held for trading (FVTPL_HFT)												
Gross	0.00	0.00	380.70	0.00	0.00	0.00	380.70	0.00	0.00	47.66	47.66	428.36
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	380.70	0.00	0.00	0.00	380.70	0.00	0.00	47.66	47.66	428.36

	Investments in India							Investments outside India				
	Govern-ment Securities	Other Approved Securities	Shares	Deben-tures and Bonds	Subsidiar-ies and/ or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiar-ies and/ or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments
Subsidaries, Joint Ventures & Asso-ciates												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	615.65	0.00	615.65	0.00	199.58	0.00	0.00	815.23
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	0.00	0.00	6.14
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	615.65	0.00	615.65	0.00	193.44	0.00		809.09
Total Investments	1 01 565.84	1.01	1 705.01	3 477.58	615.65	613.70	1 07 978.79	3 699.99	199.58	132.74	4 032.31	11 20 11.10
Less: Provision for non-performing investments	0.00	1.01	533.30	405.34	0.00	0.00	959.65	0.00	0.00	0.00	0.00	959.65
Less: Provision for depreciation and NPI #	0.00	1.01	553.30	405.34	0.00	0.00	959.65	0.00	6.14	0.47	6.61	966.26
Net	1 01 565.84	0.00	1 151.71	3 072.24	615.65	613.70	10 7019.14	3 699.99	193.44	132.27	4 025.70	111044.84

@ the format provided as per the Master Direction on Financial Statements - Presentation and disclosures issued by RBI as updated 1st April 2025 has been amended to incorporate the investment made by the Bank in Fair Value through Profit and Loss Account (FVTPL) held for Trading (HFT) as per RBI Master Directions-Classification, Valuation and Operations of Investments Portfolio of Commercial Bank (Directions), 2023, DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023

The Bank is holding equity and NCDs issued by M/s. TCI Sanmar Chemicals SAE under NPI investments of Hong Kong Branch as shown under Schedule -8 Investment Overseas). Since the account is under substandard category, the Bank is holding provision against the said investment exposure as under:

Type of Investment	Amount of provision as on 31.03.2025 (INR)
TCI SANMAR CHEM.SAE – EQUITY	47 65 66 190.06
TCI SANMAR CHEM.SAE – NCD	31 18 33 062.60
TOTAL	78 83 99 252.66

The above mentioned provision is held in books of Central Office.

Composition of Investment Portfolio As at March 31st 2024.

	Investments in India							Investments outside India				
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments
Held to Maturity												
Gross	81 230.16	1.01	0.00	0.00	606.9	22.07	81 860.14	3 549.11	199.57	100.69	3 849.37	85 709.51
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.00	6.13	0.00	6.13	6.2
Net	**81 230.16**	**0.99**	**0.00**	**0.00**	**606.9**	**22.02**	81 860.07	**3 549.11**	**193.44**	**100.69**	**3 843.24**	**85 703.31**
Available for Sale							0.00					
Gross	10 478.08	0.00	1 950.51	3 067.53	0.00	487.95	15 984.07	285.37	0.00	29.73	315.1	16 299.17
Less: Provision for depreciation and NPI	56.11	0.00	1 347.83	524.58	0.00	438.96	2 367.48	0.00	0.00	2.92	2.92	2 370.4
Net	**10 421.97**	**0.00**	**602.68**	**2 542.95**	**0.00**	**48.99**	**13 616.59**	**285.37**	**0.00**	**26.81**	**312.18**	**18 663.73**
Held for Trading							0					
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Investments	**91 708.24**	**1.01**	**1 950.51**	**3 067.53**	**606.9**	**510.02**	**97 844.21**	**3 834.48**	**199.57**	**130.42**	**4 164.47**	**1 02 008.68**
Less: Provision for non-performing investments #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	2.92	9.05	9.05
Less: Provision for depreciation and NPI	56.11	0.02	1 347.83	524.58	0	439.01	2 367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 367.55
Net	**91 652.13**	**0.99**	**602.68**	**2 542.95**	**606.9**	**71.01**	**95 476.66**	**3 834.48**	**193.44**	**127.5**	**4 155.42**	**99 632.08**

The Bank is holding equity and NCDs issued by M/s. TCI Sanmar Chemicals SAE under NPI investments of Hong Kong Branch as shown under Schedule -8 Investment Overseas) as certified by the SCAs. Since the account is under substandard category, the Bank is holding provision against the said investment exposure as under:

Type of Investment	Amount of provision as on 31.03.2024 (₹)
TCI SANMAR CHEM.SAE – EQUITY	46 50 24 053.40
TCI SANMAR CHEM.SAE – NCD	30 48 92 801.68
TOTAL	76 99 16 855.08

The above mentioned provision is held in the books of central office.

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a. Opening Balance	1284.67	2100.97
b. Add: Provisions made during the year	0.00	2573.57
c. Less: Write off/write back of excess provisions during the year	*1278.07	3389.87
d. Closing Balance	6.60	1284.67
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve	0	0
a. Opening Balance	390	390
b. Add: Amount transferred during the year	100	0
c. Less: Drawdown	0	0
d. Closing balance	490	390
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category (Book value)	2.55%	2.62%

***** As per the RBI Master Direction-Classification, Valuation and Operations of Investments Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023, DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September12, 2023, The balance in provision for depreciation as at March 31, 2024, is transferred to General/Revenue Reserve.

c) Sale and transfers to/from HTM category/Permanent Category

Sale from Held To Maturity category (above the prescribed limit of 5%) during the current year: Nil [Previous Year: Nil]. Transfer To/From Held To Maturity Category other than the Category Transfer allowed by Reserve Bank of India at the beginning of the Year: NIL

As per Master Circular-Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions) 2023 dated 12.09.2023 issued by Reserve Bank of India, after transition i.e., 01.04.2024, Banks shall not reclassify investments between categories (viz HTM, AFS and FVTPL) without prior approval of their Board and the Department of Supervision (DoS), RBI.

d) Non-SLR Investment Portfolio

i) Non-performing non-SLR investments (Amount in ₹ crore)

Sr.No.	Particulars	2024-25	2023-24
a)	Opening balance as on 1st April	2 476.50	2 305.16
b)	Additions during the year since 1st April	99.32	288.77
c)	Reductions during the above period	433.89	117.43
d)	Closing balance as on 31st March	2 141.93	2 476.50
e)	**Total provisions held**	2 220.77	2 553.49

ii) Issuer composition of non-SLR investments (Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24
a)	PSUs	22 594.42	23 653.69	22 529.41	23 605.05	-	-	-	-	60.00	-
b)	FIs	578.97	380.50	572.42	364.40	-	-	-	-	-	-
c)	Banks	744.45	1 209.89	681.44	1 136.76	-	8.75	-	8.75	-	8.75
d)	Private Corporates	2 877.12	2 341.40	2 566.40	2 018.38	-	18.75	47.66	65.25	47.50	65.19
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	815.23	806.48	615.65	-	8.75	-	8.75	-	8.75	-
f)	Others	3 699.99	3 834.47	-	-	-	-	-	-	-	-
g)	Provision held towards depreciation	-6.61	-1 284.67	-	-770.53	-	-	-	-	-	-
	Total *	31 303.57	30 941.76	26 965.32	26 354.06	8.75	27.50	56.41	74.00	116.25	73.94

e) Repo transactions (in face value and market value terms) (Amount in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year 2024-25		Maximum outstanding during the year 2024-25		Daily average outstanding during the year 2024-25		Outstanding as on March 31, 2025	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) Securities sold under repo								
a) Government securities	765.00	713.00	10 422.00	10 259.00	2 252.00	2 192.0	1 993.00	1 995.00
b) Corporate debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) Securities purchased under reverse repo								
a) Government securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

f) Government Security lending (GSL) transactions (In Market value terms) * as at March 31,2025

(Amount in ₹ Crore)

Securities lent through GSL transactions	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31,2025
TREPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB REPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* The disclosure shall be specified in Reserve bank of India (Government of Securities Lending) Directions, 2023 as amended from time to time. For ease of reference the disclosure template as on the date of issuance of this direction has been reproduced here

Government Security lending (GSL) transactions (In Market value terms) * as at March 31,2025 (Amount in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on 31.03.2025
Securities lent through GSL transaction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities borrowed through GSL transaction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities placed as collateral under GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities received as collateral under GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* The disclosure shall be specified in Reserve bank of India (Government of Securities Lending) Directions, 2023 as amended from time to time. For ease of reference the disclosure template as on the date of issuance of this direction has been reproduced here

Government Security lending (GSL) transactions (In Market value terms) * as at March 31,2024

(Amount in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on 31.03.2024
Securities lent through GSL transaction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities borrowed through GSL transaction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities placed as collateral under GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities received as collateral under GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. ASSET QUALITY

a) Classification of advances and provisions held

(Amount ₹ In Crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub- standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	2 12 224.06	1 204.39	4 480.05	1 109.99	6 794.43	2 19 018.49
Add: Additions during the year					3 627.54	
Less: Reductions during the year					5 074.25	
Closing balance	2 44 671.14	923.07	3 274.91	1 149.74	5 347.72	2 50 018.86
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					305.37	305.37
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					886.04	886.04
iii) Technical/ Prudential Write-offs					3 365.51	3 365.51
iv) Write-offs other than those under (iii) above					517.33	517.33
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	1,483.76	723.02	3662.87	942.40	5 328.29	6 812.05

Add: Fresh provisions made during the year					834.00	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1901.83	
Closing balance of provisions held	2 673.83	396.69	2 857.68	1 006.09	4 260.46	6 934.29
Net NPAs						
Opening Balance		442.84	719.42	54.59	1 216.85	
Add: Fresh additions during the year					225.36	
Less: Reductions during the year					530.35	
Closing Balance		515.31	338.00	58.55	911.86	911.86
Floating Provisions						
Opening Balance						
Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year						
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						31 836.20
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						3 439.92
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						6 815.80
Closing balance						28 460.32

Ratios (in Percent)	2024-25	2023-24
Gross NPA to Gross Advances	2.14%	3.10%
Net NPA to Net Advances	0.37%	0.57%
Provision coverage ratio	97.30%	96.85%

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Sector*	2024-25			2023-24		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	**Priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	70 570.35	1 661.73	2.35%	52 843.66	2 064.73	3.90%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending Services	16 551.74	504.29	3.05%	14 574.89	1 084.45	7.44%
c)	Services	20 452.07	252.81	1.24%	17 602.30	1 018.25	5.78%
d)	Personal loans	8 193.22	303.62	3.71%	13 732.45	487.76	3.55%
	Sub-total (i)	**11 5 767.38**	**2 722.45**	**2.35%**	**98 753.30**	**4 655.19**	**4.71%**
ii)	**Non-priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	3 975.07	11.07	0.28%	2 791.19	33.19	1.18%
b)	Industry	23 422.14	852.95	3.64%	1 7988.5	1 725.64	9.59%
c)	Services	51 484.20	1 310.66	2.55%	50 031.62	33.92	0.07%
d)	Personal loans	54 572.60	450.59	0.83%	48 854.87	346.49	0.71%
	Food Credit	797.46	0	0.00%	599.00	0.00	0.00%
	Sub-total (ii)	**1 34 251.47**	**2 625.27**	**1.96%**	**1 20 265.18**	**2 139.24**	**1.77%**
	Total (i + ii)	**2 50 018.85**	**5 347.72**	**2.14%**	**2 19 018.49**	**6 794.43**	**3.10%**

(*including PSLC SF/MF sale under Agriculture and excluding RIDF, SIDBI & NHB).

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total Assets	29 083.30	30 020.73
Total NPAs	1 382.46	1 356.83
Total Revenue	1 097.95	855.20

d) Particulars of resolution plan and restructuring

i) Particulars of Resolution Plan

The Reserve Bank of India Circular No. RBI/2018-19/2013 DBR No. BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets, where viable resolution plan has not been implemented within 180 days/365 days of review period - Prudential framework:

(Amount in ₹ crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular	Amount of loans to be classified as NPA	Amount of Loans as on 31.03.2025, out of (b) classified as NPA	Provision held as on 31.03.2025	Addl. Provision made during quarter ended 31.03.2025	Provision out of (d) already made by 31.03.2025
2 330.41	2 330.41	2 330.41	1 159.64	1 170.77	2 330.41

e) Divergence in asset classification and provisioning

RBI vide its notification no. RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC. No.45/ 21.04.018/2021-22 dated 30.08.2021(Last updated on 01.04.2024) has made disclosure requirement by the banks where divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning exceed certain thresholds in their Annual report.

For the FY ending 31.03.2024, the banks should disclose divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

(a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI as part of its supervisory process exceeds 5 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and

(b) the additional Gross NPAs identified by RBI as part of its supervisory process exceed 5 per cent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.

If any of the parameter (a) and/or (b) triggers, the information to be reported to the Stock Exchanges.

SEBI vide their circular dated SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11,2023 brought these disclosures under Regulation 30 of SEBI LODR of material events / information and hence, necessitate immediate disclosure, as this information is price sensitive, requiring prompt disclosure. The listed banks shall make disclosures of divergences and provisioning beyond specified threshold, as mentioned in aforesaid RBI notifications, as soon as reasonably possible and not later than 24 hours upon receipt of the Reserve Bank's Final Risk Assessment Report ('RAR'), rather than waiting to publish them as part of annual financial statements published immediately following communication of such divergence by RBI to the bank.

Matrix for Divergence based on RAR for the year ended 31.03.2024:

Accordingly, RBI has formulated matrix for Divergence in Asset Classification and provisioning for NPAs which is as follows:

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March 31, 2024, as reported by the bank	6,794
2	Gross NPAs as on March 31, 2024, as assessed by RBI	6,794
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	0
4	Net NPAs as on March 31, 2024, as reported by the bank	1,217
5	Net NPAs as on March 31, 2024, as assessed by RBI	1,217
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	0

7	Provisions for NPAs as on March 31,2024 as reported by the bank	2,706
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2024 as assessed by RBI	2,706
9	Divergence in provisioning (8-7)	0
10	Reported Profit before Provisions and Contingencies for the year ended March 31,2024	6,780
11	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2024	2,656
12	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2024 after considering the divergence in provisioning	2,638*

*After taking into consideration of Additional Provisions for Standard Assets of ₹ 18 crores as assessed by RBI.

Present Status: The RBI has submitted the divergence report for the year ended 31.03.2024 and assessment of trigger points are as follows:

a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 5 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and

Period ended March 31,2024

(Amount ₹ in Crore)

Reported profit before provisions and contingencies	5% of the reported profit before provisions and contingencies	Additional provisioning for NPA by RBI	Whether Column (C) exceeds Column (B)	Disclosure to Stock Exchanges required
(A)	(B)	(C)	(C > B)	
6,780	339	0	No	No

b) the additional gross NPAs identified by RBI exceed 5 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

Period ended March 31,2024

(Amount ₹ in Crore)

Published incremental Gross NPAs (Additions during the year)	5 % of the published incremental Gross NPAs	Additional gross NPAs identified by RBI	Whether Column (C) exceeds Column (B)	Disclosure to Stock Exchanges required
(A)	(B)	(C)	(C > B)	
1648	165	0	No	No

Since there is no trigger evidenced in either or both of the trigger points, there is no breach by the Bank and accordingly, there is no need for making disclosure as per SEBI LODR regulations/guidelines.

f) Disclosure of transfer of loan exposures

Disclosures as per RBI Master directions ref no RE/DOR/2021-22/86 DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 "Master Direction – Reserve Bank of India (Transfer of loan exposures) Directions, 2021" dated 24.09.2021, the details of loans transferred / acquired during quarter ended March 31,2025 are given below:

i) In respect of "Loans not in default" that are transferred or acquired

a. Co-lending:

Mode of Acquisition	Corporate	Agri		Retail	MSME
	Direct Assignment	Direct assignment -capri global capital	Direct Assignment-IIFL	Direct Assignment	Direct Assignment
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (In Crore)	0	529.75	978.89	0.00	**133.30**
Weighted Average Residual Maturity (in years)	0	Less than 1 year	Less than 1 year	0.00	**0.53**
Weighted Average Holding period by originator (in years)	0	NA	NA	0.00	**Nil**
Tangible Security Coverage (%)	0	139.22	159.18	0.00	**159.82**
Rating wise distribution of loans acquired by value	0	NA	NA	0.00	**Assets are unrated**

b. Pool Buy out:

Mode of Acquisition	Corporate	Agri		Retail	MSME
	Direct Assignment	Direct assignment - capri global capital	Direct Assignment-IIFL	Direct Assignment	Direct Assignment
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (In Crore)	0.00	0.00	0.00	425.03	0.00
Weighted Average Residual Maturity (in years)	0.00	0.00	0.00	20.69	0.00
Weighted Average Holding period by originator (in years)	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00
Tangible Security Coverage (%)	0.00	0.00	0.00	133.84%	0.00
Rating wise distribution of loans acquired by value	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ii) Details of Loans not in Default Transferred: Nil

Details of stressed loans transferred during the year ended 31.03.2025 (Amount in ₹ crore)

	To ARCs			To permitted transferees		To other transferees (please specify)	
	Y.E. 31.03.2025		Y.E. 31.03.2024	Y.E. 31.03.2025	YE 31.03.2024	YE 31.03.2025	YE 31.03.2024
No. of accounts	Individual Corporate Loans	08	7 Individual Corporate Loans+2 portfolio of 474 MSME NPA loans +2 portfolio of 25948 unsecured Education NPA loans	01	Nil	Nil	Nil
	Portfolio of Unsecured Education NPA Loans	7445					
	Total	7453	Total 26429				
Aggregate principal outstanding of loans transferred		1346.95	1841.70	36.83	Nil	Nil	Nil
Weighted average residual tenor of the loans transferred		NA*	5 Years	3.8 years	Nil	Nil	Nil
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)		0.00	0.00	0.00	Nil	Nil	Nil
Aggregate consideration		503.88	600.08	27.13	Nil	Nil	Nil
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years		3.47	0.00	0.00	Nil	Nil	Nil

* Involves sales under portfolio basis.

Details of loans acquired during the year		
	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	
Aggregate consideration paid		
Weighted average residual tenor of loans acquired		

The Bank has reversed the amount of ₹ 178.96 Crore of excess provision to the profit & loss account on account of sale of stressed loans during year ending March 31st 2025.

iii) Details of The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2025

(Amounts in Rs crore)

Recovery Rating	Book Value (31.03.2025)	Book Value (31.03.2024)
RR1+(More than 150%)	68.11	0.00
RR1(100%-150%)	122.51	33.97
RR2(75%-100%)	0	99.05
RR3(50%-75%)	0	16.00
RR4(25%-50%)	0	81.77
RR5(0%-25%)	0	79.29
RR6	0	0.00
SRs-Rating Exempted during planning period	0	0.00
SRs-Unrated	230.75	106.39
Total	421.37	416.47*

*Bank is holding 100% provision

g) Fraud accounts

Advance related fraud:

Particulars	2024-25	2023-24
Number of frauds reported	28	16
Amount involved in fraud (₹ crore)	30.51	13.39
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	30.51	13.39
Amount of Unamortized provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	Nil	Nil

(i) Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for the financial year ended 31.03.2025 instead of spilling over a period of four quarters.

(ii) During the quarter ended 31.03.2025, 13 frauds under other than advances category has been reported to RBI, where likely loss is ₹ 9.18 crore and for which the Bank is holding 100% provision. FMR wise fraud data is being reconciled.

Other than Advance related frauds:

	2024-25	2023-24
Number of frauds reported	20	27
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on March 31st (₹ crore)	0.76	1.69
Quantum of Provision made for the outstanding amount as on 31st March (₹ crore)	0.76	1.69
Cumulative Provision as on March 31st since beginning, including Burglary/Dacoity/ Robbery and etc.	481.39	493.12

- Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for financial year ended 31.03.2025 instead of spilling over a period of four quarters.

- During the quarter ended 31.03.2025, 5 frauds under other than advances category has been reported to RBI, where likely loss is ₹ 0.50 Crore and for which the Bank is holding 100% provision. FMR wise fraud data is being reconciled

Digital & UPI Frauds:

Particulars	2024-25	2023-24
Number of frauds reported	1875	8006
Likely loss for the frauds reported as on 31st March 2025 (₹ crore)	0.003	0.01
Amount of Provision made for such frauds as on 31st March (₹ crore)	0.003	0.01
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ Crore)	0	0

Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for financial year ended March 31st 2025 instead of spilling over a period of four quarters.

During the quarter ended March 31st, 2025, 27 number of frauds under cyber frauds category has been reported to Reserve Bank of India, where the likely loss is ₹ 0.003 crore. The provision for the amount of ₹ 0.003 crore has been made for the likely loss.

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

(Amounts in ₹ crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans	1 542.59	31.09	-	621.99*	889.51
Corporate persons*	648.94	0.07	0	143.68	505.19
Of which MSMEs	344.54	0.07	0	124.68	219.79
Others	994.19	19.50	0	471.73	502.96
Total	3 185.71	50.66	0	1 237.40	1 897.66

* Includes the accounts were removed from restructured category due to regular repayment in last 12 months

5. EXPOSURE

a. Exposure to real estate sector

(Amounts in ₹ crore)

Category	2024-25	2023-24
i) Direct exposure	36 777.80	32 499.33
a. Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.	33 018.59	29 573.39
Out of which, Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances shall be shown separately. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	6 698.19	11 980.45
b. Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure also include non-fund based (NFB) limits;	2 929.58	2 121.02
c. Real estate others: Hotels, Hospitals and liquirent not under CRE	829.63	804.92
d. Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
i. Residential		
ii. Commercial Real Estate	0.00	0.00

Category	2024-25	2023-24
ii) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies	3 856.02	3 962.51
Total Exposure to Real Estate Sector	40 633.82	36 461.84

b. Exposure to capital market

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	863.20	458.86
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0	0
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0	0
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	362.69	453.78
v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	0.00	0.00
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	0.00	0.00
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix) Financing to stockbrokers for margin trading; or Financial guarantee issued to stock exchange on behalf of brokers	0.00	0.00
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	71.30	140.71
Xi) Other financial guarantee	0.00	0.00
Total exposure to capital market	1 297.19	1 053.35

c. Risk category-wise country exposure

(Amounts in ₹ crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2025	Provision held as at 31.03.2025	Exposure (net) as at 31.03.2024	Provision held as at 31.03.2024
Insignificant	11 598.54	5.03	14 898.81	7.62
Low	4 271.84	0.00	4 590.90	0.00
Moderately Low	2 660.89	0.00	2 958.99	0.00
Moderate	493.25	0.00	9.79	0.00
Moderately High	574.33	0.00	491.25	0.00
High	2.56	0.00	0.67	0.00
Very High	645.96	0.00	547.57	0.00
Total	20 247.37	5.03	23 497.98	7.62

d. Unsecured advances

Banks shall disclose the total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken as also the estimated value of such intangible collateral as per the following format:

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total unsecured advances of the bank	48 300.03	48 531.80
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	4 353.71	6 570.39
Estimated value of such intangible collateral	4 353.71	6 570.39

e. Factoring exposures

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Exposure of our Bank under Factoring	9 242.51	6 377.11

f. Intra-group exposures

With the developments of financial markets in India, banks have increasingly expanded their presence in permitted financial activities through entities that are owned by them fully or partly. As a result, banks' exposure to the group entities has increased and may rise further going forward. In order to ensure transparency in their dealings with group entities, banks should make the following disclosures for the current year with comparatives for the previous year:

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
i. Total amount of intra-group exposures	Nil	Nil
ii. Total amount of top 20 intra-group exposures	Nil	Nil
iii. % of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	Nil	Nil
iv. Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

g. Unhedged foreign currency exposures

Based on the available financial results and the declaration from the borrowers, the Bank has estimated the liability towards unhedged foreign currency Exposure to their constituents in terms of RBI/2022-23/131 DOR .MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11,2022 and the Bank holds provision of Rs 17.12 crore as on March 31, 2025.

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPA

a. Concentration of Deposits

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total Deposits of twenty largest depositors	12 704.14	12 738.79
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	4.07%	4.48%

b. Concentration of advances*

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total Advances to the twenty largest borrowers	37 164.75	40 254.52
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	14.86%	18.38%

*Advances shall be computed based on credit exposure i.e funded and non funded limits including derivative exposures where applicable. The sanctioned limits or outstanding, whichever is higher, shall be reckoned. However, in the case of fully drawn term loans, where there is no scope for re-drawal of any portion of the sanctioned limit, banks may reckon the outstanding as the credit exposure.

- Gross Advances as on 31.03.2025 – ₹ 250018.85 crores

c. Concentration of exposures (Credit and Investment Exposure)

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	44 505.78	49 718.03
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	11.99%	14.49%

**Exposures shall be computed as per applicable Reserve Bank of India regulation

d. Concentration of NPAs

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	1466.51	1530.64
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	27.42%	22.53%

Concentration of NPAs FY 2024-25 (Top Twenty Accounts excludes Technical write off accounts)

S No	BORROWER NAME	Gross NPA o/s in Crore
1	AGRITRADE INTERNATIONAL PL	264.33
2	KOBIAN PTE LTD	137.36
3	CANWELL COMMERCE PL	127.90
4	VIKUDHA OVERSEAS CORPORATION LTD	125.48
5	FARLIN TIMBERS PL	107.87
6	SAALIM SHOES PVT LTD	93.56
7	WARISAN ZAMRUD SDN BHD	79.19
8	ISLAMI BANK BANGLADESH LTD	71.88
9	SHEFFIELD HOLDINGS LTD	71.11
10	BARGAVA COMMODITIES CO	48.66
11	P AND G ENTERPRISES PVT LTD	41.67
12	NATIONAL BANK LTD	37.23
13	BRAHMAPUTRA INFRASTRUCTURE LIMITED	36.48
14	FENATEX CO. LTD	35.60
15	VINTEL EXPORTS PL	34.36
16	M/S JADIA PIPES INDIA LTD	32.92
17	NAOLIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	32.37
18	OSM PROJECTS PRIVATE LIMITED	30.81
19	SHINGAR LIMITED	29.17
20	SONA ALLOYS PRIVATE LIMITED	28.56
	TOTAL	1466.51

Concentration of NPAs FY 2023-24 (Top Twenty Accounts excludes Technical write off accounts)

S No	BORROWER NAME	Gross NPA o/s in Crore
1	AGRITRADE INTERNATIONAL PL	258.09
2	KOBIAN PTE LTD	141.33
3	VIKUDHA OVERSEAS CORPORATION LTD	135.08
4	CANWELL COMMERCE PL	124.73
5	FARLIN TIMBERS PL	105.19
6	SAALIM SHOES PVT LTD	93.56
7	ASIA VIEW ENTERPRISES	81.50
8	WARISAN ZAMRUD SDN BHD	76.89
9	SHEFFIELD HOLDINGS LTD	73.47
10	RUKMINI IRON PRIVATE LIMITED	47.80
11	BARGAVA COMMODITIES CO	47.45
12	BRAHMAPUTRA INFRASTRUCTURE LIMITED	45.08
13	P AND G ENTERPRISES PVT LTD	44.89
14	TEXTRADE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	44.24
15	LMJ INTERNATIONAL LIMITED	39.71
16	EMPEE SUGARS AND CHEMICALS LTD	39.17
17	NAOLIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	33.68
18	VINTEL EXPORTS PL	33.50
19	M/S JADIA PIPES INDIA LTD	32.92
20	FENATEX CO. LTD	32.35
	TOTAL	1530.64

7. Derivatives

a. Forward rate agreement/Interest rate swap

(Amounts in ₹ crore)

PARTICULARS	2024-25	2023-24
i) The notional principal of swap agreements	**NIL**	**NIL**
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfil their obligations under the agreements		
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps		
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps$		
v) The fair value of the swap book @		

Note : Nature and terms of the swaps including information on credit and market risk and the accounting policies adopted for recording the swaps should also be disclosed.

$ Examples of concentration could exposures to particular industries or swaps with highly geared companies.

@ if the swaps are linked to specific assets, liabilities, or commitments, the fair value would be the estimated amount that the bank would receive or pay to terminate the swap agreements as on the balance sheet date. For a trading swap the fair value would be its mark to market value.

b. Exchange traded interest rate derivatives

(Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2025 (instrument wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	NIL	NIL
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	NIL	NIL

c. Disclosures on risk exposure in derivatives

i) Qualitative disclosures

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Market Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mismatch, for funding overseas branches etc.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet exposures.

g) The income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower.

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Risk Management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. Also, to include

a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading.

b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems.

c) Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants; and

d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Govt. Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt. In addition, the bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management

Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 –

Significant Accounting Policies (Policy No.6)

ii) Quantitative disclosures

(Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25		2023-24	
		CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES	CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount) a) For Hedging b) For Trading	Nil	Nil	Nil	Nil
(ii)	Mark to Market Positions@ a) Asset (+) b) Liability (-)	Nil	Nil	Nil	Nil
(iii)	Credit Exposure$	Nil	Nil	Nil	Nil
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) a) On hedging derivatives b) on trading derivatives	Nil	Nil	Nil	Nil
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year a) on hedging b) on trading	Nil	Nil	Nil	Nil

@ The net position shall be shown either under asset or liability, as the case may be, for each type of derivatives.

$ Banks may adopt the Current Exposure Method on Measurement of Credit exposure of derivative products as per extant RBI instructions.

d. Credit default swaps

Bank using a proprietor model for valuation of Credit Default Swaps (CDS) positions, shall disclose the valuation as per the proprietor model, including the rationale for using that model and an explanation of the valuation methodology in the Notes to Accounts in their financial statements. The disclosure shall also include the valuation as per the CDS curve published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) or benchmark recommended by FIMMDA*

*The requirement to disclose valuation as per the CDS curve published by FIMMDA or a benchmark recommended by FIMMDA shall be effective once FIMMDA starts publishing the CDS curve or recommends a valuation benchmark.

Credit default swaps-Nil (Previous Year-Nil)

8. Disclosures relating to securitization

(Number/ Amounts in ₹ crore)

Sl. No.	Particulars	Mar 31 2025	Mar 31 2024
1.	No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	NIL	NIL
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	NIL	NIL
7.	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. (a) Amount paid (b) Repayment received (c) Outstanding amount	NIL	NIL
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	NIL	NIL
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	NIL	NIL
10.	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and. (b) Complaints outstanding	NIL	NIL

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	2 003.50	1 822.20
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	361.54	303.77
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	53.80	122.47
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF	2 311.24	2 003.50

11. Disclosure of complaints

a). Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

S No.	Particulars	2024-25	2023-24
Complaints received by the Bank from its customers			
1	Number of complaints pending at beginning of the year	2 017	1 950
2	Number of complaints received during the year	21 0075	2 57 420
3	Number of complaints disposed during the year	20 9482	2 57 353
3.1	Of which, number of complaints rejected by the Bank	1 324	1 890
4	Number of complaints Pending at the end of the year	2 610	2 017
Maintainable complaints received by the Bank from OFFICE OF OMBUDSMAN			
5	Number of Maintainable complaints received by the Bank from Office Of Ombudsman	1 508	1 451
5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the Bank by Office of Ombudsman	611	512
5.2	Of 5, Number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	897	939
5.3	Of 5, Number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the Bank	0	0
6	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman scheme 2021 (previously banking Ombudsman Scheme 2006) and covered within the ambit of the scheme.

b). Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of Complaints, (i.e. Complaints relating to	Number of complaints pending at the beginning of the year	number of complaints received during the year	%Increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year (FY 2024-25)					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	427	96 294	-18.53%	608	0
ATM/Debit cards	464	46 244	-36.40%	806	0
Credit Cards	298	922	-45.31%	144	0
Loans and advances	14	587	-33.52%	43	0
Cheques/Draft/bills	5	1 138	-58.53%	7	0
others	809	64 890	+6.03%	1 002	0
Total	**2 017**	**2 10 075**	**-18.39%**	**2 610**	**0**
Previous Year (FY 2023-24)					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	793	1 18 199	(+)6.21%	427	0
ATM/Debit cards	595	72 708	(+)2.74%	464	0
Credit Cards	262	1 686	(-)12.46%	298	0
Loans and advances	23	883	(-)15.50%	14	1
Cheques/Draft/bills	10	27 44	(+)0.44%	5	1
others	267	61 200	(+)480.20%	809	0
Total	**1 950**	**25 7420**	**(+)29.81%**	**2 017**	**2**

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Penalties imposed by the Reserve Bank of India under the provisions of the (i) Banking Regulation Act, 1949, (ii) Payment and Settlement Systems Act, 2007 and (iii) Government Securities Act,2006 (for bouncing of SGL) (Disclosures as per the Master Directions on Financial Statements-Presentations and Disclosures Ref: DOR.ACC.REC. No.45/21.04.018/2021-22 dated August 30,2021 updated as on April 01,22024)	NIL	3.20

13. Disclosure on remuneration

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (₹) (2024-25)	Remuneration* Amount (₹) (2023-24)
1.	Shri. Ajay Kumar Srivastava	Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) From 01.01.2023	64 40 736.00	40 80 132.00
2.	Shri. Joydeep Dutta Roy	Executive Director From 31.01.2024	41 25 174.07	7 47 253.16
3.	Shri. Dhanaraj T	Executive Director From 10.03.2024	39 21 601.34	2 53 295.23
4	Smt. S Srimathy	The then Executive Director Exited on 09.03.2024	19 98 381.29	38 57 030.33
5.	Shri. Sanjay Vinayak Mudaliar	The then Executive Director Exited on 30.01.2024	15 32 160.00	31 81 709.89

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, PF,PF arrears and performance linked incentive.

14. Other Disclosures

a. Business ratios

	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	2.94%	2.92%
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.49%	1.68%
iii)	Cost of Deposits	5.08%	4.70%
iv)	Net Interest Margin	3.25%	3.28%
v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.34%	2.01%
vi)	Return on Assets	0.92%	0.81%
vii)	Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ crore)	26.80	23.54
viii)	Profit per employee (in ₹ crore)	0.16	0.12

b. Bancassurance business

The details of fees /Brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them should be disclosed in the notes on accounts to their Balance Sheet, Disclosures should be made for both the current year and previous year.

(Amounts in ₹ crore)

S. No.	Nature of income*	2024-25	2023-24
(a)	For selling Life Insurance Policies	2.65	2.39
(b)	For selling Non-Life Insurance Policies	30.10	27.09
(c)	For Selling Mutual Fund products	0.56	0.51
(d)	Others – Related to previous years accounted during the year	1.01	1.61
(e)	PMJJBY-Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	1.37	1.54
(f)	PMSBY-Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana	0.44	0.43
	Total	**36.13**	**33.57**

* Fees /renumeration earned in respect of the Bancassurance Business undertaken by the bank.

c. Marketing and Distribution

Banks shall disclose the details of fees / remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by them

Nature of income	2024-25	2023-24
Marketing & Distribution Business	NIL	NIL

d. Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates

(Amounts in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25		2023-24	
		Purchase	Sales	Purchase	Sales
1	PSLC - Agriculture	NIL	NIL	NIL	NIL
2	PSLC - SF/MF	NIL	21 971.50	NIL	12 985.50
3	PSLC - Micro Enterprises	NIL	NIL	3 000.00	NIL
4	PSLC - General	NIL	NIL	NIL	NII

e. Provisions and contingencies

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Provisions for depreciation on Investment / Written back	0.00	(0.49)
Provision towards NPA	834.02	2 706.49
Provision towards Standard Assets	3 585.28	(112.22)
Provision for Restructured accounts	(21.26)	(7.37)
Provision made towards Income Tax (Including Deferred Tax)	1177.01	756.92
Other Provision and Contingencies	(221.74)	764.71
Total	**5 353.31**	**4 108.14**

f. Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

As per RBI guidelines, Bank is in the process of implementing Ind AS (Indian Accounting Standards). RBI vide Circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS Financial Statements every half-year. As per RBI directive, a project Steering Committee headed by Executive Director has been formed for monitoring of Implementation of Ind AS in the Bank. Bank is submitting Ind AS Proforma Financial Statements to RBI on half yearly basis regularly after approval of Project Steering Committee.

g. Payment of DICGC Insurance Premium

(Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	367.51	331.48
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	Nil

h. Disclosure on unamortised Pension and Gratuity Liabilities and amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of Banks

1. **Pension:**

   Unamortized Pension /Family pension liabilities as on March 31,2025 is NIL.

2. **Gratuity:**

   Unamortised gratuity liabilities as on March 31, 2025 is NIL.

   Provision for the employee benefits pertaining to Pension, Gratuity & Leave encashment have been made on the basis of Actuarial Valuation.

i. Letters of Comfort (LoC)

Banks should disclose the full particulars of all the letters of comfort (LoCs) issued by them during the year, including their assessed financial impact, as also their assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued by them in the past and outstanding, in its published financial statements, as part of the "Notes to Accounts"

Particulars	FY 2024-25
Letters of Comfort issued during the year	-
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2025	3
Assessed Financial impact	-
Cumulative Assessed Financial Obligation	

Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31,2025:

1. During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12%, subject to approval from Reserve Bank of India. The assigned capital of Bangkok Branch stands at THB 2,20,00,00,000(18.24%) as on March 31st, 2025.

   In the worst-case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA. We may have to make additional provision to the extent of THB 1.644 Mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

2. During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of Comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other Joint Venture partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Berhad in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian laws, regulations and policies in the conduct of its business operations and management. The financial impact of the letter of Comfort issued to bank Negara Malaysia is to the tune of our share of 35% of the paid-up capital of MYR 330 Mio i.e., MYR 115.500 Mio.
3. Based on the host country regulator's guidelines, Bank has issued letter of Comfort favoring CBSL at its meeting held on 12.09.2019 for meeting all obligations and liabilities arising out of business carried on by IOB Srilanka Branch.

j. Portfolio -level information on the use of funds raised from green deposits.

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24	Cumulative*
Total green deposits raised (A)	2.76	0.26	3.02
Use of green deposit funds *			
1. Renewable Energy	1.10	0.26	1.36
2. Energy Efficiency		0	
3. Clean Transportation	1.66	-	1.66
4. Climate Change Adaptation		0	
5. Sustainable water and waste management		0	
6. Pollution Prevention and control		0	
7. Green Buildings		0	
8. Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use		0	
9. Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation		0	
Total Green deposit funds allocated (B=sum of 1 to 9)	2.76	0.26	3.02
Amount of Green Deposit funds not allocated (C=A-B)	0	0	0
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects			

* Note: Green Deposits scheme introduced w.e.f 10.02.2024 and our various credit schemes like Surya under renewable energy and Electronic Vehicle under clean transport are in existence before the introduction of Green Deposits.

15. In accordance with the Reserve Bank of India Circular No DBR No. BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020, on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Service Tax (GST)", the details of MSME restructured accounts as on 31.03.2025 are as under:

No. of Accounts	Aggregate exposure as on 31st March 2025 (₹ in crore)
1486	104.23

16. **In accordance with the RBI Cir.No.DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 05, 2021, on "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID – 19 related stress of individuals and Small Business", the number of borrower accounts where modification was sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under: -**

(Amounts in ₹ crore)

No of Borrowers	Aggregate exposure as on March 31, 2025
13 729	1 358.62

17. **The disclosures as required under RBI circular DOR vide circular DOR.No.BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 with respect to the number of accounts and the amount involved in those accounts where the Resolution period was extended is given for the quarter ended as on Mar 31,2025:**

No of Accounts in which Resolution plan extended	2024-25	2023-24
Amount involved (₹ In Crore)	NIL	NIL

18. **Amount of provisions made for Income Tax during the year**:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Provision for Income Tax	17.01	22.67
Provision for Deferred Tax	1 160.00	734.24
Net Provision	1 177.01	756.91

19. **As per RBI guidelines, RBI/DOR/2021-22/ 83DOR. ACC.REC. No.45 / 21.04.018/ 2021-22 dated October 25, 2023, the details of Miscellaneous Income under the head "Other Income" exceeding 1% of the Total Income is as under:**

Schedule	Item under the Subhead / Head	Amount in Crore	Amount in Percent
Schedule 5-other Liabilities and provisions (IV-Others (including provision)	--	--	--
Schedule 11 Other Assets (IV-Others)	--	--	--
Schedule 14 Other Income	Other income including Recovery in write off	2 946.50	8.75
Schedule 16 Operating expenses (XII other expenditure)	--	--	--

20. Pursuant to the RBI circular dated 29th March 2025, on government guaranteed security Receipts (SRs) issued by ARCs, the Bank has reversed the excess provision of ₹ 369.74 crores to the Profit and Loss Account in "Provision & Contingencies -Government guaranteed Security Receipts". The Bank has valued these SRs based upon the NAV declared by ARC and the resultant unrealized gains of ₹ 51.62 crores have been recognized in Profit and loss Account.

The above amount of ₹ 421.76 crores is held under "Revenue & Other reserves" and has been deducted from CET-1 capital and would not be available for distribution of Dividend.

21. Lien Marked deposits as on 31.03.2025 for deposits held under lien is ₹ 5439.48 crore against Loan, LG, LC and attached by Govt. authorities.

22. The Bank hold covid 19 related provision as contingency provision amounting to ₹ 1647.03 crore as on March 31,2025.

23. Details of Single Borrower Limit (SBL) , Group Borrower Limit (GBL) exceed by the Bank

Banks Tier 1 capital as on 31.03.2024 is Rs 20839.72 crore . as per LEF norms as on 31.03.2024 , 20% of tier 1 capital is Rs 4167.94 crores and 25% of tier1 capital is Rs 5209.93 crores

There is no breach under single counter party exposure as per Tier 1 capital ie., Rs 20839.72 crore as on 31.03.2024

There are no breaches in any account under Group counter party exposure as per Tier1 capital i.e., Rs 20839.72 crore as on 31.03.2024 and all the accounts are within 25% of tier1 1 capital.

Overseas Branches:

Sl No	Name of the Borrower	Exposure ceiling	Limit sanctioned	Period During which limit exceeded	Amount outstanding during the period limit exceeded	Board sanction details	Position as on 31.03.2025 outstanding
1	ONGC Videsh Ltd	SBL 50.00 GBL 75.00	65.00(SBL exceeds)	08.06.2023-till date (last reviewed on 10.07.2024)	58.00	Board ratification on 24.06.2023	58.00
2	REC Limited	SBL 50.00 GBL 75.00	65.00(SBL exceeds)	21.09.2022 till date (last reviewed on 29.10.2024	65.00	Board ratification on 29.12.2022	65.00
3	King Empire Group Ltd	SBL 40.00 GBL 60.00	30.00(GBL exceeds)	29.11.2023 till date(last reviewed on 27.12.2024	5.788	Board ratification obtained on 20.12.2023	15.543
4	Five Element Industry Ltd	SBL 40.00 GBL 60.00	50.00 (SBL & GBL both exceeds) *	29.11.2023 till date (last reviewed on 27.12.2024	17.470	Board ratification obtained on 20.12.2023	50.429
5	TCI sanmar Chemicals	SBL 40.00 GBL 60.00	46.014(SBL exceeds)	30.08.2024 till date	36.031	Board ratification obtained on 06.11.2024	34.771

- Sl no 3 & 4 are group accounts. for King Empire Group Ltd. SBL is within limit. However, GBL(along with Five Elements Industries Ltd) is exceeded.

DISCLOSURES UNDER ACCOUNTING STANDARDS

1. Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2024.

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

2. Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

3. Accounting Standard 11 – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Opening Balance	983.90	965.71
Credited during the year	152.36	111.80
Withdrawn during the year	6.70	93.61
Closing Balance	1 129.56	983.90

4. Accounting Standard 15 – Employee Benefits

The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1. Short-Term Employee Benefits:

   The undiscounted amounts of short-term employee benefits, such as medical benefits which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognized during the period when the employee renders the service.

2. Long-Term Employee Benefits:

   The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

Defined Benefit Plans

a). Changes in the present value of the obligations:

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Present Value of obligation as at the beginning of the year	13 465.63	11 314.24	1 494.38	1 302.17
Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Add: Interest Cost	857.34	776.97	104.53	94.94
Add: Past Service Cost	-	-	-	-
Add: Current Service Cost	314.79	332.67	95.59	88.82
Less: Benefits Paid	(1 262.45)	(1 135.44)	(97.27)	(92.59)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	979.81	2 177.19	49.95	101.03
Present Value of Obligation at year end	14 355.12	13 465.63	1 647.18	1 494.38

(b) Change in Fair Value of Plan Asset:

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	13 465.63	11 314.25	1 494.38	1 326.82
Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Add: Expected return on Plan Assets	1 003.10	896.50	108.34	101.62
Add: Employer's contribution	1 080.15	2 348.23	105.37	127.30
Less: Benefit Paid	(12 62.45)	(11 35.44)	(97.27)	(92.59)
Add: Actuarial gain/(loss) on Obligations	68.69	42.09	36.36	31.23
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	14 355.12	13 465.63	1 647.18	1 494.38
Unfunded Transitional Liability		--		--

c) Amount recognized in Balance Sheet:

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
i) Present value of obligations as at the end of the year	14 355.12	13 465.63	1 647.18	1 494.38
ii) Fair value of Plan Assets as at the end of the year	14 355.12	13 465.63	1 647.18	1 494.38
iii) Difference	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss:

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
i) Current Service Cost	314.79	332.67	95.59	88.82
ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) Interest Cost	857.34	776.97	104.53	94.94
iv) Expected return on Plan Asset	(10 03.10)	(896.50)	(108.34)	(101.62)
v) Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	911.12	2 135.09	13.58	69.80
vi) Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii+iv+v+vi)	1 080.15	2 348.24	105.37	151.95

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

(Figures in %)

Particulars	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
a)Debt instruments/Central Govt Securities	3.40	4.09	8.53	9.13
b)State Govt Securities	4.70	3.89	9.25	11.97
c)Investments in PSU/ PFI/ Corporate bonds	6.27	6.91	11.13	13.57
d) Equity Investments	0.89	0.77	2.06	1.29
e) Other Investments	84.74	84.34	69.03	64.04
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

(f) Principal actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

(Figures in %)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Discount Rate	6.68%	7.23%	6.69%	7.23%
Expected Rate of Salary increase	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Attrition Rate	1.00%	1.00%	3.00%	3.00%
Pension Increase	4.00%	4.00%	-	-
Expected rate of return on Plan Assets	7.50%	7.50%	7.23%	7.56%
Mortality	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected unit Credit		Projected unit Credit	

(g) Five year's disclosure for Pension

i) Surplus/ Deficit in the plan

(Amounts in ₹ crore)

Amount recognized in the Balance Sheet	As on March 31, 2021	As on March 31, 2022	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024	As on March 31, 2025
Present value of obligations as at the end of the year	9 856.98	10 703.91	11 569.76	13 465.63	14 355.12
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	9 856.98	10 363.23	11 314.25	13 465.63	14 355.12
Difference (ii-i)	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00
Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00

(h) Five year's disclosure for Gratuity

i) Surplus/ Deficit in the plan (Amounts in ₹ crore)

Amount recognized in the Balance Sheet	As on March 31, 2021	As on March 31, 2022	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024	As on March 31, 2025
Present value of obligations as at the end of the year	913.11	1200.55	1 302.17	1 494.38	1 647.18
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	1 295.29	1 225.20	1 326.82	1 494.38	1 647.18
Difference (ii-i)	382.18	24.65	24.65	0.00	0.00
Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	382.18	24.65	24.65	0.00	0.00

(i) The financial assumptions considered for the calculations are as under: -

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2025).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is ₹ 84.40 crores.

II) Defined Contribution Plan:

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after 1st April 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During FY 2024-25, the Bank has contributed ₹ 186.95 Crore (Previous Year ₹ 165.26 Crore).

III) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

Retired Leave Encashment Benefit

a) **Reconciliation of opening and closing balance of liability** (Amounts in ₹ crore)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2024-25	2023-24
Present value of obligations as at the beginning of the year	752.15	576.27
Add: Interest Cost	52.28	41.78
Add: Past Service Cost	-	-
Add: Prior Service Cost	16.17	-
Add: Current Service Cost	85.80	74.24
Less: Benefits Paid	(58.17)	(47.11)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	21.05	106.97
Closing Defined Benefit Obligation	869.28	752.15

b) **Amount recognized in the Profit & Loss Account**

Amounts in ₹ crore)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2024-25	2023-24
i) Current Service Cost	85.80	74.24
ii) Past Service Cost	-	-
iii) Prior Service Cost	16.17	
iv) Interest Cost	52.28	41.78
v) Expected return on Plan Asset	0.00	0.00
vi) Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	21.05	106.97
Expenses Recognized in P&L	175.30	223.00

c) **Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet**

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2024-25	2023-24
i) Opening Defined Benefit Obligation	752.15	576.26
ii) Net Acquisition Cost	-	-
iii) Expenses Recognized in P&L	175.30	223.00
iv) Benefits paid	(58.17)	(47.11)
v) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	873.87	752.15
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	21.05	106.97
Closing Defined Benefit Obligation	869.28	752.15

d) **Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average**

Particulars	ENCASHMENT (Un Funded)	
	2024-25	2023-24
Discount Rate	6.69%	7.23%
Expected Rate of Salary increase	5.00%	5.00%
Attrition Rate	3.00%	3.00%
Mortality	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected Unit Credit	

The estimate of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market. Such estimates are very long-term and are not based on limited past experience/ immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long-term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

5. Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations. In compliance with RBI Circular DOR.AUT.REC. 12/22/01.001/2022-23 dated April 7, 2022, on establishment of Digital Banking Units (DBUs) and reporting of Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment under Accounting Standard - 17 "Segment Reporting", bank has reported Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment.

Part A: Business Segments

(Amounts in ₹ crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking						Other Banking Operations		TOTAL	
					Digital Banking		Other Retail Banking		Total Retail Banking					
Particulars	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Revenue	7 917.88	7 252.48	10066.82	9 630.17	0.22	0.07	14 313.65	11 838.84	14 313.87	11 838.91	640.60	682.60	**32 939.16**	**29 404.16**
Result	763.50	546.89	1751.59	1 364.30	-1.64	-1.61	5 100.78	4 126.38	5 099.14	4 124.77	337.55	426.46	**7951.78**	**6 462.42**
Unallocated Income													**736.92**	**301.82**
Unallocated Expenses													**736.23**	**301.35**
Operating Profit/Loss													**8 688.01**	**6 763.77**
Income Taxes													**1177.01**	**756.92**
Provisions & Contingencies													**4 176.29**	**3 351.23**
Extraordinary profit / loss													**0.00**	**0.00**
Net Profit													**3 334.71**	**2 655.63**
Segment Assets	1 20 031.33	107 506.41	112917.76	11 437.56	1.05	0.51	15 5808.16	1 19 315.87	1 55 809.21	1 119 316.38	74.23	85.46	**3 88 832.53**	**3 41 279.81**
Unallocated Assets													**6182.41**	**10753.81**
Total assets													**395014.94**	**352033.62**
Segment Liabilities	1 06 524.26	97 723.41	107128.51	1 10 441.19	1.05	0.51	1 48 219.43	1 15 593.85	1 48 220.48	1 15 594.36	530.34	272.64	**362 403.59**	**3 24 031.60**
Unallocated Liabilities													**70.43**	**59.72**
Total Liabilities													**3 62 474.62**	**3 24 091.32**

Part B – Geographic segments

Particulars	Domestic		International		Total	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Revenue	32 578.13	28 850.80	1 097.94	855.19	**33 676.08**	**29 705.99**
Assets	3 75 139.05	3 38 332.37	19 875.90	13 701.25	**3 95 014.94**	**3 52 033.62**

6. Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

The details are as follows:

- **Name of the Related Parties and their relationship:**
  - (a) Associates – Regional Rural Banks: Odisha Gramya Bank
  - (b) Joint Venture: India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd.
  - (c) Key Management Personnel:
    - (i) Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director, and CEO
    - (ii) Shri Joydeep Dutta Roy, Executive Director
    - (iii) Shri Dhanaraj T, Executive Director

(A) Transaction with Related parties:

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2024-25 and 2023-24:

(Amount in Rs)

Sl. No.	Name of the Whole Time Director	Remuneration	Amount (₹) (2024-25)	Remuneration	Amount (₹) (2023-24)
1.	Shri. Ajay Kumar Srivastava (MD & CEO)		64 40 736.00		40 80 132.00
2.	Shri. Joydeep Dutta Roy (ED)		41 25 174.07		7 47 253.16
3.	Shri. Dhanaraj T (ED)		39 21 601.34		2 53 295.23
4	Ms. S.Srimathy (ED, Exited on 09.03.2024)		19,98,381.29*		38 57 030.33
5.	Shri. Sanjay Vinayak Mudaliar (ED, Exited on 30.01.2024)		15 32 160.00*		31 81 709.89

*Performance Linked incentive for FY 2023-2024.

(Amount in Rs Crore)

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Borrowings#	N.A.	N.A.	**0.00**	**71.74**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**71.74**
Deposits#	N.A.	N.A.	**1172.15**	**1172.15**	**1.49**	**1.70**	**2.66**	**3.26**	**1176.30**	**1177.11**
Placement of deposits#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Advances#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investments#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Non-funded commitments#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements availed#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements provided#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Sale of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Interest paid	N.A.	N.A.	**0.32**		0.00		0.00		**0.32**	
Interest received	N.A.	N.A.	**135.90**		**0.09**		**0.05**		**136.04**	
Rendering of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Receiving of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Management contracts*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	

The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed.
* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

Note: The data pertaining to related party as compiled by the management

7. Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2024-25	2023-24
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (₹ in Crore)	3334.71	2655.62
Weighted Average Number of Equity Shares	18 99 09 56 640	18 90 24 12 256
Basic & Diluted Earnings Per Share	1.76	1.40
Nominal value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

8. Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements and Accounting Standard-23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

1. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Indian Overseas Bank (The Bank) and the following Associate and Joint Venture of the Bank:

S. No	Name of the Company	Type of Investment	Country of Incorporation	% of Holding
1	Odisha Gramya Bank	Associate	India	35%
2	India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBM)	Joint Venture	Malaysia	35%

2. The accounts of Joint Venture India International Bank (Malaysia) Berhad, which is combined in the Consolidated Financial results is prepared on a calendar year basis in accordance with the local legal requirements. The accounts incorporated of the Joint venture is for the period 01st October 2024 to 31st December 2024. There are no material changes during the period 01st January 2025 to 31st March 2025 requiring adjustment to the figures reported in the unreviewed accounts as received.
3. The Bank is holding 18.06% in Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Since the shareholding in the Company is less than 25%, the same has not been considered as Joint Venture for preparation of Consolidated Financial Statements as per extant RBI guidelines.
4. The consolidated financial statements include the interest in JV which has been accounted in proportionate consolidation method as per AS 27 (Financial Reporting of Interest in JV). Accordingly, the share of excess of net asset over the carrying cost of investment of ₹ 28.34 Crores in JV representing FCTR is reported under reserves and surplus, this represents the translation difference.
5. In respect of investment in Associate, which has been accounted under equity method as per AS 23 (Accounting for investment in Associates), the carrying amount of investment in equity shares of ₹ 606.90 Crores is adjusted against IOB's share of net assets of ₹ 275.52 Crores and the balance of ₹ 331.38 Crores is adjusted against balance in Reserves and Surplus to recognize the decline in the value.
6. The Financial Statements of the joint venture (IIBM) have been prepared on a basis other than going concern which includes where appropriate, writing down Bank's asset to Net Realisable Value. IIBM has since entered cessation of business phase and intends to surrender its Banking licence. However, no material adjustments arose because of ceasing to apply the going concern basis.
7. Pursuant to Notification issued by the Central Government dated April 05,2025, effective May 01,2025, Odisha Gramya Bank and Utkal Grameen Bank have been amalgamated into a single Regional Rural Bank to be called as Odisha Grameen Bank in accordance with the scheme of amalgamation so notified.

9. Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	31.03.2025		31.03.2024	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Provision for Employee Benefits	286.86		1021.64	
Provision for Frauds	58.51		68.98	
Provision for Other Assets	146.23		126.41	
Provision for Restructured Advances	57.43		11.01	
Reserve for Severance Pay	0.96		1.10	
Provision for NPA	1 197.33		1 861.70	
Foreign Currency Translation Reserve	390.74		348.27	
Others	1 725.92		1 860.83	
Total	3 863.98		**5 299.94**	
Net DTA	**3 863.98**		**5 299.94**	

10. Accounting Standard 24 – Discontinuing Operations

This Standard establishes principles for reporting information about discontinuing operations. Merger/ closure of branches of banks by transferring the assets/ liabilities to the other branches of the same bank may not be deemed as a discontinuing operation and hence this Accounting Standard will not be applicable to merger / closure of branches of banks by transferring the assets/liabilities to the other branches of the same bank. Disclosures shall be required under the Standard only when: (i) discontinuing of the operation has resulted in shedding of liability and realisation of the assets by the bank or decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalised by the bank and (ii) the discontinued operation is substantial in its entirety.

11. Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired by the Bank for core Banking systems and other services relating to Information Technology department are being capitalised under intangible assets and are amortized over 3 years.

12. Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture

The bank has an investment of 35% in the JV, India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBMB) with 1,15,50,000 no. of shares of MYR 10 each valuing Rs 1,99,57,52,186.00 as at the year-end 31.03.2025. Upon the shareholders of IIBMB unanimously deciding for voluntary exit of the operation in Malaysia, the Board of the IIBMB sought approval from the Bank Negara Malaysia (BNM) for voluntary winding up. The BNM in letter dated 09.02.2024 has given no objection to the winding up operation and subsequently surrender the business licence subject to submission of detailed exit plan. In terms of the said order of BNM, the IIBMB is in the process of winding up. As per the audited financials of IIBMB for the FY December 31st 2024, the loans and advance and deposit from customers has been brought to zero. The impact on the investment, if any, that might arise shall be considered upon final winding up.

13. Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

The impairment of assets in our Bank is NIL

14. Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

Sl No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material advise effect on the Banks financial conditions, results of operations or cash flows. The Bank is also a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending.
2	Liability on partly paid-up investments /venture funds	This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
3	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchanges in its normal course of business to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. The notional amounts are recorded as Contingent liabilities with respect to the transactions entered with its customers, the Bank generally enters into off setting transactions in the interbank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
4	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf of its customer. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurance that the bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations
5	Other items for which the Bank is contingently liable	The banks enter into currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with interbank participants on its own account and for customers. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on determined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts. Further, these also include estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, letter of comforts issued by the bank on behalf of associates & subsidiaries, banks liability under Depositors Education and Awareness Fund a/c and other sundry contingent liabilities.

15. Particulars of Accounts Restructured

(Amounts in ₹ crore)

Sl No.	Type of Restructuring / Asset Classification Details		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others Including Corporate					Total					2024-25
			Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1, 2024	No. of Borrowers	3.00	0	0	0	3.00	15 947.00	2 508.00	12 276.00	165.00	30 896.00	57 479.00	1 301.00	3 125.00	14.00	61 919.00	73 429.00	3 809.00	15 401.00	179.00	92 818.00
		Amount Outstanding	158.08	0	0	0	158.08	1 736.01	200.96	376.02	8.06	2 321.05	3 210.03	337.46	334.67	2.87	3 885.03	5 104.12	538.42	710.69	10.93	6 364.16
		Provision Thereon	10.92	0	0	0	10.92	161.60	94.58	272.34	8.06	536.58	277.81	232.11	247.22	2.86	760.00	450.33	326.69	519.56	10.92	1 307.50
2	Fresh Restructuring during 01.04.2024 to 31.03.2025 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0.00	0	0	0	0.00	18.00	(2 130.00)	2 119.00	11.00	18.00	4 357.00	(2 343.00)	3 423.00	2.00	5 439.00	4 375.00	(4 473.00)	5 542.00	13.00	5 457.00
		Amount Outstanding	0.00	0	0	0	0.00	8.51	(155.06)	154.74	0.32	8.51	152.35	(98.27)	128.47	2.40	184.95	160.86	(253.33)	283.21	2.72	193.46
		Provision Thereon	0.00	0	0	0	0.00	0.43	(61.80)	123.72	0.32	62.67	8.57	(45.13)	90.27	0.01	53.72	9.00	(106.93)	213.99	0.33	116.39
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2024 to 31.03.2025	No. of Borrowers	0.00	0	0	0	0.00	90.00	(45.00)	(44.00)	(1.00)	0.00	428.00	(255.00)	(147.00)	0.00	26.00	518.00	(300.00)	(191.00)	(1.00)	26.00
		Amount Outstanding	0.00	0	0	0	0.00	7.38	(2.82)	(4.56)	0.00	0.00	91.98	(15.93)	(7.29)	0.00	68.76	99.36	(18.75)	(11.85)	0.00	68.76
		Provision Thereon	0.00	0	0	0	0.00	0.68	(0.27)	(0.41)	0.00	0.00	36.98	(6.78)	(4.93)	0.00	25.27	37.66	(7.05)	(5.34)	0.00	25.27
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and /or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shows as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	0.00	0	0	0	0.00	(1 978.00)	(2.00)	(1.00)	0.00	(1 981.00)	(3 866.00)	0.00	0.00	0.00	(3 866.00)	(5 844.00)	(2.00)	(1.00)	0.00	(5 847.00)
		Amount Outstanding	0.00	0	0	0	0.00	(470.09)	0.00	0.00	0.00	(470.09)	(461.52)	0.00	0.00	0.00	(461.52)	(931.61)	0.00	0.00	0.00	(931.61)
		Provision Thereon	0.00	0	0	0	0.00	(47.00)	0.00	0.00	0.00	(47.00)	(46.15)	0.00	0.00	0.00	(46.15)	(93.15)	0.00	0.00	0.00	(93.15)

Sl No.	Type of Restructuring / Asset Classification Details		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others Including Corporate					Total				
			Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2024 to 31.03.2025	No. of Borrowers	0.00	0	0	0	0.00	(1 414.00)	1 405.00	9.00	0.00	0.00	(3 962.00)	5 041.00	4.00	0.00	1 083.00	(5 376.00)	6 446.00	13.00	0.00	1 083.00
		Amount Outstanding	0.00	0	0	0	0.00	(49.59)	49.42	0.17	0.00	(0.00)	(110.51)	145.48	2.64	0.00	37.61	(160.10)	194.90	2.81	0.00	37.61
		Provision Thereon	0.00	0	0	0	0.00	(4.87)	18.00	0.12	0.00	13.25	(4.76)	96.14	0.10	0.00	91.48	(9.63)	114.14	0.22	0.00	104.73
6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2024 to 31.03.2025	No. of Borrowers	0.00	0	0	0	0.00	(5 559.00)	(304.00)	(1 896.00)	(15.00)	(7 774.00)	(8 120.00)	(5 841.00)	(4 203.00)	3.00	(18 161.00)	(13 679.00)	(6 145.00)	(6 099.00)	(12.00)	(25 935.00)
		Amount Outstanding	0.00	0	0	0	0.00	(474.70)	(42.35)	(87.19)	(1.40)	(605.64)	(256.05)	(170.47)	(94.87)	0.29	(521.10)	(730.75)	(212.82)	(182.06)	(1.11)	(1 126.74)
		Provision Thereon	0.00	0	0	0	0.00	(41.01)	(32.13)	(36.39)	(1.40)	(110.93)	(25.91)	(169.04)	(98.46)	0.27	(293.14)	(66.92)	(201.17)	(134.85)	(1.13)	(404.07)
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2025 (closing Figures)	No. of Borrowers	3.00	0	0	0	3.00	7 104.00	1 432.00	12 463.00	160.00	21 159.00	42 043.00	4 614.00	7 416.00	15.00	54 088.00	49 150.00	6 046.00	19 879.00	175.00	75 250.00
		Amount Outstanding	108.41	0	0	0	108.41	757.52	50.15	439.18	6.98	1 253.83	2 237.33	134.44	325.98	4.67	2 702.42	3 103.26	184.59	765.16	11.65	4 064.66
		Provision Thereon	9.88	0	0	0	9.88	69.83	18.49	359.38	6.98	454.68	184.69	93.67	222.75	2.29	503.40	264.40	112.16	582.13	9.27	967.96

Sl No.	Type of Restructuring / Asset Classification Details		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others Including Corporate					Total				
			Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1, 2023	No. of Borrowers	3	0	0	0	3	22,668	9,508	5,358	47	37,581	60,182	25,646	3,220	34	89,066	82,853	35,154	8,578	81	1,26,650
		Amount Outstanding	158	0	0	0	158	2,495	371	146	12	3,023	2,372	673	137	2	2,816	5,025	1,043	283	14	5,997
		Provision Thereon	11	0	0	0	11	234	56	146	12	447	194	167	56	36	385	439	222	202	48	843
2	Fresh Restructuring during 01.04.2023 to 31.03.2024 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	213	(7,701.00)	7,582	119	213	4,133	(4,794.00)	5,789	0	5,128	4,346	(12,495.00)	13,371	119	5,341
		Amount Outstanding	0	0	0	0	0	10	(261.98)	256	6	10	56	(10.95)	178	0	224	66	(272.93)	434	6	234
		Provision Thereon	0	0	0	0	0	1	(39.29)	151	6	118	2	(15.79)	174	0	160	3	(55.08)	325	6	278
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2023 to 31.03.2024	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	743	(704.00)	(37.00)	(2.00)	0	(542.00)	518	50	1	27	201	(186.00)	13	(1.00)	27
		Amount Outstanding	0	0	0	0	0	32	(30.64)	(1.20)	0	(0.00)	(24.75)	23	2	0	0	7	(7.95)	1	0	0
		Provision Thereon	0	0	0	0	0	3	(7.66)	(1.20)	0	(5.73)	(6.21)	6	1	0	0	(3.08)	(1.94)	(0.62)	0	(5.61)
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shows as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	(4.00)	0	0	0	(4.00)	0	0	0	0	0	(4.00)	0	0	0	(4.00)
		Amount Outstanding	0	0	0	0	0	(23.57)	0	0	0	(23.57)	0	0	0	0	0	(23.57)	0	0	0	(23.57)
		Provision Thereon	0	0	0	0	0	(2.34)	0	0	0	(2.34)	0	0	0	0	0	(2.34)	0	0	0	(2.34)

Sl No.	Type of Restructuring / Asset Classification Details		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others Including Corporate					Total					2023-24
			Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	
5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2023 to 31.03.2024	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	(2,428.00)	2,419	6	3	0	(8,017.00)	8,937	1	0	921	(10,445.00)	11,356	7	3	921	
		Amount Outstanding	0	0	0	0	0	(204.44)	198	6	0	0	(110.92)	250	0	0	139	(315.36)	449	6	0	139	
		Provision Thereon	0	0	0	0	0	(20.40)	122	6	0	107	33	211	0	0	243	12	332	6	0	351	
6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2023 to 31.03.2024	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	(5,245.00)	(1,014.00)	(633.00)	(2.00)	(6,894.00)	8,044	20,460	702	15	29,221	2,799	19,446	69	13	22,327	
		Amount Outstanding	0	0	0	0	0	(572.83)	(75.06)	(30.87)	(9.92)	(688.68)	168	662	24	0	855	(404.47)	587	(6.52)	(9.65)	166	
		Provision Thereon	0	0	0	0	0	(53.38)	(35.55)	(28.98)	(9.92)	(127.83)	54	152	6	0	212	0	117	(22.74)	(9.68)	84	
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2024 (closing Figures)	No. of Borrowers	3	0	0	0	3	15,947	2,508	12,276	165	30,896	45,870	9,791	8,352	12	64,025	61,817	12,299	20,628	177	94,921	
		Amount Outstanding	158	0	0	0	158	1,736	201	376	8	2,321	1,478	272	293	2	2,045	3,214	473	669	10	4,366	
		Provision Thereon	11	0	0	0	11	162	95	272	8	537	107	215	225	2	548	269	309	497	10	1,085	

16. Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary

पीएम-सूर्य घर के तहत योजनाएं : मुफ्त बिजली योजना
SCHEMES UNDER PM-SURYA GHAR
MUFT BIJLI YOJANA

IOB SURYA

for Rooftop **Solar Plant** & Other **Solar equipments**

FOR INDIVIDUAL BORROWERS
MAXIMUM LOAN ₹20 LAKHS

FOR NON INDIVIDUAL BORROWERS
MAXIMUM LOAN ₹10 LAKHS

T&C Apply

REPAYMENT PERIOD
MAX. 120 MONTH

INTEREST RATE
As Applicable
(Floating and revised from time to time)



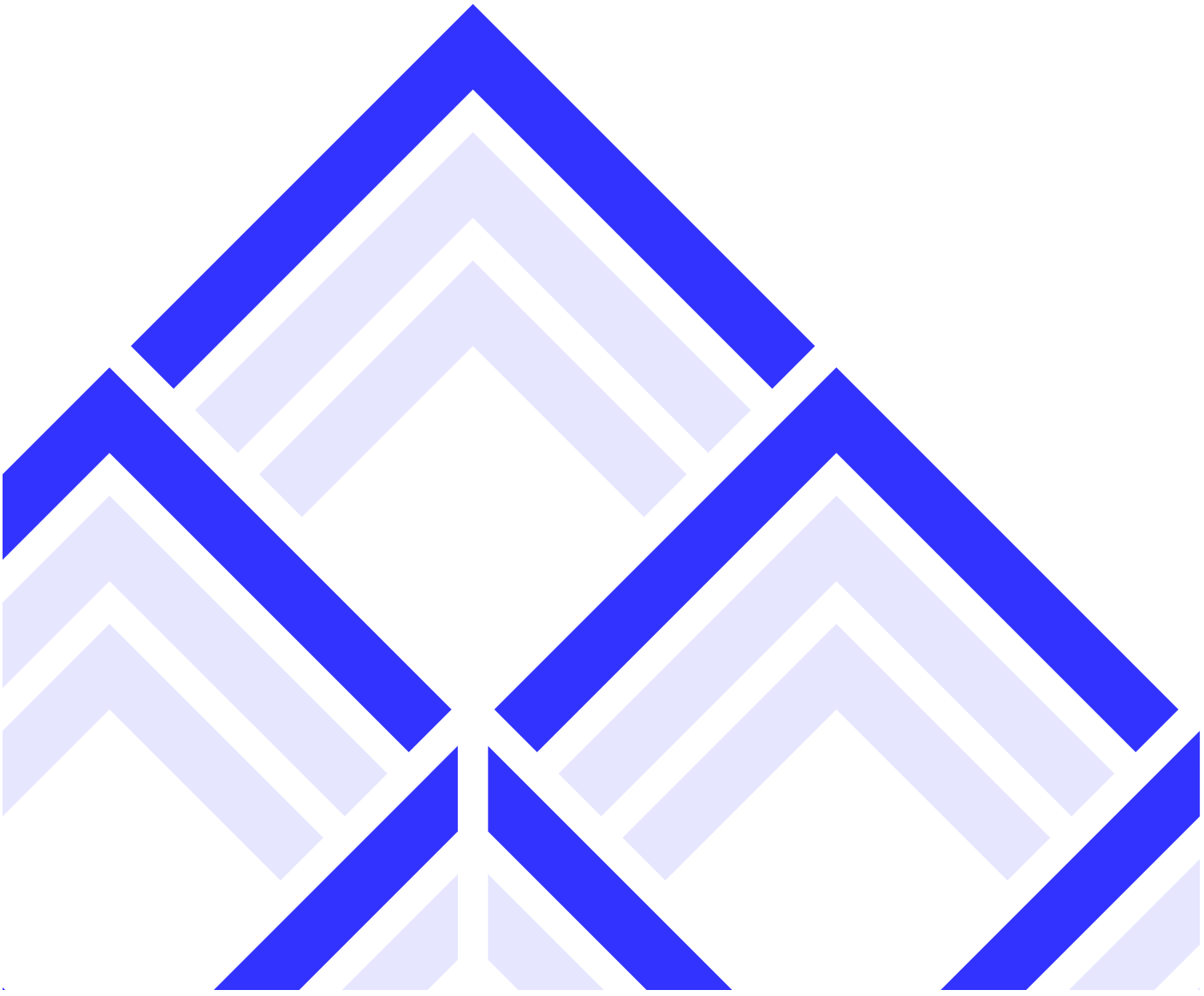
APPLY NOW

Non individual Borrowers can avail higher loan under our Bank's IOB Tejas Scheme

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT STANDALONE



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

STANDALONE

To
The Members of
Indian Overseas Bank

REPORT ON THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

OPINION

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Indian Overseas Bank** (the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended and Notes to the Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which are included the returns for the year ended on that date of:

   (i) The Central office and 20 branches audited by us:

   (ii) 903 domestic branches and 20 other offices audited by the respective Statutory Branch Auditors and;

   (iii) 04 foreign branches audited by the respective local Auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (**'RBI'**).

   Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2389 Domestic Branches and 57 other offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches and other offices account for 20.15 % of advances, 52.93 % of deposits, 26.19% of interest income and 26.78% of interest expenses.

   In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act 1949 (**the "Act"**), in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and:

   a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2025;

   b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and

   c) the Cash Flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

BASIS FOR OPINION

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the RBI from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

EMPHASIS OF MATTER

3. We invite attention to the following notes in Schedule 18 of Standalone Financial Statements:

   i) Note No. 6.3 relating to non-provision of various disputed Income tax and Indirect tax liabilities for the reasons stated therein.

ii) Note No. 6.5 regarding carried balance of ₹ 3863.98 crores relating to Deferred tax assets and reversal of ₹ 1160 crores during the year on estimated basis and the management assessment of the realizability of the carried balance of the Deferred tax asset as on March 31,2025.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

KEY AUDIT MATTERS

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

I. Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Para 5 of Schedule 17 read with Note 2 of Schedule 18 to the financial statements)

The net advances of the Bank constitute 56.69 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed.

Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed.

Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements.

Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses
Principal Audit Procedures

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following:

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/ stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.

d) Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank.

e) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI.

h) We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

i) Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts.

j) Performing relevant analytical procedures.

k) Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc

l) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

II. Information Technology (IT) and controls impacting financial Reporting

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

Auditors' Responses
Principal Audit Procedures

Our audit procedures include assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports /returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.

b) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits.

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

f) Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.

III. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Refer Para 4 of Schedule 17 read with Note 1of Schedule 18 to the financial Statements)

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 25.62 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses
Principal Audit Procedures

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on –

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments.

b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the latest available financial statements or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision.

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

IV. Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Refer Para 13 of Schedule 17 read with Note 14 (AS-29) of Schedule 18 and Schedule 12 to the financial statements) :

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non-tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.

Auditors' Responses
Principal Audit Procedures

a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.

b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions.

c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions.

d) Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters.

e) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate.

f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.

g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

5. OTHER MATTERS

a) We did not audit the financial Statements/financial information of 903 domestic branches , 20 other offices and 04 foreign branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements/financial information reflects total Assets of ₹ 2,01,132.37 crores as at March 31,2025 and total revenue of ₹ 15,206.72 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and offices cover 47.45% of total advances, 42.59% of total deposits and 22.76% of non-performing assets as at 31st March 2025 and 45.16% of revenue for the year ended on 31st March 2025. The financial statements/information of these branches have been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such branch auditors.

b) The Standalone Financial statements of the Bank for the previous year ended March 31,2024 were audited by the joint auditors one of which is predecessor audit firm and have expressed unmodified opinion on such financial statements vide their report dated May 09, 2024.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

INFORMATION OTHER THAN THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT THEREON

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises Directors' Report, Corporate Governance report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

   Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   When we read the Directors' Report, Corporate Governance report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

AUDITORS' RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism

throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. As required by letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from F.Y. 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse

effect on the functioning of the bank.

c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls with reference to financial statements is given in **Annexure 'A'** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Banks's operating effectiveness of internal financial controls with reference to financial statements as at March 31,2025.

11. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Balance Sheet, Profit and Loss account and Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

Piyush Pitroda
Partner
M. No.: 188843
UDIN:25188843BMJGTP7041

For Tej Raj & Pal
Chartered Accountants
FRN:304124E

P Venugopala Rao
Partner
M. No.: 010905
UDIN:25010905BMOHTQ3698

For Laxmi Tripti & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009189C

Vivek Mehta
Partner
M. No.:415118
UDIN:25415118BNGAGU6170

For Sanjeev Omprakash Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN:008773C

Anoop Mitna
Partner
M. No.:405289
UDIN:25405289BMKTKL8812

Date: 02nd May, 2025
Place: Chennai

ANNEXURE 'A'
TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 10(e) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our report of even date)

Report on the Internal financial controls with reference to Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter no. DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

OPINION

We have audited the internal financial controls with reference to Financial Statements of **Indian Overseas Bank** (the "Bank") as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls with reference to Financial Statements of the Bank's branches.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements.

MEANING OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO FINANCIAL STATEMENTS

A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

INHERENT LIMITATIONS OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO FINANCIAL STATEMENTS

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

OPINION

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2025, based on "the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

OTHER MATTER

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls with reference to Financial Statements of 923 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

Piyush Pitroda
Partner
M. No.: 188843
UDIN:25188843BMJGTP7041

For Tej Raj & Pal
Chartered Accountants
FRN:304124E

P Venugopala Rao
Partner
M. No.: 010905
UDIN:25010905BMOHTQ3698

For Laxmi Tripti & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009189C

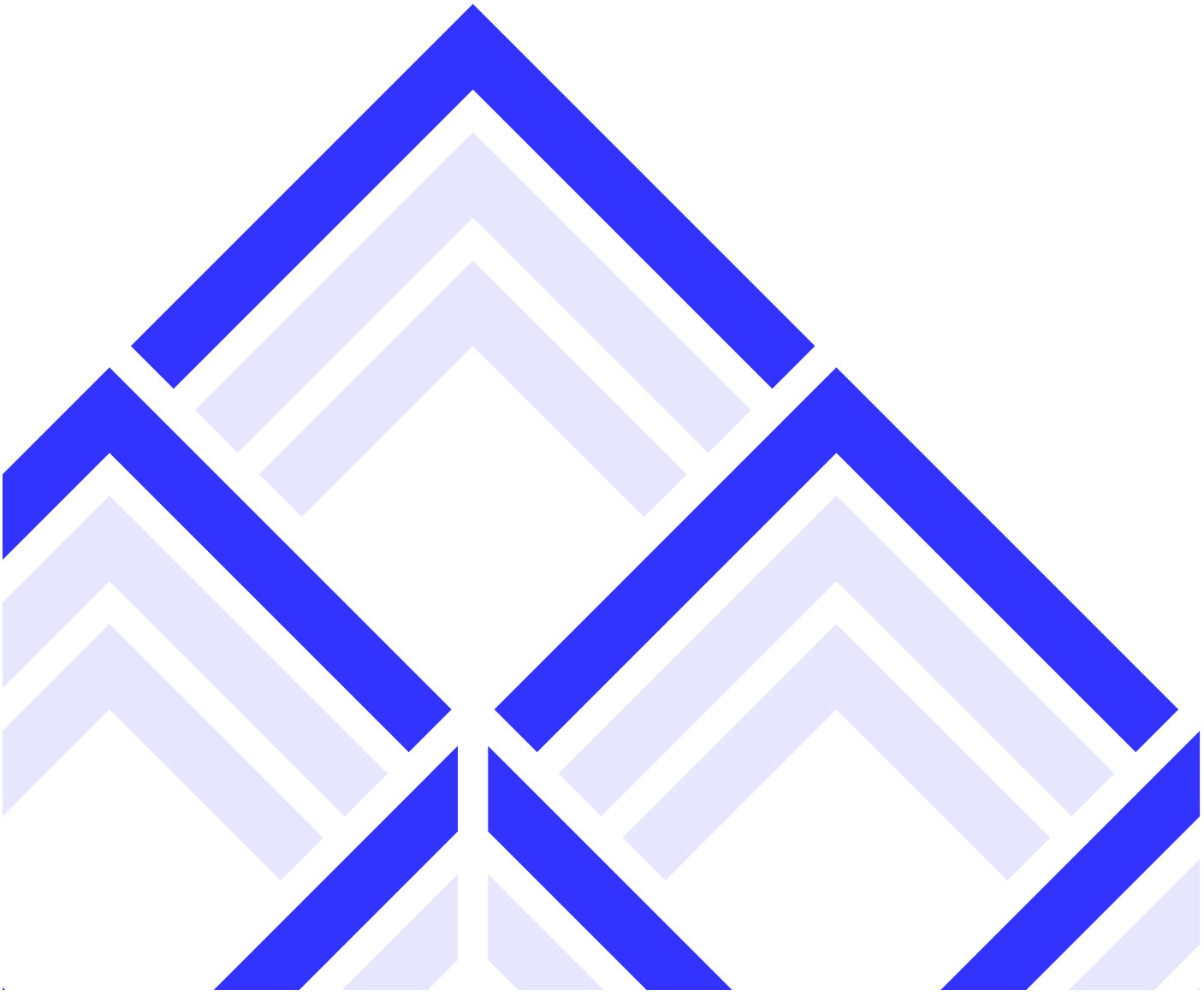
Vivek Mehta
Partner
M. No.:415118
UDIN:25415118BNGAGU6170

For Sanjeev Omprakash Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN:008773C

Anoop Mitna
Partner
M. No.:405289
UDIN:25405289BMKTKL8812

Date: 02nd May, 2025
Place: Chennai

ANNUAL ACCOUNTS CONSOLIDATED



CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	**01**	19256 58 98	18902 41 23
Reserves and Surplus	**02**	12976 75 83	8659 03 68
Deposits	**03**	311938 82 39	286121 48 17
Borrowings	**04**	42227 66 32	30387 16 55
Other Liabilities and Provisions	**05**	8308 13 45	7799 22 55
TOTAL		**394707 96 97**	**351869 32 18**
ASSETS			
Cash and balances with Reserve Bank of India	**06**	18115 87 16	16905 53 65
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	**07**	3103 76 35	1909 36 41
Investments	**08**	110587 96 89	99193 91 53
Advances	**09**	245555 16 84	213330 13 18
Fixed Assets	**10**	4654 82 10	3740 18 82
Other Assets	**11**	12690 37 63	16790 18 59
TOTAL		**394707 96 97**	**351869 32 18**
Contingent Liabilities	**12**	159405 16 51	195742 15 63
Bill for collection		17088 33 51	19119 00 64
Significant Accounting Policies	**17**		
Notes on Accounts	**18**		

Schedules Form Part of the Balance Sheet

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

DHANARAJ T
EXECUTIVE DIRECTOR

JOYDEEP DUTTA ROY
EXECUTIVE DIRECTOR

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
MANAGING DIRECTOR & CEO

SRINIVASAN SRIDHAR
CHAIRMAN

NEELAM AGRAWAL
DIRECTOR

SANJAYA RASTOGI
DIRECTOR

B CHANDRA REDDY
DIRECTOR

SONALI SEN GUPTA
DIRECTOR

SURESH KUMAR RUNGTA
DIRECTOR

DEEPAK SHARMA
DIRECTOR

Place: Chennai
Date: 02nd May 2025

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
INCOME			
Interest Earned	**13**	28143 64 15	24065 66 70
Other Income	**14**	5606 66 67	5665 30 30
TOTAL		**33750 30 82**	**29730 97 00**
EXPENDITURE			
Interest Expended	**15**	17244 47 60	14226 50 04
Operating Expenses	**16**	7756 26 52	8730 53 03
Provisions and Contingencies		5354 06 33	4108 27 92
TOTAL		**30354 80 45**	**27065 30 99**
PROFIT / LOSS (-)			
Net Profit / Loss (-) for the year		3395 50 37	2665 66 01
Profit /Loss (-) brought forward		(14473 93 34)	(16454 44 77)
TOTAL		**(11078 42 97)**	**(13788 78 76)**
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		833 67 63	663 90 62
Transfer to Revenue and Other Reserves		482 05 67	8 92 77
Transfer to Capital Reserve		43 69 06	12 31 19
Transfer to Investment Fluctuation Reserve		100 00 00	0
Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
Balance carried over to Balance Sheet		(12537 85 33)	(14473 93 34)
TOTAL		**(11078 42 97)**	**(13788 78 76)**
Basic & Diluted Earnings per share (Rs.)		1.76	1.40
Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00	10.00

Note:Other Income include profit from Associate

Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
FOR AND ON BEHALF OF CHARTERED ACCOUNTANTS

R. DEVENDRA KUMAR & ASSOCIATES
FRN 114207W
(PIYUSH PITRODA)
PARTNER
M No : 188843

TEJ RAJ & PAL
FRN 304124E
(P VENUGOPALA RAO)
PARTNER
M No : 010905

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
FRN 009189C
(VIVEK MEHTA)
PARTNER
M No : 415118

SANJEEV OMPRAKASH GARG & CO
FRN 008773C
(ANOOP MITNA)
PARTNER
M No :405289

Place: Chennai
Date: 02nd May 2025

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

(₹ in '000s)

	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit / (Loss)	33 95 50 38	26 65 66 03
Provision for taxes	11 77 01 09	7 57 08 35
Net Profit / (Loss) before Income Tax	**45 72 51 47**	**34 22 74 38**
Adjustments for :		
Amortisation of HTM Investments	82 19 57	45 27 60
Loss on Revaluation of Investments	0	(7 49 91 77)
Depreciation on Fixed Assets	3 94 45 57	3 36 36 92
(Profit) / Loss on Sale of Assets	(1 79 59)	(2 21 43)
Provision for NPAs	8 25 34 84	27 15 67 13
Provision for Standard Assets	35 85 27 83	(1 12 22 29)
Depreciation on Investments (net of Provision for NPI)	(24 53 74)	6 37 00 59
Depreciation Provision due to Fluctuation	(69 18 66)	0
Provision for Other Items	(1 97 19 89)	1 27 24 15
Interest on Tier II Bonds	1 92 45 92	2 27 69 10
	47 87 01 85	**32 24 90 00**
Adjustments for :		
Increase / (Decrease) in Deposits	258 17 34 22	251 47 89 14
Increase / (Decrease) in Borrowings	118 40 49 77	98 83 39 36
Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(24 66 70 83)	17 22 34 87
(Increase) / Decrease in Investments	(114 51 71 19)	(54 83 75 93)
(Increase) / Decrease in Advances	(330 50 25 05)	(379 78 12 27)
(Increase) / Decrease in Other Assets	8 32 78 22	(4 75 34 39)
	(84 78 04 86)	**(71 83 59 22)**
Direct Taxes (Net)	**19 58 06 26**	**(5 83 00 00)**
NET CASH FLOW GENERATED FROM /(USED IN) OPERATING ACTIVITIES (A)	**28 39 54 71**	**(11 18 94 84)**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / disposal of Fixed Assets	24 35 69	5 96 76
Purchase of Fixed Assets	(6 03 27 37)	(3 65 25 82)
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)	**(5 78 91 69)**	**(3 59 29 06)**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Redemption of Tier I & Tier II Bonds / Other Borrowings/Increase in Capital	14 32 77 70	(3 00 00 00)

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

(₹ in '000s)

	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
Issue of Basel III Tier II Bonds	0	0
Changes in Reserve/Revaluation Reverse	(9 61 36 12)	0
Interest Paid on IOB Bonds	(3 27 31 16)	(2 27 69 10)
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	1 44 10 43	(5 27 69 10)
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)	**24 04 73 45**	**(20 05 93 00)**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	169 05 53 65	171 50 18 08
Balances with Banks & Money at Call	19 09 36 41	36 70 64 98
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	181 15 87 16	169 05 53 65
Balances with Banks & Money at Call	31 03 76 35	19 09 36 41
NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	**24 04 73 45**	**(20 05 93 00)**

This statement has been prepared in accordence with Indirect Method.

The previous year figures have been regrouped wherever necessary to confirm with the current year presentation and as per regulatory requirements.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

DHANARAJ T
EXECUTIVE DIRECTOR

JOYDEEP DUTTA ROY
EXECUTIVE DIRECTOR

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
MANAGING DIRECTOR & CEO

SRINIVASAN SRIDHAR
CHAIRMAN

NEELAM AGRAWAL
DIRECTOR

SONALI SEN GUPTA
DIRECTOR

SANJAYA RASTOGI
DIRECTOR

SURESH KUMAR RUNGTA
DIRECTOR

B CHANDRA REDDY
DIRECTOR

DEEPAK SHARMA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
FOR AND ON BEHALF OF CHARTERED ACCOUNTANTS

R. DEVENDRA KUMAR & ASSOCIATES
FRN 114207W

(PIYUSH PITRODA)
PARTNER
M No : 188843

TEJ RAJ & PAL
FRN 304124E

(P VENUGOPALA RAO)
PARTNER
M No : 010905

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
FRN 009189C

(VIVEK MEHTA)
PARTNER
M No : 415118

SANJEEV OMPRAKASH GARG & CO
FRN 008773C

(ANOOP MITNA)
PARTNER
M No :405289

Date: 02nd May, 2025
Place: Chennai

SCHEDULE -1
CAPITAL

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
AUTHORISED CAPITAL		
2500,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year-2500,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
1925,65,89,795 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1821,83,26,570 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)	**19256 58 98**	**18902 41 23**
Previous year 1890,24,12,256 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1821,83,26,570 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)		

SCHEDULE -2
RESERVES & SURPLUS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. STATUTORY RESERVE		
Opening balance	4750 63 46	4086 72 84
Add: Additions	833 67 63	663 90 62
Less: Deductions	0	0
TOTAL -I	**5584 31 09**	**4750 63 46**
II. CAPITAL RESERVE		
A. Revaluation Reserve		
Opening balance	2722 63 49	2753 15 36
Add: Additions	672 99 16	9 87 87
Less: Deductions	22 65 60	40 39 74
TOTAL -A	**3372 97 05**	**2722 63 49**
B. On sale of Assets		
Opening balance	2169 75 76	2157 44 57
Add: Additions	43 69 06	12 31 19
Less: Deductions	0	0
TOTAL - B	**2213 44 82**	**2169 75 76**

C. Others		
Opening balance	153 24 38	153 22 07
Add: Additions	3 93	2 31
Less: Deductions	0	0
TOTAL - C	**153 28 31**	**153 24 38**
TOTAL -II (A,B and C)	**5739 70 18**	**5045 63 63**
III.SHARE PREMIUM		
Opening balance	8557 90 11	8557 90 11
Add: Additions	1078 59 94	0
Less: Deductions	0	0
TOTAL-III	**9636 50 05**	**8557 90 11**
IV. REVENUE & OTHER RESERVES		
A. Other Revenue Reserves		
Opening balance	3291 07 93	3246 11 57
Add: Additions	117 12 27	44 96 04
Less: Deductions	0	0
TOTAL - A	**3408 20 20**	**3291 07 61**
B. Investment Reserve Account		
Opening balance	97 95 58	97 95 58
Add: Additions	0	0
Less: Deductions	97 95 58	0
TOTAL - B	**0**	**97 95 58**
C. Foreign Currency Translation Reserve		
Opening balance	999 76 63	989 08 56
Add: Additions	152 08 45	112 02 90
Less: Deductions	(6 05 01)	101 34 83
TOTAL - C	**1157 90 09**	**999 76 63**
D. Investment Fluctuation Reserve Account		
Opening balance	390 00 00	390 00 00
Add: Additions	100 00 00	0
Less: Deductions	0	0
TOTAL - D	**490 00 00**	**390 00 00**
E. General Reserves-Treasury		
Opening balance	0	0
Add: Additions	(1315 57 17)	0
Less: Deductions	0	0
TOTAL - E	**(1315 57 17)**	**0**

F. AFS Reserves		
Opening balance	0	0
Add: Additions	392 19 56	0
Less: Deductions	0	0
TOTAL - F	**392 19 56**	**0**
G. Special Reserve- Govt. Guaranteed SRs		
Opening balance	0	0
Add: Additions	421 37 16	0
Less: Deductions	0	0
TOTAL - G	**421 37 16**	**0**
TOTAL - IV (A,B,C,D,E,F and G)	**4554 09 84**	**4778 79 82**
V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT	**(12537 85 33)**	**(14473 93 34)**
TOTAL (I, II , III, IV and V)	**12976 75 83**	**8659 03 68**

SCHEDULE -3
DEPOSITS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	1558 27 74	257 64 87
ii) From Others	26568 34 59	22677 82 14
TOTAL - I	**28126 62 33**	**22935 47 01**
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**108034 82 03**	**102589 41 20**
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	3 64	566 65 84
ii) From Others	175777 34 39	160029 94 12
TOTAL - III	**175777 38 03**	**160596 59 96**
TOTAL - A (I,II and III)	**311938 82 39**	**286121 48 17**
B. i) Deposits of branches in India	**303415 25 66**	**278967 49 60**
ii) Deposits of branches outside India	**8523 56 73**	**7153 98 57**
TOTAL - B	**311938 82 39**	**286121 48 17**

(Deposits under Lien- refer note no 10)

SCHEDULE -4
BORROWINGS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. BORROWINGS IN INDIA		
Reserve Bank of India	1946 00 00	7000 00 00
Other Banks	3366 95 00	2118 67 50
Other Institutions & Agencies	20599 66 34	12121 97 00
Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	0	0
Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	0	0
Subordinated Debt	2165 00 00	2165 00 00
TOTAL (I)	**28077 61 34**	**23405 64 50**
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	**14150 04 98**	**6981 52 05**
TOTAL (I and II)	**42227 66 32**	**30387 16 55**
Secured borrowings included in I and II above	25912 61 34	21240 64 50

SCHEDULE -5
OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. Bills Payable	628 52 03	811 73 08
II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. Interest Accrued	267 65 07	402 50 31
IV. Others (including provisions)	7411 96 35	6584 99 16
TOTAL	**8308 13 45**	**7799 22 55**

SCHEDULE -6
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. Cash on hand (including Foreign currency notes)	1235 14 95	1263 92 73
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	11784 64 61	9095 13 31
ii) in Other Accounts	5096 07 60	6546 47 61
TOTAL (I and II)	18115 87 16	16905 53 65

SCHEDULE -7
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. In India		
i) Balances with banks		
a) In Current Accounts	13 78 82	8 84 40
b) In Other Deposit Accounts	244 79 31	236 89 25
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With banks	0	0
b) With other institutions	0	0
TOTAL - I (i and ii)	**258 58 13**	**245 73 65**
II. Outside India		
i) In Current Accounts	846 39 85	790 68 07
ii) In Other Deposit Accounts	535 68 11	3 65 60
iii) Money at Call and Short Notice	1463 10 26	869 29 09
TOTAL- II (i,ii and iii)	**2845 18 22**	**1663 62 76**
GRAND TOTAL (I and II)	**3103 76 35**	**1909 36 41**

SCHEDULE -8
INVESTMENTS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) Government Securities	101565 84 30	91652 13 70
ii) Other Approved Securities	0	99 45
iii) Shares	820 33 62	210 59 69
iv) Debentures and Bonds	3072 22 99	2542 94 34
v) Subsidiaries/ Joint Ventures	615 64 72	606 90 22
vi) Other Investments	613 69 58	71 00 75
(Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)		
TOTAL - I	**106687 75 21**	**95084 58 15**
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i) Government Securities (including Local Authorities)	3699 98 63	3867 01 90
ii) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
iii) Other Investments	200 23 05	242 31 48
TOTAL - II	**3900 21 68**	**4109 33 38**
TOTAL (I and II)	**110587 96 89**	**99193 91 53**
Gross Investments in India	107453 95 75	96166 77 00
Less: Depreciation	959 64 73	1275 63 04
Less: Interest on Restructured Investments	0	0
Net Investments	**106494 31 02**	**94891 13 96**
Gross Investments Outside India	4100 25 79	4312 13 63
Less: Depreciation	6 59 92	9 36 06
Net Investments	**4093 65 87**	**4302 77 57**
TOTAL NET INVESTMENTS	**110587 96 89**	**99193 91 53**

SCHEDULE -9
ADVANCES

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
A. i) Bills Purchased & Discounted	10869 40 73	8338 51 80
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	92080 18 05	77156 79 24
iii) Term Loans	142605 58 06	127834 82 14
TOTAL	**245555 16 84**	**213330 13 18**
B. i) Secured by Tangible Assets	177081 13 42	145455 52 89
(includes advances against Book Debts)		
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	40744 07 61	34358 84 19
iii) Unsecured	27729 95 81	33515 76 10
TOTAL	**245555 16 84**	**213330 13 18**
C. I) Advances in India		
i) Priority Sector	113583 52 65	107640 07 65
ii) Public Sector	17280 15 88	24336 39 57
iii) Banks	0	0
iv) Others	99292 50 13	64104 10 60
TOTAL	**230156 18 66**	**196080 57 82**
II) Advances Outside India		
i) Due from Banks	0	0
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased & Discounted	4162 81 04	7339 42 88
b) Syndicated Loans	5739 25 15	2743 70 69
c) Others	5496 91 99	7166 41 79
TOTAL	**15398 98 18**	**17249 55 36**
GRAND TOTAL (C-I and C-II)	**245555 16 84**	**213330 13 18**

SCHEDULE -10
FIXED ASSETS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
I. Premises		
At cost / revalued as at beginning of the FY	4576 16 08	4571 95 99
Additions during the year *	924 86 81	4 20 09
SUB TOTAL	**5501 02 89**	**4576 16 08**
Deductions during the year *	29 59	0
	5500 73 30	4576 16 08
Depreciation to date	1415 42 71	1378 83 55
TOTAL -I	**4085 30 59**	**3197 32 53**
II. Capital work in progress	**74 23 85**	**14 47 85**
TOTAL - II	**74 23 85**	**14 47 85**
III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
At cost as at beginning of the FY	2969 71 86	2717 09 80
Additions during the year	291 65 99	346 88 22
SUB TOTAL	**3261 37 85**	**3063 98 02**
Deductions during the year	67 57 18	94 26 16
	3193 80 68	2969 71 86
Depreciation to date	2698 53 02	2441 33 42
TOTAL - III	**495 27 66**	**528 38 44**
TOTAL (I, II AND III)	**4654 82 10**	**3740 18 82**

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2025

SCHEDULE -11
OTHER ASSETS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Inter Office Adjustments (Net)	174 68 34	30 51 35
ii) Interest Accrued	5149 12 43	4153 89 68
iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	2315 85 70	5450 93 06
iv) Stationery & Stamps	3 49 09	2 51 92
v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	16	224 27 48
vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	5047 21 91	6928 05 10
TOTAL	**12690 37 63**	**16790 18 59**

SCHEDULE -12
CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	8 03 15	4 87 95
ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	129706 60 38	165998 91 81
iv) Guarantees given on behalf of constituents		
a) In India	14713 15 35	13137 86 75
b) Outside India	179 63 06	157 78 69
v) Acceptances, Endorsements and Other obligations	6074 74 57	4557 27 58
vi) Other items for which the bank is contingently liable		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	454 38 14	100 99 50
b) Banks liability under currency swaps	0	0
c) Interest rate swaps (USD)	0	0
d) Interest rate swaps (INR)	0	0
e) Bank's Liability under Currency Options	0	0
f) Credit Default Swaps/FRAs/Receivable charges	0	0
g) Amount in DEAF with RBI	2311 24 26	2003 50 50
h) Disputed IT demands	5957 19 71	9780 74 96
i) Others	6 29	6 29
TOTAL	**159405 16 51**	**195742 15 63**

SCHEDULE -13
INTEREST EARNED

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Interest / discount on advances / bills	20182 79 36	17576 70 83
ii) Income on investments	7042 41 37	5951 69 85
iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	183 30 95	237 64 69
iv) Others	735 12 47	299 61 33
TOTAL	**28143 64 15**	**24065 66 70**

SCHEDULE -14
OTHER INCOME

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Commission, Exchange and Brokerage	1502 43 11	1330 75 12
ii) Profit/Loss on Sale of Investments	524 33 04	272 94 33
iii) Profit/Loss on Revaluation of Investments	0	749 91 77
iv) Profit on sale of land, Building & other Assets	1 79 59	2 21 43
v) Profit/Loss on exchange transactions	38 91 58	193 05 32
vi) Miscellaneous Income	3539 19 35	3116 42 33
TOTAL	**5606 66 67**	**5665 30 30**

SCHEDULE -15
INTEREST EXPENDED

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Interest on Deposits	15012 16 63	12614 68 60
ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	2232 24 75	1611 87 55
iii) Others	6 22	(6 11)
TOTAL	**17244 47 60**	**14226 50 04**

SCHEDULE -16
OPERATING EXPENSES

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
i) Payments to and provisions for employees	4669 17 00	6143 27 79
ii) Rent, Taxes and Lighting	560 38 09	528 71 82
iii) Printing and Stationery	34 98 11	32 87 88
iv) Advertisement and Publicity	10 42 06	5 10 10
v) Depreciation on Bank's property	395 22 98	336 36 92
vi) Directors' fees, allowances and expenses	1 18 79	1 15 40
vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's)	41 57 70	30 39 11
viii) Law charges	29 97 65	31 29 67
ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	63 89 56	61 32 40
x) Repairs and Maintenance	45 90 74	40 00 88
xi) Insurance	410 87 80	350 23 03
xii) Other Expenditure	1492 66 04	1169 78 03
TOTAL	**7756 26 52**	**8730 53 03**

SCHEDULE 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF THE BANK
CONSOLIDATED

1. BASIS OF PREPARATION

1.1 The Bank's financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and ongoing concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

1.2 The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Bank and its Joint Ventures and Associates as at and for the year ended 31 March, 2025. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of:

a. Audited financial statements of Indian Overseas Bank (Parent).

b. Consolidation of Joint Ventures — 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the ICAI.

c. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

Use of Estimates

1.3 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. REVENUE RECOGNITION AND EXPENSE ACCOUNTING

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets.

Recovery in case of Non-Performing Assets is first appropriated towards principal and the balance, if any, towards interest and charges.

Recovery in case of Suit Filed Accounts shall be appropriated towards principal or as per the directives of the court concerned.

Recovery under One Time Settlement (OTS) shall be appropriated towards principal and excess over principal shall be adjusted towards interest.

If any borrower account is classified as NPA from back date, any recovery till such present date of classification is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal. Subsequent recovery made in such Non-Performing Assets is first appropriated towards principal and the balance, if any, towards interest and charges.

In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognized to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

NCLT admitted accounts shall be treated as suit filed accounts and the appropriation of recovery in these NCLT accounts whether it is from the process initiated against the corporate debtor or guarantors shall be done as in suit filed accounts.

Recovery by way of debentures / equity / other debt or equity or quasi equity instruments etc in the NCLT approved resolution plan amount as cash recovery to be appropriated in the same manner as is done in suit filed accounts i.e. first towards principal and remaining amount towards interest.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business/Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized/ accounted for as per local laws of the respective countries.

3. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury (Foreign):

a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. INVESTMENTS

4.1 In line with the RBI Guidelines, Banks shall classify their entire investment portfolio (except investments in their own subsidiaries, joint ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit and Loss (FVTPL). Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub-category within FVTPL.

The premium/ discount, if any, of acquisition cost in comparison the face value of each security (other than NPI) is amortized/ accrued on straight line method, over the remaining period of maturity.

Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries / Joint Ventures and

f) Others (to be specified).

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.3.1. Individual securities under "Fair Value through Profit & Loss "(FVTPL)" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Individual securities under HFT are marked to market on daily basis.

Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL (Financial Benchmarks India Pvt Ltd). Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI (Primary Dealers Association of India)/FBIL periodically.

Based on the above valuations, the valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. The net appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS-Reserve. The performing securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account.

The book value of individual securities would undergo change due to valuation at the prescribed intervals in the books of account.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost/ carrying value.

Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de –recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on Sale of Investments in any category (viz. Held for Trading, Available for Sale and FVTPL) is taken to Profit & Loss account.

In case of Profit on Sale of Investments in "Held to Maturity" category, Profit net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to "Capital Reserve Account".

Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS-Reserve and recognized in the Profit and Loss Account.

In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method

4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only

4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis

4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net off provision held in respect of Non Performing Investments

4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

4.14 An Investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories, other than shifting / transfer from HFT to AFS Category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting.
The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. Such transfer of securities from one category to another is done as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India (RBI)

4.15 As per RBI Circular no. RBI/2017-18/147 DBR No. BP BC. 102/ 21.04.0489/ 2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-19 an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

The Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be the lower of the following: -

a) Net Profit on sale of investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations,

until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS Portfolio, on a continuing basis.

5. ADVANCES

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

5.3 For Restructured / Rescheduled Assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans / advance before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The Provision for Diminution in Fair Value and interest sacrifice, if any, arising out of the above is reduced from advances.

In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Regulators.

6. DERIVATIVES

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination of such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT)

7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Sl No.	Furniture Types	Depreciation %
i	Premises	2.50%
ii	Furniture and Fixtures (Metal and Wooden)	10%
iii	Electrical Installation	20%
iv	Vehicles	20%
v	Computers	33.33%
vi	Computer Software	33.33%
vii	Fire Extinguishers and the assets whose value is more than Rs.1000/- but less than Rs.5000/-	100%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account, and equivalent amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves.

7.3 Capitalization of the furniture/fixtures can be done in view of the nature and use of the items.

7.4 Depreciation of the assets is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation. (Under straight line method)

7.5 Depreciation of the assets is allowed only if the assets is put to use in the year of purchased.

7.6 If the value of single asset is less than or equal to Rs.1000/-, Bank will not capitalize the asset and treat the assets as a revenue expenditure. So, in this case ,asset will not eligible for capitalization .

7.7 If the value of single asset is more than Rs.1000/- but less than Rs.5000/-, it will be eligible for capitalization. However, depreciation will be applicable to the extent of 100% of value of asset at the end of the financial year. Thereafter, it will carry Rs.1/- in the books.

7.8 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.9 In respect of leasehold properties, premium is amortized over the period of lease.

7.10 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. STAFF BENEFITS

8.1 Contribution to Provident Fund and National Pension System is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Funds. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement is made based on actuarial valuation at the year-end.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. TAXES ON INCOME

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognized on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

10. EARNINGS PER SHARE

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year-end except where the results are anti-dilutive.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

SCHEDULE 18

NOTES TO ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Indian Overseas Bank (The Bank) and the following Associate and Joint Venture of the Bank:

S. No	Name of the Company	Type of Investment	Country of Incorporation	% of Holding
1	Odisha Gramya Bank	Associate	India	35%
2	India International Bank (Malaysia) Berhad (as on 31.12.2024)	Joint Venture	Malaysia	35%

1.1. The Bank is holding 18.06% in Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Since the shareholding in the Company is less than 25%, the same has not been considered as Joint Venture for preparation of Consolidated Financial Statements as per extant RBI guidelines.

1.2. The consolidated financial statements include the interest in JV which has been accounted in proportionate consolidation method as per AS 27 (Financial Reporting of Interest in JV). Accordingly, the share of excess of net asset over the carrying cost of investment of ₹ 15.86 Crore in JV representing FCTR is reported under reserves and surplus, this represents the translation difference.

1.3. In respect of investment in Associate, which has been accounted under equity method as per AS 23 (Accounting for investment in Associates), the carrying amount of investment in equity shares of ₹ 606.90 Crore is adjusted against IOB's share of net assets of ₹ 275.52 Crore and the balance of ₹ 331.38 Crore is adjusted against balance in Reserves and Surplus to recognize the decline in the value.

2. Financial Statements of Associates / Joint Venture:

a. The accounts of Joint Venture India International Bank (Malaysia) Berhad, which is combined in the Consolidated Financial results is prepared on a calendar year basis in accordance with the local legal requirements. The accounts incorporated of the Joint venture is for the period 01st October 2024 to 31st December 2024. There are no material changes during the period 01st January 2025 to 31st March 2025 requiring adjustment to the figures reported in the unreviewed accounts as received.

b. The Bank is holding 18.06% in Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Since the shareholding in the Company is less than 25%, the same has not been considered as Joint Venture for preparation of Consolidated Financial Statements as per extant RBI guidelines.

c. The consolidated financial statements include the interest in JV which has been accounted in proportionate consolidation method as per AS 27 (Financial Reporting of Interest in JV). Accordingly, the share of excess of net asset over the carrying cost of investment of ₹ 28.34 Crores in JV representing FCTR is reported under reserves and surplus, this represents the translation difference.

d. In respect of investment in Associate, which has been accounted under equity method as per AS 23 (Accounting for investment in Associates), the carrying amount of investment in equity shares of ₹ 606.90 Crores is adjusted against IOB's share of net assets of ₹ 275.52 Crores and the balance of ₹ 331.38 Crores is adjusted against balance in Reserves and Surplus to recognize the decline in the value.

e. The Financial Statements of the joint venture (IIBM) have been prepared on a basis other than going concern which includes where appropriate, writing down Bank's asset to Net Realisable Value. IIBM has since entered cessation of business phase and intends to surrender its Banking licence. However, no material adjustments arose because of ceasing to apply the going concern basis.

f. Pursuant to Notification issued by the Central Government dated April 05th, 2025, effective May 01st, 2025 ,Odisha Gramya Bank and Utkal Grameen Bank have been amalgamated into a single Regional Rural Bank to be called as Odisha Grameen Bank in accordance with the scheme of amalgamation so notified.

3. Inter Branch Reconciliation/internal office accounts

Reconciliation of Inter Branch transactions and internal/office accounts is under progress at different stages at the branches and/or Central Office Departments. Steps are being taken to eliminate the outstanding entries as at the earliest. The necessary accounting adjustments if any required shall be carried out on the completion of such process. The Management however does not anticipate any material consequential effect of pending reconciliation and elimination of outstanding entries.

4. Capital and Reserves

- During the Financial Year 2024-25, the Bank has issued 35,41,77,539 equity shares having Face Value of ₹10 each for cash to Qualified Institutional Buyers (QIB) pursuant to Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended at a premium of ₹30.57 per share aggregating to Rs. ₹1436.89 Crore. This has resulted in an increase of ₹354.18 Crore in the issued and paid-up Equity Share Capital and ₹1078.60 Crore (net of share issue expenses of ₹ 4.11 crore) in Share Premium Account.
- The paid-up capital of the Bank stands at ₹19,256.59 Crore as on March 31st, 2025. The Government of India shareholding stands at 94.61% as on March 31st, 2025.
- During the Financial Year 2024-25, Bank has not issued Basel III Tier II Bonds.

a) Composition of Regulatory Capital

(Amounts in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves@ (net of deductions, if any)	28 972.20	20 839.72
ii)	Additional Tier 1 capital*/ Other Tier 1 capital@	0	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	28 972.20	20 839.72
iv)	Tier 2 capital	4 412.00	4 034.78
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	33 384.20	24 874.50
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	16 9083.88	1 43 979.05
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs@	17.13%	14.47%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	17.13%	14.47%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.61%	2.80%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	19.74%	17.28%
xi)	Leverage Ratio	6.90%	5.66%
xii)	Percentage of the shareholding of		
	a) Government of India	94.61%	96.38%
	b) State Government (specify name)$	N.A.	N.A.
	c) Sponsor Bank$	N.A.	N.A.
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	354.18	Nil
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	Nil	Nil
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which Basel III Tier II Bonds	Nil	Nil

$ Percentage of shareholding of State Government and Sponsor Bank is applicable only for RRBs.

b) Draw down from Reserves

Drawdown from the reserves during the financial year 2024-25 is NIL.

Provisions and contingencies

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Provisions for depreciation on Investment / Written back	0.00	(0.49)
Provision towards NPA	834.02	2706.49
Provision towards Standard Assets	3585.28	(112.22)
Provision for Restructured accounts	(21.26)	(7.37)
Provision made towards Income Tax (Including Deferred Tax)	1177.01	756.92
Other Provision and Contingencies	(221.74)	764.71
Total	**5353.31**	**4108.14**

5. Investment Fluctuation Reserve

As per Reserve Bank of India circular number RBI/DOR/2023-24/104 DOR.M.RG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023, an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created until the amount of IFR is at least two percent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:

a. Net profit on sale of Investments during the year
b. Net profit for the year less mandatory appropriations

During the year ended on March 31st 2025 an amount of ₹100 crore has been transferred to IFR.

During the year ended on March 31st 2025 an amount of NIL has been draw down from IFR.

6. Taxes

6.1 In the opinion of management provisions under section 115 JB (Minimum Alternate Tax) of the Income Tax Act, 1961 are not applicable to the Bank. Therefore, bank has not provided any amount towards provision for MAT/ Income tax.

6.2 Tax paid in advance (Net of provisions) is under reconciliation. This is on account of amounts pending assessment/under appeal/ tax paid under dispute. [Refer Schedule 11(iii)].

6.3 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating ₹ 4 061.92 Crore (previous year ₹ 8450.79 Crore), Service Tax aggregating to ₹ 256.24 Crore (previous year ₹ 238.42 crore) and Goods and Service Tax aggregating to ₹ 1615.29 crore (Previous year ₹ 1071.78 crore) towards contingent liabilities. During the current financial year 2024-25, Bank has received a total Income tax refund of ₹ 4402.51 crore.

6.4 Tax expense for the year amounting to ₹ 1177.01 crore includes Current Tax expense of ₹ 17.01 crore and Deferred Tax expense of ₹ 1160.00 crore – refer note no .18.8.

6.5 The Bank has a carried balance of Net Deferred Tax Assets up to March 31st, 2025 aggregating to ₹ 3863.98 crore which was recognized in earlier periods and on estimated basis bank has reversed deferred tax asset amounting to ₹ 500.00 crores for the quarter (31.03.2025) and ₹ 1160.00 crore for the year ended 31.03.2025. In the opinion of the management, the carrying amount of DTA is fully realizable.

6.6 As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

6.7 Amount of provision made for Income Tax during the year:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Provision for Income Tax	17.01	22.67
Provision for Deferred Tax	1160.00	734.24
Net Provision	1177.01	756.91

7. Letters of Comfort (LoC)

Banks should disclose the full particulars of all the letters of comfort (LoCs) issued by them during the year, including their assessed financial impact, as also their assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued by them in the past and outstanding, in its published financial statements, as part of the "Notes to Accounts"

Particulars	FY 2024-25
Letters of Comfort issued during the year	-
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2025	3
Assessed Financial impact	-
Cumulative Assessed Financial Obligation	

Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31,2025:

1. During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12%, subject to approval from Reserve Bank of India. The assigned capital of Bangkok Branch stands at THB 2,20,00,00,000(18.24%) as on March 31st, 2025.

   In the worst-case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA. We may have to make additional provision to the extent of THB 1.644 Mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

2. During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of Comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other Joint Venture partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Berhad in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian laws, regulations and policies in the conduct of its business operations and management. The financial impact of the letter of Comfort issued to bank Negara Malaysia is to the tune of our share of 35% of the paid-up capital of MYR 330 Mio i.e., MYR 115.500 Mio.

3. Based on the host country regulator's guidelines, Bank has issued letter of Comfort favoring CBSL at its meeting held on 12.09.2019 for meeting all obligations and liabilities arising out of business carried on by IOB Srilanka Branch.

8. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

8.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2025.

8.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

8.3. Accounting Standard 15 – Employee Benefits (Parent Bank)

The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1. Short-Term Employee Benefits:

   The undiscounted amounts of short-term employee benefits, such as medical benefits which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognized during the period when the employee renders the service.

2. Long-Term Employee Benefits:

   The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

Defined Benefit Plans

(a) Changes in the present value of the obligations:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Present Value of obligation as at the beginning of the year	13465.63	11314.24	1494.38	1302.17
Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Add: Interest Cost	857.34	776.97	104.53	94.94
Add: Past Service Cost	-	-	-	-
Add: Current Service Cost	314.79	332.67	95.59	88.82
Less: Benefits Paid	(1262.45)	(1135.44)	(97.27)	(92.59)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	979.81	2177.19	49.95	101.03
Present Value of Obligation at year end	14355.12	13465.63	1647.18	1494.38

(b) Change in Fair Value of Plan Asset:

((Amounts in ₹ Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	13465.63	11314.25	1494.38	1326.82
Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Add: Expected return on Plan Assets	1003.10	896.50	108.34	101.62
Add: Employer's contribution	1080.15	2348.23	105.37	127.30
Less: Benefit Paid	(1262.45)	(1135.44)	(97.27)	(92.59)
Add: Actuarial gain/(loss) on Obligations	68.69	42.09	36.36	31.23
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	14355.12	13465.63	1647.18	1494.38
Unfunded Transitional Liability		--		--

c) Amount recognized in Balance Sheet:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
i) Present value of obligations as at the end of the year	14355.12	13465.63	1647.18	1494.38
ii) Fair value of Plan Assets as at the end of the year	14355.12	13465.63	1647.18	1494.38
iii) Difference (ii-i)	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
i) Current Service Cost	314.79	332.67	95.59	88.82
ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) Interest Cost	857.34	776.97	104.53	94.94
iv) Expected return on Plan Asset	(1003.10)	(896.50)	(108.34)	(101.62)
v) Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	911.12	2135.09	13.58	69.80
vi) Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii+iv+v+vi)	1080.15	2348.24	105.37	151.94

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

(Figures in %)

Particulars	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
a) Debt instruments/Central Govt Securities	3.40	4.09	8.53	9.13
b) State Govt Securities	4.70	3.89	9.25	11.97
c)Investments in PSU/ PFI/ Corporate bonds	6.27	6.91	11.13	13.57
d) Equity Investments	0.89	0.77	2.06	1.29
e) Other Investments	84.74	84.34	69.03	64.04
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

(f) Principal actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

(Figures in %)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Discount Rate	6.68	7.23	6.69	7.23
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate	1.00	1.00	3.00	3.00
Pension Increase	4.00	4.00	-	-
Expected rate of return on Plan Assets	7.50	7.50	7.23	7.56
Mortality	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected unit Credit		Projected unit Credit	

(g) Five year's disclosure for Pension

I) Surplus/ Deficit in the plan

(Amounts in ₹ Crore)

Amount recognized in the Balance Sheet	As on 31.03.2021	As on 31.03.2022	As on 31.03.2023	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025
i) Present value of obligations as at the end of the year	9856.98	10703.91	11569.76	13465.63	14355.12
ii) Fair value of Plan Assets as at the end of the year	9856.98	10363.23	11314.25	13465.63	14355.12
iii) Difference (ii-i)	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00
iv) Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00

h) Five year's disclosure for Gratuity

I) Surplus/ Deficit in the plan

(Amounts in ₹ Crore)

Amount recognized in the Balance Sheet	As on 31.03.2021	As on 31.03.2022	As on 31.03.2023	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025
i) Present value of obligations as at the end of the year	913.11	1200.55	1302.17	1494.38	1647.18
ii) Fair value of Plan Assets as at the end of the year	1295.29	1225.20	1326.82	1494.38	1647.18
iii) Difference (ii-i)	382.18	24.65	24.65	0.00	0.00
iv) Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	382.18	24.65	24.65	0.00	0.00

(i) The financial assumptions considered for the calculations are as under: -

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2025).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is ₹ 84.40 crores.

j) Defined Contribution Plan:

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after 1st April 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During FY 2024-25, the Bank has contributed ₹ 186.95 Crore (Previous Year ₹ 165.26 Crore).

k) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

Retired Leave Encashment Benefit

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2025	2024
Present value of obligations as at the beginning of the year	752.15	576.27
Add: Interest Cost	52.28	41.78
Add: Past Service Cost	-	-
Add: Prior Service Cost	16.17	-
Add: Current Service Cost	85.80	74.24
Less: Benefits Paid	(58.17)	(47.11)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	21.05	106.97
Closing Defined Benefit Obligation	869.28	752.15

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2025	2024
i) Current Service Cost	85.80	74.24
ii) Past Service Cost	-	-
iii) Prior Service Cost	16.17	
iv) Interest Cost	52.28	41.78
v) Expected return on Plan Asset	0.00	0.00
vi) Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	21.05	106.97
Expenses Recognized in P&L	175.30	223.00

c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2025	2024
i) Opening Defined Benefit Obligation	752.15	576.26
ii) Net Acquisition Cost	-	-
iii) Expenses Recognized in P&L	175.30	223.00
iv) Benefits paid	(58.17)	(47.11)
v) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	873.87	752.15
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	21.05	106.97
Closing Defined Benefit Obligation	869.28	752.15

d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

Particulars	ENCASHMENT (Un Funded)	
	2025	2024
Discount Rate	6.69%	7.23%
Expected Rate of Salary increase	5.00%	5.00%
Attrition Rate	3.00%	3.00%
Mortality	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected Unit Credit	

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market. Such estimates are very long-term and are not based on limited past experience/ immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long-term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

8.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting on the Consolidated Financials

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations. In compliance with RBI Circular DOR.AUT.REC. 12/22/01.001/2022-23 dated April 7, 2022, on establishment of Digital Banking Units (DBUs) and reporting of Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment under Accounting Standard - 17 "Segment Reporting", bank has reported Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment.

Part A: Business Segments

(Amounts in ₹ Crore)

Business Segments	Treasury		Retail Banking											
			Corporate / Wholesale Banking		Digital Banking		Other Retail Banking		Total Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Revenue	7991.43	7275.89	10067.48	9631.31	0.22	0.07	14313.65	11838.84	14313.87	11838.91	640.60	682.60	**33013.38**	**29428.71**
Result	824.77	546.89	1751.89	1365.05	(1.64)	(1.61)	5100.78	4126.38	5099.14	4124.77	337.55	426.46	**8013.35**	**6463.17**
Unallocated Income													**736.93**	**301.82**
Unallocated Expenses													**736.22**	**301.35**
Operating Profit/Loss													**8749.56**	**6773.90**
Income Taxes													**1177.01**	**757.08**
Provisions & Contingencies													**4177.05**	**3351.19**
Extraordinary profit / loss													**0.00**	**0.00**
Net Profit													**3395.50**	**2 655.63**
Segment Assets	119712.61	107330.71	112929.51	114382.96	1.05	0.51	155808.16	119315.87	155809.21	119316.38	74.23	85.46	**388525.56**	**3 41 115.51**
Unallocated Assets													**6182.41**	**10 753.81**
Total assets													**394707.97**	**351869.32**
Segment Liabilities	106524.86	97939.96	107128.51	110441.19	1.05	0.51	148219.43	115593.85	148220.48	115594.36	530.34	272.64	**362404.19**	**3 24 248.15**
Unallocated Liabilities													**70.43**	**59.72**
Total Liabilities													**362474.62**	**3 24 307.87**

*Figures for FY 2024-2025 are based on Standalone financial figures.

8.5 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

The details are as follows:

A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) **Associates** – Regional Rural Banks: Odisha Gramya Bank
(b) **Joint Venture:** India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd.
(c) **Key Management Personnel:**
  (i) Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director, and CEO
  (ii) Shri Joydeep Dutta Roy, Executive Director
  (iii) Shri Dhanaraj T, Executive Director

B) Transaction with Related parties:

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2024-25 and 2023-24:

(Amount in ₹)

S. No.	Name of the Whole Time Director	Remuneration (2024-25)	Remuneration (2023-24)
1.	Shri. Ajay Kumar Srivastava (MD & CEO)	64 40 736.00	40 80 132.00
2.	Shri. Joydeep Dutta Roy (ED)	41 25 174.07	7 47 253.16
3.	Shri. Dhanaraj T (ED)	39 21 601.34	2 53 295.23
4	Ms. S.Srimathy (ED, Exited on 09.03.2024)	19,98,381.29*	38 57 030.33
5.	Shri. Sanjay Vinayak Mudaliar (ED, Exited on 30.01.2024)	15 32 160.00*	31 81 709.89

*Performance Linked incentive for FY 2023-2024.

(Amounts in ₹ Crore)

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Borrowings#	N.A.	N.A.	0.00	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.74
Deposits#	N.A.	N.A.	1172.15	1172.15	1.49	1.70	2.66	3.26	1176.30	1177.11
Placement of deposits#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Advances#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investments#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Non-funded commitments#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements availed#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements provided#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of fixed assets	N.A.	N.A.		0.00		0.00		0.00		0.00
Sale of fixed assets	N.A.	N.A.		0.00		0.00		0.00		0.00
Interest paid	N.A.	N.A.		0.32		0.00		0.00		0.32
Interest received	N.A.	N.A.		135.90		0.09		0.05		136.04
Rendering of services*	N.A.	N.A.		0.00		0.00		0.00		0.00
Receiving of services*	N.A.	N.A.		0.00		0.00		0.00		0.00
Management contracts*	N.A.	N.A.		0.00		0.00		0.00		0.00

The outstanding at the year end and the maximum during the year.

* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

Note: The data pertaining to related party as compiled by the management

8.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2024-2025	2023-2024
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (₹ . in Crores)	3334.71	2655.62
Weighted Average Number of Equity Shares	18990956640	18902412256
Basic & Diluted Earnings Per Share (in ₹)	1.76	1.40
Nominal value per Equity Share (in ₹)	10.00	10.00

8.7 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	31.03.2025		31.03.2024	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Provision for Employee Benefits	286.86		1021.64	
Provision for Frauds	58.51		68.98	
Provision for Other Assets	146.23		126.41	
Provision for Restructured Advances	57.43		11.01	
Reserve for Severance Pay	0.96		1.10	
Provision for NPA	1197.33		1861.70	
Foreign Currency Translation Reserve	390.74		348.27	
Others	1725.92		1860.83	
Total	3863.98		**5299.94**	
Net DTA	**3863.98**		**5299.94**	

8.8 AS 24 – Discontinuing Operations

This Standard establishes principles for reporting information about discontinuing operations. Merger/ closure of branches of banks by transferring the assets/ liabilities to the other branches of the same bank may not be deemed as a discontinuing operation and hence this Accounting Standard will not be applicable to merger / closure of branches of banks by transferring the assets/liabilities to the other branches of the same bank. Disclosures shall be required under the Standard only when: (i) discontinuing of the operation has resulted in shedding of liability and realisation of the assets by the bank or decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalised by the bank and (ii) the discontinued operation is substantial in its entirety.

8.9 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired by the Bank for core Banking systems and other services relating to Information Technology department are being capitalised under intangible assets and are amortized over 3 years.

8.10 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

The impairment of assets in our Bank is NIL

8.11 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

S. No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material advise effect on the Banks financial conditions, results of operations or cash flows. The Bank is also a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending
2	Liability on partly paid-up investments /venture funds	This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
3	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchanges in its normal course of business to exchange currencies at a prefixed price at a future date. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. The notional amounts are recorded as Contingent liabilities. with respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off setting transactions in the interbank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
4	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements, and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf on its customer. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurance that the bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations
5	Other items for which the Bank is contingently liable	The banks enter into currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with interbank participants on its own account and for customers. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on determined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts. Further, these also include estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, letter of comforts issued by the bank on behalf of associates & subsidiaries, banks liability under Depositors Education and Awareness Fund a/c and other sundry contingent liabilities.

9. Lien Marked deposits as on 31.03.2025 for deposits held under lien is Rs 5439.48 crores (previous year not available) against Loan, LG,LC and attached by Govt. authorities.

10. Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

Elevating
Street
Entrepreneur
with

PM SVANidhi



Collateral Free Loan

Loan up to ₹ 50,000

Interest Subsidy Available

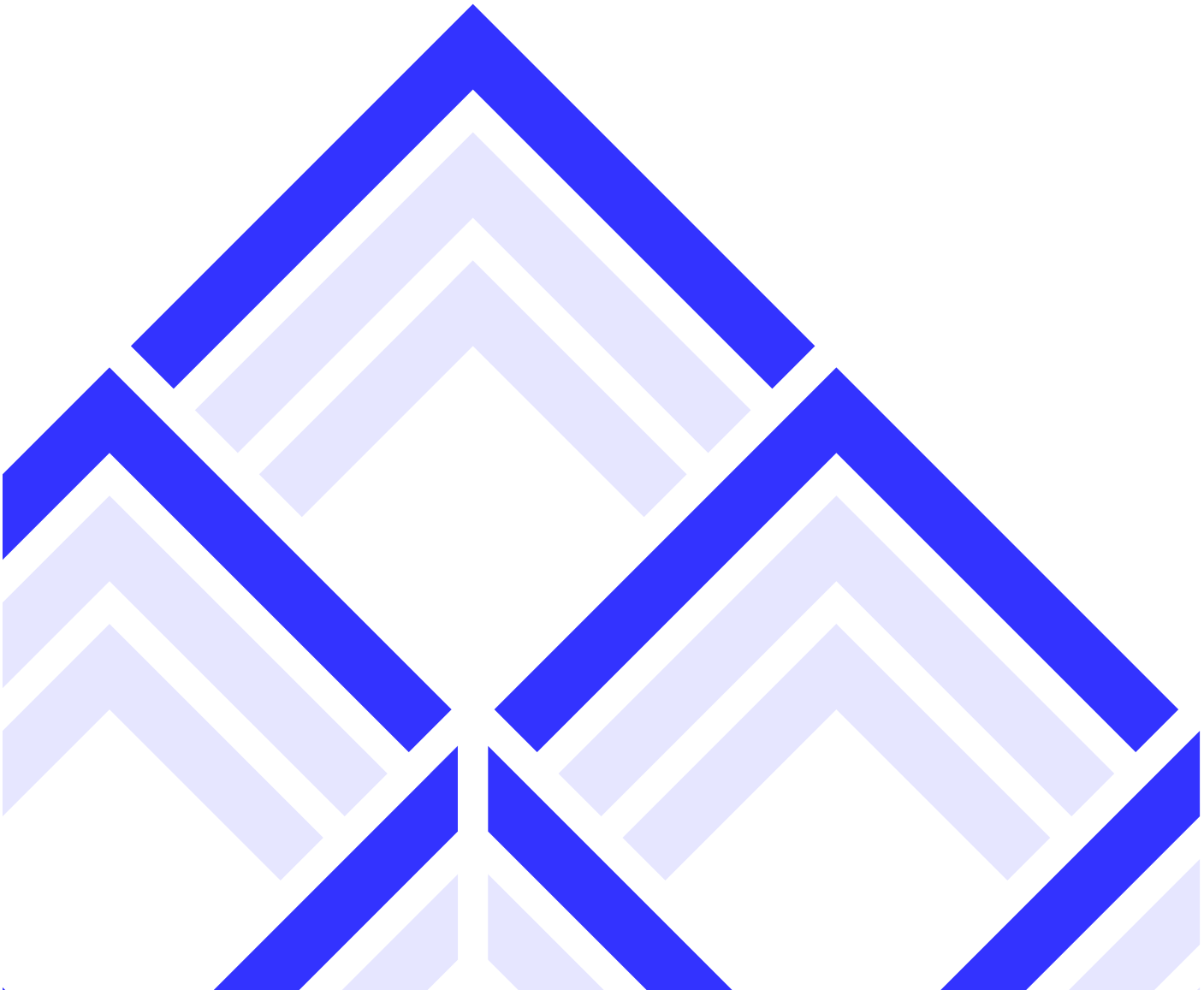
For more info visit nearest IOB Branch

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

T&C Apply

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT CONSOLIDATED



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

CONSOLIDATED

To
The Members of
Indian Overseas Bank

REPORT ON THE AUDIT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

OPINION

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Indian Overseas Bank** ("the Parent"/ "the Bank"/ "the Group"), its associate and joint venture, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2025, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended, and notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "**the Consolidated financial statements**") which includes:

   a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

   b) Unaudited Financial Statements of a foreign Joint Venture (India International Bank (Malaysia) Berhad and;

   c) Audited Financial Statements of an Associate (Odisha Gramya Bank)

   In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and based on the consideration of the report of the other auditor on separate financial statements of the associate, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the Group and its associate & joint venture and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give :

   a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group and its associate and joint venture as at March 31, 2025;

   b) true balance of Profit of the Group and its associate & joint venture, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

   c) true and fair view of the cash flows of the Group and its associate & joint venture, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

BASIS FOR OPINION

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associate & joint venture in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

EMPHASIS OF MATTER

3. We invite attention to the following notes in Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements:

   i) Note No. 6.3 relating to non-provision of various disputed Income tax and Indirect tax liabilities for the reasons stated therein.

   ii) Note No. 6.5 regarding carried balance of ₹ 3863.98 crores relating to Deferred tax assets and reversal of ₹ 1160 crores during the year on estimated basis and the management assessment of the realizability of the carried balance of the Deferred tax asset as on March 31,2025.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

4. KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report with reference to the Key Audit Matters identified by the Principal Auditors along with the Key Audit Matters reported by the component auditor which, in our opinion, are material.

I. Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Schedule 9 to the financial Statements)

The net advances of the Bank constitute 56.69 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed.

Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed.

Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements.

Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following:

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of

the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/ stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.

d) Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank.

e) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI.

h) We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

i) Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts.

j) Performing relevant analytical procedures.

k) Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc

l) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

II. Information Technology (IT)and controls impacting financial Reporting

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit procedures include assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports /returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.

b) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits.

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

f) Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.

III. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 to the financial Statements)

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 25.62 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on -

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments.

b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the latest available financial statements or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision.

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

IV. Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 to the financial Statements)

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non-tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.

b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions.

c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions.

d) Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters.

e) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate.

f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.

g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

5. OTHER MATTERS

a) The consolidated financial statements include the Group's share of net profit of ₹ 60.68 Crores for the year ended on 31st March, 2025, as considered in the Consolidated Financial Statements in respect of one Associate, whose financial statements/information have not been audited by us. This financial statements / financial information has been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of associate is based solely on the report of such auditor.

b) We did not audit the Financial Statements of one Foreign Joint Venture whose Financial Statements/ financial information reflect total assets of ₹ 24.41 Crores, total revenue of ₹ 13.54 Crores and net cash outflows of ₹ 0.87 Crores as considered in the consolidated Financial Statements. This financial statements / financial information are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this joint venture is based solely on such unaudited Financial Statements/ financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, this financial statements/ financial information is not material to the Group.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditor.

c) The consolidated Standalone Financial statements of the Bank for the previous year ended March 31, 2024 were audited by the joint auditors one of which is predecessor audit firm and have expressed unmodified opinion on such financial statements vide their report dated May 09, 2024.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

INFORMATION OTHER THAN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT THEREON

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises Directors' Report, Corporate Governance report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report, Corporate Governance report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

7. The Bank's Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flow of the Group, its associate & joint venture in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provision of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associate and joint venture are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associate & joint venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associate and joint venture are responsible for assessing the ability of the Group and its associate and joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associate and joint venture are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and its associate and joint venture.

AUDITORS' RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associate and joint venture to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associate and joint venture to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and its associate and joint venture to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the

direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, based on our audit and on the consideration of report of the other auditor on separate financial statements and the other financial information of associate, as noted in the 'other matters' paragraph, we report, to the extent applicable, that;

    a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and;

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. As required by the letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from F.Y. 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

    c) As the Bank and its associate and Joint Venture are not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

    d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) As per par 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements.

12. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

Piyush Pitroda
Partner
M. No.: 188843
UDIN:25188843BMJGTP7041

For Tej Raj & Pal
Chartered Accountants
FRN:304124E

P Venugopala Rao
Partner
M. No.: 010905
UDIN:25010905BMOHTQ3698

For Laxmi Tripti & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009189C

Vivek Mehta
Partner
M. No.:415118
UDIN:25415118BNGAGU6170

For Sanjeev Omprakash Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN:008773C

Anoop Mitna
Partner
M. No.:405289
UDIN:25405289BMKTKL8812

Date: 02nd May, 2025
Place: Chennai

Unlocking Potential with

IOB SME EASY LOAN

Udyam is mandatory

Hassle Free Credit against property to MSME Unit

Demand Loan for short Term Needs

Waiver in various charges

APPLY NOW



T&C Apply

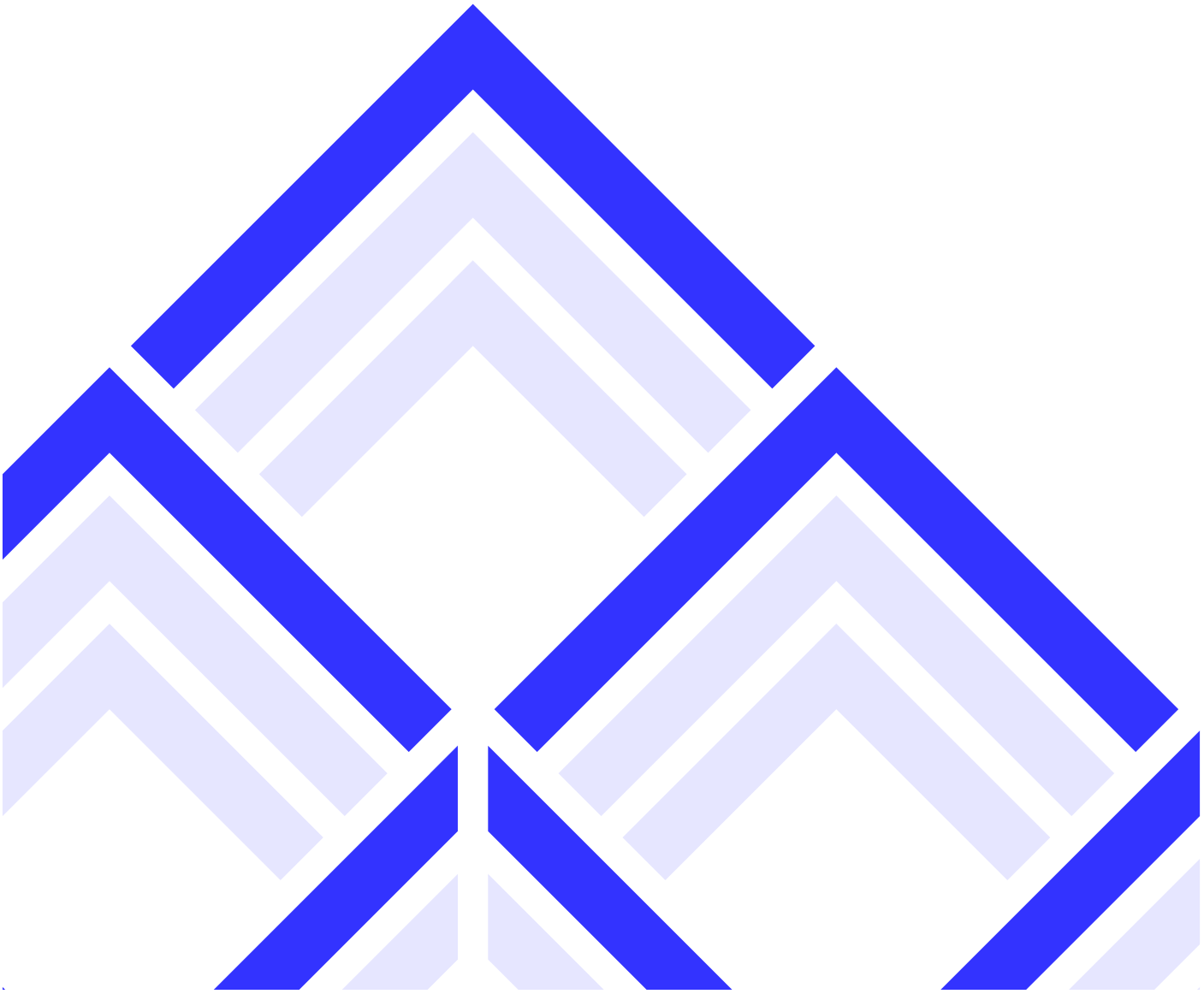
No Submission of Stock/Book Debts statements

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in

89 Years of Trust & Excellence

www.iob.in Follow us on @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445

PILLAR 3 DISCLOSURES OF BASEL III AS ON 31.03.2025



PILLAR 3 DISCLOSURES OF BASEL III AS ON 31.03.2025

RBI issued Basel III guidelines, applicable w.e.f. 01.04.2013 and at present with full implementation of Basel III guidelines, minimum capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) is 11.50%, minimum Common Equity Tier -1 ratio is 8.00% and minimum Tier 1 ratio is 9.50%. Minimum capital required to be held by Bank for the year ended 31st March 2025 is 11.50% with minimum CET 1 (including CCB) of 8.00%. Bank has maintained CRAR of 19.74% as on 31.03.2025 against Regulatory requirement of 11.50% (including CCB)

BASEL III FRAMEWORK CONSISTS OF THREE MUTUALLY REINFORCING PILLARS

(i) Pillar 1: Minimum Capital Requirement (Credit Risk, Market Risk and Operational Risk)
(ii) Pillar 2: Supervisory Review and Evaluation Process
(iii) Pillar 3: Market Discipline

Market Discipline (Pillar 3) consists of set of disclosures on capital adequacy and risk management framework of Bank. These disclosures have been set out as under:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity risk and others. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder's value by achieving appropriate trade-off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits & trigger points in bank's Risk Appetite Statement and ICAAP i.e Internal Capital Adequacy Assessment Process.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank oversees the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept. and other functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices. Apart from coordinating with

Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.03.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per Basel III guidelines. The Basel-III Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI guidelines, the Bank has put in place a Board approved framework on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This framework aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. In addition to this bank has also formulated "Stress Testing Framework" based on EASE guidelines. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession/ downturn and accordingly suitable proactive steps are taken to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3-way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel III framework.

The third pillar of Basel-III framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) is published in DF 1 to 18 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF 11), Summary Comparison of accounting assets vs Leverage Ratio exposure measure (DF 17) and Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

DF-1: SCOPE OF APPLICATION

"Indian Overseas bank" is the entity to which the Basel III framework applies. The consolidated financial statements of the bank conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, comprising regulatory norms, directions & guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Companies Act 2013, Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the accounting practices prevalent in India."

(i) Qualitative disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation for the period ended 31.03.2025:

Name of the Entity	Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolida-tion	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Odisha Gramya Bank	India	Yes	As per AS 23	No	Not Applicable	Not Applicable	Associates not under the scope of consolidation
India International Bank, Berhad, Malaysia	Malaysia	Yes	As per AS 27	No	Not Applicable	Not Applicable	Joint Venture not under the scope of consolidation

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation as on 31.03.2025

(Rs. in Crore)

Name of the Entity	Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Universal Sompo General Insurance	India	General Insurance	368.18	18.06	NA	NA

II. QUANTITATIVE DISCLOSURES:

c. List of Group entities considered for consolidation as on 31.03.2025

(Rs. in Crore)

Name of the Entity	Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Odisha Gramya Bank	India	Banking	1734.01*	21546.41
India International Bank, Berhad, Malaysia	Malaysia	Banking	634.07**	622.43

*Banks share of Equity in Odisha Gramiya Bank is Rs.606.90 Crores (1734.01*35%)

**Banks share of Equity in India International Bank, Berhad, Malaysia is Rs. 221.92 Crores (634.07*35%)

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included, in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
Not applicable				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

(Rs. in Crore)

Name of the insurance entities	Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
Universal Sompo General Insurance	India	General Insurance	368.18	18.06	Reduction of 1 bps in CRAR

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within banking group as of March 31, 2025

DF –2: CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures:

A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities

Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. The Process provides an assurance that Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business. Bank actively manages its capital to meet regulatory norms by considering available options of raising capital.

The Bank has put in place a framework on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual risk as part of Pillar 2 requirements. In addition to the credit risk, market risk and operational risk prescribed under Pillar 1, the bank has analyzed its portfolio and assessed different material risks under Pillar 2 that are either partially covered or not covered under Pillar 1. The ICAAP details the capital planning process and carries out an assessment covering measurement, monitoring, internal controls, reporting, capital requirement and stress testing of the following Risks:

- Rating Migration Risk/ Default Risk
- Concentration Risk
- Liquidity Risk
- Interest Rate Risk
- Reputational Risk
- Model Risk
- Strategic Risk
- Compliance Risk
- Residual Collateral Risk
- Business Risk
- Pension Obligation Risk
- Technology Risk
- Legal Risk
- Outsourcing Risk
- Country Risk
- Settlement Risk
- Key personnel Risk
- Conduct Risk

In terms of ICAAP, Bank has put in place appropriate mechanism to assess all the Material Risks.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. In addition to this bank has also formulated "Stress Testing Framework" based on EASE guidelines. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession/ downturn and accordingly suitable proactive steps are taken to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to appropriate committees.

Quantitative Disclosures

Capital Requirement

Bank's capital requirements have been computed using Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk.

As on March 31, 2025, the Capital held by the bank is at 19.74 % of the Total Risk Weighted Assets against the regulatory requirement of 11.50% including CCB:

Rs in Crores

	As on 31.03.2025
(a) Capital requirements for Credit Risk	
• Portfolio subject to Standardized Approach	13370.41
• Securitisation Exposures	0.00
(b) Capital requirements for Market Risk	
• Standardised Duration Approach	
-Interest Rate Risk	0.00
-Foreign Exchange Risk (including Gold)	19.23
-Equity Risk	88.02
(c) Capital requirements for Operational Risk	

• Basic Indicator Approach	1534.65
(d)Common Equity Tier1, Tier 1 & Total Capital Ratio	
• Common Equity Tier-I Capital Ratio	17.13%
• Tier 1 Capital Ratio (Tier 1 CRAR)	17.13%
• Total Capital Ratio (CRAR)	19.74%

DF-3: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

Definitions of past due and impaired assets (for accounting purposes)

Non-performing assets

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank. A non-performing Asset (NPA) is an advance where

(i) Interest and/or instalment of principal remain 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan.

(ii) The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC).

(iii) The bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.

(iv) Any amount to be received remains 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

(v) A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons and a loan granted for long duration crops is treated as NPA, if instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season.

(vi) An account would be classified as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

(vii) The amount of a liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of securitization transactions undertaken in accordance with the RBI guidelines on securitization dated February 1, 2006.

(viii) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing the positive mark to market value of a derivative contract, remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

'Out of Order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.

In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Bank's Balance Sheet, or where credits are not enough to cover the interest debited during the same period, such accounts are treated as 'out of order'.

'Overdue'

Any amount due to the Bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

Resolution of Stressed Assets

Early identification and reporting of stress:

Identification of incipient stress in loan accounts, immediately on default*, by classifying stressed assets as special mention accounts (SMA) as per the following categories:

SMA Sub-categories	Basis for classification – Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue between
SMA-0	1-30 days
SMA-1	31-60 days
SMA-2	61-90 days

* Default' means non-payment of debt when whole or any part or instalment of the amount of debt has become due and payable and is not repaid by the debtor or the corporate debtor. For revolving facilities like cash credit, default would also mean, without prejudice to the above, the outstanding balance remaining continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power, whichever is lower, for more than 30 days.

Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

Organizational Structure for Credit Risk Management

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. The Board has formed committees to oversee risk management processes, procedures and systems. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the board, is constituted which is responsible for management of Credit Risk. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured.

Policy & Strategy

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Interest Rate Policy on Advances, Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy, etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank.

Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit risk in exposures.

In the processes of identification and assessment of Credit Risk, the following functions are undertaken:

(i) Developing and refining the Credit Risk Assessment (CRA) Models/Scoring Models to assess the Counterparty Risk, by taking into account the various risks categorized broadly into Financial, Business, Industrial and Management Risks, each of which is scored separately.

(ii) Conducting industry research to give specific policy prescriptions and setting quantitative exposure parameters for handling portfolio in large / important industries, by issuing advisories on the general outlook for the Industries / Sectors, from time to time.

(iii) Risk Analysis of the all the high values credit proposals are being carried out by Risk Management Department before placing it to Credit Sanctioning Committee.

The monitoring and control of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well-diversified portfolio across dimensions such as single borrower, group borrower and industries. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual companies, group companies, Banks, individual borrowers, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, sensitive commodities, etc., are in place. Credit Risk Stress Tests are conducted at Quarterly interval to identify vulnerable areas for initiating corrective action, where necessary.

Credit Rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated and supported by CRISIL, based on market conditions.

Sanctioning Powers:

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Credit sanctioning at regional office and Central Office are happening through various committees. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers. RLPCs have been created for sanctioning of Retail Loans.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, validation of ratings, mechanism to price credit facilities depending on risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures.

(Rs in Crores)

Quantitative Disclosures:	31.03.2025
a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based	400246.73
Non fund based	21828.62
Total	422075.35
b) Geographic distribution of exposures,	
• Domestic	
Fund based	233501.21
Non Fund based (LC & LG)	19593.52
• Overseas	
Fund based	16517.65
Non Fund based (LC & LG)	1374.00
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately	Annexed
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e) Amount of NPAs (Gross)	5347.72
• Substandard	923.07
• Doubtful	3274.91
a. D1	780.62
b. D2	1188.51
c. D3	1305.78
• Loss	1149.74
f) Net NPAs	911.86
g) NPA Ratios	
• Gross NPAs to gross advances	2.14%
• Net NPAs to net advances	0.37%
h) Movement of NPAs (Gross)	
• Opening balance (01.04.2024)	6794.43
• Additions	3627.54
• Reductions	5074.25
• Closing balance (31.03.2025)	5347.72
i) Movement of provisions for NPAs	
• Opening balance (01.04.2024)	5328.29
• Provisions made during the period	834.00
• Write off / Write back of excess provisions	1901.83
• Closing balance (31.03.2025)	4260.46
j) Amount of Non-Performing Investments	2142.94
k) Amount of provisions held for non-performing investments	2142.94

Quantitative Disclosures:	31.03.2025
l) Movement of provisions for depreciation on investments (Domestic)	
• Opening Balance (01.04.2024)	Not applicable as per the RBI extant master direction w.e.f 01.04.2024
• Provisions made during the period	
• Write-off / Write-back of excess provisions	
• Closing Balance (31.03.2025)	

Residual contractual Maturity break down of Assets (Global)

(Rs. in Crore)

Particulars	Amount
Day 1	36,297.94
2 Days – 7 Days	12742.35
8 Days – 14 Days	9460.09
15 Days – 30 Days	9353.25
31 Days – 2 Months	15192.47
2 Months – 3 Months	19367.77
3 Months – 6 Months	36415.08
>6 Months – 12 Months	48812.97
>1 Year – 3 Years	90176.06
>3 Years – 5 Years	29133.37
> 5 Years	97546.62

Industry Wise Exposure

(Rs. in Crore)

Table DF-3	
Industry Name	**Exposure**
Mining and quarrying	4446.80
Food Processing	3893.51
of which Sugar	675.15
of which Edible Oils and Vanaspati	1009.42
of which Tea	127.25
Beverages and Tobacco	1536.05
Cotton Textiles	2676.70
Jute Textiles	18.03
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	222.06
Other Textiles	5071.16
Leather and Leather Products	684.63
Wood and Wood Products	831.90
Paper and Paper Products	832.27
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	2593.68
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	3712.18
of which Fertilisers	1154.69
of Which Drugs and Pharmaceuticals	557.99
of which Others	1997.81
Rubber, Plastic and their products	1501.22
Glass & Glassware	58.86
Cement and Cement Products	733.23
Iron and Steel	6029.98
Other Metal and Metal Products	2318.47
All Engineering	6954.33
of which Electronics	1091.21
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	3994.41
Gems and Jewellery	1879.02
Construction	2151.08
Infrastructure	24072.79
of which Roadways	5894.71
of which Energy	14084.12
of which Telecommunications	227.54
Other Industries	2121.02
Residuary Other Advances	264127.28
of which Aviation Sector	154.47
Total Loans and Advances	342460.67

DF-4: CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosure

For Portfolios subject to Standardised Approach

- **Names of Credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes**

As per RBI Guidelines, the Bank has identified CARE, CRISIL, ICRA, India Rating, ACUITE Ratings and Research and INFOMERICs (Domestic Credit Rating Agencies) and FITCH, Moody's and S&P (International Rating Agencies) as approved Rating Agencies, for the purpose of rating Domestic and Overseas Exposures respectively, whose ratings are used for the purpose of computing Risk-weighted Assets and Capital Charge.

- **Types of exposures for which each Agency is used**

(i) For Exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short-term Ratings given by approved Rating Agencies are used.

(ii) For Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Term Loan exposures of over 1 year, Long Term Ratings are used.

- **Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable assets in the Banking Book**

The key aspects of the Bank's external ratings application framework are as follows:

- All long term and short-term ratings assigned by the credit rating agencies specifically to the Bank's long term and short-term exposures respectively are considered by the Bank as issue specific ratings.
- Foreign sovereign and foreign bank exposures are risk-weighted based on issuer ratings assigned to them.
- The Bank ensures that the external rating of the facility/ borrower has been reviewed at least once by the ECAI during the previous 15 months and is in force on the date of its application.
- Bank facility rating with the disclosure by the CRAs on the name of the bank and the corresponding credit facilities rated in the Press Releases (PR) issued on rating actions by the said CRA are only considered for Risk Weight purpose.
- Where multiple issuer ratings are assigned to an entity by various credit rating agencies, the risk weight is determined as follows:
  - If there is only one rating by a chosen credit rating agency for a particular claim, then that rating is used to determine the risk weight of the claim.
  - If there are two ratings accorded by chosen credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
  - If there are three or more ratings accorded by chosen credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights is applied, i.e., the second lowest risk weight.

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

Classification	Exposure After Mitigation (EAM)	EAM Covered under External Rating	Unrated
Advances/Investment			
Below 100% Risk Weight	222362.49	31742.69	190619.79
At 100% Risk Weight	28855.17	10277.41	18577.76
More than 100% Risk Weight	26250.50	3715.08	22535.42
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	277468.16	45735.18	231732.97
Other Assets			
Below 100% Risk Weight	26512.09	578.15	25933.94
At 100% Risk Weight	5084.55	4.24	5080.31
More than 100% Risk Weight	0.01	0.01	0.00
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	**31596.65**	**582.40**	**31014.25**

DF-5: CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances and deposits, where the Bank have legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation. The Bank calculates capital requirements on the basis of net credit exposures subject to the following conditions:

Where Bank:

(a) has a well-founded legal basis for concluding that the netting or offsetting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt.

(b) is able at any time to determine the loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting agreement; and

(c) monitors and controls the relevant exposures on a net basis, it may use the net exposure of loans/advances and deposits as the basis for its capital adequacy calculation. Loans/advances are treated as exposure and deposits as collateral.

- **Policies and Processes for Collateral Valuation and Management**

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy document is the embodiment of various aspects of collateral management guidelines issued from time to time. It broadly lists out the nature and type of securities normally accepted by the bank. It broadly lists out the nature and type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

- **Description of the main types of collateral taken by the Bank**

The following collaterals are usually recognised as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach:

- Cash or Cash equivalent (Bank Deposits/NSCs/KVP/ LIC Policy, etc.)
- Gold
- Securities issued by Central / State Governments

- **Main types of Guarantor Counterparty and their creditworthiness**

The Bank accepts the following entities as eligible guarantors, in line with RBI guidelines:

- Sovereign, Sovereign entities [including Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), European Central Bank and European Community as well as Multilateral Development Banks, Export Credit & Guarantee Corporation (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)], Public Sector Enterprises (PSEs), Banks and Primary Dealers with a lower risk weight than the counterparty.
- Other guarantors having an external rating of AA or better. In case the guarantor is a parent company, affiliate, or subsidiary, they should enjoy a risk weight lower than the obligor for the guarantee to be recognised by the Bank. The rating of the guarantor should be an entity rating which has factored in all the liabilities and commitments (including guarantees) of the entity.

- **Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken:**

The Bank has a well-dispersed portfolio of assets which are secured by various types of collaterals, such as: -

- Eligible financial collaterals listed above
- Guarantees by sovereigns and well-rated corporates,
- Fixed assets and current assets of the counterparty.

(Rs. in Crore)

DF-5 CREDIT RISK MITIGATION	31.03.2025
(a) For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off-balance sheet netting) that is covered by Eligible financial collaterals after the application of haircuts	78306.20
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Enterprises	279.70
Banks-Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank denominated in FCY	0.00
Primary Dealers (PD)	0.00
Corporates	3120.59
Regul'y Retail Portfolio	55849.66
Secured by Residential Property	2.43
Secured by Commercial Property	8.39
Consumer Credit	18898.87
Capital Market Exposure	0.00
NBFC ND	131.52
Venture Capital	0.00
N.P.A. housing loan	0.00
N.P.A. Others Loan	0.00
Staff Loans	15.01
Other Assets	0.00
Restruct / Reschd. Accounts	0.00
Sec. by Comm.prop - R H	0.04
Restructured Housing Loan	0.00
(c) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off-balance sheet netting) that is covered by Guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	38054.76
Public Sector Enterprises	26886.78
Corporates	6163.66
Regul'y Retail Portfolio	4229.21
NBFC	765.94
CRE	8.87
CRE-RH	0.30

DF-6: SECURITISATION EXPOSURES: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

The Bank does not have any Securitisation exposure as on 31.03.2025

DF-7 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosure

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (FVTPL-HFT category), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy, Policy for quoting Interest Rate on Deposits and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which deal with market risk management are Country Risk Management Policy, Counterparty Risk Management Policy, Risk Management Policy for Treasury Operations and Stress Testing policy. The Market Risk Management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per RBI guidelines from March 2013 the liquidity risk is computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

RBI has issued guidelines on two minimum standards for funding liquidity viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) to promotes short term resilience and Net Stable Funding Ratio (NSFR) to promotes resilience of Bank over a longer- term time horizon.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) is computed on daily basis, placed to ALCO, and reported to RBI on monthly basis. Net Stable Funding Ratio (NSFR) is computed on an ongoing basis, placed to ALCO on monthly basis and reported to the RBI on quarterly basis.

The bank has put in place mechanism of contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed by RBI for the first four buckets and by Bank's Board for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest Rate Risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates Earnings at Risk (EaR) for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

As interest rate movements are volatile, particularly on deposits of Rs.3 Crore and above, hence interest rates for Bulk deposits approved by ALCO shall act as CAP and GM (Treasury) shall be empowered to quote finer interest rates complying the guidelines enumerated in Policy for Quoting Interest Rates on Deposits and operate within the CAP based on the present & projected liquidity position of the bank, requirement for immediate payment of funds, market trend regarding deployment opportunities available, impact on un-hedged forex exposure etc. to maximize the returns. ALCO shall review

interest rate on Bulk domestic deposit (Deposits of Rs.3 crore and above) quoted during the previous month.

Further, the bank is also having dedicated Market Risk Management Policy which ensures that the Bank's operations are in line with management's expectations of return to market risk.

Quantitative disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.03.2025 in trading book of the bank is as under:

(Rs. in Crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Assets (Notional)	Capital Requirement
Interest Rate Risk	0.00	0.00
Equity Position Risk	1100.22	88.02
Foreign Exchange Risk	240.42	19.23
Total	1340.64	107.25

DF – 8: OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) Cyber Security Policy (c) forex risk management policy (d) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (e) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (f) compliance policy and (g) policy on outsourcing of Financial Services.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed, and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the bank holds capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI.

As on 31.03.2025 (Rs. in Crore)

Parameter	Capital Amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	1534.65	19183.13

DF – 9: INTEREST RATE RISK ON THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the potential that a change in overall interest rates will reduce the value of a bond or other fixed-rate investment. As interest rates rise bond prices fall, and vice versa. This means that the market price of existing bonds drops to offset the more attractive rates of new bond issues. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly, the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

Risk monitoring is an ongoing process and risk positions are analyzed and reported to Top Management of the Bank, Market Risk Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

Forex Open position limit (Daylight/overnight), Stop Loss Limit, Aggregate Gap Limit as approved by the Board is monitored and exceptions, if any, is reported to Risk Management Committee of the Board and Top Management of the Bank.

Value at Risk (VaR) computation is carried out on daily basis. Market Risk Stress Testing is carried out at fortnightly intervals as a complement to Value at Risk. Results are reported to Risk Management Committee of the Board and Top Management of the Bank.

The bank has adopted Traditional Gap Analysis combined with Duration Gap Analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value

Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

Quantitative disclosures:

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2025 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs. in Crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2025	
		Up to 1 Year	Up to 5 Years
0.25% change	326.70 (3% of NII of previous year)	14.05	46.11
0.50% change	653.40 (6% of NII of previous year)	28.10	92.22
0.75% change	980.10 (9% of NII of previous year)	42.15	138.33
1.00% change	1306.80 (12% of NII of previous year)	56.20	184.44
2.00% change	2613.60 (24% of NII of Previous year)	112.40	368.88
ECONOMIC VALUE OF EQUITY			31.03.2025
Modified Duration Gap (DGAP) in %			-0.08
Limit as per ALM Policy			(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)			
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value in %			2.30%

DF – 10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Qualitative disclosures

Bank is participating in derivative market as a user to hedge risk of underlying exposure of its own and that of its customers. Keeping in view business composition of Bank, nature and mix of clients, capital requirement as also risk appetite, the activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board. Bank is dealing in derivative product such as Foreign Exchange Forward Contract.

Measurement and management of various risks is ensured by setting up various limits such as counter party limits, stop loss limits, Day light Limits, Overnight limit, Stop Loss Limits and exposure limits etc. at various levels. Utilization of such limits would be subject to guidelines of Investment Management Policy and RBI/SEBI/Exchanges.

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

No	Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposures
1	Derivatives	0.00	0.00	0.00
2	Interest Rates Contracts/Swaps	0.00	0.00	0.00
3	Forward Purchase / Sales Contract	129127.25	767.86	767.86
4	Credit Derivatives	0.00	0.00	0.00
5	Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	Total	129127.25	767.86	767.86

DF – 11: COMPOSITION OF CAPITAL

(Rs. in Crore)

DF - 11 Composition of Capital		
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	28893.09
2	Retained earnings	10506.14
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2365.01
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	41764.24
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments (Provision for SRs reversed to P&L and deducted from CET1)	421.37
8	Goodwill (net of related tax liability)	
9	Intangibles (net of related tax liability)	11134.59
10	Deferred tax assets	0.00
11	Cash-flow hedge reserve	
12	Shortfall of provisions to expected losses	

DF - 11 Composition of Capital		
13	Securitisation gain on sale	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	395.51
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	0.00
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	840.57
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00
26	National specific regulatory adjustments7 (26a+26b+26c+26d)	0.00
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries8	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	12792.04
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	28972.20
Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	0.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00

DF - 11 Composition of Capital		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0.00
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.00
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44)	28972.20
Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	2065.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0.00
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0
50	Provisions	2347.00
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	4412.00
Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00

DF - 11 Composition of Capital		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0
55	Significant investments13 in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	0.00
58	Tier 2 capital (T2)	4412.00
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	33384.20
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	169083.87
60a	of which: total credit risk weighted assets	148560.11
60b	of which: total market risk weighted assets	1340.64
60c	of which: total operational risk weighted assets	19183.13
Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	17.13%
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	17.13%
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	19.74%
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%
65	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0
67	of which: G-SIB buffer requirement	0
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	11.63%
National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	

DF - 11 Composition of Capital		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	2347.00
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	2347.00
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	0
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	0.00
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00

(Rs. in Crore)

Notes to the Template		
Row No. of the template	Particular	Amount
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	3863.98
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Tier 2 capital	0
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	(ii) Increase in risk weighted assets	0
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	2347.00
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	2347.00

TABLE DF – 12: COMPOSITION OF CAPITAL-RECONCILIATION REQUIREMENTS

S. No.	Particulars	31.03.2025 Balance Sheet as in financial statements	31.03.2025 Balance sheet under regulatory scope of consolidation
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid up Capital	19,256.59	19,256.59
	Reserves and Surplus	13,284.33	12,976.76
	Minority Interest	-	-
	Total Capital	32,540.92	32,233.35
ii	Deposits	3,11,938.82	3,11,938.82
	of which : Deposit from Banks	1,558.31	1,558.28
	of which : customer deposits	3,10,380.51	3,10,380.55
	of which : Others	-	-
iii	Borrowings	42,227.65	42,227.66
	of which : From RBI	-	-
	of which : From bank	3,366.95	3,366.95
	of which : from other institutional & agencies	22,454.66	22,545.66
	of which : Others(Outside India)	14,150.04	14,150.05
	of which : Capital instruments	2,165.00	2,165.00
iv	Other liabilities and provisions	8,307.54	8,308.13
	Total	**3,95,014.93**	**3,94,707.97**
B			
i	Cash and Balances with Reserve Bank of India	18,115.55	18,115.87
	Balance with bank and money at call and short notice	2,954.72	3,103.76
II	Investments	1,11,044.84	1,10,587.97
	of which: Government Securities	1,05,265.83	1,05,265.83
	of which: Other approved securities		
	of Which :shares	1,283.99	952.61
	of which : Debentures & Bonds	3,072.23	3,072.23
	of which: Subsidiaries / joint Venture /Associates	809.09	615.65
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	613.70	681.65

	Loans and advances	2,45,555.17	2,45,555.17
iii	of which : Loans and advances to banks	-	-
	of which : Loans and advances to customers	2,45,555.17	2,45,555.17
iv	Fixed assets	4,654.82	4,654.82
	Other assets	12,689.84	12,690.37
v	of which : Goodwill and intangible assets	-	
	of which : Deferred tax assets	3,863.98	3,863.98
vi	Goodwill on consolidation	-	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	
	Total	**3,95,014.93**	**3,94,707.97**

TABLE DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Dated Basel III Tier II Series III	Dated Basel III Tier II Series IV	Dated Basel III Tier II Series V
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g., CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A08035	INE565A08043	INE565A08050
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	400.00	665.00	1000.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.1.00 crore	Rs.1.00 crore
10	Account classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	24.09.2019	31.03.2022	24.03.2023
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033

14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	Nil, nil, 500	nil, nil, 665	Nil, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Coupons / dividends				
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	Yes	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI
32	If write-down, full or partial	partial/full	partial/full	partial/full
33	If write-down, permanent or temporary	permanent	permanent	permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

TABLE DF-14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments				
Sr No.	Particulars	Perpetual/Dated Basel III Compliant Tier II Series III	Perpetual/Dated Basel III Compliant Tier II Series IV	Perpetual/Dated Basel III Compliant Tier II Series V
1	Unique identifier (e.g., CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A08035	INE565A08043	INE565A08050
2	Instrument type	Debt Instrument	Debt Instrument	Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.1.00 Crore	Rs.1.00 Crore
4	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
5	Original maturity date	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	Nil, nil, 500	Nil, nil, 665	Nil, nil, 1000
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary	Full Discretionary	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

TABLE DF -15
DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR REMUNERATION

Not Applicable for Public Sector Bank.

TABLE DF-16: EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosures

As per regulatory guidelines, the Equity portfolio of Bank is valued as under:

For Equity Shares held in Available For Sale and Held For Trading category

- Listed Equity Shares are valued at latest Market Rates i.e. Marked to Market.
- Unlisted Equity Shares are valued at Book value ascertained from the latest available balance-sheets. If the balance-sheet is not available, then the same are valued at Re.1/- per company.

For Equity Shares held in Held till Maturity category

- Equity shares held in Held till Maturity category are valued at cost.

Quantitative Disclosures

(Rs. In Crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	0.00
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: • Publicly traded; and • Privately held	455.72 1030.85
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period (01.04.2024 to 31.03.2025) FY 2024-25	21.29
4	Total unrealised gains (losses)[13]	259.48
5	Total latent revaluation gains (losses) [14]	0.00
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital**	606.90
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	Nil

**Indicates Bank's investment in share Capital of Odisha Gramya Bank as a Sponsor.
[13] Figure reported above is the MTM gain/loss in shares Basket-AFS category
[14] Total unrealized gains (losses) less appreciation ignored w.r.t performing shares/Non CDR shares.

DF 17- SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

(Rs. In Crore)

No	Items	Amount
1	Total consolidated assets as per published financial statements	433187
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	617
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	4119
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	0
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	18478
7	Other adjustments	35144
8	Leverage ratio exposure	420023

DF-18:
LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

No	Items	Rs. in Crores
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	433187
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	35761
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	397426
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	768
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	3351
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	---
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	---
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	---
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	---
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	---

11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	4119
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	---
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	---
14	CCR exposure for SFT assets	0
15	Agent transaction exposures	---
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	0
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	46064
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	27586
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	18478
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	28972
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	420023
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	6.90%

BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORT

As per Regulation 34 (2) (f) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended up to date, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023, NSE Circular Ref. No: NSE/CML/2024/11dated 10.05.2024 and BSE Notice No. 20240510-48 dated 10.05.2024, Business Responsibility and Sustainability Report for the year 2024-25 has been prepared and is available on the Bank's website www.iob.in under the following link:

https://www.iob.in/UPLOAD/CEDocuments/iobBRSR_2024-25.pdf

DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

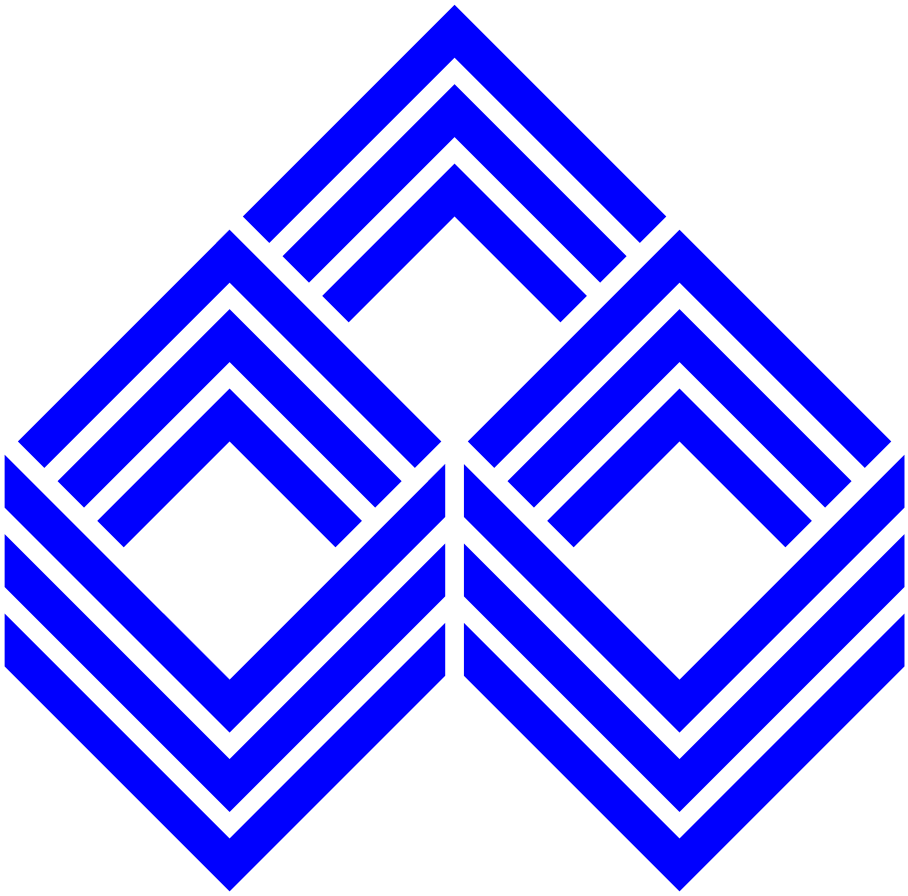
In terms of Clause 43A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended up to date, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available Bank's website i.e.

https://www.iob.in/upload/CEDocuments/IOB_Dividend_Distribution_Policy.pdf

NOTES

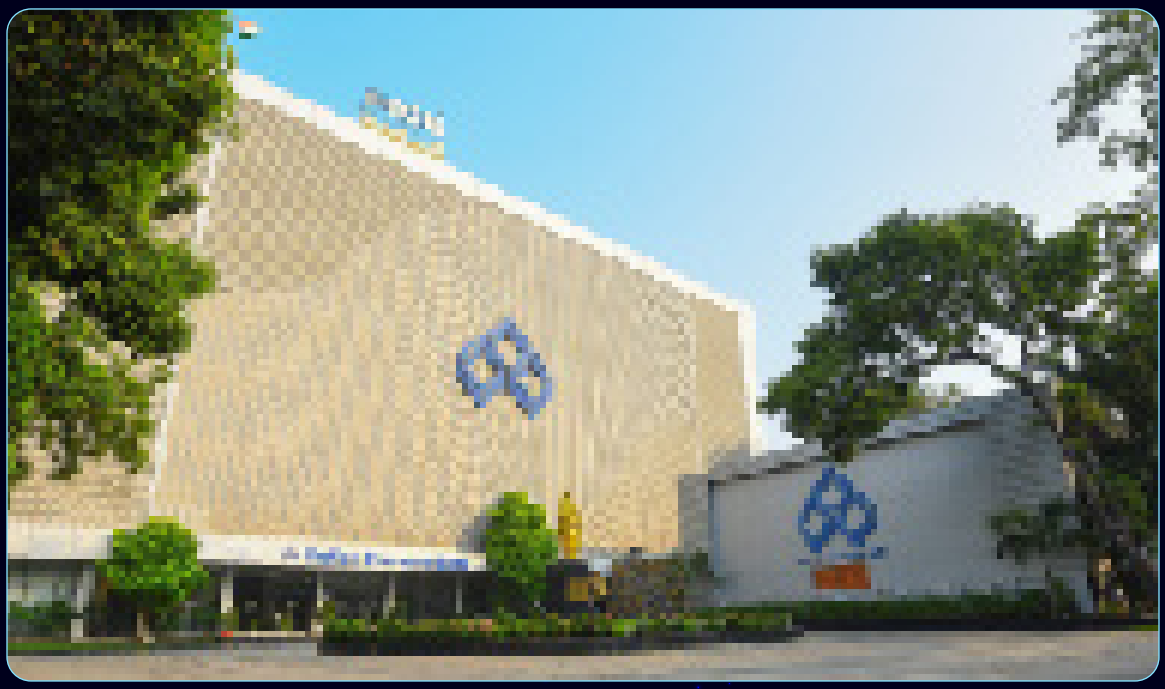
NOTES

NOTES



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with



www.iob.in

Follow Us:

Central Office Address: 763, Anna Salai, Chennai - 600 002 | Phone: +91-44-2852 4212
Toll-free No: 1800 890 4445 / 1800 425 4445